

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गया प्रसाद वर्मा ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झॉसी की परिनियमावली में निर्दिष्ट अर्हताओं को भली प्रकार से पूर्ण करते हुये कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल विषय में "फतेहपुर जनपद में फतेहपुर तहसील की जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक लक्षणों के भौगोलिक अध्ययन" शोध शीर्षक पर पी० एच० डी० उपाधि हेतु अपना शोध कार्य मेरे निर्देशन में 200 दिवस से अधिक रहकर पूर्ण कर लिया है। इनका कार्य सर्वथा मौलिक है।

इस शोध-प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

३८४

डा० बहोरी लाल वर्मा

पर्यवेक्षक

रीडर - भूगोल विभाग

अर्तरा पोस्ट ग्रेजुवेट कालेज

अर्तरा (बॉदा)



प्राक्कथन

भारत के विकासात्मक सन्दर्भ में जनसंख्या भूगोल एवं विषय जन्य सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की भौगोलिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत किया गया अध्ययन एक प्रमुख महत्वपूर्ण ध्रुवीय विषय क्षेत्र और प्रयास माना जाता है। प्रकृति की समग्रता में मानव ने अपनी निश्चित भागीदारी के साथ साथ स्थानीय सम्बंधों के सन्दर्भ में सांस्कृतिक उपादानों का कमिक ऐतिहासिक सृजन भी किया है। इस विषय को प्रो० जी०टी० रेवार्थ्स वेर्स्कन्सिन ---- ने सबसे पहले 1953 में जनसंख्या भूगोल के महत्व को स्वीकार करते हुये कमिक भूगोल के एक उपविभाजन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था अमेरिकन भूगोल वेत्ता संघ (एसोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफर्स) के अध्यक्षीय भाषण में दिये गये अनेक प्रकथनों से रूपान्वय होता है कि इसके तुरन्त बाद इस विषय को स्नातक रस्तर पर पठन पाठन की परिचर्च कर एक नयी शुरूवात की जिसका जिसका अनुसरण विश्व के सभी विश्वविद्यालयों ने किया धीरे-धीरे एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र अध्ययन सामाग्री और शोध विषय वर्त्तु के रूप में यह नयी शाखा वहुचर्चित हो गयी।

भारत में भूगोल विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब में सबसे पहले इस विषय के महत्व को स्वीकार करते हुए ठाँस कदम उठाया। इसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों ने इसे नयी दिशा देने का प्रयास किया। वर्तमान समय में समाज विज्ञान मानव के विविध क्षेत्रों में कतिपय नये आयामों के साथ अनुसंधान कार्य प्ररांशनीय रस्तर पर आ चुके हैं, तथा वहुत से शोध पत्र शोध संस्थान और उच्च रस्तरीय रवतंत्र इकाई वाले निकाय इस विषय पर गठित किये जा चुके हैं।

प्रत्युत कृति शोधार्थी की कतिपय कल्पनाओं से अनुदित एक दिली चाहत है कि शोध प्रत्युति में ये दीप्ति विचार उसके किये गये अधोपान्त अथक प्रयास के पर्याय है। भविष्य की उपलब्धि समाज की मानव कल्याणकारी विचार शैलियों पर

आधारित है कृति की उपलब्धि का शोधार्थी का अपना कोई विशिष्ट आधार नहीं है। कोई प्रयास तब तक यथार्थ नहीं बन पाता जब तक नई दिशा नये मार्गदर्शन और नये संदेश के प्रणेता के रूप में कोई मनीषी सहगामी नहीं बनता।

शोध कार्य में निर्देशित होकर कार्य सम्पादित करने का प्राविधान है भारतीय संस्कृति से ही प्रेरित यह नियम प्रतीत होता है क्योंकि उसमें गुरु की सत्ता एवं महत्ता को सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। निश्चयेन अंज्ञानता रूपी ग्रन्थियों को शिथिल करने में गुरु की कृपा तथा उनका निर्देश शिष्य के लिए मांगलिक एवं कल्याणकारी सिद्ध होता है।

परमश्रद्धालु गुरुवर डा० बहोरी लाल वर्मा के प्रति आभार प्रकट करना मेरी समर्थ के परे है। उनकी स्नेहपूर्ण छटा छाया में एवं उनकी असीम अनुकम्पा की प्रतिदान में धन्यवाद आदि शब्द अत्यन्त हल्के एवं असमर्थ लगतहै। संघर्ष बोझिल मेरे मन को प्राप्त उनका नैतिक सम्बल अतीव स्वहर्णीय है मेरे समर्थ के बार बार हार जाने पर उन्होंने अपने विवेक से मुझे प्रोत्साहित कर पुनः शक्ति प्रदान की है तथा गुरु माता श्रीमती रामप्यारी के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।

अतर्रा पोर्स्ट ग्रेजुएट कालेज अतर्रा के सफल प्रशासक प्राचार्य डा० राजकिशोर शुक्ल के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं।

शोध सम्पादन के दौरान विभिन्न समस्याओं और उनके निवारण के लिए परम मित्र एवं हितैषी डा० अश्वनी कुमार शुक्ल तथा सह धर्मणी श्रीमती सुमन शुक्ल के प्रति मैं अपने हृदय रथल की गहराई से कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त वी०एस०एस०डी० कालेज कानपुर के भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो० रामनरेश विरले एवं परम हितैषी मित्र डा० अरबिन्द दीक्षित रसायन विभाग तथा डा० रामआश्रय वर्मा हिन्दी विभागाध्यक्ष तिलक महाविद्यालय औरैया के सहयोग के लिए अत्यन्त आभारी हूं।

अन्त मे मैं परमपूज्य बाबा जी स्व० श्री सीताराम उमराव एवं परमपूज्यनीय दादी जी श्रीमती मिट्ठन देवी एवं परम आदरणीया बुआ जी श्रीमती छेददी देवी अनुज रामऔतार, रामसिंह, राजेन्द्र, नरेन्द्र, शिव कैलाश, राजकुमार, संदीप कुमार वर्मा, राजेश कुमार, विपिन कुमार प्रधानाध्यापक श्री नन्दकिशोर वर्मा आदि पारिवारिक जनों के प्रति उनके सहयोग आर्शीवाद मार्गदर्शन एवं निःस्वार्थ प्रेम का स्मरण करते हुए यथोउचित अभिवादन करना उचित समझता हूं।

शोध प्रबन्ध की इस सम्पूर्ति में मेरे पिताजी पूज्यश्री बहादुर वर्मा का स्नेह एवं श्रद्धादेया मां श्रीमती श्याम सुन्दरी का वत्सल्य और ममता निहित है। और मेरी सहभागिनी श्रीमती सावित्री वर्मा के प्रति हृदय से आभारी हूं एवं सुता पारूल उमराव बहन श्रीमती निर्मला देवी, अनीता देवी, गंगा देवी, कु० सुनीता वर्मा का स्नेह मेरे शोध कार्य में सदैव रहा है।

प्रस्तुत कृति में प्रयासजनित त्रुटियों का होना मानव की एक स्वाभिकता है। अतः मैं समस्त समालोचकों का हृदय से अभिनन्दन करता हूं।

शोधकर्ता
अष्टसादूर्ण
गया प्रसाद वर्मा

विषय सूची

प्रस्तावना

- 1 – प्रावकथन
- 2 – पूर्व साहित्य की समीक्षा
- 3 – अध्ययन के उद्देश्य
- 4 – सूचना के स्रोत
- 5 – विधितंत्र

अध्ययन – 1

(अ) भौगोलिक पृष्ठ भूमि

- 1 – अवस्थिति
- 2 – संरचना
- 3 – उच्चावच
- 3.1 – पश्चिमोत्तर भूभाग
- 3.2 – मध्यवर्ती भूभाग
- 3.3 – दक्षिण भूभाग
- 4 – जलवायु
- 4.1 – तापमान
- 4.2 – वायु दाब एवं हवाएं
- 4.3 – वर्षा
- 4.3.1 – शीत कालीन वर्षा
- 4.3.2 – ग्रीष्म कालीन वर्षा
- 4.3.3 – वर्षा काल
- 5 – अपवाह
- 5.1 – गंगानदी
- 5.2 – यमुनानदी
- 5.3 – ससुर खरेदी नं० 1
- 5.4 – ससुर खरेदी नं० 2
- 5.5 – नदी घनत्व
- 1.6 – प्राकृतिक वनस्पति
- 1.6.1 – झांडियां एवं वन
- 1.6.2 – घासे या स्थाई चारागाह
- 1.6.3 – कृषि युक्त भूमि
- 1.7 – मिट्टी
- 1.7.1 – वलूई या रेट मिट्टी
- 1.7.2 – वलूई दोमट
- 1.7.3 – दोमट मिट्टी
- 1.7.4 – चिकनी दोमट
- 1.7.5 – कछारी मिट्टी
- 1.7.6 – अपर या रेह मिट्टी
- 1.7.7 – अन्य मिट्टियां
- 1.8 – मृदा उर्वरता
- 1.9 – मृदा अपरदन

(ब) संरकृतिक पृष्ठ भूमि

- 1 – ऐतिहासिक आधार
- 2 – अर्थ व्यवस्था
- अ – कृषि तथा तत्सम्बन्धी व्यवसाय

ब – भूमि उपयोग 1.1 सामान्य भूमि उपयोग

1.1.1 वन भूमि 1.1.2 कृषि हेतु अप्राप्त वंजर भूमि 1.1.3 ऊसर भूमि 1.1

4 परती भूमि 1.1.5 चारागाह 1.1.6 घरो या आवास तथा अन्य भूमि

उपयोग 1.1.7 कृषि क्षेत्र (खेतिहर भूमि) 1.1.8 कृषि दक्षता 1 उच्चतम कृषि
दक्षता क्षेत्र 2 मध्यम कृषि दक्षता क्षेत्र 3.3 उच्च कृषि दक्षता क्षेत्र 4.

निम्नतम कृषि दक्षता क्षेत्र 1.1.9 शास्य सधनता 1 – 2 कृषि भूमि उपयोग

1.2.1 कुल वोया गया क्षेत्रफल 1.2.2 एक से अधिक वार वोया गया

द्विफसली क्षेत्र 1.2.3 शुद्ध वोया गया क्षेत्र 1–2–4– प्रतिव्यक्ति भूमि का
अनुपात 1.2.5 तहसील फतेहपुर का फसल प्रारूप 1.2.6 कृषि फसलों का
वितरण प्रतिरूप 1.2.7 ऋतु वन फसलें 1 – खरीफ की फसलें 2 –
खीली फसलें 3 – जायद की फसलें या अन्य

1.2.8 उर्वरक वितरण 1 – नबजन 2 – फास्फोरस 3 – पोटास।

ब – उद्योग धन्धे

1 – लघु तथा लघुतर उद्योग 2 – ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग 3 – सहकारी
समितियाँ

4 – उद्योग धन्धों का वितरण प्रारूप।

स – अन्य व्यवसाय द – यातायात

अ – राष्ट्रीय राज मार्ग ब – कच्चे सड़क मार्ग

3 – मानव अधिवास अ – ग्रामीण अधिवास

1 – गांवों का आकार एवं गांवों का घनत्व

2 – गांवों की आवसी दूरी

अ – उच्चतम दूरी

ब – मध्यम दूरी से कम दूरी

द – अत्यन्त कम दूरी

3 – प्राकीर्ण प्रवृत्ति

क – सम वितरण प्रतिरूप के पास

ख – असमान वितरण प्रतिरूप के पास

ग – केन्द्रीयकृत वितरण प्रतिरूप के पास

4 – ग्रामीण वसाव प्रारूप।

अध्याय – 2

जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण

2.1 – जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण 2.1.2 जनसंख्या का विकास

2.1.3 – दशकवार जनसंख्या वृद्धि 1 – पुर्व स्वतंत्रता काल 2 – स्वतंत्रता काल

2.1.4 – औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.1.5 जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति

2.2 – आयु संरचना 2.2.1 – 0, 14 आयु वर्ग 2.2.2, 15 – 35 आयु वर्ग

2.2.3 – 35 – 59 – आयु वर्ग 2.2.4 – 60 तथा अधिक आयु वर्ग

2.3.5 – निर्भरता सूचकांक 2.3 – स्त्री, पुरुष अनुपात

2.4 – जनसंख्या की ग्राम्य नगरीय संरचना 2.4.1 – ग्रामीण जनसंख्या

2.4.2 – नगरीय जनसंख्या की 2.5 जनसंख्या का स्थानिक वितरण

2.6 – जनसंख्या वसाव 2.6.1 – गणतीय घनत्व

2.6.2 – कृषि घनत्व 2.6.3 प्राकृतिक घनत्व 2.6.4 पोषण घनत्व

2.7 – जनसंख्या का स्थानान्तरण 3.7.1 ग्रामीण एवं नगरीय प्रवास

3.7.2 – स्थानान्तरण प्रवृत्ति – प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक

अध्याय – 3

जनसंख्या के सामाजिक पक्ष

3.1 – जाति 3.1.1 सर्वर्ण जातियां 3.1.2 पिछड़ी जातियां 3.1.3

अनुसूचित जातियां 3.1.4 मुस्लिम जातियां 3.1.5 जातीय केन्द्रीय सूचकांक

3.2 साम्प्रदायिक स्वरूप (धर्म) 3.2.1 – हिन्दू सम्प्रदाय 3.2.2 हिन्दू धर्म

की जनसंख्या वृद्धि 3.2.3 इस्लाम सम्प्रदाय 3.2.4 इस्लाम धर्म की

जनसंख्या वृद्धि 3.2.5 अन्य सम्प्रदाय 3.2.6 जनसंख्या का साम्प्रदायिक

(सकेन्द्रण) 3.2.7 इस्लामिक साम्प्रदायिक सकेन्द्रण 3.3 भाषा 3.3.1 हिन्दी

भाषा 3.3.2 उर्दू भाषा 3.3.3 अन्य भाषा 3.4 शिक्षा 3.4.1 शैक्षिक प्रगति

एवं शिक्षण संस्थाएं 3.4.2 साक्षर जनसंख्या वर्ष 1991 में अध्ययन 3.4.3

साक्षरता की केन्द्रीयता 3.4.4 गैर शिक्षित निरक्षर जनसंख्या का विवरण 3

4.5 गैर शिक्षित जनसंख्या की वृद्धि 3.4.6 शिक्षण संरथाओं में पंजीकृत

विद्यार्थी 3.4.7 – शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत अनुसूचित जाति के छात्र

छात्राओं का विवरण 3.4.8 समग्र साक्षरता की प्रसंगिकता 3.5 समाज में

स्त्रियों का स्थान 3.5 विभिन्न युगों में स्त्रियों की रिस्थिति 1 – शिक्षा की

प्रगति 2 – आर्थिक जीवन में बढ़ती स्वतंत्रता 3.6 सामाजिक रीति रिवाज

3.6.1 हिन्दू धर्म के रीति रिवाज 3.6.2 इस्लाम धर्म के रीति रिवाज

अध्याय – 4

जनसंख्या के आर्थिक पक्ष

4.1 – व्यवसायिक संरचना 4.1.1 – कार्यशील जनसंख्या

- 4.1.1.1 – प्राथमिक कियायें 4.1.1.2 – द्वितीयक कियायें
 4.1.1.3 – तृतीयक कियाये 4.1.1.4 – व्यवसायिक
 जनसंख्या की केन्द्रीयता 4.2 सम्पत्ति
 4.2.1 – जातिगत भूमि कार्य अधिपत्य
 4.2.2 – पशुधन 4.3.3 – रोजगार
 4.3.4 – सर्वेक्षित गांवों में जातिगत आधार पर कार्यशील जनसंख्या 4.3.5
 अकर्मकर वेरोजगार जनसंख्या 4.4 आय 4.5 बाल श्रमिक

अध्याय – 5

जनसंख्या का जीवन स्तर

भूमिका – 5.1 भैजन	1 – सात्विक भोजन	2
– राजसभोजन		

3 – तामसभोजन 5.2 जनसंख्या और उत्पादन 5.3 प्रतिव्यक्ति उत्पादन 5.3.1 समस्त फसलों का मूल भूत उत्पादन 5.3.2 प्रतिव्यक्ति फसलों का मूल उत्पादन 5.3.3 प्रतिव्यक्ति विभिन्न खाद्य पदार्थों का शुद्ध खाद्य रूप का मूल्यांकन 5.3.4 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध खाद्य आपूर्ति एवं 5.3.4.2 – उच्च कैलोरी ऊसर स्तर 5.3.4.3 मध्य कैलोरी आपूर्ति स्तर 5.3.4.4 निम्न कैलोरी आपूर्ति स्तर 5.4 सर्वेक्षित गांवों का आहार संरचना 5.2 वस्त्र 5.2.1 जातिगत आधार पर वस्त्र 5.2.2 – आर्थिक आधार पर वस्त्रों का प्रयोग 5.2.3 – शैक्षिक आधार पर वस्त्रों का प्रयोग 5.3 आवास 5.3.1 – मकानों के प्रकार एवं उनका विवरण 5.3.1.1 अमाप एवं आकृति के अनुसार मकानों के प्रकार 5.3.1.2 आंगन युक्त आवास 5.3.1.3 बैठक या चौपाल 5.3.1.4 स्नान घर 5.3.1.5 शौचालय युक्त आवास 5.3.1.6 कमरें या दालानें 5.3.1.7 जातिगत आधार पर कमरें या दालानों का विवरण 5.3.1.8 पशुओं की आवासीय व्यवस्था 3.2 प्रतिव्यक्ति आवास।

अध्याय – 6

परिवार कल्याण नीति एवं प्रवृत्ति

- 6.1 – परिवार कल्याण नीति 6.2 परिवार कल्याण नीति का क्षेत्रीय विवरण 6.2.1 – बन्ध्याकरण 6.2.2 – गर्भ निरोधक गोलियां – 6.2.3 नसबन्दी 6.2.4 लूप (आई०य०सी०)
 6.2.5 – निरोध – 6.3 जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाली विधियां 6.4 – परिवार कल्याण के प्रति जन अभिरुचि।

अध्याय – 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

- 7.1 – योजना इकाइयों का सीमंकन 7.2 प्राकृतिक तत्व 7.3 – विभागीय क्षेत्रीय निर्देशन 7.4 – सामाजिक क्षेत्रीय तथा समीक्षात्मक नियोजन 7.5 अन्य सुविधाएं 7.7 सामाजिक नियोजन 7.8 कार्यतमक नियोजन 7.9 समाधान।

परिषिक्षा

सम्बद्ध पून्य सूची

प्रश्नावली

सारिणी – सूची

प्रस्तावना

अध्याय – 1

1. 1	फतेहपुर	तहसील	प्रशासनिक संगठन
1. 2	"	"	उच्चावय
1. 3	"	"	तापमान
1. 4	"	"	वायुगति का माहवारी विवरण (किमी ² में)
1. 5	"	"	सामान्य वार्षिक वर्षा सेमी ² में – 2000 – 2001
1. 6	"	"	क्षेत्रीय वनस्पति संगठन
1. 7	"	"	मिट्टियों का वर्गीकरण
1. 8	"	"	वन क्षेत्र
1. 9	"	"	कृषि हेतु अप्राप्त बंजर भूमि
1. 10	"	"	ऊसर भूमि
1. 11	"	"	पर्ती भूमि
1. 12	"	"	चारागाह
1. 13	"	"	धरी तथा अन्य भूमि उपयोग
1. 14	"	"	कृषि क्षेत्र (खेतिहर भूमि)
1. 15	"	"	कृषि दक्षता
1. 16	"	"	कृषि दक्षता पी ² एन० गुप्ता के अनुसार
1. 17	"	"	शास्य शाधनता 2000 – 2001
1. 18	"	"	एकल वोया गया क्षेत्र 2000 – 2001
1. 19	"	"	द्वि फसली क्षेत्रों का विवरण 2000 – 2001
1. 20	"	"	शुद्ध वोया गया क्षेत्र
1. 21	"	"	प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात 2000 – 2001
1. 22	"	"	विभिन्न फसलों के अन्तर्गत वोया गया क्षेत्रफल 1991–2000
1. 23	"	"	विभिन्न फसलों " " तथा 2000 – 2001
1. 24	"	"	फसलों का उत्पादन एवं वितरण
1. 25	"	"	संयुक्त फसलों
1. 26अ	"	"	खरीफ की फसलों का प्रतिवेदित क्षेत्र
1. 26ब	"	"	धान की फसल
1. 26स	"	"	ज्वार की फसल
1. 27ब	"	"	चने की फसल का प्रतिवेदित क्षेत्र
1. 27स	"	"	गेहूं की " "

1. 28	"	"	रवी की फसल का प्रतिवेदित क्षेत्र
1. 29	"	"	जायद की फसलों का प्रतिवेदित क्षेत्र
1. 30	"	"	नत्रजन का प्रयोग 2000 – 2001
1. 31	"	"	फास्फोरस का प्रयोग 2000 – 2001
1. 32	"	"	पोटाश उर्बरक का प्रतिशत 2000 – 2001
1. 33	"	"	प्रति हेऽ० उर्वरक उपभोग की मात्रा 2000 – 2001
1. 34	"	"	उर्वरको का उपभोग की मात्रा 2000 – 2001
1. 35	"	"	उद्योग धन्धे 2000 – 2001
1. 36	"	"	उद्योग धन्धों के प्रकार तथा उनकी केन्द्रीयता 2000 – 2001
1. 37	"	"	यातायात सड़को की लम्बाई 2000 – 2001
1. 38	"	"	यातायात पक्की सड़को का विवरण 2000 – 2001
1. 39	"	"	यातायात कच्ची सड़कों का विवरण
1. 40	"	"	जनसंख्या आकार के आधार पर गांवों का वर्गीकरण
1. 41	"	"	विकास खण्ड वार गांवों का आकार (जनसंख्या 91)
1. 42	"	"	गांवों का आकार क्षेत्रफल के आधार पर 1991
1. 43	"	"	ग्राम्य दूरी स्तर
1. 44	"	"	याद्रिक्षिक मूल्य
1. 45	"	"	ग्राम्य स्तर प्रतिनिधित्व
1. 46	"	"	चुने हुए गांवों की संख्या तथा स्थिति

अध्याय – 2

जनसंख्या कृषि एवं वितरण

2.1	फतेहपुर	तहसील	विभिन्न महामारियों में मृत व्यक्तियों की संख्या 1891–1901
2.2	"	"	जनसंख्या वृद्धि 2001
2.3	"	"	जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि पर 1981 – 91
2.4	"	"	जनसंख्या का विवरण आकार 1981 – 91
2.5	"	"	सर्वेक्षित गांवों में विवरण वृद्धि 1991 – 2001
2.6	"	"	आयु संरचना का विवरण 1991
2.7	"	"	निर्भरता सूचकांक
2.8	"	"	सर्वेक्षित गांवों में निर्भरता सूचकांक 2001
2.9	"	"	फतेहपुर तहसील–प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 2001
2.10	"	"	लैंगिक अनुपात 1991
2.11	"	"	सर्वेक्षित गांवों में नर नारी अनुपात 2001
2.12	"	"	ग्राम्य नगरीय जनसंख्या वृद्धिदर 2001
2.13	"	"	गांवों का आकार 1991
2.14	"	"	गणितीय घनत्व 1991
2.15	"	"	कृषि घनत्व "
2.16	"	"	प्राकृतिक घनत्व "
2.17	"	"	पोषण घनत्व "
2.18	"	"	फतेहपुर जनपद के राज्य के अन्य जनपदों से आनी वाली जनसंख्या 1991
2.19	"	"	से अन्य जनपदों में प्रवाहित जनसंख्या 1991
2.20	"	"	तहसील जनसंख्या का रथानान्तरण
2.21	"	"	जनपद प्रवास प्रवाह 1991
2.22	"	"	ग्राम्य नगरीय प्रवास में पु0एवं महिंकी सापेक्ष स्थिति 1991

अध्याय – 3 जनसंख्या के सामाजिक पक्ष

3. 1	फतेहपुर	तहसील	सर्वेक्षित गांवो में जातीय संरचना 2001
3. 2	"	"	चूने हुए गांवो एवं परिवारों में स्वर्ण जातियाँ (प्रतिशत) 2001
3. 3	"	"	चूने हुए गांवो एवं परिवारों में पिछड़ी जातियाँ (प्रतिशत) 2001
3. 4	"	"	अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1921 – 2001
3. 5	"	"	अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि 1921 – 2001
3. 6	"	"	चूने हुए गांवो एवं परिवारों में अनु० जातियाँ 2001
3. 7	"	"	चूने हुए गांवो एवं परिवारों में मुस्लिम जातियाँ 2001
3. 8	"	"	सर्वेक्षित गांवो में जातीय केन्द्रीयता सुचकांक 2001
3. 9	"	"	विभिन्न धर्मो एवं सम्बन्ध लोगों की जनसंख्या 1901 – 2001
3. 10	"	"	हिन्दू धर्म के पुरुष एवं स्त्री का विवरण 1901 – 2001
3. 11	"	"	की जनसंख्या वृद्धि 1901 – 2001
3. 12	"	"	हिन्दू धर्म के पुरुष स्त्री जनसंख्या वृद्धि 1901 – 2001
3. 13	"	"	इस्लाम धर्म के पुरुष स्त्रियों का विवरण 1901 – 2001
3. 14	"	"	इस्लाम धर्म की जनसंख्या वृद्धि 1901 – 2001
3. 15	"	"	इस्लाम धर्म के पुरुष स्त्री जनसंख्या वृद्धि 1901 – 2001
3. 16	"	"	हिन्दू साम्प्रदायिक स्वकेन्द्रण 1991
3. 17	"	"	इस्लाम साम्प्रदायिक स्वकेन्द्रण 1991
3. 18	"	"	हिन्दी भाषा भाषी जनसंख्या 1991 प्रतिशत
3. 19	"	"	उर्दू भाषा भाषी जनसंख्या 1991
3. 20	"	"	अन्य भाषा भाषी जनसंख्या 1991 प्रतिशत
3. 21	"	"	विभिन्न स्तर पर शिक्षण संस्थायें 1901 – 2001
3. 22	"	"	साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत 1991
3. 23	"	"	साक्षर पुरुषों का प्रतिशत 1991
3. 24	"	"	साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 1991

3.25	"	"	की कुल साक्षर जनसंख्या की केन्द्रीयता 1991
3.26	"	"	साक्षर पुरुष जनसंख्या की केन्द्रीयता 1991
3.27	"	"	साक्षर स्त्री जनसंख्या की केन्द्रीयता 1991
3.28	"	"	गैर शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत 1991
3.29	"	"	सर्वेक्षित गांवों में गैर शिक्षित जनसंख्या का विवरण
3.30	"	"	शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत विद्यार्थी 1901 – 2001
3.31	"	"	अनु० जाति के पंजीकृत छात्र छात्राओं का विवरण 1901 – 2001
3.32	"	"	सर्वेक्षित गांवों में विद्यार्थियों की संख्या 2001
3.33	"	"	अध्ययन क्षेत्र में समग्र साक्षरता का प्रासंगिकता
3.34	"	"	सर्वेक्षित गांवों में स्त्रियों की आत्म हत्या का विवरण 2001
3.35	"	"	सर्वेक्षित गांवों में वैवाहिक जीवन काल की विसंगतियां 2001

अध्याय — 4

जनसंख्या के आर्थिक पक्ष

4.1	फतेहपुर	तहसील	कार्यशील जनसंख्या 1991
4.2	"	"	जनसंख्या की प्राथमिक कियाओं का प्रतिशत 1991
4.3	"	"	सर्वेक्षित गांवों में व्यवसायिक संरचना 2001
4.4	"	"	जनसंख्या की द्वितीयक कियाओं का प्रतिशत 1991
4.5	"	"	जनसंख्या के तृतीयक कियाओं का प्रतिशत 1991
4.6	"	"	प्राथमिक कार्यकलापों की केन्द्रीयता 1991
4.7	"	"	द्वितीयक कार्यकलापों की केन्द्रीयता 1991
4.8	"	"	तृतीयक कार्यकलापों की केन्द्रीयता 1991
4.9	"	"	सर्वेक्षित गांवों में व्यवसायिक संरचना की केन्द्रीयता 2001
4.10	"	"	सर्वेक्षित गांवों में परिवार एवं कृषि भूमि एकड़ मे 2001
4.11	उदयराजपुर		गांव मे जातिगत भूर्खामित्व 2001

4. 12	मुस्तफापुर	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 13	खरगपुर	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 14	सलेमाबाद	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 15	पैनाखुर्द	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 16	घघौरा	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 17	रारा	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 18	लमेहटा	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 19	टीकर	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 20	तारापुर भिटौरा	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 21	मवई	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 22	सांखा	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 23	अयाह	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 24	ललौली	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 25	सरकण्डी	„	गांव में जातिगत भूस्वामित्व 2001
4. 26	अध्ययन	क्षेत्र	गोवंशीय पशु 1991
4. 27	अध्ययन	क्षेत्र	महिष वंशीय पशु 1991
4. 28	अध्ययन	क्षेत्र	भेड़ बकरी वंशीय पशु 1991
4. 29	अध्ययन	क्षेत्र	सुअर वंशीय पशु 1991
4. 30	अध्ययन	क्षेत्र	घोड़े खच्चर तथा अन्य वंशीय पशु 1991
4. 31			सर्वेक्षित गांवों में पशुओं का विवरण 2001
4. 32	उदयराजपुर	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 33	मुस्तफापुर	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 34	खरगपुर	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 35	सलेमाबाद	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 36	पैनाखुर्द	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 37	घघौरा	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 38	रारा	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 39	लमेहटा	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 40	टीकर	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 41	तारापुर भिटौरा	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 42	मवई	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 43	सांखा	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 44	अयाह	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 45	ललौली	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 46	सरकण्डी	„	गांव में जातिगत पशुओं का विवरण 2001
4. 47	फतेहपुर	तहसील	सर्वेक्षित गांवों में जीवी रूप एवं आवास 2001

4.48	"	"	सर्वेक्षित गांवों में जातिगत साधनों का विवरण 2001
4.49	अध्ययन	क्षेत्र	रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार प्राप्त
4.50	फतेहपुर	तहसील	कार्य के आधार पर रोजगार 1991
4.51	"	"	कर्मकर जनसंख्या 1991
4.52	"	"	कृषक मजदूर 1991
4.53	"	"	सीमान्त कृषक 1991
4.54	"	"	पारिवारिक उद्योगों में लगे व्यक्ति 1991
4.55	"	"	अन्य रोजगार जनसंख्या 1991
4.56	"	"	कर्मकर पुरुष केन्द्रीयता 1991
4.57	"	"	कर्मकर महिला केन्द्रीयता 1991
4.58	"	"	सर्वेक्षित परिवार एवं रोजगार 2001
4.59	फतेहपुर	तहसील	पुरुष बेरोजगार जनसंख्या का प्रतिशत 1991
4.60	"	"	स्त्री बेरोजगार जनसंख्या का प्रतिशत 1991
4.61	"	"	सर्वेक्षित गांवों में कर्मकर एवं अकर्मकर 2001
4.62	"	"	सर्वेक्षित गांवों में कार्य के आधार पर परिवार प्रतिशत 2001
4.63	"	"	सर्वेक्षित गांवों में रोजगार के आधार पर आय 2001
4.64	"	"	सर्वेक्षित गांवों में बाल श्रमिकों की मजदूरी का विवरण 2001
4.65	"	"	सर्वेक्षित गांवों में बाल श्रमिकों का विवरण 2001

अध्याय —5

5.1	फतेहपुर	तहसील	प्रस्तावित संतुलित आहार का विवरण
5.2	"	"	विभिन्न फसलों में खाद्य रूप की प्रयुक्ता प्रतिशत में
5.3	"	"	सामान्य भारतीय भेज्य पदार्थों का मान प्रति 100 ग्राम
5.4	"	"	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उष्मांक आपूर्ति (1991ग्राम में)
5.5	"	"	सामान्य भारतीय पोषक तत्व पुरुष एवं महिला वर्ग (कैलौरी ग्राम में)
5.6	"	"	सर्वेक्षित गांवों में संतुलित आहार संरचना का अंतर (कैलौरी में)

5 ,7	उदयराजपुर	”	गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,8	मुस्तफापुर		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,9	खरगपुर		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,10	सलेमाबाद		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,11	पैनाखुर्द		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,12	घघौरा		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,13	रारा		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,14	लमेहटा		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,15	टीकर		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,16	तारापुर भिटौरा		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,17	मवई		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,18	सांखा		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,19	अयाह		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,20	ललौली		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,21	सरकण्डी		गांव में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001
5 ,22			सर्वेक्षित गांवो में वस्त्रो का विवरण
5 ,23			सर्वेक्षित गांवो में जातिगत वस्त्रो का विवरण 2001 प्रतिशत में
5 ,24			सर्वेक्षित गांवो में आर्थिक आधार पर वस्त्रो का विवरण 2001 प्रतिशत में
5 ,25			सर्वेक्षित गांवो में शैक्षिक आधार पर वस्त्रो का प्रयोग 2001 प्रतिशत में
5 ,26			सर्वेक्षित गांवो में आंगन युक्त आवास 2001 प्रतिशत में बैठक युक्त आवास 2001

5 ,27		सर्वेक्षित गांवो मे स्नान गृह से युक्त आवास 2001 प्रतिशत मे
5 ,28		सर्वेक्षित गांवो मे शौचालय युक्त आवास 2001
5 ,29		सर्वेक्षित गांवो मे आवासो मे कमरे य दुकाने 2001
5 ,30		सर्वेक्षित गांवो मे आवासो मे कमरो का या खमसारो का विवरण 2001
5 ,31		सर्वेक्षित गांवो मे जातीय आधारो मे पर आवासो मे कमरो का विवरण
5 ,32		सर्वेक्षित गांवो मे आवासो का विवरण
5 ,33		सर्वेक्षित गांवो मे निर्माण सामाग्री के आधार पर माकानो का विवरण
5 ,34		सर्वेक्षित गांवो मे पक्के आवासो का विवरण 2001
5 ,35		सर्वेक्षित गांवो मे मिश्रित आवासो का विवरण 2001
5 ,36		सर्वेक्षित गांवो मे छप्पर झोपडी वाले आवासो का विवरण 2001
5 ,37		सर्वेक्षित गांवो मे कच्चे आवासो का विवरण 2001
5 ,38		सर्वेक्षित गांवो मे पशुओ की आवासी व्यवस्था 2001
5 ,39		फतेहपुर तहसील –प्रति व्यक्ति आवासो का विवरण 1991

अध्याय –6

6 ,1	फतेहपुर	तहसील	बन्ध्याकरण लक्ष्य एवं प्राप्ति
6 ,2	"	"	परिवार कल्याण कार्यक्रम बन्ध्याकरण 2001
6 ,3	"	"	गर्भ निरोधक गोलियो का लक्ष्य एवं प्राप्ति
6 ,4			परिवार कल्याण कार्यक्रम गर्भ निरोधक गोलियां
6 ,5	"	"	नसबन्दी (आपरेशन)लक्ष्य एवं प्राप्ति
6 ,6	"	"	परिवार कल्याण कार्यक्रम नसबन्दी
6 ,7	"	"	लूप आई० इ० सी० डी० लक्ष्य एवं प्राप्ति
6 ,8			लूप विधि का उपयोग
6 ,9			निरोधक कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति
6 ,10			फतेहपुर तहसील निरोधक प्रयोगकर्ता
6 ,11			सर्वेक्षित गांवो मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो का विवर

			2001
6,12	उदयराज पुर		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6 ,13	मुस्तफापुर		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6 ,14	खरगपुर		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6 ,15	सलेमाबाद		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6 ,16	पैनाखुर्द		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,17	घघौरा		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,18	रारा		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,19	लमेहटा		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,20	टीकर		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,21	तारापुर भिटौरा		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,22	मवई		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,23	सांखा		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,24	अयाह		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,25	ललौली		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6,26	सरकण्डी		गांव मे जातिगत परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग
6 ,27			सर्वेक्षित गांवो मे जातिगत आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम 2001

नामायत्र सूची

प्रध्याय 1.

- वेत्र नं 0 1.1 फतेहपुर तहसील प्रशासनिक संगठन
 वेत्र नं 0 1.2.3 फतेहपुर तहसील उच्चावच
 वेत्र नं 0 1.4 फतेहपुर तहसील की जलवायु विशेषतायें
 वेत्र नं 0 1.5 फतेहपुर तहसील अपवाह तन्त्र
 वेत्र नं 0 1.6 फतेहपुर तहसील प्राकृतिक वनस्पति
 वेत्र नं 0 1.7 फतेहपुर तहसील की मिटियां
 वेत्र नं 0 1.8 फतेहपुर तहसील सामान्य भूमि उपयोग
 वेत्र नं 0 1.9 फतेहपुर तहसील कृषि दक्षता
 वेत्र नं 0 1.10 फतेहपुर तहसील सस्य सघनता
 वेत्र नं 0 1.11 फतेहपुर तहसील सम्पूर्ण फसली क्षेत्र
 वेत्र नं 0 1.12 फतेहपुर तहसील सस्य प्रारूप
 वेत्र नं 0 1.13 फतेहपुर तहसील उर्वरक वितरण
 वेत्र नं 0 1.14 फतेहपुर तहसील यातायात
 वेत्र नं 0 1.15 फतेहपुर तहसील ग्राम्याकार
 वेत्र नं 0 1.16 फतेहपुर तहसील याद्रिक्षिक मूल्य
 वेत्र नं 0 1.17 फतेहपुर तहसील चुने गये गाँवों की क्षेत्रीय स्थिति

याय 2.

- व नं 0 2.1 फतेहपुर तहसील जनसंख्या वृद्धि
 व नं 0 2.2 फतेहपुर तहसील जनसंख्या की विचरणशीलता
 व नं 0 2.2 (अ) फतेहपुर तहसील जनसंख्या का विचरण आकार
 व नं 0 2.3 फतेहपुर तहसील जनसंख्या का विचरण आकार प्रतिशत में
 व नं 0 2.4 फतेहपुर तहसील जन की आयु संरचना
 व नं 0 2.5 फतेहपुर तहसील लैंगिक अनुपात
 व नं 0 2.5 (अ) फतेहपुर तहसील पुरुष स्त्री अनुपात
 व नं 0 2.6 फतेहपुर तहसील जनसंख्या घनत्व
 व नं 0 2.7 फतेहपुर तहसील जनसंख्या स्थानान्तरण

अध्याय 3.

- चित्र नं० 3.1 सर्वेक्षित गाँवो मे जातियो का प्रतिशत
- चित्र नं० 3.2 सर्वेक्षित गाँवो मे जातीय क्रेन्द्रीयता सूचकांक
- चित्र नं० 3.3 (अ) फतेहपुर तहसील न्याय पंचायत वार जनसंख्या की धार्मिक संरचना
- चित्र नं० 3.3 (ब)(स) फतेहपुर तहसील हिन्दू, इस्लाम साम्प्रदायिक कोटिमान
- चित्र नं० 3.3 (द) सर्वेक्षित गाँवो मे मुस्लिम जातियां
- चित्र नं० 3.4 फतेहपुर तहसील हिन्दू, इस्लाम साम्प्रदायिक संक्रेन्द्रण
- चित्र नं० 3.5 फतेहपुर तहसील साक्षर जनसंख्या
- चित्र नं० 3.6 सर्वेक्षित गाँवो मे स्त्रियों की आत्महत्या का विवरण
- चित्र नं० 3.7 सर्वेक्षित गाँवो मे वैवाहिक जीवन काल की विसंगतियाँ

अध्याय 4.

- चित्र नं० 4.1 फतेहपुर तहसील कार्यशील जनसंख्या का वितरण
- चित्र नं० 4.2 फतेहपुर तहसील जनसंख्या की प्राथमिक क्रियाओ की केन्द्रीयता
- चित्र नं० 4.3 फतेहपुर तहसील सर्वेक्षित गाँवो की जनसंख्या की व्यायसायिक संरचना
- चित्र नं० 4.4 सर्वेक्षित गाँवो मे कृषि भूमि का विवरण एवं पशुओ का विवरण
- चित्र नं० 4.5 फतेहपुर तहसील कर्मकार और अकर्मकार जनसंख्या का विवरण
- चित्र नं० 4.6 सर्वेक्षित गाँवो मे कार्य के आधार पर आय एवं रोजगार
- चित्र नं० 4.7 फतेहपुर तहसील फतेहपुर तहसील पुरुष—स्त्री बेरोजगार जनसंख्या का प्रतिशत
- चेत्र नं० 4.8 सर्वेक्षित गाँवो मे कार्य के आधार पर आय एवं रोजगार

अध्याय 5.

- चेत्र नं० 5.1 फतेहपुर तहसील जनसंख्या का उत्पादन
- चेत्र नं० 5.2 सर्वेक्षित गाँवो मे प्रति व्यक्ति दैनिक आपूर्ति
- चेत्र नं० 5.3 फतेहपुर तहसील चुने हुये गाँवो में एक सामान्य व्यक्ति का वर्तमान
- चेत्र नं० 5.4 फतेहपुर तहसील प्रति व्यक्ति आवासी का विवरण
- चेत्र नं० 5.5 सर्वेक्षित गाँवो मे आवास एवं वस्त्रो का विवरण

अध्याय 6.

चित्र नं० 6.1

फतेहपुर तहसील परिवार कल्याण कार्यक्रम बन्ध्याकरण

चित्र नं० 6.2

फतेहपुर तहसील परिवार कल्याण कार्यक्रम गर्भनिरोधक गोलियाँ एवं
नसबन्दी

चित्र नं० 6.3

फतेहपुर तहसील परिवार कल्याण कार्यक्रम लूप एवं निरोध

ପ୍ରକଳ୍ପନା

1— प्राक्कथन— विश्व के समक्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त भयावह समस्या तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों से सामन्जस्य स्थापित करने की है। यह समस्या स्थानिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भयावह हो गई है। विकसित अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में विकासशील अर्थतन्त्र इस त्रादसी से कही अधिक प्रभावित है जनसंख्या अधिभार की सम्यक व्यवस्था के लिये परम्परागत परिहार्य आवश्यकताओं की उपलब्धि का प्रश्न आज विश्व की वैज्ञानिक समग्रता की दहलीज पर चुनौती के समान है। इस प्रश्न को पटापेक्ष में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों का नवीन दिशावलोकन भी मिला है यह जनसंख्या विस्फोट की ज्वलन्त समस्या बन गई है कि जनसंख्या के समुचित विकास हेतु उपयुक्त खाद्य आपूर्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रगति के श्रोतों का अनुसंधान कर मानव हितोपयोगी मार्ग प्रशारत करने का विकल्प ढूँढ़ निकालना है।

जिम्मर मैन के शब्दों में ‘‘संसाधन होते नहीं बनाये जाते हैं’’। इस प्रकार संसाधन मानव की मूलभूत आवश्यकताओं एवं मानव कल्याणार्थ के स्तर है। इसी सन्दर्भ में क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा मानवीय संस्कृति की विविधता का ज्ञान प्राप्त कर कार्य-कारण समस्याओं का निराकरण करना भूगोल वक्ता का प्रमुख कार्य है। प्रत्येक अध्ययन तंत्रस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता लिये अपार

सुरक्षित संसाधन तत्व होते हैं। उनका संसाधन के रूप में विकास करना मानव की मौलिक, बौद्धिक एवं वैज्ञानिक मानव और संसाधन में अटूट सम्बन्ध है मानव एक जैविक संसाधन है। मानव उत्पादन का गतिशील कारक होने के साथ ही साथ उसका प्रमुख उपभोक्ता भी है किसी भी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संस्कृति वहाँ के संसाधन विकास की आधारशिला है और स्वयं संसाधन सम्यता संस्कृति के प्रमुख प्रणेता श्रोत है इसलिये जनसंख्या संसाधन का अध्ययन सहगामी है।

मानव की मूलभूत प्राथमिकता आवश्यकताओं में से भोजन, वस्त्र और आवास जीवन के विकास की कमिक पहलुओं से जुड़े हैं। जनसंख्या की अति बढ़ि ने पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। पर्यावरण नियोजन एवं आर्थिक विकास हेतु संविकास की आवश्यकता विश्व के समक्ष है। संविकास, मम्यक समन्वित विकास संतुलित विकास एवं संयुक्त विकास की परिकल्पना पर आधारित है। जिसमें संसाधन उपयोग, जनसंख्या के वर्तमान कल्याण एवं भविष्य की मानव पीढ़ी के सुखद भविष्य को मद्देनजर से करना है विकासशील भारत में आर्थिक विकास की असमानता प्रमुख भौगोलिक विषमता है। क्षेत्रीय आर्थिक विकास की असमानतायें संसाधनों की विभिन्न अभिमुखताओं की प्राथमिकता पर आधारित हैं। इसी परिपेक्ष में फतेहपुर जनपद की फतेहपुर तहसील में मौलिक एवं मानवीय दोनों असमानतायें विद्यमान हैं। यहाँ का आर्थिक विकास सोचनीय दशा में है विशेष रूप से मानव संसाधन एवं

उनके विकास के उत्तरदायी विभिन्न कारकों के मध्य स्थापित असमन्जस्य की स्थिति है। फतेहपुर तहसील का चयन भौतिक एवं सांस्कृतिक असन्तुलन के मापन के सन्दर्भ में ही किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या संसाधनों के बीच विषमता की स्थिति का मापन उसकी गुणात्मक स्थिति की समुचित व्याख्या तथा भावी स्थिति के विकास के प्रभाव का विश्लेषण एवं स्वास्थ्य सुसंगठित क्षेत्रीय नियोजन हेतु रथानिक संसाधनों तथा सामाजिक आर्थिक ढाँचों के बीच भौगोलिक प्रिप्रेक्ष्य में संतुलन प्रबन्धन की नितान्त आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद प्रायद्वीपीय भारत के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। अध्ययनकर्ता इस जनपद का मूल निवासी है। यहाँ पर विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराओं के निर्वाह के लिये भौतिक संसाधनों की विपन्नता का सही मापदण्ड उसने खुली आँखों से देखा एवं अनुभव किया है। अतः यह समस्या राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र की नहीं अपितु समस्त विश्व की है उसे हम अपने अधिवास के चारों तरफ तथा अपनी ही दहलीज के पास से ही क्या न सुधारने का प्रयास करे इसी लिये अध्ययन के प्रथम चरण में अध्ययन कर्ता ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल की समस्या की तह में जाकर ग्रामीण परिपेक्ष्य में परिक्षेत्र के जाने पहचाने समस्याग्रस्त इलाकों को सूक्ष्म अध्ययन का आधार माना है। इस प्रयास में जो उपलब्धियाँ होगी उससे धरातलीय मानव सभ्यता की चुनौती करें, प्रश्न के आर्थिक हल के साथ

आत्मसंतोष का एक सत्यपुट इर्द-गिर्द जरूरी होगा जो प्रादेशिक अध्ययन के साथ-साथ क्षेत्रीय नियोजन की नींव को मजबूत करेगा तथा सामाजिक उत्थान के साथ-साथ मानव कल्याण का नवीन अध्याय प्रारम्भ करेगा।

2- पूर्व साहित्य की समीक्षा— जनसंख्या और उसके विविध संलग्न के अपोनो के ऊपर अति प्राचीन काल से ही कार्य किये जा रहे हैं किन्तु 1950 और 1960 के दशक में इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। जनसंख्या और जननाकिंकी दोनों विषय एक दूसरे से अन्तर्संम्बन्धित हैं जननाकिंकी जनसंख्या का अभिप्राय है प्राचीन सभ्यता काल से ही अध्ययन का एक पहलू बना रहा है। जैसा कि मिश्र, चीन और भारत की सभ्यताये जनयंख्या सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल से ईसा से 2000 पूर्व जनगणना का उदाहरण मिलता है। ईसा 435 वर्ष पूर्व रोम में जनगणना की गई।

आधुनिक काल में हेनरी अष्टम ने 1535 में इंग्लैण्ड में मृत्यु सम्बन्धी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। पिटर काम्स ने भी भूतकालीन जननाकिंकी प्रवत्तियों का अध्ययन किया। आधुनिक काल मे इस विषय का आरम्भ कैप्टन ज्मोन 1 ग्राउण्ड द्वारा 1662 में किया जाता है। प्रो० वाल्टर एफ० विलकाम्स को इस विषय का जनक माना जाता है। जिन्होने महत्वपूर्ण कार्य किये। जर्मनी, फॉस और यूरोपीय देशों में जीवन बीमा व्यवसायों के द्वारा जीवन प्रत्यासयों पर कार्य किये गये। इसी सन्दर्भ मे एडमण्ड हैले²

महोदय ने (1656 से 1742) जीवन सारणी बनाने का प्रयास किया। स्वीडन में रिनार्ड प्रानस ने जीवन सारणी बनाई और जर्मनी में सुषमिल्क ने आकड़ों को एकत्रित करने का कार्य किया। यदि सच माना जाय जो जननाकिंकी शास्त्र कैप्टन जोन ग्राउण्ड की पुस्तक से शुरू होता है। इसके बाद यह महत्वपूर्ण घटना रार्वट मात्थस के निबन्ध से प्रारम्भ होती है। इस विषय के इतिहास को संक्षिप्त समीक्षा के अन्तर्गत चार अलग—अलग चरणों में विभक्त किया जा सकता है।

प्रथम चरण में ठोस अध्ययन के प्रारम्भ का श्रेय टी० आर० मात्थस को जाता है जिन्होने 1758 में “ऐन ऐसे आन दि प्रिन्सुपल आफ पापुलेशन ऐज इज इफैक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेण्ट आफ द सोसायटी” नामक निबन्ध से कान्ति लाई और बताया कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिय दर से होती है। जबकि खाद्यान की वृद्धि गणितीय दर से होती है। इसी चरण में चीनी दार्शनिक हांगलियांग ची ने जनसंख्या की समस्या का अध्ययन किया।

विकास के दूसरे चरण का कार्य 19 वीं सदी से प्रारम्भ होता है। विलियमफार⁴ द्वारा विकटोरिया साम्राज्य काल की जनसंख्या का आकड़ा एकत्रीकरण एवं जन्म—मृत्यु पंजीकरण तथा 1885 में फ्रांसीसी लेखक चील गोईलार्ड⁵ का जनसंख्या नामकरण उल्लेखनीय है।

इसके विकास का तीसरा चरण 20 वीं शताब्दी में कार सान्डर्स⁶ द्वारा 1922 में लिखी गई उसकी पुस्तक “ द पापुलेशन

प्राव्लम ” स्टडी इन हयूमैन इवोलूसन से प्रारम्भ होती है। इस पुस्तक मे अनुकूलतम सिद्धान्तो की व्याख्या की गई और जननांकिंकी को रथान विज्ञान का दर्जा दिया गया। साण्डर्स ने जनसंख्या विकास एवं नियन्त्रण की भी भौतिक वादी व्याख्या की किन्तु आर्थिक स्थिति भी नही गिराना चाहता है। थाम्सन एवं लेविस ने इसी समय साण्डर्स के विचारो की पुष्टि की। साण्डर्स केआर्स ने ड्यूमण्ड (1849 से 1905) ने फास की 19 वीं सदी के उर्तराद्व के जनसंख्या का अध्ययन कर ” थ्रोर्व आफ स्पेशल कैपिलिटी का प्रतिपादन किया। लुडविक मैसन तथा अल्फेड लोसक ने इस चरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान पूर्ण कार्य किया।

जनसंख्या विज्ञान का चतुर्थ चरण का प्रारम्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है इसमे जनसंख्या सम्बन्धी आकड़े एकत्रीकरण, वर्गीकरण, सम्पादन, पूर्तिकारक और भविष्य का अनुमान लगाया गया। प्रो० कनैन, वाउले पर्ल, हवेल पर्टन, वरहल्स्ट ने इस विज्ञान में गणितीय नियमों की सराहनीय कार्य किया। बिट्रिस रोयल कमीशन लीग आफ नेशन्स और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विषय को समॉला। तत्पश्चात जनसंख्या आयोगो के निर्माण हुये। अन्तर्राष्ट्रीय रत्तर पर द इण्टरनेशनल यूनियन फार द साइटिफिक स्टडी आफ पापुलेशन का गठन किया गया और भिन्न- भिन्न स्थानो पर जनसंख्या काग्रेस के आयोजन किये गये। जनयसंख्या सम्बन्धी अनेक राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस और

समस्त सामाजिक विज्ञानों में प्रभावकारी हो गया।

जनसंख्या विज्ञान के सन्दर्भ में अलग—अलग मापदण्डों के ऊपर कतिपय वैज्ञानिकों ने अपने अथवा प्रयास किये। विशेषकर प्रकृति और विषय क्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टिवार्थ 1953, डेनिकोजेम्स 1954, एकरमैन 1959, मैलेनिन 1963, कर्लाक 1965, जेलेन्सकी 1966, एस० पी० द्विवेदी एवं ए० के० शुक्ला 1988, एस० चतुर्वेदी 1987, डी० एन० सिंह 1985 और जी० प्रसाद एवं बी० के सिंह 1988, जी० प्रसाद के० डी० राम 1990 तथा डा० अश्वनी कुमार शुक्ल 1993 का भारत के सन्दर्भ में उदाहरण मिलता है। जनसंख्या प्रवास के ऊपर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्याधिक कार्य किये गये। इसी सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक स्मिथ 1960, वोग 1959, गनियर 1966, ओर्लियन 1970, रूस एवं लीडी 1959, लिविंग पीटर्सन 1958, ग्रेड 1973, रूसी 1955, जेलेन्सकी 1975, प्रियर 1965, जान्सन 1965 द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। राविस्टीन का 1889 में ला आफ माइग्रेशन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में गोम्स 1961, कृष्णन 1975, सिन्धु 1975, तारा देवी 1981, डी० एन० सिंह 1983, जी० प्रसाद, वी० के० सिंह 1988, अश्वनी कुमार शुक्ला 1993 के कार्य अनुकरणीय हैं।

लिंगानुपात का अध्ययन जनसंख्या कि लिये महत्वपूर्ण माना जाता है। टिवार्थ 1955, हिल 1955, फामलिंग 1956, क्लार्क

1960, सिथ 1960 तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में चोस 1946, स्टानकर्ट 1968, गोपाल कृष्ण 1973, तारा देवी 1981, डी० एन० सिंह 1983, जी० एन० शर्मा 1981, जी० प्रसाद एवं बी० के० सिंह 1988 एवं डा० अश्विनी कुमार शुक्ल 1993 में कार्य विशिष्ट क्षेत्रों में गहन अध्ययन द्वारा किया गया है।

उर्पयुक्त वैज्ञानिकों ने ही आयु संरचना साक्षरता के ऊपर कार्य किये हैं। भारतीय सन्दर्भ में स्त्रिय साक्षरता का कार्य श्याम कृष्ण महादेव द्वारा 1970-71, जी० घोसवाल 1967, गोल्डेन हिल्स 1955, डेविस किसले एवं जी० प्रसाद 1987, जी० प्रसाद बी० के० सिंह 1988, जी० प्रसाद के० डी० राम 1990, डी० एन० सिंह 1983 तथा डा० अश्विनी कुमार शुक्ल 1993 का उदाहरण आता है।

जनसंख्या और आर्थिक पहलुओं पर विशेष रूप से इण्टरनेशनल आर्गेनाईजेसन 1957, यूनाईटेड नेशन्स 1967, डेस 1961, टिवार्थ 1965, क्लार्क 1972, हेनरी 1976 के नाम प्रमुख हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एस० मेहता 1961, चॉन्दना 1967, कमला गुहा 1981, सी० बी० राव एवं डी० एन सिंह 1984-86 जी० प्रसाद के० डी० राम 1990-91 तथा अश्विनी कुमार शुक्ला 1993 का सन्दर्भ प्रस्तुत होता है।

जनसंख्या को एक संसाधन का दर्जा दिया जाता है इस सन्दर्भ में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर मार्कर्स 1967, रिकार्ड्स 1951, वेरिट वसर 1959, डा० विल्स 1977, हेकर 1964, अमर मैन

1970, प्रिस्टन 1971 का सन्दर्भ विशिष्ट है भारतीय सन्दर्भ में जनसंख्या को संसाधन के रूप में बी० पी० राव टी० एन० सिंह 1984, घोष 1946, गोलाल 1970, गोपाल कृष्णन 1971, ए० के० शुक्ल 1993 के उदाहरण में आते हैं।

इन सन्दर्भों के अतिरिक्त जनसंख्या के ऊपर समाज में स्त्रियों के स्थान तथा जनसंख्या की सामाजिक स्थिति का उल्लेख समाज शास्त्र और अलग—अलग विषयों में कार्य किये गये हैं। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र और वाणिज्य शास्त्र जैसे विभागों में शोध कार्यों के अन्तर्गत जनसंख्या विषय को अंगीकृत किया गया है। इसके अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया गया। विशेष रूप से इण्डियन इंस्टीट्यूट साइंस आफ पापुलेशन साइंस बंगलौर इस विषय में वैज्ञानिक कार्यरत है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पापुलेशन साइंस जनसंख्या के ऊपर डिप्लोमा कक्षाये चलायी जा रही है और विकास की योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण और नियन्त्रण के लिये आर्थिक अनुदान दिये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सका है कि इस विषय की नवीनतम शोध कार्य कहाँ तक किस स्थिति में सही—सही नहीं बताया जा सकता है। अतः जनसंख्या के विज्ञान के उपलब्ध साहित्य का सूक्ष्म निरूपण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।

3— अध्ययन का उद्देश्य— प्रस्तुत अध्ययन अनुसंधान प्रादेशिकरण के तत्वाधान में सूक्ष्म क्षेत्रीय विभिन्नताओं के गहन अध्ययन विश्लेषण और नियोजन

पर आधारित है। इस लघु अध्ययन क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत भौगोलिक पृष्ठभूमि का सभ्यक विवेचन करते हुये उस आधारशिला पर पुष्पित एवं पल्लवित मानव जीवन के विविध आयामों का बहुआयामी विश्लेषण करना है। मानव जीवन की क्रियापरक गतिविधियों की पराकाष्ठायें पर्यावरणीय क्षितिज के सहारे अनन्तमयी होती है। इसलिये उसकी पृष्ठभूमि सृजनात्मक कलाओं और उपलब्धियों के साकार रूप को अनुबन्धित और सीमाकिंत नहीं किया जा सकता। मानव भौगोलिक कारक है जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूपों में विद्यमान है। अतः मानव अपने लिये प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्षण प्रति क्षण संघर्षशील रहता है। यद्यपि अनुसंधान कार्य से मानवीय सभ्यता की विविधताओं को प्रतिबिम्बित किया जा सकता है किन्तु सूक्ष्म अध्ययन के अन्तर्गत इसकी पहुँच किसी एक पराकाष्ठा का सभ्यक ज्ञान और विश्लेषण अधिक उपयुक्त माना जा रहा है। इसलिये अनुसंधान समीकरण के सूत्रपात के समय शोधार्थी ने लघु ईकाई क्षेत्र फतेहपुर जनपद की फतेहपुर तहसील के भौतिक सांस्कृतिक प्राक्कथन के साथ मानव अधिवासिय संरचनाओं जनसंख्या की सामाजिक संरचनाओं को आर्थिक आधार तत्संबन्धी तथा कपित विषमताओं जीवन स्तर की निश्चिताओं और उसके लिये पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में नियोजित जनसंख्या के विवरणों के अमल हेतु परिवार कल्याण प्रयोजनों तथा उसके मूलभूत प्रमाणों को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश बनाया है।

अनुसंधान कार्यों की कमिक सम्बद्धता को संतुलित रखने के लिये शोध विधि तंत्रों, सूचना के स्रोतों, पूर्वगामी साहित्य की अवधारणाओं और अध्ययन का उद्देश्यपरक नीति को सामने रखकर चलना पड़ता है साथ ही साथ क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र के अन्तर्गत विविध सोपानों को ध्यान में रखते हुये भौतिक सिद्धान्तों और परिकल्पनाओं की बैशाखी मानना पड़ता है। इसलिये प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को सूत्रपात करते समय सामान्य विवरणों के अन्तर्गत उर्पयुक्त बातों का ध्यान रखा गया है।

कोई भी क्षेत्रीय ईकाई निश्चित प्रादेशिक परिस्थितिकी वाली होती है। जिसके सीमांकन के साथ—साथ उसकी भौतिक संरचना में उच्चावच, परिवर्तन, जलवायु विविधता, अपवाह, वनस्पति और मृदा चॉदरीकरण का विशेष महत्व होता है। ये तत्व ऐसे भौतिक आधार पर भौतिक संसाधन स्वरूप हैं जो मानव के बहुआयामी सांस्कृतिक उपादानों को जीवन और नयी दृष्टि प्रदान करते हैं। इसलिये प्रस्तुत अध्ययन के प्राथमिक उद्देश्यों में भौतिक पृष्ठभूमि की सम्भता को अध्ययन पटल पर उजागर किया गया है।

भौतिक पटल पर सांस्कृतिक आधार तत्व जन्म मरण का दस्तावेज अंकित करते हैं। ये सांस्कृतिक तत्व मानव की सम्भता के ऐतिहासिक कथोप कथन विविध अर्थव्यवस्थाओं से वर्गों, संवाहनों, तकनीकी विविधताओं और कर्मशील गुणों को अंलाकृत करते हैं। इसलिये शोधार्थी ने भौतिक परम्पराओं के प्राकृथन के साथ

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अध्ययन के उद्देश्यों में तनिक भी अवहेलना नहीं की है।

मानव स्वयं की दी गई सभ्यता की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध अपने समुदाय की विशिष्टताओं, वर्ग विशेषताओं, क्षेत्र विभिन्नताओं स्वरूप परिवर्तनों जनमात्राओं और उसकी गतिशीलता के ऊपर निश्चित करता है। इस प्रकार के शरण स्थल में जीवन निर्वाह का प्रबन्ध कैसे किया जाय कितने परिक्षेत्र में उसे परिकल्पित किया जाय इन तमाम बातों को इस विवेकशील जैविक प्राणी ने भौतिक भूदृष्टि की गोद में स्थित सम्पन्नता के आधार पर सुनिश्चित किया है। यही कारण है कि इस मानव सभ्यता ने घास पूस की आदिक शरण स्थलीय से लेकर महानगर की अट्टालिका जनशून्य कानून से लेकर अधिमानित नगरीय संरचना का नया रूप प्रस्तुत किया है। मानव की सभ्यता में एक परम स्वरूप भी मिलता है। जीवन और मरण और युवा जरा की अवस्था में प्रकृति मूलक है। उसकी वृद्धि, लैंगिक विभिन्नताओं के आधार पर निश्चित है। इसलिये अधिवासीय और मानव समुदाय की कतिपय विशेषताओं को ध्यान में रखकर जनसंख्या अकारिकी प्रादेशिकीय तथा उसकी विभिन्न संरचनाओं के स्थितिय तत्वों को अध्ययन के उद्देश्य के अन्तर्गत निरूपित किया गया है।

समाज सभ्यताओं का जनक और सभ्यताये समाज की मापदण्ड है इन दोनों के बीच विवेकशील विधाओं पर आधारित साहित्य भूत-भविष्य का एक ऐसा दर्पण है जो सामाजिक चेहरे को

उसकी जाति, धर्म, भाषा, बोली, परम्पराओं और अस्तित्व को सही—सही प्रतिबिम्बित करने में रंच मात्र कोर कसर नहीं करता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक जननाकिकी आधारभूत तत्वों का क्षेत्रीय अध्ययन में चयन किया जाय यह इसलिये आवश्यक है कि भारतीय परिपेक्ष्य में जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, रीति रिवाज, परम्परा और लैंगिक विभिन्नताओं ने कुछ नवीन और विशिष्ट प्रकार का उन्नति अवन्नति स्वरूप निर्धारित किया है। योजनाओं में हम इन आधार तत्वों को भले ही अवहेलना कर आगे बढ़े किन्तु सही मायने में सामाजिक संरचना की विविधता द्वारा भारतीय ग्रामीण और नगरीय अँचल जहाँ विकास की अलग—अलग पहचान बन चुकी है वही कलह, प्रदूषण और पतन की सीमा निर्धारण भी सुनिश्चित करता है। भारत के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण अँचल को विकास और विनाश की इस खायी के बीच अवगुणित है। अतः अध्ययन के उद्देश्यों में सामाजिक आधारशिला का प्रस्फुटन आवश्यक माना गया है।

कोई भी सामाजिक ढौंचा और ढौंचे के अन्दर मानव जीवन की कल्पना बिना सुदृढ़ अर्थतंत्र के विकसित नहीं हो पाती है। मानव कियाशील है कर्म की प्रधानता ने उसे अर्थलोभी और प्रकृति में संगृहण कला का विकास किया है। यही कारण है कि मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान से व्यवसाय, कला कौशल और जीवन के विविध अर्थश्रोतों को संम्पादित किया है। ग्रामीण या नगरीय कोई भी ईकाई आर्थिक आधार पर विकसित या विकासशील मानी जाती

है। इसी परिप्रेक्ष्य में फतेहपुर तहसील के ग्रामीण ईकाई क्षेत्र में व्यवसायिक संरचना और तत्सम्बन्धी विभिन्न श्रोतों एवं उनकी अवस्थितियों को विशेषीकृत रूप प्रदान किया है।

भौतिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रकृति की संरचना में सिक्के के दो पहलु के समान है। इन दोनों पक्षों का होना प्रकृति की प्राथमिकता है जब तक भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के प्राथमिक तत्वों के प्राथमिक उपादान सुविधाजनक नहीं होते तब तक मानव वर्ग का जीवन स्तर चिन्तनीय होता है इसलिये भौतिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मानव जनसंख्या के निवासन प्रवृत्ति का स्तरीय आरेखन अनिवार्य हो जाता है। इस अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्यों में जनसंख्या जीवन स्तर की सुविधा सामाजिकीय पर प्रकाश डाला गया है।

संसाधन और मानव समुदाय संतुलित अवस्था में ही विकास सोपानीकरण कर सकते हैं इसलिये आवश्यक है कि किसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों और निवासित जनसंख्या के बीच संतुलन स्थापित किया जाय यदि ऐसा न हुआ तो असन्तुलन की स्थिति में प्रकृति द्वारा ये मानव सम्यता के प्रति कुपोषण सम्बन्धी व्यवहार उत्पादित होंगे। इसके लिये आवश्यक है कि नवीन वैज्ञानिक और तकनीकी परिभाषाओं के अन्तर्गत जन कल्याण के लिये जनसंख्या नियोजन का अध्ययन स्वीकार किया जाय। भारत के शैक्षिक पर्यावरण में इस सम्यता का ज्ञान तो ही ही किन्तु ग्रामीण अशिक्षित समुदाय में संसाधनों की विपन्नता के साथ जनसंख्या की

वृद्धि उनके मनोरंजन का परिणाम और भविष्य में जीवन का सहारा है। अतः उन्हे विपन्नताओं के बीच में रहना पड़ता है। इस सन्दर्भ में मुख्य उद्देश्यों के अन्तर्गत भारतीय मानक के अनुसार प्रस्तुत पिछड़े इलाके में परिवार कल्याण के आदर्शों का पाठ पढाना आवश्यक हो जाता है।

उद्देश्य मूलक ने इन समस्त उदाहरणों के साथ क्षेत्र विशेष की समग्रता तभी निश्चित होती है जब भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मानव किया कलापो का संतुलित स्वरूप निश्चित होता है संतुलन तभी है जब विकास भी परिस्थितियों स्थिर हो और संविकास संतुलन पर अवलम्बित हो। इसके लिये मानव को यह प्रयास करना है कि भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वितरण मानव वर्गों के बराबर हो। संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण को दृष्टिगत करने के साथ-साथ वर्तमान और भावी पीढ़ी पर निश्चित हो तथा कोई भी विकास कार्य खुद व खुद के लिये न होकर “वसुधैव कुटुम्बकम्” की नीति पर आधारित हो। इसलिये क्षेत्र के अध्ययनों के समय प्रत्येक अनुसंधान कर्ता के उद्देश्यों में नियोजन के अन्तर्गत समग्रता की इस नीति का होना अनिवार्य है। प्रस्तुत क्षेत्र में शोधार्थी ने इन्ही मापदण्डों को लेकर नियोजन नीतियों के निर्धारण करने का उद्देश्य निश्चित किया है। कोई भी कार्य मानव द्वारा हर स्थिति में अपूर्ण होता है क्योंकि पूर्णता की अनन्तता का कोई छोर नहीं है इसलिये नियोजन

समग्रता के अन्तर्गत शोधार्थी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतया सफल है।

4— सूचना के श्रोत— किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक अध्ययन का विवरण प्रस्तुत करते समय मुख्य प्रकार से तीन आधार स्तम्भीय के अन्तर्गत सूचनाये संकलित की जाती है। ये आधार स्तम्भ इस प्रकार है—

- 1— प्रयोगकला का कार्य**
- 2— सर्वेक्षण का कार्य**
- 3— कार्यालय का कार्य**

प्रस्तुत अध्ययन जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक लक्षणों के भौगोलिक विश्लेषण से सम्बन्धित है। इसलिये प्रयोगशाला कार्य नहीं किया गया है इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में सर्वेक्षण और कार्यालय की क्रियाये भी अनिवार्य होती है। इसलिये सर्वेक्षण और कार्यालय के कार्यों को प्रमुख स्थान दिया गया है। सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत दो प्रमुख श्रोतों का सहारा लिया गया है।

- 1— प्राथमिक आकड़े पर आधारित निजी संकलन के श्रोत**
 - 2— द्वितीयक पर आधारित सरकारी मुद्रणालय के श्रोत**
- प्राथमिक आकड़े के अन्तर्गत शोधार्थी ने फतेहपुर तहसील की 55 न्याय पंचायतों में से विशिष्ट गाँव का चयन जनसंख्या के आधार पर किया और पुनः इन गाँवों में से परिवारों का सूक्ष्म सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित किया। सूचनाओं के संकलन में प्रश्नावली प्रणाली का उपयोग किया गया जिसमें निम्नलिखित दो

प्रकार की प्रश्नावलियों के आकड़ों को संकलन का आधार बनाया गया—

- 1— ग्राम प्रश्नावली (परिशिष्ट नं 1)
- 2— परिवार प्रश्नावली (परिशिष्ट नं० 2)

इन दोनों प्रमुख प्रश्नावलियों द्वारा जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक पक्षों का निरूपण करने का प्रयास किया गया तथा ग्राम वासियों को प्राथमिक आकड़े संकलन का श्रोत बनाया गया इस सर्वेक्षण के द्वारा ऐसा आभास मिला कि प्राप्त हुये आकड़े, द्वितीयक आकड़े की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय और संतोषजनक हैं तथा उसकी प्रकृति अधिक नवीन है।

द्वितीयक आकड़े संकलन के अन्तर्गत तहसील स्तर पर जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित 1901 से लेकर 1991 तक की जनगणना सूचनाओं को आधार बनाया गया और न्याय पंचायत स्तर पर सूचनाओं के लिये 1961–91 की जनगणना सूचनाओं को उपलब्ध किया गया। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर पत्रिकाओं का उपयोग 1991 से लेकर 2000–01 वर्ष के दौरान संकलन किया गया है।

क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान मृदा संरक्षण उद्योग, सूचना विभाग तथा उन समस्त विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों से सम्पर्क किया गया है जो अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के बारे में आवश्यक जानकारी दे सकते हैं।

सूचना के स्रोतों में कार्यालय का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के आधार पर किया गया है। इय विषय क्षेत्र के ऊपर राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित पुस्तकों और शोध प्रबन्धों के प्रकाशनों को भली भाँति सूक्ष्म दृष्टि से प्रयोग में लाया गया है।

5— शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त विधितन्त्र— शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त मूल मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून से प्रकाशित 63 B/8, B/11, B/12, 63B/5, C/9, C/10, C/13, C/14, 63F/4, 64G/1, G/2, G/5, G/6 और G/7 आदि भूपत्रकों को आधार मानकर मानचित्र का ढाँचा तैयार किया गया है जिनका मापक 1 इंच = 1 मील है परन्तु शोधार्थी ने अपने सुविधानुसार तैयार मूल मानचित्र (चित्र सं० 1) को लघुकरण विधि द्वारा प्रयोग किया गया है।

तत्पश्चात् शोध प्रबन्ध में सम्बन्धित पक्षों की पूर्ण सार्थकता हेतु जनपद के सिंचाई वन मृदा सर्वेक्षण, जिला सांख्यकीय सार्वजनिक निर्माण, मतस्य पशु पालन, समाज कल्याण, परिवार कल्याण, राजस्व विभाग तथा उद्योग धन्धे आदि विभागों तथा उपरोक्त विभागों से सम्बन्धित लक्ष्यों की पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी हेतु तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालयों से आकड़े प्राप्त किये हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मूलतः प्रादेशिक विधि का अनुशरण किया गया है। अभिष्ट आकड़े प्राप्त करने एवं मानचित्र निर्माण हेतु न्याय पंचायत प्रादेशिक इकाई माना गया है। इस कार्य में मूल एवं

गौण श्रोतो से आकड़े व सूचनाये प्राप्त की गई है। शोधार्थी ने तहसील के बहुत सी न्याय पंचायतो में स्थिति गाँव तथा परिवारों का सर्वेक्षण करके मूल आकड़ों को एकत्र करने का भरसक प्रयास किया है। साथ ही वर्तमान विकास सम्बन्धी आकड़ा संख्याधिकारी तथा स्थिति की जानकारी प्रश्नावली के आधार पर प्रयोज्य—प्रयोज्यों में प्रश्नोत्तरों के संग्रह के द्वारा तैयार भी की गई है।

तथ्यों के विश्लेषण के लिये यथासंभव नवीन विधियों का प्रयोग किया गया है। कृषि दक्षता, शस्य संयोजन, शस्य सघनता, जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति तथा शोध प्रबन्ध में कार्य करने की विचारधारा पर अधिक बल दिया गया है तथ्यों को उर्पयुक्त मानचित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। साथ ही विषय को अत्यन्त सारगर्मित एवं स्पष्ट करके कतिपय माडलों द्वारा विषय वस्तु को सजाया गया है। शोध प्रबन्ध में जिन प्रमुख गणितीय परिकलन के गुटों एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है वे संक्षेप में इस प्रकार हैं।

सांख्यकीय विधियों के मापदण्डों का विवरण

क्रमांक	विषय विवरण	विधि गणितीय एवं सांख्यकीय गुटों के नाम	विश्लेषण
1-	सर्वेक्षण के लिए गॉवो का चयन	अ = ब / स ब = निर्धारण लघु इकाई (ग्राम पंचायत) स = सम्पूर्ण ग्राम संख्या (तहसील) अ = ब X स अ = चुने हुये गॉवो की वास्तविक संख्या ब = स्तर प्रतिनिधित्व स = चुने हुये गॉवो की वास्तविक स्तर	अ = स्तर प्रतिनिधित्व ब = निर्धारण लघु इकाई (ग्राम पंचायत) स = सम्पूर्ण ग्राम संख्या (तहसील) अ = चुने हुये गॉवो की वास्तविक संख्या ब = स्तर प्रतिनिधित्व स = चुने हुये गॉवो की वास्तविक स्तर
2-	जनसंख्या की औसत (अ - ब / स) वार्षिक वृद्धिदर	----- ब - अ / 2	X य = द अ = आधार वर्ष दशक की जनसंख्या ब = अन्तिम वर्ष (दशक) की जनसंख्या स = अ और ब के बीच का समयान्तर
3-	जनसंख्या का विचलन विठ० सूचकांक	= $\frac{d^1 + d^2 + d^3 + d^4 + \dots + d^7}{n + 1}$	द ¹ से द ⁷ = विचलन न = विचलनों की संख्या

4— आयु वर्ग का निर्भरता = $\frac{\text{अ} + \text{ब} \times \text{य}}{\text{स} \times \text{द}}$
 सूचकांक नि० सू० = -----

अ = ० – १४ आयु वर्ग की
 जनसंख्या
 ब = ६० तथा ६० से अधिक
 आयु वर्ग की जनसंख्या
 स = १५ – ३४ आयु वर्ग की
 जनसंख्या
 द = ३५ – ५९ आयु वर्ग की
 जनसंख्या
 य = १००० आयु वर्ग की
 जनसंख्या (स्थिरांक)

5— लैंगिक अनुपात ल = क / ख \times ग
 ल = लैंगिक अनुपात
 क = स्त्रियों की संख्या
 ख = पुरुषों की संख्या
 ग = १००० (स्थिरांक)

6— कृषि, गणितीय, कार्मिक अ – ब
 घनत्व = $\frac{\text{अ} - \text{ब}}{\text{स}}$
 अ = घनत्व का नाम
 ब = उस क्षेत्र का क्षेत्रफल
 खंड संख्या
 स = उसका क्षेत्रफल

7— जनसंख्या का स्थानान्तरण अ – ब
 द = ----- \times ल
 स
 अ = आवासी जनसंख्या
 ब = प्रवासी जनसंख्या

स = सम्पूर्ण जनसंख्या

ल = अनुपातिक कय (१०००)

द = स्थानान्तरण

ज० के० सू० गॉव की जनसंख्या
वर्ग की जनसंख्या

ज० के० सू० = किसी गॉव की
जातीय केन्द्रीय मत सूचकांक

अ = _____
समस्त गॉवों की जनसंख्या

अ = गॉव की अमुख जाति (अ)की कुल
अध्ययन क्षेत्र संख्या समस्त गॉवों की
अमुख जाति (अ) की संख्या
कृषि दक्षता, शास्य सघनता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना, आयु तथा
अन्य सांख्यकीय विधियाँ अध्याय नं० ६ के अन्तर्गत निहित हैं।

शोध क्षेत्र की विषय वस्तु योजना— शोध प्रबन्ध की विषय वस्तुओं को अध्यायों
को व्यवस्थित किया गया है। तथा प्राककथन पूर्ण साहित्य की
समीक्षा को अध्ययन के उद्देश्यों के द्वारा पूर्ति करके सूचना के
श्रोत तथा विधि तंत्र का प्रयोग किया गया है। फतेहपुर तहसील
के भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के माध्यम से क्षेत्रीय व्यक्तित्व का
प्रस्तुतीकरण किया गया है।

सन्दर्भ—

- 1— कैप्टन जोन ग्राउण्ड — मैप फार पालिसियन्स (1662) पृ — 219।
- 2— एडम्ड हेले — मेजर मेन्ट प्रोसेज आफ पीपुल्स लाइफ आफ ग्लोबर (1566) पृ — 105।
- 3— टी० आर० माल्थस — एन ऐसे आन दी पीपुल्स आफ पापुलेशन इज इन द इफेक्ट आफ दफ्यूचर आफ द सोसायटी(1758) पृ०— 29।

- 4— विलियम फार — फण्ड आफ डाटा एण्ड लाइफ एण्ड डेथ
रजिस्ट्रेशन डियूरिंग विकटोरिया इम्पाइर — 1881 ।
- 5— ए० वकी० गोदलार्ड — डेमोग्राफी / पापुलेशन (1885)
- 6— कार सान्डर्स — द पापुलेशन प्राब्लम — ए स्टडी इन हयूमेन
इवोल्यूसन (1922) ।

अद्याय

1

अध्ययन क्षेत्र

अ— भौगोलिक पृष्ठभूमि— किसी भी भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का आधारभूत स्थान होता है। प्रत्येक क्षेत्र का एक निश्चित पारिवेशिक संगठन होता है और उस क्षेत्र के सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास उसी के अनुरूप होता है। अतः अध्ययन क्षेत्र की पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी हेतु अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि का विवेचन निम्नाकिंत तथ्यों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1— अवस्थिति— अध्ययन क्षेत्र फतेहपुर तहसील के फतेहपुर जनपद की एक तहसील ही जो उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में गंगा यमुना के दोआब में स्थिति है। (चित्र नं० 1.0 ब) तहसील की उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा नदी और रायबरेली जनपद के द्वारा होता है। पूर्वी एवे पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण फतेहपुर जिले की ही तहसीलों कमशः बिन्दकी एवं खागा करती है। शेष दक्षिणी सीमा का निर्धारण यमुना नदी एवं बॉदा जनपद द्वारा होता है। गंगा नदी अध्ययन क्षेत्र की उत्तरी सीमा बनाते हुये इसको अवध से अलग करती है जैसा कि (चित्र सं० 1.1 स से स्पष्ट है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जिसे गंगा यमुना ट्रेकट¹ एक की भी संख्या दी गई है। उत्तर के अवध का मैदान तथा दक्षिण में बुन्देलखण्ड की बीहड़ पेटी से घिरा हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र का विस्तार $25^{\circ} 40'$ उ० से $25^{\circ} 5'$ उ० अक्षांस तक तथा $80^{\circ} 4'$ से $81^{\circ} 20'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। तहसील का क्षेत्र पूर्व में रामपुर से लेकर पश्चिम में दुगरेई तक 45.5 किमी लम्बाई और उत्तर में असनी गंगा घाट से लेकर दक्षिण में दतौली ओती गाँव तक 34.2 किमी० की चौड़ाई में विस्तृत है। तहसील कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1589.00 वर्ग किमी० है।

इस अध्ययन क्षेत्र में 538 ग्राम एवं दो नगरीय अधिवास है। विकास कार्य को गति देने के लिये तहसील क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टि से पाँच विकास खण्डों (तेलियानी, भिटौरा, हस्वा, बहुवा, एवं असोथर) 55 न्याय पंचायते तथा 538 ग्रामों में संगठित किया गया है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर नगर पालिका, बहुआ नगरीय क्षेत्र है। जैसा कि सारणी नं० 1.1 से स्पष्ट होता है।

सारणी नं० 1.1

तहसील फतेहपुर – प्रशासनिक संगठन

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम सभाओं की संख्या	ग्राम सभाओं का कोड नं०
1	तेलियानी	1- मोहन खेड़ा	8	1-8
		2- रावतपुर	10	9-18
		3- कॉधी	15	19-33
		4- कोराई जगतपुर	18	34-51
		5- अलावलपुर	17	52-58

		6- खामुर तेलियानी	11	67-79
		7- सनगाँव	12	80-81
		8- देवरी लक्ष्मणपुर	15	92-106
		9- वरारी	12	107-118
2	भिटौरा	10- तारापुर	18	119-136
		11- तालिबपुर	11	137-147
		12- जमुराँवा	11	148-158
		13- लोहारी	14	159-172
		14- हसनपुर	10	173-182
		15- मथड़यापुर	8	183-190
		16- चितिसापुर	8	191-198
		17- हुसेनगंज	10	199-208
		18- फरसी	12	209-220
		19- बेरागढ़ीवा	14	221-234
		20- लतीफपुर	19	235-253
		21- मकनपुर	06	254-259
		22- मो० बुजुर्ग	13	260-272
		23- ढकौली	08	273-280
3	हस्वा	24- बड़नपुर	04	281-284
		25- हस्वा	10	285-294
		26- सनगाँव	16	295-310

		खुमारीपुर		
		27- मुरौव	07	311-317
		28- ख्वाजीपुर सेमरैया	10	318-327
		29- थरियॉव	09	328-336
		30- बहरामपुर	12	337-348
		31- सातो जोगा	06	349-354
		32- नरैनी	06	355-360
		33- सेमरी	08	361-368
		34- कुसुम्भी	07	369-375
		35- खेसहन	05	376-380
4	बहुआ	36- बनरसी शिवगोविन्दपुरी	08	381-388
		37- शाह	13	389-401
		38- चुरियानी	10	402-411
		39- अयाह	07	412-418
		40- बहुआ	08	419-426
		41- महना	07	427-433
		42- बड़ा गॉव	06	434-439
		43- चकस्करन	12	440-451
		44- गाजीपुर	10	452-461

		45- गम्हरी	14	462-475
		46- साखौं	06	476-481
5	असोथर	47- कोणडार	06	482-487
		48- कोर्कनक	05	488-492
		49- मुत्तौर	07	493-499
		50- दतौली	05	500-504
		51- देवलान	11	505-515
		52- सरवल	06	516-521
		53- जरौली	06	522-527
		54- कंधियॉ	05	528-532
		55- असोथर	06	533-538

स्रोत – कार्यालय – जिलाधिकारी फतेहपुर।

अध्ययन क्षेत्र को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिये नागरिकों की सुरक्षा शांतिपूर्ण जीवन यापन तथा कानून एवं व्यवस्था को व्यवस्थित तथा सृदृढ़ करने की दृष्टि से 21 पुलिस स्टेशन (थाना) 34 पुलिस चौकी क्षेत्रों में बॉटा गया है।

चित्र नं० 1.1 अ से स्पष्ट होता है कि गंगा यमुना के समतल मैदानी भाग में स्थित होन के कारण अध्ययन क्षेत्र यातायात के विभिन्न साधनो के माध्यम से राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के महत्वपूर्ण केन्द्रों से जुड़ा हुआ है।

2— संरचना—

भौगोलिक स्वरूप के विकास में उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक दशाओं एवं भूगर्भिक दशाओं का अद्वितीय स्थान रहता है। अतः अध्ययन क्षेत्र व प्राकृतिक एवं सामाजिक तथ्यों एवं भूगमिक दशाओं का अद्वितीय स्थान रहता है। अतः अध्ययन क्षेत्र व प्राकृतिक एवं सामाजिक तथ्यों एवं भूगर्भिक दशाओं का अद्वितीय स्थान रहता है। अतः अध्ययन क्षेत्र व प्राकृतिक एवं सामाजिक तथ्यों के उभय पक्षों के अध्यनों एवं भूगर्भिक दशाएं वहाँ के भौतिक लक्षणों को प्रभावित करती है। तथा साथ ही साथ क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। शोध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण— पश्चिम भू भाग का एक अंग है। जो अत्यन्त प्राचीन समय की पर्तदार चट्टानों से निर्मित है। (चित्र नं० 1.2 अ)



अध्ययन क्षेत्र के विन्ध्य कगार क्षेत्र (बॉदा प्लेन) के उत्तर में स्थित है जिसको तलछट के निक्षेप से भी परिभाषित किया जाता है। जो भू वैज्ञानिक इतिहास के अभिनव युग में नदियों के निकटवर्ती भागों पर अपनयित पदार्थों के निक्षेप से बना है।

इस निक्षेपण का विस्तार शोध क्षेत्र के साथ—साथ प्रदेश के अन्य जनपदों में भी है। क्षेत्रीय मैदान के निर्माण में गंगा यमुना एवं उनकी अन्य सहायक नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह निक्षेप बालू सिल्ट से निर्मित है जिसकी रचना सूक्ष्म कणों से हुयी है। इसी से यह भू भाग गंगा यमुना ट्रान्स अव्यूभिनियम कहा जाता है। अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित भूवैज्ञानिक केन्द्रों के परिपेक्ष्य में कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तर दिशा में गोण्डवाल लैण्ड के


स्थानान्तरण के समय टेथिस सागर बेसिन तलहट मुड़ गई और ऊपर उठा भाग पर्वत कम तथा अवतलित भाग सोल (सेल्फ) बना है और जिसके निर्माण का समय प्लास्टोसीन (लगभग दस लाख वर्ष) माना जाता है। यह काफी उपजाऊ मिट्टी वाला भूभाग है जो क्षेत्रीय कृषि कलापो में संलग्न 91% जनसंख्या के भरण पोषण का आधार है।

3— उच्चावच— अध्ययन क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊचाई 114 मी० है। यह भूभाग पूर्व तथा पश्चिम गंगा यमुना के मैदानी दोआब की औसत ऊचाई का संकरण क्षेत्र है। पूर्व की ओर (107 नरैनी) से, पश्चिम की ओर 116 मोहनखेड़ा से यह ऊचाई धीरे—धीरे बढ़ती गई है। यह पूर्व में खागा तहसील से पश्चिम में बिन्दकी तहसील तक लगभग 46.5 किमी० तथा दक्षिण में यमुना नदी के बायें किनारे से उत्तर में गंगा नदी के दाहिने किनारे तक लगभग 34.2 किमी० पर फैला है। शोध क्षेत्र गंगा—यमुना दोआब का महत्वपूर्ण भाग है परन्तु स्थानीय प्रारूप पर यह ससुर खदेरी नं० 1 और 2 आदि नदियों भी क्षेत्रीय विकास में अपना अद्वितीय योगदान दे रही है। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो शोध क्षेत्र के समतल भूभाग को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में कई छोटे—छोटे आकारों में विखण्डित करती हैं। इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व को ही अध्ययन क्षेत्र की औसत ऊचाई मैदानी भाग की 114 मी० है चित्र नं० 1.3 अ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भू भाग भी ऊचाई भी सनैः सनैः बढ़ती जाती है।

उत्थापन स्रोत की भूसंरचनात्मक विधियाँ



विवर 1-2, 3



इस मैदानी दोआबा पर दत्तौली ओती कोर्कनक, सरवल, लम्हेटा, सरकण्डी, जरौली, असनी, जमुरावा, भिटौरा, लोहारी, आदि न्याय पंचायतो पर ऊची नीची जमीन पाई जाती है जो कि अध्ययन क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत गंगा यमुना नदियों के किनारे स्थित है और स्थानीय नदियों के लिये जल विभाजक का कार्य करती है। कई नदियों के मध्य स्थित होने के कारण यह कई छोटी-छोटी पट्टियों के रूप में बट जाती है। स्थानीय लघु क्षेत्रीय अध्ययन के परिपेक्ष्य में क्षेत्र को उच्चावच की तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नांकित सारणी से स्पष्ट होता है।

सारणी नं० 1.2

फतेहपुर तहसील – उच्चावच

क्रमांक	नाम भौगोलिक भू-भाग	ऊचाई मीटर में	भौगोलिक क्षेत्रों वर्ग किमी०	समस्त भौ० क्षेत्रों का प्रतिशत
1	पश्चिमोत्तर भू-भाग	115 से अधिक	220.87	13.9
2	मध्यवर्ती भू-भाग	112 – 115	556.15	35.0
3	द० पूर्वी भू-भाग	112 से कम	819.98	51.1

स्रोत— अध्ययन क्षेत्र में प्रयुक्त भू-पत्रकों के अनुसार जिसके अन्तर्गत निहित क्षेत्र एवं समस्त भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत का अंकिक विवरण उपरोक्त सारणी नं० 1.1 से स्पष्ट होता है। यथा

3.1 पश्चिमोत्तर भू-भाग – इस वर्ग के अन्तर्गत तल से 115 मीटर से अधिक ऊचाई वाले भू-भाग सम्मिलित हैं। इस भू-भाग के

अन्तर्गत मोहनखेड़ा 116, अलावलपुर 116, कॉधी 115, रावतपुर 115, बनरसी 115, शाह 115, कोराई जगतपुर 115, तथा खानपुर तेलियानी 115 न्याय पंचायतो का लगभग 220.87 वर्ग किमी० क्षेत्र सम्मिलित है जो क्षेत्र के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल का 13.9 प्रतिशत है। इस भू-भाग पर गंगा यमुना तथा मध्य में ससुर खरेदी नं० 1 आदि नदियों के किनारे-किनारे अवनालिका अपरदन की सक्रियता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है। जैसा कि चित्र नं० 1.2.3 से स्पष्ट होता है।

3.2 मध्यवर्ती भूभाग – यह समुद्र तल से 112 और 115 मीटर के मध्य ऊचाई वाला भू-भाग है इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का लगभग 556.15 वर्ग किमी० का क्षेत्र है जो समस्त भौगोलिक क्षेत्र का 35% है। इस भूभाग के अन्तर्गत तारापुर 114, ललितपुर 114, जमुरांवा 114, हुसेनगंज 114, वरारी 113, मथईयापुर 113, मकनपुर 113, लथीफपुर 113, बड़नुपर 113, चुरियानी 113, अयाह 113, चकसकरन 113, कोर्कनक 113, कोड़ार 113, मुत्तौर 113 गाजीपुर 112 मीटर अत्याधिक विकसित भूभाग है। क्योंकि इस क्षेत्र में यातायात साधनों, सिचाई सुविधाओं तथा शिक्षा की पर्याप्तता के कारण यहाँ प्रगति हुई है। साथ ही इसी भूभाग में जनपद का मुख्यालय फतेहपुर नगर भी स्थित है। इस भू-भाग के किनारे उत्तर में गंगा तथा दक्षिण में यमुना तथा मध्यवर्ती भाग में ससुर खरेदी नं० 2 नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन से मृदा संरक्षण की समस्या विकट है।

3.3 दक्षिणी भू—भाग— यह क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी भाग में एक त्रिभूजाकार रूप में फैला है जिसकी सीमा पश्चिमी ओर मध्यवर्ती भू—भाग तथा दक्षिण की ओर कमशः खागा तहसील एवं यमुना नदी बनाती है। यह क्षेत्र अवनालिका अपरदन से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। इस भू—भाग के अन्तर्गत क्षेत्र का लगभग 819.98 वर्ग किमी० क्षेत्र आता है जो अध्ययन क्षेत्र का 51.1 प्रतिशत है। जिसके अन्तर्गत 24 न्याय पंचायते सम्मिलित हैं।

जिसमें लोहरी 111, हसनपुर 111, चितिसापुर 111, मुराँव 111, खाजीपुर सेमरैया 111, हस्वा 111, सनगाँव 111, असोथर 111, थरियाँव 111, बहरामपुर 111, सेमरी 111, कुसुम्भी 110, कंधियॉ 111, दत्तौली 109, देवलान 111, सरवल 111, जरौली 111, सातोजोगा 109, नरैनी 107, आदि प्रमुख न्याय पंचायते हैं। यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। जिसके कारण कृषि कार्य का पूर्ण विकास एक समस्या है परन्तु कही—कही क्षेत्रीय किसानों ने अधिक प्रयास करके सिंचन सुविधायें जुटाकर धान गेहूँ की फसलों को उगाकर अच्छी प्रगति की है।

4 — जलवायु— जलवायु एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मानव संस्कृति का कारक है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप इससे प्रभावित होते हैं। और किसी रथान विशेष की जनसंख्या का विकास, विनाश तथा उसके कार्य कलाप इससे पूर्णरूप से प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से कृषि को जलवायु का कृपा पात्र कहा गया है। क्योंकि फसलों के उत्पादन की सीमा निर्धारण के साथ—साथ

कृषि के विभिन्न प्रारूपों को भी जलवायु से नियंत्रित/निर्भर होना पड़ता है। जलवायु के अध्ययन के बिना जनसंख्या की विशेषताये तथा क्षेत्रीय नागरिकों के जीवन का आधार एवं भावी विकास की योजना का सीमांकन भी असंभव है। शोध क्षेत्र पर तीन ऋतुएं (ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत) होती है। जनपद में मानसूनी जलवायु पाई जाती है परन्तु क्षेत्रीयता के परिपेक्ष्य में विभिन्न विशेषताओं के कारण सामान्यतः क्षेत्रीय विशेषताएं भी पाई जाती है। सम्पूर्ण शोध क्षेत्र उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य संकमणात्मक उष्ण मानसूनी जलवायु के अन्तर्गत है क्योंकि विन्ध्याचल पर्वत की कम ऊचाई से दक्षिण पठार की प्रभावी मानसूनी पवने बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों में मिल जाती है। जिससे क्षेत्र के स्थानीय स्तर पर वर्षा में अन्तर दृष्टव्य है क्योंकि वर्षा की नम जलवायु पश्चिम की शुष्क (ट्रापिकल कान्टीनेण्टल ड्राई टाइप) जलवायु द्वारा स्थान्तरित⁴ हो जाती है सम्पूर्ण क्षेत्र कोपेन⁵ द्वारा विश्वस्तर पर जलवायु वर्गीकरण के (सी० डब्लू० जी०) प्रकार की जलवायु के अन्तर्गत आता है और शीतकाल में यहाँ उपोष्ण कटिबन्धीय प्रकार के चक्रवात अद्भुत⁶ होते हैं। जो पूर्ण रूपेण उत्तर भारत में सक्रिय रहते हैं परन्तु वे शीतकालीन सामान्य वर्षा के सृजक होते हैं परन्तु इस प्रकार के चक्रवात वायुमंडलीय अन्तर्राष्ट्रीय अवरोधों पर निर्भर करते हैं उक्त जलवायु का प्रभाव कॉटेदार वनस्पति पर अधिक देखा जाता है। वर्षा का असमान वितरण अन्य भौतिक विशेषताओं के साथ विस्तृत भीषण सूखा एवं भयावह बाढ़ों के रूप

में देखा जाता है जो क्षेत्र के आर्थिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अतः अध्ययन क्षेत्र की जलवायु का विस्तृत अध्ययन एवं क्षेत्रीयता का मूल्यांकन अपेक्षित है।

4.1 तापमान— तापमान को मौसम और जलवायु का सूजक कहा जाता है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि यह (तापमान) सामायिक स्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता हुआ मानव के कार्यकलापों को भी प्रभावित करता है। अध्ययन क्षेत्र के तापमान पर दैनिक, वार्षिक एवं क्षेत्रीय परिवर्तन उल्लेखनीय है यहाँ पर सामान्य तापमान लगभग 32.00सें० ग्रें (अधिकतम दैनिक औसत) रहा है सामान्य रूप से यहाँ गर्मी की ऋतु मार्च से अक्टूबर तक होती है। चित्र 1.4 से स्पष्ट होता है कि इस अवधि में क्षेत्र के तापमान में भी धनात्मक (+) वृद्धि दिखाई पड़ती है। जो बढ़कर माह मई में लगभग अध्ययन क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर तापमान का औसत निम्नलिखित तालिका नं० 1.3 से स्पष्ट होता है।

सारणी नं० 1.3

तहसील फतेहपुर – तापमान 2000 – 2001





क्रमांक	माह	दैनिक तापमान डिग्री सेन्टीग्रेट अधिकतम न्यूनतम	मासिक तापमान से० ग्रेड में
1.	जनवरी	25.6	10.1
2.	फरवरी	26.3	12.3
3.	मार्च	34.7	17.8
4.	अप्रैल	41.5	21.4

5.	मई	43.0	27.0	41.0
6.	जून	42.0	28.0	30.0
7.	जुलाई	32.6	25.3	28.0
8.	अगस्त	30.0	23.0	26.0
9.	सितम्बर	29.0	22.0	24.0
10.	अक्टूबर	27.3	16.4	23.0
11.	नवम्बर	25.0	12.3	21.0
12.	दिसम्बर	25.4	10.0	20.0

स्रोत – सूचना कार्यालय फतेहपुर।

अध्ययन क्षेत्र में शीतकाल (नवम्बर–फरवरी 2000 - 2001) में ($25.0^{\circ} > 26.3^{\circ}$ से० ग्रें०) अधिकतम ($12.3^{\circ} > 12.8^{\circ}$ से० ग्रें०) न्यूनतम तापमान है। तथा मासिक $21.0^{\circ} > 23.0^{\circ}$ से० ग्रें० है। मार्च अप्रैल में दैनिक तापमान ($34.7^{\circ} > 41.5^{\circ}$ से० ग्रें०) अधिकतम ($17.8^{\circ} > 21.4^{\circ}$ से० ग्रें०) न्यूनतम तापमान रहा। जबकि मार्च अप्रैल में मासिक तापमान ($30.0^{\circ} > 38.0^{\circ}$ से० ग्रें०) रहा है। मई माह में (41.0°) मासिक दैनिक (43.00°) अधिकतम (27.0°) न्यूनतम तापमान नापा गया है। जो कि ग्रीष्मऋतु में सबसे अधिक तापमान मई माह में रहा है। जून जुलाई माह का मासिक तापमान ($39.0^{\circ} > 28.0^{\circ}$ से० ग्रें०) है। तथा दैनिक ($42.0^{\circ} > 32.0^{\circ}$ से० ग्रें०) अधिकतम ($28.0^{\circ} > 25.3^{\circ}$ से० ग्रें०) न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया है। मई माह में

तहसील फतेहपुरः की जलवायु विशेषताएँ (फतेहपुर मौसम केन्द्र)



तापमान में गिरावट आने लगती है। सारणी नं० 1.3 जिससे फतेहपुर जनपद मुख्यालय तहसील मुख्यालय में उच्च तापीय द्वास देखा जाता है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी हवाओं का विशेष प्रभाव रहता है। मार्च से मई तक तापमान में वृद्धि हो जाती है। फतेहपुर नगर में मार्च में अधिकतम दैनिक तापीय औसत लगभग 34.1^0 से० ग्रें रहता है। जो बढ़कर मई में 43.0^0 से० ग्रें तक हो जाता है। कभी-कभी पवनों के मौसमी बदलाव से तापीय स्थिति में अचानक परिवर्तन भी हो जाता है। मानसून के आगमन पर मध्य जून से यह तापीय स्थिति द्वासात्मक हो जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में तापमान सामान्य रहता है। वर्षा ऋतु में आर्द्रता की अधिकता और ठंडी हवाओं के संचार से तापमान कुछ समय (घण्टों) के लिये घटकर 3.00^0 से० ग्रें से 4.07^0 से० ग्रें तक हो जाता है। इस प्रकार तापमान की विषमता के कारण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ एवं रोग फेल जाते हैं।

चित्र नं० 1.4 से ज्ञात होता है कि तापान्तर वर्षा ऋतु में अत्याधिक दिखाई पड़ती है लेकिन मई में यह तापमान उच्च रहता है परन्तु अक्टूबर एवं नवम्बर से तापमान में तेजी से गिरावट आ जाती है। जिसकी आंकिक द्वासात्मक प्रवृत्ति की पुष्टि सारणी नं० 1.2 से होती है।

4.2 वायुदाब एवं हवाएँ— ताप की द्वासात्मक और दाब की धनात्मक स्थिति के कारण शीत काल में सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में उच्च वायुभार होता है। तथा अधिकतम वायुदाब जनवरी में रहता है।

तथा जैसे ही पश्चिम उच्च वायु भार पेटी दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने लगती है तो दाबीय छास के साथ-साथ तापीय वृद्धि होने लगती है। और संचालित हवाओं की दिशा पंजाब उच्च वायु दाब से प्रभावित होती है और साथ ही उत्तर प्रदेश पवन के प्रभाव के कारण गंगा की निचली घाटी में कुछ निम्न वायुदाब की स्थिति रहती है और उत्तर पवन निम्न वायुभार प्रबलता के कारण सामान्य होती है जिसकी प्रतिघण्टा औसत गति नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में कमशः 1.2 किमी०, 1.1 किमी०, 1.5 किमी० तथा 2.1 किमी० के मध्य होती है जैसा कि तालिका नं० 1.4 से स्पष्ट होता है। सम्पूर्ण क्षेत्र की वायु की समान गति पाई जाती है। पश्चिमी भारत का निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्तर प्रदेश के निकट सक्रिय होने से मार्च में समस्त अध्ययन क्षेत्र निम्न वायु भार क्षेत्र में आ जाता है। जिससे क्षेत्र में वायु भार की स्थिति यथा 783.7 मि० वार (मार्च) 980.2 (अप्रैल) और 995.7 मि० वार (मई-जून) के मध्य भिन्न-भिन्न होती है।

सारणी नं 1.4

तहसील – फतेहपुर वायुगति का माहवार विवरण (किमी० मे)

क्रमांक	माह	वायुगति
1.	जनवरी	1.5
2.	फरवरी	2.1
3.	मार्च	2.9
4.	अप्रैल	3.4
5.	मई	4.2
6.	जून	4.9
7.	जुलाई	2.9
8.	अगस्त	2.2
9.	सितम्बर	1.7
10.	अक्टूबर	1.4
11.	नवम्बर	1.2
12.	दिसम्बर	1.1

अध्ययन क्षेत्र में इस समय शुष्क एवं उष्ण पश्चिमी हवाएँ प्रवाहित होती हैं। जिसकी औसत गति प्रति घण्टा मार्च में 2.9 किमी०, अप्रैल में 3.4 किमी०, मई में 4.2 किमी और जून में 4.9 किमी० होती है। इस समय प्रवाहित होने वाली उष्ण एवं त्रीव हवा को लू कहते हैं, जो सम्पूर्ण ग्रीष्म ऋतु में सक्रिय रहती है। परन्तु

गर्म हवा की यह सक्रियता तापमान के बदलाव पर आधारित होती है। लू का दैनिक संचार प्रातः 10 बजे से सायंकाल 4 बजे तक होता है। मई जून में यह लू ज्यादा सक्रिय रहती है। लेकिन कुछ स्थानों पर लू दोपहर के बाद तीव्र गति से चलती है। तथा रात्रि में देर तक यही स्थिति बनी रहती है। परन्तु कभी—कभी अचानक धूल भरे झंझावतों की तीव्र गति (40-70) किमी० प्रति घण्टा से इस गति का कम भंग हो जाता है। इस धूल भरे झंझावतों को क्षेत्र में “ ऑधी ” के नाम से सम्बोधित करते हैं। यह आंधियाँ अपने क्षणिक प्रभाव से छोटे—छोटे पेड़ों, छप्परों तथा खलियानों में पड़े आनाज भूसे के ढेरों की पूर्णरूपेण प्रभावित करती हैं। और कभी—कभी ये आंधियाँ वर्षा ओलों से भी युक्त होती हैं। जिससे मौसमी वनस्पतिक फलों (आम, महुआ) और कृषि फसलों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और कभी—कभी क्षेत्र में निम्न वायु भार के कारण निम्न भू—सतही, पवन उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शुष्क एवं शीत हवाओं से पारस्परिक संवाहनिक किया से गर्जन युक्त धूल भरी आंधियाँ भी लाती हैं। अत्याधिक उष्णता एवं शुष्कता के कारण (मई—जून) ग्रीष्म काल के कुछ महीने कष्टदायक होते हैं उच्च वायुभार की उपस्थिति हिन्द महासागर में होने के कारण से हवाओं का संचार जल से स्थल की ओर होता है। जिसकी प्रति घण्टे औसत गति 2.9 किमी० जुलाई 2.2 (अगस्त) 1.7 सितम्बर और 1.4 किमी० (अक्टूबर) में होती है। यह प्रवाहित दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवन क्षेत्रों में पूर्वा के नाम से पुकारी जाती है। साथ ही इन पवनों में

सापेक्षिक आर्द्रता धनात्मक स्थिति में होने के कारण तापीय स्थिति ऋणात्मक हो जाती है। जिससे अन्य वायुमंडलीय दशाओं में भी परिवर्तन हो जाता है जिससे क्षेत्र में जुलाई से अक्टूबर तक वायु भार की धनात्मक स्थिति होती है। यह वायु भार विभिन्न महीनों में बढ़कर यथा— 471.2 मिलीवार (जुलाई) 973.2 (अगस्त) 977.1 (सितम्बर) 783.7 मिलीवार (अक्टूबर) में हो जाता है।

4.3 वर्षा— जनपदीय स्तर के साथ अध्ययन क्षेत्र में भी वर्षा का एक अनोखा मिश्रित रूप परिलक्षित होता है। यहाँ पर वर्षा की 83.36% मात्रा वर्षा ऋतु में हो जाती है। शेष ग्रीष्म काल और शीत काल में क्रमशः 12.14% और 4.5% वर्षा होती है। अतः निम्न विवरण से स्पष्ट है कि जून से अक्टूबर तक वर्षा की अत्यधिक मात्रा समाप्त हो जाती है जैसा कि सारणी नं० 1.5 से स्पष्ट होता है।

सारणी नं० 1.5

तहसील – फतेहपुर सामान्य वार्षिक वर्षा 2000-01 सेमी० में

क्रमांक	माह	वर्षा सेमी० में
1.	जनवरी	6.0
2.	फरवरी	4.3
3.	मार्च	3.0
4.	अप्रैल	0.99
5.	मई	2.89
6.	जून	19.00
7.	जुलाई	82.00
8.	अगस्त	74.00
9.	सितम्बर	48.00
10.	अक्टूबर	12.00
11.	नवम्बर	01.11
12.	दिसम्बर	01.11

अध्ययन क्षेत्र के फतेहपुर मुख्यालय (जो वर्षा मापक केन्द्र भी है) मे वार्षिक वर्षा का औसत 827.00 मिली०मी० है। वर्षा अधिकांशतः जुलाई (82) अगस्त (74) सितम्बर (48) सेमी० तक सीमित है। जून एवं अक्टूबर मे वर्षा की मात्रा कमशः 19 एवं 12 सेमी० है। न्यूनतम वर्षा अप्रैल मे 0.99 सेमी० अंकित की

गई। चित्र नं० 1.4 ब के सूक्ष्मतम अवलोकन से पता चलता है कि क्षेत्रीय वर्षा का मासिक औसत में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है तथा सबसे अधिक वर्षा का औसत माह जून (165.17) मिमी०, जुलाई 785.19 मिमी० और अगस्त 288.17 मिमी० आदि वर्षा कालीन महीनों में होती है। जबकि सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा अप्रैल (7.5 मिमी०) है। जबकि यहाँ की शीतकालीन वर्षा पश्चिमी वायु विक्षेपभो (जो उत्तर भारत में सक्रिय रहते हैं) पर निर्भर करती है साथ ही साथ चित्र नं० 1.4 से स्पष्ट निरिक्षण करने से पता चलता है कि वर्षा के दिनों में मेघाच्छादित दिनों की संख्या जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर आदि महीनों में प्रायः अधिक होती है लेकिन सापेक्ष आर्द्रता का औसत भी अधिक वर्षा के कारण ऊँचा (80%) है। जिसका आंकिक विवरण तालिका संख्या 1.5 से स्पष्ट होता है।

क्षेत्रीय वर्षा की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम स्तर पर अनियमितता है। तत्पश्चात बाढ़े तथा जल की कमी क्षेत्रीय वर्षा की अन्य विशेषताओं के रूप में विद्यमान है। क्योंकि यहाँ मानसूनी वर्षा का अनिश्चित होना बरसाती दिनों में मानसूनी पवनों में अवरोध तथा मानसून का अचानक परिवर्तन फसलों को पूर्ण रूपेण प्रभावित करने के साथ-साथ अकाल को भी जन्म देता है। वर्षा की असमानता के कारण शोध क्षेत्र कभी-कभी सूखे से प्रभावित होता है। क्षेत्र में वर्षा की इस अनिश्चितता में मानसूनी पवनों की दिशा का निश्चित न होना उपोष्ण कटिबन्धिय चक्रवातों से वर्षा की

स्थानीय असमानता तथा स्थानीय उच्चावच आदि महत्वपूर्ण प्रभावी कारक है। अतः अध्ययन क्षेत्र में जलवायु को निम्नलिखित शीषकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है।

4.3.1 शीत कालीन वर्षा— इस काल मे सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के कारण वायुमंडलीय दबाव बढ़ने लगता है जिससे अक्टूबर के पश्चात क्षेत्र के वातावरण मे शनैः—शनैः शीत का प्रभाव बढ़ने लगता है। जिसके फलस्वरूप यहाँ पर वर्षा दिसम्बर और जनवरी माह मे शीत काल का प्रभाव व्वीवतम होता है। इन दिनो में शोध क्षेत्र दैनिक उच्चतम तापमान का अन्तर नवम्बर से फरवरी तक 1.3 डिग्री सेन्टीग्रेट लगभग हो जाता है। जिसके कारण बादलो से स्वच्छ आकाश और आर्द्रता का प्रतिशत निम्न हो जाता है। परन्तु कभी—कभी जनवरी के पश्चात वायु विच्छोभो (भूमध्य सागरीय चक्रवातो के उत्तर पश्चिमी भारत से होकर आता है) के कारण यहाँ पर कृषि हेतु वर्षा होती है। जिससे रवी की फसलो का पाला से रक्षा होने के साथ अधिक पैदावार भी होती है। यहाँ पर शीत काल सुखद होता है परन्तु कभी—कभी उत्तरीय भारत की शीत लहरी से क्षेत्रीय सामाजिक एवं आर्थिक जनजीवन प्रभावित हो जाता है।

4.3.2 ग्रीष्म कालीन वर्षा— जनवरी माह से सूर्य की स्थिति उत्तरायण होते ही दैनिक तापमान धीरे—धीरे बढ़ने लगता है और ऋतुवत तापमान का औसत 29.5° से 0 ग्रेड से (मार्च—अप्रैल) 32° से 0 ग्रेड के मध्य रहता है। मई और जून वर्षा का अत्याधिक गर्मी प्रदान करने वाले महीने होते हैं इस समय अध्ययन क्षेत्र निम्नवायुदाब पेटी मे

रहता है। जिससे पवन संचार गति बढ़ जाती है और लू का संचार होने लगता है। कभी—कभी धूल भरी आधियाँ क्षेत्रीय निवासियों की शान्ति को अपने विनाशात्मक प्रभाव से बाधित कर देती है, इस ऋतु में आर्द्रता का प्रतिशत कम और आकाश में मेघाच्छादन रहित रहता है। जिससे कि असहनीय गर्मी एवं “लू” के कारण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः यहाँ ग्रीष्म ऋतु अन्य ऋतु को भी अपेक्षा कष्ट कारक होती है।

4.3.3 वर्षा काल— जून से अक्टूबर के मध्य का समय वर्षा काल कहा जाता है इस ऋतु में हिन्द महासागर में उच्च वायुदाब स्थापित होने के कारण पवनों का प्रवाह जल की ओर से स्थल की ओर हो जाता है। ये पवने जून के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ होती है परन्तु 15 या 20 जून के बाद इसमें सक्रियता आती है जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक चलती है। यह मानसूनी पवनें क्षेत्र में वर्षा करती है। चित्र नं० 1.4 द मे अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उच्च तापमान भी स्थिति के साथ—साथ सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत भी 87 तक पहुँच जाता है। जिससे आकाश में मेघाच्छादन का प्रतिशत भी बढ़ जाता है और सागरीय पवनों से वर्षा शुरू हो जाती है। किसान धान की फसले बोने लगते हैं एवं मानसूनी वर्षा के बाद की फसले (रवी) जैसे जौ, गेहूँ, चना आदि के लिये खेतों की जुताई करने लगते हैं।

1.5 अपवाह तन्त्र — जल के रूप में नदी, तालाब, पोखरों तथा झीलों का मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध रहा है। वही पृथ्वी पर

मानव ने प्रारम्भिक काल से ही जलराशि के संनिकट ही अपनी बस्तियाँ बसाई और बाद में इन मानव बस्तियों का प्रसरण हुआ। प्राकृतिक जल प्रवाह से जल सम्बन्धी मानव की सभी आवश्यकताएँ यथा—सिंचाई, पेयजल, परिवहन, जल विद्युत की पूर्ति होती है। किसी क्षेत्र का अपवाह उस क्षेत्र विशेष में जल के प्राकृतिक प्रारूप को चित्रित करता है अपवाह तन्त्र क्षेत्रीय भू—आकृतिक तत्वों से प्रभावित होता है। अन्य क्षेत्रों की भौति शोध क्षेत्र का अपवाह भी वर्षा के मात्रात्मक विवरण अपछरण तरीको, भूमि का कटाव, क्षेत्रीय सदावाही तथा सामयिक नदियों के विकास एवं प्रवाह से पूर्णरूपेण प्रभावित नदियों उत्तर पूर्व को प्रवाहित होती हुई अपने जल प्रवाह का निर्माण करती है। क्षेत्रीय प्रवाहित नदियाँ भी प्रवाह प्रणाली, अनुवर्ती प्रवाह प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय जल प्रवाह मुख्यतः गंगा और यमुना नदियों से ही प्रवाहित है परन्तु स्थानीय स्तर पर ससुर खरेदी नं० 1 तथा 2 एवं कुछ स्थानीय तालाबों का भी महत्व है। अध्ययन क्षेत्र की दोनों बड़ी नदियाँ (गंगा और यमुना) सदावाही हैं। जो हिमालय की बर्फाली चोटियों से निकलती है और वर्ष पर्यन्त जल युक्त रहती है। ये दोनों नदियाँ अपने किनारों पर बालू युक्त अपघर्षित चूरे (मोरम) का जमाव करती है। परन्तु क्षेत्रीय नदियों की घाटिया नदी के आकार या प्रवाह के समानुपाती है तथा मुहाने जल स्तर के अनुरूप है एवं घटिया तीव्र प्रवाह के कारण प्रवाहित नदियों द्वारा परिवृत्त है।¹²

तहसील फतेहपुरः अपवाह तंत्र

अंतर्गत आई

न० 1 और न० 2 का अपवाह ध्रुव

न० 1 और न० 2 का अपवाह ध्रुव

नागरिय ध्रुव

समुर खदेरी न० 1

समुर खदेरी न० 2

अपवाह

ना

अ


ना

न

गा

दी

नागरिय ध्रुव



संकेत  तालाब या झील
सदावाही नदी
सामयिक नदी नाले
अपवाह क्षेत्र सीमा

क्षेत्रीयता के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का जल स्तर चट्टानीय कम के अनुसार भिन्न—भिन्न पाया जाता है। यह (जल स्तर) चट्टानीय प्रकृति के अनुसार स्थानीय प्ररिप्रेक्ष्य में भिन्न—भिन्न है कहीं कहीं बलुई मिट्टी में नमी के अभाव में आन्तरिक भू जलीय संरचना से प्रभावित जल स्तर की ओर संकेत करता है। अध्ययन क्षेत्र का जल प्रवाह मूलतः गंगा एवं यमुना नदी पर आधारित है। ये अध्ययन क्षेत्र की महत्वपूर्ण सदावाही नदियों हैं।

5.1 गंगा नदी— यह क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है जो अध्ययन क्षेत्र की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। चित्र नं० 1.5 के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि गंगा नदी क्षेत्र में आदमपुर गाँव के पास प्रवेश करती है तथा नरौली बुजुर्ग गाँव तक ही क्षेत्र का भाग आता है। यह एक सदावाही नदी है इसके किनारे भृगुओ (विकपल्स) से रहित है साथ ही यह अपने किनारे किनारे पतली सफेद बालू का जमाव करती है। जिसे गंगा बालू और धार्मिक भावना से युक्त लोग “रेणुका” कहते हैं। शोध क्षेत्र के अन्तर्गत इसकी लम्बाई 27 किमी० है। मौसम एवं स्थल विन्यास के कारण क्षेत्र में इसकी चौड़ाई भिन्न—भिन्न हो जाती है इस नदी के बालू के किनारे के कणों में यूरेनियम नामक शक्ति का अपूर्व श्रोत निहित है। जिसको विकसित करके ऊर्जा आपूर्ति के नये विकल्प स्वरूप ऊर्जा के साधन में विकसित किया जा सकता है। जिस पर शोध की नितान्त आवश्यकता है इस नदी के किनारे अध्ययन क्षेत्र की

खानपुर तेलियानी , तारापुर, भिटौरा, तालिबपुर, जमुरावा और लोहारी न्याय पंचायतो का अधिकांश भाग आता है।

- 5.2 यमुना नदी—** यह भी अध्ययन क्षेत्र की महत्वपूर्ण एवं सदावाही नदी है। जो क्षेत्र की दक्षिणी सीमा बनाती हुई अध्ययन क्षेत्र को बाँदा जनपद के भू भाग से अलग करती है। यह क्षेत्र में कोण्डार न्याय पंचायत के रेय गाँव से प्रवेश करती है और सरकण्डी गाँव तक (मात्र अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत) प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ जाती है। यह अपने किनारे पर पत्रत मोटी बालू (मोरम) का जमाव करती है जो उत्तर प्रदेश सरकार को बालू की नीलामी के माध्यम से एक बहुत बड़ी संख्या में राजस्व की प्राप्ति का साधन है। क्षेत्र में मोरम नीलामी केन्द्र ललौली (बेंदा घाट) कोर्चकनक (खामर घाट) अढावल मोरम खदान दन्तौली (ओटी घाट) सरकण्डी तथा लम्हेटा के पास (औगासी, द्विलान घाट) है। यह नदी अपने किनारो पर बीच से पचास मीटर ऊचे कगारो एवं मृगुओ का निर्माण करती है। नदी की गहराई लगभग बीच से 50 फुट के मध्य है। परन्तु गर्मी से वर्षा ऋतु तक इसकी गहराई में अन्तर आता रहता है। नदी की प्रवाह गति 3 से 4.5 किमी० प्रतिघण्टा लगभग होता है। नदी के असमान धरातल एवं मृगु युक्त किनारो मे सिंचाई की सुविधाओ के लिये अनुपयुक्त भूमि है जिससे कृषि का विकास संभव हो सके कही कही पर क्षेत्रीय कृषि को विकसित करने के लिये (लिफ्ट ररीगेशन सिस्टम) को विकसित करके सिंचाई का साधन बनाया गया है। शोध क्षेत्र के ललौली गाँव , कोर्चकनक दतौली , देवलान

ओटी , वामनतारा गढ़ी , सरवल रामनगर कौहन , जरौली सरकण्डी आदि न्याय पंचायतो के गाँव इस नदी के किनारे बसे हैं। क्षेत्रीयता के रूप में यह नदी वर्ष भर नौकायन के लिये उपयुक्त रहती है जिससे लोग बड़ी बड़ी नाव द्वारा सामान चारा, मोरम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तथा बॉदा सागर रोड पर एक पुल (ओती दतौली) के पास एक पुल (पीपे) का ललौली चिल्ला में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। जिससे क्षेत्रीय एवं जनपदो के लोगों को काफी सुविधा प्राप्त है। यमुना नदी से जल एवं बालू संसाधनों से क्षेत्र का ही नहीं अपितु फतेहपुर बॉदा जनपदो का आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं पर पड़ा है। इस नदी का जीवन रेखा (लाइफ लाइन) के समान प्रमुख योगदान है। क्षेत्र में इसकी लम्बाई 62 किमी० है।

5.3 ससुर खरेदी नं० 1- यह एक मौसमी नदी है। अध्ययन क्षेत्र के ठिठौरा गाँव के पास एकत्रित जल को प्रवाहित करते हुये क्षेत्र की खागा तहसील के कोटा नामक गाँव के पास से यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी अध्ययन क्षेत्र की कुसुम्मी, बड़नपुर, धरमपुर, शाह, बनरसी आदि न्याय पंचायतों की सीमा बनाती हुई वर्षा ऋतु में अपने पर्याप्त जल के आयतन में वृद्धि करके बाढ़ को जन्म देती है जिससे प्रतिवर्ष फसलों का भारी नुकसान होता है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी लम्बाई 40 किमी० है। वर्ष भर सदाबाही नदी के रूप में यह कृषि क्षेत्र को सिंचित करती हुई प्रवाहित होती है। अतः लघु

सामायिक सरिता के रूप में इस नदी का स्थानीय रूप से विशेष महत्व है।

5.4 संसुर खरेदी नं० 2— यह एक लघु सदाबाही नदी है। जो अध्ययन क्षेत्र के मानपुर गाँव के पास से उद्भूत होकर चिन्तिसापुर तथा अन्य न्याय पंचायती गाँवों से सीमा बनाती हुई इलाहाबाद जनपद में यमुना नदी से मिलती है। इन नदियों में अपने किनारे किनारे छोटी-छोटी मैदानी पटियों का निर्माण किया है जिन्हे कंधार कहते हैं इसकी लम्बाई यहाँ पर 19 किमी० लगभग है।

उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ स्थानीय तालाबों यथा धारा तालाब (खेसहन) जगत (तालाब वरारी) वुधरामऊ तालाब (गाजीपुर) मनका झील मकनपुर, अखिनई झील (फरसी) चोप झील (जमुराँवा) पराईन झील (वरारी) आदि झीलों का भी अपवाह में महत्वपूर्ण योगदान है।

5.5 नदी घनत्व— अध्ययन क्षेत्र का नदी घनत्व निम्नांकित रूप में आधारित किया गया¹³ है। यथा—

$$द = \text{ल}/\text{अ}$$

$$द = \text{नदी घनत्व}$$

$$\text{ल} = \text{अध्ययन क्षेत्र की समस्त नदियों की लम्बाई}$$


$$\text{अ} = \text{अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल}$$

उपरोक्त ऑकलन के आधार पर शोध क्षेत्र का नदी घनत्व 0.09314 प्रति वर्ग किमी० है। जबकि समस्त जनपद 0.1245 प्रति वर्ग किमी० तथा उत्तर प्रदेश का नदी घनत्व 0.20075 प्रति

वर्ग किमी० से कम है। अतः नदी घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से कहा जा सकता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक समय से ही तालाबों एवं झीलों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

1.6 प्राकृतिक वनस्पति— मानव सभ्यता के विकास के ऊषा काल से पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है जो जन्तु जगत को लगातार प्रभावित करता रहा है। किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु का सही रूप वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति से ही आंकित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार की वनस्पति का मानव जीवन पर एवं परिस्थिति की व्यवस्था में या जैव समिधि में अपना अपना एक विशेष महत्व रहा है। समस्त फतेहपुर जनपद की भौति ही शोध क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति उत्तरी भारत की पतझड़ तुल्य वनस्पति की विशेषता है। यहाँ सभी वानस्पतिक वृक्ष बसन्त ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और नई पत्तियाँ धारण कर लेते हैं शोध क्षेत्र में समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.00 प्रतिशत (95.34 हे०) भूमि पर छोटे छोटे जंगलों एवं बागों का विस्तार है। और छिटपुट रूप में 11.93% (189.57 हे०) भाग पर घासे उगी है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण भाग में कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत समस्त भूमि का 82.07% (1304.09 हे०) कृषि योग्य भूमि पर बिखरे रूप में पतझड़ के वृक्षों का फैलाव है। अतः स्पष्ट है कि वनस्पति का निश्चित अस्तित्व वातावरणीय विशेषताओं की भिन्नता पर निर्भर करता है। क्षेत्र में पतझड़ शुष्क तथा कॉटेदार वनस्पति पाई जाती है। परन्तु छोटे छोटे जुगलों के स्प में अधिकाश क्षेत्र के दक्षिण

अ तहसील फतेहपुर प्राकृतिक वनस्पति




१ ० १ ३ ३ ६


कि.मी.

नगरीय
क्षेत्र


- संकेत
- धास युक्त क्षेत्र
- बबूल एवं झाईदार वनस्पति
- पतझड़ वनस्पति युक्त कृषि क्षेत्र
- वनस्पति रहित ऊसर क्षेत्र



(ब)



प्राकृतिक वनस्पति का विवरण प्रतिशत



धास युक्त भूमि
झाइयाँ तथा वन

पूर्वी भाग पर ये पाये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र को वनस्पति की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया गया है। जिसका आंकिक विवरण तालिका नं० 1.6 में दिया गया है।

तालिका नं० 1.6

तहसील – फतेहपुर – क्षेत्रीय वनस्पति संगठन

क्रमांक	वनस्पति के प्रकार	समस्त भौ० क्षे० हे० में०	समस्त भौ० क्षे० का प्रतिशत
1	झाड़िया एवं वन	95.34	6.00
2	घासें	189.57	11.93
3	कृषि युक्त भूमि	1304.09	82.07
योग –		1589.00	100.00

1.6.1 झाड़ियाँ एवं वन— अध्ययन क्षेत्र में झाड़ियाँ एवं वन वाली वनस्पति के अन्तर्गत 95.34 हे० क्षेत्र आता है। जो समस्त क्षेत्रफल का 6.00% है। इस प्रकार के झाड़ियों एवं वनों में प्रमुख रूप से आम, महुआ, बरगद, जामुन, शीशम, पीपल, इमली, छियुल, बॉस, बेल, कैथा, आदि प्रमुख हैं जो जंगली बड़े बड़े वृक्षों के बीच बीहड़ एवं निम्न भूमि में उगे हैं। ये वृक्ष पूर्णतया मानसूनी जलवायु से प्रभवित हैं। जो बसन्त ऋतु में पत्तियां गिराकर नई पत्तियां धारण करती हैं। यही कम हर वर्ष चलता रहता है। कुछ उपलब्ध दशाओं को छोड़कर हर जगह पतझड़ एवं मिश्रित वनस्पति के वृक्ष पाये जाते हैं परन्तु यहाँ पर अच्छी किस्म की लकड़ी वाले वृक्षों का

पूर्णतया अभाव है। अतः यहाँ पर आपेक्षित भूमि पर उपयुक्त वृक्षारोपण की नितान्त आवश्यकता है।

बबूल एवं झाड़ीदार वृक्ष अत्याधिक रूप में दत्तौली, कोणडार, कोर्रकनक, देवलान, जरौली, सरकण्डी, ससुर खरेदी 1 व 2 के किनारे किनारे भी कटींले जंगलों के वृक्ष काफी संख्या में पाये जाते हैं।

1.6.2 घासें या स्थाई चारागाह— शोध क्षेत्र के जंगली एवं कृषि भूमि के बीच बीच स्थाई घास के चारागाह है तथा कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में कही कही छोटी छोटी पटिटयों के रूप में फैले हैं। इस प्रकार के चारागाह क्षेत्र ससुर खरेदी नं 1 व 2 के किनारे किनारे की बहरामपुर, सनगाँव, खुमारीपुर, शाह, बनरसी, में तथा चितिसापुर और मथईयापुर आदि की न्याय पंचायतों में पाई जाती है। चूंकि वर्षा ऋतु में क्षेत्रीय भागों में वर्षा ऋतु की घासे उग आती है। बरसाती घासों में दूब, दूधी, मोथा, लेदरा, सेमैया कुश और कांस प्रमुख हैं।

1.6.3 कृषि युक्त भूमि— अध्ययन क्षेत्र में 82.07% भाग पर कृषि होती है जिसके अन्तर्गत 1304.09 हेंड्रॉक्सेट्रफल पर जनसंख्या का भरण पोषण होता है। कृषि युक्त भूमि पर ऋतु एवं जलवायु के आधार पर तीन प्रकार की (रवी, खरीफ, जायद) फसलों के द्वारा कृषि कार्य सम्पादित किया जाता है।

वनस्पति से सम्बन्धित विवरण के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ पर वनस्पति के विकास में मनोरंजन के साधनों का

अभाव यत्र तत्र वृक्षो से फैले वृक्षो की चोटी, मृदा अपरदन, निम्न जल स्तर वानिकी की शिक्षा का अभाव कियान्वित वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति क्षेत्रीय नागरिकों की शिथिलता आदि महत्वपूर्ण कारण है। अतः उपरोक्त समस्याओं का सुधारात्मक कदम उठाकर प्राकृतिक वनस्पति से सम्बन्धित समस्याओं को सुधार कर वनस्पति का संरक्षण तथा विकास किया जा सकता है। जिसमें जलवायु भी प्रभावित होगी और क्षेत्रीय जनजीवन पर भी लाभकरी प्रभाव पड़ेगा।

1.7 मिट्टी –

उर्वरा मिट्टियों में वनस्पतियों तथा कृषि फसलों के उत्पादन की मात्रा अधिक होने के साथ-साथ उनमें भरण पोषण की क्षमता भी सबसे अधिक जनसंख्या केन्द्रियकृत है। जबकि क्षारीय मिट्टी में कम उत्पादन होता है। उपरोक्त तथ्यों के परिणम स्वरूप मिट्टी के महत्व एवं प्रभाव को ध्यान में रखकर हटिंगटन ने निम्न उत्पादन वाली मिट्टी से निर्धता बनाम उच्च उत्पादन वाली मिट्टी से सम्पन्नता का नारा लगाया था।

डा० त्रिपाठी के अनुसार शोध क्षेत्र में सम्पूर्ण मिट्टियां गंगा यमुना द्वारा निर्मित काप मिट्टियां हैं क्योंकि इन सभी मिट्टियों का निर्माण बाढ़ के समय नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। विभिन्न चट्टानों से निर्मित होने के कारण इन मिट्टियों में एकरूपता एवं समान मृदा उर्वरता का अभाव है।

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण योजना 16 के प्रतिवेदन के अनुयार यहाँ की मिट्टी में नव निष्केपित एवं वर्गीकृत है। जो जमाव द्वारा

निर्मित है। ब्रोकमैन¹⁷ ने क्षेत्र की मिट्टी को निम्न प्रकार से विभाजित किया है। तत्पश्चात मुखर्जी एक अग्रवाल¹⁸ ने प्रदेश की मिट्टियों का अध्ययन करके उनको विकसित पार्विविका के आधार पर विभाजित किया है।

अतः उपरोक्त वैचारिक विभिन्न युक्त मृदा वर्गीकरण के बावजूद अन्ततः मृदा संरक्षण संगठन¹⁹ ने क्षेत्रीय मिट्टियों का गहराई से अध्ययन करके और सात प्रकारों में विभक्त किया है। जिसका विवरण तालिका नं० 1.7 में स्पष्ट किया गया है।

7.1 बलुई या रेत मिट्टी – यह रेतीली मिट्टी जिसमें खाद या पानी की अधिक व्यवस्था करके फसले पैदा की जा सकती है। यह नदियों की तली या किनारों में पाई जाती है। चित्र नं० 1.7 अ के अवलोकन से पता चलता है कि क्षेत्र में प्रमुख रूप से गंगा और यमुना के किनारे स्थित न्याय पंचायतों के 10.14% भाग पर बलुई या रेत मिट्टी पाई जाती है। विशेषकर गंगा यमुना के किनारे – किनारे जल धारा के साथ साथ 2/3 किमी भी पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसका प्रयोग मकान बनाने में सीमेण्ट के साथ किया जाता है।

सारणी नं० 1.7

तहसील फतेहपुर की मिट्टियों का वर्गीकरण

क्रमांक	मिट्टियों के प्रकार	समस्त हेठों में	भौगोलिक क्षेत्रों में
1.	बलुई या रेत	161.12	10.14
2.	बलुई दोमट	395.66	24.50
3.	दोमट	452.59	31.03
4.	चिकनी दोमट	260.60	16.40
5.	कछारी	212.50	07.08
6.	ऊसर या रेत	136.20	08.076
7.	अन्य	029.23	01.85
	योग	1589.00	100.00

स्रोत – स्वायल सर्वे आर्गनाईजेशन यू० पी० पेज नं० 62

7.2 बलुई दोमट- इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता कम होती है। इस प्रकार मिट्टी अपने अध्ययन क्षेत्र में नदियों के स्थान से कुछ दूरस्थ भागों में पाई जाती है। इसमें खाद और पानी की व्यवस्था करके अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। यह शोध क्षेत्र में 24.9% (.395.66 हेठों) भाग पर सामान्यतः लाल रंग की बलुई मिट्टी है। परन्तु इसमें चिकनी मिट्टी का अंश भी पाया जाता है। यह पानी पड़ने पर मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में जीवाणु की उपलब्धता सामान्यतः ठीक होती है। यह 30, 60, 120, 147, तथा 183 सेमी० की विभिन्न गहराईयों की

पूर्ण परिपक्व मिट्टी है। इस मिट्टी में अपरदन काफी होता है।²⁰

इस मिट्टी में मूल तत्व का अंश उपरी सतह पर कम तथा तली पर अधिक पाया जाता है। परन्तु इसकी कमबद्धता विखंणित है। इस मिट्टी की बहुतामत कछारी और दोमट मिट्टियों के मध्य विस्तृत रूप में पाई जाती है। चित्र 1.7 अ से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की मिट्टी विशेष रूप कोण्डार, कोर्कनक, दतौली, देवलान, सरवल, जरौली, नरैनी, मुरैंव, ह्येनगंज, जमुरैंवा, आदि न्याय पंचायतों के लगभग 395.66 हैं पर एवं कमबद्ध रूप से फैली हुई है। जो समस्त भौगोलिक क्षेत्र का 24.90% है।


इस मिट्टी की रासायनिक संरचना में बालू तथा घुलनशील का तत्व 84.29 से 86.88% फेरिक आक्साइड तत्व 3.36 से 4.25% अमोनिया तत्व 4.42 से 5.35% चूना तत्व 0.014 से 0.07% पोटास 0.08 से 0.01% मृदा तत्व 13.45% तथा अन्य रासायनिक तत्व 81% से 0.75% है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तत्व का पूर्णतया अभाव पाया जाता है।

7.3 दोमट मिट्टी— यह एक उपजाऊ मिट्टी है। इसके कण बलुई मिट्टी की तुलना में मोटे एवं सघन होते हैं तथा जीवाशम भी इससे अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। याथ ही सूखे जल को साधारण करने की क्षमता भी बलुई दोमट से अधिक पाई जाती है। इसमें खाद पानी भी साधारण व्यवस्था करके भी अधिक पैदावार की जा सकती है। इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यह कीड़े बहुत अन्तर के साथ शोध क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग की

समस्त मिट्टियों का वितरण प्रतिशत
कुल क्षेत्रफल


तहसील फतेहपुरः मिट्टाट्या

(ब)



1 0 1 2 3
कि.मी.

(अ)



संकेत

- बलुई या रेत मिट्टी
- बलुई दोमट मिट्टी
- दामट मिट्टी
- विकारी मिट्टी
- कछारी मिट्टी
- जसर या रेह मिट्टी
- अन्य मिट्टियाँ

अपरदन से प्रभावित क्षेत्र

संकेत

- अपरदित क्षेत्र

1 0 1 2 3
कि.मी.

(स)

चित्र स0-1.7

63

(द)

मृदा उर्ववरता
संकेत (जनपदीय पोषक तत्वों के सूचकांक मूल्यदर)

- कास्फोरस
- नाइट्रोजन
- पोटेशियम

1 0 1 2 3
कि.मी.

कुसुम्भी अथवा वरारी लतीफपुर, बेरागढ़ीवा, कॉधी, और दक्षिणी पश्चिम भाग की मोहन खेड़ा, अलावलपुर, रावतपुर, आदि न्याय पंचायतो के विस्तृत भाग पर एक क्षम से फैली है चित्र नं 1.7 अ से स्पष्ट होता है इसके भी चिकनी मिट्टी का अंश 20-30% तथा बालू 2.10% तक पाई जाती है चूर्ण प्रधान सरचना के कारण यह स्वाभवतः नम है जो सूखने पर अंशतः कठोर हो जाती है। इसका पी० एच० मान 7.8 है। इसकी रासायनिक सरचना ने रचकों की स्थिति यथा— बालू तथा घुलनशील सिलिका तत्व 75.45 से 75.55% , जैविय तत्व 5.41 से 5.62% , अमोनिया तत्व 9.03 से 0.45% , नत्रजन 0.03 से 0.039% , लौह तत्व 5.55 से 5.75 तथा अन्य रासायनिक रचक 0.052% है।

7.4 चिकनी दोमट मिट्टी— इसको मटियार दोमट या करम्बा भी कहते हैं। इसके कण अधिक मोटे एवं सघन होते हैं इसमें पानी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। यह खेसहन, चुरियानी, कंधिया, कुसुम्भी, हसनपुर, थरियांव, सनगाँव, कोराई, जगतपुर, ख्वाजीपुर, सेमरैया, तथा देवहरी लक्ष्मणपुर आदि न्याय पंचायतों में बहुत थोड़े— थोड़े क्षेत्र में यत्र— तत्र पाये जाते हैं। इसमें सभी फसलों के अतिरिक्त कपास भी उगाई जा सकती है। यह क्षेत्र में 260.60 हें भूमि पर फैली है जो कि तहसील के समस्त भौगोलिक क्षेत्र में 16.4% है यह एक परिपक्व मिट्टी है इसकी 25,50,100,137 तथा 183 सेमी० की विभिन्न गहराईयों में इसके क्षेत्रिज अन्तर भी भिन्न है। इसमें विकनी मिट्टी

49.8% है परन्तु कुल गहराई पर अच्छी बालू की अपेक्षा सिल्ट के कण अधिक पाये जाते हैं जो गीली होने पर पड़वा के समान चिपचिपी तथा सूखने पर कंकड़ के समान कड़ी हो जाती है। इस मिट्टी को रासायनिक संरचना का वांछनीय ही बालू तथा घुलनशील सिलिका तत्व 73.9 से 74.74% फैरिक आक्साइड तत्व 5.20 से 5.59% अमोनिया तत्व 5.00 से 5.78% चूना तत्व 2.33 से 2.99% कार्बनिक अम्ल तत्व 0.031 से 0.056%, जैविक तत्व 4.90 से 5.82%, नत्रजन तत्व 0.028 से 0.039%, पोटाश 0.15 से 0.17%, तथा अन्य तत्व 0.02 से 0.05% तक पाये जाते हैं। परन्तु कैल्शियम तत्व की कमी है। यह मिट्टी विभिन्न खनिजों की अधिकता के कारण अधिक उपजाऊ है।

7.5 कछारी मिट्टी— यह मिट्टी नदियों के किनारे पाई जाती है। जिसे वांगर या खादर का सम्मिलित रूप कहा जा सकता है यह प्रतिवर्ष स्थानीय नदियों की बाढ़ के साथ लाये गये तलछट के जमा होने से निर्मित होता है। बाढ़ से प्रभावित जलहोड़ कछारी मिट्टी हल्के पीले रंग छिड़ युक्त महीन कणों वाली है। इस मिट्टी में चूना मैग्नीशियम तथा जल जैविक तत्वों की अधिकता होती है चित्र नं 1.7 अ से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की मिट्टी गंगा यमुना, ससुर खरेदी नं 1 व 2 आदि नदियों के सहारे पाई जाती है परन्तु गंगा यमुना के किनारे — किनारे विस्तृत बालू या रेत के जमाव के कारण इसकी कम और कमबद्धता विखण्डित है।

यहाँ पर मिट्टी के निर्माण पर जल धाराओं (नदियों जो सतह पर गतिशील होती है) का योगदान रहता है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण भी समुचित परिस्थितियों में पाया जाता है अतः यह मिट्टी अधिक अपरदन से प्रभावित होती है। शोध क्षेत्र 7.88% (112.50 हेक्टेएर) भाग पर इसका विस्तार है। कछावी मिट्टी में नदियों के प्रमुख क्षेत्र में बलुई या बलुई दोमट मिट्टी का अंश पाया जाता है।

7.6 ऊषर या रेह मिट्टी— इसमें जीवाश्मों की विधमानता का अभाव पाया जाता है तथा इसमें क्षारीय मात्रा अधिक पाई जाती है यह क्षेत्र के 8.76% (138.20 हेक्टेएर) भूमि पर फैली है। यह भूमि खेती के लिये अनुपयुक्त है अतः स्पष्ट है कि यह एक अन्तर स्तरीय मृदा है जिसका विकास कम वर्षा, उच्च तापकम, और अपर्याप्त जल के कारण हुआ है। ओडेन गुप्ता तथा राय हुसैन ने इसके विकास में जलवायु दृश्यांश उच्च जल तल, काप की संरचना के विभिन्नता तथा उच्च वाष्पीकरण को जिम्मेदार ठहराया है। राम चौधरी ने बताया है कि इस मिट्टी का निर्माण क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम तथा सोडियम के संचित होने पर होता है। क्षेत्र के रेत मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट क्षारीय तत्व 0.1 – 0.4 तक की गहराई पर मिलते हैं इस मिट्टी को सुधार कर धान की फसल पैदा की जा सकती है तथा इस मिट्टी से उत्पन्न धान अन्य भूमि क्षेत्रों में उत्पन्न चावल की फसल से अधिक स्वादिष्ट होता है।

चित्र नं० 1.7 अ के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में गाजीपुर, ग़म्हरी, सांखा, चकसकरन, देवलान, आदि न्याय पंचायतो के मध्य तथा सनगाँव, खानपुर, तेलियानी, कोराई, जगतपुर, तारापुर, भिटौरा, विकास खण्ड के मध्य एक विस्तृत पेटी के मध्य फैली है। इसके अलावा यह छोटी-छोटी पटियों के सम में खाजीपुर, सिमरैया, सेमरी, हसनपुर, न्याय पंचायतों में छिटपुट रूप से फैली है।

ऊसर भूमि सुधार हेतु कुछ कदमों पर अमल अपेक्षित है। यथायांत्रिक नमक को धुलने के लिये अधिक जल का प्रयोग किया जाय शस्य विज्ञान सम्बन्धी अनूकूल पौधों की खेती – रासायनिक जिप्सम, मैग्नीशियम, वलोराइड आदि रासायनों का प्रयोग किया जाय तथा प्रदेश के ऊपर सुधार के अन्तर्गत जनपद में कियान्वित ऊसर सुधार योजना को शोध क्षेत्र के ऊसर भूमि के सुधार के लिये युक्ति स्तर पर कियान्वित किया जाय और ऊसर भूमि पर सनईदैचा तथा हरी खाद का प्रयोग किया जाय साथ ही बॉदा जनपद में रूपहा कुसहाई गाँव में किसानों के सराहनीय प्रयास को उदाहरण स्वरूप शोध क्षेत्र की ऊसर भूमि में प्रयोग भी किया जाय तो क्षेत्र की 138.20 हेंड पर बेकार पड़ी भूमि वरदान सिद्ध हो सकती है।

7.7 अन्य मिटियों— ये मिटियों सामान्यतः सम्पूर्ण शोध क्षेत्र के 1.85% (29.32 हेंड) भौगोलिक क्षेत्र में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होती है। इन मिटियों पोतनी, बर्तनी, लौफ, सेतहरा आदि

स्थानीय प्रमुख रूप से पाई जाती है। परन्तु इसका स्थानीय महत्व अधिक है इश्यो पर ज्वार, बाजरा, तिल, अरहर, चना, गेहूँ, धान आदि फसले पैदा की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टियाँ असोथर, बहरामपुर, ढकौली आदि प्रमुख न्याय पंचायतों में बिखरे प्रारूप पर फेली हैं। (चित्र नं० 1.7 अ) से स्पष्ट होता है।

7.8 मृदा उर्वरता- मिट्टी की मृदा उर्वरता जैवीय तत्व, नत्रजन, तथा पोटैशियम तत्वों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। क्योंकि उर्वरता सूचकांक में जैवीय तत्व साधारण उर्वरता के सामान्य सूचकांक के रूप में समझा जाता है। मृदा उर्वरता सूचकांक के अनुसार शोध क्षेत्र की समस्त मिट्टियाँ जिसमें नत्रजन तत्व समान अल्प पोटैशियम तत्व तथा जैविक तत्व भी कम पाये जाते हैं। अतः यहाँ की मिट्टियाँ स्वभावतः मध्यम से निम्न उत्पादन वाली हैं। क्षेत्र में मृदा उर्वरता आंकलित की गई है चित्र नं० 1.7 अ से स्पष्ट होता है कि गंगा यमुना से प्रभावित किनारे अथवा किनारे के आसपास की मिट्टियों में फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्प मात्रा में पाया जाता है। न्याय पंचायत की मृदा उर्वरता श्रेणी का स्पष्टीकरण परिशिष्ट नं० 3 से स्पष्ट होता है साथ ही क्षेत्रीय मिट्टियों की उर्वरता उसमें निहित पैत्रिक पदार्थ जैविक तत्व स्थान तथा समय आदि बातों पर निर्भर करती है और जहाँ पर उपरोक्त पदार्थ आपस में अलग होते हैं बड़ी मृदा पार्श्व का विकास होता है। शोध क्षेत्र की मिट्टी उर्वरता कृषि के प्राचीन तरीकों को अनुचित प्रयोग

तथा प्रबन्ध के कारण भी प्रभावित है। यहाँ कि समस्त मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस अल्प मात्रा में पाई जाती है।

7.9 मृदा अपरदन— मिट्टी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जिस पर सम्पूर्ण जीवन (कृषि विकास) आधारित है मृदा उर्वरता ह्लास (अपरदन) के सम्यता का विकास तत्व प्रभावित होता है अतः शोध में नितान्त मिट्टी संरक्षण की आवश्यकता है।

शोध क्षेत्र की उत्तरीय दक्षिणीय सीमा में यमुना नदी तथा क्षेत्रीय नदियों के किनारे के भागों में स्थानीय परिप्रेक्ष्य में अपरदन की सक्रियता देखी जा सकती है असमान धरातल, उपस्थित भू आकार त्रीव प्रवाहित छोटी-छोटी सरितायें एवं नाले अनियंत्रित चरवाही तथा असंगठित मृदा संरचना क्षेत्र के मृदा अपरदन हेतु गम्भीर समस्या है। उपरोक्त तत्वों के परिणाम स्वरूप अपरदित भू दृश्य दुर्गम उपजाऊ क्षेत्रों के रूप में देखी जाती है। अपरदित (अपक्षारित) क्षेत्र कृषि समस्या क्षेत्र है जो अधिकांश अपरदित हो चुके हैं या अपरदन की सक्रियता के अन्तर्गत है²¹ क्षेत्र में अप्रवाहित नदियों के किनारे के क्षेत्रों में अवतालिका अपरदन की सक्रियता दृष्टव्य है। (चित्र नं० 1.7 अ) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि भू दृश्य समस्या के रूप में विशेषकर गंगा यमुना और ससुर खरेदी नं० 1 व 2 नदियों के द्वारा अवतालिका अपरदन पाये जाते हैं। अपरदन से ऊपर की तह अपरिदित हो जाती है और मिट्टी अनउर्वर हो जाती है।

शोध क्षेत्र मृदा अपरदन मे नदियो के किनारे के मृदमय ऊँची नीची भूमि पर सैद्वान्तिक वाह्य के अनुरूप समतलीकरण का प्रभाव तथा जुताई भी प्रमुख कारण है। यहाँ पर अपरदन के कारण प्रतिवर्ष क्षेत्र का काफी भाग प्रभावित होकर कृषि विकास के लिये बाधक होता है। अतः ऐसे क्षेत्र में संरक्षणात्मक उपायो की नितान्त आवश्यकता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अपरिदित कृषि भूदृष्टि की बढ़ती सक्रियता के कारण शोध क्षेत्र में मृदा अपरदन एक गम्भीर समस्या है अतः क्षेत्र मे अपरदन से प्रभावित भू भागो मे अपेक्षित स्थानो पर उपरोक्त अपेक्षित मृदा संरचनात्मक सुझावो को युद्ध स्तर पर कियान्वित किया जाय ताकि अपरिदित भूदृष्टि प्रति विकास के लिये उपयुक्त हो सके। जिससे फसलो का समुचित विकास होना और क्षेत्रीय आर्थिक सुदृढ़ होंगी जो क्षेत्रीय जनसंख्या के उदर पूर्ति में सहायक बनने के साथ—साथ निवासियो को अधिकाधिक लाभ देकर उनके लिये स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक वातावरण बनाकर एक गम्भीर समस्याओ को हल करने के लिये निदान स्वरूप विकल्प बन सकेगी।

2- अर्थव्यवस्था—

अ— कृषि तथा तत्सम्बन्धी व्यवसाय— अध्ययन क्षेत्र (तहसील—फतेहपुर) एक कृषि प्रधान जनपद की तहसील है यहाँ कि लगभग 158114 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है जो तहसील की समस्त जनसंख्या का 84.85% है। जबतक किसी क्षेत्र की आर्थिक

स्थिति सृदृढ़ नहीं होती तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता क्योंकि आर्थिक स्थिति सृदृढ़त्र होने से ही वहाँ के व्यक्ति, शिक्षा, आवास, भोजन आदि के अतिरिक्त मनोरंजन की तरफ अग्रसर होते हैं परन्तु यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वह उपरौक्त उच्च सुविधाओं की पूर्ति तो कर ही नहीं सकता और मात्र रोजी रोटी (उदरपूर्ति) तक ही सीमित रहता है। अतः सर्वप्रथम कृषि अर्थव्यवस्था के पूर्ण पहलुओं को समझने के पहले अध्ययन क्षेत्र की कृषि विभिन्न पक्षों में अध्ययन आवश्यक है। क्षेत्रीय कृषि स्थानीय विभिन्नताओं, सामान्य भूमि उपयोग, कृषि भूमि उपयोग कृषि यन्त्र, खादों तथा रासायनिक उर्वरकों एवं शोधित बीजों के प्रयोग से पूर्ण तथा प्रभावित है जिसका पूर्ण सम्बन्ध क्षेत्रीय कृषि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास से है। अतः कृषि उत्पादन के विस्तृत अध्ययन में सर्वप्रथम तहसील के कृषि से सम्बन्धित तथ्यों का निम्न सन्दर्भों में अध्ययन वांछनीय है।

अ— भूमि उपयोग— किसी भी देश का भूमि उपयोग उस क्षेत्र की आर्थिक स्थानीय संरचना, मानव, व्यवसाय, सामाजिक स्वास्थ्य और वृहद स्तर पर परिस्थिति की व्यवस्था का सूचक होता है। यह प्रतिरूप प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संसाधन समिश्र और वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षमता के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रतिफल होता है। तहसील के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल 71.25% (113216 हें) भाग पर कृषि क्षेत्र का प्रसार होता है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संसाधनों का प्रयोग


करके क्षेत्र का आर्थिक पुर्नगठन करने के सजग प्रयासों के फलस्वरूप भूमि उपयोग में उल्लेखनीय परिवर्तन घटित हुआ है।

तहसील की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके सामाजिक आर्थिक विकास के उत्तरदायी कारकों के आधारभूत क्षेत्रीय संसाधनों की प्रजाति और उदरपूर्ति हेतु भोजन उपलब्ध कराने की समस्या तथा कृषि के वैज्ञानिक विकास आदि में भूमि उपयोग को प्रोत्याहन किया है। इन्ह कारणों से क्षेत्र में भूमि उपयोग पर काफी प्रभाव पड़ा है।

1.1 सामान्य भूमि उपयोग— तहसील के विभिन्न न्याय पंचायतों में प्राकृतिक धरातल स्थानीय जलवायु दशायें, जल प्रवाह, मानवीय परिस्थितियों के कारण वहाँ कि सामान्य भूमि उपयोग प्रारूप में भी विविधता स्पष्ट है तदानुसार वन भूमि कृषि के लिये पर्याप्त बंजर भूमि, उसर परती भूमि, वृक्षों, झाड़ियों एवं बागों के अन्तर्गत प्रयुक्त तथा बोई गयी भूमि के क्षेत्रफल और उसके पारस्परिक अनुपात में पर्याप्त अन्तर दृष्टिगत हो रहा है।

1.1.1 वन भूमि— तहसील फतेहपुर में 4655 हेक्टेयर में छुटपुट रूप से बिखरे वन पाये जाते हैं जो तहसील के समस्त भौगोलिक क्षेत्र का 2.93% है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्र असोथर में 1994 हेक्टेयर (5.47%) है। जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित है तथा सबसे कम वन क्षेत्र तैलियानी में 301 हेक्टेयर (1.15%) है। जो कि फतेहपुर नगर (मध्य भाग) के पास स्थित है।


तहसील फतेहपुरःसमान्य भूमि उपयोग



कुल क्षेत्र हे. में
1000
3000
7000

संकेत

- [White Box] वन क्षेत्र (Forest Area)
- [Hatched Box] कृषि अयोग्य बंजर भूमि (Agriculturally Inappropriate Barren Land)
- [Cross-hatched Box] कृषि अयोग्य ऊसर भूमि (Agriculturally Inappropriate Scrubland)
- [Dotted Box] पर्वी भूमि (Ridge Land)
- [Solid Black Box] अन्य भूमि (Other Land)
- [Dashed Box] चारागाह (Charaghā)
- [Hatched Box with diagonal lines] सम्पूर्ण खेतिहर भूमि (Entire Agricultural Land)



1 0 1 2 3
कि.मी.

चित्र स0-1.8

सारणी ख⁶ – 1.8

तहसील फतेहपुर वन क्षेत्र

वन भूमि का प्रतिशत	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल का प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
5% से अधिक	1792	38.50	7
3 से 5% तक	1444	31.02	10
1 से 3% तक	1205	25.89	25
1% से कम	214	4.59	13
योग	4655	100.00	55

सारणी संख्या 1.8 से स्पष्ट होता है कि 5% से अधिक वन भूमि 7 न्याय पंचायतों में ही जिनके अन्तर्गत 1792 हैं (38.50%) क्षेत्रफल है सर्वाधिक वन क्षेत्र कोण्डार गाँव में 762 हैं (13.41%) क्षेत्र है जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उपरोक्त न्याय पंचायत में उबड़ खाबड़ अपरदित धरातल नदी के किनारे की भूमि तथा असिंचित क्षेत्र वनों के लिये उपयुक्त है क्योंकि यह भूमि कृषि के लिये अनुपयुक्त है। सघन जनसंख्या के कारण वन भूमि का शुष्क क्षेत्र कृषि के रूप में एवं अधिकाश सिंचित कृषि क्षेत्र के कारण 1% से कम भूमि के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायते हैं। जिसके अन्तर्गत 214 हैं (4.59%) क्षेत्रफल है तथा सबसे कम वन भूमि चक्सकरन (0.27%) न्याय पंचायत में है जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। चित्र नं० 1.8 से स्पष्ट होता है।

1.1.2 कृषि हेतु अपर्याप्त बंजर भूमि – अध्ययन क्षेत्र में कृषि हेतु अपर्याप्त बंजर भूमि का विस्तार 8522 है० (5.36%) क्षेत्रफल पर है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक कृषि योग्य अपर्याप्त बंजर भूमि असोथर में 23.90 है० (6.97%) है। जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। सबसे कम कृषि हेतु अपर्याप्त बंजर भूमि बहुआ में 819 है० (3.00%) विकास खण्ड में है। जो कि दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर नगरी करण सिचाई की सुविधा यातायात व व्यवसायिक केन्द्र होने के मुख्य कारण है।

सारणी संख्या 1.9

तहसील फतेहपुर कृषि हेतु अप्राप्त बंजर भूमि

कृषि हेतु अप्राप्त बंजर भूमि का प्रतिश्टो	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्षेत्रफल का प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
6% से अधिक	4788	56.18	18
4 – 6%	2266	26.59	18
2 – 4%	1335	15.67	15
2% से कम	133	1.56	4
योग	8522	100.00	55

सारणी संख्या 1.9 से स्पष्ट होता है कि 6% से अधिक कृषि हेतु अपर्याप्त बंजर भूमि के अन्तर्गत 18 न्याय पंचायते आती है। जिसके अन्तर्गत 4788 है० (56.18%) बंजर भूमि है।

न्याय पंचायम स्तर पर सर्वाधिक कृषि हेतु अपर्याप्त बंजर भूमि कोण्डार में 600 हे० (7.977%) है जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अतः यहाँ पर छोटे छोटे जंगली वृक्ष तथा चारागाह क्षेत्र विकसित है। जिनमे मवेशियों के चराने का कार्य होता है। साथ ही साथ तहसील के मध्यवर्ती भाग में ससुर खरेदी नं० 1 व 2 तथा उत्तर दक्षिण में कमशः गंगा व यमुना नदियों के सक्रिय अवनालिका अपरदन से कृषि योग्य भूमि अपरदित होकर उबड़ खाबड़ धरातल का रूप धारण कर लेती है। यदि इस प्रकार के अपरदित क्षेत्रों को कृषि समस्या क्षेत्र कहा जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि जो कृषि योग्य होते हुये भी बंजर है 4 से 6% के मध्य 18 न्याय पंचायते हैं इनके अन्तर्गत 2266 हे० (26.59%) क्षेत्रफल में कृषि अपर्याप्त बंजर भूमि है। 2 से 4% के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायते सम्मिलित हैं जिसमे 1335 हे० (15.67%) क्षेत्रफल है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते उत्तर पूर्व में स्थित हैं। 2% से कम कृषि योग्य अपर्याप्त बंजर भूमि पर 4 न्याय पंचायते हैं जिसके अन्तर्गत 133 हे० (1.56%) क्षेत्रफल है। जो कि तहसील के दक्षिणीय भाग पर स्थित है। चित्र नं० 1.8 तथा परिशिष्ट नं० 4 से स्पष्ट होता है।

1.1.3 ऊसर भूमि— अध्ययन क्षेत्र में ऊसर भूमि का विस्तार 7288 हे० (4.59%) क्षेत्रफल में है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक ऊसर भूमि बहुआ 1954 मे० है तथा सबसे कम ऊसर भूमि असोथर विकास खण्ड में 650 हे० मे० है जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व मे० स्थित है।

सारणी संख्या 1.10

तहसील फतेहपुर ऊसर भूमि का विवरण

ऊसर भूमि का प्रतिशत	क्षेत्रफल		न्याय पंचायत की संख्या
	हेक्टेयर में	प्रतिशत	
> 9.00	4204	57.68	10
6.00 – 9.00	1042	14.30	6
3.00 – 6.00	967	13.27	9
< 3.00	1075	14.75	25
योग	7288	100.00	55

सारिणी नं० 1.10 से स्पष्ट होता है कि 9% से अधिक ऊसर भूमि 10 न्याय पंचायतों में है जिसके अन्तर्गत 4204 हैं (57.68%) क्षेत्र है। न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक ऊसर भूमि तारापुर 700 हैं (18.41%) क्षेत्रफल में है जो कि उत्तर में स्थित है। 6.00 से 9.00% के मध्य 6 न्याय पंचायते आती हैं जिसके अन्तर्गत 1042 हैं (14.30%) क्षेत्रफल में ऊसर भूमि का विस्तार है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। 3.00 से 6.00% के अन्तर्गत 9 न्याय पंचायते आती हैं जिसके अन्तर्गत 967 हैं (13.27%) ऊसर क्षेत्र हैं। 3.00% से कम ऊसर भूमि के अन्तर्गत 25 न्याय पंचायते सम्मिलित हैं। जिसमें 1075 हैं ; 14.75% द्वंद्व ऊसर क्षेत्र हैं। सबसे कम ऊसर भूमि बड़नपुर न्याय पंचायत में हैं जो कि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण में स्थित

है जिसका महत्वपूर्ण कारण अवतालिका अपरदन की सक्रियता से उपजाऊ कृषि भूमि का वह जाना है साथ ही साथ सिचाई की अधिकता के कारण जल भराव (क्योंकि अधिक एवं निरन्तर सिचाई के) भूमि पर नमक की पर्ती जमती जाती है।

1.1.4 पर्ती भूमि— अध्ययन क्षेत्र के 10708 हें (6.75%) क्षेत्रफल में पर्ती भूमि है विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक पर्ती भूमि असोथर 2826 हें क्षेत्रफल में है। जल की सबसे कम पर्ती भूमि बहुआ में 1400 हें क्षेत्र में है जो कि दक्षिण में स्थित है।

सारणी नं० 1.11

तहसील फतेहपुर पर्ती भूमि

पर्ती भूमि का प्रतिशत	क्षेत्रफल		न्याय पंचायतों की संख्या
	हेक्टेयर में	प्रतिशत में	
> 8.00	4707	43.56	15
6.00 – 8.00	2802	26.17	16
4.00 – 6.00	2343	21.88	16
< 4.00	856	7.99	08
योग	10708	100.00	55

सारणी संख्या 1.11 से स्पष्ट होता है कि 8.00% से अधिक पर्ती भूमि के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायतों में 43.96% (4707 हें क्षेत्रफल में पर्ती भूमि है परन्तु न्याय पंचायतस्तर पर सर्वाधिक पर्ती भूमि असोथर में 700 हें (9.7%) उपरोक्त न्याय

पंचायत में अधिक जल भराव क्षेत्र मे पर्ती भूमि का अधिकता के कारण क्षेत्रीय किसानो का परम्परावादी मानसिकता है। जो कि उनके अन्धविश्वास को प्रस्तुत करती है। 6.00 से 8.00% श्रेणी के अन्तर्गत 16 न्याय पंचायतो मे 2802 हे० (26.17%) क्षेत्रफल है। इस श्रेणी की अधिकांश न्याय पंचायते उत्तर पश्चिम मे स्थित है। 4.00 से 6.00% के मध्य 2343 हे० (21.88%) क्षेत्रफल के अन्तर्गत 16 न्याय पंचायते है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते इक्षिण पश्चिम मे स्थित है। 4.00% से कम पर्ती भूमि के अन्तर्गत 8 न्याय पंचायते है। जिसके अन्तर्गत 856 हे० (7.99%) क्षेत्रफल है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते दक्षिण भाग पर आवाद है। सबसे कम पर्ती भूमि महना 1.94% न्याय पंचायत मे है।

1.1.5 चारागाह— अध्ययन क्षेत्र की समस्त भौगोलिक क्षेत्र के 8651 हे० भागपर चारागाह है। विकास खण्ड स्तर पर असोथर 2521 हे० (6.43%) क्षेत्र पर चारागाह है जबकि सबसे कम चारागाह तेलियानी विकास खण्ड में 1060 हे० (4.08%) क्षेत्रफल पर है। जो कि अध्ययन क्षेत्र के मध्य भाग पर स्थित है।

सारणी संख्या 1.12
तहसील फतेहपुर चारागाह

चारागाह का प्रतिशत	क्षेत्रफल		न्याय पंचायतों की संख्या
	हेक्टेयर में	प्रतिशत में	
> 6.00	4328	50.03	19
4.00 – 6.00	2744	31.72	22
< 4.00	1579	18.25	14
योग	8651	100.00	55

सारणी नं० 1.12 से स्पष्ट होता है कि 6.00% से अधिक चारागाह है। क्षेत्र के अन्तर्गत 19 न्याय पंचायतों में 4328 हें (50.03%) क्षेत्रफल है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते पूर्वी भाग में स्थित है। न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक चारागाह है। क्षेत्र थरियांव में तथा सबसे कम चारागाह क्षेत्र हस्त्वा में है इस श्रेणी की न्याय पंचायते दक्षिण पूर्व में स्थित है। चित्र नं० 1.8 से स्पष्ट होता है।

1.1.6 घरों या आवास तथा अन्य भूमि उपयोग— अध्ययन क्षेत्र में घरों तथा अन्य भूमि उपयोग के अन्तर्गत 5860 हें (3.65%) क्षेत्रफल पर है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक अन्न भूमि उपयोग क्षेत्र भिटौरा 1528 हें (6.60%) क्षेत्रफल में है। जो कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरीय भाग में स्थित है। सबसे कम अन्य भूमि उपयोग क्षेत्र बहुआ में 786 हें (2.88%) क्षेत्रफल विकास खण्ड में है।

सारणी नं० 1.13

तहसील फतेहपुर घरो तथा अन्य भूमि उपयोग

घरो तथा अन्य भूमि उपयोग का प्रतिशत	क्षेत्रफल		न्याय पंचायतो की संख्या
	हेक्टेयर में	प्रतिशत में	
> 5.00	1325	22.61	10
3.00 – 5.00	3230	55.12	30
< 3.00	1305	22.27	15
योग	5860	100.00	55

सारणी संख्या 1.13 से स्पष्ट होता है कि 5% से अधिक उच्च श्रेणी के अन्तर्गत 10 न्याय पंचायते सम्मिलित हैं। जिसके अन्तर्गत 10 न्याय पंचायते सम्मिलित हैं। जिनके अन्तर्गत 1325 हैं (22.61%) क्षेत्रफल ही न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक अन्य भूमि उपयोग के अन्तर्गत ख्वाजीपुर सेमरैया के अन्तर्गत 9.77% क्षेत्र में है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हैं। 3.00 से 5.00% के मध्य 3230 हैं (55.12%) क्षेत्रफल के अन्तर्गत 30 न्याय पंचायते हैं। 3.00% से कम अन्य भूमि उपयोग के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायते हैं। जिसके पास 1305 हैं 22.27% क्षेत्रफल है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित हैं। चित्र नं० 1.8 से स्पष्ट होता है।

1.1.7 कृषि क्षेत्र (खेतिहर भूमि)– अध्ययन क्षेत्र मे 113216 हे० क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 71.94% मे है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक खेतिहर भूमि असोथर मे 27570 हे० (70.28%) क्षेत्रफल पर है। जो कि दक्षिण पूर्व मे स्थित है। सबसे कम खेतिहर भूमि विकास खण्ड भिटौरा मे 22877 हे० (68.85%) मे है। जो कि उत्तरी भाग पर स्थित है यहाँ पर अपरदित उबड़ खाबड़ एवं ऊसर युक्त भूमि की अधिकता है।

सारणी संख्या 1.14

तहसील फतेहपुर – कृषि क्षेत्र (खेतिहर भूमि)

कृषि क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्रफल		न्याय पंचायतो की संख्या
	हेकटेयर मे	प्रतिशत मे	
> 80	12581	11.11	5
70 – 80	60960	53.84	29
60 – 70	30500	26.94	15
< 60 से कम	9125	8.11	6
योग	113216	100.00	55

सरणी संख्या 1.14 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे 80% से अधिक खेतिहर भूमि के अन्तर्गत 5 न्याय पंचायते आती है जिनके पास 12581 हे० क्षेत्रफल (11.11) कृषि क्षेत्र है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते पश्चिम एवं दक्षिणी भाग मे स्थित है। यहाँ

की कृषि भूमि समतल सिंचाई की सुविधा तथा यातायात की सुविधा के कारण मुख्य है। 70 से 80% के मध्य 29 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 60960 हें (53.84%) क्षेत्रफल आता है। यह न्याय पंचायते उत्तर पश्चिम मे स्थित है। 60 से 70% के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायतों के मध्य 30500 हें (26.94%) कृषि क्षेत्र है जो कि दक्षिण पूर्वी भाग मे स्थित है। 60% से कम खेतिहर भूमि के अन्तर्गत मात्र 6 न्याय पंचायते सम्मिलित हैं। जिनके अन्तर्गत 9125 हें (8.11%) क्षेत्रफल मे कृषि भूमि है। इस श्रेणी की कृषि के अन्तर्गत ऊसर क्षेत्र अपरदित भूमि यमुना नदी का उबड़ खाबड़ धरातल सिंचाई की असुविधा आदि के कारण यहाँ खेतिहर भूमि कम है तथा अन्य भूमि उपयोग अधिक है। चित्र नं० 1.8 से स्पष्ट होता है।

1.1.8 कृषि दक्षता— कृषि दक्षता प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण मे मानव द्वारा किये गये प्रयासो के फलस्वरूप किसी भूमि की अधिकतम कृषि उपज को प्रकट करती है। जो कृषि दक्षता भौतिक जलवायु मिट्टी सामाजिक एवं आर्थिक (खेतों के आकार, भूमि के प्रकार, तकनीकी तथा संगठनात्मक फसलों का हेरफेर, सिंचाई, यंत्रीकरण, आदि) कारकों के संगठित कार्यों एवं प्रभावों का ही प्रतिफल है क्योंकि इन सभी कारकों मे संगठित प्रयासों के फलस्वरूप ही किसी क्षेत्र विशेष की कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन की मात्रा में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र मे थामस, स्कार्ट, कैण्डाल, स्टैम्प, मो० शफी, सावरे तथा देशपाण्डे भाटिया,

डा० त्रिपाठी, डा० द्विवेदी, डा० शुकला एवं पी० सेन गुप्ता आदि विद्वानों ने मापन प्रतिपादन किये हैं। अतः उपरोक्त विद्वानों के द्वारा किये गये प्रयासों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसकी (कृषि दक्षता) गणना विभिन्न फसलों के अनुपातिक भूमि और फसलों की उपज के आधार पर ही की जाती है। अतः किसी क्षेत्र की कृषि दक्षता निम्न बातों पर निर्भर करती है।

- 1- क्षेत्रीय कृषि इकाई उत्पादन।
- 2- प्रयुक्त श्रमिक इकाई उत्पादन।
- 3- उत्पादन एवं लागत का अनुपात तथा कृषि से लाभ।
- 4- प्रति व्यक्ति उत्पादित अन्न आदि।

अध्ययन क्षेत्र की कृषि दक्षता के मापन से प्रति इकाई उत्पादन ही अत्याधिक उपयुक्त है। क्योंकि क्षेत्रीय इकाई उत्पादन उत्पादन द्वारा किया गया कृषि दक्षता का मूल्यांकन फसलों के प्रति है० उत्पादन पर आधारित होता है। अध्ययन क्षेत्र की न्याय पंचायतों पर कृषि दक्षता भाटिया²¹ की विधि द्वारा आंकित की गई है। जिसमें कृषि दक्षता सूचकांक निकालने के लिये (अ) किसी एक फसल के प्रति है० उपज के अनुपात को क्षेत्रीय इकाई (न्याय पंचायत) की उसी फसल के प्रति है० उपज के अनुपात से निकालकर दिया गया है जिसका पूर्णरूपेण विवरण परिशिष्ट नं० 10 में निहित है तत्पश्चात उसी फसल (अ) के समस्त प्रदेश जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय इकाई का प्रसार है। तहसील के औसत प्रति है० उपज के सन्दर्भ में निकाली गई है। इस प्रकिया से कृषि

दक्षता की गणना करने में उसके (अ) फसल समस्त बोये गये क्षेत्र के अंश का सम्बन्ध भी शामिल हो जाता है। अतः शोध क्षेत्र की दक्षता के मूल्यांकन का आधार निम्नवत है²² यथा—

$$1 \text{ ya} = \frac{\text{yu}}{\text{ypc}} \times 100$$

$$1 \text{ ya} = \frac{\text{yc}}{\text{yr}} \times 100$$

$$A \cdot I \text{ ya} = \frac{\text{yo}}{\text{yr}} \times 100$$

As $A = 1 \text{ ya}$ = (yield in den of cropa)

$B = yc$ = Acre yield of crop a in
combenent area of

$C = yr$ = Acre yield of cropa in the

$D =$ There repion

उपरोक्त सूत्र के अनुसार वाई० सी० न्याय पंचायत के क्षेत्र से तात्पर्य है जबकि वाई० आर० तहसील के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है अतः सम्पूर्ण तहसील की 55 न्याय पंचायतों को सभी फसलों के प्रति हे० उपज के माध्यम से ही फसल उपज दक्षता ज्ञात की जा सकती है परन्तु वास्तविक कृषि दक्षता की जानकारी के लिये सम्पूर्ण प्रदेश के सम्पूर्ण फसलों क्षेत्र के प्रतिशत से विभाजित करना आवश्यक है। जिसके लिये निम्न सूत्र को आधार माना गया है। यथा—

$$E1 = \frac{1ya + ca + yb \times cb}{Ca Cb} - 7yn$$

While $E1 = Egrialral ficient yield$
 $1yb$

And $Ca - Cb - Ch - y$ at Total Cropped Area

उपरोक्त आंकलन के आधार पर शोध क्षेत्र की अध्ययन इकाई (न्याय पंचायत) को 10 – 8 की विभाजक रेखा द्वारा दक्षता कोटी का निर्धारण किया गया है जो कि तालिका नं० 1.15 से ज्ञात होता है फतेहपुर तहसील की 10 विविध फसलो के प्रति हेक्टेयर उपज को उपरोक्त दो सूत्रो के द्वारा कृषि दक्षता का आंकलन करके तत्पश्चात उसे सूचकांक के सीमा के अनुसार उपरोक्त 6 कोटियों (उच्चतर, उच्च मध्यम, निम्न, निम्नतर और निम्नतम) में विभाजित किया गया है। जिसका न्याय पंचायतवार परिणाम निम्नवत है।

सारणी संख्या 1.15

फतेहपुर तहसील – कृषि दक्षता सूचकांक

दक्षता सूचकांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत	कोटि	न्याय पंचायते
120.1 से अधिक	19590	15.20	उच्चतर	मोहनखेड़ा, कॉधी, कोराई जगतपुर, जमुरावॉ, अयाह, बहरामपुर, शाह
110.01 – 120.00	25501	19.81	उच्च	रावतपुर, खानपुर तें, बड़नपुर, हस्ता, कुसुम्पी, खेसहन, बनरसी शिं, असोथर = 8

100.01 – 110.00	17893	13.90	मध्यम	बहुआ, अलावलपुर, चुरियानी, सेमरी, नरैनी, बरारी, सनगाँव = 7
90.1 – 100.00	11883	9.24	निम्न	देवरी लक्ष्मणपुर, तारापुर, तालिबपुर लोहारी, मवइयापुर, फरसी = 6
80.1 – 90.00	21369	16.60	निम्नतर	हसनपुर, बेरागढ़ीवा, हुसेनगंज, चकस्करन, बड़ागाँव, महना, कंधियॉ देवलान, दतौली, मुत्तौर = 10
80.01 से कम	32513	25.25	निम्नतम्	चित्तिसापुर, मकनपुर, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, ढकौली, सनगाँव, मुराँव, ख्वाजीपुर, सेमरैया, थरियॉव, गाजीपुर, गम्हरी, सॉखा, कोणडार, कोर्कनक, सरवल, जरौली, सातोजोगा = 17

स्रोत – डी० पी० सक्सेना – भूमि उपयोग इटावा जनपद शोधग्रन्थ का० वि०

1972 – पृ० 42

तालिका नं० 1.15 से स्पष्ट होता है कि तहसील का कृषि दक्षता 921.43 है। जो क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कमशः उच्च एवं मध्यम है। चित्र नं० 1.12 से तहसील की न्याय पंचायत स्तर पर कृषि दक्षता प्रदर्शित होती है। जो 52.14 से 124.39 के मध्य भिन्न भिन्न है। आधुनिक कृषि के विकास की सुविधाओं के कारण

न्याय पंचायत स्तर के आधार पर कृषि दक्षता के माध्यम से क्षेत्र में कृषि विकास को चित्रित किया गया है।

- 1- **उच्चतम कृषि दक्षता क्षेत्र-** इस कोटि के अन्तर्गत मोहनखेड़ा, कोराई, जगतपुर, कांधी, जमुरांवा, अयाह, बहरामपुर, तथा शाह आदि ७ न्याय पंचायते हैं। जिनकी कृषि दक्षता 120.1 से अधिक है। इस वर्ग के अन्तर्गत शोध क्षेत्र की 19590 हेक्टर कृषि भूमि है। जो समस्त कृषि भूमि का 15.20% है इन उपरोक्त न्याय पंचायतों में सर्वाधिक कृषि दक्षता मोहन खेड़ा (124.39), कांधी (123.74) और जमुरांवा (122.70) है यहाँ पर उच्चतर कृषि दक्षता का कारण सिचाई की सुविधा रासायनिक खादों एवं उन्नतिशील बीजों तथा वैज्ञानिक कृषि का विकास, उच्च जल स्तर युक्त दोमट मिट्टी समतल धरातल उत्पादित अन्नों को बाजार तक भेजने की यातायात की सुलभता आदि है उपरोक्त न्याय पंचायतों की कृषि दक्षता राष्ट्रीय स्तर पर (पी० सेन० गुप्ता) उच्च दक्षता कोटि में आती है जैसे कि चित्र नं० 1.12 अ से स्पष्ट है। जबकि पी० सेन० गुप्ता के अनुसार तहसील की कोटि का विवरण परिशिष्ट नं० 5 से स्पष्ट हो जाता है।
- 2- **मध्यम कृषि दक्षता कोटि-** अध्ययन क्षेत्र के कृषि दक्षता मानचित्र संख्या 1.13 के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तुत दक्षता क्षेत्र में फतेहपुर तहसील की बहुआ (102.74) अलावलपुर (101.74) चुरियानी (104.77) सेमरी (107.14) नरैनी (101.25) वरारी (102.09) सनगाँव (108.35) आदि न्याय पंचायतों का 17893

हें कृषि क्षेत्र आता है जो अध्ययन क्षेत्र की समस्त कृषि भूमि का (13.90%) है। यहाँ पर कृषि विकास की सुविधाये उपरोक्त कृषि दक्षता क्षेत्रों की तुलना में अल्प है। इसी से यहाँ पर कृषि दक्षता गिरी हुई है उक्त दक्षता युक्त न्याय पंचायते बिखरे प्राशय पर द्रष्टव्य है। जैसा कि चित्र नं० 1.9 से स्पष्ट है।

- 3-** उच्च कृषि दक्षता क्षेत्र— इस दक्षता कोटि के अन्तर्गत शोध क्षेत्र की मात्र 8 न्याय पंचायते हैं। जो कृषि दक्षता कोटि की 110.1 से 120.0 तक की श्रेणी में आती है। इस दक्षता क्षेत्र के अन्तर्गत शोध क्षेत्र की कृषि भूमि का 19.87% (25501) हें पर भाग प्रयुक्त है।

यहाँ पर उच्च दक्षता कोटि की न्याय पंचायतों की सुविधाओं की तुलना में कृषि सुविधाओं की कमी है अतः इसी कारण यहाँ पर दक्षता मान 111.12 (कुसुम्भी) से 117.74 (असोथर) के मध्य भिन्न भिन्न है। चित्र नं० 1.12 अ के सूक्ष्म निरिक्षण से ज्ञात होता है कि इस दक्षता कोटि का अधिकांश फैलाव क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में है। पर दक्षता कोटि का आंकिक विवरण तालिका नं० 1.15 से स्पष्ट होता है।

- 4-** निम्न कृषि दक्षता क्षेत्र— अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र 6 न्याय पंचायते देवरी लक्ष्मणपुर, तारापुर, तालिबपुर, लोहारी, मर्थईयापुर और फरसी इसके अन्तर्गत आती है जिसका फसली क्षेत्र 11893 हें (9.24%) है। यहाँ पर मध्य दक्षता क्षेत्र से भी कम कृषि विकास की सुविधाये हैं जिसमें देवरी लक्ष्मणपुर, लोहारी,

मथुरापुर न्याय पंचायतो मे अपरदन के कारण कृषि दक्षता निम्न है। जिनकी दक्षता का आंकिक विवरण तालिका नं० 1.15 से स्पष्ट होता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी उपरोक्त न्याय पंचायतो की स्थिति दयनीय है जैसा कि चित्र नं० 1.12 से व्यक्त होता है।

- 5- निम्नतर कृषि दक्षता क्षेत्र— तहसील फतेहपुर का 21369 हें कृषि क्षेत्र इसके अन्तर्गत आती है। जिसका 16.60% है इस स्तर की न्याय पंचायतो में हसनपुर (85.85), हुसेनगंज (82.14), बेरागढ़ीवा (85.73), चकसकरन (88.07), बड़ा गाँव (85.14), महना (84.75), कधियां (80.35), दतौली (80.18) तथा देवलान (80.20) है। यहाँ पर दक्षता की निम्नतर कोटि होने का महत्वपूर्ण कारण ऊसर युक्त मिट्टी, अपरदन की सक्रियता, प्राविहत होना किसानो के प्रति कृषि अधिकारियो का अनेपेक्षित स्वभाव तथा किसानो का परम्परावादी दृष्टिकोण प्रमुख है। इस कोटि की अन्य न्याय पंचायतो की स्थिति का आंकिक विवरण परिशिष्ट नं० 10 से स्पष्ट है कि इस दक्षता कोटि वाली न्याय पंचायतो के काफी क्षेत्र पर ऊसर भूमि की विद्यमानता है। परन्तु इसका प्रारूप बिखरा है। जैसा कि चित्र नं० 1.12 से स्पष्ट होता है।

- 6- निम्नतम् कृषि दक्षता क्षेत्र — चित्र नं० 1.12 के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र (32513 हें) निम्नतम् दक्षता कोटि में आता है जो कृषि क्षेत्र का 25.25% है। यहाँ पर निम्नतम् दक्षता का महत्वपूर्ण कारणो से नियमित एवं

समुचित सिचाई के साधनों का अभाव अनुपयुक्त ऊसर युक्त की अधिकता की इस प्रकार की न्याय पंचायतों में प्रमुख रूप से सांख (65.85%), गम्हरी (64.77%) अपरदन से प्रभावित उबड़ खाबड़ धरातल कोण्डार, कोर्कनक, सरवल, जरौली, थरियॉव, मकनपुर, आदि जंगली क्षेत्र व्यवस्थित यातायात के साधनों का अभाव, उर्वरको, शोधित बीजों का नगण्य एवं उपेक्षित प्रयोग निम्नतम जल स्तर नगरीय केन्द्रों से दूरी एक फसली क्षेत्र के कारण किसानों के पास पर्याप्त भूमि की अधिकता साथ ही गरीबी के कारण कृषि की ओर अधिक रुचि का होना अशिक्षा परम्परावादी एवं अन्धविश्वास होना है इस दक्षता कोटि के अन्तर्गत आने वाली न्याय पंचायतों का अधिकतर भाग गंगा यमुना नदीयों के किनारे के क्षेत्र पर है जिसकी दक्षता का अंकिक विवरण तालिका नं० 1.15 तथा चित्रात्मक वर्णन 1.12 ब से स्पष्ट होता है।


सारणी नं० 1.16

कृषि दक्षता – 2000 – 2001 (पी० सेन० गुप्ता के अनुसार)

दक्षता सूचकांक	कोटि आकार	N.P. Total	न्याय पंचायतों के नाम
120 से अधिक	उच्चतम	7	मोहनखेड़ा, कांधी, कोराई, जगतपुर, जमुरावा, अयाह, बहरामपुर, शाह
100 – 120	उच्च	14	रावतपुर, खानपुर, तेलियानी,


तहसील फतेहपुर: कृषि दक्षता (पी.सी. सेन गुप्ता के अनुसार)

2000–2001



तहसील फतेहपुर: कृषि दक्षता सूचकांक

2000–2001



चित्र स0-1.9

			बड़नपुर, हस्वा, कुसुम्भी, खेसहन, बनरसी, शिवगोविन्दपुरी, असोथर, सनगाँव, बरारी, नरैनी, सेमरी, चुरियानी, बहुआ
80 – 100	मध्य	16	अलावलपुर, देवरी, लक्ष्मनपुर, तारापुर, तालिबपुर, लोहारी, हसनपुर, मर्वईयापुर, हुसेनगांज, फरसी, बेरागड़ीवा, महना, बड़ा गाँव
60 – 80	निम्न	15	चित्तिसापुर, मकनपुर, लतीफपुर, मो० बुर्जुग, ढकौली, सनगाँव, मुर्रौव थरियाँव, गाजीपुर, गम्हरी, सॉखा, कोर्कनक, देवलान, जरौली, सातोजोगा,
60 से कम	निम्नतम	2	कौण्डार, खाजीपुर, सेमरैया

पी० सेन० गुप्ता के अनुसार कृषि दक्षता उच्च सूचकांक के अन्तर्गत 7 न्याय पंचायते आती है जिसकी गति दक्षता 120 से अधिक है जबकि उच्च एवं मध्यम स्तर पर कमशः 100 – 120 एवं 80 – 100 कृषि दक्षता आती है जिसके अन्तर्गत कमशः 14 एवं 16 न्याय पंचायतों में विभक्त है निम्न एवं निम्नतम स्तर की न्याय पंचायतों में कमशः 15 और 2 न्याय पंचायते आती है जिसकी

कृषि दक्षता कमशः 60 – 80 एवं 60 से कम है तालिका नं०

1.11 एवं चित्र नं० 1.12 से स्पष्ट होता है।

1.1.9 शस्य सघनता—किसी भी क्षेत्र विशेष कृषिकृत विशेषताओं से समझने के साथ साथ उस भूमि विशेष की वास्तविक उत्पादन क्षमता सम्भाव्यता है। उसकी भावी सघन रूप का उस क्षेत्र का शस्य सघनता के द्वारा ही समझा जा सकता है। अतः अध्ययन क्षेत्र की शस्य सघनता को निकालने के लिये निम्न सूत्रों का प्रयोग किया गया है²³ यथा—

$$\text{शस्य सघनता} = \frac{\text{कुल फसली क्षेत्र}}{\text{कुल कृषि क्षेत्र}} \times 100$$


फतेहपुर तहसील के अन्तर्गत शस्य सघनता का अवलोकन सारणी नं० 1.17 से किया जा सकता है परन्तु तहसील फतेहपुर की न्याय पंचायत पर शस्य सघनता की कोटि का निर्धारण करने पर तीन कोटिया निर्धारित की गई है इस कोटि के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायते आती है जिसकी कोटि स्तर 358.88 से अधिक है। जिसमें कांधी (362.27) सनगाँव (421.50) ढकौली (438.46) सातोजोगा (871.43) प्रमुख है। जबकि चित्र नं० 2.13 के अवलोकन से पता चलता है कि 100 से कम शस्य सघनता अधिकांश उन्हीं न्याय पंचायतों में दृस्टव्य है जहाँ पर कृषि का कार्य वैज्ञानिक पद्धतियों पर होती है इस कोटि के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायते आती है जिसकी सघनता कोटि 257.22 – 358.88 के मध्य है। जबकि सबसे कम शस्य सघनता कोटि के अन्तर्गत 26

तहसील फतेहपुर : सरय सघनता

संकेत 358.89 तथा अधिक

257.22-358.89

257.22 से कम



चित्र स0-1.10

तहसील फतेहपुर – 2000 – 2001 शास्य सघनता

सघनता कोटिमान	क्षेत्रफल हेंड में	प्रतिशत	न्याय पंचायत सं०	न्याय पंचायत का नाम
358.89 से अधिक	25983	22.95	14	कांधी, ढकोली, थरियैव, सातोजोगा, कुसुम्पी, खेसहन, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, शाह, चुरियानी, बड़गाँव, गाजीपुर, सांखा, नरैनी, सनगाँव
257.23 – 358.88	29067	25.67	13	अलावलपुर, वरारी, तालिबपुर, मकनपुर, लतीफपुर, मो० बुर्जग, बड़गुपर, बहरामपुर, अयाह, बहुआ, महता चक्रकरन, कोण्डार, मुत्तौर, फरसी
257.22	58166	51.38	28	गोहनखेड़ा, रावतपुर, कोराई जगतपुर, खानपुर, तेलियानी, देवरी लक्ष्मणपुर, तारापुर, जमुरांवा, लोहारी, हसनपुर, मथईयापुर, चित्तिसापुर, हुसेनगंज, बेरागढ़ीवा, हस्वा, सनगाँव, मुरारीपुर, मुराँव, ख्वाजीपुर सेमरैया, सेमरी, गमहरी, कोरकनक, दत्तोली, देवलान, सरवल, कथिया, असोथर, जरोली
योग	113216	100.00	55	

न्याय पंचायते आती है जिसमें वही न्याय पंचायते प्रमुख है। जहाँ पर ऊसर भूमि की अधिकता, सिंचाई के साधनों का अभाव, कृषिकृत परम्परावादी स्वरूप अधिक कृषि पर अन्धविश्वास है। जिसका कोटि स्तर 257.22 से कम है। इसके अन्तर्गत मोहन खेड़ा 142.13, रावतपुर 160.83, कोराई जगतपुर 243.25, देवरी लक्ष्मणपुर 247.39 आदि प्रमुख हैं। जिसकी आंकिक पुष्टि सारिणी नं० 1.17 से होती है।

अतः कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र एक उपजाऊ गंगा यमुना के द्वाबे में स्थित होते हुये पिछड़ी कृषि का प्रतीक बना हुआ है। क्योंकि परम्परावादी कृषि के दृष्टिकोण, अशिक्षा, सामाजिक पिछड़ेपन तथा आपसी दुश्मनी आदि कारण महत्वपूर्ण हैं। उपरोक्त कारणों पर काबू करने तथा कतिपस सुझावों को निदान स्वरूप कदम उठाकर क्षेत्रीय कृषि को काफी सुधारा जा सकता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में कृषि के उपयुक्त भूमि होने के कारण कृषि का विकास न होने से उसका विकास रुक जाता है।

1.2 कृषि भूमि उपयोग

1.2.1 कुल बोया गया क्षेत्रफल (सम्पूर्ण फसली क्षेत्र) – अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2000 – 2001 में कुल बोया गया 113216 हें क्षेत्रफल जो कि सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्रफल का 71.25% है विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक कुल बोया गया असोथर 27570 हें (70.28%) क्षेत्र है। तथा सबसे कम बोया गया बहुआ में 20682 हें क्षेत्र है जो कि दक्षिण में स्थित है न्याय पंचायत स्तर पर कुल बोया गया

क्षेत्र सर्वाधिक दक्षिण में कोण्डार 5384 हैं क्षेत्रफल है। सबसे कम कुल बोया क्षेत्र पूर्व में बरारी 1536 हैं क्षेत्र है।

सारणी संख्या 1.18 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 2501 से अधिक कुल बोया क्षेत्र के अन्तर्गत 11 न्याय पंचायते सम्मिलित हैं। जिनके अन्तर्गत कुल बोया गया 36482 हैं (32.22%) क्षेत्रफल है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते उत्तर दक्षिण में स्थित हैं। 2001 – 2500 के मध्य कुल बोया गया क्षेत्र के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायते जिसके अन्तर्गत कुल बोया गया 26474 हैं (23.38%) क्षेत्रफल है। जिसमें रावतपुर 2353 हैं बहरामपुर 2481 हैं न्याय पंचायते प्रमुख हैं। जो कि पूर्व पश्चिम में स्थित है। 1501 – 2000 मध्याय कोटिमान के अन्तर्गत 20 न्याय पंचायते आती हैं जिसके अन्तर्गत कुल बोया गया 36807 हैं 32.51% क्षेत्रफल सम्मिलित है। जिसमें देवरी लक्ष्मणपुर 1994 हैं कोरकनक 1967 हैं प्रमुख न्याय पंचायते हैं। जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। चित्र नं० 1.9 से स्पष्ट है। 1500 से कम निम्न श्रेणी के अन्तर्गत 11 न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं जिसके अन्तर्गत 13453 हैं (11.89%) कुल बोया गया क्षेत्र ही जिसमें मवइयापुर 986 हैं ख्वाजीपुर सेमरैया 753 हैं क्षेत्र की प्रमुख न्याय पंचायते हैं। जो कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व में स्थित है। चित्र नं० 1.5 से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या 1.18

तहसील फतेहपुर – सकल बोया गया क्षेत्र 2000 – 2001

क्रमांक	सकल बोया गया क्षेत्र	कोटि	क्षेत्रफल हेक्टर	प्रतिशत	N.P. Total	न्याय पंचायत का नाम
1	2501 से अधिक	उच्चतम	36482	32.22	11	खानपुर, तेलियानी, जमुरांवा, हस्वा, चुरियानी, गाहरी, कोणडार, दतोली, देवलान, सरवल, असोथर, जरोली
2	2001 से 2500	उच्च	26474	23.38	13	मोहनखेड़ा, रावतपुर, कांधी, कोराई जगतपुर, चितिसापुर, ढकौली, सनगाँव, खुमारीपुर, थरियांव, बहरामपुर, सातोजोगा, सेमरी, कुसुम्भी, महना
3	1501 से 2000	मध्यम	36807	32.51	20	अलावलपुर, देवरी लक्षणपुर, तारापुर, लोहारी, हसनपुर, बेरगढ़ीवा, मोहम्मदपुर झुज्जर्णा, मुरांव, खेसहन, शाह, अयाह, बहुआ, चकसकरन, गाजीपुर, सांखा
4	1500 से कम	निम्न	13453	11.89	11	तालिबपुर, मथईयापुर, हुसेनगंज, फरसी, मकनपुर, लतीफपुर, खाजीपुर, सेमरेपा, नरैनी, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, बड़ा गाँव, कठिंया
	योग	—	113216	100.00	55	

तहसील फतेहपुर: सम्पूर्ण फसली क्षेत्र


(अ)

संकेत

- [■] >2501
- [■■] 2001 - 2500
- [■■■] 2001 - 2500
- [■■■■] <2500

1 0 1 2 3
कि.मी.

न0क्षे0



द्वि फसली क्षेत्र


(ब)

संकेत

- [■] >801
- [■■] 601 - 800
- [■■■] 401 - 600
- [■■■■] <1500

1 0 1 2 3
कि.मी.

न0क्षे0




स) प्रति व्यक्ति कृषि भूमि अनुपात

संकेत(हे.मे.)

- [■] >0.30
- [■■] .25~ 0.30
- [■■■] 0.20 - 0.25
- [■■■■] <0.20

चित्र स0-1.11



अध्ययन क्षेत्र मे बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति (भरण पोषण) की क्षेत्रीय निवासियों का कृषि की तरफ खिंचाव सिंचाई के साधनों का विकास नवीनतम शोधित तथा उच्च उत्पादन वाले उन्नतिशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों औश्र आधुनिक तकनीकी, कृषि उपकरणों का प्रयोग आदि है कृषि भूमि के इस उतार चढ़ाव का कारण सिंचाई के साधनों का अभाव नवीन बीजों तथा उर्वरकों का प्रयोग प्रमुख है। परन्तु जायद की फसल में शाक सब्जियों का प्रायः उत्पादन नगरीय क्षेत्रों के आसपास व्यापारिक दृष्टि से होता है। परन्तु से भी स्थानीय खपत के लिये पर्याप्त नहीं है।

1.2.2 एक से अधिक बार बोया गया (द्विफसली) से – अध्ययन क्षेत्र मे द्विफसली 34398 हे० क्षेत्रफल है। जो सम्म भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.65% है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल हस्वा 7865 हे० है जो कि अध्ययन क्षेत्र के पूर्व मे स्थित है। सबसे कम द्विफसली क्षेत्र तेलियानी 15359 हे० क्षेत्रफल विकास खण्ड मे ही जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है।

सारिणी संख्या 1.19 के आंकिक विवरण से स्पष्ट होता है कि एक से अधिक व बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत 801 हे० से अधिक उच्चतम् कोट स्तर पर 11 न्याय पंचायतें आती हैं जिनके अन्तर्गत 11222 हे० (32.62%) क्षेत्रफल है जिनमें कांधी 855 हे०, ढकोली 957 हे० प्रमुख न्याय पंचायतें हैं जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर यातायात, सिचाई की सुविधा, धरातल, समतल, ऊसर युक्त भूमि का न होना आदि के कारण

द्विफसली क्षेत्र की अधिकता है। 601 – 800 उच्च कोटि स्तर के मध्य द्विफसली क्षेत्र की 15 न्याय पंचायतों में 10324 हैं (30.02%) क्षेत्रफल सम्मिलित है। जिसके अन्तर्गत अलावलपुर 642 हैं खानपुर तेलियानी (723 हैं) द्विफसली क्षेत्र की प्रमुख न्याय पंचायतें हैं जो कि उत्तर दक्षिण में स्थित हैं। 400 हैं से कम निम्न श्रेणी के अन्तर्गत 8 न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं जिपके अन्तर्गत 2610 हैं (7.55%) द्विफसली क्षेत्र है जिसमें कंधिया 327 हैं खाजीपुर सेमरैयया 198 हैं द्विफसली क्षेत्र है जो कि उत्तर दक्षिण स्थित है। यहाँ पर यातायात की असुविधा उबड़ खाबड़ धरातल उपरयुक्त क्षेत्रफल सिंचाई की असुविधा, उर्वरकों का प्रयोग न करना तथा एक फसली क्षेत्र की अधिकता है।

चित्र नं० 1.12 से स्पष्ट होता है।

सारिणी संख्या 1.19

तहसील फतेहपुर – द्विफसली क्षेत्रों का विवरण 2000 – 2001

क्र० सं०	द्विफसली क्षेत्र हें में	कोटि	क्षेत्रफल	प्रतिशूल	N.P. Total	न्याय पंचायत का नाम	
						हें०	
1.	801 से अधिक	उच्चतम	11222	32.62	11	कांधी, ढकोली, असोथर, थरियांव, सातोजोगा, कुसुम्बी, चुरियानी, गाजीपुर, गम्हरी, कोणडार, दत्तौली	
2	601 – 800	उच्च	10324	30002	15	कोराई जगतपुर, अलावतपुर, खानपुर तेलियानी, जमुरांवा, बेरागढीवा, बड़नपुर, हरस्वा, सनगाँव छुमारीपर, खेसहन, शाह, बहुआ, महना, सॉखा, जरौली, सरवल	
3	401 – 600	मध्यम	10242	29.77	21	रावतपुर, देवरी लक्ष्मणपुर, बररी, तालिबपुर, लोहारी हसनपुर, चितिसापुर, मकनपुर, मो० बुजुर्ग, मुर्झू, बहरामपुर, नरेनी, सेमरी, बनरसी, शिं०, अयाह, बड़गाँव, चकासकरन, कोर्कानक, मुतौर, देवलान	
4	400 से कम	निम्न	2610	7.59	8	मोहनखेड़ा, तारापुर, मवईयापुर, हुसेनगांज, फरसी, लतीफपुर, ख्याजीपुर, सेमरेया, कंधिया	
	योग	—	34398	100.00	55		

1.2.3 शुद्ध बोया गया क्षेत्र- अध्ययन क्षेत्र में 110552 हे० भूमि शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत है जो समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल का 69.52% है विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक असोथर 21408 हे० शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व मे स्थित है। सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र विकास खण्ड बहुआ 128.30 हे० मे है जो कि दक्षिण मे स्थित है।

सारिणी संख्या 1.20

तहसील फतेहपुर- शुद्ध बोया गया क्षेत्र

शुद्ध बोया गया क्षेत्र	क्षेत्रफल हे० में	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
> 2500	33733	30.51	10
2000 – 2500	30566	27.65	14
1500 – 2000	32740	29.62	20
< 1500	13513	12.22	11
योग	110552	100.00	55

13513 हे० 12.22% क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया है। इस श्रेणी की न्याय पंचायते दक्षिण पूर्व मे स्थित है। तहसील की न्याय पंचायतो मे कृषिकृत भूमि मे एक बार फसल उगा लेने के बाद भूमि बेकार पड़ी रहती है। इसका मुख्य कारण इन न्याय पंचायतो मे कंकड़ युक्त, बलुई मिट्टी तथा ऊसर भूमि पाई जाती है। गंगा यमुना तथा ससुर खरेदी नं० 1 व 2 आदि नदियो के अपरदन से प्रभावित उबड़ खाबड़ युक्त धरातलीय कृषि क्षेत्र सिचाई के साधनो

का पूर्णतया अभाव साथ ही साथ अन्य स्थानीय अन्धविश्वास तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि आदि कारण है।

1.2.4 प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात— तहसील फतेहपुर में प्रतिव्यक्ति 0.20 है० कृषि भूमि का अनुपात है। विकास खण्ड स्तर पर तेलियानी 0.22 है०, भिटौरा 0.18 है०, हस्वा 0.19 है०, बहुआ 0.19 है० तथा असोथर 0.23 है०, प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात है। न्याय पंचायत स्तर पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात 0.30 से अधिक उच्चतम कोटिमान स्तर पर 5 न्याय पंचायते हैं। जिसमें देवरी लक्ष्मणपुर 0.37 है०, बड़नपुर 0.37 है०, महना 0.31 है०, दतौली 0.34 है०, सरवल 0.32 है० है। 0.26 – 0.30 है० के मध्य 4 न्याय पंचायते लोहारी 0.28 है०, बहुआ 0.29 है०, देवलान 0.27 है० तथा असोथर 0.20 है० क्षेत्रफल पर अपनी जीविका चलाते हैं। 0.21 – 0.25 है० मध्यम कोटिमान पर 17 न्याय पंचायते हैं। जिसमें वरारी 0.22 है०, चितिसापुर 0.22 है०, कुसुम्भी 0.24 है०, में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि है। निम्न कोटिमान 0.22 है० से कम कृषि भूमिके अन्तर्गत 29 न्याय पंचायते हैं जिसमें मोहन खेड़ा 0.18 है० हस्वा 0.19 है० कोरा कनक 0.19 है० कृषि भूमि के प्रति व्यक्ति है। चित्र नं० 1.9 स तथा सारिणी नं० 1.1 से स्पष्ट होता है।

सारिणी नं० 1.21

तहसील फतेहपुर – प्रति व्यक्ति कृषि भूमि अनुपात वर्ष 2000 – 2001 (हे० मे)

क० सं०	प्रति व्यक्ति कृषि भूमि हे० मे	कोटि	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत का नाम
1	0.30 से अधिक	उच्चतम	05	देवरी, लक्ष्मनपुर, बड़नपुर, महना, दतौली, सरवल,
2	0.26 से 0.30	उच्च	04	लोहारी, बहुआ, देवलान, असोथर, वरारी, लतीफपुर, चितिसापुर, ढकौली, सनगाँव, खुमारीपुर, मुराँव,
3	0.21 से 0.25	मध्यम	17	रेमरी, कुसुम्पी, चुरियानी, बड़ागाँव चकसकरन, गम्हरी, मुत्तौर, मोहनखेड़ा, अलावलपुर, सनगाँव, तारापुर, भिटौरा, जमुराँवा, हसनपुर, मथैयापुर, हुसेनगंज, फरसी, लतीफपुर, थरियाँव, बहरामपुर
4	0.20 से कम	निम्न	29	नरैनी, खेसहन, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, अयाह, शाह, गाजीपुर, सांखा, कोर्कनक, कधिंया, जरौली, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, सातोजोगा

सारिणी नं० 1.22

तहसील फतेहपुर – विभिन्न फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल है० में (वाषिक वृद्धि 1991 – 2000 तक)

फसल	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999 – 2000
धन	44200	41931	43217	42325	39425	30272	37849	42432	43055
गेहूँ	42248	41367	47148	44102	46619	37014	47014	49109	47512
जौ	9963	12810	11420	52999	8897	6882	7882	13521	12106
ज्वार	13192	13839	13694	13443	10613	9935	11934	12879	13592
बाजरा	4296	5400	3823	4329	4126	3037	3237	4236	3430
अरहर	5657	5039	5876	5957	4668	3774	4774	6011	5789
चना	28008	28058	22213	21424	22714	14818	22972	25097	24619
उर्द्द	1435	2195	1224	2300	1725	1314	1514	2156	2194
आलू	1677	1103	1332	1346	1256	1015	1115	1027	21388
गन्ना	2969	1841	1366	2223	2722	1587	2087	2314	2145
लाही	1856	1156	1060	1773	1937	2593	2018	2112	1981
सरसों									

1.2.5 तहसील फतेहपुर का फसल प्रारूप – फसल प्रारूप एक समय विशेष पर विभिन्न फसलों के अन्तर्गत बोयेगये क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अध्ययन क्षेत्र के फसल के प्रारूप से ज्ञात होता है कि समस्त फसली क्षेत्र के 60.14% (86039 हें) भाग में खाद्यान बोया जाता है। जिसका उत्पादन लगभग 387097 कु० होता है। 23.59% (37750 हें) भाग पर दालें (चना, उर्द, मूँग, अरहर आदि) बोयी जाती है। शेष अन्य 16.26% (23267 हें) भाग पर अन्य कृषि फसले उगाई जाती है। जिसका उत्पादन 297871 कु० है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश कृषि क्षेत्र का प्रयोग दो ही फसलों के चकों के अन्तर्गत अधिक होता है। जैसा कि सारणी संख्या 1.22 से स्पष्ट होता है।

अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल एवं वार्षिक वृद्धि 2000 – 2001 का विवरण तालिका नं० 1.22 में दिया गया है। वर्ष 2000 में धान 44200 हें गेहूँ 42248 हें जौ 9963 हें ज्वार 13192 हें बाजरा 4296 हें चना 28008 हें, उरद 1435 हें, आलू 1677 हें, लाही सरसो 1856 हें, तथा गन्ना 2965 हें क्षेत्रफल पर बोये गये हैं। 1991 – 1996 वार्षिक वृद्धि के अन्तर्गत गेहूँ 4370 हें, उरद 290 हें, लाही सरसो 81 हें क्षेत्रफल पर वृद्धि हुयी है। धान 4775 हें, जौ 1077 हें, ज्वार 2579 हें, बाजरा 170 हें, अरहर 1029 हें, चना 5295 हें, आलू 421 हें तथा गन्ना 2001 में 245 हें क्षेत्रफल की कमी हुयी है। 1996 – 1999 –

2000 में धान 3630 है, गेहूँ 893 है, जौ 2143 है, अरहर 112 है, ज्वार 2919 है, चना 1895 है, उरद 409 है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है। 1999 – 2000 में धान 43055 है, गेहूँ 47512 है, और 12106 है ज्वार, 13532 है, बाजरा 3436 है, अरहर 5789 है, चना 24619 है, उरद 2194 है, आलू 1388 है, गन्ना 2145 है तथा लाही सरसो 1981 है प्रमुख फसलों के बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत है।

सारिणी नं० 1.23

2000 – 2001 में प्रमुख फसलों का क्षेत्र

क्रमांक	फसलें	क्षेत्रफल है० में	प्रतिशत
1	धान	30272	26.74
2	गेहूँ	37014	32.69
3	जौ	6882	6.08
4	ज्वार	9935	8.78
5	बाजरा	3037	2.68
6	चना	14818	13.09
7	मटर	296	0.26
8	अरहर	3774	3.33
9	उरद	1314	1.16
10	मसूर	12	0.01
11	लाही – सरसो	1803	1.59

12	तिल	122	0.11
13	आलू	1015	0.90
14	गन्ना	1587	1.40
15	मूँग	651	0.58
16	अन्य	684	0.60
	योग	113216	100.00

स्रोत – फतेहपुर तहसील कार्यालय से

तालिका नं० 1.23 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 1996 में प्रमुख फसलो के अन्तर्गत धान 30272 है० गेहूँ 37014 है० जौ 6882 है० ज्वार 9935 है० बाजरा 3037 है० चना 14818 है० क्षेत्रफल पर बोया गया जो समस्त बोये गये क्षेत्रफल का कमशः 26.74%, 32.69%, 6.08%, 2.68% तथा 13.05% है। उरद 1314 है० (1.16%) अरहर 3774 है० 3.33% आलू 1015 है० 0.90% गन्ना 1587 है० 1.40% बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत है।

1.2.6 कृषि फसलो का विवरण प्रतिरूप – अध्ययन क्षेत्र तालिका नं० 1.24 के गहनतम अध्ययन से ज्ञात होता है कि सन् 1990 – 1991 में खाद्यानो के अन्तर्गत 86039 है० क्षेत्र पर जिसका उत्पादन लगभग 135386 कु० हुआ था। परन्तु खाद्यानो के इस उत्पादन की प्रगति 1993 – 1994 और 1996 – 1997 सत्रो में कमशः 146666 कु० और 185423 कु० रहा। जो कृषि विकास

सारिणी नं० 1.24

फसलों का उत्पादन एवं विवरण

सत्र	खाद्यान्य		दालें		अन्य	
	क्षेत्रफल हेठो में	उत्पादन कुंठो	क्षेत्रफल हेठो में	उत्पादन कुंठो	क्षेत्रफल हेठो में	उत्पादन कुंठो में
1990 – 91 तहसील फतेहपुर जनपद	86039 3102945	1353286 3102947	1949 6645	387630 1028317	752 1788	1099406 3816080
1993 – 94 तहसील फतेहपुर जनपद	11376 276725	146666 348840	31359 82957	32238 87425	3569 10941	119359 395570
1996 – 97 तहसील फतेहपुर जनपद	113621 276027	185423 387097	31031 82725	59326 114876	3170 10636	108643 297871
1999 – 2000 तहसील फतेहपुर जनपद	136459 279686	236485 406765	30056 81566	60468 125678	4286 11543	138534 305463
2000 – 2001 तहसील फतेहपुर जनपद	136966 276848	229986 408669	32034 83199	62643 135986	4363 12546	148646 310054

ओत - कार्यालय फतेहपुर तहसील से

के वर्तमान परिपेक्ष्य में अध्ययन क्षेत्र में खाद्यानों का उत्पादन कम है। जबकि इन्हीं कृषि कार्यों में दलहनों का उत्पादन क्रमशः 32238 कु० और 59326 कु० रहा जो जनपद की अन्य तहसीलों की अपेक्षा अधिक था।

सारणी संख्या 1.25

फतेहपुर तहसील— ऋतुवत् फसले

ऋतुवत् फसलों के नाम	क्षेत्रफल हेठो में	प्रतिशत
रवी	65714	58.04
खरीफ	45745	40.41
जायद	1757	1.55
योग	113216	100.00

अध्ययन क्षेत्र में ऋतुवत् फसलों के अन्तर्गत रवी की फसल (65714 हेठो) 58.04% क्षेत्रफल पर बोयी गयी जबकि खरीफ की फसल के अन्तर्गत कुल प्रतिवन्दित 45745 हेठो 40.41% क्षेत्रफल है। जायद की फसल के 1757 हेठो 1.55% क्षेत्रफल पर उगाई गयी है। सारणी संख्या 1.25 से स्पष्ट होता है।

1.2.7 ऋतुवत् फसलों का अंकुरण, विद्धि एवं पकने के लिये निश्चित तापक्रम, वातावरण की आर्द्धता, वायुवेग, वर्षा की प्रचुरता एवं समय आदि पर निर्भर करता है। जलवायु विविधता के कारण शोध क्षेत्र में भी तीन विभिन्न ऋतुयें होती हैं। जिनके अनुसार कृषि प्रारूप निश्चित होता है।

सारिणी संख्या 1.26

फतेहपुर तहसील – खरीफ की फसलों का प्रतिवेदन क्षेत्र


फसलें	क्षेत्रफल हें में	प्रतिशत
धान	30272	67.18
ज्वार	9935	21.72
बाजरा	3037	6.64
मूँग	608	1.33
उर्द	1314	2.87
मक्का	95	0.21
अगहनी अरहर	362	0.79
सफेद तिल	109	0.24
काले तिल	13	0.02
योग	45745	100.00

स्रोत – तहसील मुख्यालय – फतेहपुर

अध्ययन क्षेत्र में धान की कृषि का प्रतिवेदित क्षेत्रफल 60% से अधिक 21 न्याय पंचायतों में है। जिनमें 14612 हें 348.27% धान बोया गया। 10 – 20 – 40% के मध्य 16 न्याय पंचायतों में 8972 हें 829.64% क्षेत्रफल है। 20% से कम धान 18 न्याय पंचायतों में है जिसमें 6688 हें 822.09% क्षेत्रफल पर धान की खेती की गई है। तालिका नं० 1.26अ।

तहसील फतेहपुरः सस्य प्रारूप

2000–2001



चित्र स0-1.12

सारिणी संख्या 1.26 अ

फतेहपुर तहसील – धान की खेती

धान का प्रतिशत	क्षेत्रफल हें में	प्रतिशत	न्याय पंचायत सं०
60	14612	48.27	21
20.40	8972	29.64	16
20	6688	22.09	18
योग	30272	100.00	55

अध्ययन क्षेत्र में 9935 हें भूमि पर ज्वार की खेती की जाती है। 20% से अधिक ज्वार उगाने वाले 16 न्याय पंचायते हैं जिनके अन्तर्गत 3416834.38% क्षेत्रफल है। 15 – 20% के मध्य ज्वार की खेती 20 न्याय पंचायतों में 3628 हें 36.52% खेती की गई 15% से कम ज्वार की खूटी का क्षेत्रफल 19 न्याय पंचायतों में है। जिनके अन्तर्गत 2891 हें 20.10% क्षेत्रफल है। सारिणी नं० 1.26 ब ।

सारिणी संख्या 1.26 ब

फतेहपुर तहसील – ज्वार

ज्वार का प्रतिशत	क्षेत्रफल हें में	प्रतिशत	न्याय पंचायतों की संख्या
20	3416	34.38	16
15 – 20	3628	36.52	20
15	2891	29.10	19
योग	9935	100.00	55

विभिन्न तालिकाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि खरीफ फसलों के अन्तर्गत धान 30272 हैं 67.18% ज्वार 9935 हैं 21.72% बाजरा 3037 हैं 6.64% मक्का 95 हैं 0.21% अगहनी अरहर 362 हैं 0.79% सफेद तिल 109 हैं 0.24% काले तिल 0.02% शोध क्षेत्र में बोया गया जो कि इस ऋतु की मुख्य फसले हैं। उच्च ताप और अधिक वर्षा पर निर्भर करती है।

2 - रवी की फसलें— अध्ययन क्षेत्र में इन खाद्यान फसलों को रवी या चैटी फसल के नाम से जानते हैं ये फसले अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में तथा नवम्बर के प्रथम सप्ताह में बोयी जाती हैं। और मार्च एवं अप्रैल के अन्तिम सप्ताह तक पक जाती है। परन्तु सिचाई के अभाव के अथवा किसी कारण कही कही पर ये फसले देर से पकती हैं। इस वर्ग की फसलों के अंकुरण व प्राण्मिक वृद्धि के लिये ठण्डी जलवायु व अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनको पकने के लिये अधिक तापकम या दीर्घ प्रदीप्ति काल की आवश्यकता होती है।

अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ का प्रतिपादित क्षेत्र 32014 हैं। 60% से अधिक गेहूँ 17 न्याय पंचायतों में बोया जाता है। जिसके अन्तर्गत 12263 हैं 33.13% क्षेत्रफल है। 50 – 60% के मध्य 15 न्याय पंचायते 9654 26.08% गेहूँ बोया गया। 50% से कम गेहूँ 23 न्याय पंचायतों में 15097 हैं 40.79% क्षेत्रफल पर गेहूँ की फसल उगायी गयी है।

तालिका नं० 1.27 अ न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक गेहूँ कांधी 5587 हे० तथा सबसे कम गेहूँ सम्बल 543 हे० क्षेत्र में बोया गया ।

सारिणी नं० 1.27 अ

फतेहपुर तहसील – चना का प्रतिवेदित क्षेत्र

चना का प्रतिशत	क्षेत्रफल हे० में	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
20	3689	24.90	14
15 – 20	6773	45.70	24
15	4356	29.40	17
योग	10898	100.00	55

सारिणी नं० 1.27 ब

फतेहपुर तहसील – गेहूँ का प्रतिवेदित क्षेत्र

गेहूँ का प्रतिशत	क्षेत्रफल हे० में	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
60	12263	33.13	17
50 – 60	9654	26.08	15
50	15097	40.79	23
योग	37014	100.00	55

रवी की फसलो के अन्तर्गत गेहूँ के प्रतिपादित क्षेत्र का स्पष्टीकरण कराया गया । सारणी संख्या 1.27 ब –

अ, ब और फतेहपुर तहसील का अध्ययन क्षेत्र में चना का प्रतिवेदन क्षेत्रफल 14818 है० है। जिसमे 20% से अधिक चने की खेती 14 न्याय पंचायतो में 3689 है० 24.90% क्षेत्रफल मे बोया गया। 15 – 20% के मध्य 24 न्याय पंचायतो में 6773 है० 45.70% क्षेत्रफल है। 15% से कम चने का क्षेत्रफल वाली 17 न्याय पंचायते है। जिनका क्षेत्रफल 4356है० 29.40% क्षेत्रफल पर चना बोया गया है। तालिका नं० 1.27 अ

सारिणी संख्या 1.27 स

अध्ययन क्षेत्र – रवी की फसलो का प्रतिवेदित क्षेत्रफल

फसलें	क्षेत्रफल है० में	प्रतिशत
गेंहूँ	37014	56.33
जौ	6882	10.47
चना	14818	22.55
मटर	296	0.45
अरहर	3774	5.75
लाही	1626	2.47
सरसों	277	0.42
मसूर	12	0.02
आलू	1015	1.54
योग	65714	100.00

रवी की फसलों के अन्तर्गत 65714 हैं। प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। जिसके अन्तर्गत गेहूँ 37014 हैं 56.33% जौ 6882 हैं 10.47% चना 14818 हैं 22.55% मटर 296 हैं 0.45% अरहर 3774 हैं 5.75% लाही 1626 हैं 2.47% सरसो 277 हैं 0.42% मसूर 12 हैं 0.02% आलू 1015 हैं 1.54% क्षेत्रफल रवी ऋतु की प्रमुख फसले हैं।

3- जायद की फसले या अन्य फसलें— इस वर्ग की फसले अधिक तापक्रम, अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती है। सूखा व लू सहन करने की क्षमता इस वर्ग की फसलों में पाई जाती है। जो रवी तथा खरफ की फसलों के बाद फरवरी मार्च में बोयी जाती है। इसमें शाक एवं सब्जियाँ ही प्रमुख हैं। जिसमें रामकरेला, कद्दू 62 हैं 3.55% खरबूजा तरबूज 34 हैं 1.94% लौकी, ककड़ी, खीरा, तरोई, 19 हैं 1.08% पालक टिण्डा सूरजमुखी 12 हैं 0.96% गन्ना 1587 हैं 90.32% मूँग नं० 1 व 2, 43 हैं 2.44% बोयी गई प्रमुख फसले हैं।

सारिणी नं० 1.26

फतेहपुर तहसील – जायद की फसलों का प्रतिवेदित क्षेत्र

फसलें	क्षेत्रफल हेक्टर	प्रतिशत
रामकरेला	62	3.53
तरबूज	34	1.94
लौकी	19	1.08
पालक	12	0.69
गन्ना	1587	90.32
मूँग नं० 1 व 2	43	2.44
योग	1757	100.00

परन्तु ये फसले नदियों के किनारे—किनारे की रेतीली वाली मिट्टी में न्याय पंचायतों के अन्तर्गत क्षेत्रों पर बहुत मात्रा में उगाई जाती है। जिसमें कोण्डार, कोर्कनक, जरौली, असोथर, ललौली, सरकण्डी, तथा नगरीय केन्द्रों के पास की न्याय पंचायते प्रमुख हैं। साथ ही साथ निजी साधनों या नहर द्वारा सिचाई की सुविधा है वहाँ पर भी ये फसले बहुतदात से उगाई जाती है। परन्तु जहाँ पर नियमित सिचाई की व्यवस्था है वहाँ पर किसान मूँग नं० 2 तथा 5 भी पैदा करते हैं।

1.2.8 उर्वरक वितरण— संसार के विभिन्न क्षेत्र में हरित कान्ति लाने में विभिन्न प्रार के रासायनिक उर्वरकों नत्रजन, सुपर फास्फेट,

अमोनिया, सल्फेट नवीनतम कृषि यंत्रों, कीट नाशक दवाओं का विशिष्ट योगदान है।

वर्ष 1994 – 95 में अध्ययन क्षेत्र में 3940 मी० उर्वरकों का प्रयोग किया गया जिसमें 3229 मी० ल० नन्नजन, 513 मी० ल० फास्फोरस तथा 198 मी० ल० पोटाश का प्रयोग हुआ। 2000 01 में तहसील पर 9882 मी० ल० समस्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें 7919 मी० ल० 80.14% नन्नजन 1510 मी० ल० 15.28% फास्फोरस तथा 434 मी० ल० 5.58% का प्रयोग किया है।

- 1- नन्नजन— अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2000–01 में समस्त उर्वरकों में 7919 मी० ल० नन्नजन का प्रयोग कियरा गया जो कि समस्त उर्वरकों का 80.14% है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक नन्नजन भिटौरा में 1881 मी० ल० 84.65% प्रयोग हुआ जो कि उत्तरी भाग पर स्थित है। यहाँ कि भूमि उपजाऊ सिंचाई की सुविधा तथा अपरदन एवं ऊसर युक्त भूमि की कमी के कारण ही सबसे कम नन्नजन का उपयोग विकास खण्ड हस्वा में 1263 मी० ल० 79.73% प्रयोग किया जो कि उत्तर पूर्व में है।

सारिणी संख्या 1.29

फतेहपुर तहसील – नत्रजन का प्रयोग



नत्रजन का प्रतिशत	नत्रजन की मात्रा	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
< 85	2014	25.43	14
80 – 85	2846	35.94	16
75 – 80	2020	05.51	15
> 75	1039	13.12	10
योग	7919	100.00	55

सारिणी संख्या 1.29 से स्पष्ट होता है कि 85% से अधिक नत्रजन 14 न्याय पंचायतों में प्रयोग किया जाता है। जिसके अन्तर्गत 2014 मी० 25.43% प्रयोग गया सर्वाधिक नत्रजन न्याय पंचायत स्तर पर हुसेनगंज में 87.83% प्रयोग हुआ इस श्रेणी की न्याय पंचायते उत्तर पश्चिम में स्थित है नगरीय केन्द्र पास होने के कारण पानी, यातायात, समतल भूमि आदि मुख्य कारण है। 80 – 85 के मध्य 16 न्याय पंचायतों में 284 मी० ल० 35.94% नत्रजन प्रयोग किया गया जो कि उत्तरी भाग में स्थित है। 75% से कम नत्रजन 10 न्याय पंचायतों में प्रयोग किया गया जिसमें 103 9 मी० ल० 13.12% नत्रजन इस श्रेणी में प्रयोग हुआ इस श्रेणी की न्याय पंचायते दक्षिण पूर्व में स्थित हैं सबसे कम नत्रजन रावतपुर में 68.69% न्याय पंचायतों में प्रयोग किया गया।

तहसील फतेहपुर : उर्वरक वितरण (मी. टन में)

2000-2001



(अ)



प्रति हे. उर्वरक उपभोग स्तर (कि.ग्रा.)

समस्त उर्वरक उपभोग स्तर

संकेत
नवजन
फास्कोस
पोटाश



चित्र स०-१.१३

2- फास्फोरस- वर्ष 2000-01 में तहसील स्तर पर 1510 मी० ल० फास्फोरस उर्वरक का प्रयोग हुआ। जो समस्त उर्वरको का 15.28% है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक फास्फोरस का प्रयोग तेलियानी मे 452 ती० ल० 18.21% किया गया। सबसे कम फास्फोरस उर्वरको का प्रयोग असोथर मे 244 मी० लम्बी 15.18% किया गया।

सारिणी संख्या 1.30

फतेहपुर तहसील – फास्फोरस उर्वरको का प्रतिशत

फास्फोरस का उपयोग प्रतिशत	फास्फोरस उपयोग की मात्रा	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
7 – 20	379	25.10	10
15 – 20	491	32.52	15
10 – 15	517	34.24	20
< 10	123	8.14	10
योग	1510	100.00	55

सरिणी संख्या 1.30 से स्पष्ट होता है कि 20% से अधिक फास्फेट उर्वरको का प्रयोग 10 न्याय पंचायतो मे किया गया। जिनके अन्तर्गत 379 मी० ल० 25.16% फास्फेट प्रयोग किया। सर्वाधिक फास्फेट उर्वरक न्याय पंचायत स्तर पर बरावरी मे 28.57% प्रयोग हुआ। इस श्रेणी की न्याय पंचायते पूर्वी भाग पर स्थित है। 15 – 20% के मध्य 15 न्याय पंचायतो मे 491 मी०

ल० 32.52% फास्फेट उर्वरक प्रयोग किया गया जो कि उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है। 10% से कम फास्फेट उर्वरको का प्रयोग 9 न्याय पंचायतो में किया गया जिसके अन्तर्गत 133 मी० लम्बी 8.14% फास्फेट उर्वरको का प्रयोग किया गया। सबसे कम फास्फेट उर्वरक का प्रयोग देवलान मे 64 मी० ल० 5.88% हुआ जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। यमुना नदी के किनारे ऊबड़ - खाबड़ धरातल के कारण यहाँ पर उर्वरको का प्रयोग कम हुआ। चित्र नं० 1.5 ।

3- पोटाश उर्वरक— अध्ययन क्षेत्र मे प्रयुक्त पोटाश मात्रा 434 मी० लम्बी है जो समस्त उर्वरको का 4.58% है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक प्रयुक्त पोटाश उर्वरक तेलियानी 155 मी० लम्बी 6.25% है। जो कि नगरीय केन्द्र फतेहपुर के पास स्थित है। सबसे कम पोटाश उर्वरक का प्रयोग विकास खण्ड असोथर में 49 मी० ल० 3.06% हुआ। जिसकी पुष्टि परिशिष्ट नं० 8 से भी होती है।

सारिणी संख्या 1.31 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र पोटाश उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। 6% से अधिक पोटाश उर्वरक 10 न्याय पंचायतो मे प्रयोग किया गया। जिसके अन्तर्गत 110 मी० लम्बी 26.35% पोटाश उर्वरक का प्रयोग न्याय पंचायत स्तर पर वरारी में 13.33% प्रयोग हुआ। इस श्रेणी की न्याय पंचायते उत्तर पश्चिमी तथा नगरीय केन्द्र के पास स्थित है। 4 – 6% के मध्य पोटाश उर्वरक की 24 न्याय

पंचायते सम्मिलित है जिसके अन्तर्गत 232 मी० ल० 53.46% पोटाश उर्वरक प्रयोग किया गया। इस श्रेणी की न्याय पंचायते दक्षिण पूर्व में स्थित है। 4% से कम पोटाश उर्वरको के अन्तर्गत 21 न्याय पंचायते सम्मिलित है। जिनके अन्तर्गत 92 मी० लम्बी 21.19% पोटाश उर्वरको का प्रयोग हुआ। सबसे कम पोटाश उर्वरक का प्रयोग दतौली में 02 मी० ल० 1.53% प्रयोग किया। इस श्रेणी की न्याय पंचायते उत्तर में गंगा तथा दक्षिण में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है।

सारिणी संख्या 1.31

फतेहपुर तहसील – पोटाश उर्वरक का प्रतिशत 2000 – 01

पोटास उर्वरक का प्रतिशत	पोटास उर्वरक की मात्रा	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
6	110	25.35	10
4 – 6	232	53.46	24
4	92	21.19	21
योग	434	100.00	55

वर्ष 2000–01 के अनुसार फतेहपुर जनपद मे 34 किग्रा० प्रति हे० उर्वरक का प्रयोग किया गया जबकि तहसील स्तर पर खागा में 26 किग्रा० प्रति हे० बिन्दंकी मे 33 किग्रा० प्रति हे० उर्वरक का प्रयोग हुआ सिंचाई के साधनो की असम्पन्नता, गरीबी, कृषि, सम्बन्धित प्राचीन परम्परावादी विचार, गोबर की खाद की

सुलभता यातायात के साधनों की शिथिलता आदि सेवाओं के कारण प्रति हें उर्वरकों का प्रयोग कम है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तहसील की सभी न्याय पंचायतों में उर्वरकों के वितरण में असमानता होने के साथ अन्य तहसीलों की तुलना में भी पीछे है यहाँ पर पिछड़ेपन के कारण यह नहीं है। कि यहाँ की मिट्टियों में उर्वरता है बल्कि यहाँ पर अधिकाँश समतल कृषि धरातल पर सिंचाई की कमी और किसानों का देशी खाद के प्रति आकर्षण है।

तां नं० 1.32 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000-01 प्रति हें उर्वरक का प्रयोग उपभोग 3 से अधिक उच्चतम कोटिमान के अन्तर्गत 9 न्याय पंचायतें आती है जिसमें मोहन खेड़ा, कॉधी, कोराई, जगतपुर, जमुरावा, सातोंजोगा, गम्हरी, कोण्डार, असोथर न्याय पंचायते प्रमुख हैं। 2 – 3 उपभोग कुल स्तर के अन्तर्गत 18 न्याय पंचायतों का विभाजन हुआ जिनमें रावतपुर, अलावलपुर, खानपुर, तेलियानी, तारापुर, ढकौली, शाह, कोर्कनक, चुरियानी, हस्वा, गाजीपुर, फरसी, मकनपुर, तथा बनरसी, शिवगोविन्दपुर, न्याय पंचायत प्रमुख हैं। 1.00 – 2.00 उर्वरक उपभोग स्तर के मध्य 19 न्याय पंचायते जाती हैं जिनमें वरारी, लोहारी, हुसेनगंज, बेरागढ़ीवा, बड़नुपर, थरियाँव, खेसहन, अयाह, बहरामपुर, बड़गाँव, चकसकरन, मुत्तौर, दतौली, देवलान, तथा कधिंया न्याय पंचायतों में प्रति हें उर्वरक का निर्धारण किया गया। 1.00 से कम निम्न कोटिमान के अन्तर्गत 10 न्याय पंचायते हैं जिनमें देवरी लक्ष्मनपुर, मवईयापुर, लतीफपुर, सनगाँव,

सारिणी संख्या 1.32

फरेहपुर तहसील – प्रति हेंडे उर्वरक उपभोग मात्रा वर्ष 2000 – 01

उर्वरक उपभोग मी०	कोटि	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायतो का नाम
टन प्रतिशत			
3	उच्चतम्	8	मोहनखेड़ा, कॉथी, कोराई, जगतपुर, जमुरांवा, सातोजोगा, गढ़री, कोणडार, असोथर
2 – 3	उच्च	18	रावतपुर, अलावपुर, खानपुर, तेलियानी, सनगाँव, तारापुर, तालिबपुर, चितिसापुर, फरसी, मकनपुर, ढकोली, हस्ता, नरेनी, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, शाह, गाजीपुर, सांखा, कोरकनक, चुरियानी
1.01 – 2.0	मध्यम	19	वरावरी, लोहारी, हसनपुर, हुसेनगांज, बेरागढ़ीवा, मोहम्मदपुर, बुर्जा, बड़नपुर, थवियाँव, बहरामपुर, कुसुम्भी, खेसहन, अयाह, बहुआ, बड़ा गाँव, चकस्करन, मुत्तौर, दतोली, देवलान, कथियाँ
1.00	निम्न	10	देवरी, लक्षणपुर, मथइयापुर, लतीफपुर, सनगाँव, कसुम्भी, मुरोव, ख्याजीपुर, सेमरेया, सेमरी, महना, सरवल, जरैली,

सेमरीपुर, मुरौव, ख्वाजीपुर, सेमरैया, सेमरी, महना, सखल, तथा जरौली, न्याय पंचायते हैं। चित्र नं० १ (ब)

इन उर्वरको के प्रयोग से अन्य भी स्वादित होता है। इस प्रकार के प्रयोग से ताजे गोबर, जमुरांवा, तेलियानी, बहुआ, कोर्कनक में काफी उत्पादन लेते हैं। इस विधि से सॉखा, फरसी, गम्हरी, देवरी, लक्ष्मणपुर, आदि न्याय पंचायतों की ऊसर भूमि पर सम्पूर्ण तत्वों से युक्त धान की उपज ली जा सकती है। तहसील में उर्वरकों तथा देशी खाद की अपेक्षा हरी खाद का भी प्रयोग बढ़ रहा है। मोहनखेड़ा कोराई जगतपुर, बड़ा गाँव, असोथर, कोडार, आदि न्याय पंचायते सदावाही गंगा नहर के द्वारा तथा तेलियानी, शाह, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, निजी एवं सरकारी नलकूपों द्वारा अधिकांश किसान अप्रैज माह में मूँग नं० १ बो देते हैं। जो जून तक पकती है। इसके बाद जुताई करके खेत में पानी भर देते हैं। जो एक या दो सप्ताह के अन्तर पर हरी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक हें खेत में मूँग नं० १ बोकर हरी खाद बनाने 12 किग्रा० नत्रजन की तात्रा खेत को मिलती है। तहसील में हरी खाद के निर्माण में सनई ढेचा का भी प्रयोग किया जाता है। जबकि सनई ढेचा का पौधा 10 सेमी० का हो जाता है तो उसकी जुताई करके पानी भर देते हैं। इसके प्रयोग से ऊसर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। जो धान के खेत के लिये अधिक उपयोगी है। क्योंकि इसके प्रयोग से खेत में नत्रजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में फसलों की उत्पादन

क्षमता बढ़ जाती है। 1994 – 95 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1300490 कु० या जिससे प्रति हे० उत्पादन 2567 किग्रा० रहा। परन्तु सिचाई तथा खादो के प्रयोग से 185423 कु० हो गया। वर्ष 1980 – 81 में फसलों का व्यक्तिगत उत्पादन 557300 कु० रखी और 161736 कु० खरीफ था। जो बढ़कर 2000 – 01 में 789543 कु० रखी और 173596 कु० खरीफ हो गया। परन्तु न्याय पंचायत स्तर पर यह स्थिति सामान्य ही रही क्योंकि रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग के खेत भी अनुपजाऊ हो जाते हैं। और उर्वरकों के कमवत् सकारात्मक प्रयोग के बिना उत्पादन गिर जाता है। तहसील में सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग मोहनखेड़ा 582 मी० टन, कोडार 502 मी० टन, कॉधी 415 मी० टन, शाह 306 मी० टन, कोराई जगतपुर 435 मी० टन, आदि न्याय पंचायतों में है। परन्तु सबसे कम प्रयोग वरारी, सखल, दतौली, लतीफपुर, मथड़यापुर आदि न्याय पंचायतों में है। न्याय पंचायतों में उर्वरकों के उपभोग स्तर का अंकिक स्पष्टीकरण सारिणी नं० 1.32 अ से होता है।

सारिणी नं० 1.32 अ

फतेहपुर तहसील – उर्वरको का उपभोग स्तर वर्ष 2000 – 01

उर्वरक उपभोग स्तर	कोटि	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायतो का नाम
101 से अधिक	उच्चतम्	8	मोहनखेड़ा, कॉधी, कोराई, जगतपुर, मकनपुर, ख्वाजीपुर, सेमरैया, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, शाह, कोण्डार,
51 – 100	मध्यम	21	रावतपुर, अलावपुर, खानपुर, तेलियानी, सनगौव, तारापुर, तालिबपुर, जमुँरावा, मथइयापुर, चितिसापुर, हुसेनगंज, फरसी, ढकौली, मो० बुजुर्ग, सातोजोगा, नरैनी, गाजीपुर, गम्हरी, सॉखा, कोर्कानक, कधिंया, देवरी,
50 से कम	निम्नतम्	27	लक्ष्मणपुर, वरारी, लोहारी, हसनपुर, बेरागढ़ीवा, लतीफपुर, हस्वा, सनगौव, खुमरीपुर, मुरौव, थरियौव, बहरामपुर, सेमरी, कुसुम्भी, खेसहन, चुरियानी, अयाह, बहुआ, महना, बड़ा गौव, चकस्करन, मुत्तौर, दतौली, देवलान, सरवल, असोथर, जरौली,

तालिका नं० 1.32 अ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000 – 01 में उर्वरक उपभोग स्तर उच्चकोटिमान 101 तथा इससे अधिक 8 न्याय पंचायते आती है। जिसमे मोहनखेड़ा, कॉथी, कोराई, मकनपुर, खाजीपुर सेमरैया, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, शाह, कोडार आदि न्याय पंचायते प्रमुख हैं जो कि अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम में स्थित हैं। मध्यम 50 – 100 कोटिमान के अन्तर्गत 20 न्याय पंचायते आती हैं। जिसमे रावतपुर, रोशनुपर, तेलियानी न्याय पंचायते प्रमुख हैं जो कि पश्चिम तथा दक्षिण में स्थित हैं। 50 से कम कोटिमान के अन्तर्गत 27 न्याय पंचायते आती हैं जिसमे देवरी लक्ष्मणपुर, लोहारी, तथा जरौली आदि न्याय पंचायते प्रमुख हैं जो कि दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पूर्व में स्थित हैं। इन न्याय पंचायतों में ऊबड़-खाबड़ धरातल उपरदन तथा ऊसर भूमि की अधिकता है।

उपरोक्त तालिका नं० 1.32 अ के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर उर्वरकों का वितरण असमान है जिसकी पुष्टि 1.18 द से भी होती है। तहसील के अधिकांश मिट्रिट्यो में नत्रजन की कमी है जिसमे पौधों का अधिकांश विकास नहीं हो पाता है यह फसल के अनुसार पड़ती है। खरीफ की फसलों में धान है। इसके अलावा अन्य किसी भी फसल में उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। गोबर की खाद डालने से खेत में उर्वरता स्थिर रहती है। सिचाई की सुविधाओं से युक्त न्याय पंचायतों में उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तहसील में कम्पोस्ट खाद तथा गोबर की खाद का प्रयोग देशी खाद की रूप

में दिया जाता है। कम्पोस्ट आदि के खाद के गढ़डे बहुआ जमुराँवा, तेलियानी, शाह, असोथर, कोराई, जगतपुर, में अधिक है। इसके तैयार करने की प्रक्रिया में प्रथम पर्त गोबर द्वितीय पर्त के रूप में राख तृतीय पर्त के रूप में खरपतवार तथा पेड़ों की हरी पत्तियाँ और चौथी पर्त पर पुनः गोबर डालते हैं। तत्पश्चात पानी भरकर ढक देते हैं। और सड़ जाने पर खेतों में डालते हैं जिससे खेत पर उर्वरता बनी रहती है। देशी खाद बनाने के लिये घर के पास कुछ दूरी पर एक गढ़डा खोदकर अकमिक ढंग से गोबर और खरपतवार डालते रहते हैं। तत्पश्चात उसे खेत पर डालते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सर्वत्र यह खाद अधिकतर जून और जुलाई तक ही डाली जाती है।

जनपद में इस खाद का प्रयोग खरीफ की फसल तथा रवी की फसल में ही किया जाता है। परन्तु गढ़डे खुले रहने पर ये खाद अल्प नत्रजन वाली होती है। न्याय पंचायत के क्षेत्रीय निवासी वर्षा ऋतु के दिनों में अपने मवेशी खेतों पर ही बॉधते हैं लेकिन क्षेत्र में सिंचाई न्याय पंचायतों में ताजे गोबर को धोलकर धान के क्षेत्र में डालते हैं। जिसमें धान का पौधा हरा भरा और मोटा होता है।

ब— उद्योग धन्धे एवं अन्य व्यवसाय— किसी भी क्षेत्र के विकास में जिस प्रकार से वहाँ कि भौतिक अभिमुखताओं का योगदान होता है। उसी प्रकार वहाँ कि सांस्कृतिक अभिमुखताओं का भी अपना अद्वितीय योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र

है। दो विकसित महानगरों के मध्य स्थित होने के बावजूद यह क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। परन्तु वर्तमान समय में सरकारी तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्र है। औद्योगिक विकास का प्रयास किया जा रहा है। और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास में एक आशाकिंत सफलता मिलेगी।

अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान समय में औद्योगिक ईकाईयों विशेषकर फतेहपुर शहर बिन्दकी, चौडगरा, खागा, थरियाँव, जहानाबाद, बहुआ, मलवा, किशुनपुर, आदि, लघु केन्द्रों के रूप में स्थित है। परन्तु अपेक्षित अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहपुर तथा बहुआ नगरीय केन्द्रों में एवं कुछ न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित उद्योगों को ही सम्मिलित किया गया है। जबकि यहाँ पर वृद्धि स्तर का उद्योग कोई नहीं है। यहाँ पर वृद्धि स्तर की औद्योगिक ईकाईयों के रूप में मात्र दो उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल चित्तौर में इण्डिया इन्सुलेटर प्रा० लि० वरारी, ही है। जिनका कार्य प्रगति में है। जबकि मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में भी तीन मेसर्स क्वालिटी स्टील ट्यूब बिन्दकी रोड तथा महादेव फर्टिलाइजर प्रा० लि० मलवा, और चेक साबुन प्रा० लि० है। जो कि बिन्दकी रोड में स्थित है। परन्तु कुछ फैक्ट्रिया निर्माणाधीन है जो शोध क्षेत्र के बाहर स्थित है। अतः अध्ययन क्षेत्र में स्थापित उपरोक्त दोनों प्रकार के उद्योग वृहद एवं मध्यम श्रेणी के हैं। क्योंकि अध्ययन क्षेत्र

में निम्नांकित तीन प्रकार के उद्योगों का अध्ययन किया जा सकता है। यथा—

1. लघु तथा लघुतर उद्योग— लघु उद्योग की श्रेणी के उद्योग धन्धे अध्ययन क्षेत्र में कुल 35.2% है जो जनपद के सम्पूर्ण लघु उद्योगों का बहुत कम है। इनमें राइस तथा दाल मिल कोल्ड स्टोरेज, आटा मशीन, एलोपैथिक दवाईयाँ बनाने में ही तथा फर्नीचर टीन कन्टेनर्स, जनरल मर्चन्ट के सामान, इंजीनिसरिंग वर्कशाप, टी० वी० — प्रिन्टिंग प्रेस, कम्प्यूटर आदि प्रमुख है। जो मुख्यतया अध्ययन क्षेत्र के फतेहपुर तहसील एवं जनपद का मुख्यालय नगरीय क्षेत्र तथा बहुआ नगरीय क्षेत्र में केन्द्रित है। चित्र नं० 1.15 से स्पष्ट होता है कि उर्पयुक्त उपयोगों में से कुछ ग्रामीण कृषि संसाधनों पर आधारित उद्योग धन्धे हैं। जो नगरीय क्षेत्र के अलावा न्याय पंयायतों में विकसित है। जिनकी संख्या का आंकिक विवरण सारणी नं० 1.38 से स्पष्ट है।

सारणी नं० 1.38

फतेहपुर तहसील — उद्योग धन्धे 2000 – 01

उद्योगों के प्रकार	इकाईयों की संख्या
कृषिचर	135
वन	66
रसायन	09
प्लास्टिक	11

पेपर	14
मिनरल	01
मेण्टल	44
रिपेयरिंग	25
पशुपालन	106
अन्य	3
कुल योग	472

स्रोत – जिला उद्योग केन्द्र फतेहपुर

2. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग— तालिका नं० 1.15 उपरोक्त के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगो में मुख्यतः कृषि उत्पादनो पर आधारित परम्परागत उद्योग है। जो न्याय पंचायत स्तर पर चलाये जा रहे हैं। इनमे कृषि, वस्त्र, पशु चर्म तथा धातु पर आधारित है। और इसके अन्तर्गत हथकरघा कालीन बुनाई मिट्टी के बर्तन बनाना, लुहारगीरी, बढ़ईगीरी, चर्मकारी, चर्मकला, बॉस की टोकरी बनाना, एवं पीतल के बर्तन बनाना प्रमुख हैं।

3. सहकारी समितियाँ— उपरोक्त विभिन्न उद्योगो को सम्बन्धित विभागो द्वारा विशेष रूप से यहकारिता के आधार पर ही स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अतः सहकारिता के आधार पर ही नगरी एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगियो करे औद्योगिक सहकारी समितियो का निर्माण कर उनको पंजीकृत कराया गया है और कार्यरत इन इकाईयो को सहकारी समितियो के रूप में विभाजित किया गया है।

4. उद्योग धन्धो का वितरण प्रारूप – तालिका नं० 1.38 के अवलोकन से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र मे एक तरफ फतेहपुर, बहुआ, भिटौरा, गाजीपुर, जमुरॉवा, हस्वा, असोथर, आदि न्याय पंचायतो मे कृषि पर आधारित अनाज, दाल, पशुधन, तेलधानी, पर आधारित उद्योगो की केन्द्रियता है तो फरीदपुर, दतौली, कॉधी, फतेहपुर, आदि न्याय पंचायतो मे पशुचर्म पर आधारित केन्द्र अधिक स्थापित है। साथ ही स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे एक विशेष प्रकार के उद्योगो का स्थानीकरण है। इससे विहित होता है कि मोहनखेड़ा, असनी, हुसेनगंज, फतेहपुर, कोराई, जगतपुर, गाजीपुर, बहुआ, असोथर, हस्वा में लौह एवं काष्ठ कला पर आधारित उद्योग धन्धे की केन्द्रियता दृष्टिगत है। सरॉयखलू में 7 एकड़ क्षेत्र मे अर्जुन तथा शहतूत के 5500 वृक्षो का रोपड़ करके रेशम उद्योगो को विकसित करने का प्रयास किया गया है। क्षेत्र मे केन्द्रित उद्योग धन्धो की संख्या तथा स्थानिक स्थित का विवरण तालिका नं० 1.39 से स्पष्ट है कि ग्रामीण कुम्हारी उद्योग बेरागढ़ीवा, शाह, मुत्तौर, फतेहपुर, गाजीपुर, बहुआ, जिवकरा, सॉखा, देवलान, जमुरॉवा, कोर्कनक, बहरामपुर, तथा असोथर आदि न्याय पंचायतो तथा गॉव में खाड़सारी उद्योग – बेरागढ़ीवा, बहुआ, तेन्दुली, शाहजहाँपुर, चुरियानी, विकरा, नरैनी, आदि प्रमुख न्याय पंचायतो तथा उनके गॉव जो अध्ययन क्षेत्र में गंगा और यमुना नदियो के किनारे स्थित है। वहाँ उनके गॉव यथा कोण्डार, कोर्कनक, दतौली, देवलान, जरौली, ललौली, यमुना नदी, तालिबपुर, जमुरॉवा,

असनी, भिटौरा, आदमपुर, नरही, रामपुर, पंचविटा और हसनपुर, आदि गाँवों एवं न्याय पंचायतों में मत्स्य तथा मधुमक्खी पालन के लघु ग्रामीण उद्योग विकसित है। अभी कुछ दशकों से सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर सरकारी प्रोत्साहन के माध्यम से मत्स्य पालन उद्योग न्याय पंचायतों के तालाबों पर भी किया जाने लगा है। परन्तु अनुकूल परिस्थितियों के न होने के कारण मत्स्य उत्पादन से स्थानीय खपत मात्र ही करते हैं। श्यामपुर, फतेहपुर, बहुआ, गाजीपुर, ललौली, मोहम्मदपुर बुर्जुग, असोथर, हस्वा, शाह, खाजीपुर, सेमरैया, में लघु स्तर पर वस्तु उद्योग के रूप में कपड़ों की बुनाई, रंगाई एवं सफाई लघु कुटीर उद्योगों की बहुतायात रूप से केन्द्रित है। शेष अन्य उद्योग धन्धे तथा उनके केन्द्रित स्थान यथा लौह एवं काष्ठ कला, फल प्रसोधन, हाथ का कागज, बेंत बॉस का उद्योग, माचिस तथा अगरबत्ती, एवं प्लास्टिक आदि की केन्द्रियता स्थानिक रूप से सारिणी नं० 1.39 से स्पष्ट है। क्षेत्र में बहुआ, फतेहपुर, दो नगरीय केन्द्र हैं। अतः यहाँ पर सभी उद्योग धन्धे स्थापित हैं।

उद्योग धन्धों पर आधारित अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में इनके विकास में सभी न्याय पंचायतों में यातायात साधनों की शिथिलता ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के लिये बाजार केन्द्रों की दूरी अशिक्षा तथा मुकदमे बाजी – अपनी वित्तीय स्थानों द्वारा प्राप्त होने वाली वित्तीय अनुदान के उपलब्ध कराने के तरीकों से ग्रामीण की शिथिलता तथा उनके प्रति

अधिकारियों का उपेक्षित रवैया ग्रामीण क्षेत्रों पर स्थापित उद्योग धन्धों पर पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से वसूली एवं निरंकुशता आदि प्रमुख कारण है।

सारिणी संख्या 1.39

उद्योग धन्धों के प्रकार तथा उनकी स्थानिक केन्द्रियता 2000- 01

क्रमांक	उद्योग धन्धे	गाँव / न्याय पंचायत का नाम
1	वस्त्र उद्योग	श्यामपुर, फतेहपुर, बहुआ, गाजीपुर, ललौली, असोथर, हस्वा, शाह, खाजीपुर, सेमरैया,
2	अनाज – दाल प्रसोधन तथा तेल उद्योग	फतेहपुर, बहुआ, गाजीपुर, भिटौरा, जमुराँवा, असोथर, हस्वा,
3	लौह एवं काष्ठ कला उद्योग	मोहनखेड़ा, असनी, हुसेनगंज, कोराई, जमुराँवा, गाजीपुर, बहुआ, असोथर, हस्वा
4	गुड़ खाण्डसारी	बेरागढ़ीवा, बहुआ, तेन्दुली, शाहजहाँपुर, चुरियानी, जिवकरा, गाजीपुर, नरैनी, हस्वा
5	चर्मकला – चर्मशोधन	फरीदपुर, दतौली, कॉधी, वसोहनी, असोथर, बहुआ, गाजीपुर, फतेहपुर
6	कुम्हारी कला	बेरागढ़ीवा, फतेहपुर, मुत्तौर, शाह, जिवकरा, सॉखा, देवगाँव, जमुराँवा, कोर्किनक, बहरामपुर, असोथर,
7	माचिस अगरबत्ती	फतेहपुर, बहुआ, गाजीपुर, हस्वा, ललौली, कोराई,

8	फल प्रतिशोधन व फल उपयोगन	फतेहपुर, बहुआ, गाजीपुर, ललौली, असोथर, हस्ता,
9	हाथ कागज तथा बॉस बेंत उद्योग	मोहनखेड़ा, खानपुर, तेलियानीख बहरामपुर, ढकौली,
10	मतस्य मधुमक्खी	फतेहपुर, असनी, भिटौरा, औंगासी घाट, कोरकनक, ललौली, ओती, दतौली घाट
11	रेशम उद्योग	सरांय, साखा

स्रोत – कार्यालय जिला उद्योग फतेहपुर

स— यातायात— फतेहपुर जनपद राज्य के पिछड़े जनपदो मे एक है। परिवहन के साधनो मे रेल, बस, ट्रक, बैलगाड़ी, तॉगा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। जो अपनी सेवा के द्वारा तहसील के साथ ही साथ फतेहपुर जनपद के विकास मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनपद फतेहपुर मे हवाई अड्डा भी है। जो आकस्मिक स्थित या आपातीय स्थित आ जाने पर उतारे जाते है। जिसका सामायिक परिवेश मे पर्याप्त महत्व है।

सारिणी नं० 1.40

फतेहपुर तहसील – यातायात सड़को की लम्बाई 2000 – 01

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	सड़को की लम्बाई कि० मी०	प्रति हजार वर्ग किमी० पर पक्की सड़को की कुल ल०	प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़को की कुल ल०
1	तेलियानी	45	179	52
2	बहुआ	58	209	58
3	भिटौरा	56	165	45
4	हस्वा	59	180	49
5	असोथर	57	141	52
	कुल योग	275	874	256

स्रोत – कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग फतेहपुर

अध्ययन क्षेत्र में इन्हीं राजमार्गों के द्वारा राष्ट्र/प्रदेश तथा
महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ा है। अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख मार्ग जी०
टी० रोड है जो फतेहपुर को एक ओर उत्तरी भारत की औद्योगिक
नगरी कानपुर तथा दूसरी ओर प्रमुख प्रशासनिक तथा शैक्षणिक
केन्द्र इलाहाबाद से सम्बद्ध करती है। स्थानीय रूप से इसके
अतिरिक्त कई राजमार्ग भी हैं। एक दृष्टीय अवलोकन सारणी
संख्या 1.40 से किया जा सकता है।

अ— पथ के सड़क मार्ग— अध्ययन क्षेत्र मे समस्त पद की सड़को की लम्बाई 275 किमी० है। जिसमे यह लम्बाई हस्वा, बहुआ विकास खण्डो मे सर्वाधिक है। सबसे कम सड़को का विकास तेलियानी विकास खण्ड मे हुआ है। यहाँ पर सड़का की लम्बाई मात्र 15 किमी० यातायात सुविधा के दृष्टिकोण से मोहन खेड़ा, सनगाँव, खुमारीपुर, ढकौली, बहुआ, बेरागढ़ीवा, न्याय पंचायते प्रमुख है। जिसका महत्वपूर्ण कारण नगरीय केन्द्रो की निकटता है। और ऊबड़ — खाबड़ धरातल के कारण लतीफपुर, लोहारी, कोर्राकनक, सरवल, जरौली, न्याय पंखयतो में यातायात घनत्व भी कम है। अन्य न्याय पंचायतो मे सड़को की लम्बाई तथा यातायात घनत्व का आंकिक विवरण सारिणी संख्या 1.40 तथा चित्र संख्या 19 से विधिवत ज्ञात किया जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में गंगा और यमुना नदी अपरदन से प्रभावित क्षेत्रो में स्थित न्याय पंचायतो मे सड़को का विकास नहीं है। अतः इसी कारण सहायता की विकास नहीं हो पाया है। जो तहसील के साथ जनपद के पिछड़ेपन का प्रतीक है। तहसील के साथ जनपद के पिछड़ेपन के विवरण को तालिका नं० 1.41 से स्पष्ट किया जा रहा है।

सारिणी नं० 1.41

फतेहपुर तहसील – यातायात राजमार्गों का विवरण

क्रमांक	नाम पद की सङ्केत	लभान्वित ग्राम एवं नगरीय बस स्टाफ
1	जी० टी० रोड	बरा, कासिमपुर, चित्तौरा, फतेहपुर, बिलन्दा, फैजुल्लापुर, हस्वा, कोरा, सदात, कोराई, सनगाँव, खुमारीपुर आदि
2	फतेहपुर – ठिठौरा	फतेहपुर, विवदपुर, सहली, ठिठौरा
3	फतेहपुर – बहुआ	फतेहपुर, शाह, ढकौली, लदगाँवा, बहुआ, महना, गौरी, अदावल, ललौली
4	फतेहपुर – गाजीपुर	फतेहपुर, चुरियानी, सामियाना, गाजीपुर, इन्द्रो, टिकरी, सुकेती, लिलरा
5	फतेहपुर – भिटौरा	फतेहपुर, आलमपुर, मवैया, भिटौरा
6	फतेहपुर – रायबरेली	फतेहपुर, बस्तापुर, बेरागढ़ीवा, हुसेनगंज, जमुराँवा और असनी होकर रायबरेली
7	हुसेनगंज – तालिबपुर असनी होकर	हुसेनगंज, महीदपुर, महादेवपुर, लालीपुर, असनी, तालिबपुर
8	गाजीपुर – विजयीपुर	कधिंया, असोथर, नरैनी होकर विजयीपुर
9	बहुआ – बॉदा सागर	सिंधाव, मुत्तौर, दतौली से बॉदा

स्रोत – पी० डब्लू० डी० एवं रा० स० या० नि० फतेहपुर

और इन सड़को पर ग्रामीण यात्री निरन्तर यातायात व्यवस्था का उपयोग करते हैं जिसका क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

ब— कच्चे कड़क मार्ग— अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतया 9 कच्चे मार्ग हैं। परन्तु जनपद में इन कच्चे मार्गों के अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अन्न के बदले काम योजना में 1981 – 82 में कच्ची या पक्की सड़को से मिलाती हुई लिंक रोड़स बनायी गयी है। 1987 में भी भीषण सूखे राहत में काम के बदले अनाज वाली योजना लागू की गई है। तथा इसमें भी सड़को का विकास बढ़ा है।

तहसील में आवागमन के अन्य साधनो में बसे, लारियॉ, खड़खड़े, ट्रक, टैम्पो, टैक्सी, कार, जीप तथा बैलगाड़ियॉ आदि प्रमुख हैं।

सारिणी नं० 1.42 से स्पष्ट है। चित्तौरा नरायन—रामपुर मार्ग में ट्रक, ट्रैक्टर, खड़खड़ा, बैलगाड़ियॉ चलती है। कच्ची सड़को में कमाँक नं० 2,3,4,5,9,10 में कमशः ट्रक, ट्रैक्टर, खड़खड़ा, ॥ तॉगा ॥ बैलगाड़ी साधनो के द्वारा आवागमन होता है। जबकि कमाँक नं० 6,7,8 की रोड में बस, ट्रक, टैम्पो, कार, जीप, खड़खड़ा, तथा बैलगाड़ी के द्वारा आवागमन होता है।

चित्र नं० 1.14 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि क्षेत्र में अपरदन से प्रभावित एवं ऊसर प्रधान क्षेत्र में आने वाली न्याय पंचायतों तथा गाँव अब भी सड़क यातायात सुविधा से अछूते हैं।

जिससे प्राकृतिक संसाधनो के बावजूद उनका विकास नहीं हो पाया है।

सारिणी संख्या 1.42 के अन्तर्गत फतेहपुर तहसील यातायात कच्ची सड़को का वर्ष 2000 – 01 की स्थिति के अनुसार विवरण किया गया है। इन कच्ची सड़को के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख दस मार्ग हैं।

सारिणी नं० 1.42

फतेहपुर तहसील – यातायात – कच्ची सड़को का विवरण 2000 – 01

क्रमांक	नाम कच्ची सड़के / मार्ग	व्यवस्थित गाँवो के नाम
1	चित्तौरा नारायण रामपुर	चित्तौरा नरायण, चित्तौरा, अल्लापुर, सैनपुर मैलानी, मेडली बुजुर्ग पटमिटा रामपुर आदि
2	हुसेनगंज आम दौलतपुर	हुसेनगंज, जगतपुर, आदिलपुर, बोरकला, आमदौलतपुर
3	हुसेनगंज – हसउपुर	हुसेनगंज, सेमरा गनेशपुर, हसउपुर
4	बिलन्दा ख्वाजीपुर	बिलन्दा, चकमुगल, चकबरारी, मोहम्मदपुर बुजुर्ग, मड़ियॉव, ख्वाजीपुर
5	खुमारीपुर असोथर जरौली	खुमारीपुर, बहरामपुर, टिकरा, हस्वा, असोथर, जरौली
6	असोथर गाजीपुर मार्ग	प्रेममऊ कटरा, बुधरामऊ, सरकी, बवांरा, गाजीपुर

7	गाजीपुर – देवलान	गाजीपुर, सनगाँव, परसेठा, लौगाँव, देवलान, गोकरन
8	गाजीपुर बहुआ मार्ग	गाजीपुर, मकदूमपुर, मासनपुर, करसवाँ, सुजानपुर, बहुआ,
9	शाह दतौली मार्ग	शाह, काजीपुर, पम्मीरपुर, कमलापुर, बड़गाँव, जजरहा, सैबसी, दतौली,
10	गाजीपुर मुत्तौर मार्ग	इन्द्रो, गम्हरी, सॉखा, जिबकरा, घघौरा, देवलान, मुत्तौर

स्रोत – सा० नि० वि० सांख्यकीय पत्रिका 2000-01 फतेहपुर

किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिये यातायात के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सड़क यातायात के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास असंभव है। सड़कों के सकरेपन से दुर्घटनाओं में दृष्टि क्षेत्र में परिवहन निगम की बसों की कम संख्या, सड़कों में पड़ने वाली नदी एवं नालों में सर्वत्र पक्के पुलों का अभाव, सड़कों के किनारे अवैध कब्जे खेतों के प्रति किसानों का मोह, जिससे नई सड़कों के निर्माण में बाधा, परिवहन निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारीयों की असुरक्षा, पुलिस प्रशासन की निरंकुशता और क्षेत्रीय अधिकांश सड़कों का कच्चा होना आदि अध्ययन क्षेत्र के यातायात के विकास में बाधक गम्भीर समस्याये हैं। जिससे अन्य तहसीलों की भौति फतेहपुर तहसील पिछड़ी है। अतः उपरोक्त यातायात संम्बन्धी असुविधाओं को सुधार

करके तथा कुछ अपेक्षित नियमों एवं कानूनों के अनुसार या सुनिश्चित कराकर सुधार किया जा सकता है। यातायात के अपेक्षित सुधारात्मक योजनाओं यथा सड़कों को चौड़ा किया जाय को कार्यान्वित किया जाय। तथा यातायात साधनों के मालिकों को पुलिस प्रशासन के उत्पीड़न से बचने हेतु नियमानुसार बड़े निर्देश जारी किये जाय। सड़के पक्की की जाय जिससे कटाव के समय श्रम की बचत की जा सके। परिवहन निगम की बसों की संख्या में वृद्धि की जाय। नदी – नालों पर स्थायी तौर पर सेतु निर्माण किये जाय। सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कानूनों एवं नियमों का पालन कर्मचारियों से जबरजस्ती कराया जाय और उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व निभाकर यातायात व्यवस्था अत्यन्त सदृढ़ की जाय।

अतः उपरोक्त बातों पर अमल क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था में विकास किया जा सकता है जिससे क्षेत्र का समग्र विकास एवं मानव कल्याण का पथ प्रशस्त हो सके।

- 3- मानव अधिवास-** प्राकृतिक वातावरण के विविध तत्त्वों और मानव के आर्थिक कार्य-कलापों के पारस्परिक सहयोग से किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक भू-दृश्य से मानव अधिवासों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि इन अधिवासों के विविध पक्षों में स्थित आकार, आकृति, निर्माण, बसाव और उनका पारस्परिक सम्बन्ध क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की उपज और मानव जनसंख्या

की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं तकनीकी क्षमता की स्थानिक अभिव्यक्ति होते हैं।

इस मानव अधिवासो का संगठन प्रकृति, मानव, समाज कवच और जाल आदि पॉच घटकों का महत्वपूर्ण यागदान होता है। उपरोक्त घटकों में प्रकृति और कवच भौतिक पात्र तथा मानव समाज और जाल को अन्तः वस्तु की संज्ञा दी जाती है। उपरोक्त पॉच तत्वों एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पारस्परिक गतिशीलता तथा अन्तर्सम्बन्धों की समन्वित पृष्ठभूमि में ही मानव भूदाय का विकास होता है। जिसकी पुष्टि चित्र नं० 1.15 से होती है।

अतः स्पष्ट है कि किसी भी स्थान की बस्तियों पर मुख्य रूप से पॉच पक्षीय परिस्थितिक विज्ञान के तत्वों से सम्बन्धित विभिन्न भौतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्वों का प्रभाव होता है। जैसा कि चित्र नं० 1.15 से स्पष्ट होता है। अतः किसी भी क्षेत्र के मानव वसाव को अध्ययन की दृष्टि से मूलतः दो प्रकार ग्रामीण एवं नगरीय में ही विभाजित किया जा सकता है। मानव अधिवास पृथ्वी पर मानव निर्मित भूदाय वासियों के प्रमुख तत्व है। यह मानवीय प्राणियों के संगठित उपनिवेशों को जिनमें मानव सम्मिलित हो तथा जिसके अन्दर वह रहते हैं। और कार्य का संचयन करते हैं ग्रामीण अधिवासों के आधार पर स्वास्थ्य एवं जनसंख्या का वितरण उस क्षेत्र में पाई जाने वाली भौतिक, सामजिक और आर्थिक विभिन्नताओं से पूर्णरूपेण प्रभावित होता है। लेकिन एक ही तरफ के उदाहरण

वाले क्षेत्र में उनका अस्तित्व आपस में अन्तर सम्बन्धित होता है। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्रों के गात्यात्मक पहलु के साथ—साथ अधिवासों का आकार, प्रकार, घनत्व, दूरी, प्रकीर्णन, प्रदत्ति आदि का विश्लेषण करके अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अधिवासीय प्रारूप का भी विश्लेषण किया गया है। इन सांख्यकीय सूचकों द्वारा अधिवासों के सकेन्द्रण और प्रकीर्णन पृष्ठति को मापने की कोशिश की गई और विश्लेषण हेतु न्याय पंचायतों को क्षेत्रीय इकाई के रूप में चुना गया है।

सारिणी नं० 1.43

तहसील फतेहपुर — जनसंख्या आकार के आधार पर ग्रामों का वर्गीकरण

जनसंख्या का आकार	ग्राम्याकार	समस्त ग्राम सभा संख्या	प्रतिशत	समस्त ग्राम संख्या	प्रतिशत
1000 से कम	लघु	313	58.18	377	70.07
1000 – 2000	मध्यम	99	18.40	138	25.65
2000 – 4000		39	7.25		
4000 – 6000	विशाल	15	2.79	23	4.28
6000 से अधिक		8	1.49		
गैर आबाद गाँव		64	11.89		
योग		538	100.00	538	100.00

स्रोत — जनगणनासार 1991 पार्ट B गाँवों की संख्या तथा वर्ग विभाजन पर आधारित

वर्तमान दशक¹⁹⁹¹ में क्षेत्र के समस्त गाँवों की संख्या 538

है। सारिणी नं० 1.43 से ज्ञात होता है कि 1000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या 313 है। जो समस्त गाँवों की संख्या का 58.18% है। जबकि 1000 – 2000 जनसंख्या आकार के गाँवों का प्रतिशत 18.44 (99) ही है। 2000 – 4000 और 4000 – 6000 जनसंख्या आकार के गाँवों की संख्या क्रमशः 39 (7.25%) और 15 (2.79%) है। लेकिन सबसे कम 6000 से अधिक जनसंख्या आकार के 8 (1.49%) गाँवों की है। जबकि गैर आबाद गाँव मात्र 64 (11.84%) है। परन्तु अध्ययन की सुविधा के अनुसार जनसंख्या के निर्धारण के पश्चात् देखा जाता है कि अध्ययन क्षेत्र में लघु गाँव (1000 से कम जनसंख्या वाले) की संख्या कम अधिकता (377) है।

मध्यम स्तरीय गाँवों (1000 – 4000) की संख्या के अन्तर्गत 138 गाँव है। परन्तु विशाल जनसंख्या वाले गाँवों (4000 से अधिक) की संख्या 23 है। परन्तु अध्ययन भी समस्त ग्राम्याकार गाँवों की संख्या में इसका प्रतिशत क्रमशः 70.07%, लघु 25.65%, मध्यम और 4.28% विशाल गाँव है।

सारिणी नं० 1.44

तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत विकास खण्डवार गाँवों के आकार का विवरण

वर्ष 1991


1	2	3	4	5	6	7
जनसंख्या आकार	तेलियानी	भिटौरा	हस्वा	बंहुआ	टसोथर	योग
200 से कम गाँव की संख्या	08	15	05	05	01	34
जनसंख्या	1077	1785	882	709	94	4547
औसत संख्या	131	119	176	142	94	134
200 – 500						
गाँव की संख्या	30	51	14	25	05	125
जनसंख्या	7340	17454	4852	8278	1979	39943
औसत संख्या	245	342	349	331	396	320
500 – 1000						
गाँव की संख्या	40	42	23	30	16	151
जनसंख्या	28745	28924	17068	22689	12174	109600
औसत संख्या	719	689	742	756	760	726
1000 – 2000						
गाँव की संख्या	15	26	25	14	18	98
जनसंख्या	21612	35982	35841	22801	24813	140004
औसत संख्या	1441	1384	1434	1629	1378	1429

तहसील फतेहपुर :ग्राम्यकार (क्षेत्रफल आधारित)

2000-2001

संकेत

- [Solid black] > 35
- [Cross-hatched] 30 - 35
- [Horizontal lines] 25 - 30
- [Vertical lines] 20 - 25
- [Dotted] < 20




तहसील फतेहपुर :ग्राम्यकार

(जनसंख्या आधारित)

संकेत

- [Solid black] > 2000
- [Cross-hatched] 1500 - 2000
- [Horizontal lines] 1000 - 1500
- [Vertical lines] 500 - 1000
- [Dotted] < 500




तहसील फतेहपुर :ग्राम्यघनत्व

2000-2001

संकेत

- [Solid black] > 0.55
- [Cross-hatched] 0.45 - 0.55
- [Horizontal lines] 0.35 - 0.45
- [Vertical lines] 0.25 - 0.35
- [Dotted] < 0.25



चित्र स0-1.15

2000 – 5000						
गाँव की संख्या	8	12	12	11	12	55
जनसंख्या	28015	32290	36564	32822	32749	162440
औसत संख्या	3502	2691	3047	2984	2729	2555
5000 से अधिक						
गाँव की संख्या	--	1	4	2	4	11
जनसंख्या	--	8046	24686	13449	37819	84000
औसत संख्या	--	8086	6172	6725	9455	7636

स्रोत – वर्ष 1991 जनगणना सार फतेहपुर

अध्ययन क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर गाँवों के आकार का वर्गीकरण किया गया है। 200 से कम जनसंख्या वाले गाँवों विकास खण्ड भिटौरा में 15 गाँव (1785 व्यक्ति) हैं। जिनकी औसत जनसंख्या 119 व्यक्ति प्रति गाँव में है। तथा सबसे कम जनसंख्या गाँव असोथर में एक गाँव में (94 व्यक्ति) है। 200 – 500 के मध्य फतेहपुर तहसील के 125 गाँव (39943 व्यक्ति) जिनकी औसत संख्या 320 व्यक्ति है। इस श्रेणी में सर्वाधिक भिटौरा विकास खण्ड में 51 गाँव हैं। जिसके अन्तर्गत 17454 व्यक्ति तथा औसत जनसंख्या 342 व्यक्ति प्रति गाँव में निवास करते हैं। तथा सबसे कम असोथर विकास खण्ड में 5 गाँव तथा 1979 व्यक्ति हैं। 500 – 1000 के मध्य की जनसंख्या के अन्तर्गत 151 गाँव तथा 109600 व्यक्ति हैं। जिसकी औसत

जनसंख्या 726 व्यक्ति है। इस कोटि समूह के अन्तर्गत सर्वाधिक भिटौरा विकास खण्ड में 42 गाँव तथा 28924 जनसंख्या है। जिसकी औसत संख्या 68 व्यक्ति है। सबसे कम जनसंख्या असोथर में 16 गाँव तथा जनसंख्या 12174 व्यक्ति है। जिसकी औसत जनसंख्या 760 व्यक्ति है। 1000 – 2000 के मध्य की जनसंख्या के अन्तर्गत 98 गाँव के अन्तर्गत 35982 व्यक्ति जिनकी औसत जनसंख्या 1384 व्यक्ति है। इस समूह की सबसे कम जनसंख्या तेलियानी में 15 गाँव तथा 21612 व्यक्ति है जिसकी औसत जनसंख्या 1441 व्यक्ति है। 2000 – 5000 के मध्य की जनसंख्या के अन्तर्गत 36564 जनसंख्या तथा 3047 औसत जनसंख्या है। सबसे कम तेलियानी विकास खण्ड में 8 गाँव में 28015 व्यक्ति तथा 3502 औसत जनसंख्या प्रति गाँव है। 5000 से अधिक जनयंख्या के मध्य 11 गाँव तथा 84000 जनसंख्या के बीच 7636 औसत जनसंख्या प्रति गाँव में आवासित है।

विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक असोथर में 4 गाँवों के अन्तर्गत 37819 व्यक्ति तथा 9455 औसत जनसंख्या है। सबसे कम भिटौरा में एक गाँव तथा 8046 व्यक्ति है। तेलियानी विकास खण्ड में इस कोटि समूह में ऐ भी गाँव नहीं आता है।

1- गाँवों का आकार और गाँवों का घनत्व— ग्रमीण बस्तियों के आकार का वर्तमान विश्लेषणात्मक अध्ययन ग्रमीण जनसंख्या पर आधारित है। गाँवों का आकार और गाँवों का घनत्व निर्धारण में

1991 के जनसंख्या आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। और न्याय पंचायत को क्षेत्रीय इकाई के रूप में माना गया है। ग्रामीण बस्तियों का आकार विवरण तथा घनत्व जनांकिकी आकार से प्रभावित होता है। सामान्यतः क्षेत्र में 1981 की अपेक्षा गाँवों का घनत्व कम है परन्तु विशाल अधिवासों में वृद्धि हुई है। न्याय पंचायत में ग्रामीण अधिवासों का (गाँवों) औसत आकार तथा घनत्व कमशः निम्नांकित सूत्रों से आंकित किया गया है। यथा—

1- अ = ब/स

अ = गाँवों का आकार

ब = समस्त ग्रामीण जनसंख्या

स = समस्त गाँवों की जनसंख्या

2- गाँवों का घनत्व—

घ = क/ख

घ = ग्राम्य घनत्व

क = समस्त गाँवों की संख्या

ख = समस्त ग्रामीण भौगोलिक संख्या

उपरोक्त सूत्रों की व्यवहारिकता के परिणामों से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में फतेहपुर तहसील में प्रति 100 वर्ग किमी० क्षेत्र पर मात्र 34 गाँव हैं।

परन्तु चित्र नं० 1.15 से (गाँवों के आकार क्षेत्र) में न्याय पंचायत स्तर पर गाँव के आकार में असमानता दृष्टिगत होती है। यथा— खानपुर, तेलियानी, तारापुर, गम्हरी, दतौली, देवलान, सरवल,

असोथर, जरौली न्याय पंचायतो मे ग्रामो का विस्तृत आकार पाया जाता है। उपरोक्त न्याय पंचायतो मे विस्तृत ग्राम्याकार के कारण भिन्न-भिन्न है क्योंकि द्विफसली क्षेत्र मे सिंचाई से जल भराव की अधिकता तथा उच्च भागो मे दूर-दूर गाँवो का बसा होना और तहसील का उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या की सघन न्याय पंचायतो कोर्टकनक, दतौली, असोथर, सरवल, जरौली न्याय पंचायतो में अपरदन एवं बाढ़ के कारण गाँवो दूर-दूर ऊँचाई (कगारो और भृगुओ) युक्त धरातल तथा सुरक्षित किनारो के स्थानो पर अपवाद है।

सारणी नं० 1.45

फतेहपुर तहसील – गाँवो का आकार (क्षेत्रफल के आधार पर) 1991

क्रमांक	कोटि सूचकांक	कोटि समूह	क्षेत्रफल हेंड में	प्रतिशत	N.P. Total	न्याय पंचायत का नाम
1	35 से अधिक	उच्चतम्	417.44	26.27	9	खानपुर तेलियानी, तारापुर, गम्हरी, कोडार, सरवल, दतौली, देवलान, असोथर, जरौली
2	30 - 35	उच्च	388.18	24.43	12	मेहनखेड़ा, रावतपुर, कोराई जगतपुर, जमुराँवा, हस्वा, कोडार, थरियॉव,

						बहरामपुर, सातोजोगा, कुसुम्भी, चुरियानी, कोराकनक
3	25-30	मध्यम	320.47	21.17	11	अलावलपुर, देवरी लक्ष्मणपुर, लोहारी, बड़नपुर, सनगाँव, खुमारीपुर, सेमरी, बहुआ, सांखा, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, मुराँव
4	20-25	निम्न	248.49	15.64	11	नरैनी, शाह, महना, सनगाँव, खेसहन, गाजीपुर, कथिंया, मो० बुर्जुग, लतीफपुर, फरसी
5	20 से कम	निम्नतम	214.42	13.49	12	बनरसी, शिवगोविन्दपुर, अयाह, बड़ागाँव, चकस्करन, मथड़यापुर, ख्वाजीपुर सेमरैया, हुसेनगंज, तालिबपुर, वरारी
	योग		1589.00	100.00	55	

अध्ययन क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर गॉवो का आकार उच्चतम श्रेणी 35 से अधिक के अन्तर्गत 9 न्याय पंचायते आती है जिनमें 417.44 हैं (26.27%) क्षेत्रफल है। न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक कोडार (38 हैं) है। 20 से कम क्षेत्रफल के आधार पर गॉवो का आकार के अन्तर्गत 12 न्याय पंचायते आती है जिसमें 214.42 हैं (13.49%) क्षेत्रफल निम्नतम श्रेणी के अन्तर्गत आता है। न्याय पंचायत स्तर पर इस श्रेणी के अन्तर्गत सर्वाधिक लतीफपुर 11 हैं तथा सबसे कम अयाह 9 हैं के अन्तर्गत हैं।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि भौतिक एकरूपता ग्रामीण अधिवासों के समान विवरण से सम्बन्धित है। क्योंकि जैसे—जैसे ग्रामों का आकार बढ़ता जाता है वैसे—वैसे अधिवासों का घनत्व कम होता जाता है। तत्पश्चात् अधिवासों की दूरी और समानता को आंकलित किया गया है तथा प्राप्त परिणामों से यह तथ्य सामने आया कि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में अधिवासों का वितरण समान है क्योंकि प्रस्तावित मध्य प्रसरण से अधिक प्राप्त हुआ है तथा साथ ही याद्रक्षिक मूल्य भी 1.00 से 3 कम प्राप्त हुआ है।

- 2-** गॉवों की आपसी दूरी— अधिवासों का क्षेत्रीय विश्लेषण, अवस्थिति, व्यवस्था को सूचित करता है और यह क्षेत्रीय विस्तार से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है परिगणित माध्यम दूरी ग्रामीण क्षेत्रों पर पाये जाने वाले घनत्व पर निर्भर करती है तहसील की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या 538 गॉवों में निवास करती है राविन्स और

सारिणी नं० 1.46

तहसील फतेहपुर – ग्राम दूरी स्तर

ग्राम दूरी स्तर	कोटि	क्षेत्रफल है० में	प्रतिशत	न्याय पंचां०	प्रतिशत	न्याय पंचायत का नाम
2.51 से अधिक	उच्च	369.93	23.90	9	16.36	बड़नपुर, सातोजोगा, खेसहन, कोडार, कोरकिनक, दतोली, सरवल, असोथर, जरोली
2.01-2.50	मध्य	304.17	20.00	11	19.42	मोहनखेड़ा, चित्तिसापुर, मकनपुर, थरियाँव, नरेनी, सेमरी, कुशुम्भी, सांखा, मुत्तौर, देवलान, कधिंया
1.51-2.00	कम	611.87	39.14	22	40.00	रावतपुर, कांधी, खानपुर तेलियानी, सनगाँव, तारपुर, तालिबपुर, जमुरांवा, हसनपुर, मथडापुर, ढकोली, हस्वा, मुरांव, आयाह ख्वाजीपुर सेमरेया, बहरामपुर, बहुआ, बनरसी, शि०, चुरियानी, महना, बड़गाँव, गाजीपुर, गम्हरी
1.50 से कम अत्यन्त		275.47	17.69	13	23.64	कोरई जग०, अलावलपुर, वरारी, देवरी ल०, फरसी, बेरागढ़ीवा, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, शाह, लोहारी, चकस्करन, हुसेनगंज, सनगाँव, खुमारीपुर
योग		1589.00	100.00	55	100.00	

वार्नेस महोदय ने सर्वप्रथम अधिवासो क्षेत्रीय प्रतिरूपों के ग्रामीण अधिवासों के अध्ययन में ए० वी० मुखर्जी ने इन्हीं के सूत्रों को सुधार कर अपनाया है परन्तु प्रस्तुत अध्ययन में माथुर के सूत्र को अपनाया गया है। जो राविन्स और वार्नेस के सूत्र अधिक उपयुक्त हैं सम्पूर्ण ग्रामीण अधिवास किस्टालर एवं एफ० एन० डैसी के सम्बन्ध अध्ययन क्षेत्र के अनुसार वितरित है²⁸ उपयुक्त सूत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अधिवासों के आकार स्पष्ट दूरी के प्राप्त परिणाम की पुष्टि चित्र नं० 1.16 से होती है। परिणामों के आधार पर स्पष्ट दूरी अध्ययन की दृष्टि से निम्नांकित चार वर्गों में विभक्त किया गया है।

अ— उच्च दूरी 2.51 किमी० से अधिक— इस ग्राम्य दूरी का विस्तार दक्षिण में यमुना नदी से लगी सीमावर्ती न्याय पंचायतों में कोड़ार (3.36) , कोर्कनक (2.52) , दतौली (2.90) , जरौली (2.90) , सरवल (2.75) तथा उससे लगी असोथर (3.84) , सातोजोगा (2.56) प्रमुख है। इस वर्ग की दूरी में अध्ययन क्षेत्र की मात्र 9 न्याय पंचायते आती है जो समस्त न्याय पंचायतों की संख्या का 16.36% है। इस वर्ग में 369.93% है० भूमि है जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र का 23.70% है। यहाँ पर अपरदन भीषण बाढ़ से प्रभावित ऊबड़— खाबड़ धरातल के कारण गाँवों की दूरी अधिक है यहाँ पर अधिकतर मोटी फसले उगाई जाती है जिसमें ज्वार, बाजरा, जौ, चना, अरहर प्रमुख है। चित्र नं० 1.16 से स्पष्ट होता है।

ग्रामीण अधिवास का क्षेत्रीय वितरण कार्य परिगणित मध्य दूरी 2.51 किमी० और प्रति वर्ग किमी० क्षेत्रीय ग्राम्य 0.201 की सहायता से स्पष्ट तथा प्रदर्शित किया जा सकता है क्योंकि जैसे—जैसे दूरी घटती जाती है ग्रामों का घनत्व कम होता जाता है।

- ब— **मध्यम दूरी 2.01 से 2.50 किमी०**— अध्ययन क्षेत्र में इस वर्ग की दूरी का क्षेत्र 304-17 है० (19.47%) है। चित्र नं० 1.6 अ के अवलोकन से पता चलता है कि इस वर्ग के अन्तर्गत दक्षिण में मुत्तौर (2.07), देवलान (2.07), न्याय पंचायते दक्षिण पूर्व में कुसुम्भी (2.27), कधियॉ (2.24), सेमरी (2.04) एवं थरियॉव २३०७ न्याय पंचायते है। उत्तर पूर्व में मात्र दो न्याय पंचायते मकनपुर (2.04), चित्तिसापुर (2.07) इसी क्षेत्र पर स्थित है जिसके अन्तर्गत ग्रामों की आपसी दूरी 1.05 किमी० से 2.50 किमी० के मध्य भिन्न— भिन्न है। इस देरी वर्ग का विस्तार अध्ययन क्षेत्र में बिखरे प्रारूप पर दी है। इसी दूरी के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की 11 न्याय पंचायते आती है। सारिणी नं० 1.46 से स्पष्ट होता है।
- स— **कम दूरी 1.51 से 2.00 किमी०**— यह वर्ग अध्ययन क्षेत्र के 25.14% (611.87) है० मार्ग के धेरे में है। इस भाग में दूरी 1.51 – 2.00 किमी० के मध्य पायी जाती है। इस दूरी वाला क्षेत्र तहसील के दक्षिण पश्चिम ढकौली (1.92), चुरियानी (2.00), गाजीपुर (1.59), अयाह (1.83), रावतपुर (1.89), जमुरांवा (1.90) आदि। उत्तर में गॉव में किनारे की न्याय पंचायते खानपुर

तेलियानी (1.92), तालिबपुर (1.58, ज्ञारापुर (1.58, हसनपुर (2.73) प्रमुख है। जबकि कम दूरी वाली न्याय पंचायतो मे प्रति गाँव जनसंख्या का ऑकलन चित्र नं० 1.16 अ से स्पष्ट होता है।

द- अत्यन्त कम दूरी **1.50** किमी० से कम— अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम अलावलपुर (1.39), कोराई (1.38), उत्तर तथा उत्तरपूर्व लतीफपुर (1.05), मो० बुजुर्ग (1.32), सनगाँव खुमारीपुर (1.40), देवरी लक्ष्मणपुर (1.47), बेरागढ़ीवा (1.39), आदि न्याय पंचायते विभाजित है। इस श्रेणी के अन्तर्गत 275.47 हे० (17.65%) है। और अत्यन्त कम दूरी के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित 13 न्याय पंचायते आती है जो निम्न कोटि सूचकांक मे विभाजित है तथा समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल का (23.64%) है। तथा प्रति ग्राम क्षेत्र की पुष्टि 1.16 से होती है। इस क्षेत्र का मानव अधिवास अति सघन एवं मुख्यकृत प्रकार के प्रारूप मिलते है।

3- प्रकीर्णन प्रवृत्ति— जिन परिसीमित क्षेत्रो मे असमानता से अपेक्षाकृत किसी निश्चित बिन्दुओ से विचलन अंश के मापने को प्रकीर्ण कहते है। किसी भी क्षेत्र में अधिवासो के प्रतिरूपो के उद्भव को उस क्षेत्र में पाये जाने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते है जिसक परिणाम स्वरूप अधिवासो के वितरण प्रतियो मे भिन्नता देखने को मिलती है।

प्रो० किस और डेसी का कार्य भूगोल के क्षेत्र में सबसे अग्रणीय रहा है। निकटतम पड़ोसी बिन्दुओ का सुझाव सर्वप्रथम इवांन्स ने दिया। यह असमानता के वितरण के क्षेत्रीय प्रतिरूपो के

विचलन को किसी बिन्दु से मानते हैं। अब्दुल अजीज ने भी इसी सूत्र पर कार्य किया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के इस प्रयास के अध्ययन में भी निम्न सूत्र का अनुकरण किया गया है और असमान्य के सूचक संकेत को क्लार्क और इवांस के द्वारा प्रस्तावित सूत्र से आंकलित किया गया है यथा—

$$\text{आर० एन०} = \frac{\text{डी० ओ०}}{\text{डी० ई०}}$$

$$\text{आर० एन०} = \text{आर एन वैल्यू}$$

$$\text{डी० ओ०} = \text{डिस्टेन्स आज्वर्ड}$$

$$\text{डी० ई०} = \text{डिस्टेन्ट एक्सपेक्टेड}$$

$$\text{सी०} = \frac{1}{2} \text{ डी०}$$

$$\text{डी०} = \text{डिस्टेन्ट आफ विलिजेज}$$

यह आर० एन० मान अधिवासी दूरी के विचलन के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करता है यदि आर० एन० मान 0.0 है तो पूर्ण गुच्छन 0.7 के आसपास है तो अङ्गमान और आर० एन० मान० 2.15 तक समान होता है। इस सूचक के अन्तिम परीक्षण के लिये प्रसरण से सहसम्बन्धित किया जा सकता है जिसको अग्र संकेत के माध्यम से निकाला गया है यथा—

$$\text{एन० डी०} = \text{नेचर आफ डिस्वेन्सन}$$

$$\text{एन० पी०} = (4 - / 4 \text{ डी०})$$

मानक गति सामान्य प्रारूप वक्त और सम्भाव्य स्तर के माप के आधार पर न्याय पंचायतों के ग्रामीण अधिवासों का अतिरिक्त परिणाम भी आंकलित किया जा सकता है परन्तु शोध विषय की

विषय वस्तु मे अधिभार और दिसभामिकता दोष के बचाव हेतु उनका प्रयोग वांछनीय नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन मे कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं जो समानता से गुच्छित श्रेणी को प्रदर्शित करे। बल्कि प्रत्येक न्याय पंचायत असमानता की अपेक्षा अधिक समानता को प्रदर्शित करती है। फतेहपुर की सभी न्याय पंचायते सामान्य प्रतिरूप की श्रेणी मे आती है। यद्यपि प्रत्येक की आर० एन० मान क्षेत्रीय विस्तार से नियमित किया जाता है। जो कि विष्डर और विदारिस के निष्कर्ष (विस्तृत क्षेत्र मे दिये गये वितरण के चारों तरफ आर० एन० मान कम होगा। से भिन्नता रखता है) प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मे सम्पूर्ण क्षेत्र मे सम्पूर्ण क्षेत्र की वातावरणीय दशाओं मे एकरूपता पाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र की 55 न्याय पंचायतों मे कोई भी न्याय पंचायत असमानता की श्रेणी मे नहीं आती है। प्रत्येक न्याय पंचायत का आर० एन० मान असमानता से एकरूपता की ओर विचलित होता है। असमानता के विस्तार क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होता है। वास्तव मे जैसे-जैसे गाँवों की संख्या बढ़ती जाती है। असमानता अनुरूपता श्रेणी का विस्तार घटता जाता है।

क— समवितरण प्रारूप के पास-


आर० एन० मान 1.20-2.15 तक-

इस समवितरण प्रतिरूप मे अध्ययन क्षेत्र की 21 न्याय पंचायते सम्मिलित होती है। जो बिखरे रूप पर अधिक समानता का चतुर्दिक प्रतिनिधित्व करती है यथा फतेहपुर तहसील के दक्षिण


तहसील फतेहपुर – यादिक्षिक मूल्य (R.N. Vailu)

यादिक्षिक मूल्य	कोटि समूह	क्षेत्रफल हें में	प्रतिशत	N.P.	प्रतिशत	न्याय पंचायत का नाम
		Total				
1.20-2.15	समवितरण प्रतिरूप के पास	579.40	36.44	21	38.18	मोहनखेड़ा, रावतपुर, खानपुर, तेलियानी, बेशगढ़ीवा, मों बुजुर्ग, ढकौली, सनगाँव, खु०, ख्वाजीपुर, से० नरेनी, चुरियानी, गाजीपुर, गमहरी, सांचा, कोरकनक, दतौली, सरवल, कधिंया, सनगाँव,
0.60-1.20	असमान	915.40	57.58	30	54.55	तारपुर, जमुरांवा, लोहारी, हसनपुर, मथुइयापुर, चितिसापुर, हुसेनगंज, फरसी, मकनपुर, लतीफपुर, हरवा, मुरांव, थरियांव, बहरामपुर सातोजोगा, सेमरी, कुसुम्भी, खेसहन, बनरसी, शि०, शाह, बहुआ, महना, अयाह, बड़ा गाँव, कोडार, मुल्तौर, देवलान, असोथर, जरैली
.60 से कम	केंद्रीयकृत वितरण प्रतिरूप के पास	94.20	5.98	4	7.27	कांधी, कोराई, अलावलपुर, बड़नपुर
	योग	1585.00	100.00	55	100.00	

तहसील फतेहपुर : ग्राम्य दूरी



तहसील फतेहपुर : यादृच्छिक मूल्य



में सांखा (1.66) उत्तर में तालिबपुर (1.53) पश्चिम में मोहनखेड़ा (1.39) और पूर्व में ख्वाजीपुर सेमरैया (1.93) है यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र का 579.40 है० (36.44%) मार्ग सम्मिलित है। इस प्रकार ग्रामीण अधिवासों की प्रकीर्णन प्रवत्ति न्याय पंचायत स्तर पर देखने से ज्ञात होता है कि प्रकीर्णन असमानता की ओर है जिसके परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र में विरल बसाव प्रवत्ति है।

ख— असमान वितरण प्रतिरूप के पास—आर० एन० मान० .60 -1.20 तक—

प्रकीर्णन की असमान वितरण प्रतिरूप रेण्डम के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का 915.40 है० भाग आवृत्त है। जो समस्त क्षेत्र का 57.58% है जिसमें सनगाँव (1.07), मकनपुर (1.11), लतीफपुर (1.18), अयाह (1.16) तथा बहुआ (1.16) प्रमुख न्याय पंचायते हैं जो सम्पूर्ण न्याय पंचायतों का 54.55% निवास करती है। असमान वितरण वर्ग अध्ययन क्षेत्र में एक क्रमिक रूप से न होकर बिखरे प्रतिरूप पर फैला है।

ग— केन्द्रीयकृत वितरण प्रतिरूप के पास— आर० एन० मान० .60 से कम —

प्रकीर्णन के केन्द्रीयकृत वितरण प्रतिरूप के अन्तर्गत मात्र 4 न्याय पंचायते आती हैं जो समस्त न्याय पंचायतों का 7.27% है। जिसमें कांधी (.097), कोराई (0.15), अलावलपुर (0.10) तथा बड़नपुर (0.57) न्याय पंचायते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का 94.20 है० (5.98%) भाग सम्मिलित होता है जो 0.60 से कम याद्रिक्षिक मूल्य के अन्तर्गत है।

अधिवास आबाद है। इस प्रकार पानी से सम्बन्धित अध्ययन क्षेत्र में कोर्टकनक, दत्तौली, असोथर, सरवल, जमुरांवा, भिटौरा, तालिबपुर न्याय पंचायतों की ग्रामीण बस्तियाँ हैं। तालाबों के सहारे ही ग्रामीण बस्तियाँ सम्पूर्ण बस्तियों में जीवन यापन करती हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय तालाबों के पास के गाँवों में कुओं के सूख जाने पर उन तालाबों का पानी पीने के काम आता है और सामान्य रूप से तालाब या आसपास काफी गाँवों को पानी की सुविधा देते हैं। से बस्तियाँ सदावाही नदियों के किनारों या भृगुओं पर स्थित हैं तथा कहीं—कहीं सदावाही या सामायिक नदियों द्वारा आने वाले स्रोत (नालों) के सहारे बस्तियाँ विकसित हुई हैं। लघु नालों के किनारे—किनारे भी बड़े—बड़े रेखीय अधिवास पाये जाते हैं।

उपरोक्त नदियों का मानव बस्तियों के विकास में अत्यन्त ही योगदान है क्योंकि नदियाँ सिंचाई, नौकायन तथा अन्य कार्यों के लिये काफी जल सुलभ करती हैं। तहसील के समस्त भाग में अधिकांश बसाव प्रारूप का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या के वर्तमान सामाजिक—आर्थिक स्तर को समझने के लिये विकास खण्ड स्तर को आधार मानकर चित्र नं० 1.17 (निर्मित) शोध क्षेत्र न्याय पंचायतों में से विकास खण्ड स्तर की न्याय पंचायत स्तर में स्थित हो। इन गाँवों को क्षेत्रीय स्थित नमूना याद्रिक्षिक विधि द्वारा आंकित की गई है। अतः सर्वप्रथम उनकी संख्या के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में उनकी स्थित ज्ञात की गई है तत्पश्चात् ग्राम संख्या एवं स्तर प्रतिनिधित्व

आंकलित किया गया है जिसके लिये निम्न सूत्र को आधार माना गया है यथा—

$$अ = ब/स$$

अ = स्तर प्रतिनिधित्व

ब = निर्धारित लघु इकाई में ग्राम संख्या (न्याय पंचायत)

स = सम्पूर्ण क्षेत्र में ग्राम संख्या (तहसील)

सारिणी नं० 1.48

ग्राम्य एवम् स्तर प्रतिनिधित्व

श्रेणी	गॉव संख्या	स्तर प्रति०	प्रतिशत	कोटि नगर
प्रथम	130	130/474	0.274	अति उच्चावच
द्वितीय	82	82/474	0.172	उच्च
तृतीय	90	90/474	0.189	मध्य
चतुर्थ	113	113/474	0.238	निम्न
पंचम	128	128/474	0.259	अतिनिम्न
योग	538			

चुने हुये गॉवों की संख्या के माध्यम से निम्नाकित सूत्र द्वारा आंकलित किया गया है।

$$अ = ब X स$$

अ = चुने हुये गॉवों की वास्तविक संख्या

ब = स्तर प्रतिनिधित्व

स = चुने हुये गॉवों की वास्तविक संख्या


उपरोक्त सूत्र के आधार पर गॉव का चयन किया गया³¹ है जिसमें प्रथम स्तर से तीन गॉव (सरकण्डी, ललौली, अयाह) द्वितीय स्तर से तीन गॉव (मवई, तारापुर, सांखा) तथा तृतीय स्तर पर से तीन गॉव (लमेहटा, रारा, टीकर) चतुर्थ स्तर पर तीन गॉव (पैना खुर्द, सलेमाबाद, घघौरा) और पंचम स्तर पर तीन (खरगपुर, मुस्तफापुर, उदयराजपुर) गॉव प्राप्त हुये हैं जिसकी क्षेत्रीय स्थिति चित्र नं० 1.17 से स्पष्ट है। चुने हुये 15 गॉव निम्नलिखित जनसंख्या श्रेणी में स्थित हैं। सारिणी नं० 1.49 से स्पष्ट होता है।

सारिणी नं० 1.49

चुने हुये गॉवों की संख्या तथा स्थिति

गॉव का नाम	जनसंख्या	गॉव की संख्या	न्याय पंचायत का नाम जहाँ गॉव स्थित है
उदयराजपुर, मुस्तफापुर	500 से कम	2	मोहनखेड़ा, कुसुम्मी
खरगपुर, सलेमाबाद	500 – 1000	2	चित्तिसापुर, सनगॉव
पैना खुर्द, घघौरा	1000 – 2000	3	गाजीपुर, दतौली
रारा, टीका, लमेहटा	2000 – 3000	2	ढकौली, बहरामपुर, गम्हरी
तारापुर, भिटौरा, मवई	3000 – 4000	2	भिटौरा, हसनपुर
सांखा, अयाह	4000 – 5000	2	सांखा, अयाह
ललौली, सरकण्डी	5000 से अधिक	2	ललौली, जरौली
योग		15	

तहसील फतेहपुर : युने गये गांवों की स्थिति



प्रित्र संख्या— 1.17

सन्दर्भ सूची

क्रमांक	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम, वर्ष, प्रकाशित स्थान	पृष्ठ सं०
1	सिंह आ० एल०	एडीटेड इण्डिया ऐ रीजनल ज्याग्रफी प्रिन्टेड एट भागव भूषण प्रेस वाराणसी	315
2	वाडिया डी० एल०	ज्योलाजी आफ इण्डिया लन्दन 1961	21
3	मिलर	दलेमाइटोलोजी 1954	1
4	मिलर	— तदैव —	1
5	हंटिंगटन	— तदैव —	12
6	हंटिंगटन	शिवला हवेशन एण्ड वलाहसेट ऐले यूनीवर्सिटी प्रेस न्यू हावेन 1915	215
7	सेस्पेट ऑ० एच० कॅ०	इण्डिया एण्ड पाकिस्तान लन्दन 1963	43
8	टिवार्थ जी० टी०	दि कलाइमेट एण्ड वीदर आफ साउथ ईस्ट एशिया, वर्मा एण्ड नार्दन चाइनीज वाल्यूम	166
9	रम्धावा एम० एस०	एग्रीकल्चर एण्ड एनीमल हस्केपिंगी, न्यू डेलही 1958	31
10	स्ट्रालर ए० एन०	फिजिकल ज्योग्रफी सेकेन्ड एडीशन न्यूयार्क 1965	375
11	का० बी० सी०	मउटेन्स एण्ड रीवर्स आफ इण्डिया नेशनल कमेटी फार ज्योग्राफी, कलकत्ता 1968	50
12	द्विवेदी एस० पी०	एन एसेजल आफ फूड रिसर्चिज इन रिलेशन दू पापुलेशन आफ बौदा डिस्ट्रिक्ट (थीसिज आवडेड का यू०) 1985	42
13	हंटिंग ई० डब्ल्यू	प्रिन्सिपल आफ ह्यूमेन ज्याग्राफी (पायल एण्ड द कामर्स- 11 रिलेशन्स विटपी-न्स क्वायल एण्ड प्लान्टज चतुर्थ एडीशन वोनविल एण्ड संस आई० एन० सी०) न्यूयार्क जून 1960	
14	त्रिपाठी बी० पी०	उत्तर प्रदेश का भूगोल किताब कानपुर	68
15	ब्रोकमैन	डिस्ट्रिक्ट गंजेटियर फतेहपुर वाल्यूम 29, 1907	5
16	राम चौधरी एल० पी०	टापिसिट पी० पी०	332- 339
17	मेहरोत्रा सी० एल० एण्ड गंगवार बी०	स्वायल सर्वे एण्ड स्वायल वर्क इन यू० पी० वाल्यूम -7 (स्वायल सर्वे आर्गनाइजेशन यू०पी)	62

18	आर०	एप्रीकल्यार एटलस आफ उ० प्र० जी० पी० पन्थ य० आफ एग्रीकल्यार एण्ड टेक्नोलॉजी पन्तनगर 1971	271
19	सक्सेना डी० पी० एण्ड शर्मा एस० सी०	लैण्ड यूटीलाईजेशन इन इतावा डिस्ट्रिक थीसिस अनपणिलिरुड का० वि० 1972	39
20	कृषि दक्षता	— तदेव —	42
21	शास्य सधनता	— तदेव —	68
22	डाकसीएडियास सी० ए०	टलीटिक्स द साइस आफ हयूमैन सेटेलमेट इलीरिट्वक्स वाल्यू - 33 न० 167 (अप्रैल 1972)	237
23	राविन्स ए० एण्ड वार्नेस जे० ए०	न्यू मेथडस फार दि रिसेन्टेशन आफ दि स्पर्क्स रुरल पापुलेशन ज्योग्राफिकल रिट्यू 1940	134-137
24	मुकर्जी ए० वी०	स्पेसिंग आफ रुरल सेटेलमेट इन राजस्थान द स्पेशल एनालिसिस ज्याग्रा० आउटलुक अग्रा० 1970	1-20
25	माथुर ई० सी०	एक लाईनर डिस्ट्रेन्ट मैप आफ फर्मरिपापुलेशन आफ य० एस० ए० एलन्स एनौ आफ अमेरिकन ज्योग्राफी 1944	178-180
26	डेसी एम० एफ०	एनालिसिस आफ सेन्ट्रल लैस एण्ड स्टडीज इन ज्यामिट्रिक सीरिज वी० हयूमैन ज्याग्राफी - 24 (1953) पी०पी०	55-75
27	डेसी० एम० एफ०	ए कार्ट्रिशीट माडेल फार द एरियल पैटर्न एना अपरदन सिर्टम रिट्यू - 50 (1966)	527-542
28	द्विवेदी एस० पी०	टाई० वी० आई० डी०	117
29	शुक्ला ए० के०	द पापुलेशन ज्योग्राफी आफ फतेहपुर डिस्ट्रिक (पवलिस्टि थीसिस का० वि०)	138

अद्याय

2

अध्याय—2

2.1— जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण — किसी भी क्षेत्र के संसाधनों के विकास में मानव की आधारभूत भूमिका होती है। वह संसाधन का निर्माता होने के साथ—साथ उसका उपभोक्ता भी है संसाधन निर्माता के रूप में मानव अपने मानसिक एवं शारीरिक श्रम के माध्यम से संसाधनों को विकसित करके उन्हें अधिक महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी बनाता है तथा अपराधों का निस्तारण कर अधिकाधिक विकास के लिए नये तरीके, नयी प्रयोग विधियाँ, नयी कलाओं का आविश्कार करता है¹। अतः मानव भौगोलिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है तथा प्रभावकारी कारक है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विषेश की जनसंख्या तथा उसकी विषेशताओं का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है²। प्रकृति तथा संस्कृति से बंधे होने के कारण मानव एक वस्तु को दूसरे में परिवर्तित कर उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करता है।

इसलिए संसाधनों के निर्माता के रूप में मानव का स्थान, मानव सभ्यता के एक कमिक विकास को चिन्तित करता है सम्पूर्ण संसाधनों में मानव की स्थिति केन्द्रीय है। अतः वर्तमान समय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से पूर्ण एवं अनिवार्य आवश्यकता मानव संसाधन के समुचित विकास की है। वस्तुतः किसी भी संसाधन के विकास कार्यक्रम तैयार करने के पूर्व उसके वास्तविक स्वरूप का विष्लेशण भी अनिवार्य है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, संरचना स्वास्थ्य एवं विषेशताओं का विस्तृत विवेचन निम्नांकित प्रारूप पर अपेक्षित है।

2.1.2— जनसंख्या का विकास— जनसंख्या के आकार में उत्तरोत्तर समयबद्ध कमिक परिवर्तन विकास कहलाता है। परन्तु यह परिवर्तन सकारात्मक (+) नकारात्मक(−) दोनों प्रकार होता है। जनसंख्या के विकास में प्राकृतिक

एवं सांस्कृतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। असमान धरातल प्रतिकूल जलवायु दशायें (सूखा एवं बाढ़) अनुपजाऊ भूमि तथा उसका अपरदन, महामारियों, राजनैतिक अशान्ति तथा फतेहपुर जनपद की केन्द्रीय स्थिति होने से फतेहपुर तहसील पर जनसंख्या की वृद्धि पर व्यापक एवं प्रभावशाली रूप से पड़ा है।

क्षेत्रीय जनसंख्या की वृद्धि को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र से संलग्न गंगा—यमुना के मैदानी दोआबे के साथ द्रान्स यमुना क्षेत्र में स्थिति अन्य पड़ोसी जनपदों में सर्वप्रथम आर्यावर्त से लोगों का आगमन हुआ। यद्यपि वह दक्षिण एवं पूर्व की ओर बढ़े, परन्तु उन दिनों मात्र अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं वरन् समस्त फतेहपुर जनपद एवं पड़ोसी क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु दशाओं असमान धरातल जैसी प्रतिकूल दशाओं में भी आदिम जातियों का बसाव था, जो अविकसित एवं पिछले होने के कारण आदिम जीवन यापन करते थे³।

उस समय क्षेत्र की जनसंख्या अनुमानित थी। तत्कालीन शासन करने वाले राजाओं (अवध के नवाबों) के पहले भी यहाँ पर जीविका के साधन आदिम ही थे। परन्तु लखनवी (अवध) नवाबों, राजाओं, के शासनकाल में इस क्षेत्र की सम्पन्नता बढ़ी जो जनसंख्या विकास के पर्याप्त उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है।

स्वतन्त्रता संग्राम के समय विदिश शासनकाल तक यह क्षेत्र खुशहाल रहा⁴ है। परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी के बाद यहाँ की राजनैतिक उथल—पुथल का प्रभाव सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर पड़ने से जनपद के साथ ही साथ तहसील पर भी पड़ा और यह अशान्ति इस क्षेत्र का एक हिस्सा बन गयी जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का ह्रास हुआ। उन दिनों ग्रामीण निवासी साधारणतया सादगी तथा कम खर्चोली जिन्दगी में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अतः इस समय जनसंख्या विकास की सामान्य स्थिति प्रस्तुत होती है अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पहली जनसंख्या में ह्रास दृष्टव्य है, क्योंकि राज्यों में हुए संघर्ष तथा युद्ध और स्थानान्तरण से क्षेत्र प्रभावित रहा है। अंग्रेजी शासन के स्थापना के बाद, अंग्रेजी शासकों द्वारा राज्य में सुरक्षा, यातायात के साधनों एवं सिंचाई के साधनों के रूप में नहरों का विकास एवं

1901	1522	1123	557	67	150	3374
योग	18167	7311	6479	2080	2797	36835

स्रोत—फतेहपुर जनपद गजेटियर, 1928—बाल्यूम X X (डी०) पृ० 267

और इस वृद्धि में अनुकूल जलवायु दशाओं तथा अल्प सामाजिक कारकों के कारण 1881 से 1891 तक लगातार वृद्धि प्रवृत्ति चलती रही।

1881—1001 में क्षेत्रीय जनसंख्या पर प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव पड़ा। बाढ़ और अकाल के प्रभाव से उत्पन्न महामारियों (काला ज्वर, हैजा, उदर रोग, चेचक, प्लेग) तथा उन्हय महामारियों से जीवन अस्त—व्यस्त हो गया। इस समय के वर्षन को बुजुर्ग लोग कहानी के समान सुनाते हैं कि महामारियों में इतनी मौते हुई थी कि किसी किसी के घर पर दीपक जलाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। और दरवाजे बन्द हो गये थे तहसील में 1891 से 1901 के मध्य ग्यारह वर्षों में समस्त प्राकृतिक महामारियों में मृत व्यक्तियों की संख्यात्मक पुष्टितालिका नं० 2.1 से होती है।

सारिणी नं० 2.1 के अवलोकन से यह विदित होता है कि 1891 से 1901 तक अध्ययन क्षेत्र में सम्पूर्ण मृत व्यक्तियों की संख्या 36,835 थी जिसमें 82.93% कालाज्वर, 12.33% हैजा, तथा चेचक 2.81% उदर रोग से मरे थे परन्तु यह भी स्पष्ट है कि तहसील में इस दशकों में सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप 1894 से 1895 तक रहा जिस दौरान विभिन्न महामारियों में कमशः 26,186 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

वित्र नं० 2.1 के देखने पर पता चलता है कि वर्ष 1894—95 में कमशः कालाज्वर (1462—3755) और हैजा (1397—1123) उदर रोग (500—952) चेचक (24—27) और प्लेग तथा अन्य महामरियों में (207—295) व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी इन प्राकृतिक महामारियों के प्रकोप से मनुष्य अपने जीवन से निराश होकर स्वास्थ्य सुविधा युक्त सीनों, नगरीय केन्द्रों तथा जंगली क्षेत्रों (शुद्ध वायुयुक्त स्थानों) तथा

पड़ोसी जनपदों की ओर सीनान्तरित हो गये थे। क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में अकाल या प्रकोप महामारियों का प्रकोप बढ़ता है तो वहाँ का जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने के साथ-साथ संसाधनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और जनसंख्या अपने उदरपूर्ति हेतु स्थानिक एवं कालिक रूप से सीमान्तरित हो जाती है।

अतः जनसंख्या वृद्धि के उपरान्त प्रभावों से मानवीय क्रियाकलापों के प्रभावित एवं परिवर्तित होते रहने के कारण विकास की गति अवरुद्ध होकर मूल समस्याओं का कारण बन जाती है।

2.1.3— दशकवार जनसंख्या वृद्धि —

1. **पूर्व स्वतंत्रता काल—** पूर्व स्वतंत्रता काल में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या 239378 (1901) में बढ़कर 246560(1911) व्यक्ति हो गयी । जिसमें 7182 व्यक्तियों (2.55%) की वृद्धि हुई।

दशक 1911–1921 में पुनः भीषण अकाल और महामारियों का प्रकोप हुआ। 1913 के भीषण अकाल और सूखे से सम्पूर्ण फसलें खेतों पर ही सूख गयी और तहसील के उबड़—खाबड़ एवं साधनविहीन क्षेत्रों के लोग भूखों मरने लगे।

डा० जेवी० सक्सेना का विचार है कि भारत के प्राचीन काल सम्बन्धी जितने भी आँकड़े उपलब्ध होते हैं वे तत्कालीन सैन्य शक्ति अथवा कृषि जोत एवं उपज के उद्देश्य से एकत्रित किये गये हे अतः उन्हें ठोस तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

1918–1920 में इन्फूल्यन्जा, कालाज्वर बीमारी ने कहीं-कहीं सारे गाँव को उजाड़ दिया। कहीं-कहीं मृतकों के शव को शमसान तक ले जाने के लिए भी आदमी नहीं थे। पकी फसल काटनें के अभाव में खड़ी-खड़ी फसलें बरबाद हो गयी। स्थानीय पंजीकरण व्यवस्था चौपट हो गयी क्योंकि अधिकांश व्यक्ति महामारी के शिकार हो । यह महामारी उस समय आयी जब फसले बुरे मौसम के कारण बरबाद हो चुकी थीं तथा प्रथम विश्व युद्ध के कारण (जनजीवन) क्षेत्रीय जनसंख्या

पर काफी प्रभाव पड़ा। इस दशक में जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक हुई और जनसंख्या 246560 से घटकर 231766 रह गयी इस दशक में 14354 जनसंख्या का ह्रास हुआ यह ह्रास नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हुआ। अतः इन विषम परिस्थितियों में बची हुई जनसंख्या का अधिकांश भाग आस-पास के नगरीय क्षेत्रों की सीमान्तरित हो गयी और इन आपदाओं के गुजरने के बाद मनुष्य पुनः अपने घरों को लौट कर आये थे।

वर्ष 1921-31 में तहसील की जनसंख्या 231766 से बढ़कर 243355 व्यक्ति हो गयी जिसमें 11589 व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि हुई। 1931 में जनसंख्या मात्र 4.70 % वृद्धि हुयी। इसमें ग्रामीण तथा नगरीय वृद्धि सामान्य थी इस दशक में जनसंख्या के विकास, रेलवे लाइन सिचाई सुविधाओं का निर्माण जनसंख्या के तीव्र विकास के उत्तरदायी कारकों, व्यापारिक एवं कृषि की ओर खिंचाव अधिक प्रभावी रहा (चित्र नं02.1 से स्पष्ट होती हैं)

1931-41 दशक में फतेहपुर तहसील की जनसंख्या 243355 से बढ़कर 284725 हो गयी। सम्पूर्ण तहसील 17.70% की अतिरिक्त वृद्धि हुई। इस अभूतपूर्व वृद्धि का कारण मैदानी भागों में कृषि का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही साथ ब्रिटिश शासन द्वारा कियान्वित अन्य विकास योजनाएं थीं।

सारिणी नं० 2.2

तहसील फतेहपुर : जनसंख्या वृद्धि (1901-2001)

काल / समय	दशक वर्ष	सम्पूर्ण जनसंख्या	वृद्धि
पूर्ण स्वतन्त्रता काल	1901	239378	—
	1911	246560	+2.98
	1921	231766	-3.86
	1931	243355	+4.70
	1941	284725	+17.15
स्वतन्त्रता काल	1951	310315	+8.64
	1961	366215	+18.06
	1971	439459	+19.82
	1981	540534	+23.01
	1991	651087	+20.45
	2001	762164	+14.58

स्रोत (A) 1901, 11,21,31 जनपद गजेटियर प्रोविन्सेस आगरा एवं अवध वाल्यूम XX (डी०) डी


(B) 1941, 51,61, 71,81 व 91 जनसंख्या सेन्सस फतेहपुर भाग ब 2001 की जनसंख्या जिलाधिकारी कार्यालय फतेहपुर ।

सारिणी नं० 2.2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दशक 1941-51 के मध्य सम्पूर्ण फतेहपुर तहसील ने सामन्य वृद्धि की प्रवृत्ति रही क्योंकि 1941 की 284725 जनसंख्या बढ़कर 1951 में 310315 हो गयी। इस दशक में सम्पूर्ण वृद्धि मात्र 8.64 % (25626) हुई। इस मन्द वृद्धि का कारण राजनैतिक हस्तक्षेप विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव रहा। वर्ष 1941 में फतेहपुर जनपद में प्लेग का प्रकोप तथा गंगा-यमुना नदियों में भीषण बाढ़ तत्पश्चात भयावह हैजे का प्रकोप हुआ। अतः

युने हुये गाँव का निर्भरता सूचकांक

तहसील फतेहपुर – जनसंख्या वृद्धि

1901–2001



यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता काल में जनसंख्या के विकास में प्राकृतिक कारणों महामारियों के साथ ही साथस राजनैतिक उथल-पुथल का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। जिसे क्षेत्रीय जनांकिकी गतिशीलता पूर्णतया प्रभावित रही। चित्र नं० 2.1 द से स्पष्ट होता है।

2. स्वतन्त्रता काल — दशक 1951-61 में जनपद की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के परिणाम स्पर्ध जनसंख्या 310315 से बढ़कर 366215 हो गयी। यह वृद्धि 1941-51 की तुलना में $18.06 \times (55864 \text{ व्यक्ति})$ की जिसमें (नगरीय-ग्रामीण) जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत भी सामान्य था इस दश में हस्ता खानपुर, तेलियानी, शाह, कोणडार, असोथर, जरौली न्यायपंचायत में जनसंख्या का काफी विकास हुआ। जनसंख्या की इस अभूतपूर्व वृद्धि से परती भूमि का कृषि के रूप में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों में आंशिक विकास यातायात तथा संचार साधनों से युक्त शैक्षणिक एवं चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सुविधाओं, जमींदारी उन्मूलन तथा परिणाम स्वरूप बंधुआ मजदूरों के अधिकारों की व्यवस्था तथा उनकी सुरक्षा और विस्थापित पाकिस्तानी शरणार्थी आदि भौगोलिक कारक जिम्मेदार रहे।

1961-71 दशक में 366215 (1961) से जनसंख्या बढ़कर 1971 में 431459 व्यक्ति हो गयी। इस दशक में 73143 व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि हुई। जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय वृद्धि सामान्यतया अधिक थी। 1961-71 में सम्पूर्ण तहसील की न्यायपंचायतों में भी सामान्य रूप से जनसंख्या का विकास हुआ परन्तु पूर्णरूपेण समतल धरातलीय विषमताओं से युक्त मोहनखेड़ा, हस्ता, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, शाह, बहुआ, जमुराँवां, बंहरामपुर आदि न्याय पंचायतों में कृषि की केन्द्रीयता के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई जिसकी पुष्टि चित्र नं० 2.1 ब से होती है, जबकि अपरदन से प्रभावित एवं ऊसर प्रधान मिट्टी वाली न्याय पंचायतों में जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न ग्रामीण उद्योगों का विकास आदि प्रमुख कारणों से प्रत्येक दशक में घनत्व भी प्रभावित होता रहा जिसके परिणामस्पर्ध प्रत्येक न्याय पंचायतों की जनसंख्या में वृद्धि होती रही।

1971–81 दशक में तहसील की 540594 व्यक्ति जनसंख्या हो गयी। जनसंख्या की इस अभूतपूर्व वृद्धि से तहसील में 1961–71 की अपेक्षा 101075 व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि हुई। 1981–91 समय में जनसंख्या 110553 व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि हुयी तथा 1991–2001 तक 111077 अतिरिक्त व्यक्तियों की वृद्धि हुयी। अध्ययन क्षेत्र के साथ–साथ जनपद में कृषि योग्य धरातल पर कृषि का सुचारू रूप से विकास, सिंचाई की सुविधाओं, शिक्षण संस्थाओं की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक कुटीर उद्योग–धर्षों का स्थानीकरण–धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचार धाराओं के स्वरूप उच्च जन्मदर स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि का कारण निम्न मृत्युदर नगरीय कारण की बढ़ती प्रवृत्ति मानव के खाद्य पदार्थों में परिवर्तन (ज्यादा तीक्ष्ण एवं गर्म खाद्य पदार्थों का प्रयोग, मदिरा का प्रयोग) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लघु उद्योगों के कारण उनकी शान्ति भंग होकर पूर्ण वयस्कता में अधिक प्रजनन प्रवृत्ति परिवार नियोजन के प्रति उपेक्षा, अशिक्षा, बंगलादेश के शरणार्थियों का दबाव, धार्मिक एवं विभिन्न पर्यान स्थलों के विकास से बढ़ती आवास प्रवृत्ति आदि कारणों से जनसंख्या अनवरत विका हुआ।

परिशिष्ट नं० 8 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि न्याय पंचायत स्तर पर दशक 1981–91 में रावतपुर (2634), अलावलपुर (650) थरियाँ (2486), बहरामपुर, (2837), चुरियानी (2885), गाजीपुर (2613), कोंडार (2634), असोथर (4847), जरौली (3602) व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि न्याय पंचायतों के सर्वाधिक रही चित्र नं० 2.1 क से स्पष्ट होता है। इस दशक में जनपद की जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक शक्ति ही रही है। अतः महामारियों एवं अकाल के साथ ही साथ प्राकृतिक वृद्धि हुई। व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जीवन पर जनसंख्या अभिवृद्धि का प्रभाव पड़ता है। अतः इसमें जनसंख्या वृद्धि संतुलन आवश्यक है।

2.1.4— औसत वार्षिक वृद्धिदर — किसी भी क्षेत्र विशेष की वार्षिक दर उस क्षेत्र की जनसंख्या विकास के प्रदर्शन का सूचकांक होती है। जनसंख्या से सम्बन्धित मापनों

(जन्मदर) स्थानान्तरण दशक वृद्धिदर के साथ ही साथ वार्षिक वृद्धि दर का अपना अलग महत्व है। अतः वार्षिक वृद्धि दर का आंकलन आपेक्षित है जिसके आंकलन का आधार निम्नवत है।

यथा—

(अ - ब) / स

सूत्र द = _____ र य

ब - अ / 2

जिसमें

अ = आधार वर्ष दशक की जनसंख्या

ब = अन्तिम वर्ष (दशक) की जनसंख्या

स = अ और ब के बीच समयान्तर

य = अनुपातिक रूप

द = औसत वार्षिक वृद्धि दर

सारिणी नं० 2.3


तहसील फतेहपुर जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर (1981-91)

वार्षिक वृद्धिदर % में	क्षेत्रफल वर्ग किमी	जनसंख्या प्रतिशत	न्याय पंचायत का नाम	
			संख्या	नाम
>2.50	468.12	186754	16	मोहनखेड़ा, रावतपुर, कोराई, सनगांव, मथड्यापुर, हुसेनगांज, फरसी, लतीफपुर, दतौली, चुरियानी, बहुआ, गाजीपुर, कोणड़ार, सरवल, असोथर, दतौली।
	29.45	26.68		
2.00-2.50	468.12	227986	17	खानपुर, तेलियानी, देवरी लक्ष्मनपुर, तारापुर, बेरागढ़ीवा, मो० बुर्जुग, मुरांव, नरैनी, सेमरी, थरियांव, बहरामपुर, सातोजोगा, बनरसी, शि० अयाह, महना, गम्भरी, सांखा जरौली।
	29.45	35.02		

तहसील फतेहपुर में जनसंख्या की विचरण शीलता

1901–2001



(ब)



प्रतिनिधि गाँव में जनसंख्या विचरण

1991–2001

(स)



गाँव

वित्र संख्या — 2.2

< 2.00	652.78 41.10	236347 38.30	22	कांधी, अलावलपुर, बरारी, तालिबपुर, जमुरावां, लोहारी, हसनपुर, चितिसापुर, मकनपुर, बड़नपुर, सनगांव, खाजीपुर से०, कुसुम्मी, खेसहन, शाह, बड़ागांव, चकस्करन, कोर्कनक, मुत्तौर, देवलान, कंधिया, हस्वा।
योग—	1589.00 100.00	651087 100.00	55	

सारिणी नं० 2.3 के गहन निरीक्षण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर के अन्तर्गत 16न्याय पंचायतें हैं। जो कि 2.50 से अधिक कोटिमान स्तर को प्रदर्शित करती है जिसमें कोण्डर (3.59)न्यायपंचायत में सर्वाधिक वृद्धिदर है। तिनके अन्तर्गत 468.12 (29.45 प्रति.) क्षेत्रफल वर्ग किमी. एवं 186754 व्यक्ति (26.68 प्रति.) जनसंख्या के अन्तर्गत स्थित हैं। 2-002-50 मध्यम श्रेणी की वार्षिक वृद्धि के अल्तर्गत 17 न्यायपंचायते आती है जिनके अन्तर्गत 468.12 (29.45 प्रति.) क्षेत्रफल एवं 227986 व्यक्ति (35.02 प्रति.) जनसंख्या हैं। 2.00 से कम वार्षिक वृद्धिदर के तहत 22 न्याय पंचायतें आती हैं जिसके अन्तर्गत 652.76 (41.10प्रति.) क्षेत्रफल वर्ग किमी० एवं 236347 व्यक्ति (38.30प्रति) जनसंख्या स्थित है जिसमें मुत्तौर (0.42प्रति) न्याय पंचायत में सबसे न्यूनतम् वार्षिक वृद्धि हुई। चित्र नं० 2.1 ख से स्पष्ट है।

1947 में स्वतंत्रता के पश्चात न्याय पंचायतों का प्रशासनिक रूप सामने आया परन्तु 1951 दशक में न्याय पंचायतवार जनसंख्या का आंकिक रूप अनुपलब्ध होने से वार्षिक वृद्धि दर मात्र से वार्षिक वृद्धि दर मात्र दो दशकों (1981-91) वर्षों की उपरोक्त सूत्र के अनुरूप आंकलित की गयी है। आंकलन के आधार पर दृष्टिपात किया जाए तो पता चलता है कि फतेपुर तहसील में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि का औसत 2.30 प्रतिशत है।

2.1.5 जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति— 100 वर्षों (दशकों) में फतेहपुर तहसील की जनसंख्या वृद्धि को प्रकृति समान नहीं रही है। 1901-21 (दो दशकों) में वृद्धि प्रवृत्ति हास की स्थिति प्रदर्शित होती है, जबकि 1921-41 दशकों में जनसंख्या वृद्धि की सामान्य वृद्धि प्रवृत्ति रही। (1941-51) दशक में शोध क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में अत्यन्त मंदगति की प्रवृत्ति दृष्टया है। परन्तु 1951-91 (चार दशकों) स्वतंत्रता काल में तहसील की जनसंख्या में वृद्धि हुई जिसमें प्रवृत्ति निर्धारक रेखा असारण वृद्धि प्रवृत्ति को प्रस्तुत करती है। चित्र नं० 2.1 द से स्पष्ट होता है।

सारिणी नं० 2.4 पर आधारित आंकलन के अनुसार 1901 में जनसंख्या प्रवृत्ति मन्द थी परन्तु 1941 से 1991 में अतिशय वृद्धि प्रवृत्ति हो गयी। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या कम कभी स्थिर नहीं रहता है। जनसंख्या वृद्धि विविध अवस्थाओं या जनसंख्या चक्रों की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के अन्त तक तहसील में भी जन संख्यकीय प्रवृत्ति की अवस्था रही है जिसमें जन्म और मृत्यु दर अधिक होने पर भी जनसंख्या की प्रवृत्ति की अवस्था रही है जिसमें जन्म और मृत्यु दर अधिक होने पर भी जनसंख्या की अधिक वृद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष ने बड़ी जनसंख्या को कम कर दिया 20वीं शताब्दी के स्वतंत्रता काल में विशेष कर 1921 के बाद तहसील में जनसंख्या चक्र की दूसरी (प्रारम्भिक, प्रगतिशील जनसंख्या) अवस्थाएं मिश्रित रूप से कभी न होने तथा मृत्यु दर में पर्याप्त कमी हो जाने के कारण विगत कुछ दशकों में विछिन्न गति से जनसंख्या जनसंख्या की वृद्धि हुयी अतः जनसंख्या के विकास में उपयुक्त विवरण विगत शताब्दियों में क्षेत्र में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण वर्तमान समय में संख्या उत्तरोत्तर एवम् निरन्तर गति से वृद्धिशील प्रवृत्ति की व्याख्या करती हैं।

सारिणी नं० 2.4 से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या का विचरण आकार सर्वाधिक 10 न्याय पंचायतों में है जो कि 2444 से अधिक न्याय पंचायतें उच्चतम् कोटिमान के अन्तर्गत निहित हैं कौण्डर (5684) व्यक्ति न्याय पंचायत ने विचरण आकार सबसे अधिक हैं। इन न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 385.66 (24.29 प्रति.) क्षेत्रफल वर्ग


किमी. एवं 136631 व्यक्ति 20.99 प्रति. जनसंख्या आबादी है। 1222 से कम विचरण आकार की 14 न्याय पंचायतें हैं जिसमें मुत्तौर 301 व्यक्ति सबसे कम विचरण वृद्धि हुई तथा चित्र नं 2.2 (अ) के अवलोकन से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार दस दशक (100 वर्षों) (1901 – 2001 का विचरण ग्राफ सूचकांक) के आधार पर अन्तर निकालने से ज्ञात हुआ।

सारिणी नं० 2.4

तहसील फतेहपुर जनसंख्या का विचरण आकार वर्ष (1981–1991 तक)

विचरण आकार	क्षेत्रफल वर्ग किमी %	जनसंख्या प्रतिशत	संख्या न्याय पंचायत	न्याय पंचायतों का नाम
2444 से अधिक	385.66 24.29	136631 20.99	10	मोहनखेड़ा, रावतपुर, बहरामपुर, चुरियानी, गाजीपुर, बहुआ, अलावलपुर, कोण्डर, जरौली, असोथर
2020 से 2444	267.13 16.80	85543 13.75	07	सनगांव, तारापुर, जमुरांवा, ढकौली, थरियांव, सातोजोगा, गम्हरी, सरवल
1666– 2020	214.67 13.53	78345 12.03	07	कोराई, खानपुर, तेलियानी, हुसेनगंज, फरसी, बेरागढ़ीवा, शाह दन्तौली।
1222 –1666	39233 24.67	183796 28.23	17	कांधी, अलावलपुर, हसनपुर, मथड़यापुर, हसनपुर, चितित्सापुर, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, मुरांव, नरैनी, सेमरी, कुसुम्भी, खेसहन, अयाह, चकस्करन, सांखा, देवलान, कंधिया
1222 से कम	324.21 20.71	162772 25. 00	14	देवरीलक्ष्मणपुर, बरारी, तालिब पुर, लोहारी, लतीफपुर, बड़नपुर, हसवा,

तहसील फतेहपुर : जनसंख्या विचरण आकार - 1981-91



				ख्वाजीपुर, सेमरैइया, थरियांव, बनरसी, शिरो महना, बड़ागांव, कोर्कनक, मुत्तौर
योग—	1589.00 100.00	651087 (100)	55	

विचरण सूचकांक का आंकलन निम्न आधार पर निकाला गया—

$$द_1 + द_2 + द_3 + द_5 = \text{द } 7$$

$$\text{सूत्र} = वि० सूचकांक =$$

$$न+1$$

$$द_1 + द_7 = \text{विचलन}$$

$$न = \text{विचलनों की संख्या}$$


उपरोक्त आधार पर 10 दशकों (1901–1991) का फतेहपुर तहसील का विचरण सूचकांक 10.85 % है। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण जनसंख्या में समयानुसार परिवर्तन होता जा रहा है।

सारणी नं० 2.5


तहसील फतेहपुर— सर्वेक्षित गाँवों का (1991–2001) विचरण सूचकांक

क्र०सं०	गाँव का नाम	1991	2001	विचरण वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत
01	उदयराजपुर	340	480	140	41.17
02	मुस्तफापुर	480	680	200	41.47
03	खरगपुर	922	1178	256	27.77
04	सलेमाबाद	691	991	300	43.41
05	पैनाखुर्द	1134	1434	300	26.45
06	घघौरा	1034	1324	290	28.05
07	रारा	2666	3112	446	16.73

तहसील फतेहपुर जनसंख्या का विचरण आकार प्रतिशत वर्ष 1991



तहसील फतेहपुर जनसंख्या का विचरण आकार वर्ष 1991



08	लमेहटा	2602	3023	421	16.18
09	टीकर	2379	3966	1587	66.70
10	तारापुर भिटौरा	3536	5949	2413	68.24
11	मवई	3373	4033	660	19.57
12	सांखा	4619	6972	2353	50.54
13	अयाह	4135	7842	3707	89.64
14	ललौली	12,556	15,682	3126	24.90
15	सरकण्डी	8314	10,032	1718	20.66

उपरोक्त सारिणी नं० 2.5 के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित गाँवों में सर्वाधिक जनसंख्या का विचरण अयाह 3707 (85.64 %) है जबकि मध्यम स्तर उदयराजपुर 140 (41.17%) विचरण वृद्धि हुई जब कि निम्न स्तर पर लमहेटा 421 (16.18%) विचरण प्रतिशत रहा चित्र नं० 2.2 अ-ब से स्पष्ट होता है।

2.2— आयु संरचना — जन्म और मृत्यु की दरें जनसंख्या की आर्थिक ऐवं व्यावसायिक संरचना और समुदाय की कुछ सामाजिक गतिविधियों पर आयु संरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए आयु वर्ग मानव संसाधन के अध्ययनों का पहलू बना जाता है प्राकृतिक प्रभाव मात्र तथा प्राकृतिक वृद्धिदर के अन्तर को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। इस प्रकार जनसंख्या में आयु वर्ग द्वारा ही किसी भी क्षेत्र के लिए किशोर, युवा, प्रौढ़ तथा वृद्धों के वास्तविक अध्ययन करते हैं। ये समूह अनुपात मुख्यतः जन्मदर —मृत्युदर और स्थानान्तरण से प्रमाणित होता है (चित्र नं० 2.1 अ) जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ भी प्रभावित होती हैं।

फतेहपुर तहसील चूँकि गंगा—यमुना नदियों के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। जिससे यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों की आयु में धीमी गति से परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन की संख्यात्यमक वृद्धि हास स्थानान्तरण के कारण होती है।

1991 की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग का प्रतिशत कमशः 0—14 वर्ष (43.39%) , 15—34 वर्ष (34.6%), 35—59 वर्ष में (15.7%) 60 वर्ष से अधिक वर्ष वाले व्यक्तियों की संख्या 5.7% था, 0—14 आयु वर्ग में 54.9%बालक, 45.1% बालिकाएं है। 15—34 आयु वर्ग के अन्तर्गत 34.4%पुरुष, 39.7% स्त्रियों का था, जबकि 35—59 आयु वर्ग में 16.2%पुरुष , 15.7% स्त्रियाँ थी। 60 तथा इससे अधिक आयु वर्ग के अन्तर्गत 6%पुरुष एवं 5.6%स्त्रियाँ थी । 1991 की जनसंख्या में यह स्थिति विभिन्न सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक एवं अन्य कारणों से प्रभावित है। आयु संरचना को निम्नांकित शीर्षकों के द्वारा अध्ययन किया गया है।

सारिणी नं० 2.6

तहसील फतेहपुर—आयु संरचना प्रतिशत में


आयु वर्ग	तेलियानी	भिटौरा	झस्वा	बहुआ	टसोथर	तहसील क्षेत्र
0—14						
पुरुष	18.55	21.05	24.32	26.52	22.7	22.88
स्त्री	22.13	22.06	20.45	24.88	20.23	21.88 — 44
15—34						
पुरुष	11.83	10.5	10.59	10.4	10.6	10.92
स्त्री	9.1	8.3	11.20	8.7	10.1	9.52 — 20
35—59						
पुरुष	17.0	17.22	14.00	12.7	17.19	15.64
स्त्री	13.2	15.27	13.20	10.7	13.38	13.25 — 28
60 से अधिक						
पुरुष	5.23	3.2	3.91	3.3	3.1	3.68
स्त्री	2.52	2.0	2.19	2.4	2.7	2.34 — 20
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00 — 100.00

सोत—सांख्यकीय पत्रिका 2001 फतेहपुर

तहसील

तहसील फतेहपुर विकास खण्डवार
जनसंख्या की आयु संरचना 1991

(अ)



चित्र संख्या 2.3

सारिणी नं० 3.7

तहसील फतेहपुर-आयु संरचना का विवरण 1991

आयु वर्ग	विवरण	असोथर	लसवा	भिटौरा	झुआ	तेलियानी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
0-14	कुल	47064	53743	53664	52188	35257	241516
	प्रतिशत	42.93	44.81	43.11	51.80	41.12	44.76
	पुरुष	24886	29169	26204	27120	16282	123661
	प्रतिशत	42.36	45.96	40.19	50.49	35.80	43.15
	स्त्री	22178	245574	27460	25068	18975	118255
	प्रतिशत	43.55	43.52	46.31	53.29	47.13	46.57
15-35	कुल	22693	26132	23900	19241	17947	109915
	प्रतिशत	20.70	21.79	19.20	19.10	20.93	20.33
	पुरुष	11621	127901	13559	10476	10144	58512
	प्रतिशत	19.78	20.01	20.51	19.50	22.30	20.41
	स्त्री	11072	13431	10331	8765	7803	51403
	प्रतिशत	21.76	23.79	17.43	18.64	19.38	20.24
35-59	कुल	33513	32742	40445	23575	25894	156170
	प्रतिशत	30.57	27.30	32.449	23.40	30.20	18.89
	पुरुष	18845	16512	21437	12792	14576	84563
	प्रतिशत	32.08	26.65	32.88	23.82	32.05	29.50
	स्त्री	14668	15830	19008	10783	11318	71607
	प्रतिशत	28.83	28.04	32.06	22.93	28.12	28.21

स्रोत — सांख्यकीय पत्रिका 2001 फतेहपुर

1	2	3	4	5	6	7	8
60 से अधिक	कुल	6357	7315	6472	5744	6645	32533
	प्रतिशत	5.80	6.10	5.20	5.70	5.75	6.02
	पुरुष	3398	4689	3984	3325	4483	19879
	प्रतिशत	5.78	7.39	6.12	6.19	9.85	6.94
	स्त्री	2559	2626	2488	2419	2162	12653
	प्रतिशत	5.82	4.65	4.20	5.14	5.37	4.98
कुल योग	कुल	109628	119933	124481	100748	85744	
	प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	पुरुष	58750	63471	65194	53713	45485	
	प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	स्त्री	50877	56462	59287	47035	40259	
	प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

नोट— कुल पुरुषों का एवं कुल स्त्रियों से स्त्रियों का एवं कुल का कुल से प्रतिशत निकाला गया है। संख्या का विवरण हजार में दर्शाया गया है—

2.2.1— 0—14 आयु वर्ग— तहसील के इस आयु वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की 241516 व्यक्ति (44.16 प्रति.) जनसंख्या है। इस वर्ग के 123661 (22.88 प्रति) और स्त्रियां 118255 (21.88 प्रति.) जबकि अध्ययन क्षेत्र की कुल पुरुषों से पुरुषों एवं कुल स्त्रियों से स्त्रियों का प्रतिशत कमशः 43.15 प्रति. एवं 46.57 प्रति. है विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधि हसवा 53743 व्यक्ति है जिसमें 29169 व्यक्ति 45.96

प्रतिशत पुरुष एवं 24774 व्यक्ति 43.62 प्रति. है। स्त्रियां जिसमें सबसे कम तेलियानी 35257 व्यक्ति 41.12 प्रति. है। जिसमें 16282 व्यक्ति 35.80 प्रतिशत पुरुष एवं 18975 (47.15 प्रति) स्त्रियां हैं जो कि कुल पुरुषों से तथा कुल स्त्रियों से प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तर पर इस आयुवर्ग में बालकों का संख्यात्मक रूप असोथर 22.7 प्रति., बहुआ 26.92 प्रति. तथा हसवा में 24.32 प्रति. अधिक है तथा बालिकाओं का प्रतिशत तेलियानी में 2237 प्रति. एवं भिटौरा में 22.06 प्रति. अधिक है चित्र नं० 2.3 अ से स्पष्ट होता है।

सर्वेक्षित 15 गांवों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस आयु वर्ग के अन्तर्गत उच्चतम घघौरा तथा न्यूनतम प्रतिशत सांखा गांव में है चित्र नं० 2.3 स से स्पष्ट होता है।

2.2.2 15—35 आयु वर्ग— अध्ययन क्षेत्र में 109915 (20.33 प्रति.) व्यक्ति इस आयु वर्ग में है जिसमें 58512 (10.82 प्रति.) पुरुष एवं 51403 (9.51 प्रति) स्त्रियां हैं। जबकि इस आयु वर्ग में कुल पुरुषों 20.41 प्रति. पुरुष तथा कुल स्त्रियों में 20.23 प्रति. स्त्रियां हैं विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक 26132 व्यक्ति इस आयु वर्ग के अन्तर्गत है जिसमें 12701 (10.59 प्रति.) पुरुष एवं 13431 (11.20 प्रति.) स्त्रियां हैं। जबकि कुल पुरुषों में 20.01 प्रति. पुरुष एवं कुल स्त्रियों में 23.79 प्रति. स्त्रियां हैं। जिसमें 10144 (11.83 प्रति.) पुरुष एवं 7803 9.1 प्रतिशत स्त्रियां हैं। जबकि पुरुषों में 20.93 प्रति. पुरुष एवं कुल स्त्रियों में 22.30 प्रति. स्त्रियां हैं। विकास खण्ड हसवा में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है अन्य विकास खण्डों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है चित्र 2.3 ब से स्पष्ट है।

सर्वेक्षित गांवों में इस आयुवर्ग के अन्तर्गत सबसे अधिक व्यक्तियों का प्रतिशत उदयराजपुर तथा सबसे कम ठीकर गांवों में है इसका प्राकृतिक कारण यह है कि वह उम्र परिश्रम और शारीरिक विकास की है।

2.2.3 35—59 आयु वर्ग— तहसील के तीसरे (प्रोड) आयुवर्ग के अन्तर्गत 156170 व्यक्ति 2885 प्रति. जनसंख्या है जिसमें 84563 15.64 प्रति. पुरुष एवं 71607 (13.25

प्रति.) है जबकि कुल पुरुषों 29.50 प्रतिशत पुरुष एवं कुल स्त्रियों में 28.21 प्रतिशत स्त्रियाँ इस आयु वर्ग के अन्तर्गत हैं। विकास खण्ड स्तर पर इस आयु वर्ग में सर्वाधिक भिटौरा 40445 व्यक्ति है जिसमें 21437 (17.22प्रतिशत) पुरुष तथा 17008 (15.277प्रतिशत) स्त्रियाँ हैं जबकि कुल पुरुषों में 32.88 प्रतिशत पुरुष एवं कुल स्त्रियों में 32.06 प्रति. स्त्रियाँय इस आयु वर्ग में हैं। विकास खण्ड बहुआ में 23575 व्यक्ति है जिसमें 12752 (12.7प्रतिशत) पुरुष एवं 10783 (10.7प्रतिशत) स्त्रियों में 22.53 प्रति. स्त्रियां इस आयु वर्ग में हैं। सारिणी नं० 2.8 तथा चित्र नं० 2.3, इस आयु वर्ग में पारिवारिक वृद्धि के साथ-साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र (स्तर)में दुर्बलता आ जाती है।

2.2.4 60 तथा अधिक आयु वर्ग — तहसील में इस आयु वर्ग के अन्तर्गत 32533 व्यक्ति(6.02प्रतिशत) जनसंख्या है जिसमें 19879 (3.68प्रतिशत) पुरुष एवं 12653 (2.34प्रतिशत) स्त्रियों हैं जबकि कुल पुरुषों में 6.94 प्रति. पुरुष एवं कुल स्त्रियों में 4.58 प्रति. स्त्रियाँ हैं।

विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या इस आयु वर्ग के अन्तर्गत हस्वा 7515 व्यक्ति है। जिसमें 4685 (3.91प्रतिशत) पुरुष तथा 2626 (2.19 प्रति.) स्त्रियाँ हैं जबकि कुल पुरुषों में 7.39 प्रतिशत पुरुष एवं कुल स्त्रियों में (4.65 प्रति.) स्त्रियां हैं सबसे कम जनसंख्या इस आयु वर्ग के अन्तर्गत बहुआ 5744 व्यक्ति जिसमें 3525 (3.3 प्रति.) एवं 2419 (2.4 प्रति.) स्त्रियां हैं जबकि कुल पुरुषों में 6.19 प्रतिशत पुरुष एवं कुल स्त्रियों में 5.14 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं चित्र नं० 2.3 अ-ब से स्पष्ट होता है।

सर्वेक्षित गाँवों के इस आयु वर्ग के अन्तर्गत सबसे अधिक व्यक्तियों का प्रतिशत अयाह तथा सबसे कम प्रतिशत मवई इस आयु वर्ग के अन्तर्गत है।

2.2.5 निर्भरता सूचकांक — निर्भरता सूचकांक या आश्रित अनुपात जनसंख्या के अध्ययन में विशेष महत्व रखता है। इससे जनसंख्या की कुशलता या क्षमता का हास होता है। निर्भरता सूचकांक अनुपात विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ओर परम्परागत कारकों के सन्दर्भ में निकाली जाती है।

अध्ययन क्षेत्र का आश्रित अनुपात (निर्भरता सूचकांक) को जानने के लिए निम्न आंकलन को आधार माना गया है।

अ+ब

नि०सू० = _____ र य

स+द

जिसमें –

अ = 0–14 आयु वर्ग की जनसंख्या

ब = 60 से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या

स = 15–35 आयु वर्ग की जनसंख्या

द = 35–59 आयु वर्ग की जनसंख्या

य = 1000 स्थिरांक

उपर्युक्त सूत्र को आधार मानकर शोध केन्द्र का निर्भरता सूचकांक विकास खण्ड स्तर पर निकाला गया है।

सारिणी नं० 2.8

तहसील फतेहपुर : निर्भरता सूचकांक

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	निर्भरता सूचकांक
1.	असोथर	792.23
2.	बहुआ	1352.94
3.	तेलियानी	978.31
4.	हस्वा	961.29
5.	भिटौरा	911.20
फतेहपुर तहसील योग		1054.82

सारिणी नं० 2.8 के आधार पर अध्ययन से स्पष्ट होता है कि फतेहपुर तहसील का औसत निर्भरता सूचकांक 1054.82 है जबकि विकास खण्ड स्तर पर

असोथर 792.23, बहुआ 1352.94, तेलियानी 978.31, हस्वा 961.29 तथा भिटौरा 911.20 निर्मरता सूचकांक है। (चित्र नं 2.3 से स्पष्ट है)

सारिणी नं 2.9

सर्वेक्षित गाँवों का निर्मरता सूचकांक (आयु संरचना 2001)

क्र० सं०	गाँव का नाम	न्याय पंचायत का नाम	अ+ब	स+द	य	निर्मरता सूचकांक
01.	उदयराजपुर	मोहनखेड़ा	198	282	1000	702
02.	मुस्तफापुर	कुसुम्मी	288	392	1000	735
03.	खरगपुर	चित्तिसापुर	409	769	1000	532
04.	सलेमाबाद	सनगाँव	418	573	1000	729
05.	पैनाखुर्द	गाजीपुर	720	714	1000	1008
06.	घघौरा	दतौली	589	735	1000	801
07.	रारा	ढकौली	1474	1638	1000	902
08.	लमेहटा	गम्हरी	1402	1621	1000	865
09.	टीकर	बहरामपुर	1869	2097	1000	891
10.	तारापुर भिटौरा	भिटौरा	2842	3107	1000	917
11.	मवई	हसनपुर	1936	2097	1000	923
12.	साँखा	साँखा	3334	3638	1000	916
13.	अयाह	अयाह	3793	4049	1000	936
14.	ललौली	ललौली	7785	7900	1000	985
15.	सरकण्डी	जरौली	4356	5676	1000	767

सारिणी नं० 2.9 के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित गाँवों में निर्भरता सूचकांक सर्वाधिक पैनाखुर्द में 1008 है तथा सबसे कम निर्भरता सूचकांक खरगपुर में 532 है

2.3 स्त्री-पुरुष अनुपात – किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्री-पुरुष का अनुपात वहाँ की आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना का प्रमुख स्रोत होता है। सन्तानों की जन्मदर स्त्री-पुरुष की जन्मदर में अन्तर एवं आवास-प्रवास की प्रवृत्ति आदि लैंगिक अनुपात को जन्म देता है। भारत देश में 1901 में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 972 स्त्रियाँ थीं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 974, नगरीय क्षेत्र में 896 स्त्रियाँ थीं। 1931 में यह संख्या घटकर 952 स्त्रियाँ 1971 में यह संख्या 932 रह गयी। तथा 1981 में यह अनुपात 934 हो गया और 1991 में यह अनुपात 882 हो गया। 2001 में घटकर यह 878 हो गया।

सारिणी नं० 2.10

तहसील फतेहपुर—प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या


दशक वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	कुल स्त्रियाँ
1901	921	889	923
1911	918	886	921
1921	911	860	910
1931	908	854	906
1941	944	987	941
1951	917	869	915
1961	906	865	861
1971	913	872	875
1981	922	884	896
1991	918	878	882
2001	916	873	878

तहसील फतेहपुर- लैगिक अनुपात
1991(प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां)

(व)

सर्वेक्षित गाँव में लैगिक अनुपात
1991(प्रति 1000 पुरुषों में)

(स)



चित्र संख्या - 2.5

फतेहपुर तहसील में 1901 में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 923 स्त्रियाँ थीं जिसमें 921 स्त्रियाँ ग्रामीण एवं 889 स्त्रियाँ, नगरीय क्षेत्र में थी, 1931 में यह संख्या घटकर 906 रह गयी। जिसमें 908 ग्रामीण तथा 854 स्त्रियाँ नगर में थी। महिलाओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी लड़कियों के पालन-पोषण में उपेक्षित अवरुद्ध करती है यही कारण है कि मृत्युदर में वृद्धि हुई जिससे यह संख्या 1961 में हास होकर 861 स्त्रियाँ रह गयी जिसमें ग्रामीण 906 एवं नगरीय 865 स्त्रियाँ थी जब कि 1981 में यह संख्या 896 स्त्रियाँ थी जिसमें 922 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 884 नगरीय क्षेत्र में है 1991–2001 में कमशः ग्रामीण क्षेत्र में 918,916 तथा नगरीय क्षेत्र में 884,878 लिंगानुपात रहा। सारिणी नं 2..10 से स्पष्ट होता है।

प्रो० विसारिया ने इस असन्तुलन के लिए जिन तथ्यों को जिम्मेदार ठहराया है उनमें प्रमुख है। प्रवास, जन्म के समय ही लिंगानुपात स्त्रियों का जम्नदर एवं मृत्युदर मे अन्तर होना है¹³।

डा० ज्ञानचन्द्र ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि इतनी महत्वपूर्ण समस्या के प्रति न केवल जनांकिकी, वेत्ता, समाजशास्त्री एवं जीवनशास्त्री भी अनभिज्ञ है। वास्तव में इस समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया गया। शहरों में इसका अनुपात अधिक विषमत होने से सामाजिक समस्याओं ने विकट रूप धारण किया है।

प्रो० एस०एन० अग्रवाल की धारणा है कि भारत में मातृत्व एवं लड़कियों की शैशवकालीन मृत्युदर ऊँची होने के कारण स्त्रियों की संख्या कम है। स्त्रियों की संख्या में दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि वर्तमान समय में भारत जनांकिकी दृष्टि से औद्योगिक युग की पूर्ण विशेषताओं की वृद्धि नहीं कर पाया।

1991 की जनगणना के अनुसार तहसील फतेहपुर में 347567 (53.30 %) पुरुष और 303520 (46.62%) स्त्रियाँ है, परन्तु न्याय पंचायत स्तर पर सबसे अधिक पुरुषों का प्रतिशत बराबर 57.88 %, मुत्तौर, 56.44 %, देवगाँव 54.64 % सरंवल 54.42 %, देवकी लक्ष्मनपुर 64.17 %, कांधी 54.14 % है। जबकि स्त्रियों में सबसे अधिक प्रतिशत सातों जोगा 49.85 %, न्याय पंचायत पर

है तथा सबसे कम पुरुष तालिबपुर 51.28% एवं सबसे कम स्त्रियां 42.12% न्याय पंचायतों में हैं।

2.3.1 स्त्री – पुरुष (लैंगिक अनुपात) – लैंगिक अनुपात की विषमता स्वास्थ्य नाना प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है इन समस्याओं के निदान पर ही समाज का समुचित विकास सम्भव होता है। अध्ययन क्षेत्र का लैंगिक अनुपात 1991 की जनसंख्या के आधार पर आंकित किया गया है।

क

ल= X ग

ख

जिसमें – ल = लैंगिक अनुपात

क= स्त्रियों की संख्या

ख= पुरुषों की कुल संख्या

ग = स्थिरांक (1000)


सारिणी नं० 2.11

तहसील फतेहपुर – लैंगिक अनुपात (1991)

लैंगिक अनुपात	कोटि श्रेणी	संख्या	न्याय पंचायत नाम
897 से अधिक	उच्च	18	रावतपुर, खानपुर, तेलियानी, तारापुर, तालिबपुर, जमुरांवा, लोहारी, हसनपुर, मथैइयापुर, चिन्तिसापुर, फरसी, मोबुजुर्ग, हस्वा, बहरामपुर, नरैनी, बहुआ।
869–897	मध्यम	21	मोहनखेड़ा, कोराई, अलावलपुर, सनगांव, हुसेनगंज, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, दन्तौली, सनगांव, खुमारीपुर, खाजीपुर, सेनरैया, थरियांव, सातोजोगां
864 से कम	न्यून	16	कांधी, देवरीलक्ष्मनपुर, बरारी, बहुआ, बड़नपुर, मुरांव, बनरसी, शिवगोबिन्दपुर, तेलियानी, अयाह, महना, गम्हरी, कोर्कनक, मुत्तौर, ढूकौली, देवलान, सरखल आदि

तहसील फोटोप्यूर- पुरुष-स्त्री अनुपात

तहसील



चित्र संख्या 2.4(अ)

सारिणी नं० 2.12 के अनुसार 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अर्थात् नर – नारी अनुपात को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 18 न्याय पंचायतें आती है। इस वर्ग में उच्चतम अनुपात तालिबपुर में 950 है और न्यूनतम गाजीपुर में 874 हैं। न्यूनतम कोटिमान 869 लैगिक अनुपात के अन्तर्गत 16 न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं। जिसमें बरारी 828 मुरांव 864 शेष न्याय पंचायतों का विस्तृत आकिक विवरण परिशिष्ट नं०9 में दिया गया है चित्र नं० 2.4 ब से स्पष्ट होता है।

सारिणी नं० 2.12 सर्वेक्षित गांवों में नर – नारी अनुपात 2001

क्रमांक	गांव का नाम	लिंगानुपात
01	उदयराजपुर	786
02	मुस्तफापुर	866
03	खरगपुर	909
04	सलेमाबाद	810
05	पैनाखुर्द	830
06	घघौरा	902
07	रारा	933
08	लमेहटा	812
09	टीकर	925
10	तारापुर भिटौरा	832
11	मवई	842
12	सांखा	830
13	अयाह	906
14	ललौली	948
15	सरकण्डी	846

सारिणी नं० 2.12 के आंकिक विवरण से पता चलता है कि सर्वेक्षित गाँवों में 1000 पुरुषों के पीछे सर्वाधिक महिलाओं की संख्या ललौली 948 है जो उच्चकोटि मान पद है जब कि मध्यम स्तर पर मुस्तफापुर 866 है तथा न्यूनतम कोटि मान पर उदयराजपुर 786 है। चित्र नं० 2.4 से स्पष्ट होता है। जिसका प्रमुख कारण महिलाओं के प्रति उपेक्षित भाव एवं दहेज प्रथा, अशिक्षा आदि प्रमुख कारण है।

2.4— जनसंख्या की ग्राम्य नगरीय संख्या — जनसंख्या के अध्ययन में ग्रामीण एवं नगरीय पक्ष सिक्के के दो पहलुओं के समान है और जब तक जनसंख्या के इन दोनों पहलुओं का अध्ययन स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जाता है तब तक जनसंख्या वितरण का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। भारत के अन्य जनपदों की भाँति फतेहपुर जनपद एवं फतेहपुर तहसील में शहरीकरण बढ़ रहा है। तथा जनसंख्या निरन्तर गाँव से शहर की ओर प्रवास कर रही है शहरों की जनसंख्या के केन्द्रीयकरण होने से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। फतेहपुर जनपद में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। गतदशकों में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि निम्नवत है— **सारिणी नं० 2.13**

तहसील फतेहपुर— ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 1901—1991

दशक वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या	वृद्धि प्रतिशत में	नगरीय जनसंख्या	वृद्धि प्रतिशत में
1901	217392	—	21986	—
1911	214679	-1.27	31881	-31.03
1921	198314	8.25	33452	-4.69
1931	207657	4.49	35698	+6.29
1941	245373	15.37	39352	+9.28
1951	265446	7.56	44869	+12.30
1961	316635	16.17	49582	+9.51
1971	450413	17.9	54665	+9.30
1981	540534	18.60	89623	+39.00
1991	651087	20.30	98543	+32.40
2001	762164	14.57	106321	+7.32

सारिणी नं० 2.13 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 1901 एवं 2001 की जनगणना के अनुसार कमशः 219392, 214679 व्यक्ति (जनसंख्या) ग्राम में है। जिसमें -1.27 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई। 1931 तक वृद्धि दर में छास हुआ। दशक वर्ष 1941 में 245373 (15.37 %) ग्राम जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1961-01 दशक वर्षों में ग्राम्य जनसंख्या में कमशः 316633 (16.17%) 450413 (17.9%) 540534 (18.6%) 651087 20.30% तथा 762164, 14.57 % जनसंख्या में वृद्धि हुई। विकास खण्ड स्तर पर तेलियानी 85774 व्यक्ति भिटौरा 124481 व्यक्ति हसवां 119933 व्यक्ति बहुआ 100748 व्यक्ति तथा असोथर में 119933 व्यक्ति ग्राम जनसंख्या के अन्तर्गत है।

प्रो, हाउसे लिटज ने लिखा है भारत न केवल ग्रामीण एवं शहरी अंचल में भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा बसा है जो संस्कार व्यवहार एवं माननीय मल्यों की दृष्टि से ग्रामीण है कुछ तो अभी – अभी गांव छोड़कर आये हैं तथा कुछ अन्य समय से यहां रहने लगे हैं एवं उसका जन्म भी यहीं हुआ है।

सारिणी नं० 2.14 तहसील फतेहपुर-गाँवों का आकार

विकास खण्ड	200 से कम	200-500	500-1000	1000-2000	2000-5000	5000 से अधिक
1	2	3	4	5	6	7
तेलियानी						
गाँवों की संख्या	25	30	40	15	8	
प्रतिशत	21.19	25.42	33.90	12.71	6.78	
जनसंख्या	1077	10405	28635	21612	24015	
प्रतिशत	1.26	12.13	33.40	25.21	28.00	
भिटौरा						
गाँवों की संख्या	31	51	42	25	12	1
प्रतिशत	19.14	31.48	25.93	15.43	7.42	
जनसंख्या	1785	17454	28924	35941	32250	2127
प्रतिशत	1.43	4.02	23.24	28.87	25.91	603

1	2	3	4	5	6	7
हस्वा						
गाँवों की संख्या	21	14	23	26	12	4
प्रतिशत	21.00	14.00	23.00	26.00	12.00	4.00
जनसंख्या	882	4852	17068	35841	3564	24683
प्रतिशत	0.14	10.28	14.23	29.88	30.41	20.58
बहुआ						
गाँवों की संख्या	19	25	30	14	11	02
प्रतिशत	18.81	24.76	29.70	13.86	10.89	1.98
जनसंख्या	547	8278	22689	19801	34822	14611
प्रतिशत	0.54	8.22	22.53	19.65	34.56	14.50
असोथर						
गाँवों की संख्या	19	25	30	14	11	02
प्रतिशत	18.81	24.76	29.70	13.86	10.89	+1.98
जनसंख्या	547	8278	22689	19801	34822	14611
प्रतिशत	0.54	8.22	22.53	19.65	34.56	14.50
योग						
गाँवों की संख्या	98	125	151	98	55	11
प्रतिशत	18.22	23.23	28.07	18.22	22.22	2.04
जनसंख्या	4385	43008	109490	138008	160400	85243
प्रतिशत	0.81	7.95	20.26	25.53	29.68	15.77

सोत – सांख्यिकीय पत्रिका 2001 फतेहपुर

2.4.1— ग्रामीण जनसंख्या— फतेहपुर तहसील एक कृषि प्रधान तहसील है यहाँ पर जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है उपयुक्त तालिका नं० 2.14 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 200 से कम जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या 98

(18.22%) है जिनके अन्तर्गत 4385 व्यक्ति (0.81%) निवास करते हैं। 200—500 जनसंख्या के मध्यम 125 (23.23%) गांव है। जिसमें 43008 (7.95%) व्यक्ति बसे हैं जब कि 500—1000, 1000—2000, 2000—5000 जनसंख्या के मध्य क्रमशः 151 (28.07%), 98 (18.22%), 55(10.22%), गांव हैं जिनके अन्तर्गत क्रमशः 109490 (20.26%), 138008 (25.53%), 160400 (29.68%) व्यक्ति निवास करते हैं 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव 11 (2.04%) है जिसमें 85243 (15.77%) व्यक्ति रहते हैं।

विकास खण्ड स्तर पर 200 से कम जनसंख्या वाले गांव सर्वाधिक भिटौरा है 31 (19.14%) है। जिसमें 1785 (1.46%) व्यक्ति रहते हैं इस कोटि में सबसे कम दो गांव (3.51%) असोथर विकास खण्ड में है। जिनके अन्तर्गत 94 (0.09%) व्यक्ति निवास करती है 5000 से अधिक जनसंख्या के अन्तर्गत सर्वाधिक गांव असोथर विकास खण्ड 4 (7.02%) जिसके अन्तर्गत 37819 (34.50%) व्यक्ति रहते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर सबसे अधिक गांवों की जनसंख्या कोराई, जगतपुर, में 17 गांव 9243 व्यक्ति तथा सबसे कम गांव बड़नपुर में 4 गांव 5056 व्यक्ति निवास करते हैं।

2.4.2— नगरीय जनसंख्या — अध्ययन क्षेत्र में दो ही (फतेहपुर तथा बहुआ) नगरीय क्षेत्र हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या 89623 व्यक्ति निवास करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में 1901—1991 दशकों में (54.68%) जनसंख्या वृद्धि हुई। अध्ययन क्षेत्र में 1901—1911 (दशक वर्ष) नगरीय जनसंख्या में (31.03%) वृद्धि हुई। जबकि 1921 में 33452 जनसंख्या थी। 1931 में बढ़कर 35658 व्यक्ति हो गयी। 1941—51 वर्षों में 5517 व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि हुई। नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि 1971—81 के मध्य हुई। 1971 में 54665 व्यक्ति नगरीय थे जबकि 1981 में बढ़कर 89623 व्यक्ति हो गयी जिसमें 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि 1991 में 98543 व्यक्ति+32.40% नगरीय जनसंख्या की वृद्धि रही। तथा 2001 में 106321 व्यक्ति +7.32 नगरीय जनसंख्या वृद्धि रही।

2.5— जनसंख्या का स्थानिक वितरण — किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। जनांकिकी के अध्ययन में जनसंख्या के वितरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। जनसंख्या के

धनात्मक एवं ऋणात्मक दो पहलू के वितरण प्रारूप समयानुसार परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार से प्रभावित प्राकृतिक तत्वों के परिणामस्पर्श सामाजिक चिन्तन एवं नियंत्रण की प्रक्रियाएं विस्तृत एवं गहन होती जा रही है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में उत्पादक तत्वों तथा सामाजिक क्रिया कलाओं का विशेष योगदान होता है और एक भूगोल वेत्ता इनको समझकर भावी प्रगति के मार्ग का प्रस्तुतीकरण करता है।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानिक वितरण निरन्तर परिवर्तनशील प्रक्रिया रही है। सामान्यतः इस सदी में तहसील का मध्यवर्ती भाग अपरदित ऊसर युक्त भूमि की अधिकता वाली न्याय पंचायतें कम बसाव वाली है। राज्य सरकार द्वारा किये गये परिवहन, कृषि, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास के फलस्वरूप जनसंख्या का स्थानिक स्वरूप बदल गया है।

यद्यपि अध्ययन क्षेत्र का 2/3 भाग समतल है, परन्तु कहीं-कहीं क्षेत्रीय असमानताएं परिलक्षित होती है। जिसके परिणामस्वरूप राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाएं भी असमान हैं जनसंख्या के विकास एवं वितरण में प्राकृतिक पर्यावरण (भू-विन्यास, जलवायु तथा मिट्टी) एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, यातायात एवं संचार विकास का स्तर एवं दशाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का प्रभाव केवल प्रत्यक्ष ही नहीं वरन् मिट्टी, वनस्पति तथा कृषि कला के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी पड़ता है।

क्षेत्रीय जनसंख्या के वितरण में खनिजों और शक्ति संसाधनों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जलवायु एवं संरचना भी क्षेत्रीय जनसंख्या के असमान वितरण के उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ पर अधिक उपजाऊ मिट्टियों का क्षेत्र अल्प है। साथ ही साथ अधिकांश मिट्टियाँ अल्प उपज वाली हैं।

अध्ययन क्षेत्र की धरातलीय बनावट जनसंख्या के वितरण को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि जनसंख्या के वितरण केन्द्रीयकरण में समतल भू-भागों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फतेहपुर तहसील गंगा-यमुना दोआंबा के मध्य फेला है। अतः यहाँ पर निष्केपित मिट्टियाँ पायी जाती हैं। जैसा कि क्षेत्र तथा जनसंख्या के तुलनात्मक स्तर पर आधारित मानचित्र से विदित होता है कि अध्ययन क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर

सबसे अधिक जनसंख्या कोण्डर 21516 व्यक्ति जनसंख्या तथा क्षेत्रफल देवरी लक्ष्मणपुर 5454 व्यक्ति 27.69 वर्ग किमी० न्याय पंचायतों में सबसे कम स्तर के अन्तर्गत है। समतल धरातल कृषि योग्य भूमि की अधिकता, सिंचाई की सुविधा, संचार सुविधा तथा जनपद फतेहपुर मुख्यालय एवं बहुआ नगरीय केन्द्रों की स्थिति के कारण उपरोक्त न्याय पंचायतों में भौगोलिक क्षेत्रफल की कमी के बावजूद जनसंख्या बसाव सघन है।

2.6— जनसंख्या बसावः— किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों और क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या के घनत्व को ज्ञात किया जाता है। क्षेत्र की उन्नति और भावी विकास की योजनाओं के निर्धारण में यह ग्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर क्षेत्र के प्राकृतिक साधनों की एक सीमित मात्रा होती है। जिसको क्षेत्र के कितने निवासी प्रयोग करते हैं अर्थात् कितने निवासी अपनी जीविका निर्वाह के लिए उन साधनों पर आधारित है।

अतः उपरोक्त तथ्य जनसंख्या के रहन-सहन के स्तरों की तथा उनके आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की योजनाओं को सम्पादित करने के लिए उस क्षेत्र के सघनता समझना परम आवश्यक है। यह सघनता विभिन्न प्रकार के घनत्व प्रारूपों में जानी जा सकती है।

न्याय पंचायत की समस्त जनसंख्या

न्याय पंचायत का गणितीय घनत्व = _____


न्याय पंचायत का समस्त भौगोलिक क्षेत्र

2.6.1— गणितीय घनत्व — किसी भी क्षेत्र का गणितीय घनत्व का ज्ञान वहाँ के समस्त भौगोलिक क्षेत्र तथा जनसंख्या के अनुपात से ही आंका जाता है, परन्तु इस घनत्व से वास्तविकता का गहन रूप उभर कर सामने नहीं आता है। चित्र नं० 2.5 ब से पता चलता है कि समस्त अध्ययन क्षेत्र का गणितीय घनत्व 1901 में 105 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० था जो प्राकृतिक प्रकोप के प्रभाव के कारण 1911 से 1921 में 128 से 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० हो गया परन्तु क्षेत्रीय जनसंख्या को कुछ सुविधाओं की प्रगति के कारण तहसील में 1931 से 1981 तक कमबद्ध रूप से बढ़ता रहा। तहसील का गणितीय घनत्व 1991 में 359 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है इस जनसंख्या का वितरण

तहसील फतेहपुर : गणितीय


घनत्व(जनसंख्या) – 1991

(अ)



तहसील फतेहपुर - कार्यिक
घनत्व(जनसंख्या) – 1991


(स)



तहसील फतेहपुर : पोषण


घनत्व(जनसंख्या) – 1991

(ब)



तहसील फतेहपुर : कृषि घनत्व(जनसंख्या)

(द)



तहसील फतेहपुर : कृषि घनत्व(जनसंख्या)

चित्र संख्या – 2.6

सर्वत्र समान नहीं है अर्थात् यहां क्षेत्रीय विवरण में भी एकरूपता का अभाव है। अध्ययन क्षेत्र में न्यायपंचायत व भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मध्य अनुपात और वितरण हेतु गणितीय घनत्व प्राप्त करने के लिए पूर्वोक्त सूत्र को आधार माना गया है।

सारिणी संख्या 2.15

तहसील फतेहपुर – गणितीय घनत्व

कोटिमान	कोटि श्रेणी	एनपी संख्या	न्याय पंचायत का नाम
382 से अधिक	उच्च	14	मोहनखेड़ा, सनगाव, जमुरांवा, हसनापुर, मथड़यापुर, हुसनेंगंज, फारसी, मोठुबुजुर्ग, खाजीपुर सेमरड़या, खेसहन, बहरामपुर, शाह, अयाह।
317–382	मध्यम	23	रावतपुर, अलावलपुर, बरानी, लतीफपुर, चित्तिसापुर, बेरागढ़ीवा, चकस्करन, गाजीपुर कदिंया, मकनपुर, तालिबपुर, ढकौली, मुराव, सनगांव, खुमारीपुर, थरियांव, सातोजोगा, नरैनी, बनरसी, शिव, सेमरी, चुरियानी, बड़गांव कोण्डार आदि।
317 से कम	न्यून	18	कांधी, कोराई ज0, खानपुर तैली0. देवरी लक्ष्मणपुर, तारापुर, लोहरी, बड़नपुर, कुसुम्भी, बहुआ, गम्हरी, सांखा, कोर्कनक, मुत्तौर, दन्तौली, देवलान, सरवल असोथर महना।

सारिणी नं0 2.15 से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में गणितीय घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी क्षेत्र के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायतों में 146869 (27.18 प्रति.) जनसंख्या निवास करती है। अध्ययन क्षेत्र में गणितीय घनत्व 382 से अधिक उच्च श्रेणी में सर्वाधिक रावतपुर (392) गाजीपुर (384) थरियांव (394) नरैनी (358) तक कोण्डर 379 प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। 317–382 के मध्य 23 न्याय पंचायतें आती हैं जिनके अन्तर्गत 226083 व्यक्ति (42.82 प्रति.) जनसंख्या निवास करती है। तथा सबसे कम 317 निम्न के अन्तर्गत 18 न्याय पंचायतें आती हैं। जिनके अन्तर्गत कांधी (305) कोराई जगतपुर (295) कुसुम्भी (281), मुत्तौर (296), तथा देवलान में (238)

व्यक्ति प्रति वर्ग किमी न्याय पंचायतों का गणितीय घनत्व है। जबकि न्याय पंचायतों पर चुने हुए गांवों का गणितीय घनत्व सर्वाधिक 287 शाखा तथा सबसे कम 283 मुस्तफापुर में पाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में गणितीय घनत्व उच्च श्रेणी का कारण कि फसली क्षेत्र की अधिकता सिंचाई के साधनों का विकास, उन्नतिशील खाद एवं बीजों का प्रयोग, कृषि की परम्परावादी दृष्टिकोण नगरीय केन्द्रों का अभाव आदि के कारणों से कांधी, बेरागढ़ीवा, थरियाव, मुराव, बनरसी, शिं न्याय पंचायतों में गणितीय घनत्व कम है।

2.6.2— कृषि घनत्व — कृषि घनत्व कृषि भूमि पर जनसंख्या के भार (दबाव का सूचक है। अतः प्रस्तुत घनत्व में (कृषि घनत्व) कृषि की जाने वाली भूमि तथा उससे संलग्न मानव शक्ति का अनुपात होता है किसी भी क्षेत्र विशेष का कृषि घनत्व उस क्षेत्र विशेष के कृषि क्रियाकलापों की रुचि की ओर संकेत करता है अध्ययन क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर कृषि घनत्व का आंकलन निम्न आधार पर किया गया है।

न्याय पंचायत की कृषि जनसंख्या

न्याय पंचायत कृषि घनत्व =

न्याय पंचायत का कृषि क्षेत्र

जिसमें—

न्याय पंचायत का कृषि घनत्व = न्याय पंचायत का कृषि घनत्व

न्याय पंचायत का कृषि जनसंख्या = न्याय पंचायत की समस्त कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या

न्याय पंचायत का कृषि क्षेत्र= न्याय पंचायत की समस्त कृषि कृत क्षेत्र भूमि

सारिणी नं० 2.16
तहसील फतेहपुर—कृषि घनत्व

कृषि घनत्व	कोटि श्रेणी	एन०पी० संख्या	न्याय पंचायत का नाम
108 से अधिक	उच्च	26	मोहनखेड़ा, अलावलपुर, सनगाँव, तारापुर, तालिबपुर, हसनपुर, मथड़यापुर, चित्तिसापुर, हुसेनगंज, फरसी, बेरागढ़ीवा, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, हस्वा, खुमारीपुर, मुराव, खाजीपुर, सेमरैया, थरियांव, बहरामपुर, खेसहन, शाह, अयाह, सांखा, कोरकनक, कंधिया, जरौली
94–108	मध्यम	12	रावतपुर, खानपुर, तेलियानी, जमुरावाँ, मकनपुर, ढकौली सातोंजोगा, नरैनी, समेरी, बनरसी, शिं० गाजीपुर गम्भरी, कोण्डार
94 से कम	निम्न	17	कांधी, कोराई, जगतपुर, देवरी लक्ष्मनपुर, बरारी, लोहारी, बड़नपुर, कुसुम्भी, चुरियानी, बहुआ, महना, बड़गाँव, चकसकरन मुत्तौर, दन्तौली, देवलान, सरवल, असोथर

सारिणी नं० 2.16 के अध्ययन से स्पष्ट से होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 1991 का कृषि घनत्व 110 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है। 108 से अधिक कृषि घनत्व उच्च श्रेणी के अन्तर्गत 26 न्याय पंचायतें आती हैं जिनकी समस्त जनसंख्या 258557 व्यक्ति हैं जो तहसील की समस्त जनसंख्या का 47.33 प्रतिशत है। यहाँ पर अधिक कृषि घनत्व का कारण सीमित भूमि और उसमें संलग्न जनसंख्या की अधिकता है जिसके अन्तर्गत मोहनखेड़ा (108) जमुरावाँ (115), हस्वा (111), आदि प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। 94–108 मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत 12 न्याय पंचायते आती हैं। जिसमें तहसील की 25.70 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है। जिसमें रावतपुर (94 व्यक्ति), गम्भरी 97 तथा कोण्डर (98) आदि न्याय पंचायतें हैं। जिसकी पुस्ति चित्र नं० 3.5 ब से होती है। इस श्रेणी की अन्तर्गत सर्वेक्षित गाँवों का कृषि घनत्व स्थानीय स्तर पर प्रभावित है। जिसमें सर्वाधिक 123 सरकण्डी तथा सबसे कम 68 मर्वई।

व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है। कृषि घनत्व की निम्न श्रेणी 94 व्यक्ति से कम प्रति वर्ग किमी० पर 17 न्याय पंचायतें आती है जिसमें कांधी, (86), दन्तौली (61), मुत्तौर (90) आदि प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। सर्वेक्षित गाँवों में इस श्रेणी के अन्तर्गत व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

2.6.3— भ्वाकृतिक (कार्मिक घनत्व) — किसी भी क्षेत्र की वास्तविक जनांकिकीय जानकारी गणितीय घनत्व की अपेक्षा भ्वाकृतिक घनत्व से ही जानी जाती है और उस क्षेत्र के कृषि भूमि पर आधारित उनका(क्षेत्रीय निवासियों का) जीवन स्तर कैसा है? साथ ही उस क्षेत्र में कृषि भूमि के प्रति वर्ग किमी० क्षेत्र में कितने व्यक्ति आधारित हैं इसकी प्रत्यक्ष रूप से जानकारी कार्मिक घनत्व से ही जानी जाती है। अतः अध्ययन क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर कार्मिक घनत्व हेतु निम्न आधार को अपनाया गया है।

अ= ब / स

जिसमें—

अ= न्याय पंचायत का ग्रावाकृतिक घनत्व

ब= न्याय पंचायत की समस्त जनसंख्या

स= न्याय पंचायत का कृषिकृत क्षेत्र

सारिणी नं० 2.17

तहसील फतेहपुर— भ्वाकृतिक घनत्व 1991

कोटि मान	कोटि श्रेणी	एन०पी० संख्या	न्याय पंचायत का नाम
420 से अधिक	उच्च	21	मोहनखेड़ा,, सनगाँव, तारापुर, जमुरावाँ, हसनपुर, मथैइयापुर, हुसेनगंज, फरसी,, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, ख्वाजीपुर, सेमरैया, थरियाँव, बहरामपुर, नरैनी, खेसहन, शाह, गाजीपुर, कोण्डर कोरकनक, कंधिया, जरैली
340—420	मध्यम	16	रावतपुर, कोराई,, जगतपुर, अलावलपुर, बरारी चित्तिसापुर, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, हस्वा, सनंगावं, सातोंजोगा, सेमरी, बनरसी, शि० बहुआ, चुरियानी, सांख्या

जिसमें—

क = न्याय पंचायत की समस्त जनसंख्या

ख = न्याय पंचायत का समस्त खाद्य फसली क्षेत्र

ग = न्याय पंचायत का पोषण घनत्व

सारिणी नं० 2.18

तहसील फतेहपुर – पोषण घनत्व 1991

पोषण घनत्व	कोटि श्रेणी	एन०पी० संख्या	न्याय पंचायत का नाम
1520 से अधिक	उच्च	14	मोहनखेड़ा,, तारापुर, जमुरावाँ, हसनपुर, मथड्यापुर, हुसेनगंज, फरसी,, लतीफपुर, खानपुर तेलियानी, खाजीपुर, सेमरैया, रावतपुर, अलावलपुर, चित्तिसापुर, सनगाँव
738–1520	मध्यम	17	मो०बुजुर्ग, ढकौली, हस्वा, सनगाँव, खुमारीपुर, मुराव, थरियाँव, बहरामपुर, नरैनी, सेमरी, खेसहन, शाह, कोण्डर, कोराकनक, देवलान, असोथर, जरौली।
738 से कम	निम्न	24	कांधी , कोराई, जगतपुर, देवरी लक्ष्मणपुर, बरारी, तालिबपुर, लोहारी, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, बड़नपुर, सातोजोगा, कुसम्भी, बनरसी शि०, चुरियानी, अयाह, बहुआ, महना, बड़गाँव, चकसकरन, गाजीपुर, मुत्तौर, गम्हरी, सांखा, सरवल, दन्तौली, कंधिया, आदि ।

तिलिका नं० 2.18 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 1520 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० से अधिक पोषण घनत्व 14 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 30454 व्यक्ति (5.63 प्रति.) निवास करते हैं जिसमें मोहनखेड़ा 1589, तारापुर, 1526, खाजीपुर, सेमरैया 1576 आदि न्याय पंचायतों का पोषण घनत्व अधिक है। जबकि 738 से 1520 के मध्य 17 न्याय पंचायते आती हैं तथा 738 से कम न्यून श्रेणी के अन्तर्गत 24 न्याय पंचायतें हैं जिसमें कांधी (721), सातोजोगा (642), व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० पर हैं जिसके अन्तर्गत 24096 (7.78 प्रति.) व्यक्ति उदरपूर्ति करते हैं।

जिसमें—

क = न्याय पंचायत की समस्त जनसंख्या

ख = न्याय पंचायत का समस्त खाद्य फसली क्षेत्र

ग = न्याय पंचायत का पोषण घनत्व

सारिणी नं० 2.18

तहसील फतेहपुर — पोषण घनत्व 1991

पोषण घनत्व	कोटि श्रेणी	एन०पी० संख्या	न्याय पंचायत का नाम
1520 से अधिक	उच्च	14	मोहनखेड़ा, तारापुर, जमुरावाँ, हसनपुर, मथड़यापुर, हुसेनगंज, फरसी, लतीफपुर, खानपुर तेलियानी, खाजीपुर सेमरैया, रावतपुर, अलावलपुर, चित्तिसापुर, सनगाँव
738—1520	मध्यम	17	मो०बुजुर्ग, ढकौली, हस्वा, सनगाँव, खुमारीपुर, मुराव, थरियाँव, बहरामपुर, नरैनी, सेमरी, खेसहन, शाह, कोण्डर, कोर्कनक, देवलान, असोथर, जरौली।
738 से कम	निम्न	24	कांधी, कोराई, जगतपुर, देवरी लक्ष्मणपुर, बरारी, तालिबपुर, लोहारी, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, बड़नपुर, सातोजोगा, कुसम्भी, बनरसी शि०, चुरियानी, अयाह, बहुआ, महना, बड़गाँव, चकसकरन, गाजीपुर, मुत्तौर, गम्हरी, सांखा, सरवल, दतौली, कंधिया, आदि।

तिलिका नं० 2.18 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 1520 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० से अधिक पोषण घनत्व 14 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 30454 व्यक्ति (5.63 प्रति.) निवास करते हैं जिसमें मोहनखेड़ा 1589, तारापुर, 1526, खाजीपुर, सेमरैया 1576 आदि न्याय पंचायतों का पोषण घनत्व अधिक है। जबकि 738 से 1520 के मध्य 17 न्याय पंचायते आती हैं तथा 738 से कम न्यून श्रेणी के अन्तर्गत 24 न्याय पंचायतें हैं जिसमें कांधी (721), सातोजोगा (642), व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० पर हैं जिसके अन्तर्गत 24096 (7.78 प्रति.) व्यक्ति उदरपूर्ति करते हैं।

2.7— जनसंख्या का स्थानान्तरण— मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता, जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है तथा आर्थिक एवं तकनीकी उन्नति ने निःसंदेह स्थानान्तरण वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके कारण ही परिवहन, संचार साधनों का विस्तार हुआ है। अतः गतिशीलता से स्थानान्तरण का जनसंख्या परिवर्तन के भौगोलिक अध्ययन में विशेष महत्व है। स्थानान्तरण मात्र एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की गतिशीलता ही नहीं है वरन् यह किसी क्षेत्र के परिवर्तनशील क्षेत्रीय सम्बन्धों को समझने में सहायता प्रदान करता है¹⁴।

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही आर्थिक आवश्यकता और राजनैतिक आकाश्वाओं से प्रभावित होने वाली आवास-प्रवास प्रक्रिया क्षेत्र की ही नहीं वरन् राष्ट्र तथा संसार की जनसंख्या के संघटन एवं प्रादेशिक प्रसार का मूल कारण रही है¹⁵। स्थानान्तरण किसी भी प्रकार की जनसंख्या को प्रभावित करने के साथ ही साथ उस क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक पहलुओं को भी प्रभावित करता है।

ब्रिटिश शासनकाल एवं उसके बाद स्वतंत्रताकाल में आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ क्षेत्र की जनसंख्या के आवास-प्रवास प्रतिरूप में स्थानीय परिवर्तन घटित हुआ¹⁶।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानान्तरण प्रमुख रूप से उभय पक्षीय है यहाँ का प्रमुख केन्द्र फतेहपुर नगर है। 1991 की जनगणना के अनुसार फतेहपुर जनपद में बाह्य क्षेत्रों से आकर लोग बसे। बाहर से आने वालों में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से 93432 लोग आये। जिनमें बाँदा से 23609 व्यक्ति (25.27 प्रति.) इलाहाबाद से 23144 (24.77 प्रति.) तथा कानपुर से (24.40 प्रति.) सर्वाधिक व्यक्ति आये। सबसे कम व्यक्ति पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा जिलों से पाँच-पाँच व्यक्ति (0.005 प्रति.) आये तथा अन्य प्रान्तों से 5290 व्यक्ति आये इनमें सबसे अधिक व्यक्ति मध्यप्रदेश से 3068 व्यक्ति, बिहार से 999 (18.88 प्रति.) तथा पश्चिमी पंगाल से 240 व्यक्ति (04.54 प्रति.) तथा सबसे कम प्रान्तों से आने वाले व्यक्ति असम, मणिपुर, त्रिपुरा, प्रत्येक से पाँच-पाँच व्यक्ति आये। भारत के बाहरी देशों (विदेशों) से 80 व्यक्ति आये जिनमें पाकिस्तान से 41 व्यक्ति (51.25 प्रति.) नेपाल से 34 व्यक्ति (42.50 प्रति.) तथा बांग्लादेश से पाँच व्यक्ति (6.25 प्रति.) आये हैं।

अध्ययन क्षेत्र में बाहर से आने वालों में जनसंख्या की दूसरी प्रमुख विशेषता यह रही है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ अधिक प्रवासित हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से 78903 (84.45 प्रति.) स्त्रियाँ एवं 14529 (15.55 प्रति.) पुरुष फतेहपुर जनपद में आये। फतेहपुर जनपद में आने वाली सर्वाधिक स्त्रियों की संख्या बाँदा 22066 (93.46 प्रति.) स्त्रियाँ इलाहाबाद 20265 (87.56 प्रति.) स्त्रियाँ कानपुर 18860 (82.73 प्रति.) जनपदों से आयी जिसका प्रमुख कारण शादी—विवाह है।

बाहरी प्रान्तों से आने वालों में 1689 (31.93 प्रति.) पुरुष एवं 3601 (68.05 प्रति.) स्त्रियाँ हैं जिसमें स्त्रियों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश से 2456 (80.05 प्रति.) बिहार से 471 (47.14 प्रति.) तथा पश्चिमी बंगाल से 198 (82.50 प्रति.) स्त्रियाँ प्रवासित हैं। तालिका नं० 2.19 से स्पष्ट होता है।

तालिका नं० 2.19

फतेहपुर जनपद में राज्य के अन्य जनपदों से आने वाली जनसंख्या 1991

क्रमांक	जनपद का नाम	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
1	2	3	4	5
01	बाँदा	23609	1543	22066
02	इलाहाबाद	23144	2879	20265
03	कानपुर	22798	3934	18860
04	रायबरेली	4465	737	3928
05	हमीरपुर	5609	508	4001
06	उन्नाव	3056	452	2564
07	प्रतापगढ़	1466	216	1251
08	इटावा	1154	410	744
09	गाजीपुर	798	364	434
10	लखनऊ	660	211	449
11	फरुखाबाद	599	219	380
12	वाराणसी	594	273	321
13	जालौन	575	170	405

14	बलिया	445	254	191
15	एटा	390	76	294
16	झाँसी	372	127	245
17	मैनपुरी	368	121	247
18	जौनपुर	364	186	178
19	आजमगढ़	309	184	125
20	आगरा	285	119	166
21	मिर्जापुर	247	146	101
22	गोरखपुर	229	160	69
23	हरदोई	228	87	141
24	देवरिया	222	148	74
25	मेरठ	216	87	129
26	सुल्तानपुर	207	76	131
27	फैजाबाद	201	72	129
28	सीतापुर	182	88	94
29	बाराबंकी	181	50	131
30	बस्ती	153	103	50
31	गोण्डा	129	48	81
32	मथुरा	121	37	84
33	अलीगढ़	113	30	83
34	बहराइच	94	34	60
35	बरेली	87	29	58
36	खीरी	78	34	44
37	रामपुर	71	52	19
38	बुलन्दशाहर	57	20	37
39	मुरादाबाद	57	23	34

40	पीलीभीत	56	37	19
41	गाजियाबाद	50	15	35
42	शाहजहाँपुर	56	05	41
43	गढ़वाल	40	25	15
44	सहारनपुर	40	20	20
45	बिजनौर	40	31	09
46	नैनीताल	36	06	31
47	ललितपुर	30	11	19
48	मुजफ्फरपुर	25	15	10
49	बदायूँ	23	06	14
50	चमोली	21	11	10
51	टेहरी गढ़वाल	10	05	05
52	देहरादून	09	—	09
53	पिथौरागढ़	05	—	05
54	अल्मोड़ा	05	05	—
योग		94432	14529	78903

जनगणना सेन्सस -1991

तालिका नं० 2.20

फतेहपुर जनपद से अन्य जनपदों में प्रवासित जनसंख्या 1991

क्रमांक	जिले का नाम	कुल	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5
01	कनपुर	67876	16451	51425
02	इलाहाबाद	20815	3299	17516
03	लखनऊ	17285	5977	11308
04	बाँदा	9065	1422	7643

1	2	3	4	5
05	रायबरेली	7059	926	6133
06	उन्नाव	4468	732	3736
07	इटावा	3596	409	3186
08	हमीरपुर	2339	657	1682
09	फर्रखाबाद	1309	212	1097
10	सुल्तानपुर	1027	279	748
11	जालौन	938	127	811
12	प्रतापगढ़	906	80	826
13	देहरादून	806	590	216
14	आगरा	776	284	512
15	हरदोई	707	63	644
16	झाँसी	676	337	339
17	मैनपुरी	670	193	477
18	मिर्जापुर	645	303	342
19	वाराणसी	606	226	380
20	नैनीताल	573	386	187
21	अलीगढ़	480	209	171
22	गजियाबाद	424	262	162
23	सीतापुर	360	55	305
24	बाराबंकी	338	20	318
25	एटा	317	67	250
26	फैजाबाद	255	142	113
27	बरेली	249	111	138
28	शाहजहाँपुर	205	59	146
29	गोरखपुर	192	84	108

1	2	3	4	5
30	मेरठ	183	95	88
31	सहारनपुर	180	98	82
32	मथुरा	158	74	84
33	मुजफ्फरपुर	136	94	42
34	खीरी	121	43	78
35	बस्ती	99	70	29
36	बुलन्दशहर	92	24	58
37	मुरादाबाद	89	29	60
38	गोण्डा	80	25	55
39	ललितपुर	79	47	42
40	जौनपुर	69	24	45
41	देवरिया	63	38	25
42	बदायूँ	68	23	25
43	आजमगढ़	57	28	29
44	बहराइच	50	24	26
45	गढ़वाल	48	39	09
46	रामपुर	44	09	35
47	पीलीभीत	41	11	30
48	चमोली	19	14	05
49	बलिया	15	05	10
50	पिथौरागढ़	15	10	05
51	अल्मोड़ा	12	07	05
52	गाजीपुर	11	—	11
53	उत्तरकाशी	11	11	—
54	टिहरी गढ़वाल	06	06	—

1	2	3	4	5
55	बिजनौर	05	—	05
	योग	146606	34785	111821

स्रोत – भारत की जनगणना के सेन्सस 1991

तालिका नं 2.20 से स्पष्ट होता है।

कि अध्ययन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में 146606 व्यक्ति गये। जिसमें कानपुर 67876 (46.30 प्रतिह.) व्यक्ति, इलाहाबाद 20815 (14.20 प्रतिह.), व्यक्ति, लखनऊ 17285 (11.79 प्रतिह.) व्यक्ति जनपदों में प्रवासित हुए। सबसे कम प्रवासित व्यक्तियों की संख्या गाजीपुर 11 (0.008 प्रतिह.) व्यक्ति बिजनौर 5 (0.003 प्रतिह.) व्यक्ति गये तथा 4869 व्यक्ति देश के अन्य प्रान्तों से प्रवासित हुए। जिसमें से मध्य प्रदेश में 2435, बिहार में 844 तथा राजस्थान में 238 व्यक्ति गये तथा भारत के बाहरी देशों (विदेशों) कसे 262 व्यक्ति गये। इस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र के कुल 151737 व्यक्ति बाहरी क्षेत्रों को गये।

अध्ययन क्षेत्र से बाहर जाने वाले व्यक्तियों में स्त्रियाँ अधिक हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में 11821 (76.27 प्रतिह.) स्त्रियाँ एवं 34785 (23.73 प्रतिह.) पुरुष फतेहपुर जनपद से बाह्य जनपदों में गये। फतेहपुर जनपद से जाने वाली स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या कानपुर 51425 (75.76 प्रतिह.), इलाहाबाद 17516 (84.15 प्रतिह.), लखनऊ 11308 (65.42 प्रतिह.) जनपदों में गयी। तालिका 2.20 से स्पष्ट है।

तहसील में 1981–91 में 13934 व्यक्ति स्थानान्तरित (9756 व्यक्ति) आवासीय और 3852 प्रवासी फतेहपुर जनपद में हुए तथा 1981–91 में फतेहपुर तहसील में विकास खण्ड स्तर की शुद्ध स्थानान्तरण दर की गणना निम्नांकित सूत्र 17 के आधार पर की गयी।

अ-ब

सूत्र – द= ————— X ल

स

जिसमें –

अ = आवासीय जनसंख्या

ब = प्रवासी जनसंख्या

स = समस्त जनसंख्या

द = स्थानान्तरण

ल = आनुपातिक रूप (1000)

तालिका नं० 2.21

फतेहपुर तहसील की जनसंख्या का स्थानान्तरण दर

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	स्थानान्तरण प्रतिशत
1	बहुआ	+3.86
2	असोथर	-8.15
3	मिटौरा	+24.02
4	हस्वा	+4.55
5	तेलियानी	+16.74
योग तहसील फतेहपुर		+6.41

आध्ययन क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर 1981-91 की अवधि में असोथर में (-8.15 प्रतिशत) ऋणात्मक स्थानान्तरण पर रही जिसका प्रमुख कारण एक फसली क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ धरातल ऊसर उक्त कृषि भूमि है। तहसील की स्थानान्तरण दर +6.41 है जिसमें भिटौरा +24.02 प्रतिशत, तेलियानी +16.74 प्रतिशत, हस्वा +4.55 प्रतिशत तथा बहुआ +3.86 प्रतिशत स्थानान्तरण दर रही है। तालिका नं० 2.21 से स्पष्ट है।

यदि किसी व्यक्ति का घर एक राज्य से कुछ ही मील दूर दूसरे राज्य में है तो उसके बच्चों का जन्म दूसरा राज्य हो जाने से वह अपने राज्य में इनमाग्रेट कहलायेगा।

2.7.1— ग्रामीण एवं नगरीय प्रवास — जनसंख्या प्रवास के प्रवाह को देखने से जो सबसे स्पष्ट प्रवाह दिखाई देता है वह ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर का है। नगर

एक ऐसे क्षेत्र का द्योतक है जहाँ पर जीवनयापन के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होते हैं। नगरों का जीवन ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुखमय होता है।

अतः ग्रामों से नगरों की ओर मानव प्रवास निरन्तर पूर्व काल से आज तक जारी है। प्रवास को चार (4) प्रवाहों में विभक्त किया गया है। (चित्र नं 2.6 स)

- 1— ग्राम्य से ग्राम्य को प्रवाह
- 2— ग्राम्य से नगरीय को प्रवाह
- 3— नगरीय से ग्राम्य को प्रवाह
- 4— नगरीय से नगरीय को प्रवाह


सारिणी नं 2.22

फतेहपुर जनपद— प्रवास प्रवाह 1991


प्रवास प्रवाह	व्यक्ति	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत
ग्राम्य से ग्राम्य	70445	71.3	8702	53.5	61743	74.80
ग्राम्य से नगरीय	4841	4.9	952	6.1	3849	4.6
नगरीय से ग्राम्य	14821	15.0	4245	26.1	10576	12.82
नगरीय से नगरीय	8695	8.8	2326	14.3	6369	7.72
योग	98802	100	16265	100	82537	100

तालिका नं 2.22 से स्पष्ट होता है कि 1991 कि जनगणना के अनुसार ग्राम्य से ग्राम्य प्रवास 70445 (71.3 प्रतिशत), व्यक्ति हैं जिसमें 8702 (53.5 प्रतिशत) पुरुष एवं 61743 (74.80 प्रतिशत), स्त्रियाँ प्रवासित हुई हैं। ग्राम्य से नगर की ओर प्रवास 4841 व्यक्ति (4.09 प्रतिशत) हुआ जिसमें 992 (6.1 प्रतिशत) पुरुष एवं 3849 (4.9 प्रतिशत) स्त्रियाँ प्रवासित हुई हैं। नगरीय से ग्राम्य की ओर 14824 (50.0 प्रतिशत) व्यक्ति है जिसमें 4245 (26.1 प्रतिशत) पुरुष एवं 10576 (12.82 प्रतिशत) स्त्रियाँ प्रवासित हुई हैं। नगरीय से नगरीय की ओर प्रवास 8695 (8.8 प्रतिशत) व्यक्तियों ने प्रवास किया। जिसमें 2326 (14.3 प्रतिशत) पुरुष एवं 6369 (7.72 प्रतिशत) स्त्रियाँ प्रवासित हुई 1981 से 1991 की तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि ग्राम्य से ग्राम्य प्रवास में कमी हुई जबकि प्रवास की अन्य कियाओं में वृद्धि हुई है।


स्थानान्तरण प्रकृत्य




स्थानान्तरण (पदानुकूलमीय सोपनी)



के योन का ग्रामीण स्थानान्तरण मोड़ल



तहसील फतेहपुर
विकासखण्डवार जनसंख्या का स्थानान्तरण
(दर % में)



चित्र संख्या - 2.8

ग्राम्य से ग्राम्य एवं नगरों से ग्राम्य दोनों प्रकार के प्रवास सामाजिक व्यवस्था के परिणाम है। विवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवास (विवाह प्रवास) होता रहता है। यह उल्लेखनीय है कि स्त्रियों में ग्राम्य से ग्राम्य प्रवास (पुरुषों की अपेक्षा अधिक) जिसका आशाय है कि गाँव की लड़कियों का विवाह प्रायः ग्रामों में ही होता है। तथा ग्राम्य से नगरीय प्रवास का प्रश्न है। गत दशक में व्यक्तियों की नगर को भागने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई ग्राम्य से नगर की ओर जाने वालों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का अनुपात अधिक है। यदि स्त्री और पुरुषों की सापेक्षिक स्थिति देखी जाय तो स्पष्ट होता है कि ग्राम्य से ग्राम्य गमन में स्त्रियों का बहुल्य ही नगर से ग्राम्य की ओर जाने वालों में पुरुषों की अधिकता है। नगर से नगर की ओर प्रवास समान है।

तालिका नं० 2.23

ग्राम्य—नगरीय प्रवास में पुरुष एवं महिलाओं की सापेक्ष स्थिति 1991

प्रवास	पुरुष	महिलाएं	योग
ग्राम्य से ग्राम्य	8702	61743	70445
प्रतिशत	12.35	87.65	100
नगर से ग्राम्य	992	3849	4841
प्रतिशत	20.49	79.51	100
ग्राम्य से नगर	4245	10576	14821
प्रतिशत	28.64	71.36	100
नगरीय से नगरीय	2326	3669	8695
प्रतिशत	26.75	73.25	100

स्रोत – सेन्सस आफ इण्डिया, 1991

प्रवास की अवधि के अनुसार प्रवासियों का वर्गीकरण करने से पता चलता है कि फतेहपुर जनपद में अधिकांश प्रवास स्थायी निवास के लिए होता है। सारिणी नं० 2.23 से स्पष्ट होता है कि सभी प्रवास की सापेक्ष स्थितियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में वृद्धि हुई जब कि पुरुषों के प्रवास प्रतिशत में ह्रास हुआ।

2.7.2— स्थानान्तरण प्रवृत्ति — सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त परिणामों के आधार पर पाया गया कि ग्रामीण लोगों में नगरों की ओर पलायन का मुख्य आकर्षण ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षा उच्च शिक्षा के अवसर बेरोजगारी के कारण नौकरी प्राप्त करने हेतु नगरों की ओर अत्यन्ततीव्र गति से स्थानान्तरण हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र में तीन प्रकार का स्थानान्तरण दृष्टव्य हैं।

प्राथमिक — कृषि, वन, खदान, आदि प्राथमिक कार्यों को सम्पादित करने वाले अत्यन्त कम दूरी तय करके अपनी जीविका दैनिक स्थानान्तरण के माध्यम से करते हैं।

द्वितीयक — अपने कार्यों को बदलने वाले लोग हैं जो प्राथमिक कार्य को छोड़कर नगरों और आस-पास के कस्बों में विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु स्थानान्तरित होते हैं।

तृतीयक — तृतीय बड़े बड़े नगरों को प्रादेशिक राजधानियों में भी अपनी जीविकोपार्जन हेतु तथा नौकरी प्राप्त अपनी प्रगति हेतु करते हैं। जैसा कि फतेहपुर नगर से प्रवाह कानपुर और इलाहाबाद नगरों को अधिक होता है।

उपरोक्त तीनों प्रकार के स्थानान्तरणों को चित्र नं० 2.6 से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। साथ ही नगरीय एवं औद्योगिकरण की वृद्धिमान मात्रा के अनुसार एकाकी फार्म तथा ग्रामीण क्षेत्र का निवासी कुमशः महानगरों तक स्थानान्तरित होते हैं। यदि समय रहते स्थानान्तरण को नहीं रोका गया तो नगरों में दिनों दिन नाना प्रकार आवासीय समस्याएं बढ़ती जायेंगी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानान्तरण विकास निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

रिफरेन्सेज—

- 1— मेहता, के० पैटर्न आफ पापुलेशन इन बिहार इण्डियन ज्याग्राफीक्स स्टडीज रिसर्च बुलेटिन नं०2 मार्च 1974, ज्याग्राफी रिसर्च सेण्टर पटना, पेज नं०28
- 2— जोन्स एन०आर ए पापुलेशन ज्याग्राफी हायर खण्डारी पब्लीकेशन लन्दन ,1981 वर्ड पापुलेशन डाटा सीट, पे० 280
- 3— सेन्सस आफ इण्डिया, 1981 पार्ट -1 सेन्ट्रल इण्डिया वाल्यूम 19 खण्ड 1951 वाल्यूम 15 विध्य प्रदेश एण्ड द अरनिवर पार्ट-फर्स्ट रिपोर्ट पी 30
- 4— कनिघम,० एन्सियन्ट ज्याग्राफी आफ इण्डिया, पेज 408-09
- 5— सरलिपेज ग्रिपिथ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर -फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट 1928, पेज 28

- 6- घोष एन०एन० एरली हिस्ट्री आफ इण्डिया इलाहाबाद 1951, पेज 154
- 7- ऐलिमेन्ट रिपोर्ट - फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट 1907 पी पी 152
- 8- सक्सेना जे०पी०, ज्योग्राफिकल रिब्यू आफ इण्डिया बान्धूम 53, 1991, पेज 62
- 9- दि इक्योसेरिमित फारमूलाज - ए मडिप फार सीजरीन दि वोटिवेविलिटी इण्डेक्स आफ पापुलेशन वेरीविलिटी डेवियेसन

(द१)+ द२+द३+द-द

डेवियेसन न+१

- 10- क्लार्क, जे०आई०, पापुलेशन इन मोमेन्ट इन एम चिसोल्यड एण्ड मियर ॥ एर्ड 2011 एर्ड्ज इन इयूमेन ज्योग्राफी हैशियान लन्दन, पे० 85-129
- 11- प्रिन्स एस० डब्लू०ई०-रिफसेक्शन आन दि स्ट्रम्पर एण्ड डिस्ट्रीव्यूशन आफ रुर पापुलेशन इन इरलैण्ड एण्डवेन्स 1921-31 आन्स इण्ड 18-51 (1952)
- 12- क्लार्क, जे० आई०- पापुलेशन ज्योग्राफी प्रागमेन पेस आक्सफोर्ड 1972 विनी किरोई, ई०एन०सी० स्टडी आन छ्यूमन एजस्टेज जर्मन ज्याग्राफर्स डेमोग्राफी वाल्यूम 25, 1975, पेज 287-94
- 13- प्रो० बिसारिया, ए टेस्ट बुक आफ डेमोग्राफी 1983, पेज 117
- 14-बनर्जी, बी०के०, सम फैक्टर्स दि इन्यूलाइजिंग सैक्स रेसिया इन ह्यूमन पापुलेशन, पापुलेशन रिब्यू ऐक्ट 1947, पेज 349
- 15- मेट्रस जे०, दि सोसल स्टेडीज आफ फेमली फार फारमेसम वैरियेसन इन सेक्स/टाइम स्पैस डेमोग्राफी, 1965, पेज 349
- 16- ग्रीन बुड एम०- रिसर्च आफ इण्टरनल माइग्रेशन यू०एस०ए० सर्वे जर्नल आफ इकोनामिक्स जि० वाल्य० स्थान 13 1970, पेज 397-433
- 17- रोटेज, बी० एन०- सेक्स वेरीमेन्सन एण्ड डिस्ट्रीव्यूशन मिलायम पब्लिकेशन मद्रास, 1978, पे० 252-267
- 18- वार्क से०, टिकमीक आफ पापुलेशन एनालिसिस, 1958, पेज 241

ଅଭ୍ୟାସ

3

अध्याय—३

जनसंख्या के सामाजिक पक्ष— मानव जीवन के रहन सहन निवास तथा उसके द्वारा निर्मित वातावरण (सांस्कृतिक वातावरण) के मध्य जैविक सम्बन्धों का स्पष्टीकरण किसी भी क्षेत्र विशेष की सामाजिक विशेषताओं से स्पष्ट होता है। अतः किसी भी क्षेत्रीय विकास के अध्ययन में इन सामाजिक विशेषताओं को अलग नहीं किया जा सकता है। नर-नारी अनुपात आयुर्वर्ग एवं जातियों के अध्ययन के माध्यम से आर्थिक संसाधनों के भावी विकास की रूपेखा भी तैयार की जा सकती हैं। विभिन्न आयुर्वर्ग के पुरुष स्त्री अनुपात जन्मदर, मृत्युदर तथा स्थानान्तरण दर के आधार पर जनसंख्या की वर्तमान स्थिति तथा जनसंख्या दाब के भावी प्रक्षेपण का आंकलन भी कर सकते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि तथा उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने वाले संसाधनों के विकास के प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है इसी संदर्भ में तहसील की जनसंख्या के निम्न सामाजिक पक्षों का अध्यापन आवश्यक हो जाता है।


सर्वेक्षित ग्रामों में जातीय संरचना 2001 का एक दृष्टिय विवरण सरणीय नं० 3.1 में दर्शाया गया है। फतेहपुर तहसील (फतेहपुर जनपद) के सर्वेक्षित ग्राम उदयराजपुर, मुस्तफापुर, खरगपुर, सलेमाबाद, पैनाखुर्द घौरा, रारा, लमेहटा, टीकर, तारापुर भिटौरा, मवई, सांखा, अयाह, ललौली, सरकण्डी के अन्तर्गत कमशः सर्वण पिछड़ी अनुसूचित, मुस्लिम की जातीय संरचना के योग कमशः 2773, 2386, 2751 एवं 1275 है।

सारिणी नं० 3.1


सर्वेक्षित ग्रामों में जातीय संरचना 2001

क्र०सं०	ग्राम का नाम	स्वर्ण	प्रतिशत	पिछड़ी	प्रतिशत	अनु०जाति	प्रतिशत	मुस्लिम प्रतिशत
01.	उदयराजपुर	18	36	14	28	18	36	—
02.	मुस्तफापुर	20	15.38	44	33.86	36	27.69	3023.07
03	खरगपुर	60	26.09	74	32.17	78	33.91	187.82

सर्वेक्षित गांवों में सर्वर्ण जातियों का प्रतिशत 2001



सर्वेक्षित गांवों में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 2001



04	सलेमाबाद	43	28.67	55	36.67	32	21.33	2013.33
05.	पैनाखुर्द	67	35.64	76	40.42	45	23.94	—
06.	घघौरा	89	44.95	67	33.84	42	21.21	—
07.	रारा	192	35.56	180	33.33	156	28.89	122के22
08.	लमेहटा	225	44.12	163	31.96	122	23.92	—
09.	टीकर	110	24.44	162	36	108	24	7015.56
10.	तारापुर भिटोरा	231	32.63	281	39.69	147	20.76	496.92
11.	मवई	198	28.61	150	21.68	320	46.24	243.47
12.	सांखा	343	40.25	191	22.42	268	31.46	505.87
13	अयाह	270	33.83	212	26.57	298	37.34	182.26
14.	ललौली	340	17.01	214	10.71	532	26.63	91245.65
15	सरकण्डी	567	33.53	503	29.75	549	32.46	724.26
		2773	30.79	2386	25.98	2751	29.95	1275—13.88

सारिणी नं० 3.2

सर्वेक्षित गांव एवं परिवारों में सर्वर्ण जातियों का प्रतिशत 2001

क्र० सं०	ग्राम का नाम	सर्वर्ण जाति की परिवारसं०	ब्राह्मण	%	क्षत्रिय	%	वैश्य	%	श्रीवास्तव	%
01.	उदयराजपुर	18	8	44.44	10	55.56	—	—	—	—
02.	मुस्फापुर	20	9	45.00	9	45.00	2	10.00	—	—
03.	खरगपुर	60	17	28.33	25	41.67	15	25.00	3	5.00
04.	सलेमाबाद	43	12	27.91	22	51.16	9	20.93	—	—
05	पैनाखुर्द	67	26	38.81	33	49.25	8	11.94	—	—
06.	घघौरा	89	39	43.82	46	51.69	4	4.49	—	—
07.	रारा	192	72	37.50	88	45.83	21	10.94	11	5.73

08.	लमेहटा	225	84	37.33	114	50.67	18	8.00	9	4.00
09.	टीकर	110	33	30.00	59	53.64	11	10.00	7	6.36
10.	तारापुर भिटौरा	231	135	58.44	634	27.70	19	8.23	13	5.63
11.	मवई	198	84	42.43	98	49.49	16	8.08	—	—
12	सांखा	343	129	37.62	106	30.90	86	25.07	22	6.41
13.	अयाह	270	106	39.26	147	54.44	17	6.30	—	—
14	ललौली	340	139	40.88		32.65	76	22.35	14	6.12
15.	सरकण्डी	567	247	43.57	222	39.15	98	17.28	—	—
		2773	1140	41.11	1154	41.62	400	14.42	79	2.85

जिनका प्रतिशत कमशः 30.79, 25.98, 29.95 एवं 13.88 है।

3.1 जाति— जनांकी अध्ययन में जाति वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है किन्तु आज की जातीय अन्तर को कैसे स्पष्ट किय जाये यह एक बिवादास्पद प्रश्न है। रुढ़िवादी परम्पराओं के अनुसार इनमें अनेक विषमताएं मिलती हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जाति दैवीय विचार के अन्तर्गत है तो कुछ विद्वानों के मतानुसार इनमें लिंग संगठन तथा आयु वर्ग के अनुसार अधिकांश अन्तर मिलता है जिस प्रकार भारत वर्ष में अनेक जातियां हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की तहसील में भी जातीय विभेद तालिका नं03.2 में स्पष्ट है।

3.1.1. सर्वर्ण जातियां—अध्यापन क्षेत्र में सर्वर्ण जातियों का बाहुल्य है जिसके अन्तर्गत सामान्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा श्रीवास्तव आदि जातियां पायी जाती हैं। सर्वेक्षित पन्द्रह गांवों में सर्वर्ण जातियों के अन्तर्गत कमशः ब्राह्मण 1140 (41.11 प्रतिशत) क्षत्रिय 1154 (41.62 प्रतिशत) वैश्य 400 (14.42 प्रतिशत) श्रीवास्तव 79 (2.85 प्रतिशत) व्यक्तियों के परिवार हैं।

अध्ययन क्षेत्र में सर्वर्ण जातियों के अन्तर्गत सर्वेक्षित गांवों में सर्वाधिक ब्राह्मण जाति के परिवार तारापुर भिटौरा में (58.44 प्रतिशत) तथा सबसे कम सलेमाबाद में (27.91 प्रतिशत) ब्राह्मण जाति के परिवार है इसी प्रकार क्षत्रिय जाति का बाहुल्य सर्वाधिक उदयराजपुर में 55.56 प्रतिशत तथा सबसे कम तारापुर भिटौरा में 27.70प्रतिशत है

जबकि वैश्य जाति में सर्वाधिक साखा में 25.07 प्रतिशत तथा सबसे कम घघौरा में 4.49 प्रतिशत वैश्य जाति के परिवार हैं इसी प्रकार श्रीवास्तव जाति में सर्वाधिक साखा में हैं 6.41 प्रतिशत तथा सबसे कम लमेहटा में 4.00 प्रतिशत है जबकि सर्वेक्षित 15 गांवों के उदयराजपुर, मुस्तफापुर सलेमाबाद पैना खुर्द, घघौरा, मवई, अयाह तथा सरकण्डी आदि गांवों में श्रीवास्तव जाति का कोई परिवार नहीं है।

3.12 पिछड़ी जातियाँ— अध्यापन क्षेत्र में सर्वेक्षित गांवों से पता चलता है कि पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत यादव, कुर्मी, लोधी, दर्जी, नाई, सोनार, लोहार, गड़रिया कुम्हार तथा अन्य जातियों के अन्तर्गत (काढी, तेली, केवट, भुजी) आदि जाति वर्ग के परिवारों में अधिकांशतयः स्वयं के व्यवसायों में संलग्न हैं जो कि सभी न्याय पंचायतों में आबाद हैं।

अध्यापन क्षेत्र के सर्वेक्षित 15 गांवों एवं परिवारों के अध्ययन से ज्ञात होता है। कि सबसे अधिक यादव जाति के परिवारों का प्रतिशत साखा में 48.69 प्रतिशत तथा सबसे कम टीकर गांव में 7.41 प्रतिशत है। इसी प्रकार कुर्मी जाति के परिवारों का सबसे अधिक प्रतिशत टीकर में 37.07 प्रतिशत तथा सबसे कम सरकण्डी में 13.32 प्रतिशत है जबकि उदयराजपुर, मुस्तफापुर पैनाखुर्द, घघौरा, लमेहटा, साखा, अयाह आदि गांवों में कुर्मी जाति के परिवार नगण्य हैं लोध जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत मवई में 48 प्रतिशत तथा सबसे कम रारा में 16.17 प्रतिशत है जबकि सलेमाबाद, पैनाखुर्द, लमेहटा, सांखा अयाह, ललौली, सरकण्डी, आदि गांवों में इस जाति के परिवार नहीं हैं। इसी कम में नाई जाति का सर्वाधिक प्रतिशत मवई में 10.47 प्रतिशत तथा सबसे कम तारापुर भिटौरा में 1.33 प्रतिशत है। लोहार जाति का सर्वाधिक प्रतिशत 19.63 प्रतिशत सबसे कम खरगपुर में 1.35 प्रतिशत है।

सारिणी नं.3.3

सर्वेषित गांवों एवं परिवारों में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 2001

गांव का नाम	पिछड़ी जाति की जनसंख्या	यादव	कुम्ही	लोधी	दणी	नाई	सोनार	लोहार	गड्डिया	कुम्हार	अन्य
उदयराजपुर	14	35.71	—	42.46	—	7.14	—	14.29	—	—	—
मुस्तफापुर	44	36.36	—	34.82	—	4.5	—	4.55	18.17	4.55	—
खरगपुर	74	—	17.57	21.63	—	4.02	2.70	1.35	19.92	33.78	—
सलेमाबाद	55	36.36	18.18	—	1.82	1.82	—	5.46	18.18	18.18	—
पैनाखुट	76	17.11	—	—	18.89	7.85	3.95	5.26	39.47	15.79	—
घाघोरा	67	44.78	—	—	5.97	7.46	—	11.94	8.96	20.89	—
रासा	180	42.22	24.44	16.67	1.11	3.89	—	4.22	—	9.44	—
लमेहटा	163	43.08	—	—	3.68	2.45	3.07	4.91	23.31	13.50	—
टीकर	162	7.41	37.04	24.69	—	3.09	3.70	3.70	7.41	6.79	6.17
तारापुर मिटोरा	281	31.67	23.84	19.22	—	2.14	—	3.09	8.54	7.12	5.69
मरवई	150	8.00	35.39	48.00	6.67	1.33	—	—	—	—	0.67
सांखा	191	48.69	—	—	13.09	10.47	12.04	15.71	—	—	—
अयाह	212	40.57	—	—	8.49	1.13	4.24	5.66	—	34.91	—
ललोली	214	25.23	—	—	19.63	6.60	10.75	19.63	5.61	—	12.62
सरकण्डी	503	41.75	13.32	—	5.96	6.36	9.54	7.16	—	—	15.90

गड़रिया जाति का सर्वाधिक प्रतिशत खरगपुर में 19.22 प्रतिशत तथा सबसे कम ललौली में 5.61 प्रतिशत है कुम्हार जाति का सर्वाधिक प्रतिशत अयाह में 34.91 प्रतिशत तथा सबसे कम टीकर में 6.79 प्रतिशत है एवं अन्य जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत सरकण्डी में 15.90 प्रतिशत तथा सबसे कम मर्वई में 0.67 प्रतिशत है। सारिणी नं03.3 से स्पष्ट है।

3.1.3 अनुसूचित जातियाँ— अध्यापन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत मई उपातियां चमार, पासी, धोबी, कोरी, खटिक, मेहतर तथा धानुक आदि जातियां प्रमुख हैं जो प्रायः अध्ययन क्षेत्र के सभी न्याय पंचायतों में पायी जाती हैं अध्ययन क्षेत्र में मात्र दो नगरीय केन्द्रों में बहुआ में 20.28 प्रतिशत तथा फतेहपुर में 14.90 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है।

सारिणी नं03.4

फतेहपुर तहसील अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1921–2001

दशक वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत
1921	28103	15141	53.88	12962	46.12
1931	31571	17023	53.92	14548	46.08
1941	36957	20096	54.34	16661	45.62
1951	52295	28406	54.32	23889	45.68
1961	72117	37649	52.07	34568	47.93
1971	113725	58776	51.68	54949	48.32
1981	135606	70800	52कृ21	64806	47.79
1991	173557	91782	52.88	81775	47.12
2001	207669	110203	53.8	97466	46.9

स्रोत – फतेहपुर जनपद जनगणना सार पुस्तिका

सारिणी नं० 3.5

फतेहपुर तहसील की अनुसूचित जाति की जनसंख्या की वृद्धि

दशक वर्ष	कुल अ0जाति की जन0वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत	पुरुष वृद्धि प्रतिशत	स्त्री वृद्धि प्रतिशत
1921	28103	—	15141 —	12962 —
1931	31571	3436	10.83 17025	11.06 14548
1941	36957	5386	14.57 20096	15.29 16861
1951	52295	15338	29.33 24406	29.25 23889
1961	72117	19812	27.48 37549	24.35 34568
1971	113725	41608	36.58 58776	21227 36.11
1981	135606	21881	16.13 70800	12024 16.98
1991	173557	37951	21.87 91782	20982 22.86
2001	207669	34112	16.43 110203	18421 16.71

सोत— 1921–2001 फतेहपुर जनपद जनगणना सार पुस्तका।

दशक वर्ष 1921 में अनुसूचित जाति के 28103 व्यक्ति थे जिसमें 15141 (53.88 प्रतिशत) पुरुष एवं 12962 (46.12 प्रतिशत) महिलाएं थी। जबकि 1951 में अनुसूचित जाति के 52295 व्यक्ति थे जिसमें 28406 (54.32 प्रतिशत) पुरुष एवं 22889 (45.68 प्रतिशत) स्त्री या अनुसूचित जाति की थी। यह जनसंख्या 2001 में बढ़कर 207669 व्यक्ति थे जिसमें 110203 (54.16 प्रतिशत) पुरुष एवं 97466 (47.88 प्रतिशत) व्यक्ति हो गये। सारिणी नं० 3.4 से स्पष्ट है।

सारणी नं०3.5 से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुयी है 1921 से 1931 के मध्य 3436 व्यक्ति (10.83 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी जिसमें अनुसूचित जाति के पुरुषों की वृद्धि 1882 व्यक्ति (11.06 प्रतिशत) एवं 1586 (10.90 प्रतिशत) महिलाओं की वृद्धि देखी गयी। 1971 से 1981 के मध्य 21881 व्यक्ति (16.13 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुयी जबकि अनुसूचित जाति के पुरुषों एवं महिलाओं में क्रमशः 12024, (16.98 प्रतिशत) एवं 9857 (15.21 प्रतिशत) वृद्धि हुयी तथा 1991 से 2001 के मध्य 34112 व्यक्ति (16.43 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी जिसमें पुरुष 18421 (16.71 प्रतिशत) एवं 15691 (16.10 प्रतिशत) महिलाओं की अतिरिक्त वृद्धि हुयी। सारिणी नम्बर 3.5 से स्पष्ट है।

अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षित पन्द्रह गांवों में अनुसूचित जाति में धोबी जाति का सर्वाधिक प्रतिशत खरगपुर में 10.26 प्रतिशत तथा सबसे कम टीकर में 0.93 प्रतिशत है इसी प्रकार चमार जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत लमेहटा में 68.03 प्रतिशत तथा सबसे कम तारापुर भिटौरा में 31.97 प्रतिशत है इसी कम में पासी जाति का सर्वाधिक प्रतिशत तारापुर भिटौरा में 61.22 प्रतिशत तथा सबसे कम लमेहटा में 27.05 प्रतिशत है।

सारिणी नं० 3.6

सर्वेक्षित गांवों एवं परिवारों में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 2001

क०सं०	गांव का नाम	अनु.जा. की म. संख्या	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	अन्य
1	उदयराजपुर	18	—	44.44	50.00	5.56	—
2	मुस्तफापुर	36	5.56	55.56	38.88	—	—
3	खरगपुर	78	10.26	39.74	37.18	5.13	7.69
4	सलेमाबाद	32	—	37.50	53.12	3.12	6.26
5	पैनाखुर्द	45	8.89	46.67	37.78	—	6.66
6	घघौरा	42	—	33.33	50.00	7.14	9.53
7	रारा	156	7.05	48.72	39.90	1.28	7.05
8	लमेहटा	122	—	68.03	2705	1.64	3.28
9	टीकर	108	0.93	42.59	50.93	0.93	4.62
10	तारापुर भिटौरा	147	4.76	31.97	61.22	2.04	—
11	मवई	320	4.06	40.63	44.69	1.88	8.75
12	सांखा	268	8.76	54.85	33.21	2.98	—
13	अयाह	298	—	62.75	34.89	0.67	1.69
14	ललौली	532	9.02	42.67	40.04	2.07	6.20
15	सरकण्डी	549	4.19	50.27	41.89	1.05	2.55
	योग—	2751	5.13	48.16	40.71		


सारिणी नं० 3.7
सर्वेक्षित गांवों में मुस्लिम जातियाँ 2001

क०स०	गांव का नाम	मुस्लिम जातियों की सं०	प्रतिशत
1	उदयराजपुर	—	—
2	मुस्तफापुर	30	23.07
3	खरगपुर	18	7.83
4	सलेमाबाद	20	13.33
5	पैनाखुर्द	—	—
6	घघौरा	—	—
7	रारा	12	2.22
8	लमेहटा	—	—
9	टीकर	70	15.56
10	तारापुर भिटौरा	49	6.92
11	मवई	24	3.47
12	सांख्या	50	5.87
13	अयाह	18	2.26
14	ललौली	912	45.65
15	सरकण्डी	72	4.26
	योग—	1275	13.88


तथा मेहतर जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत घघौरा में 7.14 प्रतिशत तथा सबसे कम अयाह में 0.67 प्रतिशत है। तालिका नम्बर 3.6 से स्पष्ट है

3.1.4 मुस्लिम जातियाँ— अध्यापन क्षेत्र में समस्त जन. संख्या का 13.88 प्रतिशत मुस्लिम जातियाँ हैं। सर्वेक्षित पन्द्रह गांवों के परिवारों से स्पष्ट है कि मुस्लिम जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत ललौली में 45.65 प्रतिशत तथा सबसे कम रारा में 2.22 प्रतिशत है जबकि उदयराजपुर, पैनाखुर्द, घघौरा तथा लमेहटा में मुस्लिम जाति के परिवारों की संख्या नगण्य है। तालिका नं० 3.7 एवं चिट्ठा नं० 3.1 द से स्पष्ट है।

सर्वेक्षित गांवों में जातीय केन्द्रीयता सूचकांक



तहसील फतेहपुर : हिन्दू धर्म के पुरुष-स्त्री जनसंख्या वृद्धि (1901-2001)



3.1.5 जातीय केन्द्रीयता सूचकांक— अध्यापन क्षेत्र के सर्वेक्षित गांवों से ज्ञात होता है कि तहसील की 55 न्याय पंचायतों में बसवा सघन है। जातीय केन्द्रीयता सूचकांक का आंकलन निम्न सूत्र के आधार पर किया गया है।

गांव की जनसंख्या (अ) संख्या

जातीय केन्द्रीय सूचकांक = _____

समस्त गांवों की (अ) जनसंख्या

जिसमें

$\frac{\text{ज0के0सू0}}{\text{गांव की ज0(अ) गांव की अमुक जाति (अ) जनसंख्या}}$ = किसी गांव की जातीय केन्द्रीयता सूचकांक
 $\frac{\text{सं0 गांवों की (अ) समस्त गांवों की अमुक जाति (अ) की सं0 सं0गांवों की (अ) जनसंख्या}}{\text{उपरोक्त सूत्र के आधार पर प्राप्त परिकलन को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया है और इसी}}$

सारिणी नं 3.8

सर्वेक्षित गांवों में जातीय केन्द्रीयता सूचकांक

क्रमांक	ग्राम का नाम	सर्वण	पिछड़ी	अनुसूचित	मुस्लिम
01	उदयराजपुर	0.360	0.279	0.360	—
02	मुस्तफापुर	0.153	0.337	0.275	0.235
03	खगरपुर	0.255	0.314	0.344	0.078
04	सलेमाबाद	0.225	0.322	0.222	0.231
05	पैनाखुर्द	0.299	0.350	0.351	—
06	घघौरा	0.396	0.119	0.284	—
07	रारा	0.308	0.301	0.275	0.115
08	लमेहटा	0.379	0.285	0.337	—
09	टीकर	0.178	0.298	0.215	0.309
10	तारापुर भिटौरा	0.237	0.307	0.198	0.258
11	मवई	0.250	0.197	0.460	0.092

12	सांख्या	0.320	0.208	0.315	0.157
13	अयाह	0.275	0.232	0.374	0.118
14	ललौली	0.130	0.098	0.268	0.503
15	सरकणडी	0.294	0.266	0.328	0.112

आधार पर सर्वेक्षित गांवों की सर्वण पिछड़ी, अनुसूचित जाति तथा मुस्लिम जातियों की केन्द्रीयता निकाली गयी है। तालिका नं. 3.8 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्वण जाति की केन्द्रीयता सूचकांक सर्वाधिक घघौरा (0.396) गांवों में ही तथा सबसे कम केन्द्रीयता सूचकांक ललौली (0.130) गांवों में ही चित्र नम्बर 3 अ से स्पष्ट होता है।

सारणी नं 3.8 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों में पिछड़ी जातियों की सर्वाधिक उच्च केन्द्रीयता सूचकांक पैनाखुर्द (0.350) गांवों में ही जबकि सबसे कम केन्द्रीयता सूचकांक ललौली (0.098) गांवों में ही जिसकी पुष्टि 3.2 से होती है।

अनुसूचित जाति की उच्च केन्द्रीय सूचकांक के अन्तर्गत अयाह (0.375) गांवों में ही जबकि सबसे कम केन्द्रीयता सूचकांक के अन्तर्गत तारापुर भिटौरा (0.198) आदि गांवों में हैं जिसकी पुष्टि चित्र नं 03.2 से एवं सारणी नं 3.8 से स्पष्ट है।

मुस्लिम जातियों की सर्वाधिक केन्द्रीयता सूचकांक ललौली में (0.503) तथा सबसे कम खरगपुर में (0.078) गांवों में है सारणी नं 3.8 एवं चित्र नम्बर 3.2 द से स्पष्ट है।

3.1.6 साम्प्रदायिक स्वरूप (धर्म)— मनुष्य जन्म लेते ही सामाजिक बन्धनों में बंधा जाता है और ये बन्धन किसी न किसी धर्म से अवश्य सम्बन्धित रहते हैं। इन्ही सम्बन्धों के अनुसार प्रारम्भिक संस्कार भी बनते हैं धार्मिक मान्यताएं मनुष्य के भौतिक जीवन से सम्बन्धित होती है जिसमें वह सामाजिक रुद्धियों एवं परम्पराओं के अनुरूप प्रवेश करता है फतेहपुर जनपद एक ऐतिहासिक महत्व का जनपद है साथ ही अध्ययन क्षेत्र में भौगोलिक इतिहास की तमाम रुद्धियों को सुलझाने वाले तथ्य विद्यमान है।

1991 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू धर्मावलम्बी व्यक्तियों को प्रतिशत समस्त जनसंख्या 90.02 प्रतिशत है जबकि इस्लाम धर्मावलम्बी 9.32 है शेष अन्य धर्मावलम्बी 0.66 प्रतिशत है परन्तु बाहुल्य हिन्दू धर्मावलम्बियों का है।

स्वतंत्रता पूर्व 1901 से स्वतंत्रता पश्चात् 2001 के विभिन्न धर्मावलम्बियों की जनसंख्या तालिका 5.9 से स्पष्ट है।

प्रत्येक समाज में धर्म का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है लेकिन धर्म के एक सर्वमान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि धर्म कम या अधिक मात्रा में प्राकृतिक तत्वों, शक्तियों, साधनों और आवश्यकताओं से सम्बन्धित विश्वासों तथा आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है।

धर्म का एक अनिवार्य तत्व कुछ धार्मिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के लिए एक विशेष धार्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है।

सारिणी नं. 3.9

फतेहपुर तहसील विभिन्न धर्मों की मान्यताओं में सम्बद्ध लोगों की जनसंख्या

1901—2001

दशक वर्ष	हिन्दू धर्म की जनसंख्या	हिन्दुओं का प्रतिशत	इस्लाम धर्म की जनसंख्या	इस्लामों का प्रतिशत	अन्य धर्मों की जनसंख्या	अन्य धर्मों का प्रतिशत	योग
1901	212568	88.80	26523	11.28	263	0.11	239378
1911	216455	87.79	29710	12.05	394	0.16	246460
1921	202378	87.32	28692	12.38	672	0.29	231766
1931	212473	87.31	28278	11.62	2603	1.07	243355
1941	253173	88.92	34707	12.19	2534	0.89	284725
1951	27618	88.98	31683	10.21	2823	0.91	310355
1961	22605	89.02	36475	9.96	3735	1.02	366215
1971	332261	89.26	43550	9.91	3648	0.83	439459
1981	486588	90.02	50378	9.32	3568	0.66	540534
1991	586211	90.03	61437	9.44	3439	0.53	651087
2001	680233	89.25	78586	10.31	3345	0.44	762164


स्रोत — फतेहपुर जनपद जनगणना सार (1901—2001) खण्ड ब

मन्दिरों, मस्जिदों और चर्चों में व्यक्ति द्वारा अपने पापों का वर्णन करना, ईश्वर की वन्दना करना आत्म संयम, शारीरिक कष्ट और कर्मकाण्डों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न रखना, तीर्थ स्थलों की यात्राएं करना, जोर जोर से ईश्वर की महानता का ज्ञान करना, दुर्गम स्थानों में जाकर अपने विश्वास को प्रकट करना, सामान्य धार्मिक क्रियाएं हैं जिसमें सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। दूसरी श्रेणी की क्रियाओं में हम पुरोहित, पादरियों अथवा मुल्लाओं द्वारा की जाने वाली कुछ विशेष क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं इन क्रियाओं को करने वाले व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि से संयम, पवित्रता और त्याग का जीवन व्यतीत करेंगे तथा धार्मिक क्रियाओं के द्वारा ही मानव अलौकिक शक्ति का कृपा पात्र बन सकता है।

3.2.1 हिन्दू सम्प्रदाय— अध्ययन क्षेत्र में खतंत्रतापूर्व (1901–1941) काल में हिन्दू धर्म की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ दशक 1901 में हिन्दू जनसंख्या 212568 (88.80 प्रति.) थी जबकि 1911 तथा 1921 में क्रमशः 216455 तथा 202378 व्यक्ति हो गयी जो समस्त जनसंख्या का 87.79 प्रति. तथा 87.32 प्रति. हिन्दू जनसंख्या थी 1921 दशक में हिन्दू जनसंख्या का हास हुआ। 1931–41 एवं 1951 की हिन्दू जनसंख्या क्रमशः 212473 (87.3प्रति., 253177) (88.92 प्रति. तथा 276118 (88.98 प्रति.) व्यक्ति रहे तालिका नं0 3.9 से स्पष्ट है।

तहसील फतेहपुर : न्यायपंचायतवार जनसंख्या की
धार्मिक संरचना – 1991

(अ)



चित्र संख्या – 3.3(अ)

सारिणी नं03.10

तहसील फतेहपुर-हिन्दू धर्म के स्त्री एवं पुरुषों का विवरण (1901 से 2001)

दशक वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत
19901	212568	107920	50.77	104648	49.23
1911	216455	110478	51.04	105977	48.96
1921	202378	10605	52.38	96373	47.62
1931	212473	111845	52.64	100628	47.36
1941	253177	132513	52.33	120664	47.66
1951	276118	145846	52.80	130272	47.20
1961	326005	171609	52.64	154396	47.36
1971	392261	206878	52.86	229378	47.14
1991	586211	309874	52.86	276337	47.14
2001	680233	359978	52.92	320255	47.08

स्रोत – फतेहपुर जनपद जनगणना सार (1901–2001) खण्ड ब

स्वतंत्रता पश्चात् (19051–2001 दशक में) हिन्दू संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुयी।

दशक 1961, 1971, 1981 में क्रमशः 326005, 35226 तथा 485588 हिन्दू व्यक्ति थे जो कि समस्त जनसंख्या का 85.02प्रति. 89.26 प्रति. तथा 90.02 प्रति. हिन्दू जनसंख्या थी जो कि 1991 – 2001 के मध्य 586211 (90.03 प्रति.) एवं 680233 (89.25 प्रति.) की वृद्धि हुयी। स्वतंत्रतापूर्व से अब तक के दशक वर्षों में पुरुषों के प्रतिशत में क्रमशः वृद्धि हुयी तथा स्त्रियों के प्रतिशत कमागत हास हुआ।

3.2.2 हिन्दू धर्म की जनसंख्या वृद्धि (1901–2001)– स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दू जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि व ऋणात्मक वृद्धि हुयी।

सारिणी नं० 3.11

तहसील फतेहपुर हिन्दू धर्म की जनसंख्या वृद्धि (1901–2001)

काल	दशक वर्ष	हिन्दू धर्म की जनसंख्या	हिन्दू धर्म की जनसंख्या वृद्धि	प्रतिशत
पूर्व स्वतंत्रता काल	1901	212568	—	—
	1911	216455	3887	+ 1.79
	1921	202378	14077	- 6.95
	1931	212473	10095	+ 4.75
	1941	253177	40704	+ 16.07
स्वतंत्रता काल	1951	276118	22941	+ 8.31
	1961	326005	49887	+ 15.30
	1971	392261	66256	+ 16.85
	1981	486588	94327	+ 19.39
	1991	586211	99623	+ 16.99
	2001	680233	94022	+ 13.82

स्रोत— फतेहपुर जनपद जनगणना सार (1901–2001) खण्ड ब

उपरोक्त सारिणी नं० 3.11 से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व दशक (1901–2001) के मध्य 3887 (+ 179 प्रति.) वृद्धि हुयी। जबकि (1991–21) के मध्य 14077(-6.95 प्रति.) कस हास हुआ। जनसंख्या हास का मुख्य कारण विश्व युद्ध तथा देवीय प्रकोप है। 1921–1931 दशक के मध्य 10095 (+ 4.75–प्रति०) हिन्दू जनसंख्या की वृद्धि हुयी तथा 1931–41 के मध्य 40704 (+ 1607 प्रति.) हासात्मक वृद्धि हुयी।

स्वतंत्रता के पश्चात (1551–2001) के दशकों में हिन्दू धर्म की जनसंख्या में कमागत अत्यधिक वृद्धि हुयी। दशक 1941–1951 के मध्य 2294 व्यक्ति 8.31 प्रति. वृद्धि हुयी। 1971–81 दशक के मध्य 94327 व्यक्ति (प्लस 19.39 प्रति.) की अत्यधिक

वृद्धि हुयी तथा दशक 1991–2001 के दशक 94022 व्यक्ति 13.82 प्रति. हिन्दू जनसंख्या की वृद्धि हुयी।

सारिणी नं 03.12

तहसील फतेहपुर हिन्दू धर्म के पुरुष स्त्री वृद्धि 1901–2001

काल	दशक वर्ष	हिन्दू पुरुष जनसंख्या	प्रतिशत	हिन्दू स्त्री जनसंख्या	प्रतिशत
पूर्व स्वतंत्रता काल	1901	107920	—	104648	—
	1911	110478	2.32	105977	1.25
	1921	106005	4.25	96373	9.56
	1931	111845	5.22	100628	4.22
	1941	132515	15.59	120664	16.60
स्वतंत्रता काल	1951	145846	9.14	130272	7.38
	1961	171609	16.01	154396	15.16
	1971	206878	17.64	186396	16.72
	1981	257210	19.57	229378	19.18
	1991	309874	17.00	276337	16.99
	2001	355978	13.92	320255	13.71

स्रोत – जनपद फतेहपुर जनगणना सार (1901–2001) खण्ड ब

अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू स्त्री पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि स्वतंत्रता पूर्व (1901–1911) दशकों में 2558 (+ 2.32 प्रति.) हिन्दू पुरुष तथा 1329 (1.25 प्रति.) हिन्दू स्त्रियों की वृद्धि हुयी जबकि 1911–21 दशक वर्षों में 4473 (-4.22 प्रति. पुरुषों तथा 9604 (9.96 प्रति.) हिन्दू स्त्रियों की हासात्मक वृद्धि हुई। जब स्वतंत्रता काल के दशक वर्षों में हिन्दू पुरुष स्त्रियां में कमागत वृद्धि हुई। 1951–1961 के मध्य 25763 (16.01 प्रति.) हिन्दू स्त्रियों की वृद्धि हुयी 1971–1981 दशक वर्षों के मध्य 50332 (19.57 प्रति.) हिन्दू पुरुष एवं 43955 (19.18 प्रति.) हिन्दू स्त्रियों की अतिरिक्त वृद्धि हुयी। जबकि

1991 2001 दशक वर्षों में 359978 (13.92 प्रति. हिन्दू पुरुष तथा 320255 13.7प्रति. हिन्दू स्त्रियों की अतिशय वृद्धि हुयी। सारिणी नं03.12 से स्पष्ट होता है ।

तहसील फतेहपुर में1991 की जनगणना के अनुसार न्याय पंचायत का हिन्दू धर्म की जनसंख्या अन्य धर्मों की अपेक्षा सबसे अधिक है न्याय पंचायत स्तर पर उच्चतम हुसेनगंज 9533 व्यक्ति (94.26 प्रति.) जनसंख्या की न्यूनतम हिन्दू धर्म का प्रतिशत कोर्किनक 5814 व्यक्ति 55.54 प्रति. जनसंख्या न्यायं पंचायत में है।

सर्वेक्षण गांवों से स्पष्ट होता है कि इन गांवों में हिन्दू धर्म की जनसंख्या उदयराजपुर 48, मुस्तफापुर 520, खरगपुर 1075, सलेमाबाद 762, पैनाखुर्द 1434, घौरा 1324, रास 2754, लमेहटा3023, टीकर 2739, तारापुर 4411 मवई 3660, सांखा 5880, अयाह6914, ललौली 7784, सरकण्डी 8907, हिन्दू व्यक्ति हैं।

3.2.3. इस्लाम सम्प्रदाय— अध्यापन क्षेत्र में आज भी धर्म के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं। वे लोग पूर्णतया इस्लाम धर्म के प्रति बफादार हैं परन्तु अध्ययन क्षेत्र में यह माना गया कि क्षेत्र की अधिकांश न्याय पंचायतों में प्रायः मुसलमान हिन्दी नीति रिवाज को भी अधिकांशतः लोग मानते हैं। इनके दो त्यौहार ईद तथ मुहर्रम हैं।

अध्यापन क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व 1901–1941 दशक वर्षों में इस्लाम धर्म की जनसंख्या में काफी परिवर्तन हुआ। 1901 में इस्लाम धर्म के 26523 व्यक्ति (11.08 प्रति) व्यक्ति थे जो कि 1911–21 में क्रमशः 29710 (12.05 प्रति) व्यक्ति 28692 (12.38 प्रति) इस्लाम धर्म की जनसंख्या थी। 1931 तथा 1941 दशकों में क्रमागत 28278 (11.62 प्रति) व्यक्ति तथा 34707 (12.19 प्रति) इस्लाम धर्म की जनसंख्या थी।

सारिणी नं.3.13

तहसील फतेहपुर इस्लाम धर्म के पुरुष स्त्रियों का विवरण 1901–2001

दशक वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत
1901	26523	12983	48.95	13540	51.05
1911	29710	14867	50.04	14843	49.96
1921	28692	14644	51.04	14048	48.96
1931	28272	14554	51.48	13724	48.52
1941	34707	17922	51.64	16785	48.36

1951	31683	16168	51.03	15515	48.97
1961	36475	18624	51.06	17851	48.94
1971	53550	22219	51.01	21331	48.99
1981	50378	25864	51.34	24519	48.66
1991	61437	31412	51.13	30025	48.87
2001	78586	40389	51.39	38197	48.61

स्रोत फतेहपुर जनगणना सार (1901से 2001) खण्ड ब

स्वतंत्रता पश्चात 1951–2001 दशक वर्षों में तो जनसंख्या वृद्धि हुई है दशक 1961, 1971 तथा 1981 को कमशः 36475 व्यक्ति 43550 व्यक्ति तथा 50378 व्यक्ति जनसंख्या इस्लाम धर्म की थी जो समस्त जनसंख्या का 9.96 प्रतिशत 9.91 प्रतिशत 9.32 प्रतिशत इस्लाम धर्म की जनसंख्या थी तथा 1991 एवं 2001 में 61437, 9.44 प्रतिशत एवं 78586, 10.31प्रतिशत व्यक्ति इस्लाम धर्म के थें सारणी नं० 3.9 से स्पष्ट है।

सारणी नं० 3.13 से स्पष्ट होता है कि 1901 दशक में इस्लाम धर्म के 12983, 48.95 प्रतिशत पुरुष तथा 13540, 51.05 प्रतिशत महिलाएं थीं जिसमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक थी लेकिन 1911–81 दशकों में क्रमागत स्त्रियों की संख्या में ह्रास होता चला जा रहा है तथा मुस्लिम पुरुषों की संख्या बढ़ रही है 1941–1961 तथा 1981 में कमशः 17922 (51.64 प्रतिशत) पुरुष 16785, 48.36 प्रतिशत स्त्रियां 18688 (51.06प्रतिशत) पुरुष 17851 (51.06) पुरुष 17851(48.94) प्रति. स्त्रियां तथा 25864 (5134प्रति.) पुरुष 24519 (48.66 प्रति.) इस्लाम धर्म की महिलाएं थीं जबकि 1991 और 2001 में कमशः 31412 (51.13 प्रति.) पुरुष 30025 (48.87प्रति.) स्त्रियाँ एवं 40389 (51.39%) पुरुष 38197 (48.61%) इस्लाम धर्म के व्यक्ति थे।

3.2.4 इस्लाम धर्म की जनसंख्या वृद्धि— दशक वर्ष 1901–2001 तक इस्लाम धर्म की जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास समय–समय पर हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण सारिणी नं०3.14 में देखा जा सकता है। सारिणी नं०314 में देखा जा सकता है।

सारिणी नं०314 से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता पूर्व दशक वर्ष 1901–11 के मध्य + 3187 (10.72 %) इस्लाम धर्म की जनसंख्या में वृद्धि हुई जबकि 1911–21 के मध्य

—1018 (3.55%) इस्लाम धर्म की जनसंख्या में यह छास हुआ। 1931—41 दशक वर्षों में + 6429 (18.62%) की वृद्धि हुई।

सारिणी नं०—3.14

तहसील फतेहपुर इस्लाम धर्म की जनसंख्या वृद्धि :— (1901—2001) तक

काल	दशक वर्ष	इस्लाम धर्म की जनसंख्या	इस्लाम धर्म की जनसंख्या वृद्धि	प्रतिशत
पूर्व स्वतंत्रकाल	1901	26523	—	—
	1911	29710	+3187	10.72
	1921	28692	1018	3.55
	1931	28278	414	1.46
	1941	34707	6429	18.52
स्वतंत्रता काल	1951	31683	3024	9.55
	1961	36475	4792	13.14
	1971	43550	7075	16.25
	1981	50378	6828	13.55
	1991	61437	11059	18.00
	2001	78586	17149	21.82


स्रोत फतेहपुर जनपद जनगणना अनुसार (1901—2001) खण्ड—ब

स्वतंत्रता के पश्चात् 1941—51 दशक में—3024 (−9.55 प्रतिशत) इस्लाम जनसंख्या का छास हुआ। 1951—61 तथा 1961—71 में कमशः इस्लाम धर्म की जनसंख्या 4792 (+13.14 प्रतिशत) तथा 7075 (16.25 प्रतिशत) वृद्धि हुई जबकि 1971—81 दशक में मात्र 6824 (13.55 प्रतिशत) इस्लाम धर्म की जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा 1991—2001 दशक वर्ष में 17149 व्यक्ति (21.82 प्रतिशत) इस्लाम धर्म की जनसंख्या में वृद्धि हुई।


तहसील फतेहपुर : हिन्दू साम्राज्यिक कोटिमान
1991

तहसील फतेहपुर : इस्त्वाम साम्राज्यिक कोटिमान
1991

(ब)



(स)



0 1 2 3 4
(कि० मी०)

चित्र संख्या – 3.3(ब, स)

सारिणी नं०-315

तहसील फतेहपुर इस्लाम धर्म के पुरुष, स्त्री जनसंख्या में वृद्धि (1901-2001) तक

दशक वर्ष	इस्लाम पुरुष जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि	इस्लाम स्त्री जनसंख्या	वृद्धि प्रतिशत
पूर्व स्वतंत्रकाल				
1901	12983	1.52	13540	-
1911	14867	0.61	14843	08.78
1921	14644	1.52	14048	05.68
1931	14554	0.61	13724	02.36
1941	17922	18.79	16785	18.27
स्वतंत्रता काल				
1951	16168	10.85	15515	08.18
1961	18624	13.18	17851	13.08
1971	22219	16.17	21331	16.31
1981	25864	14.09	24519	12.98
1991	31412	17.66	30025	18.34
2001	40389	22.22	38197	21.39

स्रोत—फतेहपुर जनपद जनगणना सन् (1901-2001), खण्ड—ब

अध्ययन क्षेत्र में इस्लाम धर्म के स्त्री पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि स्वतंत्रता पूर्व के दशक वर्ष (1901-1911 में 1884) (+12.67 प्रतियो पुरुष 1303) (+8.78%) महिलाओं की वृद्धि हुई। जबकि 1911-21 दशक वर्ष के मध्य 223 (-1.22 प्रतियो) पुरुष, 795 (-5.65 प्रतियो) महिलाओं की ह्वासात्मक वृद्धि हुई। 1931-41 दशक वर्ष में 3368 (18.79 प्रतियो) पुरुष, 16785 (18.22 प्रतियो) स्त्री जनसंख्या में वृद्धि हुई स्वतंत्रता के पश्चात 1941 से 1951 दशक वर्ष में इस्लाम धर्म की जनसंख्या में ह्वासात्मक वृद्धि हुई। लेकिन अन्य दशक वर्ष 1961-71 तथा 1981-91 तथा 2001 में कमशः इस्लाम धर्म की जनसंख्या में वृद्धि हुई। सारिणी नं०-3.15 से स्पष्ट है। अध्ययन क्षेत्र में 1991 की

जनगणना के अनुसार न्याय पंचायत स्तर पर इस्लाम धर्म की जनसंख्या का सर्वाधिक वसाव खानपुर, तेलियानी (13.07 प्रति०) मकनपुर (21.24 प्रति०), कोण्डार 19.53 तथा कोरकिनक (43.97 प्रति०) आदि न्यायपंचायतों में है।

सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि मुस्लिम सम्प्रदाय में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि हुई

3,2,5 अन्य सम्प्रदाय — अध्ययन क्षेत्र का साम्प्रदायिक अध्ययन तीन रूपयों में विभक्त है। यथा प्रथा स्तर पर हिन्दू द्वितीय स्तर पर इस्लामिक तथा तृतीय स्तर के अन्तर्गत सिक्ख इसाई बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायी हैं। जो मंत्र, तंत्र विखरित रूप में आवाद है। अध्ययन क्षेत्र में अभी तक सिक्ख लोग नगरीय केन्द्र बहुआ, (19 प्रति०) तथा फतेहपुर (1.08 प्रति०) क्षेत्र में आबाद हैं। सिक्ख के बाद चौथा स्थान इसाई धर्मावन्तियों का है जो छिट-पुट रूप में न्यायपंचायतों एवं नगरीय केन्द्रों में आबाद है। जो अध्ययन क्षेत्र के जनपद मुख्यालय में चिकित्सालय और स्कूल आदि के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं।

3,2,6 जनसंख्या का साम्प्रदायिक संकेन्द्रण :— अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से दो ही साम्प्रदायिक हिन्दू मुस्लिम व्यक्तियों का वसाव अधिक है तहसील की धार्मिक केन्द्रीयता का मापन निम्न आधार पर किया जाता है।

न्याय पंचायत की हिन्दी जनसंख्या

हिन्दू संकेन्द्रण सूत्र = _____

तहसील की हिन्दू जनसंख्या X 1000


सारिणी नं०-3.16

तहसील फतेहपुर-हिन्दू साम्प्रदायिक संकेन्द्रण


हिन्दू संकेन्द्रण	क्षेत्रफल प्रति शत	न्याय पंचातय संख्या	न्याय पंचातय का नाम
2.63 से अधिक	469.41 29.51	12	मोहन खेड़ा, तारापुर, जमुरावाँ, हस्वा, बहरामपुर, सातों जोगा, चुरियानी, शाह, थरियॉव, कोण्डार, असोथर, जरौली।
2.31-2.63	236.02 14.85	18	रावतपुर, खानपुर, तेलियानी, तालिबपुर, हसनपुर, सानगाँव, खेसहन, खुमारीपुर, गाजीपुर, गम्हरी, कॉधी, कोराई, जगतपुर, अलावलपुर, सनगाँव, कुम्भीपुर, देवरी लक्ष्मणपुर, रारी, लोहारी, मवझ्यापुर, चित्तिसापुर, हुसनेगंज।
2.31 से कम	883.57 55.64	25	फरसी, बेरागढीवा, मकनपुर, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, ढकौली, बडनपुर, ख्वाजीपुर सेमरैया, नरेनी, सेमरी, कुसुम्मी, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, अयाह, बहुआ, महना, बडागाँव, चकस्करन, सांखा, मुत्तौर, कोर्कनक, देवलान, सरवल, कधिया।
योग	1589.00 100.00	55	

उपरोक्त आधार पर प्राप्त परिणामों को चित्र नं०-3.3 ब में विभक्त कर दर्शाया गया है। सारिणी नं०-3.16 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिन्दू सम्प्रदायिक संकेन्द्रण की अन्य कोटिमान नं०- 2.63 से अधिक 12 न्यायपंचायतें हैं। जिसमें मोहनखेड़ा (2.72), जमरावाँ (3.22), असोथर (4.26) न्यायपंचायतें प्रमुख हैं। जो 469.41 है० (29.5 प्रति०) भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत है। 2.31-2.63 मध्यम हिन्दू संकेन्द्रण के अन्तर्गत 8 न्यायपंचायतें आती हैं। जिसमें रावतपुर 2.46, खानपुर तेजिलयानी 2.48 न्यायपंचायतें प्रमुख हैं जिसके अन्तर्गत 236.02 है० (14.85 प्रति०) भौगोलिक क्षेत्रफल है। 2.31 से

तहसील फतेहपुर - इस्लामिक साम्प्रदायिक संकेन्द्रण - 1991



तहसील फतेहपुर - हिन्दू साम्प्रदायिक संकेन्द्रण - 1991



कम निम्न केन्द्रीयता के अन्तर्गत 35 न्यायपंचायतें हैं जिनमें काधी (2.26) अलावलपुर (2.19) तथा कंधिया (1.19) हिन्दू सेकेन्ड्रण की प्रमुख न्यायपंचायतें हैं।


4.2.7 इस्लामिक साम्प्रदायिक सेकेन्ड्रण — इस्लाम केन्द्रीयता की उच्च श्रेणी 1.50 से अधिक के अन्तर्गत 10 पंचायतें आती हैं जिसके अन्तर्गत मोहन खेड़ा (1.63), जमुरावा (1.66) तथा जरौली (1.76) आदि प्रमुख न्यायपंचायतें हैं। जिसके अन्तर्गत 406.67 हैं (25.6 प्रति) क्षेत्रफल के अन्तर्गत हैं। 1.27–1.54 मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत 6 न्यायपंचायतों में 196.85 हैं 12.41 प्रति भौगोलिक क्षेत्रफल है। जिसमें हसवा (1.28) तथा सरवल (1.28) इस्लामिक साम्प्रदायिक सेकेन्ड्रण की प्रमुख न्यायपंचायतें हैं। (1.27) कम निम्न इस्लामिक सेकेन्ड्रण के अन्तर्गत 39 न्यायपंचायतें हैं जिनके अन्तर्गत 985.48 हैं (61.99 प्रति) भौगोलिक क्षेत्रफल है। चित्र नं०–3.3 से एवं सारिणी नं०–3.17 से स्पष्ट होता है।

सारिणी नं०3.17


तहसील फतेहपुर-इस्लामिक साम्प्रदायिक सेकेन्ड्रण 1999

इस्लाम संकेन्ड्रण	क्षेत्रफल है० प्रति.	न्याय पंचायत सं०	न्याय पंचायत का नाम
1.54 से अधिक	406.67	10	मोहनखेड़ा, खानपुर तेलियानी, जमुरावा, मकनपुर, बहरामपुर, चुरियानी, कोण्डार, कोर्कनक, असोथर, जरौली।
1.27–1.54	196.85		हसवा, थरियांव, गाजीपुर।
	12.41	06	गम्हरी, सांखा, सरवल
			अलावलपुर, सनगांव, देवरीलक्ष्मनपुर
1.27 से कम	985.48	39	बरारी, तारापुर, तालिबपुर, लोहारी, हसनपुर, मथड़यापुर, चित्तिसापुर, हुसेनगंज फरसी, बेरागढ़ीवा, लतीफपुर, मोबुजुर्ग, ढकौली, बड़नपुर, खाजीपुर सेमरैया, सातोजोगा, नरैनी, सेमरी, कुसुम्भी, खेसहन, वनरसी शिवगोबिन्दपुर, शाह, अयाह, बहुआ, महना, बड़गांव, चकस्करन, मुत्तौर, दतौती, देवलान, कंधिया।
योग—	1589.00 100.00	55	

सर्वेक्षित गांवों में मुस्लिम जातियाँ 2001



तहसील फतेहपुर : इस्लाम धर्म की जनसंख्या वृद्धि (1901-2001)



सर्वेक्षित 15 गांवों के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक इस्लाम सम्प्रदायिक सेकेन्ड्रण ललौली में 3.51तथा सबसे कम खरगपुर में 0.89 गांव में है।

सारिणी नं03.18

फतेहपुर तहसील हिन्दी भाषा, भाषी जनसंख्या 1991 प्रतिशत

हिन्दी भाषा की प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या	क्षेत्रफल	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
90 से कम	6	153.20	9.63	48390	9.65
92-92	13	347.31	21.84	129914	25.91
92-94	18	578.77	36.44	171189	34.14
94 से अधिक	18	509.72	32.09	151959	30.30
योग-	55	1589.00	100	501452	100

अध्ययन क्षेत्र में हिन्दी भाषा भाषियों में 90 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाली 6 न्याय पंचायते हैं। जिसमें खानपुर, तेलियानी, 87.99 तथा बहरामपुर 89.60 प्रतिशत प्रमुख न्यायपंचायतें हैं। इन न्यायपंचायतों में 153.20 प्रतिशत 9.63 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 48390 व्यक्ति 9.65 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 90-92 के मध्य 13 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 547.31, 21.84 प्रति क्षेत्रफल तथा 129914 व्यक्ति 25.91 प्रतिशत जनसंख्या है। चित्र नं04.4 जिसमें मोहनखेड़ा 90.92 प्रतिशत तथा कोराकनक 90.77 प्रतिशत हिन्दी भाषायी न्यायपंचायतें हैं। 94 प्रतिशत से अधिक हिन्दी बोलने वाले व्यक्ति 18 न्याय पंचायतों में 509.72 प्रतिशत 32.09 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 151959 व्यक्ति 30.30 प्रतिशत अबाद है जिसमें लुहरी 96.76 प्रतिशत तथा जनसंख्या 96.97 प्रतिशत हिन्दी भाषी जनसंख्या प्रमुख न्याय पंचायतों में है। 3.6 चित्र नं01

4.3 भाषा— किसी भी क्षेत्र के निवासियों के अन्तःकरण की भावनाओं को समझने के लिए वहां की भाषा ही एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। बिना भाषा के उस क्षेत्र की निवासियों की वैचारिक अभिव्यक्ति असम्भव है। अध्ययन क्षेत्र में 501452 व्यक्ति 92.77 प्रतिशत हिन्दी भाषी 38867 व्यक्ति 7.19 प्रतिशत उर्दू भाषी और शेष 215 व्यक्ति 0.04 प्रतिशत

अन्य भाषा भाषी व्यक्ति है। अतः मात्र भाषाओं के आधार पर तहसील की भाषायिक संरचना का अध्ययन निम्नरूपों में अपेक्षित है।

4.3.1 हिन्दी भाषा— अध्ययन क्षेत्र में हिन्दी भाषा व्यक्तियों की बहुलता है। क्षेत्र की समस्त न्याय पंचायतों में हिन्दी बोलने वालों का प्रतिशत 87 से 96 के मध्य है। चित्र नं04.4 अध्ययन क्षेत्र में बोली जाने वाली हिन्दी भाषाओं में बुन्देल खण्डी, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, बघेलखण्डी, खड़ी बोली एवं संस्कृत के शब्दों का मिश्रण लिए हुए प्रान्तीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हिन्दीभाषा का सर्वाधिक प्रसार अध्ययन के उत्तर में तालिबपुर 96.29 प्रतिशत पश्चिमी में कांधी 92.10 प्रतिशत पूर्व में नारायनी 93.48 प्रतिशत तथा दक्षिण में मुत्तौर 95.58 प्रतिशत एवं मध्य में बनरसी शिवगोबिन्दपुर 96.68 प्रतिशत न्याय पंचायतों में है। अतः हिन्दी भाषा भाषियों की केन्द्रीयता इन्हीं न्यायपंचायतों में ज्यादा है। वहां पर हिन्दू जनसंख्या की बहुलता है। इसके आधार पर लगभग सभी गांवों में हिन्दी बोली जाती है। सिर्फ ललौली टीकर में कुछ लोग उर्दू बोलते हैं।

उर्दू भाषा भाषी— मात्र भाषायी विभाजन के आधार पर उर्दू भाषा भाषी व्यक्तियों की संख्या 38867 व्यक्ति कानपुर, तेलियानी, 11.86 प्रतिशत पूर्व में मकनपुर 17.63 प्रतिशत पश्चिम में कोराई जगतपुर 8.64 प्रतिशत उत्तरपुर में मोहम्मदपुर बुजुर्ग 10.25 प्रतिशत तथा दक्षिण में कोरकनक 9.19 प्रतिशत न्यायपंचायतों में है। जबकि सबसे कम उर्दू भाषियों का प्रतिशत तालिबपुर 3.69 प्रतिशत न्याय पंचायतों में है अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश मुसलमान हिन्दी बोलते हैं। परन्तु उर्दू उनकी मात्र भाषा है और साम्राज्यिक विभाजन के आधार पर भाषायी विभाजन किया गया है। चित्र नं03.4

सारिणी नं03.19

फतेहपुर तहसील उर्दू भाषा भाषी जनसंख्या 1991 प्रतिशत

उर्दू भाषायी प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेएर	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
4 से कम	9	237.94	14.98	2302	05.92
4-6	8	271.67	17.11	4447	11.44
6-8	19	552.20	34.79	23121	35.05
8 से अधिक	19	527.19	33.17	18497	47.59
योग	55	1589.00	100	38867	100

अध्ययन क्षेत्र में दत्र उर्दू भाषा भाषियों में 4.00 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाली पंचायतों में 237.94 प्रतिशत 14.98 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 2302 व्यक्ति 5.92 प्रतिः जनसंख्या आबाद है। जिसके अन्तर्गत हुसेनगंज 3.31 प्रतिशत तथा चकसकरन 3.85 उर्दू भाषियों की जनसंख्या वाली प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। 4-6 प्रतिशत के मध्य 8 न्याय पंचायतों में 271.67प्रतिः 17.11 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 44.47 व्यक्ति 11.44 प्रतिशत जनसंख्या है। जिनके अन्तर्गत बेरागढ़ीवा 5.29 प्रतिः तथा सरवल 4.47 प्रतिः उर्दू भाषा भाषी की प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। 8प्रतिः से अधिक उर्दू भाषी क्षे. के अन्तर्गत 19 न्याय पंचायतें जिनमें 527.19 प्रति.33.17 प्रति. क्षेत्रफल तथा 18497 व्यक्ति 47.59 प्रति. आवासित हैं। जिनमें कानपुर, तेलियानी 11.86 प्रतिः तथा कोर्ककनक 9.19 प्रतिः उर्दू भाषी जनसंख्या की प्रमुख न्यायपंचायतें हैं।

4.3.3. अन्य भाषा भाषी— अन्य भाषी व्यक्तियों के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा बोली जाती है अंग्रेजी भाषा भाषियों की संख्या तीसरे स्थान पर है। जो तहसील के नगरीय केन्द्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों तक सीमित है जहां पर पड़ोसी प्रान्तों और उनके जनपदों से स्थानान्तरित लोग भी अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। जिनका समस्त भाषायी संरचना का प्रतिशत 0.04 प्रतिः है। चित्र नं03.4

1991 की जनगणना के अनुसार अन्य भाषा सर्वाधिक पश्चिम में मोहनखेड़ा 0.209 प्रतिः पूर्व में हसवा 0.07 प्रतिः उत्तर में तालिबपुर 0.07 प्रतिः तथा दक्षिण में मुत्तौर 0.07 प्रतिः न्याय पंचायतों में अन्य भाषाएं बोली जाती है। सारिणी नं 3.20 के अन्तर्गत फतेहपुर तहसील में अन्य भाषा भाषी जनसंख्या को एकदृष्टीय चित्रण किया गया है।

सारिणी नं03.20

फतेहपुर तहसील अन्य भाषा भाषी जनसंख्या 1991 प्रतिः

अन्य भाषा भाषी प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या	क्षेत्रफल हेठो	प्रतिशत	अन्य भाषा भाषी जनसंख्या	प्रतिशत
.02 से कम	13	357.53	22.53	8	3.72
.02-.04	15	428.59	27.00	32	14.88
.04-.06	14	523.27	32.91	86	40.00
.06 से अधिक	13	279.61	17.56	89	41.40
योग	55	5589.00	100	215	100

सारिणी नं० 3.20 से स्पष्ट होता है कि 102 प्रति० से कम अन्य भाषायी 13 न्याय पंचायतों में 357.53 प्रति०, 22.53 प्रति० क्षेत्रफल तथा 8 व्यक्ति 3.72 प्रति० जनसंख्या के अन्तर्गत आबाद हैं। जिसके अन्तर्गत फरसी 0.01 प्रति० तथा कंधिया .01 प्रति० अन्य भाषा बोलने वालों की प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। .04 से दू०६ है मध्य 14 न्याय पंचायतों में 523.27 प्रति० क्षेत्रफल तथा 86 व्यक्ति 40.00 प्रति० जनसंख्या आवासित है। जिसमें लतीफपुर .05 प्रति० न्याय पंचायत प्रमुख हैं। .06 प्रति० से अधिक अन्य भाषायी वाली 13 न्याय पंचायतें हैं जो कि समस्त जनसंख्या 89 व्यक्ति 41.40 प्रतिशत हैं। जिनमें अन्य भाषा बोलने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या है। चित्र नं० 3.4

3.2 **शिक्षा**— किसी क्षेत्र के औद्योगीकरण, समरीकरण सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में वहां की जनसंख्या में शिक्षा का वितरण या साक्षरता एक अनिवार्य कारक रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में प्राचीन काल से ही इसका उत्कृष्ट विकास होने के बावजूद आज भी अधिकांश जनसंख्या निरक्षर एवं सीमित ज्ञान वाली ही है। किसी भी क्षेत्र के शैक्षिक स्तर के माध्यम से ही वहां की संसाधनों और निवासियों के बौद्धिक विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समय और दूरी के अनुसार शैक्षिक उन्नति क्षेत्रीय संसाधनों का विकास क्षेत्र के सामाजिक स्तर और मानव संसाधन क्षमता तीव्रगति से बढ़ती है। शिक्षा के माध्यम से मानव में आत्म नियंत्रण तथा विकास की भावना बलवती होती है। जिसका आज वैज्ञानिक एवं तकनीकीकरण वातावरण में परम आवश्यक है जिससे सामाजिक स्तर के विकास के लिए आत्म नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक विकास की चेतना को बल मिलता है। जो कि आने वाले भविष्य का निर्णयक भी है। जनसंख्या का शिक्षा स्तर तथा उसका ज्ञान उसके वितरण के माध्यम से विभिन्न प्रतिरूपों को नियमित करने में सहायता प्रदान करता हैं अतः स्पष्ट है कि शिक्षा के स्तर से ही जनसंख्या के भावी विकास की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3.4.1 **शैक्षिक प्रगति एवं शिक्षण संस्थाएं**— अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा की प्रशंसनीय प्रगति नहीं हुई है क्योंकि फतेहपुर जनपद के राज्य में पिछड़े जनपदों की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

स्वतंत्रता से पूर्व 1901-1941 के शिक्षण संस्थाओं में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है तथा उच्च स्तर पर कोई विद्यालय नहीं था 1901 में 18 विद्यालय प्राथमिक 5

विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्तर के मात्र थे जबकि दशक वर्ष 1941 में कुल 19 विद्यालय प्राथमिक 31 हजार सेकेण्डरी जूनियर तथा 4 विद्यालय हायर सेकेण्डरी इण्टर

सारिणी नं 3.21

फतेहपुर तहसील—विभिन्न स्तर पर शिक्षण संस्थाओं का वर्ष 1901—2001 विवरण

दशक वर्ष	बालिका	कुल	अन्य								
1901	—	18	—	5	—	—	—	—	—	—	—
1911	—	26	—	8	—	—	—	—	—	—	—
1921	1	49	—	12	—	1	—	—	—	—	—
1931	3	63	2	23	—	4	—	—	—	—	—
1941	4	79	2	31	—	4	—	—	—	2	1
1951	6	104	4	34	—	4	—	1	—	2	2
1961	14	189	8	47	1	9	—	1	—	4	2
1971	38	269	12	57	2	17	—	1	—	7	2
1981	40	347	28	86	2	21	—	2	—	8	4
1991	40	389	28	93	2	21	—	2	—	11	4
2001	56	453	33	108	6	29	2	4	—	16	8

स्रोत — सारिखीय पत्रिकाएं एवं गजेटियर जनपद फतेहपुर विभिन्न सत्रों के आधार पर

मुस्लिम तथा 1 अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान या स्वतंत्रता काल में विद्यालयों का विकास 1951—2001 दशक वर्षों में क्रमबद्ध गति से वृद्धि हुयी। 1951 में प्राथमिक विद्यालय कुल 189 तथा 16 बालिका विद्यालय एवं हायर सेकेण्डरी कुल 34 एवं 4 बालिका विद्यालय थे। 2 अन्य शिक्षण संस्थाएं भी प्रारम्भ हुई 1991 में 389 प्राथमिक 93 जूनियर 21इण्टरमीडिएट 2 महाविद्यालय 11 अन्य शिक्षण संस्थाएं तथा 2001 में 453 प्राथमिक 108 जूनियर 29 इण्टरमीडिएट 4 महाविद्यालय एवं 16 अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं। (सारिणी नं 03.21)

3.4.2 साक्षर जनसंख्या वर्ष 1991 में अध्ययन— क्षेत्र में 164277 जनसंख्या 30.39 प्रतिशत साक्षर हैं जिनमें पुरुष 128466 जनसंख्या 78.21 प्रतिशत स्त्रियां 35811 प्रति. 21.78 प्रति. जनसंख्या साक्षर है। विकास खण्ड स्तर पर तेलियानी 23786 जनसंख्या 14.48 प्रतिशत भिटौरा 26007 जनसंख्या 15.83 प्रति. हस्वा 24911 जनसंख्या 15.86 प्रतिशत बहुआ 25523 जनसंख्या 15.55 प्रतिशत असोथर 26475 जनसंख्या 16.12 प्रतिशत साक्षर है।

अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 25 प्रतिशत से अधिक उच्चकोटि मान स्तर के अन्तर्गत 21 न्याय पंचायतें आती है, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर बनरसी शिवगोबिन्दपुर 29.49 प्रतिशत कांधी 26.09 प्रतिशत प्रमुख हैं। 21.25 कोटिमान स्तर पर 18 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें जमुरांवा 20.21 तथा खाजीपुर सेमरैया 21.47 प्रतिशत प्रमुख न्याय पंचायतें हैं 20 प्रतिशत से कम निम्न साक्षर व्यक्तियों के अन्तर्गत 16 न्याय पंचायतें आती हैं जिसमें बराबरी 16.05 प्रतिशत बिरिहसापुर, 18.50 प्रतिशत प्रमुख न्याय पंचायतें हैं सारिणी नं04.22 एवं चित्र नं03.5 आ।

सारिणी नं03.22

फतेहपुर तहसील साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत 1991

साक्षरता प्रतिशत	कोटि स्तर	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायतों के नाम
25 से अधिक	उच्च	21	बनरसी, शिवगोबिन्दपुर, शाह, चुरियानी, अयाह, बहुआ, मोहनखेड़ा, रावतपुर, कांधी, कोराई, अलावलपुर, खानपुर तेलियानी, सनगांव, देवरी, लक्ष्मणपुर, तारापुर, ढकौली, सेमरी, महना, कोण्डार, कोर्कनक, मुत्तौर, असोथर।
21–25	मध्यम	18	तलिबपुर, जमुरावा, हसनुपर, हुसेनगंज हस्वा, फरसी, बेरागढ़ीवा, बड़नपुर, हस्वा, सनगांव खुमारीपुर, खाजीपुर, सेमरैया, बहरामपुर, बड़गांव, चकस्करन, गाजीपुर, सांखा, दत्तौली, सरवल, कंधिया।

20 से कम	निम्न	16	बरारी, लोहारी, मथड़ियापुर, चित्तिसापुर, मकनपुर, लतीफपुर, मो०बुजुर्ग, मुरांव, थरियांव, सातोंजोगा, नरैनी, कुसुम्भी, खेसहन, गम्हरी, देवलान, जरौली।
----------	-------	----	---

सारिणी नं० 3.23 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में पुरुष साक्षर व्यक्ति 40 प्रतिशत से अधिक उच्चकोटि स्तर के अन्तर्गत 17 न्याय पंचायतें हैं जिसमें मोहनखेड़ा 40.87 प्रति० खानपुर तेलियानी 40.98 प्रतिशत प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। 31-40 प्रतिशत मध्यम कोटि स्तर पर 28 न्याय पंचायतें हैं। तथा निम्न 30 प्रतिशत से कम साक्षरता के अन्तर्गत 10 न्याय पंचायतें हैं। जिनमें बराबरी 27.65 प्रतिशत लोहारी 26.53 प्रतिशत प्रमुख है।

सारिणी नं०3.23 फतेहपुर तहसील—साक्षर पुरुषों का प्रतिशत वर्ष 1991

पुरुष साक्षर प्रतिशत	कोटि स्तर	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायतों के नाम
40 से अधिक	उच्च	17	मोहनखेड़ा, रावतपुर, अलावलपुर, खानपुर, तेलियानी, सनगांव, देवरी लक्ष्मणपुर, तारापुर, ढ़कौली, नरैनी, सेमरी, बनरसी, शिवगोबिन्दपुर, शाह, अयाह, बहुआ, महना, कोर्कनक, मुत्तौर
31-40	मध्यम	18	सरवल, कंधिया, असोथर कांधी, कोराई, तालिबपुर, जमुरांवा, हसनपुर, मथड़ियापुर, चित्तिसापुर, हुसनेगंज, फरसी, बेरागढ़ीवा, लतीफपुर, बड़नपुर, हस्वा, सनगांव, खुमारीपुर, खाजीपुर सेमरैया
30 से कम	निम्न	20	थरियांव, बहरामपुर, कुसुम्भी, खेसहन, चुरियानी, चकस्करन, गाजीपुर, सांखा, कोण्डार, दतौली, बरारी, लोहारी, मकनपुर, मो०बुजुर्ग मुरांव, सातोंजोगा बड़गांव, गम्हरी, देवलान, जरौली।

सारिणी नं० 3.24 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में साक्षर स्त्री 8 प्रतिशत से अधिक कोटिमान में 30 न्याय पंचायतें आती है। जिसमें मोहनखेड़ा 16.56 प्रतिशत कोराई 12.63 प्रतिशत प्रमुख हैं। 5-8 प्रतिशत मध्यम कोटि स्तर पर 15 न्याय पंचायतें हैं। 5 प्रति. से कम साक्षर स्त्रियों के अन्तर्गत 10न्याय पंचायतें हैं जिसमें चित्तिसापुर 3.38 प्रतिशत लतीफपुर 4.35 प्रतिशत ख्वाजीपुर सेमरैया 4.95 प्रतिशत प्रमुख न्याय पंचायतें हैं चित्र नं.3.6 अ एवं सारिणी नं०3.24।


सारिणी नं० 3.24

फतेहपुर तहसील—साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 1991

स्त्री साक्षर प्रतिशत	कोटि स्तर	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत के नाम
08 से अधिक	उच्च	20	मोहनखेड़ा, रावतपुर, कांधी, कोराई, अलावलपुर, खानपुर, तेलियानी, तारापुर, जमुरावां, हुसनेगंज, फरसी, हस्वा, सनगांव खुमारीपुर, सातोजोगा, बहरामपुर, सेमरी, बनरसी शिवगोबिन्दपुर, शाह, चुरियानी, अयाह।
5-8	मध्यम	15	बहुआ, महना, गाजीपुर, सांखा, कोण्डार, कोर्काकनक, मुत्तौर, कंधियां, असोथर, सनगांव देवरी, लक्ष्मणपुर, बरारी, तालिबपुर
5 से कम	निम्न	20	हसनपुर, मथड्यापुर, बेरागढ़ीवा, बड़नपुर, सातोजोगा, नरैनी, खेसहन, गम्हरी, दतौली, सरवल, जरौली, चित्तिसापुर, लतीफपुर, मकनपुर, मोबुजुर्ग, मुरांव, ख्वाजीपुर सेमरइया, थरियांव, कुसुम्भी, लोहारी, देवलान।

3.4.3. साक्षरता की केन्द्रीयता—

अध्ययन क्षेत्र की कुल साक्षरता पुरुष एवं स्त्री साक्षरता की केन्द्रीयता का आंकलन निम्न सूत्र से निकाला गया है।




तहसील फतेहपुर : साल 1991


0 1 2 3
किमी




मुख्य साल 1991 की केन्द्रीयता



संकेत साल 1991 की केन्द्रीयता



संकेत साल 1991 की केन्द्रीयता



चित्र स0 - 3.5

ख

क= ————— X घ
ग

जिसमें

क= न्याय पंचायत में किसी भी वर्ग विशेष की साक्षरता का केन्द्रीयता सूचकांक

ख= न्याय पंचायत में किसी वर्ग अ की साक्षरता संख्या

ग= तहसील की किसी वर्ग अ की साक्षर जनसंख्या

घ= स्थिरांक 1000

सारिणी नं० 3.25

फतेहपुर तहसील कुल साक्षर जनसंख्या की केन्द्रीयता 1991

साक्षर केन्द्रीयता	कोटि स्तर	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत के नाम
1.80 से अधिक	उच्च	15	मोहनखेड़ा, रावतपुर, खानपुर तेलियानी, सनगांव शाह, तारापुर, बहरामपुर, चुरियानी, कोण्डार, कोर्कनक, असोथर, कांधी ।
1.41 से 1.80	मध्यम	16	ढ़कौली, हस्वा, सनगाव, खुमारीपुर, सेमरी, गाजीपुर, गम्हरी, मुत्तौर, जरौली, थरियांव, देवलान, सरवल, कंधिया, देवरी लक्ष्मणपुर, बरारी, तालिबपुर, लोहारी ।
1.40 से कम	निम्न	24	हसनपुर, मथइयापुर, चित्तिसापुर, हुसेनगंज फरसी, बेरगढ़ीवा, मकनपुर, लतीफपुर, मोबुजुर्स, बड़नपुर, मुरांव, ख्वाजीपुर सेमरइया, सातोजोगा, नरैनी, कुसुम्भी, खेसहन, बनरसी शिवगोबिन्दपुर, अयाह, बहुआ, महना, बड़गांव, चक्रस्करन, सांखा, दत्तौली, देवलान, सरवल, कंधिया ।

सारिणी नं० 3.25 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल साक्षर जनसंख्या की केन्द्रीयता 1.80 से अधिक उच्च कोटिमान के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें मोहनखेड़ा 2.22 तारापुर 2.08 न्याय पंचायतें प्रमुख हैं 1.40 से 1.80 के मध्य केन्द्रीयता के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायतें हैं, जिसमें जमुरांवा 1.70 जरौली 1.78, साक्षर केन्द्रीयता है। 1.40 निम्न साक्षर केन्द्रीयता में 24 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें सातोजोगा 1.26 दत्तौली 1.21 प्रमुख है। चित्र नं० 3.6 द ।

सारिणी नं० 3.26

फतेहपुर तहसील साक्षर पुरुष जनसंख्या की केन्द्रीयता – 1991

साक्षर केन्द्रीयता	कोटि स्तर	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत के नाम
2.00 से अधिक	मध्यम	10	मोहनखेड़ा, रावतपुर, सनगांव, तारापुर, बहरामपुर, शाह, चुरियानी, कोण्डार, कोर्किनक, असोथर
1.51–2.00	मध्यम	15	हसनपुर, कांधी, अलावलपुर, मुत्तौर, जरौली, खानपुर तेलियानी, जमुरावा, ढकौली, हसवा, सनगांव, खुमारीपुर, थरियांव सेमरी बड़ागांव गाजीपुर, गम्हरी
1.50 से कम	निम्न	30	कोराई, देवरी लक्ष्मणपुर, बरारी, तालिबपुर, लोहारी, मथइयापुर, चित्तिसापुर, हुसनेगंज, फरसी, बेरागढ़ीवा, मकनपुर लतीफपुर, मोबुजुर्ग, बड़नपुर, मुरांव खाजीपुर सेमरइया, सातोजोगा, नरैनी, कुसुम्मी, खेसहन, बनरसी शिवगोबिन्दपुर, अयाह, बहुआ, महना, चकस्करन, सांखा, दतौली, देवलान, सरवल, कंधियां

सारिणी नं० 3.26 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में साक्षर पुरुष केन्द्रीयता के अन्तर्गत सर्वाधिक उच्च श्रेणी में 10 न्याय पंचायतें आती हैं जो कि 2.00 से अधिक जिसमें मोहनखेड़ा 2.12, तथा कोण्डार 3.41 प्रमुख न्याय पंचायतें हैं 1.51 से

2.00 केन्द्रीयता सूत्र सूचकांक के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायतें हैं जिसमें अलावलपुर, 1.65 ढ़कौली 1.63 प्रमुख हैं 1.50 से कम साक्षर पुरुष केन्द्रीयता के अन्तर्गत 30 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें देवलान 1.16 सरवल 1.30 न्याय पंचायते प्रमुख हैं चित्र नं.3.6 ब

सारिणी नं० 3.27

फतेहपुर तहसील—स्त्री साक्षर जनसंख्या की केन्द्रीयता 1991

साक्षर केन्द्रीयता	कोटि स्तर	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत के नाम
1.50 से अधिक	उच्च	15	मोहनखेड़ा, रावतपुर, अलावलपुर, खानपुर तेलियानी, तारापुर, हसवा, बहरामपुर, शाह, चुरियानी, गाजीपुर, कोणडार, कोर्कनक, मुत्तौर, जरौली।
1.01 से 1.50	मध्यम	11	कांधी, जमुरांवा, हुसेनगंज, ढ़कौली, नरैनी, सेमरी, बनरसी शिवगोबिन्दपुर, अयाह, बहुआ महना, कंधिया
1.00 से कम	निम्न	29	कोराई, सनगांव, देवरी, लक्ष्मणपुर, बरारी, तालिबपुर, हसनपुर, लोहारी, मथड़यापुर, चित्तीसापुर, फरसी, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, लतीफपुर, मोबुजुर्ग, बड़नपुर, सनगांव, खुमारीपुर, मुरांव, ख्वाजीपुर, सेमरइया, थरियाव, सातोजोगा, कुसुम्भी, खेसहन, बड़गांव, चकस्करन, गम्भरी, सांखा, दत्तौली, देवलान सरवल।

सारिणी नं० 3.27 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 1.50 से अधिक उच्च केन्द्रीयता के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें हसवा 1.74 रावतपुर, 2.28 प्रमुख न्याय पंचायतें हैं 11.0—1.50 मध्यम स्त्री साक्षर केन्द्रीयता के अन्तर्गत 11 पंचायते हैं जिसमें कांधी 1.42 प्रमुख हैं 1.00 से कम स्त्री साक्षर केन्द्रीयता के अन्तर्गत 29 न्याय पंचायतें हैं जिसमें बरारी 0.48 प्रमुख है। चि.नं० 3.6 से ।

3.4.4 गैर शिक्षित निरक्षर जनसंख्या का विवरण— अध्ययन क्षेत्र में 376257 व्यक्ति गैर शिक्षित है जो समस्त गैर शिक्षित जनसंख्या का 69.61 प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तर उच्चतम भिटौरा 97574 व्यक्ति न्यूनतम तेलियानी 62500 व्यक्ति गैर शिक्षित है न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक गैर शिक्षित कोण्डार 16112 व्यक्ति 74.88 प्रति० जनसंख्या तथा सबसे कम निरक्षर मुत्तौर 4648 जनसंख्या 63.20 प्रति० न्याय पंचायतों में है।

सारिणी नं०3.28

फतेहपुर तहसील – गैर शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत

गैर शिक्षित प्रति०	श्रेणी	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत के नाम
77 से अधिक	उच्च	27	बरारी, तालिबपुर, जमुरांवा, लोहारी, हसनपुर, मथइयापुर, चित्तिसापुर, फरसी, बेरागढ़ीवा, मकरनपुर, लतीफपुर, मो०बुजुर्ग, हसवा, मुरांव, खाजीपुर सेमरइया, थरियांव, बहरामपुर, सातोजोगा, नरैनी, कुसुम्भी, खेसहन, चकस्करन, गम्हरी, साखां, देवलान, सरवल, जरौली।
73 से 77	मध्यम	14	कांधी, कोराई, जगतपुर, हुसनेगंज, ढकौली, बड़नपुर, सनगांव, खुमारीपुर, सेमरी, चुरियानी, बड़गांव, गाजीपुर, कोण्डार, दतौली, असोथर, कंधिया
72 से कम	निम्न	14	मोहनखेड़ा, रावतपुर, अलावलपुर, खानपुर, तेलियानी, सनगांव, देवरी लक्ष्मणपुर, तारापुर, बनरसी शिवगोबिन्दपुर, शाह, अयाह, बहुआ, महना, कोराकनक, मुत्तौर आदि।

सारिणी नं० 3.28 के विवरण से ज्ञात होता है कि गैर शिक्षित जनसंख्या उच्चकोटि स्तर पर सर्वाधिक 27 न्याय पंचायतों का विभाजन 77 प्रति० से अधिक गैर शिक्षित

व्यक्तियों में किया गया है जिसमें बरारी 83.05 तथा मो० बुजुर्ग 83.72 प्रति. न्याय पंचायतें प्रमुख है। 73.77 प्रति० के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायतें आती है, निम्न कोटि समूह 72 प्रति. से कम गैर शिक्षित जनसंख्या के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायतें है। चित्र नं०3.5

- 3.4.5 **गैर शिक्षित जनसंख्या की वृद्धि**— 1981-91 दशक में निरक्षर जनसंख्या में वृद्धि अत्यधिक वृद्धि हुयी है। विकास खण्ड स्तर पर गैर शिक्षित जनसंख्या भिटौरा में 13855 जनसंख्या असोथर में 12318 जनसंख्या तेलियानी में 9034 जनसंख्या तथा हस्वा में 7361 जनसंख्या की वृद्धि हुयी न्याय पंचायत पर गैर शिक्षित जनसंख्या की वृद्धि अयाह में 5806 जनसंख्या तथा बहरामपुर 1799 जनसंख्या की वृद्धि हुयी। मध्यम स्तर पर रावतपुर 1465 जनसंख्या दत्तौली 1276 गैर शिक्षित जनसंख्या की वृद्धि हुयी। सबसे कम गैर शिक्षित जनसंख्या की वृद्धि देवलान 798 न्याय पंचायतों में हुयी।
- 3.4.6 **शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत विद्यार्थी**— अध्ययन क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत विद्यार्थियों की जनसंख्या कम है प्राथमिक स्तर से जैसे से उच्च स्तर को क्रमागत बढ़ते हैं, विद्यार्थियों की संख्या में क्रमागत अत्यधिक कमी होती जाती है।

सारिणी नं० 3.29

फतेहपुर तहसील— शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत विद्यार्थी—1901—2001

वर्ष	प्राथमिक	जूनियर	हायर सेकेण्डरी	महाविद्यालय	अन्य
1901 छात्र छात्राएं	188	56	—	—	—
1911 छात्र छात्राएं	229	76	—	—	—
1921 छात्र छात्राएं	1324 116	409	62	—	43
1931 छात्र छात्राएं	3879 117	1526	535	43	43
1941छात्र	4134	1763	892	—	45

छात्राएं	149	51	—	—	—
1951 छात्र	7349	2144	1236	75	52
छात्राएं	305	106	—	—	—
1961 छात्र	14671	4389	2193	221	58
छात्राएं	913	217	103	9	—
1971 छात्र	31448	10126	5546	543	160
छात्राएं	12166	1954	853	28	11
1981 छात्र	381985	15595	8779	870	532
छात्राएं	18764	2816	1974	134	23
1991 छात्र	57862	21462	16403	1033	572
छात्राएं	29202	3092	2148	219	38
2001 छात्र	89645	48540	36813	2866	1134
छात्राएं	41324	5193	4153	954	86

सोत – जनपद फतेहपुर सांख्यिकीय कार्यालय

सारिणी नं० 3.29 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व 1901 से 1941 तक दशक वर्षों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक कम थी 1901 में कुल पंजीकृत विद्यार्थी 244 थे जिसमें 18 छात्र प्राथमिक स्कूल में 56 छात्र जूनियर स्कूल में थे। 1941 दशक वर्ष में यह संख्या बढ़कर 7034 विद्यार्थी हो गये जिसमें प्राथमिक स्कूलों में 4283 विद्यार्थी 4134 छात्र एवं 149 छात्राएं जूनियर में 1814 विद्यार्थी 1763 छात्र एवं 51 छात्राएं हायर सेकेण्डरी में 852 छात्र एवं अन्य विद्यार्थियों में 45 विद्यार्थी थे।

स्वतंत्रता काल के पश्चात 1951–01 दशक वर्षों में शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ विद्यार्थियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी। 1951 दशक वर्ष में पंजीकृत कुल 11267 विद्यार्थी थे जिसमें प्राथमिक स्कूल में कुल 7654 विद्यार्थी 7349 छात्र, 305 छात्राएं जूनियर में 2250 विद्यार्थी, 2144 छात्र 106 छात्राएं हायर सेकेण्डरी एवं इंटरमीडिएट में 1236 छात्र महाविद्यालय में 75 छात्र तथा अन्य विद्यालयों में 52

विद्यार्थी थे जबकि वर्तमान समय में 1991 दशक वर्ष में पंजीकृत कुल 132031 विद्यार्थी हैं। जिसमें प्राथमिक विद्यालय में कुल 87064 विद्यार्थी 57862 छात्र 29202 छात्राएं जूनियर 24554 विद्यार्थी 21462 छात्र 3092 छात्राएं हायर सेकेण्डरी एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय में कुल 28551 विद्यार्थी 14403 छात्र, तथा 2148 छात्राएं एवं महाविद्यालय में पंजीकृत कुल 1252 विद्यार्थी 1033 छात्र 219 छात्राएं तथा अन्य तकनीकी विद्यालयों में कुल 610 विद्यार्थी 572 छात्र, 38 छात्राएं पंजीकृत हैं। 2001 में प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्र 89645, छात्राएं 41324, जूविद्यालयों में पंजीकृत छात्र 4854, छात्राएं 5193 हायर सेकेण्डरी में पंजीकृत छात्र 36813—छात्राएं 4153 तथा महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्र 2866, छात्राएं 954 तथा अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत छात्र 1134, छात्राएं 86 हैं। सारिणी नं03.29

3.4.7 शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं का विवरण— अध्ययन क्षेत्र में पंजीकृत अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। तहसील मुख्यालय में तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाएं हैं, परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण विद्यालयों को अध्ययन में अत्यधिक कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इनकी आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितियां एवं पारिवारिक वातावरण, रहन सहन जीवन स्तर के अनुकूल नहीं हैं।

सारिणी नं.3.30 से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता काल से पूर्व अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं का स्तर नगण्य है। 1921 दशक वर्ष में अनुसूचिज जाति के पंजीकृत कुल 51 विद्यार्थी थे जिसमें 38 छात्र प्राथमिक स्कूलों तथा 13 छात्र जूनियर स्कूलों में थे। 1901 से 1951 दशक वर्षों में अनुसूचित जाति की छात्रों में शिक्षा का अभाव था 1941 दशक वर्षों के अनुसूचित जाति के कुल 269 विद्यार्थी पंजीकृत थे। प्राथमिक 140 छात्र, जूनियर में 103 छात्र, हायर सेकेण्डरी में 19 छात्र तथा अन्य तकनीकी विद्यालयों में 7 छात्र पंजीकृत थे।

स्वतंत्रता काल के पश्चात् 1951–2001 दशक वर्षों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में शिक्षा का विकास हुआ तथा अनुसूचित जाति के छात्राओं में अपनी शिक्षा आरम्भ किया।

सारिणी नं 03.30

फतेहपुर तहसील—अनुसूचित जाति के पंजीकृत छात्र—छात्राओं का विवरण

1901—2001

वर्ष	प्राथमिक	जूनियर	हायर सेकेण्डरी	महाविद्यालय अन्य	अन्य
1901 छात्र छात्राएँ	— —	— —	— —	— —	— —
1911 छात्र छात्राएँ	— —	— —	— —	— —	— —
1921 छात्र छात्राएँ	38 —	13 —	— —	— —	— —
1931 छात्र छात्राएँ	113 —	51 —	08 —	— —	— —
1941 छात्र छात्राएँ	140 —	103 —	19 —	— —	07 —
1951 छात्र छात्राएँ	238 —	176 —	104 —	— —	09 —
1961 छात्र छात्राएँ	2120 28	139 07	436 03	18 —	19 —
1971 छात्र छात्राएँ	68 1464	90 96	1861 28	1091 03	52 —
1981 छात्र छात्राएँ	7675 1609	2019 208	1157 134	89 12	102 06
1991 छात्र छात्राएँ	12006 4538	2880 427	1843 484	210 16	138 12
2001 छात्र छात्राएँ	21385 6897	4354 1123	3854 631	716 123	214 28

सोत जनपद—फतेहपुर सांख्यकीय कार्यालय पत्रिका 2001

1991 में अनुसूचित जाति की पंजीकृत 22554 विद्यार्थी हैं। जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में 16544 विद्यार्थी 13006 छात्र 4538 छात्रायें जू0 में 3307 विद्यार्थी 2880 छात्र 427 छात्राएं हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में 2327 विद्यार्थी 1843 छात्र 16 छात्रायें तथा अन्य विद्यालयों में 150 विद्यार्थी 138 छात्र 12 छात्रायें अनुजाति की पंजीकृत हैं। 2001 में प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के पंजीकृत छात्र 21385 छात्राएं 6897 जूनियर विद्यालयों में पंजीकृत छात्र 4354, छात्राएं 1123, हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में पंजीकृत छात्र 3854 छात्राएं 631, महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्र 716, छात्राएं 123 तथा अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत अनुसूचित जाति के छात्र 214, छात्राएं 28 हैं। सारिणी नं03.30।

शिक्षित नागरिक ही किसी राष्ट्र प्रगति के आधार पर स्तम्भ होते हैं। जबकि अध्ययन क्षेत्र के फतेहपुर जनपद एवं फतेहपुर तहसील के साक्षरता औंकड़ों को देखते हुए है तो पाते हैं कि वर्ष 1901 में 3.8 प्रतिभु 1911 में 4.2 प्रतिभु, 1921 में 5.3 प्रतिभु, 1931 में 7.6 प्रतिभु 1941 में 10.5 प्रतिभु 1951 में 14.4 प्रतिभु 1961 में 20.7 प्रतिभु तथा 1971 में 22.8 प्रतिभु व्यक्ति ही साक्षर थे। 1991 की जनगणना के अनुसार तहसील फतेहपुर में 25.97 प्रतिभु व्यक्ति ही साक्षर थे जबकि साक्षरता पुरुषों में 38.07 प्रतिभु तथा स्त्री में 12.48 प्रतिभु थी अर्थात् हमारे यहाँ लगभग आधे पुरुष तीन चौथाई सत्रियों से ज्यादा अभी भी अशिक्षित हैं।

3.4.8 समग्र साक्षरता की प्रसांगिकता – 22 जनवरी 1990 को हमारे देश में अर्तराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के शुभारम्भ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि साक्षरता लोगों के विश्वास का आधार है। शिक्षा द्वारा एक हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है तथा सामाजिक सम्बद्धता पैदा होती है। शिक्षा का सर्वोकार केवल जानकारी एकत्र करने से ही नहीं है। बल्कि मानवीय जागरूकता को बढ़ाना तथा नैतिक मूल्यों एवं चरित्र का विकास भी करना है।

अनौपचारिक शिक्षा अथवा प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षा के विभिन्न वर्गों के स्थान पर पत्थेक आयु वर्ग के कल्याण हेतु समग्र साक्षरता कार्यक्रम का सर्वथा अनूठा प्रयोग आरम्भ किया गया है।

सारिणी नं० 3.33
अध्ययन क्षेत्र में समग्र साक्षरता की प्रासंगिकता

विकास खण्ड प्रति० नगर पालिका	6-2 वय वर्ग	9-15 वय वर्ग	15-35 वय वर्ग	35-45 वय वर्ग	योग
तेलियानी	3169	3783	13776	6235	26983
बहुआ	3885	4885	15368	6984	30202
हसवा	1613	7660	22288	9387	46248
भिटौरा	6401	7474	22651	9756	46242
असोथर	4643	4941	12100	7167	28851
न०पा०फतेहपुर	1336	1878	7461	299	12734
योग	26347	30601	93694	39828	191260

झोत – 23 जनवरी 1990 को दैनिक आज समाचार पत्र द्वारा डा० ए०एन० अग्निहोत्री में प्रकाशित।

सारिणी नं०-333 के अवलोकन से प्रमाणित एंव स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में निरक्षरता की स्थिति के आंकलन हेतु जो सर्वेक्षण कार्य कराया गया है उन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हमारे साक्षर 6-45 आयु वर्ग के 191260 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने का लक्ष्य है। विकास खण्ड स्तर पर 6-9 आयु वर्ग के अन्तर्गत तेलियानी, 3169 हसवा, 6913 भिटौरा, 6401 बहुआ, 3885 असोथर, 4643 तथा नगर पालिका फतेहपुर 1336 व्यक्तियों को साक्षर करने का लक्ष्य है जबकि 35-45 आयु वर्ग के अन्तर्गत सर्वाधिक भिटौरा 9756 एंव सबसे कम नगरपालिका फतेहपुर 299 व्यक्ति सम्मिलित किये गये हैं। जबकि कुल समग्र साक्षरता के तहत तेलियानी 26982 हसवा 46248 भिटौरा 40242 बहुआ, 30202 असोथर, 28851 तथा नगर पालिका फतेहपुर में 12734 व्यक्ति लक्ष्य में सम्मिलित किये गये हैं। टाउन एसिया बहुआ के ऑकडे विकास खण्ड बहुआ में सम्मिलित हैं। सारिणी नं०-3.31

हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, शोषण जैसी विसमताओं व संघर्ष का शिकार है। माता की अशिक्षा एवं उनकी धीमी सामाजीकरण का सीधा प्रभाव उनके बालकों की शिक्षा पर पड़ता है। स्कूलों में पर्याप्त संख्या का न होना, अध्यापकों का आभाव स्थानीय आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का न होना। सामाजिक चेतना का न होना आदि प्रमुख कारण रहे हैं। परन्तु अभिभावक की निरक्षरता भी एक महत्वपूर्ण कारण रही है। स्वतंत्रता की तीन दशकों के बाद भी फतेहपुर तहसील की आधे से अधिक शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या शिक्षा की मूल भूत आवश्यकता से वंचित रहा है।

3.5 समाज में स्त्रियों का स्थान —सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बहुत बड़ी सीमा तक इस तथ्य से प्रभावित होता है कि उसके अन्तर्गत स्त्रियों की स्थिति कैसे है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति से सम्बन्धित विवाद का कारण यह नहीं हम जैवकीय अथवा मानसिक रूप से उन्हें दोषपूर्ण मानते हैं बल्कि इसका कारण हमारी पवित्रता सम्बन्धी संकीर्ण विचार धारा ही है। हमारी मौलिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती रही हैं। स्त्री को पुरुष की अर्धांगनी के रूप में स्थान दिया गया है। जिसके अभाव में किसी भी कर्तव्य की पूर्ति नहीं की जा सकती है।

भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता अनुलोम विवाह है। इससे आवश्यक है कि कन्या अपने से उच्च कुल या वर्ग में व्याही जाय। कंगाल का कुलीन वाद इसका उदाहरण है। उत्तर भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुर्जी, कायस्थों, वैश्यों व अन्य जातियों में अनुलोम विवाह प्रचलित है इस प्रथा में एक ओर उच्च जातियों में दहेज प्रथा और बहु पत्नी विवाह को प्रोत्साहित किया।

अध्ययन क्षेत्र में स्त्री के लिए मॉ बनना आवश्यक है पुत्र जन्म देने पर स्त्री भी परिस्थिति परिवार में ऊँची हो जाती है और बॉझ होना पाप समझा जाता है और ऐसी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। जब तक वह पुत्र को जन्म नहीं देती पुत्र बधू के रूप में उसकी परिस्थिति नीची रहती है।

पूर्वजों की पूजा विवाह का संस्कार होना और उत्तराधिकार का जटिल नियमों में स्त्रियों की परिस्थिति को गिराने में योगदान किया। परन्तु अपने अधिकारों को सौंपकर उन्होंने पारिवारिक षान्ति बढाई स्त्रियों में संतानोंत्पत्ति और पति सेवा को ही जीवन का लक्ष्य स्थीकार कर लिया। मुसलमानों के द्वारा देष पर आक्रमण होने से सामाजिक कार्यों से स्त्रियों को पूरी तरह विलग कर दिया गया।

स्त्रियों की निम्न परिस्थिति के लिए केवल पुरुशों का हाथ नहीं बल्कि स्त्रियों का भी हाथ है। अपने अधिकारों को छोड़ कर स्त्रियों में अपने रूप और गुण से पुरुशों पर शासन किया है। अधिकतर स्त्रियाँ घर की चाहार दीवारी के अन्दर रहना चाहती है तथा साथ ही साथ न चाहते हुए भी सामाज की कठोरता का पालन करने के लिए उनको चाहारदीवारी के रहने को बाध्य होना पड़ता है।

पारिवारिक जीवन में स्त्री के तीन मुख्य रूप हैं। पुत्री-पत्नी और माता इन तीनों रूपों में महत्वपूर्ण स्थान पत्नी का है। जो अपने आत्म समर्पण और निष्ठल प्रेम द्वारा पुरुश के जीवन में अनन्त रस का संचार करती है। और उसकी प्रेरणा बनती है माता के रूप में वह पुत्र के लिए अखण्ड सौभाग्य की कामना करती है पुत्री का महत्व स्वयं ही निर्धारित हो जाता है। क्योंकि इसी के विकसित रूप ही पत्नी और माता है।

विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति

वैदिक काल — ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में जहाँ तक धार्मिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का सम्बन्ध है। सामान्यतया स्त्री की परिस्थिति पुरुश के समान ही थी वह पुरुशों के समान शिक्षित थी इस युग में स्त्रियों की शिक्षा और संध्या करने का पूर्ण अधिकार था। धर्म कार्यों में स्त्री का इतना अधिक महत्व था कि बिना स्त्री के कोई भी धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं होता था। उस समय समाज में पर्दा प्रथा प्रचलन तनिक न था स्त्रियों का स्वच्छता पूर्वक विचरण करने और सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना करने के अधिकार प्राप्त थे। विधवा विवाह पर सामाजिक रूप से कोई नियंत्रण न था विवाह केवल परिपक्व आयु में ही होते थे कभी-कभी स्त्रियों अपना सम्पूर्ण जीवन अविवाहित रहकर ही व्यतीत कर देती थी। समाज में स्त्रियों का आपमान करना सबसे बड़ा पाप था तथा समाज में स्त्रियों की रक्षा करना सबसे बड़ी

बीरता थी वैदिक काल में भी पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक स्थान दिया जाता था। क्योंकि पुत्र से यज्ञ अनुशठान का कार्य होता था।

उत्तर वैदिक काल — उत्तर वैदिक काल का समय ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक माना जाता है। महाभारत की रचना इस युग के आरम्भ में ही किसी समय में हुई थी। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इस समय तक स्त्रियों का पूर्ण अधिकार बना हुआ था। स्त्रियाँ दो प्रकार की होती हैं 1—साध्वी 2—असाध्वी साध्वी स्त्रियों पृथ्वी की माता हैं और इसकी संरक्षिका हैं। जबकि असाध्वी स्त्रियाँ अपने पाप पूर्ण व्यवहार से कही भी पहचानी जाती हैं।

बौद्ध धर्म में भी स्त्रियों को अत्याधिक सम्मान प्राप्त था। इस समय अनेक स्त्रियों भिक्षुणी बनकर सम्पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में ही व्यतीत कर देती थीं। जैन व बौद्ध धर्म का हास होने पर मनु परम्परा प्रारम्भ हुई उनके लिखे दो का अध्ययन करने और यज्ञ करने का प्रतिबंध लग गया। पवित्रता की धारणा के आधार पर लड़कियों का विवाह राजस्वाला होने से पूर्व ही करने का आदेष दिया गया। उन्हें उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया। व्यवहारिक रूप से स्त्रियों अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करती रहीं।

धर्म शास्त्र कला :— यह काल सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था स्त्रियों भी इस संकीर्ण विचारधारा की शिकार बनी। इस काल में स्त्रियाँ गृहलक्ष्मी से याचिका के रूप में दिखाई देनी लगी। माता सेविका बन गयी जीवन व षष्ठित प्रदायिनी देवी जब निर्वलताओं की प्रतीक बन गयी स्त्री जो किसी अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देष को साहित्य व समाज के आदेषों को प्रभावित करती थी अब परतंत्र, पराधीन, निसहाय और निर्वल वन चुकी थी। इस युग में यह विष्णास दिलाया गया कि पति की स्त्री के लिए देवता और विवाह ही उसके जीवन का एक मात्र संस्कार है। विवाह का विधान ही स्त्रियों का उपनयन दूसरा जन्म है। पति की सेवा ही गुरुकुल का बास है और घर का काम ही अग्नि की सेवा है। इस काल में स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकारों से पूर्णतया वंचित कर दिया गया। और स्त्रियों को मांसिक रूप से ही आयोग्य तथा दुर्बल सिद्ध करने के अनेक भ्रमपूर्ण प्रचार किये जाने लगे कन्या का विवाह 10 वर्ष

अथवा अधिक से अधिक 12 वर्ष की आयु तक कर देने का विधान बनाया गया। विवाह पूर्णतया पिता का दायित्व हो गया जिसमें लड़की की इच्छा का कोई महत्व न था।

मध्य काल — मध्यकाल में की पवित्रता को इतना संकीर्ण रूप दे दिया गया कि लड़कियों का विवाह 5—6 वर्ष की आयु में ही कर देना अच्छा समझा जाने लगा। स्त्रियों को शिक्षा से बिल्कुल वंचित कर दिया गया। पर्दा प्रथा इस सीमा तक पहुँच गयी कि परिवार की अन्य सदस्य तो क्या स्वयं पति भी किसी के सामने बात नहीं कर सकता था और न ही मुँह देख सकता था विधवा पुर्नविवाह के बारे में सोचना अक्षम्य अपराध माना जाता था। स्त्रियों की तानिक सी गलती में उसे शारीरिक दण्ड दिये जाने लगे। शास्त्रकारों ने भी पति को अपनी पत्नी को प्रताडित करने का अधिकार दे दिया। चाहे पत्नी कितना ही दुराचारी, पति, कूर न हो पति की मृत्यु के बाद पत्नी का सती हो जाना पतिव्रता धर्म की सर्वोच्च कसौटी बन गयी।

प्रविष्ट काल :—प्रविष्ट काल से हमारा तात्पर्य 18वीं० शताब्दी के अन्तिम वर्षों से लेकर स्वतंत्रता से पूर्व के समय से है अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों द्वारा समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किये गये। लेकिन सरकार की ओर से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने में कोई भी व्यवहारिक प्रयत्न नहीं किये गये। अपने हितों का पूरा ध्यान करने के लिए स्त्रियों को शोषित बने रहना अंग्रेजों के लिए लाभप्रद था इसका परिणाम यह हुआ कि 20वीं शताब्दी के पूर्वाद्द तक स्त्रियों को निःयोग्यताओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ।

क— सामाजिक क्षेत्र — स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों की मौग करने और व्यवहार के नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था स्त्रियों में अज्ञानता इस सीमा तक बढ़ गयी की स्वतंत्रता के पहले तक स्त्रियों में साक्षरता 6 प्रतिठ से भी कम थी। किसी भी स्त्री द्वारा बाल विवाह अथवा पर्दा प्रथा का विरोध करना उसके माता—पिता के परिवार तक ही सीमित था। तथा परम्परागत धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करना ही उसके मनोरंजन का एक मात्र साधन था।

ख— पारिवारिक क्षेत्र — स्त्रियों के समस्त अधिकार समाप्त हो गये सैद्धांतिक रूप से स्त्री परिवारक की सभी कार्यों की संचालिका था लेकिन व्यवहार में यह सभी अधिकार परिवार के पुरुष कर्ता को प्राप्त हो गये। स्त्री का विवाह बहुत छोटी

आयु में ही हो जाने के कारण उसका जीवन आरम्भ से ही परम्परागत निशेधों और रुद्धियों से मुक्त हो गया।

ग— **आर्थिक क्षेत्र** —आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों की निर्ममतायें सबसे अधिक थीं उन्हें संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा गया। बल्कि स्त्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में भी हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार न था। स्त्री स्वयं सम्पत्ति बन चुकी थी। फिर उसे सम्पत्ति के अधिकार किस प्रकार प्रदान किये जा सकते थे। स्त्रियों द्वारा कोई आर्थिक किया करना उसकी कुलीनता और सतित्व से विरुद्ध माना जाने लगा।

घ— **राजनैतिक क्षेत्र** — स्त्रियों द्वारा हिस्सा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जब घर के अन्दर स्त्रियों पर मनमाना शोषण करने वाला पुरुष घर से बाहर अंग्रेजों का गुलाम था तो स्त्रियों द्वारा राजनीति में भाग लेने की कल्पना भी कैसी की जा सकती थी। सन् 1937 के चुनाव में भी पति की शिक्षा और सम्पत्ति के आधार पर बहुत थोड़ी सी स्त्रियों को माताधिकार प्रदान किया गया।

विदेशी आकमण — हिन्दू स्त्रियों की स्थिति यद्यपि दूसरी ओर तीसरी शताब्दी से ही गिरना आरम्भ हो चुकी थी। लेकिन मुगल आकमणों के बाद में स्त्रियों की स्थिति में बहुत तेजी से ह्रास हुआ। मुसलमान हिन्दू स्त्रियों से और विधवा स्त्रियों से विवाह करने का प्रयत्न करते थे। इस स्थिति में बाल-विवाह और पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन किया जाने लगा। सतित्व के आदर्श को इतना पढ़ा-पढ़ा कर दिखाया जाने लगा हमारे समाज में पत्नी को पति की चिता पर बल पूर्वक उठा कर फेंक देने को भी धर्म के नाम पर संरक्षण दिया जाने लगा। स्त्रियों और विशेषतया विधवाओं परिवार में दासी के रूप में रखा जाने लगा। समाज के तत्कालीन कर्णधारों ने यह नहीं सोचा कि रक्त की पवित्रता को बनाये रखने के लिए एक ऐसे को जन्म दे रहे हैं जो सम्पूर्ण समाज को समाप्त कर देगा।

कन्यादान का आदर्श — हिन्दू संस्कृत में विवाह के समय पिता द्वारा कन्या को दान में देने की परम्परा बैदिक काल से पायी जाती रही है। इसके पश्चात भी वैदिक काल में इस आधार पर स्त्रियों की स्थिति निम्न नहीं है। इसका कारण यह था कि दान का वास्तविक अर्थ कन्या के लिए सुपात्र अथवा योग्य बर की खोज करना था। इसी आधार पर स्त्री को अपने पति का चुनाव करने में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। और पति में कोई दोष होने पर स्त्री को उससे पृथक हो जाने का भी अधिकार था।

स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति — भारत में स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में कान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछली एक शताब्दी से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उसकी सम्पूर्ण विश्व कल्पना तक नहीं कर सकता।

1— **शिक्षा की प्रगति** — स्वतंत्रता के पहले तक लड़कियों के लिए न तो शिक्षा सम्बन्धी समुचित सुविधायें प्राप्त थीं और न ही माता पिता स्त्री शिक्षा को उचित समझते थे। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा में व्यापक प्रगति हुई है। इस तथ्य को इस बात से समझाया जा सकता है। कि लड़कियों के लिए आज कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृह विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधायें प्राप्त हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियों को बाल-विवाह और पर्दा प्रथा से छुटकारा मिला ही है साथ ही उन्होंने समाज कल्याण ओर महिला कल्याण में भी व्यापक रूप लेना प्रारम्भ कर दिया है।

2— **आर्थिक जीवन में बढ़ती स्वतंत्रता** — स्वतंत्रता के पश्चात एक बहुत बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। आज शिक्षा स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन उद्योगों और वर्तालापों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। भारतीय स्त्रियों की मनोवृत्ति में अभी कानून परिवर्तन न हो सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती हैं। स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनके आत्म विश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस स्त्री से किसी से नहीं की जा सकती है। जो आज से कुछ वर्ष पहले संसार की सम्पूर्ण

लज्जा को अपने घूँघट में समेटे हुए पुरुष के शोषण को सहन करती हुई घूँघट में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थीं।

पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि – आज की स्त्री पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगिनी और मित्र है परिवार में उसकी स्थिति याचिका न होकर बल्कि प्रबंधक है आज की शिक्षित स्त्री संयुक्त परिवार का अपने समस्त अधिकारों का बलिदान करके शोषण में रहने के लिए तैयार नहीं है बल्कि वह स्वतंत्र एकांकी परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग के लिए प्रयत्नशील है। बच्चों की शिक्षा पारिवारिक आय के उपयोग संस्कारों का प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं के रूप का निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का जड़त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। और स्त्रियों तो अपने पारिवारिक अधिकारों के लिए अर्तजातीय व प्रेम विवाह को भी प्रथमिकता देनी लगी है। विलम्ब विवाह स्त्रियों में लोकप्रिय होता जा रहा है। कुछ व्यक्ति परिवार में स्त्रियों के बदले हुए अधिकारों से इतने चिन्तित हो उठे हैं कि उसके पारिवारिक जीवन के ही विवाहित हो जाने का भय हो गया है।

सामाजिक जागरूपता – वर्तमान समय में स्त्रियों की परिस्थिति में कमन्तिकारी परिवर्तन हुए परन्तु सामान्यतया यह परिवर्तन औद्योगिक नगरों और बड़े शहरों तक ही सीमित हैं आज देश में स्त्री शिक्षा का प्रचार बड़े तर्जी से हो रहा है। नये संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के सामान राजनैतिक और सामाजिक अधिकार दिये गये हैं तथा आज बड़ी से बड़ी नौकरियों के लिए स्त्री पुरुषों से होड़ करती है विज्ञान के क्षेत्र में भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। राजनैतिक क्षेत्र में उनके अधिकार का सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री होना है। असेम्बली और पार्टियों भेट के लिए अनेक महिलायें चुनी जाती हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में वे अप्राप्त कर रही हैं। तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। जैसे डाक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षिका, नर्स, टाइपिस्ट, सरकारी अफसर के रूप में पुलिस विभाग में उनके कार्य सराहनीय है होटलों दफ्तरों आदि में स्वागताधिकारी सामान्यतया स्त्रियों ही रखी जाती है हवाई जहाजों के स्थीवर्ईर्स के रूपा में सेल्स गर्ल्स के रूप में उन्हें काफी सफलता मिली। सैन्य विभाग को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर स्त्रियों नौकरी


के प्रति स्थान हुआ। आज की स्त्री सामाजिक समारोहों में निःसंकोच होकर भाग लेती है परिवार नियोजन के कारण वर्तमान समय की स्त्रियों कम संतानों को जन्म देती है अन्तर्जातीय विवाहों का अनुमोदन प्राप्त होने विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा भिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म के लोगों में विवाह आज्ञा मिलने के कारण आर्थिक वितंत्रता, सहशिक्षा के कारण उन्हें स्वयं अपनी इच्छानुसार बर ढूँढने एवं विवाह करने का अधिकार हो गया। साथ ही यह भी सत्य है कि गांव में अब भी स्त्रियों की दृष्टि में विशेष सुधार नहीं हुआ। नगरों में निम्नार्थिक वर्गों में भी स्त्रियों की परिस्थितिक संतोषजनक नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर स्त्रियों में अब भी आत्म विकास की कमी है और परिवार के साथ निकलने के बार में कम सोचते हैं।

सारिणी नं 0-3.32


सर्वेक्षित गांव में स्त्रियों की आत्महत्या का विवरण—2001

गांवों के नाम	कुआं में कूदकर	गैस गोलियां	फांसी	जलकर	कुल स्त्रियां	बच्चे आत्मो	कुल
उदयराजपुर	—	3	6	4	13	2	15
मुस्तफापुर	1	3	4	2	11	3	4
खरगपुर	—	2	1	—	3	1	4
सलेमाबाद	2	—	3	2	7	—	7
पैनाखुर्द	1	2	4	3	6	3	9
घघौरा	3	4	5	1	13	1	14
रारा	—	6	9	3	18	3	21
लमेहटा	—	5	5	2	12	4	16
टीकर	—	8	6	3	17	6	23
तारापुरभिटौरा	—	3	7	4	14	8	22
मवई	1	6	3	5	15	12	27
सांखा	2	7	2	6	17	4	21
अयाह	1	3	5	9	18	20	38

सर्वेक्षित गांवों में स्त्रियों द्वारा आत्महत्या का विवरण 2001



सर्वेक्षित गांवों में बच्चों द्वारा आत्महत्या का विवरण 2001



ललौली	3	16	13	10	42	23	65
सरकण्डी	4	21	18	9	52	18	70
योग-	18	89	91	63	261	108	369

सर्वेक्षित 15 गाँवों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 1995 से 2001 तक स्त्रियों की आत्म हत्या का विवरण इस प्रकार है। सारिणी नं0-3.32 के गहनतम अध्ययन से पता चलता है कि सर्वाधिक स्त्रियों ने आत्म हत्या सरकण्डी 52 तथा सबसे कम खरगपुर में 01 महिला ने गाँव में की है।

उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि तहसील में 35 वर्ष से अधिक उम्र में वैवाहिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों में केवल 6.3 प्रतिशत पुरुष तथा 0.2 प्रतिभूट स्त्रियों हैं अतः यह अनुमान लगता है कि धीरे-धीरे बाल विवाह प्रथा समाप्त होती जा रही है लेकिन तहसील पर यदि इस स्थिति पर नियंत्रण हो जाये तो जनसंख्या वृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि जिन बालकों की शादी 14 वर्ष तक हो जाती है तो 35 वर्ष तक उनके घरों में शिशुओं का संख्यात्मक रूप बढ़ जाता है। ऐसे तथ्य सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की न्यायपंचायतों में अधिक दृटव्य है।

यदि विवाह उर्म धर्म के अनुसार वर्गीकरण किया जाय तो कहा जा सकता है कि हिन्दुओं में विवाह की आयु सबसे कम है जैन धर्म के अनुयायियों में उससे अधिक सिक्खों में विवाह की आयु सर्वाधिक है मुसलमान एवं हिन्दुओं में विवाह की आयु प्रायः समान है।

प्रो० एस०एन० अग्रवाल ने जनांककी वक्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि प्रायः उत्तरी भारत में जहाँ हिन्दी बोली जाती है विवाह की आयु अधिक है गत वर्षों से अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार एवं आर्थिक चेतना में विवाह की आयु में वृद्धि करने में मदद की है किन्तु अभी तक संतोषजनक प्रगति नहीं हुई शारदा ऐकट के लागू होने के बाद भी बाल विवाह की प्रथा में बहुत कमी नहीं आयी यही कारण है कि सन् 1976 में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाये जाने की चर्चा रही है तथा विवाह की आयु में वृद्धि भी की गयी थी। लड़कियों की विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गयी।

अप्रैल 1976 में विवाह की आयु बढ़ाते हुए तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्री डा० कर्णसिंह ने कहा कि विवाह की आयु बढ़ने से पुरु स्थान आयु वर्ग का काल घटेगा यद्यपि अध्ययन क्षेत्र विवाह एवं प्रभावपूर्ण विवाह की आयु में अन्तर होता है प्रायः प्रभुता पूर्ण तभी होता है जब लड़की वयश्क हो जाती है जैसे गौना आदि नाम दिया जाता है। किन्तु जहां ग्रामीण जगत में विवाह 8, 10, 12 वर्ष की उम्र में हो जाता है तथा 15 वर्ष की उम्र में गौना हो जाता है इस प्रकार के कम उम्र के मातृत्व को उपयुक्त संशोधन से रोका जा सकेगा।

विधवा विवाह :— अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में धार्मिक प्रधानानुसार उच्च जाति के हिन्दुओं में विधवा विवाह वर्जित है। 300 शादी ईसा पूर्व से पहले विधवा विवाह का प्रचलन था किन्तु 300 ई०पूर्व पर इस प्रकार के विवाह में नियंत्रण लगा दिये गये थे मनु जो भारतीय धर्म नीति के निर्धारक माने जाते हैं का विचार था कि एक विधवा को कभी दूसरे विवाह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।

विवाह न केवल शरीर वर आत्माओं का निम्न है। एक विधवा अपने मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग में अथवा दूसरे जन्म में अपने पति से अवश्य मिलेगी।

निम्न वर्ग के हिन्दू इस प्रकार के प्रतिबन्धों से मुक्त रखे गये क्योंकि उनके पवित्र एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करने की आशा नहीं की जाती थी आज भी करीब करीब यही व्यवस्था चली आ रही है। उच्च स्तरीय हिन्दुओं में ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विधवा विवाह वर्जित समझते हैं जबकि निम्न स्तरीय हिन्दू पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति है हरिजन में प्रारम्भ से ही विधवा की प्रथा है इन जातियों में बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर भाभी एवं देवर का विवाह हो जाना एक आम बात है जिसे कराब कहा जाता है। सामान्यतया पति की मृत्यु के बाद पति के छोटे भाई से ही विवाह की परम्परा है बड़े भाई से नहीं यह विधवा विवाह पति की मृत्यु के एक वर्ष बाद प्रायः मृत्यु दिवस पर ही एक साधारण समारोह में किया जाता है विधवा एवं देवर की आयु में अन्तर रखा जाता है।


सारिणी नं०—3.33
सर्वेक्षित गांवों में वैवाहिक जीवन काल की विसंगतियाँ

गांव का नाम	विधवां स्त्रियाँ	तलाकशुदा स्त्रियाँ	पुनःविवाहित स्त्रियाँ
उदयराजपुर	5	1	5
मुस्तफापुर	8	4	4
खरगपुर	12	8	10
सलेमाबाद	4	—	1
पैनाखुर्दा	6	2	4
घघौरा	11	3	7
रारा	38	25	32
लमेहटा	21	2	3
टीकर	18	1	5
तारापुर मिटौरा	32	2	8
मवई	14	3	11
सांखा	42	3	7
अयाह	16	3	9
ललौली	58	38	49
सरकण्डी	45	9	23
योग—	330	103	178

'वैधव्य' जो कि एक गम्भीर सत्यता है। भारतीय जनसंख्या शास्त्रियों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। यद्यपि सामाजिक तौर पर इस प्रकार की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवता के लिए कलंक है। किन्तु यह जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाय तो विधवा विवाह में प्रतिबन्ध स्त्रियों की एक पर्याप्त संख्या को प्रजनन आयु वर्ग से बाहर निकाल देता है। अतः जन्मदर पर नियंत्रण हो जाती है।

सर्वेक्षित गाँवों में वैवाहिक जीवन काल की विसंगतिया—2001

- उदयराजपुर
1. मुस्तफापुर
 2. खरगापुर
 3. सलेमाबाद
 4. पेनाखुर्द
 5. घधोरा
 6. रारा
 7. लमेहटा
 8. टीकर
 9. तारापुर भिटौरा
 10. मवई
 11. साथा
 12. अयाह
 13. ललोली
 14. सरकण्डी



मुस्तफापुर खरगापुर सलेमाबाद पेनाखुर्द घधोरा रारा लमेहटा टीकर तारापुर भिटौरा मवई साथा अयाह ललोली सरकण्डी

पुनर्विवाह — अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक गॉव की स्थिति को देखते हुए विधवा पुर्नविवाह की प्रक्रिया प्रायः पिछड़ी एवं हरिजन निम्न जातियों में होता है क्षेत्र के अन्तर्गत यह क्रिया सर्वों में देखने को नहीं मिलती एक तरफ तो विधवा विवाह की पूरी तौर पर मनाही है तो दूसरी ओर कराब प्रथा के अन्तर्गत प्रायः पुर्नविवाह हो जाता है। प्रो० नाग का विचार है कि विवाह व्यवस्था पितृ प्रधान समाज में मातृ प्रधान समाज की अपेक्षा अधिक दृढ़ रहती है पितृ प्रधान समाजों में वंश की परम्परा में चलता है। तथा मतृत्व प्रधान में मॉ अथवा मामा के बंश की परम्परा में चलता है। सर्वक्षित गॉव में विधवा पुर्नविवाह की सर्वाधिक संख्या ललौली 45 नरैनी में 7 है जहाँ पर स्त्रियों में पुनर्विवाह की प्रक्रिया से अपना जीवन सुधार लिया है।

विधवा विवाह के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं मिलते हैं जो कुछ भी आंकड़े उपलब्ध हो पाये हैं उनसे यह नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं आर्थिक विस्तार के साथ विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि विधवाओं की संख्या घट रही है सन् 1901 में भारत में समस्त स्त्री संख्या का 17.3 प्रतिऽ विधवायें थीं सन् 1931 में 15.5 प्रतिऽ जबकि 1961 में 10.8 प्रतिऽ ही विधवायें थीं।

अध्ययन क्षेत्र में सर्वक्षित गॉव में सर्वाधिक विधवा स्त्रियों ललौली में 58 तथा सबसे कम लमेहटा में 03 थीं। यह विधवायें अपना जीवन दूसरे के सहारे पर जी रही हैं तथा ७०प्र० सरकार के द्वाराउन्हें आर्थिक अनुदान राशि के रूप में 100 रु० महीना प्राप्त हो जाता है। इन विधवाओं में से 18 से 38 प्रतिऽ आयु वर्ग तक दुबारा विवाह कर देती हैं। यह प्रतिशत विधवा की आयु बढ़ने के साथ घटता जाता है।

विधवा स्त्रियों की आयु वर्ष	पुनर्विवाह का प्रतिशत
13 वर्ष से कम	87.4
13-23	60.5
23-33	14.2
33-43	1.4
43 से अधिक	0.1

प्रो० एस०एन० अग्रवाल के सर्वेक्षण के अनुसार समस्त विधवा विवाहों में 36 प्रति० ऐसी विधवायें थीं जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। जबकि कराब पद्धति में बच्चों की संख्या किसी प्रकार बाधक नहीं होती है तथा अधिकांश विधवा विवाह विधवा होने से एक ही वर्ष के अन्दर विवाह हो जाता है कभी कभी कोई विधवा गौना होने के पूर्व ही विधवा हो जाती है।

बहु पत्नी प्रथा की समस्या समाज में स्त्रियों पर व्याप्त है। जबकि इसका प्रचलन सर्वेक्षित क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिला। बहुपत्नी प्रथा सर्वाधिक मुस्लिम सम्प्रदाय में मिलती है। प्रो० नाग का विचार है कि बहुपत्नी प्रथा में जहाँ प्रजननता कम होती है। उसका प्रमुख कारण कि प्रायः धनी व्यक्ति अनेक औरते रखते हैं तथा नयी औरते की आयु कम होती है अतः बच्चे का जन्म नहीं होता व्यक्ति औरतों को अपनी प्रतिष्ठा का मापदण्ड मानते हैं तथा जिन औरतों के बच्चे नहीं होते वह व्यक्ति बहुपत्नी प्रथा का स्तर आता है। बहुपत्नी प्रथा से समाज में आज की औरतों को प्रताड़ित किया जाता है। तलाक एवं अलगाव अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान सर्वाधिक तलाक सुदा औरतें ललौली-38, रासा-25, सकरणडी-9, खरगापुर-8 मुस्तफापुर-4, मिलती है। तलाक पद्धति अधिकतम रूप से मुस्लिम जाति में देखने को मिलती है जिसकी पुष्टि तालिका नं०-3.33 से होती है।

अध्ययन क्षेत्र में गुप्त रोगों से ग्रसित महिलाओं से समाज में घृणा की भावना से देखा जाता है किन्तु कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं मानते।

समाज में इस प्रकार का प्रतिबंध का कारण बीमारी की आशंका से घृणा है। प्रायः हिन्दू समाज के परिवारों की औरतों को रजस्वला के समय भोजन आदि कार्यों से दूर रखा जाता है तथा अनेक समाजों में पूजा, पर्व त्योहार अनुष्ठान आदि के दिनों में रजस्वला औरतों से दम्पत्ति सम्बन्धी कार्य नहीं किये जाते हैं। जिन्हें उत्सव सम्बन्धी अलगाव कहा जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में स्त्रियों का स्थान बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से एवं प्राचीन रीति रिवाजों एवं परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है परन्तु कुछ ग्रामीण स्त्रियों की दशा अब भी पूर्ववत है कहीं-कहीं पर पर्दा प्रथा इतना प्रभावी ढंग से

कार्यरत है कि समाज में उसकी वजह से अनेक घटनायें देखने को मिलती हैं वैसे इस बदलते हुए परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल से आज का युग स्त्रियों को भी उच्चतम सीढ़ी की ओर बढ़ने के लिए प्रभावी ढंग से तत्पर्य है। परन्तु अभी कहीं-कहीं पर स्त्रियों को शिक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि अनेक गाँव में निर्धनता एंव बढ़ती हुई आबादी के कारण लोग अपनी बच्चियों को बढ़ाने में अस्मर्थ हैं और वहीं शहरों से शहर की ओर कुल 8.8 प्रतिठूं पुरुष, 14.3 प्रतिठूं महिलायें, 6.5 प्रतिठूं ही प्रवास हुआ। 1971-81 तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण से ग्रामीण के प्रवास में कमी हुई जबकि अन्य प्रवास की कियाओं में वृद्धि हुई है।

ग्रामीण से ग्रामीण एंव शहरों से ग्रामीण दोनों प्रकार के प्रवास सामाजिक व्यवस्था के परिणाम हैं। विवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास है विवाह प्रवास होता रहता है यह उल्लेखनीय है कि स्त्रियों में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास पुरुषों की अपेक्षा अधिक है जिसका आशय है कि गाँवों की लड़कियों की शादी प्रायः गाँवों में होती है जहाँ तक ग्रामीण से शहरी प्रवास का प्रश्न है सन् 1971 में यह 14.4 प्रतिठूं था जो 1981 में 15 प्रतिठूं हो गया। इसका आशय है कि गत 10 वर्षों में व्यक्तियों की शहरी में भागने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई गाँव से शहरों की ओर जाने वाले स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का अनुपात अधिक है। यदि स्त्री पुरुषों की सापेक्षिक स्थिति देखी जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण से ग्रामीण गमन में स्त्रियों का बाहुल्य है। शहरों से गाँवों की ओर जाने वालों में पुरुषों की अधिकता है किन्तु शहर से शहर की ओर प्रवास प्रायः समान हैं। तालिका नं-3.21

आगे चलकर आधुनिक समान का पुरुष्थान करेगे कहीं-कहीं पर प्राचीन वृहद स्त्रियों के अशिक्षित होने के कारण कई बुरी दुर्घटनायें भी देखने को मिलती हैं अतः आवश्यकता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा की ओर प्रभावी ढंग से अग्रसर हो ताकि आपका मानव समाज उनसे भी कुछ सहायता प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि आधुनिक समाज के बदलते हुए इस परिवेश में आवश्यकता है पढ़ी समाज की अतः हम देखते हैं कि आज इस परिवर्तन शील युग में स्त्रियों के उत्तरोत्तर विकास के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं।

4.6

सामाजिक रीति रिवाज — फतेहपुर जनपद की फतेहपुर तहसील एक हिन्दू धर्मावालम्बियों की बहुलता वाली तहसील है जहाँ पर प्राचीन परम्परायें एवं प्रथा में आज भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में पायी जाती है। मानव जन्म लेते ही वंशानुक्रम संस्कारों प्रयासों तथा रीति रिवाजों में बध जाता है। त्योंहारों को सभी हिन्दू आपस में मिलकर बड़े प्रेम से मनाते हैं। सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि सात्त्विक प्रवृत्ति के लोग गणेश, हनुमान, शिव पार्वती, राम सीता, अर्णि, सूर्य, चन्द्रमा, दुर्गा, लक्ष्मी आदि देवताओं तथा बृक्षों एवं नदी तालाबों को भी देवी देवताओं के रूप में पूजते रहे हैं। जबकि कुछ सीमित तामसी तांत्रिक लोग भूत-प्रेतों तथा टोने-टोटके में आस्था रखते हैं यहाँ पर छोटे-बड़े तमाम धार्मिक रक्षा तथा सामाजिक प्रथा में एवं परम्परा में पूर्णतया पूरे क्षेत्र व्याप्त हैं।

हिन्दू समाज में सभी गीता महाभारत, राम चरित मानस का पाठ बड़े श्रद्धा से करते हैं तथा वृत् एवं देवी देवताओं की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू लोग जन्म से मरण तक 16 संस्कारों 11 जन्म बड़ा कर्म उपनयन विवाह आदि को मानते हैं। जन्म दिन या जन्म दिन के समय ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों प्रायः अपने घर में ही बच्चे को देती है तथा आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ व्यक्ति बच्चे के जन्म होने के पूर्व अपने नजदीकी चिकित्सालय में आते हैं तथा अगर बच्चे का लड़का/लड़की का जन्म होता है तो बड़े ही विधान एवं खुशी से जन्म दिन मनाते हैं अगर लड़की का जन्म होता है तो सारे परिवार की खुशहाली का लोप हो जाता है लड़के जन्म दिन के दिन हर साल उसका जन्म दिन बड़े ही धूम-धाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं जन्म दिन के बाद छठी एवं बरहवा, संस्कार किया जाता है। इसके बाद मुंडन एवं छेदन संस्कार किसी धार्मिक स्थल में बाहर बाजे गाने नृत्य कला के साथ यह संस्कार हर हिन्दू सम्प्रदाय में मनाया जाता है ब्रह्मण में उपनयन संस्कार जनेऊ होता है। अन्य जातियों में यह संस्कार नहीं किया जाता है।

तिलक हिन्दू समाज में शादी होने से कुछ दिनों पहले कन्या पक्ष से उसे 25 व्यक्तियों की संख्या में लग्न पत्रिका थाल एवं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जैसे भी तय तोड़ हो जाता है समान ले जाते हैं सामान्यतया थाल सोने की सुपाड़ी एवं चॉदी का नारियल तथा वर पक्ष वालों के लिए वस्त्र फल फूल मिष्ठान आदि के साथ वर लड़के पक्ष की तरफ तिलकोत्सव होता है

जिसमें नाउ और पण्डित की अहम भूमिका होती है। वर पक्ष की तरफ से भोजन एवं मनोरंजन की व्यवस्था बाजे—गाजे गोला—पटाके आतिशबाजी तिलकोत्सव समारोह होता है। तिलकोत्सव प्रायः सवर्णो एवं पिछड़ी जातियों में होता है निम्न वर्ग में यह नहीं होता है।

अध्ययन क्षेत्र में धर्म धीरु लोग 12 वर्ष तक की लड़की की शादी कर देते हैं क्योंकि पुराने हिन्दू प्रथाओं के अनुसार कहा जाता है 12 वर्ष से अधिक लड़के का उपनयन संस्कार (जनेऊ) तथा 12 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की के पैर पूजने से पुन्य नहीं होता यह रुद्धिवादी विचार धारा हर वर्ग में देखने को मिलती है अब धीरे शिक्षा के विकास एवं प्रचार—प्रसार से यह परम्परायें कम होती जा रही है और जब लोग पहले कमाओ फिर दुल्हन लाओ के सिद्धांत को अपनाने लगे हैं। प्राचीन समय से ही अध्ययन क्षेत्र में बाल—विवाह प्रथा प्रचलित थी तथा आज भी विवाह की आयु में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है कम उम्र में विवाह करने की प्रथा भारतीय धर्म के कारण चली है। हिन्दू धर्म के अनुसार—

अष्टवर्ष भवेद् गौरी नववर्ष चरोहिणी ।

दशवर्षा शवरे कन्या तव उर्ध्व रजस्वला ॥

उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि 10 वर्ष पूरा करने पर कोई लड़की रजस्वला हो जाती है तथा प्रथा रजस्वला के तुरन्त बाद ही उसका विवाह हो जाना चाहिए। अन्य धर्मों के अनुयायी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हिन्दू धर्म से प्रभावित हुए तथा उन्होंने हिन्दुओं के रीति रिवाजों को ही अपना लिया अतः हिन्दुओं के अलावा गैर हिन्दुओं में भी विवाह कम उम्र में ही होने लगे यद्यपि बाल विवाह प्रभाव पूर्ण विवाह नहीं है क्योंकि पति—पत्नी की दाम्पत्तिक सम्बन्ध गौना हो जाने के बाद हो पाते हैं तथा गौना तभी होता है जब बहु वयस्क हो जाती है किन्तु वह विवाह के समय वयश्क हो तो गौन एवं विवाह साथ ही साथ हो जाते हैं यद्यपि हमारे देश में शारदा ऐक्ट पास होने के बाद विवाह की आयु में कुछ हद तक वृद्धि हुई है किन्तु अन्य देशों की तुलना में अब भी विवाह की आयु कम है।

फतेहपुर जनपद चूंकि परम्परावादी कृषि प्रधान जनपद है यहाँ प्राचीन रीति रिवाज आज भी प्रचलित है जनपद की 37.37 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या

विवाहित जीवन व्यवतीत करती है। जबकि 53.1 प्रतिठा अविवाहित जीवन विताते हैं नगरीय क्षेत्र में 46.2 प्रतिठा विवाहित 7.6 प्रतिठा विधवा एवं पतित्यकता युवकों में 11.1 प्रति 10-14 वर्ष की आयु विवाहित जीवन गुजारते हैं जबकि 15-39 और 35-54 वर्ष के लोगों का वैवाहिक प्रतिठा कमशः 46.6 एवं 32.9 प्रतिठा और 55 वर्ष के लोग केवल 11.4 प्रतिठा वैवाहिक जीवन गुजारते हैं सर्वाधिक वैवाहिक प्रतिठा 15-35 वर्ष व्यक्तियों का है अतः यह अनुमान लगाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भविष्य में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है क्योंकि इस उम्र 15-34 व्यक्तियों में शिशु प्रजनन की शक्ति पबल होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुजातियों में आज भी 5 वर्ष के बच्चे की शादी कर देते हैं।

तहसील में 0-14 वर्ष की बालिकाओं की शादी का प्रतिठा 11.4 प्रतिठा है। 15-34 वर्ष की स्त्रियों का अनुपात अध्ययन क्षेत्र सर्वाधिक है। जबकि 14-25 वर्ष की स्त्रियों में बच्चा पैदा करने की शक्ति अधिक होती है। 35-54 वर्ष की स्त्रियों 29.9 प्रतिठा हैं। जबकि 55 वर्ष की स्त्रियों 6.7 प्रतिठा है।

इस्लामिक धर्म की रीति रिवाज —इस धर्म पर्दा प्रथा स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य है बच्चे के बाद अजान की जाती है। इसमें 3 बार बच्चे से अल्ला हो अकबर कहा जाता है रीतिरिवाज के मुताबिक बच्चे का खाना दिया जाता है। इस्लाम धर्म में दूध का बरकाव किया जाता है भाई की लड़की दूसरे भाई का लड़का या फूफी भतीजी का इसी रीति रिवाज पर वैवाहिक कर्म सम्पन्न किया जाता है।

शादी प्रायः वयशक होने पर की जाती है जब लड़की 18 वर्ष तथा लड़का 21 वर्ष का हो जाय विवाह के शुरू में शादी का पैगाम लड़के वाले लड़की की ओर भेजते हैं। लड़की के घर में शादी पक्की होती है इसमें मेवा मिष्ठान एक दूसरे को खिलाया जाता है लड़की के यहाँ दरवाजे में महर तय कियाजाता है मंहर के समय गवाह वकील, साहिल, काजी लोग खुद रु0 की महर बोलते हैं फिर निकाह हो जाता है। खाना एवं कलेवा आदि बाद में बरात बिदा हो जाती है। इस्लाम धर्म के मुख्य त्योहार इदुल फितर, इसमें नये कपड़े पहन कर नमाज अदा की जाती है। तथा सेवई आदि पकवान खाया जाता है। इदुल जुहा, बकरीद नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नाम पर तीन दिन कुर्बानी दी

जाती है इसमें बकरा, भेड़, ऊँट, गाय आदि का मांस खाया जाता है। मुहर्रम इसे गर्मी का त्योहार कहते हैं लगातार 10 दिन तक मस्जिद माजक आलम और तालिये निकाले जाते हैं बारहवफात इस त्योहार में जगह—जगह जल से मनाने में तकरीरें होती हैं 11 वीं सरीफ बड़े पीर के नाम से मनाया जाता है। जगह—जगह डेरा चढाये जाते हैं इसमें मुख्य शिक्षा उर्दू अरबी का अध्ययन करना है।

इन्तकाल — जब मनुष्य का इन्तकाल होता है इस समय मुर्दे को अच्छी तरह साबुन या मुल्तानी मिट्ठी से स्नान कराया जाता है और जब मुर्दा पाक साफ हो जाता है फिर एक थान कपड़े का कफन चद्दर, रुमाल आदि दिया जाता है और कब्र खोदकर उसमें गुलाब इन्ह आदि छिड़कर मुर्दे को जनाजे की नमाज पढ़ाकर दफन कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरे दिन फूल उठेगा (तीजा) फिर चालीस दिन तक फकीर कुरान शरीफ पढ़ेगा इसके बाद चालीसवा होता है इसमें ज्यादातर फकीरों को खिलाया जाता है। बाद में सभी लोग भोजन करते हैं।

इस्लाम धर्म में ऐसा माना गया है कि जो आदमी इन पाँच बातों पर इमान लाता है उस पर विश्वास करता है वहीं मुसलमान वहीं इमान वाला है।

- 1— अल्लाह पर ईमान
- 2— अल्लाह की चित्ताओं पर ईमान।
- 3— फरिश्तों पर ईमान।
- 4— रसूलों पर ईमान
- 5— अरिवरत पर ईमान

रिफरेन्सेज

1. मैकले, बी० ई० रिसोर्ज पापुलेशन ग्रोथ एण्ड लेविल आफ लिविंग साइंस,वाल्यूम 129 नं० 3353, पेज—875
2. ओरगैनेस्की ए०एफ०के० पापुलेशन एण्ड वल्ड पावर, एल्फेड ए० न्यूयार्क,1961
3. देवोदार मारिसन दि इण्डस्ट्रियल आर्गनाइजेशन आफ एन इण्डयन प्रोवेन्स जोन मरे प्रकाशन लि�० लंदन की 253
4. वाल्टर एच० लैण्ड आफ फेमिन अमेरिकन ज्याग्राफिकल सोसायटी न्यूयार्क 1926 पेज— 2
5. एम० एम० कार० सन्डर्स वल्ड पापुलेशन आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पेज— 945
6. वारगेस ई० डब्लू० (एड) ऐजेन्सीज वेस्टर्न सोसाइटीज यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस 1960
7. सेल्डोन एण्ड हेनरी डेमोग्राफिकल इम्पैक्ट आफ मैन पावर पापुलेशन स्टडीज नं० 33 न्यूयार्क 1962
8. काल एक्सले ह्यूवर पापुलेशन ग्रेथ इज ऐकोनोमिक डेवलपमेंट सोशल स्टडीज, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस प्रिन्सटन जे० 1958
9. एरिज जोन इसोसिएशन आफ कास्ट वैल्यू एण्ड व्रेक इण्टरनेशनल पापुलेशन स्टडीज पेज— 90
10. बेनेट जोन सोसल लाइफ स्ट्रक्चर आफ फंक्सन न्यूयार्क 1948

अद्याय

4

जनसंख्या के आर्थिक पक्ष

4.1 व्यावसायिक संरचना –

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों में उस क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रस्तुत भौगोलिक इकाई में जनसंख्या के आर्थिक पक्ष के मूल्यांकन का प्रयास शोधार्थी द्वारा मुख्यतः व्यवसायिक संरचना सम्पत्ति, रोजगार आय, बाल श्रमिक आदि के सन्दर्भ में किया गया है।

सामान्यतः मानव द्वारा उसकी अपनी बौद्धिक सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन प्रयोग तथा पुनः प्रयोग की किया को औद्योगिक प्रारूप एवं संरचनात्मक स्वरूपों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रार्थमिक कृषि वन पशु पालन द्वितीयक कुटीर स्वस्थ एवं बृहत निर्माण तृतीयक सेवा परिवहन बैंक तथा अन्य सेंवाये उद्योगों में विभाजित की जाने वाली यह किया व्यक्तिगत और सरकारी या मिश्रित प्रकार की होती हैं।

प्रत्येक देश में औद्योगिक विकाश प्रवृत्ति और उसका स्थानिक प्रतिरूप वहां की अर्थ व्यवस्था की आन्तरिक संरचना जनसंख्या के व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सामाजिक गठन को प्रभावित करता हैं विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का शान व्यवसायिक प्रतिरूप से होता है। जिसमें मानव अपना जीविको पार्जन करता हैं व्यवसाय के प्रकार तथा प्रकृति जनसंख्या के वितरण एवं संरचना को प्रभावित करते हैं। साथ यह प्रारूप मुख्य तथा वर्तमान संसाधनों पर आधारित होता है। व्यवसायिक स्वरूप प्राकृतिक क्रियाओं सामाजिक तथा पेशेवर तथा विशेषताओं पर निर्भर करता है। कालान्तर में यही जनसंख्या के वितरण के साथ-साथ आर्थिक विशेषताओं को प्रभावित करता है इस क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कर्म कर तथा अकर्म कर जनसंख्या के मध्य बढ़ते घटते अनुपात तथा उससे प्राप्त प्रतिशत

के आधार पर भावी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।

फतेहपुर तहसील गंगा, यमुना नदियों के मध्य² उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में स्थित है।

अध्ययन क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग खेती योग्य है। यहा का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहां की आर्थिक क्रियाओं में उत्तरोत्तर प्रगति एवं संसाधनों की विकास के परिवर्तनशील स्वरूपों के साथ – साथ भू सांस्कृतिक ढाँचे में कालिक परिवर्तन के चिन्ह परिलच्छित होते हैं। वर्तमान समय में फतेहपुर तहसील में 158114 व्यक्ति 84.36 प्राथमिक क्रिया में लगे हैं। जबकि गौण तथा तृतीयक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 16100 व्यक्ति एवं 13241 व्यक्ति हैं जो तहसील की समस्त जनसंख्या का क्रमशः 8.95 प्रतिशत एवं 7.06 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से कृषि कार्य, शिकार करना मछली मारना या बाग वानी जैसे व्यवसायों की प्राथमिकता है जिन्हे प्राथमिक क्रियाओं के अन्तर्गत समिलित क्रिया जाता हैं तहसील की आर्थिक कमजोरी का यह संकेत मिलता है। की यहा अधिकांश लोग खेती में कार्य नहीं करना चाहते जबकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक हैं। अन्ततः यही अकर्मशील जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यशील जनसंख्या के ऊपर एक बोझ बन जाती है।

4.1.1 कार्यशील जनसंख्या


अध्ययन क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या के अन्तर्गत वह व्यक्ति है। जिनके शारीरिक अथवा मानसिक श्रम से कोई आर्थिक रूप का उत्पादन कार्य सम्पन्न हो। काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नहीं वरन् दूसरे व्यक्तियों से काम लेना तथा उनके कार्यों की निगरानी करना एवं निर्देशन देना आदि भी समिलित है। कार्यशील

(अ)


तहसील फतेहपुर

तहसील फतेहपुर : कार्यशील जनसंख्या का वितरण 1991

1 0 1 किमी




(ब) तहसील फतेहपुर में व्याक्षसाधिक संरचना की केन्द्रीयता (प्राथमिक) 1991



संकेत

- > 111-63
- 103-32-111-63
- < 103-32


(स) तहसील फतेहपुर में व्याक्षसाधिक संरचना की केन्द्रीयता (द्वितीयक) 1991



संकेत

- ≥ 70.74
- $47.79-70.74$
- < 47.79

(द) तहसील फतेहपुर में व्याक्षसाधिक संरचना की केन्द्रीयता (तृतीयक) 1991



संकेत

- ≥ 132
- $71.65-132$
- < 71.65

चित्र स०— ५.

जनसंख्या के अन्तर्गत कास्तकार खेतिहर मजदूर, पशु पालन, वृक्षारोपण, खान व खदान खोदना, परिवारिक उद्योग निर्माण व्यापार वाणिज्य यातायात दूरसंचार सेवायें तथा अन्य सेवायें आदि है। जिनके अन्तर्गत 187535, (34.69 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का (60.92 प्रतिशत) 55210 व्यक्ति इसी कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित है।

सारिणी नं० 4.1

फतेहपुर तहसील – कार्यशील जनसंख्या

कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत की संख्या	संख्या का प्रतिशत
30 से कम	23618	12.59	08	14.55
30 – 35	77001	41.06	25	45.45
35 – 40	53157	38.35	14	25.45
40 से अधिक	33758	18.00	08	14.55
योग	187534	100.00	55	100.00

सारिणी नं० 4.1 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 187534 (34.69 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या 30 प्रतिशत से कम कार्यशील जनसंख्या वाली 8 न्याय पंचायतें 14.55 प्रतिशत के अन्तर्गत 23618 व्यक्ति 12.59 प्रतिशत जनसंख्या है। यह न्याय पंचायतें अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 30 से 35 प्रतिशत के मध्य कार्यशील जनसंख्या 25 (45.45प्रतिशत) न्याय पंचायतों में 77001 (41.06 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या 35 से 40 प्रतिशत के मध्य 14 (25.45 प्रतिशत)न्याय पंचायतों में

कार्यशील 53157 (38.35 प्रतिशत) व्यक्ति है। 40 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या वाले 8 (14.55 प्रतिशत) न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 33758 (18 प्रतिशत) व्यक्ति कार्यशील है। कार्यशील जनसंख्या को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कियाओं में विभाजित किया गया है।

वित्र नं० 4.1

4.1.1 प्राथमिक कियायें

प्राथमिक कियाओं में कास्तकार खेतिहर मजदूर, पशुपालन, जंगल लगाना, आखेट, वृक्षारोपण, बागवानी, और अन्य कार्यों में 158114 व्यक्ति कार्यशील है। जो समस्त तहसील की प्राथमिक जनसंख्या का 84.35 प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक 89.45 प्रतिशत व्यक्ति हसवां में तथा सबसे कम 84.14 प्रतिशत तेलियानी के प्राथमिक कियाओं में सम्मिलित है। न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक सिमरी 96.47 प्रतिशत तथा सबसे कम मथइयांपुर 1976 व्यक्ति 71.96 प्रतिशत प्राथमिक कियाओं में लगे हैं।

सारिणी नं० 4.2

फतेहपुर तहसील – जनसंख्या की प्राथमिक कियाओं का प्रतिशत

वर्ष 1991

प्राथमिक किया का प्रतिशत	प्राथमिक किया में लगी जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत जनसंख्या	प्रतिशत
80 से कम	33701	21.31	13	23.64
80 – 85	52553	33.24	16	29.08
85 – 90	34750	21.98	13	23.64
90 से अधिक	37110	23.47	13	23.64
योग	158114	100.00	55	100.00

सारिणी नं० 4.2 से स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत से कम जनसंख्या की प्राथमिक कियाओं के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायतें 23.64 प्रतिशत के अन्तर्गत 33701 (21.31 प्रतिशत) प्राथमिक कार्यशील जनसंख्या है। यह न्याय पंचायतें अध्ययन क्षेत्र के उत्तर दक्षिण में स्थित है। 80 – 85 प्रतिशत के मध्य 16 (29.08 प्रतिशत) न्याय पंचायतों में 52553 व्यक्ति 33.24 प्रतिशत प्राथमिक कार्यशील जनसंख्या है। यह न्याय पंचायतें अधिकांश अध्ययन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। 85 – 90 प्रतिशत के मध्य 13 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें प्राथमिक कार्यशील 34750 व्यक्ति 21.98 प्रतिशत जनसंख्या है। 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की प्राथमिक कियाओं के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायतें 23.64 प्रतिशत तथा 37110 व्यक्ति 23.07 प्रतिशत प्राथमिक कार्यशील जनसंख्या हैं यह न्याय पंचायतें अधिकांश तथा अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित है।

सारिणी नं० 4.3

सर्वेक्षित गांवों में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना 2001

गांव का नाम	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
उदयराजपुर	70.93	12.20	17.07
मुस्तफापुर	70.94	07.43	21.63
खरगपुर	75.26	7.40	17.34
सलेमाबाद	68.75	2.50	18.75
पैनाखुर्द	75.32	6.41	18.27
घघौरा	75.59	5.84	16.57
रारा	73.51	8.70	17.39
लमेहटा	75.50	7.84	17.66
टीकर	75.52	7.65	17.73
तारापुर	76.70	5.83	17.43

मवई	82.92	3.98	13.07
सांखा	70.72	11.20	18.08
अयाह	72.14	8.64	19.22
ललौली	62.40	8.32	29.28
सरकण्डी	70.13	7.56	22.31
योग	76.10	7.23	16.67

सारिणी नं० 4.3 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राथमिक कार्य कलापों में 76.10 प्रतिशत जनसंख्या है ग्राम्याकार स्थिति के आंकलन में सर्वाधिक प्राथमिक कार्यशील जनसंख्या गांव में 82.95 प्रतिशत है। जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थिति है। तथा सबसे कम ललौली गांव में 62.40 प्रतिशत प्राथमिक कार्यशील जनसंख्या है जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण यमुना नदी के तट पर स्थिति है। चित्र नं० 4.3 अ

4.1.1.2 द्वितीयक कियायें

द्वितीयक कियाओं में खान व खादान खोदना पारिवारिक उद्योग निर्माण आदि कार्य है जिनमें 16100 व्यक्ति 8.59 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक द्वितीयक कियाओं में असोथर 9.51 प्रतिशत तथा सबसे कम तेलियानी 7.42 प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक कियाओं के अन्तर्गत कार्यशील जनसंख्या है न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक द्वितीयक कियाओं की जनसंख्या कोंडार 22.01 प्रतिशत तथा सबसे कम वेरागढ़ीवा 2.26 प्रतिशत द्वितीयक कियाओं में है। चित्र नं० 4.1 अ।

सारिणी नं० 4.4

फतेहपुर तहसील – जनसंख्या की द्वितीयक कियाओं का प्रतिशत 1991

द्वितीयक कियाओं का प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय संख्या	पंचायत	प्रतिशत
4 से कम	1066	6.62	10		18.18
4 – 8	4366	27.12	20		36.37
8 – 12	3100	19.25	11		20.00
12 से अधिक	7568	47.01	14		25.45
योग	16100	100.00	55		100.00

सारिणी नं० 4.4 से स्पष्ट होता है कि 4 प्रतिशत से कम जनसंख्या की द्वितीयक सीमा के अन्तर्गत 10 न्याय पंचायतें 18.18 प्रतिशत के अन्तर्गत 10.62 व्यक्ति 6.62 प्रतिशत जनसंख्या द्वितीयक कियाओं की जनसंख्या है। जो अध्ययन क्षेत्र उत्तर दक्षिण में स्थित है।

4 – 8 प्रतिशत के मध्य 20 (36.37 प्रतिशत) न्याय पंचायतें में 4366 व्यक्ति 27.12 प्रतिशत द्वितीयक कियाओं की कार्यशील जनसंख्या है। 18.12 प्रतिशत के मध्य 11 न्याय पंचायतें हैं। जिनमें द्वितीयक कियाओं की कार्यशील 3100 व्यक्ति 19.25 प्रतिशत जनसंख्या है। 12 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की द्वितीयक कियाओं के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायतें हैं। जिनमें द्वितीयक कियाओं की कार्यशील 7568 व्यक्ति 47.01 प्रतिशत जनसंख्या है। जो कि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित है।

सर्वेक्षित गांवों में सर्वाधिक द्वितीयक कियाओं की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत का 12.20 प्रतिशत तथा टेक्सारी बुजुर्ग में 3.98 प्रतिशत सबसे कम है। सारिणी नं० 4.3

4.1.1.3 तृतीयक कियाओं

तृतीयक कियाओं में व्यापार वाणिज्य यातायात एवं दूर संचार सेवाएं तथा अन्य सेवाओं में 13220 व्यक्ति 7.07 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक तृतीयक कियाओं में भिटौरा 10.88 प्रतिशत व्यक्ति तथा सबसे कम तेलियानी 5.34 प्रतिशत व्यक्ति तृतीयक स्तर पर इसके प्रतिशत में भिन्नता दृष्टि गोचर होती है। जिसमें सर्वाधिक मथइयापुर 639 व्यक्ति 23.27 प्रतिशत तथा सबसे कम अयाह 6 व्यक्ति 0.14 प्रतिशत तृतीयक कियाओं में संलग्न है।

चित्र नं 4.1 अ।

तालिका नं 4.5

फतेहपुर तहसील – जनसंख्या तृतीयक कियाओं का प्रतिशत 1991

तृतीयक कियाओं का प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय संख्या	पंचायत	प्रतिशत
4 से कम	916	06.93	18		32.73
4 – 8	2890	21.86	18		32.73
8 – 12	2408	18.21	06		10.91
12 से अधिक	7006	53.00	13		23.63
योग	13220	100.00	55		100.00

सारिणी नं 4.5 से स्पष्ट होता है कि 4 प्रतिशत से कम जनसंख्या की तृतीयक कियाओं के अन्तर्गत 18 (32.73 प्रतिशत) न्याय पंचायत आती है। जिनक अन्तर्गत 916 व्यक्ति 6.93 प्रतिशत तृतीयक कियाओं के जनसंख्या है। जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण में स्थिति है। 4.8 प्रतिशत के मध्य 18 (32.73 प्रतिशत) न्याय पंचायतों में 289 व्यक्ति 21.86 प्रतिशत है। तृतीयक कियाओं की कार्यशील जनसंख्या है। 8 – 12 प्रतिशत के मध्य

6 न्याय पंचायतें हैं। जिनमें तृतीयक कियाओं की कार्यशील 2408 व्यक्ति ले 18.21 प्रतिशत जनसंख्या है। 12 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की तृतीयक कियाओं के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायतें आती हैं। जो समस्त तहसील न्याय पंचायतों का 23.63 प्रतिशत हैं जिनमें तृतीयक कियाओं की कार्यशील 7006 व्यक्ति 53 प्रतिशत जनसंख्या है। यह न्याय पंचायतं अध्ययन से ठीक दक्षिण में स्थिति है।

सर्वेक्षित गांवों में तृतीयक कार्यों में कार्यरत सर्वाधिक जनसंख्या ललौली 29.28 प्रतिशत तथा सबसे कम टेकसारी बुजुर्ग 13.07 प्रतिशत गांवों में हैं सारिणी नं 4.3। चित्र नं 4.1 आ।

4.1.1.4 व्यवसायिक जनसंख्या की केन्द्रीयता

फतेहपुर तहसील की व्यवसायिक जनसंख्या के विभिन्न कार्य कलापों का केन्द्रीयकरण को स्थानीय परिप्रेक्ष में निम्न सूत्र 4 को आंकलन का आधार बनाया गया है। यथा —

$$\text{के}0 \text{ सू}0 = \underline{\text{अ}}/\underline{\text{ब}} \times \text{स}$$

जिसमें


के0 सू0 = किसी भी क्षेत्र या इकाई में व्यवसाय विशेष (ब) में संलग्न जनसंख्या का केन्द्रीय सूचकांक।

अ = व्यवसाय विशेष (ब) में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत (न्याय पंचायत वार)


ब = समस्त क्षेत्र के व्यवसाय विशेष (ब) के संलग्न से संख्या का प्रतिशत (तहसील)

स 1000 X स्थिरांक (प्रतिशत हेतु)


तहसील फतेहपुर की प्राथमिक कार्यकलापों की केन्द्रीयता 1991



तहसील फतेहपुर की द्वितीयक कार्यकलापों की केन्द्रीयता 1991



तहसील फतेहपुर की तृतीयक कार्यकलापों की केन्द्रीयता 1991



4.2
314

उपरोक्त सूत्र के आधार पर प्राप्त परिणाम पर आधारित चित्र नं० 4.1 ब , स, द, से स्पष्ट है कि तहसील कि सम्पूर्ण व्यवसायिक जनसंख्या की संख्या 3 समूहों मे वर्गीकृत है।

प्राथमिक वर्ग मे कृषि कृत जनसंख्या (कास्तकार) व कृषक, मजदूर, खान खोदना, पत्थर काटना, मवेशी चराना, शिकार करना व पशु पालन करना आदि सम्लित है। ये कार्य कलाप प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है तहसील की अधिकांश जनसंख्या (84 ,35 प्रतिशत) की केन्द्रीयता इन्ही कियाओ मे है परन्तु न्याय पंचायत स्तर पर इस वर्ग की सर्वाधिक केन्द्रीय करण खेसहन (120 ,39) तथा सबसे कम केन्द्रीयता तारा पुर (79 ,54) न्याय पंचायत मे है

सारणी नं० 4 ,6

तहसील फतेहपुर की प्राथमिक कार्यकलापो की केन्द्रीयता 1991

कोटिस्तर	न्याय पंचायत	प्राथमिक कार्योंमे संलग्न जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत का नाम
111,63	15	42619	22,74	खानपुरतेलियानी, तारापुर, मौहारी, मुराव, ख्वाजीपुर सेमरैया, सातोंजोगा, सेमरी कुसुम्भी, कंधिया, मोहम्मदपुर बुजुर्ग, खेसहन, सरवल, कोर्किनक, अयाह, थरियांव

103,32	24	96142	51,29	मोहनखेडा, रावतपुर कांधी, कोराई , जगतपुर, देवरीलक्ष्मणपुर, बरारी, जमुरावां, बेरागढीवा, मदनपुर, ढकौली, बरहनपुर, हसवा, बहरामपुर, बडागांव, महना, गम्हरी, साखा, मुत्तौर, दतौली, असोथर, बनरसी शिवगोबिन्दपुर, सनगांव खुमारीपुर चकस्करन,
103,32 से कम	16	48694	25,97	सनगांव, तारापुर हसनपुर, मथइयापुर , चित्तीसापुर, हुसेनगंज, फरसी, लतीफपुर, साह , चुरियानी, बहुआ, गाजीपुर, कोण्डार, देवलान, जरौली, नरैनी

स्रोत – परिशिष्ट नं० 4 ,1 अ पर आधारित

111 ,63 से अधिक केन्द्रीयता की न्यायपंचायतों पर उच्च कोटि मान पाया जाता है जो कि 420 ,35 है० (26 ,43 प्रतिशत) उच्च प्राथमिक केन्द्रीयता को प्रदर्शित करता है। मध्य स्तर के अन्तर्गत 24 न्याय पंचायते आती है। जिनके अन्तर्गत 707 ,77 है० (44 ,56 प्रतिशत) क्षेत्र तथा 96142 (51 ,29 प्रतिशत) जनसंख्या 103 ,32 – 111 ,63 केन्द्रीयता कोटिमान के अन्तर्गत निहित है। 130 ,32 से कम कोटिमान के अन्तर्गत 16 न्याय पंचायते आती है। जिसके अन्तर्गत 460 ,80 है० 29 ,01 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 48694 व्यक्ति 25 ,97 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक केन्द्रीयता कोटिमान के अन्तर्गत

है । परन्तु सर्वेक्षणो द्वारा प्राप्त परीक्षण के आधार पर ललौली (420)तारापुर (229)गांवो में इस वर्ग की केन्द्रीयता अधिक है । मवई (22) आदि बांवो में केन्द्रीयता सूचकांक कम है ।

द्वितीयक कार्य कलापो में घरेलू उद्योग विनिर्माण आदि सम्मिलित किये जाते हैं क्षेत्र के इस वर्ग में संलग्न व्यक्तियों की केन्द्रीयता 57 ,00 है जो अति निम्न है । क्योंकि गरीबों के कारण लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ता है पूजी के अभाव में कोई भी व्यक्ति सरलता से किसी भी प्रकार का उद्योग धन्धा स्थापित कर पाने की क्षमता में नहीं है । जिसका महत्व पूर्णकारण गरीबी है । क्योंकि नगरीय क्षेत्र में उद्योग धन्धे महगे श्रम मूल्य के कारण पूर्णतयः प्रभावित हैं । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं द्वितीयक जनसंख्या के श्रम उपयोग से सम्बन्धित कृषि उद्योग धन्धों को स्थापित करने से उनमें होने वाली जनसंख्या संरचनाओं के कार्यरत होने से क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित होगी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहां भी जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक पहलू पर पड़ता है ।

70 ,74 उच्चकोटि के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायते आती हैं । जिनके अन्तर्गत 7366 व्यक्ति (45 ,75 प्रतिशत) द्वितीयक कार्यकलापों की जनसंख्या है । 147 ,79 से 70 ,74 मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायते हैं जिसके अन्तर्गत 4193 व्यक्ति (25 ,91 प्रतिशत) जनसंख्या है । 147,79 से कम द्वितीयक केन्द्रीयता कोटि भाग के अन्तर्गत 27 न्याय पंचायते आती हैं । जिसमें 4561 व्यक्ति (28 ,34 प्रतिशत) जनसंख्या तथा 51 ,75 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं ।

सारणी नं० 4 ,7

फतेहपुर तहसील की द्वितीयक कार्यकलापो की केन्द्रीयता 1991

कोटिस्तर	न्यायपंचायत संख्या / प्रतिशत	द्वितीयक कार्यो की जनसंख्या / प्रतिशत	न्याय पंचायतो का नाम	
70 ,74	14	25 ,45	7366 45,75	कोराई, सनगांव, बरारी, जमरांवा हुनगंज, बडनपुर, हस्वां, नरैनी, चुरियानी, बहुआ, गाजीपुर, कोण्डार, दतौली, ढकौली
47,79 से 70,74 तक	14	25,45	4173 25,91	मोहनखेडा, कांधी, रावतपुर, तारापुर, हसनपुर, बहरामपुर, बनरसी, शिवगोबिन्दपुर, शाह, महना, बडागांव, मुत्तौर, चकस्करन, कंधिया, अलावलपुर
47,79 से कम	27	50,00	4561 28,34	खानपुर, तेलियानी, देवरी, लक्ष्मणपुर, तालिबपुर, लोहारी, मथइयापुर, चित्तीसापुर, बेरागढीवा, मकनपुर, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, सनगांव खुमारीपुर, मुरावं, फरसी, थरियांव, ख्वाजीपुरसेमरैयां, सातोजोगा, कुसुम्भी, खेसहन, अयाह,

					गम्हरी, साखा, कोर्कनक, देवलान, सरवल, असोथर, जरौली, सेमरी
योग	55	100	16100	100	

सर्वेक्षित गांवो मे द्वितीयक केन्द्रीयता तारापुर (18) तथा ललौली (56) सूचकांको मे विभक्त है जबकि सबसे कम द्वितीयक केन्द्रीयता (4) मुस्तफापुर द्वितीयक केन्द्रीयता सूचकांक मे विभक्त है ।

सारणी नं 0 4 ,8


फतेहपुर तहसील की तृतीयक कार्यकलापो की केन्द्रीयता 1991

कोटिस्तर	न्यायपंचायत	तृतीयक कार्योमे संलग्न जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायतो का नाम
132 ,00 से अधिक	18	6292	62,72	बरारी, तारापुर, हसनपुर, मथइयापुर, चित्तीसापुर, फरसी, बेरागढीव, मकनपुर लतीफपुर सनगांप खुमारीपुर नरैनी बनरसी, साह, बहुआ, गाजीपुर साखा, देवलान, जरौली


71,65 से 132,00	14	3046	23,04	मोहनखेडा, रावतपुर कांधी, अलावलपुर सनगांव, देवरीलक्ष्मणपुर, जमरांवा हुसेनगंज, मो बुजुर्ग, बहरामपुर चुरियानी महना, मुत्तौर, कंधिया
71,65 से कम	23	1362	14,24	कोराई, तेलियानी, तालिबपुर, लोहारी, ढकौली, हसवां, बडनपुर, मोंराव, ख्वाजीपुरसेमरैया, थरियांव, सातो, जोगा, सेमरी, कुसुम्भी, खेसहन, अयाह, बडागांव, चकस्करन, गम्हरी, कोडार, कोर्टकनक, दतौली, सरवल, असोथर
योग	55	13220	100	

सारणी नं० 4,8 से स्पष्ट होता है तृतीयक कार्यकलापों की केन्द्रीयता के अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य, यातायात एवं संचार तथा अन्य सेवाये सामिल की जाती है। वयवासायिक संरचना के इस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या 7,06 प्रतिशत है परन्तु न्याय पंचायत स्तर पर इसकी पुष्टि चित्र नं० 4,1 द से होती है जिसमें कार्यों की सर्वाधिक केन्द्रीयता बरारी 299 तारा पुर 229,75 आदि 18 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 122 से अधिक तृतीय उच्च केन्द्रीयता कोटिमान पाया जाता है। जिसके अन्तर्गत 29,20 प्रतिशत क्षेत्रफल 62,72 प्रतिशत जनसंख्या निहित है। मध्यम कोटिमान के अन्तर्गत 71,65 से 132 के मध्य 14 न्याय पंचायते एवं 23,91 प्रतिशत द्वोत्रफल तथा 23,04 प्रतिशत जनसंख्या है। सबसे कम केन्द्रीयता के अन्तर्गत 23 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 71,65 से कम तृतीय केन्द्रीयता कोटिमान के अन्तर्गत

सर्वेक्षित गांवों में रोजगार - बेरोजगार का प्रतिशत



सर्वेक्षित गांवों में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना 2001




है जिसमे 46,89 प्रतिशत क्षेत्रफल 14,44 प्रतिशत जनसंख्या है।
 सर्वेक्षित गांव मे सर्वाधिक केन्द्रीयता ललौली मे एक 197 तथा सबसे कम केन्द्रीयता उदयराजपुर मे सात है सारणी नं० 4,9

सारणी नं० 4 ,9


सर्वेक्षित गांवो मे व्यावसायिक संरचना 2001

क्रमांक	गांव का नाम	प्रथम	द्वितीयक	तृतीयक
1	उदयराजपुर	173	5	7
2	मुस्तफापुर	229	24	38
3	खरगपुर	370	48	56
4	सलेमाबाद	223	6	9
5	पैनाखुर्द	429	18	23
6	घघौरा	525	27	46
7	रारा	960	33	52
8	लमेहटा	1147	63	103
9	टीकर	704	14	20
10	तारापुरभिटौरा	1409	35	46
11	मवई	1009	06	09
12	साखा	2230	106	132
13	अयाह	2160	17	148
14	ललौली	7901	204	448
15	सरकण्डी	3294	74	262
	योग	22763	632	1399

सर्वेक्षित गांवों में कृषि भूमि (एकड़ में 2001)



सर्वेक्षित गांवों में पशुओं का विवरण 2001



सारणी नं० 4 ,10
सर्वेक्षित गांवो कृषि भूमि (एकड़ मे 2001)

गांव का नाम	2 एकड़ से कम भूमि प्रतिशत	2 से 5 एकड़ तक भूमि प्रतिशत	5 से 10 एकड़ तक भूमि प्रतिशत	10 से अधिक एकड़ तक भूमि प्रतिशत	योग प्रतिशत
उदयराजपुर	25,00	33,33	25,00	16,67	100,00
मुस्तफापुर	14,58	41,67	33,33	10,42	100,00
खरगपुर	25,00	33,33	33,33	8,34	100,00
सलेमाबाद	17,00	20,00	38,00	25,00	100,00
पैनाखुर्द	12,50	50,00	25,00	12,50	100,00
घघौरा	18,75	48,75	31,25	6,25	100,00
रारा	14,50	41,67	33,30	10,53	100,00
लमेहटा	10,42	35,42	41,67	14,59	100,00
टीकर	17,00	20,00	38,00	25,00	100,00
तारापुरभिटौरा	25,00	37,00	25,00	13,00	100,00
मवई	10,00	30,00	33,33	26,67	100,00
साखा	12,50	50,00	25,00	12,50	100,00
अयाह	10,71	35,72	28,57	25,00	100,00
ललौली	10,42	35,42	41,67	14,59	100,00
सरकण्डी	18,75	30,50	36,25	12,50	100,00
योग	15,62	35,19	32,24	16,85	100,00

4 ,2 सम्पत्ति

मनुष्यों में एक असाधारण इच्छा होती है कि वह अधिकाधिक सम्पत्ति का मालिक बने और अनेक प्रकार के अमोद प्रमोद के साधनों का उपयोग तथा समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें⁵ । इन्ही कल्पनाओं की पूर्ति के लिये मानव अधिक से अधिक उत्पाद शिक्षा व्यवसाय व विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से सम्पत्ति अर्जित करने का प्रयास करता है।

सर्वेक्षित 15 गांवों के 9185 परिवारों में कुल भूमि के अन्तर्गत 2 एकड़ से कम भूमि 15,57 परिवारों के पास है। 2 से 5 एकड़ भूमि 35,29 परिवारों के पास है। जब कि 5 से 10 एकड़ भूमि 32,26 परिवारों के पास है। 10 एकड़ से अधिक भूमि 16,85 परिवारों के पास है। सारणी नं 4,10 सारणी 4 ,10 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित 15 गांवों में 2 एकड़ से कम भूमि सर्वाधिक अधिक भूमि उदयराजपुर 25,00 प्रतिशत तथा सबसे कम मवई गांव में 10 प्रतिशत है। 2 से 5 एकड़ के मध्य सर्वाधिक भूमि पैनाखुर्द गाव में 50 ,00 प्रतिशत तथा सबसे कम सलेमाबाद गांव में 20 प्रतिशत है जबकि 10 एकड़ से अधिक भूमि मवई गांव में सर्वाधिक 26,67 प्रतिशत तथा सबसे कम घघौरा में 6,25 प्रतिशत है।

4,2,1 जातिगत भूमि का अधिपत्य

सर्वेक्षित 15 गांवों में सम्प्रदाय एवं जातिगत कृषि भूमि का अधिपात्य निम्नांकित उल्लेखनीय है।

सर्वेक्षित गांवों की भूमि पर विभन्न जातियों का. स्वामित्व 2001 (कृषि भूमि एकड़ में)

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुम्ही	लोधी	दर्जा	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	29.70	37.08	—	—	10.83	—	12.01	—	4.09	—	11.05	—	—	—	1.51	—	—	
सदस्य संख्या का प्रतिशत	15.28	2.00	—	—	0.60	—	2.3	—	1.3	—	3.4	—	—	—	—	0.40	—	

सारिणी नं० 4.2.2.1 उदयराजपुर गांव अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम मोहनखेड़ा न्याय पंचायत में रिथत है। यहा का धरातल उबड़-खाबड़ एवं अपद्वन युक्त है। यहां पर जातिगत आधार पर सर्वाधिक कृषि भूमि क्षत्रीय जाति के पास 37.8 प्रतिशत जो समस्त सदस्य संख्या का 2.00 प्रतिशत है। तथा सबसे कम कृषि भूमि पासी जाति के पास 1.51 प्रतिशत एवं प्रतिव्यक्ति 0.40 प्रतिशत है। सारिणी नं० 4.11

2 — मुरतफापुर सारिणी नं० 4.12

सर्वेक्षित गांवों की भूमि पर विभन्न जातियों का. स्वामित्व 2001 (कृषि भूमि एकड़ में)

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुम्ही	लोधी	दर्जा	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	22.7	25.8	3	—	19.89	—	6.50	—	—	—	2.34	1.30	5.35	1.04	4.19	—	—	7.05
सदस्य संख्या का प्रतिशत	1.71	1.39	1	—	0.72	—	0.68	—	—	—	0.23	0.50	0.48	0.28	0.37	—	—	0.20

सारिणी नं० 4.12

4.1.2.2 मुख्तफापुर गांव में जातिगत आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत क्षत्रीय जाति के पास 25.8 प्रतिशत जो समस्त सदस्य संख्या का प्रतिव्यक्ति 1.39 प्रतिशत कृषि भूमि है। एवं सबसे कम धोबी जाति के पास कृषि भूमि 1.04 प्रतिशत एवं प्रतिव्यक्ति 0.28 प्रतिशत है।

3 — खरगपुर सारिणी नं० 4.13

सर्वेक्षित गांवों की भूमि पर विभन्न जातियों का स्थानिक्य 2001 (कृषि भूमि एकड़ में)

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुरिलम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	25.4	16.3	10.9	4.05	—	14	1	—	2	1.30	2.10	2.89	3.40	1.10	1.30	3.40	1.32	8.64
सदस्य संख्या का प्रतिशत	2.00	0.80	1.5	1.40	—	1.14	1	—	0	0.68	0.40	0.20	1.15	1.04	0.43	0.89	0.46	0.36

4 — सलेमाबाद

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुरिलम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	22.04	34.01	9.77	—	10.4	15	—	1	2	—	1.15	3.43	1.04	2.32	4.35	1.01	0.14	
सदस्य संख्या का प्रतिशत	1.28	1.54	1.03	—	0.89	0.48	—	0	0	—	0.39	0.86	0.41	0.20	0.10	0.11	0.1	

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दंडी	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम
कृषि भूमि का प्रतिशत	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26.12	36.06	3	—	11.04	—	—	1	1	2.13	1.18	2.14	2.08	—	3.48	1.12	—	10.01
सदस्य संख्या का प्रतिशत	2.04	3.04	1	—	0.40	—	—	0	0	0.12	0.08	0.68	0.76	—	0.12	0.06	—	1.03

6— घटावा

सारिणी नं० 4.16

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दंडी	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम
कृषि भूमि का प्रतिशत	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35.44	43.03	1.20	—	13.04	—	—	1	1	—	1.38	1.03	1.12	—	0.23	1.15	—	—
सदस्य संख्या का प्रतिशत	3.13	2.89	0.40	—	1.20	—	—	0	0	—	0.40	0.63	0.68	—	0.70	0.20	—	—

उपर्युक्त गांव के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक कृषि भूमि क्षत्रीय एवं ब्राह्मण जाति के पास हैं तथा सबसे कम पासी, चमार, नाई एवं मुस्लिम जाति के पास पायी जाती है।

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गडिरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	30.49	33.68	2	1.34	14.34	10	3.05	0	0	—	0.34	—	0.56	0.59	1.14	1.06	—	—
सदस्य संख्या का प्रतिशत	3.48	4.03	1	1.13	1.08	0	0.86	0	0	—	0.02	—	0.04	0.03	0.40	0.02	—	—

8 — लमेहटा

सारिणी नं० 4.18

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गडिरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	22.43	38.06	1	2.13	12.36	—	—	1	1	1.04	2.06	3.04	—	—	2.34	12	0.70	—
सदस्य संख्या का प्रतिशत	2.93	4.34	0	0.96	1.43	—	—	0	0	0.40	0.83	0.45	—	—	0.93	1.03	0.20	—

9 — टीकर

सारिणी नं० 4.19

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गडिरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	24.09	29.46	3	1.13	9.14	5	3.12	—	1	1.06	1.11	1.13	1.46	0.45	1.13	0.14	—	17.22
सदस्य संख्या का प्रतिशत	2.73	3.26	2	0.43	1.67	1	0.68	—	0	0.43	0.36	0.54	0.63	0.54	0.63	0.34	—	2.34

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम
कृषि	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
कृषि भूमि का प्रतिशत	36.40	18.48	1	1.67	14.34	10	8.46	—	1	—	1.13	1.23	1.23	2.03	2.06	—	—	—
सदस्य संख्या का प्रतिशत	4.13	2.34	0	0.33	2.36	2	1.12	—	0	—	0.20	0.21	0.23	0.40	0.34	—	—	—

11 — मवई

सारिणी नं० 4.21

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम
कृषि	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
कृषि भूमि का प्रतिशत	20.33	31.44	2	—	4.68	16	12	3	1	—	—	—	—	1.16	2.13	2.89	—	2.29
सदस्य संख्या का प्रतिशत	2.48	3.12	1	—	1.36	1	1.42	1	0	—	—	—	—	0.20	0.67	0.43	—	0.51

12 — साँखा

सारिणी नं० 4.22

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम
कृषि	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
कृषि भूमि का प्रतिशत	29.67	21.32	2	1.48	16.12	—	—	1	1	1.43	1.08	1.29	1.36	1.38	2.28	2.13	—	15.52
सदस्य संख्या का प्रतिशत	3.46	2.45	1	0.68	1.63	—	—	0	0	0.63	0.62	0.43	0.30	0.32	0.45	0.56	—	3.49

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गडरिया	कुन्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्तिलम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि	28.36	31.68	3	—	12.26	—	—	2	1	1.03	1.48	—	1.63	—	4.73	3.20	—	8.96
भूमि का प्रतिशत			46					.03	.12									
सदस्य संख्या का प्रतिशत	2.36	4.30	1	—	1.24	—	—	1	0	0.20	0.42	—	0.60	—	0.79	0.69	—	0.93
			13					.12	.40									

14 — ललौली

सारिणी नं० 4.24

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गडरिया	कुन्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्तिलम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि	16.28	23.13	1	1.68	9.42	—	—	1	1	1.46	1.14	2.13	—	1.63	3.32	2.26	—	33.65
भूमि का प्रतिशत			12					.42	.36									
सदस्य संख्या का प्रतिशत	2.03	2.68	0	0.36	0.49	—	—	0	0	0.25	0.24	0.26	—	0.26	0.51	0.40	—	1.38
			40					.31	.20									

नाम	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	श्रीवास्तव	यादव	कुमी	लोधी	दर्जी	नाई	सुनार	लोहार	गडिरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	महतर	मुखिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कृषि भूमि का प्रतिशत	31.26	26.33	3	—	14.63	8	—	1	1	1.43	1.33	—	—	1.93	4.63	3.44	—	0.14
सदस्य संख्या का प्रतिशत	4.23	3.13	1	—	1.42	1	—	0	0	0.32	0.36	—	—	0.40	0.60	0.33	—	0.40

उपरोक्त सर्वेक्षित गांव रासा लमेहटा टीकर, तारापुर भिटोरा, मवई, सांखा, अयाह, ललौली, एवं सरकाण्डी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक कृषि भूमि का प्रतिशत सर्वां जातियों के पास है। जिसमें सर्वाधिक क्षत्रिय जाति के पास एवं सबसे कम श्रीवास्तव जाति के पास है। एवं सबसे कम एवं अनु० जाति के पास भूमि का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है तथा सदस्य संख्या के आधार पर भी अनु० जाति में सबसे कम भूमि प्रतिशत पायी जाती है। पिछड़ी जातियों में यादव तथा कुर्मी जाति के पास भूमि का प्रतिशत अधिक है। जबकि अन्य पिछड़ी जातियों के पास भूमि का प्रतिशत कम पाया जाता है। उपरोक्त गांवों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मुखिला का प्रतिशत कम पाया जाता है। सारिणी नं० 4.17 से 4.25

4.2.2 पशुधन –

1991 की पशु गणना से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में 37923 पशु हैं। जिनमें 144294 गोवंशीय 101525, मर्हिष वंशीय तथा 23557 सुअर 107231 भेड़बकरी तथा 2824 घोड़े, खच्चर पाये जाते हैं।

सारिणी नं० 4.26

अध्ययन क्षेत्र गोवंशीय पशु 1991

पशुओं का कोटिमान	पशु संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
2600 से अधिक	46020	31 ,92	20
2000 – 2600	36627	27 ,02	14
1600 – 2000	41020	28 ,42	10
1600 से कम	18227	13 ,64	11
योग	144294	100	55

स्रोत – कार्यालय सांख्यकीय अधिकारी फतेहपुर

सारिणी नं० 4.25 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 144294 गोवंशीय 38 ,04 प्रतिशत पशु हैं 2600 से अधिक पशु संख्या कोटिमान के अन्तर्गत दो न्याय पंचायते हैं जिसमें सर्वाधिक गोवंशीय पशु कोडार में ,7916 (5 ,49 प्रतिशत) हैं। जोकि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं सबसे कम पशु संख्या 1600 से कम कोटिमान के अन्तर्गत 11 न्याय पंचायतों में 18227 (13 ,64 प्रतिशत) गोवंशीय पशु हैं जिसमें सबसे कम पशु संख्या कंधिया में 1020 (0 ,71 प्रतिशत) जो अध्ययन क्षेत्र के पूर्व में स्थित हैं। (सारिणी नं० 4.13)

सारिणी नं० 4 ,27

अध्ययन क्षेत्र मे महिष वंशीय पशु 1991

पशुओं का कोटिमान	पशु संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
2600 से अधिक	25381	25 ,24	10
2000 – 2600	23982	23 ,63	8
1600 –2000	27952	27 ,54	12
1600 से कम	24210	53 ,59	25
योग	101525	100	55

सारिणी नं० 4 ,27 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे 101525 महिषवंशीय 26 ,77 प्रतिशत पशु है 2600 से अधिक पशु संख्या कोटिमान के अन्तर्गत 10 न्याय पंचायतो मे 25381 25 ,24 प्रतिशत है जिसमे सर्वाधिक महिषवंशीय पशु कोडार मे 4808 (4 ,74 प्रतिशत)न्याय पंचायत मे है । जो फतेहपुर तहसील के दक्षिण पश्चिम भाग पर स्थित है सबसे कम महिषवंशीय पशु बहुआ 930 (0 ,92 प्रतिशत) न्याय पंचायतो मे है जो कि नगरीय केन्द्र बहुआ मे स्थित है 1600 से कम महिषवंशीय पशु 25 न्याय पंचायतो मे 54210 (53 ,59 प्रतिशत) महिषवंशीय पशु है ।

सारिणी नं० 4.28

फतेहपुर तहसील भेड़, बकरी, वंशीय पशु 1191

पशुओं का कोटिमान	भेड़ बकरियां की संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
2600 से अधिक	28100	26.21	10
2000 – 2600	30800	28.72	14
1600 –2000	25500	23.78	15
1600 से कम	22831	21.29	16
योग	107231	100	55

सारिणी नं० 4.28 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 107231 भेड़ बकरी 2827 प्रतिशत पशु है। 2600 से अधिक भेड़ बकरी पशुओं की कोटिमान के अन्तर्गत 10 न्याय पंचायतों में 28100 (26.21 प्रतिशत) भेड़ बकरियां हैं। जिसमें सर्वाधिक भेड़ बकरियां असोथर 5036 (4.70 प्रतिशत) न्याय पंचायतों में हैं। जो कि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित है। 1600 से कम कोटिमान के अन्तर्गत 16 न्याय पंचायतों में 22831 (21.29 प्रतिशत) भेड़ बकरियां हैं सबसे कम भेड़ बकरी वंशीय पशु महाना 768 (0.71 प्रतिशत) न्याय पंचायतों में है। जो दक्षिण में यमुना नदी के किनारे बसा है। सारिणी नं० 4.29 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 23357 सुअर वंशीय पशु 6.16 प्रतिशत पशु है। 400 से अधिक सुअर वंशीय पशुओं के अन्तर्गत 11 न्याय पंचायतों 6156 (26.36 प्रतिशत) सुअर हैं। जिसमें सर्वाधिक सुअर खेसहन 1277, 5.7 प्रतिशत न्याय पंचायत में है। जो मध्य क्षेत्र में स्थित है। 200 से कम सुअर वंशीय पशुओं के कोटिमान स्तर में 16 न्याय पंचायतों में 5247, 22.46 प्रतिशत सुअर है। सबसे कम सुअर न्याय पंचायत स्तर पर बैरामपुर 140, 0.50 प्रतिशत जो पूर्व में स्थित है।

सारिणी नं० 4.29

फतेहपुर तहसील – सुअर वंशीय पशु – 1991

पशुओं का कोटिमान	सुअर की संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
400 से अधिक	6156	26.36	11
300 से 400	6958	29.79	15
200 से 300	4956	21.39	13
200 से कम	5247	22.46	16
योग	23357	100	55

सारिणी नं० 4.30 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 2824 घोड़े, खच्चर 0.74 प्रतिशत अन्य वंशीय पशु हैं। 60 से अधिक घोड़े, खच्चर 16 न्याय

पंचायतों में 950, 33.92 प्रतिशत पशु है जिसमें सर्वाधिक कोडार में 108 तथा सबसे कम महाना में है। 6 पशु न्याय पंचायतों में है। जो कि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।

सारिणी नं० 4.30

फतेहपुर तहसील में घोड़े खच्चर तथा अन्य वंशीय पशु – 1991

घोड़े खच्चर तथा अन्य का पशु कोटिमान	घोड़े खच्चर की संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
60 से अधिक	958	32.92	16
40 से 60	342	12.11	13
20 से 40	692	24.50	11
20 से कम	832	29.47	15
योग	2824	100	55

सारिणी नं० 4 ,31

सर्वेक्षित गांवों में पशुओं का विवरण 2001

गांवों का नाम	गोवंशीय	महिषवंशीय	भेड़बकरी	सुअरवंशीय	अन्यवंशीय	योग
उदयराजपुर	20 ,41	19 ,05	23 ,13	32 ,65	4 ,76	100 ,00
मुस्तफापुर	20 ,54	22 ,77	30 ,80	22 ,77	3 ,12	100 ,00
खरगापुर	15 ,88	14,36	18 ,39	49 ,24	2 ,13	100 ,00
सलेमाबाद	28 ,77	30 ,61	38 ,38	—	2 ,04	100 ,00
पैनाखुर्द	16 ,35	18 ,07	18 ,24	40 ,06	3 ,27	100 ,00
घघौरा	18 ,62	23 ,84	26 ,66	28 ,20	2 ,68	100 ,00
रारा	29 ,46	41 ,07	17 ,86	0 ,93	2 ,68	100 ,00
लमेहटा	23 ,75	25 ,00	23 ,75	25 ,00	2 ,50	100 ,00
टीकर	27 ,51	21 ,00	31 ,00	19 ,43	6 ,50	100 ,00
तारापुरभिटौरा	16 ,72	15 ,45	22 ,18	45 ,02	0 ,50	100 ,00

मर्वई	21 ,15	24 ,67	20 ,19	24 ,23	1 ,76	100 ,00
साखा	17 ,48	25 ,43	26 ,16	26 ,83	4 ,10	100 ,00
अयाह	16 ,33	23 ,12	23 ,48	34 ,89	2 ,18	100 ,00
ललौली	14 79	24 ,51	33 ,80	34 ,65	2 ,25	100 ,00
सरकण्डी	15 ,36	23 ,26	26 ,13	30 ,61	2 ,32	100 ,00
योग	18 ,19	20 ,89	25 ,47	33 ,09	2 ,36	100 ,00

सारिणी नं० 4.31 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 15 गांवों में गोवंशीय पशु 10.19 प्रतिशत महिष वंशीय 20.89 प्रतिशत भेड़ एवं बकरी वंशीय 25.47 प्रतिशत सुआर वंशीय 33.09 प्रतिशत तथा अन्य वंशीय 2.36 प्रतिशत पशु गांवों में है। सर्वाधिक गोवंशीय पशु रारा गांव में 29.46 प्रतिशत तथा सबसे कम ललौली में 14.79 प्रतिशत गोवंशीय पशु है। महिष वंशीय पशु सर्वाधिक रारा में 41.07 प्रतिशत तारी सबसे कम खरगपुर में 14.36 प्रतिशत पशु गांवों में है। भेड़ बकरी वंशीय पशु सर्वाधिक सलेमाबाद में 38.78 प्रतिशत तथा सबसे कम रारा में 8.93 प्रतिशत पशु है। अन्य वंशीय पशु सर्वाधिक उदयराजपुर में 4.76 प्रतिशत तथा सबसे कम तारापुर भिटौरा में 0.50 प्रतिशत पशु गांवों में है।

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के बर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुम्हि	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गडरिया	कुम्हार	कोरी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
गोवशीय	14	17	—	—	8	1	3	—	1	—	4	—	—	—	10	11	—	—	68	
महिष वशीय	6	11	—	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	—	—	36
भेड़बकरी	2	4	—	—	10	—	6	—	—	—	5	—	—	—	—	26	36	4	—	93
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	60	—	113
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	40	32	7	82
कुल प्रतिशत	22	32	—	—	24	—	14	—	01	—	10	—	—	—	—	50	143	96	—	392
	5.62	8.16	—	—	6.12	—	3.57	—	0.25	—	2.55	—	—	—	—	12.76	36.48	24.48	—	100.00

4.2.2.1 उदयराजपुर राजपुर गांव में कुल 392 पशु हैं। जिनमें गोवंशी 68 महर्षि वंशी 36 भेड़ बकरी वंशी 93 तथा सुअर वंशीय 113 एवं अन्य वंशीय 82 पशु हैं। जातिगत आधार पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या पासी जाति के पास 143 (36.48 प्रतिशत) तथा सर्वाधिक संख्या पशुओं का विवरण जातिगत आधार पर सर्वाधिक क्षत्रीयों के पास 17 पशु तथा सबसे कम नाई जाति के पास 01 पशु है। भेड़ तथा बकरी वंशीय पशुओं में सर्वाधिक जाति के पास 36 तथा सबसे कम ब्राह्मण जाति के पास 10 पशु हैं। सुअर वंशीय पशु प्रायः पासी जाति में 60 पशु हैं अन्य में सर्वाधिक जाति के पास 40 पशु तथा सबसे कम चमार जाति के पास 10 पशु हैं। सारिणी नं० 4.32

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुर्मा	लोधी	दर्जी	नई	सुनार	लोहार	गडिरिया	कुम्हार	कोरी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्तिलम	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
गोवशीय	18	21	—	—	24	—	20	—	3	—	5	—	9	2	21	13	—	—	136	
महिष वशीय	11	14	—	—	28	—	11	—	2	—	2	—	4	—	11	6	—	4	93	
भेड़बकरी	4	—	2	—	43	—	22	—	10	—	13	230	15	—	32	46	4	113	534	
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	103	—	189	
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	24	43	46	253
कुल प्रतिशत	33	35	2	—	95	—	53	—	15	—	20	230	38	2	88	194	153	370	1328	
		2.64	.15	—	7.15	—	3.59	—	1	—	1.51	17.32	2.86	0	6.63	14	11	27.86	100.00	
		2.48							13					15		.61	.52			

4.2.2.2 मुस्तफापुर गांव में कुल 1328 पशु हैं। जिनमें गोवंशीय 93 भेड़, बकरी वंशीय 534 सुअर वंशीय 113 एवं अन्य वंशीय 376 पशु हैं। जातिगत आधार पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या पासी जाति के पास 194 (14.61 प्रतिशत) तथा सबसे कम धोरी जाति के पास 2 (0.15 प्रतिशत) हैं। जबकि गोवंशीय पशुओं का सर्वाधिक विवरण यादव जाति के पास 24 तथा सबसे कम चमार जाति के पास 2 पशु हैं। महिष वंशीय पशु सर्वाधिक यादव जाति के पास 28 पशु हैं तथा ब्राह्मण जाति के पास 2 पशु हैं। सुअर वंशीय पशु प्रायः पासी जाति के पास 86 और मेहतर जाति में 103 पशु हैं। अन्य जाति में सर्वाधिक पशु मुस्तिलम जाति में 253 और सबसे कम कुम्हार जाति के पास 10 पशु हैं। (सारिणी नं० 4.33) ।

3 – खरगपुर सारिणी नं० 4.34

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवार्स्तव	यादव	कुर्मा	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुरिलम	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
गोवशीय	21	27	8	—	—	17	10	—	5	—	6	—	9	4	10	16	—	—	133		
महिष वशीय	16	18	6	4	28	9	6	—	3	2	—	4	5	7	6	8	—	—	94		
भेड़बकरी	—	4	5	—	—	7	11	—	10	—	9	130	13	23	28	43	—	—	283		
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	82	84	208		
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	63	38	—	68	211
कुल प्रतिशत	37	49	19	4	—	33	27	—	18	2	15	134	27	76	107	147	82	152	929		
	3.98	5.27	2	0.43	—	3	2.90	—	1	0.22	1.61	14.42	2.90	8	11	15	8.23	16.36	100.00		
			.05	.05		.55		.93		.93		.18	.52	.82							

4.2.2.3 खरगपुर गांव में कुल 929 पशु हैं। जिसमें गोवंशीय 133एकमहिष वंशीय 94, भेड़ बकरी वंशीय 283, सुअर वंशीय 208 तथा अन्य वंशीय 211 पशु हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक पशु मुरिलम जाति के पास 152 (16.36 प्रतिशत) तथा सबसे कम सुनार जाति के पास 2 (0.22 प्रतिशत) हैं। सारिणी नं० 4.34

4 — सलेमाबाद सारिणी नं० 4.35

सर्वेक्षित गांवो में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
गोवशीय	16	26	2	—	24	15	—	7	6	—	5	11	15	—	11	15	—	4	157
महिष वशीय	13	24	4	—	18	9	—	3	2	—	2	6	9	—	2	6	—	1	99
मेडबकरी	—	—	4	—	16	11	—	10	—	—	11	9	16	—	26	36	3	32	174
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	31	—
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	42	32	13	115	220
कुल	29	50	10	—	58	35	—	20	8	—	8	26	58	—	81	157	47	152	449
प्रतिशत	3.87	6.67	1	—	7.74	4	—	2	1	—	2.40	3.47	7.74	—	10	20	6.28	20.29	100.00
			.33		.67			.67	.07					.81	.96				

4.2.2.4 सलेमाबाद में कुल पशुओं की संख्या 749 है। जिसमें गोवशीय 157 महर्षि वंशीय 99, मेडबकरी वंशीय 174, सुअर वशीय 99 तथा अन्य वंशीय 220 पशु हैं। जातिगत के आधार पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या पासी जाति के पास 157(20.96 प्रतिशत) हैं। तथा सबसे कम नई जाति के पास 8 (1.07 प्रतिशत) है। सारिणी नं० 4.35।

5 — पेनाखुर्द सारिणी नं० ४ . ३६

सर्वेक्षित गांवो मे जातिगत पशुओं का विवरण २००१

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुर्मा	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गडिरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
गोवशीय	32	38	2	—	16	—	—	—	—	2	5	13	—	5	12	18	—	—	143
माहेश वरशीय	40	52	1	—	6	—	—	—	2	1	2	10	11	3	8	9	—	—	145
भेड़बकरी	—	—	—	—	13	—	—	—	5	4	—	35	—	31	28	41	—	—	157
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	—	62
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	20	40	—	100
कुल	72	90	03	—	35	—	—	—	07	07	07	58	11	79	68	170	—	—	607
प्रतिशत	11	14	0	—	5.77	—	—	—	1	1.53	1.53	9.55	0.81	13	12	28	—	—	100.00
	86	83	49						53				.01	20	.01				

4.2.2.5 सर्वेक्षित गांवा पेनाखुर्द गांव मे कुल 607 पशु है। जिनमे गोवंशीय 143, महर्षि वंशीय 145, भेड़बकरी वंशीय 157, एवं सुअर वंशीय 62 तथा अन्य वंशीय 100 पशु है। जातिगत आधार पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या पासी जाति के पास 170 (28.01 प्रतिशत) है तथा सबसे कम नई, सुनार, लोहार के पास 7 (1.53 प्रतिशत) है। सारिणी नं० 4.35।

6 — धधौरा 4.37 सारिणी नं0 4.37

सर्वेक्षित गांवो मे जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के बाह्य	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जी	नई	सुनार	लोहार	गड़िया	कुहार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
गोवशीय	38	45	—	—	34	—	—	5	6	—	—	2	1	—	11	19	—	—	163	
महिष वशीय	42	58	2	—	44	—	—	3	2	—	2	1	5	—	6	26	—	—	191	
भेड़बकरी	32	68	—	—	24	—	—	11	13	—	—	—	10	—	33	48	—	—	239	
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	140	—	207	
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	54	70	—	166
कुल	112	171	2	—	102	—	—	19	21	—	2	3	16	—	94	214	210	—	966	
प्रतिशत	11.59	17.0	—	—	10	1	—	1	2	—	0.21	0.31	1.66	—	9.73	22	21	—	100.00	
	70	21			.56	.57		.97	.17						.15	.74				

4.2.2.6. धधौरा गांव मे कुल 966 पशु जिनमे गोवंशीय 163 महर्षि वंशीय 191 भेड बकरी वंशीय 239 सुअर वंशीय 207 अन्य वंशीय 166 पशु है। जातिगत पशुओं की सर्वाधिक सं0 पासी जाति के पास 217 (22.15 प्रतिशत) है। तथा सबसे कम वैश्य वंशीय 166 पशु है। जब कि गो वंशीय पशुओं के आधार पर सर्वाधिक क्षत्रीय जाति के पास 45 तथा सबसे कम कुहार के पास 01 है। महर्षि वंशीय पशुओं मे सर्वाधिक क्षत्रीय जाति के पास 58 एवं सबसे कम गड़रिया जाति के पास 01 पशु है। अन्य वंशीय पशुओं मे सर्वाधिक मेहतर जाति के पास 70 तथा चमार जाति के पास 42 पशु है।

7 — रासा सारिणी नं० 4.38

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जी	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
गोवशीय	78	96	—	—	83	46	2	1	—	—	4	—	12	1	67	51	—	—	441		
महिष वशीय	93	107	4	2	78	32	—	—	1	—	2	—	—	11	4	72	44	—	—	450	
भेड़बकरी	13	15	—	—	68	26	—	3	—	—	9	—	28	162	33	26	32	136	551		
मुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347	240	—	587	
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	332	200	400	1392
कुल	184	218	4	2	229	104	2	4	1	—	15	—	51	397	504	668	502	536	3421		
प्रतिशत	5.38	6.37	0	0.06	6.69	3	0.06	0	0	—	0.44	—	1.49	11	14	19	14	15.67	100.00		
					12		.04		.12	.03			.60	.73	.53	.67					

4.2.2.7 रासा गांव में कुल 3421 पशु हैं। जिनमें गोवंशीय 441, महिषि वंशीय 551, सुअर वंशीय 587 एवं अन्य वंशीय 1392 पशु हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम जाति के पास 536 (15.67 प्रतिशत) एवं सबसे कम नाई जाति के पास 1 (0.03 प्रतिशत) हैं। सारिणी नं० 4.38 ।

8 — लमेहटा सारिणी नं० 4.39

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुर्मा	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुखिलम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
गोवशीय	85	148	12	—	89	—	—	—	—	12	—	9	16	—	46	33	—	—	450
महिष वशीय	114	112	4	3	130	—	—	4	2	1	2	6	21	—	16	18	—	—	433
भेड़बकरी	68	86	—	—	256	—	—	16	5	—	16	343	48	—	104	143	43	—	1128
मुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212	340	—
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231	200	300
कुल	267	346	16	3	475	—	—	20	7	12	18	358	85	—	397	606	683	—	3294
प्रतिशत	8.10	10	0	0.09	14	—	—	0	0.39	0.55	10.87	2.58	—	10	18	20	20.29	100.00	
	.50	.48	.50	.48	.42	.42	.42	.61	.21	.21	.61	.21	.73	.73	.40	.40	.40	.73	

4.2.2.8 लमेहटा गांव में कुल 3294 पशु पाये जाते हैं जिनमें से गोवंशीय 450, महिषि वंशीय 433, भेड़बकरी 1128, सुअर वंशीय 552 और अन्य वंशीय 731 पशु हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक पासी जाति के पास 683 (20.73 प्रतिशत) तथा सबसे कम श्रीवास्तव जाति के पास 3 (0.09 प्रतिशत) सारिणी 4.39।

9 - टीकर सारिणी नं० 4.40

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जी	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुत्तार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्तिलम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
गोवशीय	9	61	16	—	24	3	4	—	2	—	6	10	8	—	22	27	—	—	192
महिष वशीय	11	42	11	4	12	2	1	—	3	4	2	4	2	2	8	10	—	—	118
भेड़बकरी	—	23	—	—	31	—	3	—	2	—	13	78	41	13	62	84	11	89	450
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	70	—
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	40	15	105
कुल	20	126	27	4	67	5	8	—	7	4	21	92	71	15	132	174	186	257	1216
प्रतिशत	1.64	2.14	2	0.33	5.51	0	0.66	—	0	0.33	1.73	7.57	5.84	1	10	14	15	21.13	100.00
			.22		.41		.54		.54		.41		.23	.85	.31	.30			

4.2.2.9 टीकर गांव के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुल 1216 पशु हैं पाये जाते हैं जिसमें से गोवंशीय 192, महर्षि वंशीय 118, भेड़बकरी 450, सुअर वंशीय 108 अन्य वंशीय 348 पशु हैं। जातिगत आधार पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या मुस्तिलम जाति के पास 257 (21.13 प्रतिशत) तथा सबसे कम श्रीवास्तव जाति के पास 4 (0.33 प्रतिशत) सारिणी नं० 4.40 ।

10 — तारापुर भिटोरा सारिणी नं० 4.41

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के चारों	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जी	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोधी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
गोवशीय	142	61	2	4	96	5	—	—	2	—	5	—	5	26	31	43	—	—	422
महिष वशीय	103	67	1	5	67	3	1	—	4	—	2	2	6	4	8	13	—	—	286
मेडबकरी	83	13	—	11	45	11	—	—	—	—	10	16	48	26	45	68	13	68	457
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	70	—
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	15	105
कुल	328	141	3	20	208	19	1	—	6	—	17	18	59	56	152	185	188	120	1521
प्रतिशत	21.56	9.27	0	1.31	13	1	0.07	—	0	—	1.12	1.18	3.88	3	9.99	12	12	7.89	100.00
					.20	.67	.25	.67	.39	.39			.68	.68	.16	.36			

4.2.2. 10 तारापुर भिटोरा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गांव में कुल 1521 पशु हैं। जिसमें से गोवंशीय 422 महर्षि वंशीय 286उ मेडबकरी वशीय 457, सुअर वंशीय 116, अन्य वंशीय 240 पशु हैं। जातिगत आधार पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या ब्राह्मण जाति के पास 328 (21.56 प्रतिशत) तथा सबसे कम लोधी जाति के पास 1 (0.07 प्रतिशत) है। सारिणी नं० 4.41

11 — मवई सारिणी नं० 4.42

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जी	नई	सुनार	लोहार	गडरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
गोवशीय	81	93	2	—	18	51	74	2	—	—	—	—	8	97	105	—	—	—	531	
महिष	68	103	1	—	9	43	71	3	—	—	—	—	4	23	34	—	—	—	359	
भेड़बकरी	—	25	—	—	13	73	104	9	—	—	—	—	—	23	163	89	15	130	644	
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236	304	—	540	
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268	310	160	84	822
कुल	149	221	3	—	40	167	249	14	—	—	—	—	—	35	551	774	479	214	2896	
प्रतिशत	5.15	7.63	0	—	1.38	5	8.60	0	0	—	—	—	1	19	26	16	7.39	100.00		
									.77	.60	.48		.21	.03	.73	.54				

4.2.2.11 मवई गांव के अध्ययन से स्पष्ट है होता है कि पशुओं की कुल संख्या 2896 है। जिसमें गोवशीय 531 महार्षि वंशीय 359 भेड़बकरी 644, सुअर वंशीय 540 अन्य 822 पशु हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक पासी जाति के पास 744 (26.73 प्रतिशत) तथा सबसे कम वैश्य जाति के पास 3 (0.10 प्रतिशत) हैं। सारिणी नं० 4.42

12 – सांखा सारिणी नं० 4.43

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुम्हा	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गडरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
गोवशीय	136	112	32	12	116	—	—	4	—	5	—	—	—	2	133	79	—	—	631		
महिष	110	88	23	8	106	—	—	3	3	2	4	—	—	1	111	33	—	—	492		
वशीय																					
भेड़बकरी	25	38	23	—	83	—	—	12	15	—	19	—	—	8	155	84	31	140	633		
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	330	—	480	
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	83	183	236	665
कुल	271	238	78	20	305	—	—	19	18	2	28	—	—	—	11	562	429	544	376	2901	
प्रतिशत	9.34	8.20	2	0.69	10	7	—	0	0	0.07	0.96	—	—	0	19	14	18	12.96	100.00		
					.51	.69		.65	.62					.38	.37	.79	.75				

4.2.2.12 सांखा गांव में कुल पशु है। जिनमें गोवंशीय 631 महर्षि वंशीय 492 भेड़बकरी वंशीय 633, सुअर वंशीय 480 और अन्य वंशीय 665 पशु हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक चमार जाति के पास 562 (19.37 प्रतिशत) तथा सबसे कम सुनार जाति के पास 2 (0.07 प्रतिशत) पशु हैं। सारिणी नं० 4.43

13 — अयाह सारिणी नं० 4.44

सर्वेक्षित गांवो मे जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के चर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुम्भी	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम	योग	
1	2	3	4	5	.6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
गोवशीय	89	131	2	—	135	—	—	—	2	—	4	—	3	—	133	89	—	2	610	
महिष वशीय	71	123	4	—	89	—	—	1	2	3	2	—	1	—	42	32	—	1	371	
भेड़बकरी	—	34	—	—	140	—	—	3	—	—	—	—	10	—	122	76	4	23	412	
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	25	—	69	
अच्छ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	30	63	150	293
कुल	160	288	6	—	364	—	—	4	4	3	6	—	14	—	367	271	92	176	1755	
प्रतिशत	9.12	16	0	—	20	—	—	0	0	0.17	0.34	—	0.80	—	20	15	5.24	10.03	100.00	
			.41	.34	.74			.23	.23				.91	.44						

50

4.2.2.13 अयाह गांव मे कुल 1755 पशु है जिसमे गोवंशीय 610 महर्षि वंशीय 371 भेड़बकरी वंशीय 412 सुअर वंशीय 69 अच्छ 293 पशु है। जातिगत आधार पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या चमार जाति के पास 367 (20.91 प्रतिशत) तथा सबसे कम सुनार जाति के पास 3 (0.17 प्रतिशत) पशु हैं। सारिणी नं० 4.44

14 – ललौली सारिणी नो 4.45

सर्वेक्षित गांवों में जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुर्मि	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम	योगा
1	2	3	4	5	6	7	.8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
गोवशीय	109	83	6	4	76	–	–	6	–	4	5	–	4	189	143	–	920	1549	
माहिष	112	96	5	–	3	45	–	–	2	1	2	3	7	1	56	23	–	689	1045
वशीय																			
भेड़बकरी	43	86	13	–	83	–	–	13	6	–	24	21	–	19	205	263	431	560	2379
सुअर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	460	283	–
अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	260	282	293
कुल	264	265	24	7	204	–	–	21	7	2	31	33	–	24	710	1171	619	6237	9619
प्रतिशत	2.74	2.75	0	0.07	2.12	7	–	0	0	0.02	0.32	0.34	–	0	7.38	12	6.44	64.84	100.00
																	25	17	

4.2.2.14 ललौली गांव के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहां पर कुल पशुओं की संख्या 9619 है जिसमें से गोवंशीय 1549 महर्षि वंशीय 1045 भेड़बकरी वंशीय 2379 सुअर वंशीय 743 अन्य वंशीय 3903 पशु हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक पशु मुस्लिम जाति के पास 6237 (64.84 प्रतिशत) है तथा सबसे कम सुनार जाति के पास 2 (0.02 प्रतिशत) पशु हैं। सारिणी नं0 4.45

15 – सरकण्डी सारिणी नं० 4.46

सर्वेक्षित गांवो मे जातिगत पशुओं का विवरण 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्य	श्रीवास्तव	यादव	कुर्मी	लोधी	दर्जी	नई	सुनार	लोहार	गडिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
गोवशीय	232	213	6	—	248	10	—	—	5	7	—	—	9	193	185	—	—	—	1108	
महिष वशीय	246	193	11	—	146	13	—	8	6	2	3	—	—	2	83	76	—	4	793	
भेड़बकरी	86	83	33	—	298	48	—	32	12	—	36	—	—	43	230	263	32	68	1264	
सुअर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265	140	—	405	
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	260	160	105	725
कुल	564	489	50	—	692	71	—	40	18	7	46	—	—	54	706	1049	332	177	4295	
प्रतिशत	13.13	11	1	—	16	1	—	0	0	0.16	1.07	—	—	1	16	24	7.73	4.12	100.00	
	.39	.16	.11	.65	.93	.42								.26	.44	.42				

4.2.2.15 सरकण्डी गांव मे कुल 4295 पशु है। जिनमे गोवशीय 1108 महर्षि वंशीय 793ए भेड़बकरी वंशीय 1264, सुअर वंशीय 405 अन्य वंशीय 725 पशु है। जातिगत आधार पर सर्वाधिक पासी जाति के पास 1049 (24.42 प्रतिशत) तथा सबसे कम सुनार जाति के पास 7 (0.16 प्रतिशत) पशु है। सारिणी नं० 4.46

सारिणी नं० 4.47

सर्वेक्षित गांवों में जातीय स्वरूप परिवार एवं आवास 2001

पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुमारी	लोधी	दर्जा	नई	सुनार	लोहार	गड़रिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतार	मुस्लिम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
कुल	1009	912	169	76	655	342	110	107	89	160	155	89	142	174	972	1141	203	654	7159
जन0																			
कक्ष्या	34	32	11	4	28	14	3	2	3	3	4	6	7	7	16	20	4	11	209
प्रतिशत	16.27	15.5	1.91	38	6	1.44	0	1	1.44	1.91	2.87	3.35	3	7.65	9.67	1.91	5.26	100	
	31	26			76	70			96	44			35						
पवका	38	46	10	5	12	9	4	3	2	1	3	1	2	3	8	13	1	6	167
प्रतिशत	22.75	27.5	2.99	7.18	5	2.40	1	1	0.07	1.80	0.07	1.20	1	4.79	7.78	0.07	3.59	100	
	54	99			38				80	20			80						
भिश्वत	26	37	4	2	16	11	6	5	4	4	6	1	3	4	35	30	7	22	213
प्रतिशत	12.21	12.1	0.94	7.51	5	2.82	2	1	1.88	2.82	0.46	1.40	1	16	14	3.28	10.32	100.00	
	68	88			16				34	88			88			43	08		
छपर	6	9	2	1	11	10	2	1	1	1	2	—	1	3	19	32	5	11	117
प्रतिशत	5.13	6.69	1	0.85	9.40	8	1.70	0	0	0.85	1.70	—	.85	2	16	27	4.27	9.40	1.00
					70		55		85					.56	.22	.35			
गृह सं0	104	124	27	12	67	44	15	11	10	9	15	8	13	17	78	95	17	50	306
प्रतिशत	14.73	16.3	1.70	9.49	6	2.12	1	1	1.27	2.27	1.13	1.84	2	11	14	2.42	7.08	100	
					23				56	42			.40			.04			

4.2.3 सारिणी नं० 4.47 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित परिवारों में जातिगत आधार पर कुल 700 परिवारों में 706 मकान है। जिनमें सर्वर्ण 257 (36.40 प्रतिशत) पिछड़ी जाति में 192 (27.20 प्रतिशत) अनु० जाति में 207 (29.32 प्रतिशत) तथा मुस्लिम जातियों में 50 (7.08 प्रतिशत) आवासों पर आवाद है। जिसमें सर्वाधिक आवास क्षत्रियों के पास 114 (16.15 प्रतिशत) है तथा सबसे कम आवास गड़रियों के पास 8 (1.13 प्रतिशत) है।

कच्चे मकान सर्वेक्षित 15 गांवों में 209 परिवारों के अन्तर्गत जो समस्त आवासों का 29.32 प्रतिशत है तथा सबसे कम कच्चे आवास दर्जियों के पास 2 आवासों के आवाद है। पक्के मकान समस्त परिवारों में 167 आवास है। जो समस्त ग्रहों का 23.65 प्रतिशत हैं जबकि जातिवत सर्वाधिक पक्के आवास क्षत्रियों के पास 46 (27.54 प्रतिशत) तथा सबसे कम पक्के आवास मेहतरों के पास 1 ग्रह (0.60 प्रतिशत) है। जिनकी निर्धारित आज की दैनीय हैं मिश्रित आवास सर्वाधिक अनु० जातियों के चमार जाति के पास 35 (16.43 प्रतिशत) तथा सबसे कम गड़रिया जाति में 12 (0.46 प्रतिशत) आवास हैं। छप्पर तथा झोपड़ियों वाले आवास सर्वाधिक अनु० जातियों में पासी जाति के पास 32 (27.35 प्रतिशत) तथा सबसे कम आवास इस श्रेणी में सर्वर्ण जाति में श्रीवास्तव जाति के पास 1 (0.85 प्रतिशत) आवास है।

4.2.4 सम्पत्ति के अन्तर्गत कृषि यंत्र तथा यातायात साधनों का उपयोग होता है जिसमें साइकिल एवं बैलगाड़ी प्रमुख साधन है जो कि सर्वेक्षित गांवों में सर्वाधिक है जिसमें उदयराजपुर 47.3 प्रतिशत तथा सबसे कम बैलगाड़ी का प्रयोग मर्वई गांव में 20.9 प्रतिशत किया गया हैं ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों में बैलगाड़ी का महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके दो रूप (छोटी एवं बड़ी) होती है। बड़ी बैलगाड़ी भाड़ा एवं कृषि कार्य के रूप में

सारिणी नं० 4.48

सर्वेक्षित गांवों में जातीयगत साधनों का विवरण 2001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
बैलगड़ी	19,09	45,93	1,0	0,53	8,68	3,7	0,13	1,20	4,4	0,13	2,14	—	80,53	0,53	0,40	1,20	8,80	8,95	100	
साइकिल	20,99	21,84	3,8	1,27	11,29	7,5	1,16	1,68	1,0	0,84	1,68	0,94	1,68	1,68	4,32	5,27	1,16	11,70	100	
तांगा	—	1,30	6,5	1,30	1,96	—	1,96	—	1,3	—	1,91	24,84	1,91	13,7	3,92	8,59	0,11	31,37	100	
आटो	18,69	28,28	8,0	4,54	6,06	6,0	—	2,20	1,5	2,02	—	0,50	0,50	1,01	1,01	—	—	19,70	100	
योग	379	609	70	27	187	112	15	29	18	13	35	48	25	41	70	94	12	265	2048	
प्रतिशत	18,51	29,74	3,4	1,32	9,13	5,4	0,73	1,42	0,8	0,63	1,71	2,34	1,17	2,00	3,42	4,59	0,59	12,94	100	

सारिएंगी नं० ४, ४८

सर्वक्षित गांधी से मनोरंजन के साधन 2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
टार्च	21,08	35,34	3,1	1,85	6,42	4,4	1,59	.99	0,5	1,25	1,81	1,85	1,34	2,97	9,01	13,10	2,16	11,12	100
घडी	21,43	19,85	4,0	2,20	4,67	2,9	1,35	1,30	1,5	1,79	1,44	3,16	3,64	2,88	5,63	8,85	1,85	11,61	100
ऐडियो	20,41	23,08	4,4	2,81	12,28	7,5	4,44	1,33	0,8	0,74	0,69	0,14	1,33	4,14	5,33	0,59	9,46	—	100
अन्य	25,65	17,87	2,6	1,15	12,10	3,4	1,15	1,44	0,8	0,85	2,31	1,73	1,15	0,86	6,05	8,36	0,58	12,10	100
योग	1028	863	170	98	342	209	88	56	44	62	75	98	89	123	340	498	79	533	4799
प्रतिशत	21.42	17	3	2.04	7.13	4	1.83	1	92	1.29	1.56	1.04	1.85	2	7.07	10	1.65	11.10	100

4, 2.5 सारिणी नं० 4.48 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों में जातिगत आधार पर मनोरंजन के साधन 4799 है। जिसमें 2320 दार्य, 14 रेडियो, 667 घड़ी, 342 अन्य साधन हैं। जातिगत आधार पर देखा जाये तो सर्वाधिक मनोरंजन के साधन जाति के पास, 2028 (21.42 प्रतिशत) तथा सबसे कम नाई जाति के पास 44 (0.92 प्रतिशत) साधन हैं।

लाई जाती है। सर्वेक्षित गांवो में 38.4 प्रतिशत साइकिल साधन का प्रयोग किया जाता है। यातायात साधनों के रूप में तांगा (खड़खड़ा) का ग्राम्य जीवन में बड़ा महत्व है। जो सर्वेक्षित गांवों में 7.12 प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। जबकि आटो साधन का प्रयोग 14.68 प्रतिशत होता है। आटो साधन का प्रयोग ग्राम्य जीवन में बहुत कम ही है।

4.2.4.1 सारिणी नं 0 4.48 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित 15 गांवो के अन्तर्गत 7159 जनसंख्या के मध्य 2048 यातायात के साधन हैं। जिसमें 449 बैलगाड़ी, 948 साइकिल, 153 तांगा तथा 198 आटो साधन हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक यातायात के साधन क्षत्रियों जाति के पास 609(29.74 प्रतिशत) तथा सबसे कम साधन मेहतर जाति के पास 12 (0.59 प्रतिशत) हैं। जबकि सर्वाधिक बैलगाड़ी, साइकिल तथा आटो साधन क्षत्रियों के पास कमशः 45.93 प्रतिशत, 21.84 प्रतिशत एवं 28.28 प्रतिशत साधन हैं। तांगा सर्वाधिक मुस्लिम जाति के पास 48 (31.37 प्रतिशत) हैं।

4.3 रोजगार

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अपनी उदर पूर्ति हेतु किसी न किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त करते हैं। परन्तु जब मावन की उदर पूर्ति या जीवन यापन हेतु किसी निश्चित या साम्य मूलक रोजगार का होना आवश्यक है। परन्तु आज समाज में हर व्यक्ति के सामने किसी न किसी प्रकार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण वह अपना कार्य करने में अपने को असहाय सा प्रतीत कर रहा है। और बेरोजगार होकर भटकने लगता है।

अध्ययन क्षेत्र में भी इस प्रकार के बेरोजगारों की भर मार है। जो अपनी जीविका चलाने हेतु किसी न किसी प्रकार का समुचित विकल्प न होने के कारण अपनी व्यवस्थित जिन्दगी जीने में असमर्थ है।

सारिणी नं० 4.49

अध्ययन क्षेत्र एवं फतेहपुर जनपद – रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार

वर्ष	जीवित पंजीका पर अभ्यर्थियों की जनसंख्या	वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थी	सूचित रिक्तियों की संख्या	कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
तहसील स्तर पर				
1996 – 97	6284	3483	286	52
1997 – 98	7028	2998	89	76
1998 – 99	19426	5278	78	32
1999 –	28906	7980	289	182
2000				
जनपद स्तर पर				
1996 – 97	15874	10001	416	118
1997 – 98	17364	8015	275	210
1998 – 99	52579	15496	229	85
1999 – 2000	83426	23642	648	338

श्रोत – जिला सेवायोजन कार्यालय फतेहपुर

सारिणी नं० 4.49 से स्पष्ट होता है कि फतेहपुर जनपद में जीवित पंजीका पर अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 1996 – 97, 1997 – 98, 1998 – 99 एवं 1999 – 2000 में 15876, 17364, 52579 एवं 83426 व्यक्ति थे। जबकि तहसील स्तर पर 1996 – 97, 1997 – 98, 1998 – 99 एवं 1999 – 2000 में 6284, 7028, 19426 एवं 28906 व्यक्ति जीविका

पंजिका में पंजीकृत है। जबकि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यार्थियों की संख्या 1996 – 97 में 82483 व्यक्ति थे। तथा इसी सत्र में 286 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। 1997 – 98 में यह संख्या घटकर 2898 व्यक्ति रह गयी। 1998 – 99 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा बेरोजगारों की पंजीयन संख्या बढ़ती ही गयी। 1999 – 2000 में बढ़ कर 7980 व्यक्ति हो गये रोजगार कार्यालय द्वारा सूचित की गयी रिक्तियों संख्या 286 व्यक्ति 1996 – 97 में तथा 1999 – 2000 में 289 रिक्तियों की सूचना दी गयी जबकि 1999 – 2000 में रिक्त पदों में से 182 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

4.3.1 अध्ययन क्षेत्र में कुल 187534 व्यक्ति रोजगार कार्यकर जनसंख्या है। जिनमें कृषक 104981 (55.98 प्रतिशत) कृषक मजदूर 38257 व्यक्ति (20.40 प्रतिशत) जनसंख्या, सीमान्त कृषक 16958 (8.83 प्रतिशत) जनसंख्या तथा अन्य रोजगार 23630 (12.60 प्रतिशत) जनसंख्या हैं।

सारणी नं० 4.50

फतेहपुर तहसील – कार्य के आधार पर रोजगार – 1991

रोजगार	कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत
कृषक	104981	55.98
कृषक मजदूर	35257	20.40
पारिवारिक उद्योग	4107	2.19
सीमान्त कृषक	16559	8.83
अन्य	23630	12.60
योग	187534	100 प्रतिशत

4.3.1.1 कृषक

अध्ययन क्षेत्र में 104981 व्यक्ति कृषक जनसंख्या हैं जो समस्त रोजगार संख्या का 55.98 प्रतिशत हैं।

सारिणी नं० 4.51

फतेहपुर तहसील कृषक (कार्यकर जनसंख्या) (प्रतिशत 1991)

कृषकों का प्रतिशत	कृषक जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
60 से अधिक	31826	30.32	15
55 – 50	27530	26.12	13
50 – 55	25328	24.12	14
50 से कम	20297	19.34	13
योग	104981	100	55

सारिणी नं० 4.51 से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत से अधिक कृषकों के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायतों आती हैं जिनके अन्तर्गत 31826 कृषक (30.32 प्रतिशत) जनसंख्या हैं जो कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तर दक्षिण न्याय पंचायत में स्थित है। 55 – 60 प्रतिशत के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायतों में 27530 (26.12 प्रतिशत) कृषक कृषि कार्य में सलग्न हैं। इन न्याय पंचायतों की अधिकता अध्ययन क्षेत्र में दक्षिण पूर्व तथा पूर्व में स्थित है। 50 प्रतिशत से कम कृषक रोजगार संख्या के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायतों हैं। जिनमें 20297 (19.34 प्रतिशत) कृषक कार्यरत हैं।

4.3.1.2 कृषक मजदूर

अध्ययन क्षेत्र में 38257 व्यक्ति कृषक मजदूर जनसंख्या है जो समस्त रोजगार संख्या का 20.40 प्रतिशत है।

सारिणी नं० 4.52

फतेहपुर तहसील — कृषक मजदूर — 1991

कृषक मजदूरों का प्रतिशत	कृषक मजदूरों की संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
22 से अधिक	10671	27.90	12
20 — 22	7903	20.65	9
18 — 20	11113	29.04	17
18 से कम	8571	20.41	17
योग	38257	100	55

सारिणी नं० 4.52 से स्पष्ट होता है कि 20 प्रतिशत से अधिक कृषक मजदूरों के अन्तर्गत 12 न्याय पंचायतें हैं जिसके अन्तर्गत 10671 (27.90 प्रतिशत) कृषक मजदूर कृषि कार्य में संलग्न हैं। जो कि अध्ययन क्षेत्र के मध्य पूर्व एवं दक्षिण में स्थित है। न्याय पंचायत के स्तर पर सर्वाधिक कृषक मजदूर में 1806 व्यक्ति तथा सबसे कम बड़नपुर में 267 व्यक्ति हैं। 18 प्रतिशत से कम कृषक मजदूरों के अन्तर्गत 17 न्याय पंचायतों में 8571 व्यक्ति हैं। (22.41 प्रतिशत) कृषक मजदूर व्यक्ति हैं।

4.3.1.3 सीमान्त कृषक

अध्ययन क्षेत्र में 16559 जनसंख्या सीमान्त कृषकों की है। जो समस्त कार्यशील जनसंख्या का 8.83 प्रतिशत है।

सारिणी नं० 4.53

फतेहपुर तहसील – सीमान्त कृषक – 1991

सीमान्त कृषकों का प्रतिशत	सीमान्त कृषकों की संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
8 से अधिक	5638	34.05	18
6 – 8	3639	21.97	12
4 – 6	2609	15.75	09
4 से कम	4013	24.23	16
योग	16559	100	55

सारिणी नं० 4.53 से स्पष्ट होता है कि 8 प्रतिशत से अधिक सीमान्त कृषकों की अन्तर्गत 18 न्याय पंचायतें हैं। जिनके अन्तर्गत 5639 व्यक्ति (34.05 प्रतिशत) सीमान्त कृषक है। यह न्याय पंचायतें दक्षिण पूर्व में अधिकृत रूप से न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक सीमान्त कृषक असोथर में 816 जनसंख्या है। 4 से कम सीमान्त कृषकों के अन्तर्गत 16 न्याय पंचायतों में 4013 व्यक्ति 24.23 प्रतिशत सीमान्त कृषक जनसंख्या है। सबसे कम सीमान्त कृषक न्याय पंचायत स्तर पर गहना में 120 जनसंख्या है।

4.3.1.4 पारिवारिक उद्योगों में लगे रोजगार संख्या

अध्ययन क्षेत्र में 4107 व्यक्ति पारिवारिक उद्योगों में लगे रोजगार जनसंख्या है जो कार्यशील रोजगार जनसंख्या का 2.19 प्रतिशत है।

सारिणी नं० 4.54

फतेहपुर तहसील पारिवारिक उद्योगों में लगे रोजगार — 1991

पारिवारिक उद्योग में लगी जनसंख्या का प्रतिशत	पारिवारिक उद्योगों में लगी जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय संख्या	पंचायत
2.50 से अधिक	1526	37.15	16	
2 - 2.50	1026	24.98	12	
1.50 - 2.00	1324	32.22	13	
1.50 से कम	1326	32.24	14	
योग	4107	100	55	

सारिणी नं० 4.54 से स्पष्ट होता है कि 2.50 प्रतिशत से अधिक पारिवारिक उद्योगों में लगे (रोजगार) जनसंख्या के अन्तर्गत 16 न्याय पंयाचतें हैं जिनके अन्तर्गत 1526 व्यक्ति 31.15 प्रतिशत जनसंख्या है जबकि 1.50 प्रतिशत से कम पारिवारिक उद्योगों की 1326 (32.24 प्रतिशत) जनसंख्या के अन्तर्गत 14 न्याय पंचायतें हैं। जो कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तर दक्षिण में स्थिति है।

4.3.1.5 अन्य रोजगार संख्या

अध्ययन क्षेत्र में 23630 व्यक्ति अन्य रोजगार जनसंख्या में लगी है। जो समस्त कार्यावित जनसंख्या का 12.60 प्रतिशत है।

सारिणी नं० 4.55

फतेहपुर तहसील : अन्य रोजगार जनसंख्या – 1991

अन्य रोजगार जनसंख्या प्रतिशत	अन्य रोजगार जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या
12 से अधिक	5907	24.99	09
10 – 12	6363	26.93	17
8 – 10	3313	14.05	12
8 से कम	6317	26.03	17
योग	23630	100	55

सारिणी नं० 4.55 से स्पष्ट होता है कि 12 प्रतिशत से अधिक अन्य रोजगार जनसंख्या के अन्तर्गत 9 न्याय पंचायतों में 5907 (24.99 प्रतिशत) अन्य रोजगार संख्या है। न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक अन्य रोजगार जनसंख्या कोण्डर में 1368 जनसंख्या है। जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 8 प्रतिशत से कम अन्य रोजगार जनसंख्या के अन्तर्गत 17 न्याय पंचायतों में 6317 (26.02 प्रतिशत) व्यक्ति है।

न्याय पंचायत स्तर पर सबसे कम अन्य रोजगार संख्या बड़ा गांव में 364 व्यक्ति है जो कि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में स्थित हैं।

4.3.2 अध्ययन क्षेत्र के रोजगार (कार्यकर) 187534 (34.69 प्रतिशत) जनसंख्या है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक कर्म कर भिटौरा में 43293 (34.78 प्रतिशत) तथा सबसे कम कार्यशील जनसंख्या 28296 (33 प्रतिशत) है। न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक कार्यशील (रोजगार) जनसंख्या कोण्डर 6100 जनसंख्या तथा सबसे कम कोण्डर

संख्या देवरी लक्ष्मनपुर 1822 जनसंख्या न्याय पंचायतों में है। जो कि अध्ययन क्षेत्र में कमशः दक्षिण एवं उत्तर में स्थित है।

सारिणी नं० 4. 56

फतेहपुर तहसील कर्मकर पुरुष केन्द्रीयता – 1991

पु0 कर्मकर केन्द्रीयता	पु0 कर्मकर संख्या / प्रतिशत	न्याय पंचांग संख्या	न्याय पंचायत का नाम
1 . 69 से अधिक	39832 26 . 64	14	जमुरांवा, हसनपुर, वित्तरथपुर, हस्वा, थरियांव, बहरामपुर, शाह, चुरियानी, गाजीपुर, गम्हिरी, कोण्डर, असोथर, जरौली, खाजीपुर, सेमर रझ्या,
1.23 – 1.69	75180 14 . 62	23	मोहनखेड़ा, रावतपुर, काँधी, कोराई, अलावलपुर, खांनपुर, तेलियानी, सनगांव, तारापुर, हुसेनगंज, पुरसी, बेरागढ़ीवा, मोहम्मदपुर बुजुर्ग, टकौली, सातो, जेगा, नरैनी, सेमरी, कुशुम्भी, खेसहन, शांखा, कोर्कनक, देवलान, सरवल, कंधिया
1.23 से कम	35485 23 . 74	18	देवरी, लक्ष्मणपुर, बरारी, तालिवपुर, लोहारी,

			मथड्यापुर, मदनपुर, लतीपुर, बड़नपुर, मुरांव, सनगांव, खुमारीपुर, बनरसी, शिवगी, बिन्दपुर, अयाह, बहुआ, महना, बड़ागांव, चकस्करन, मुत्तौर, दतौली,
--	--	--	--

सारिणी नं० 4.56 से स्पष्ट है कि पुरुष रोजगार , 1.69 से अधिक केन्द्रीयता उच्च कोटिमान स्तर पर 14 न्याय पंचायतों हैं जिसके अन्तर्गत 39832 (26.64 प्रतिशत)पुरुष कर्मकर है। ये न्याय पंचायतें अधिकृत रूप से उत्तर दक्षिण में स्थित हैं। 11.23 प्रतिशत पुरुष केन्द्रीयता के अन्तर्गत 18 न्याय पंचायतों में 35485 (23.74 प्रतिशत) पुरुष कर्मकर है। जोकि अध्ययन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है ।

सारिणी नं० 4.57

फतेहपुर तहसील – कर्मकर महिला केन्द्रीयता – 1991

स्त्री कर्मकर केन्द्रीयता	स्त्री कर्मकर संख्या / प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत का नाम
1 ,50 से अधिक	9812 25 ,73	14	बहरामपुर, जरौली, मोहनखेड़ा, कोराई, अलदिलपुर, जमरांवा, हस्वा, सनगांव, खुमारीपुर, मुरांवा, रवाजीपुर, सेमरैया, थरियांव, चुरिफमा, असोथर
1 – 1 ,50	10712	19	रावतपुर, कांधी, खानपुर,,

	28 ,09		तेलियानी, सनगांव, देवरी, लक्ष्मणपुर, बरारी, तारापुर, लोहारी, हसनपुर, मथइयापुर, चित्तीसापुर, हुसेनगंज, फरसी, बेरागढीवा, मकनवपुर, लतीफपुर, ढकौली, मोहम्मदपुर बुजुर्ग, बडनपुर
1 से कम	17613 46 ,18	22	सातोजोगा, नरैनी, सेमरी, कुसुम्भी, खेसहन, बनरसी, शिवगोबिन्दपुर, अयाह, बहुआ, महना, बडागांव, चकसकरन, गाजीपुर, गम्हरी, साखा, कोण्डार कोराकनक, मुत्तौर, दतौली, देवलान, सरवल, कंधिया,
योग	38137 / 100	55	

4 ,3 ,3 सारिणी नं 0 4 ,57 से स्पष्ट होता है कि रोजगार स्त्री 1 ,50 से अधिक उच्चकेन्द्रियता के अन्तर्गत 14 न्यास पंचायतो में 9812 (25 ,73) रुस्त्री रोजगार जनसंख्या स्थित है न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक स्त्री कर्मकर केन्द्रीयता बहरामपुर में 5 ,88 प्रतिशत है । जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में सिति है । 1 से कम स्त्री कर्मकर केन्द्रीयता के अन्तर्गत 22 न्याय पंचायतो 17613 (46 ,18 प्रतिशत) स्त्री

जनसंख्या है सबसे कम बनरसी शिवगोबिन्दपुर मे 0 ,69 प्रतिशत है ।
जोकि मध्य क्षेत्र मे स्थित है। चित्र नं 0 5 ,2

4 ,3 ,4 सर्वेक्षित गांवो मे जाति गत आधार पर कर्मशील जनसंख्या

सर्वेक्षित गांवो मे कार्यशील जनसंख्या के अन्तर्गत कृषक 200 परिवार 28 ,57 प्रतिशत श्रमिक 300 परिवार 42 ,87 प्रतिशत उद्योग एवं व्यवसाय 150 परिवार 21 ,43 प्रतिशत सेवारत 50 परिवार 2 ,14 प्रतिशत है । जातिगत आधार पर 200 परिवार जिसमे 130 परिवार सर्वर्ण जाति के है जो समस्त सर्वेक्षित गांवो का 65 प्रतिशत है । सर्वर्ण जातियो मे सर्वाधिक कृषक ब्राह्मण जाति 34 प्रतिशत तथा सबसे कम बैश्य जाति मे एक प्रतिशत कुषक कर्मकर जनसंख्या है पिछड़ी जातियो मे 50 परिवारो मे 25 प्रतिशत कृषक रोजगार की संख्या है इस श्रेणी मे सर्वाधिक यादव जाति मे 11 प्रतिशत तथा सबसे कम गडरिया जाति मे 0 ,5 प्रतिशत कृषक रोतगार जनसंख्या है।

अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 7 ,5 प्रतिशत रोजगार जनसंख्या है जिसमे सर्वाधिक पासी जाति मे 3 ,50 प्रतिशत तथा सबसे कम मेहतर जाति मे यह प्रतिशत नगण्य है । मुसलमान जाति मे 2 ,50 कृषक रोजगार व्यक्ति है ।

सर्वेद्वित गांवो मे जाति गत आधार पर श्रमिक जनसंख्या 300 (42 ,87प्रतिशत) परिवार है जिसमे सर्वाधिक श्रमिक अनुसूचित जाति मे 59 ,66 प्रतिशत है । जिसके अन्तर्गत पासी जाति मे 26 ,66 प्रतिशत श्रमिक है तथा सबसे कम श्रमिक सर्वर्ण जाति मे 6 ,66 प्रतिशत है जिसके अन्तर्गत श्रीवास्तव जाति मे 1 ,33 प्रतिशत श्रमिक है

व्यापार एवं अन्य उद्योगो मे 21 ,43 प्रतिशत रोजगार जनसंख्या है जिसमे जाति गत आधार पर सर्वाधिक एवें व्यापार सर्वर्ण जाति मे 40 प्रतिशत जनसंख्या है । जिसके अन्तर्गत बैश्य जाति मे 12 व्रतिशत

सारिणी नं० 4.58

सर्वेक्षित गांवो मे परिवार एवं रोजगार 2001


पशु के वर्ग	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैष्ण	श्रीवास्तव	यादव	कुम्ही	लोधी	दर्जा	नाई	सुनार	लोहार	गडिरिया	कुम्हार	धोबी	चमार	पासी	मेहतर	मुस्लिम	योग
कृषक	33.00	29	1	1.50	11	6	3.00	—	—	0.05	2.00	0.05	1.50	1	2.50	3.50	2.50	—	100
श्रमिक	2.33	3.00	—	1.33	10	8	2.00	2	0	1.66	—	1.33	1	3.00	25	26	5.33	100	
व्यवसाय	13.33	13	12	1.33	6.00	2	1.33	2	4	2.00	3.33	2.00	—	2	3.33	46	—	20	100
सेवारत	2 2	18	14	6	12	4	2	—	—	2	—	—	—	—	88	94	—	—	6
परका	104	97	27	12	67	44	15	15	11	—	—	10	9	17	88	13	—	—	50
																			700

सर्वेक्षित गांवो मे 7.14 प्रतिशत जनसंख्या सर्विस कार्य मे सेवारत है। जिसमे सर्वाधिक सेवारत जनसंख्या सर्वण जातियो मे 60 प्रतिशत जिनके अन्तर्गत ब्राह्मण जाति मे 22 प्रतिशत सेवारत जनसंख्या है। तथा सबसे कम सार्विस कार्य मे मुसलमानो मे 6 प्रतिशत सेवारत जनसंख्या है। सारिणी नं० 4.58


प्रतिदर्श गाँव में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात

2001

(क)




(अ)



जनसंख्या का वितरण—1991
तहसील फतेहपुर में कर्मकार और अकर्मकार

जनसंख्या का वितरण—1991



वितर संख्या — 4.5

जनसंख्या सर्वाधिक है। तथा सबसे कम अनुसूचित जाति में 1,33 प्रतिशत है। जिसके अन्तर्गत धोबी जाति में 3,33 प्रतिशत जनसंख्या व्यापार में संलग्न है।

4.3.5 अकर्मकर बेरोजगार :— जनसंख्या

अध्ययन क्षेत्र में 353000 व्यक्ति 65.31 प्रतिशत अकर्मकर जनसंख्या है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक अकर्मकर जनसंख्या भिटौरा में 81191 (65.22प्रतिशत) व्यक्ति तथा सबसे कम तेलियानी में 57508 (67 प्रतिशत) व्यक्ति अकर्मकर है। न्याय पंचायत स्तर पर अकर्मकर व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक कोण्डार में 15416 (71.05 प्रतिशत) व्यक्ति तथा सबसे कम खाजीपुर सेमरैया में 3260 (53.46 प्रतिशत) अकर्मकर जनसंख्या है। अतः स्पष्ट है कि क्षेत्रीय लोगों कार्य करने के अरुचि होती जा रही है। और यह शारीरिक परिश्रम से दूर होते जा रहे हैं।

4.3.5.1 पुरुष अकर्मकर जनसंख्या


अध्ययन क्षेत्र में 98300 व्यक्ति पुरुष बेरोजगार जनसंख्या है जो कि समस्त बेरोजगार जनसंख्या का 52.38 प्रतिशत है।

सारिणी नं० 4.59


फतेहपुर तहसील पुरुष बेरोजगार जनसंख्या का प्रतिशत — 1991

पुरुष बे० का प्रतिशत	पुरुष बे० संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत	न्याय पंचायत का नाम
38.7 अधिक	38767	39.44	20	मोहनखेड़ा, बनरसी, साह, अयाह, साखा, चकसकरन, मुत्तौर, बहरामपुर, थरियांव, मुराव, चित्तीसापुर तारपुर,

तहसील फतेहपुर - पुरुष बेरोजागार जनसंख्या का प्रतिशत - १९९१



तहसील फतेहपुर - रुद्री बेरोजागार जनसंख्या का प्रतिशत - १९९१



				तालिमपुर, देवरी, लक्ष्मणपुर, कोराई, खाजीपुर सेमरैया,
36 ,2 — 38 ,7	33543	34 ,12	20	अलावलपुर, कांधी, बडनपुर, कुसुम्मी, खेसहन, सेमरी, असोथर, सरवल, गम्भरी, दतौली, बडागांव, कोण्डार, सनगांग, बेरागढीवा, हुसेनगंज, हसनपुर, मकनपुर, बहुआ, नरैनी, फरसी
36 ,2 से कम	98300	1 ,00	55	रावतपुर, ढकौली, चुरियानी, कोर्काकनक, जरौली, साखोजोगा, सनगांव, खुमारीपुर, मोहम्मद बुजुर्ग, हसवां, बरारी, लतीफपुरी, लोंहारी, मथइयापुर, जमरांवा, खानपुर, तेलियानी,

सारिणी नं० 4 ,59 से स्पष्ट होता है कि पुरुष बेरोजगार जनसंख्या की 38 ,7 प्रतिशत से अधिक उच्चकोटिमान के अन्तर्गत 20 न्याय पंचायते आती है जिनमे 38767 (39 ,44 प्रतिशत) व्यक्ति पुरुष बेरोजगार है जो कि अध्ययन क्षेत्र मे उत्तर दक्षिण दिशा मे न्याय पंचायते अधिकृत संख्या मे है 36 ,2 — 38 ,7 कोटिमान के अन्तर्गत 20 न्याय पंचायतो मे 33543 (34 ,12 प्रतिशत) पुरुष बेरोजगार जनसंख्या है । यह न्याय पंचायतों मध्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम मे स्थित है ।

4 ,3 ,5 ,2 स्त्री बेरोजगार जनसंख्या

अध्ययन क्षेत्र मे 254700 स्त्री बेरोजगार संख्या है


सारिणी संख्या 4 ,60

फतेहपुर तहसील – स्त्री बेरोजगार जनसंख्या का प्रतिशत है ।

स्त्री बे0 का प्रतिशत	स्त्री बे0 संख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत	न्याय पंचायत का नाम
67 ,5 से अधिक	54900	2 ,51	12	जरोली, लोथैइयापुर, रावतपुर, तेलियानी, बड़ागांव, दतौली, कोण्डार, असोथर, नरैनी, सातोजोगा, बहरामपुर, हसवां,
2 ,5 – 67 ,5	98400	38 ,63	20	मो० बुजुर्ग, बरारी, लतीफपुर मकनपुर, बेरागढीवा, हानपुर, लोहारी, जमरांवा, हुसेनगंज, देवरी, लक्ष्मणपुर, सनगांव, खानपुर, तेलियानी, मोहनखेडा, अलावलपुर, काधी, कोराई, बनरसी, शिवमोहम्मद, अयाह, साह, चकसकरन,
2 ,5 से कम	101400	39 ,62	23	बहुआ, मुत्तौर महना, कोर्कनक, साखा, गम्हरी, देवलान, गाजीपुर खेसहन, सरवन, कुसुम्मी, सेमरी, कंधियां, ढकौली, बडनपुर, सनगांव, खुमारी, मुराव, चित्तीसापुर, फरसी, तारापुर, तालिक,


तहसील फतेहपुर : न्यायपंचायतवार
बेरोजगार जनसंख्या का
वितरण प्रारूप—2001

(अ)




तहसील फतेहपुर : पुरुष बेरोजगार

(ब)



तहसील फतेहपुर : महिला बेरोजगार

(स)



चित्र संख्या — 4.४

सारणी नं० 4 ,60 से स्पष्ट होता है कि न्याय पंचायत स्तर पर 67 ,5 प्रतिशत उच्चकोटि मान के अन्तर्गत 12 न्याय पंचायतों में 54900 (21 ,55 प्रतिशत) बेरोजगार स्त्री जनसंख्या है इन न्याय पंचायतों में सर्वाधिक जनसंख्या जरौली में (80 ,81 प्रतिशत) तक है जोकि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण में स्थित 62 ,5 से 67 ,3 मध्यम स्तर तक 20 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 98400 (38 ,63 प्रतिशत) स्त्री बेरोजगार जनसंख्या है यह न्याय पंचायत में अधिकृत रूच से उत्तर पूर्व में स्थित है 62 ,5 से कम निम्न कोटिमान के अन्तर्गत 23 न्याय पंचायतों में 101400 (39 ,62प्रतिशत) रुत्री बेरोजगार जनसंख्या है यह न्याय पंचायते अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में स्थित है । चित्र संख्या 4 ,5 स 4 ,3 इध्ययन क्षेत्र में 15 गांवों का अध्ययन किया गया है जिसमें यह ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक बेरोजगार सलेमाबाद 72 ,77 प्रतिशत , सबसे कम बेरोजगार मवई 65 ,15 प्रतिशत गांवों में है ।

सारणी नं० 4 ,61

गांव का नाम	कर्मकर प्रतिशत	अकर्मकर प्रतिशत
उदयराजपुर	34 ,12	65 ,84
मुस्तफापुर	31 ,29	68 ,71
खरगापुर	33 ,85	66 ,15
सलेमाबाद	27 ,83	72 ,15
पौनाखुर्द	31 ,23	68 ,77
घंडौरा	31 ,43	68 ,57
रारा	34 ,45	65 ,55
लमेहटा	28 ,68	70 ,32
टीकर	29 ,82	70 ,18
तारापुर भिटौरा	34 ,56	65 ,44

मर्वई	34 ,85	65 ,15
ललौली	34 ,21	65 ,71
साखा	30 ,12	69 ,88
अयाह	33 ,48	66 ,52
सरकण्डी	31 ,32	68 ,68

4 ,4 आय

किसी भी क्षेत्र विशेष नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उसकी आर्थिक स्थित की दर्पण होती है इसके आधार पर क्षेत्र विशेष की ही नहीं वरन् राष्ट्रीय प्रगति तथा वास्तविक जीवन स्तर का विश्लेषण किया जा सकता है किसी क्षेत्र की आय को दूसरे क्षेत्र की परस्पर तुलना से उस क्षेत्र की सापेक्ष स्थिति का ज्ञान होता है एक राष्ट्र अपने निर्धनता उन्मूलन सम्बन्धी मे कहां तक सफल हुआ है इसका भी सही मूल्यांकन आय के आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है जनसंख्या के वितरण सम्बन्धी विषमताओं को ज्ञात करने मे आय का विश्लेषण उपयोगी हसाता है अतः किसी भी राष्ट्र / प्रदेश / क्षेत्र के विकास स्तर निर्धारण मे वहां कह प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है ।


सर्वेक्षित 15 गांवों के प्राप्त परिणामों के आधार पर तालिका नं० 4 ,62 से स्पष्ट होता है कि आय के परिपेक्ष्य मे 4 वर्ग हैं ।

सारणी नं० 4 ,62


सर्वेक्षित गांवों मे कार्य के आधार पर आय (परिवार प्रतिशत)

आय वर्ग	कृषक	श्रमिक	सेवारत	व्यापारी	योग
200 से कम	24 ,02	74 ,20	—	1 ,78	100
200-500	28 ,02	28 ,02	—	43 ,96	100
500-1000	44 ,86	11 ,21	11 ,21	17 ,11	100

सर्वेक्षित गांवों में कार्य के आधार पर आय (परिवार प्रतिशत)



सर्वेक्षित गांवों में रोजगार के आधार पर आय का प्रतिशत 2001




1000 से	22 ,64		71 ,70	5 ,60	100
अधिक					
योग	28 ,57	42 ,46	7 ,14	21 ,83	100

सारिणी 4 ,63


सर्वेक्षित गांवो मे रोजगार के आधार पर आय प्रतिशत 2001

गांव का नाम	कृषक	श्रमिक	व्यापारी	सेवारत	योग
उदयराजपुर	25 ,00	50 ,00	16 ,67	08 ,33	100 ,00
मुस्तफापुर	33 ,33	43 ,75	16 ,67	06 ,25	100 ,00
खरगपुर	25 ,00	41 ,67	25 00	8 ,33	100 ,00
सलेमाबाद	25 ,00	50 ,00	16 ,67	8 ,33	100 ,00
पौनाखुर्द	31 ,00	40 ,00	20 ,00	9 ,00	100 ,00
घंडौरा	25 ,00	37 ,50	21 ,75	6 ,25	100 ,00
रारा	31 ,00	40 ,00	20 ,00	9 ,00	100 ,00
लमेहटा	25 ,00	37 ,50	21 ,75	6 ,25	100 ,00
टीकर	37 ,45	50 ,00	6 ,25	6 ,25	100 ,00
तारापुर भिटौरा	36 ,60	50 ,00	8 ,33	5 ,07	100 ,00
मवई	35 ,71	42 ,86	14 ,25	7 ,14	100 ,00
ललौली	31 ,00	40 ,00	20 ,00	9 ,00	100 ,00
साखा	35 ,42	41 ,67	19 ,66	6 ,25	100 ,00
अयाह	25 ,00	42 ,50	26 ,25	6 ,25	100 ,00
सरकण्डी	33 ,33	43 ,75	16 ,67	6 ,25	100 ,00
योग	28 ,57	42 ,86	21 ,43	7 ,14	100 ,00

सर्वेक्षित गांवों में परिवार एवं रोजगार 2001



सर्वेक्षित गांवों में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 2001



4 ,4 ,2 सारिणी नं० 4 ,63 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 15 गांवो में रोजगार के आधार पर आय विवरण कृषक 28 ,57 प्रतिशत श्रमिक वयवसायी 21 ,43 प्रतिशत सेवारत प्रतिशत 07 ,14 प्रतिशत है जिसमें कृषकों की सर्वाधिक आय टीकर गांव में 37 ,49 प्रतिशत तथा सबसे कम उदयराजपुर में 25 ,00 प्रतिशत है श्रमिकों की सर्वाधिक आय सलेमाबाद में 50 ,00 प्रतिशत तथा सबसे कम घघौरा में है । व्यवसायी व्यक्तियों की सर्वाधिक आय अयाह गांव में 26 ,25 प्रतिशत तथा सबसे कम आय टीकर गांव में 6 ,25 प्रतिशत है सेवारत वर्ग में सर्वाधिक आय पैनाखुर्द गांव में 9 ,00 प्रतिशत तथा सबसे कम तारापुर भिटौरा में 5 ,07 प्रतिशत है ।

सारिणी नं० 4 ,64

सर्वेक्षित गांवो में बाल श्रमिकों की मजदूरी का विवरण 2001

गांव का नाम	लड़कों की मासिक मजदूरी (रुपये में)	लड़कियों की मासिक मजदूरी (रुपये में)	प्रतिदिन औसतन रु०	प्रतिदिन भोजनवार
उदयराजपुर	1200	200	14 – 7	1
मुस्तफापुर	500	300	17 – 10	1
खरगपुर	400	150	14 – 5	2
सलेमाबाद	300	100	10 – 4	3
पौनाखुर्द	500	200	17 – 7	1
घघौरा	300	100	10 – 4	1 (3 बीघा)
रारा	600	250	20 – 8	1
लमेहटा	200	50	7 – 2	1 (4 बीघा)
टीकर	350	150	12 – 5	2
तारापुर	400	200	14 – 7	2

भिटौरा				
मवई	300	150	10 - 5	1 (4 बीघा)
ललौली	300	150	10 - 5	1 (5 बीघा)
साखा	300	150	10 - 5	1 (4 बीघा)
अयाह	400	200	14 - 7	2
सरकण्डी	200	100	7 - 4	1 (6 बीघा)

स्रोत – सर्वेक्षित प्रश्नावली पर आधारित –

4.5 बाल श्रमिक – सर्वेक्षित 15 गांवों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये बाल श्रमिक लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं बर्तन साफ करना, पशु चराना, जंगल से लकड़ी तोड़ना एवं पत्ते लगाना, जूतों में पालिस करना, घरेलू मजदूर के रूप में काम करना, भारी बोझा को एक स्थान से लाना एवं ले जाने का कार्य भी कुछ बच्चे करने लगें हैं। इन कार्यों के बदले इन्हे जो मजदूरी मिलती है वह इतना कम है जिसका आंकिक विवरण सारणी नं 4.64 से स्पष्ट होता है।

सारिणी - 4.65

गांवों में बाल श्रमिकों का विवरण (7 से 15 वर्ष) 2001

गांव का नाम	लडके	लड़कियाँ	योग	प्रतिशत
उदयराजपुर	09	11	20	1.43
मुस्तफापुर	36	28	64	4.57
खरगपुर	08	12	20	1.43
सलेमाबाद	07	14	21	1.50
पौनाखुर्द	11	5	16	1.14
घंडौरा	14	8	22	1.57
रारा	48	53	101	7.21
लमेहटा	73	68	141	10.07
टीकर	43	32	75	5.36
तारापुर भिटौरा	56	61	117	8.36
मर्वई	26	13	39	2.79
ललौली	118	102	220	15.71
साखा	84	73	157	11.21
अयाह	68	62	130	9.29
सरकण्डी	143	114	257	18.36
योग	744	656	1400	100.00

सर्वेक्षित 15 गांवों से स्पष्ट होता है कि इन गांवों में 1400 बाल श्रमिक हैं जिसमें सबसे अधिक आल श्रमिक सरकण्डी गांव में 257 लडके एवं लड़कियाँ 18.36 प्रतिशत तथा सबसे कम बाल श्रमिक पैना खुर्द में 16 (1.14 प्रतिशत) लडके एवं लड़कियाँ हैं। सारिणी नं० 4.65

अप्याय

5

अध्याय — 5

जीवन स्तर

भूमिका — जनसंख्या के अनवरत विकास के कारण राष्ट्रीय जन जीवन के साथ — साथ फतेहपुर तहसील का जीवन स्तर भी प्रभावित हुआ। जीवन स्तर का तात्पर्य मानव द्वारा विभिन्न सम्मताओं से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग से है¹। किसी भी देश का जीवन स्तर विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। परन्तु प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी विकास महत्वपूर्ण कारक है।

रैट जेल एफ० एनीपोलोजी ज्योग्राफी धर्ड वाल्यूम पेज 310 के अनुसार जीवन स्तर एक ऐसी अवधारणा है जो समुदाय या समाज की सामाजिक उच्च इच्छाओं या भावुक आवश्यकताओं के प्रति सुतुष्टि को जागृति करती है²। वर्तमान समय तक राष्ट्र में इस अवधारणा को मूर्तरूप देने में कोई विशेष प्रगति नहीं की। परन्तु कुछ विदेशी अर्थशास्त्रियों, भूगोल वेताओं एवं समाज शास्त्रियों ने अपने — अपने राष्ट्रों के किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर निर्धारित कर कुछ घटकों का प्रयोग किया। एस० ई० हार्सले न्याग्राफी हयूमेन ईसा हमाह क्लासी फिकेशन पार्ट —2 1942 पेज नं० 119 के विवरण को इस कार्य में भूगोल वेता में न्यूजर्सी प्रान्त (प्रिस्टल हाल नगर) के निवासियों के जीवन स्तर के निर्धारण में व घटकों (जनसंख्या संसाधन क्षमता प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक कारक भौतिकी तकनीकी कारक संसाधन स्थिरता भू — क्षेत्र का आकार व्यापार से सम्बन्धित संसाधन एवं उनके गहनतम प्रयोग क्षमता) में विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठानों से लाभ आदि को आधार माना है³। ई० जैसीज ने प्रिंसिपल आफ हयूमेन ज्योग्राफी 1920 पेज 167 में वस्तुओं का तकनीकी कम में कार्य, आराम

देह विस्तर तथा कुर्सी रबर के पैड, वातानुकूलित ग्रह व्यवस्था, सफाई मशीन का प्रयोग को आधार मानकर न्यूयार्क नगर के निवासियों का सर्वप्रथम जीवन स्तर निर्धारित किया। कोलव एण्ड इड्स इन्फलुएन्स आफ हयूमेन ज्योग्राफी इन्वायरमेण्ट न्यूयार्क 1911 पेज 119 ने योग्यतम्⁵ संस्थाएं आकर्षक फर्नीचर प्लान एवं विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद के साधनों से मुक्त आवास संविधाएं तथा सुरक्षा सुविधाओं से सम्बन्धित घटकों को आधार माना है।

प्रसिद्ध परिस्थितिक विद्वान गोल्ड स्मिथ पापुलेशन ट्रेन्डस रिसोसेज एण्ड इम्लायमेन्ट हैन्ड बुक आफ पापुलेशन एजूकेशन पापुलेशन एण्ड इकोलोजीकल बैलेन्स 1975 पेज 230 में जीवन स्तर के निर्धारण में सैद्धान्तिक लेखा जोखा (बजट) को महत्व पूर्ण मानते हुए हाई वर्ड विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रभाव क्षेत्र (अमलैण्ड के निवासियों का भोजन, आवास, मनोरंजन, धर्म एवं अन्य) किया कलापो में सौद्रिक बजट के अनुसार खर्च निकालकर जीवन स्तर का निर्धारण किया।

अतः स्पष्ट होता है कि कुछ प्राथमिक एवं भौतिक सीमाओं से पूर्ण बस्तुएँ हैं जो विभिन्न देशों के निवासियों के जीवन स्तर में प्रयोग की जाती हैं जिनको निम्न दो श्रेणियों में विभाजित किया गया । यथा –
 1— मानव की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की मात्रा तथा गुण, भोजन, शुद्ध वायु, शुद्ध जल आवास वस्त्रादि ।

5.1 भोजन – भोजन वस्त्र और आवास

मानव की मूल भूत जैविक आवश्यकताएँ हैं इस सन्तुलन में भोजन एक पहली आवश्यकता है भोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसको मानव की नितान्त आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता तथा भौतिक आवश्यकता का रूप मात्र है किसी भी क्षेत्र के भोजन में

वहाँ की भूमि उपयोगिता, जीवकोपार्जन के साधन और अर्थिक विकास में धनिष्ठ सम्बन्ध होता है ।

सम्भवता भोजन मांसाहारी और शाकाहारी दो प्रकार का माना जाता है जिस प्रकार कार्य के आधार पर भोजन को तीन रूपों में पृथक – पृथक विभक्त कर सकते हैं उसी प्रकार गुण प्रकृति तथा प्रभाव के आधार पर भी भोजन को तीन प्रकार से विभक्त किया जा सकता है यथा –

- 1— सात्त्विक भोजन – यह भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोधाय सुख और रुचि बढ़ाने वाला होता है ।
- 2— राजस भोजन – यह भोजन आयु बुद्धि, बल आरोग्य से रहित कड़वे खट्टे, अति लवण युक्त, बहुत गर्म, तीक्ष्ण दाह कारक, स्वभावता दुःख चिन्ता एवं रोगो का जनक ।
- 3— तामस भोजन – यह भोजन अधपका रस रहित, दुर्गम्य युक्त वाली, अपवित्र स्वभावतः प्रमाद, आलस्य और निद्रा बढ़ाने वाला आदि है। मानव की शारीरिक गुणवक्ता को कायम रखने के लिए भोजन में प्रोटीन, कार्बोज, वसा विटामिन जैसे तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। भोज्य तत्वों के प्राथमिक एवं गौण तत्वों का निरूपण संख्या 5.1 से स्पष्ट अंकित है। सारिणी न0 5.1

भोज्य पदार्थ


सारिणी नं ५.१

प्रस्तावित सन्तुलित आहार विवरण

सन्तुलित आहार की कौलोरी मान

आवश्यकता ग्रामों में

आनाज	400	1400
दाले तथा मेवे	85	298
तेल धी (वसा)	40	615
हरी पत्ती दार सब्जियाँ	114	85
दूध, दूध निर्मित पदार्थ	289	426
गुड / शक्कर	57	228
सूखी सब्जियाँ	85	85
मॉस मछली तथा अण्डा	85	195
फल	85	60
योग्य	1235	3000



इण्डियन कौसिल आफ मेडिकल रिसर्च की स्पेशल रिपोर्ट सीरिज 42 सारिणी न0 2 पेज 28 (1966) से ली गयी है । सामान्यतः औसत आयु वर्ग भी स्त्रियों को 2500 कैलोरी तथा पुरुषों को 3000 उष्मांक प्रतिदिन चाहिए । अतः पुरुष को सही जीवन व्यतीत करने के लिए प्रति घण्टे 125 उष्मांक तथा स्त्रियों को प्रति धाटा 104.17 उष्मांक उपलब्ध होना चाहिए । परन्तु कार्य की श्रेणी विभिन्नता तथा भोजन के प्रकार (मांसाहारी , शाकाहारी , के अनुसार अतिरिक्त उष्मांक की आवश्यकता पड़ती है)

पुरुषों को इस कोटि समूह के अन्तर्गत अतिरिक्त कैलोरी उपयोग करना चाहिए । बैठकर काम करने वाले को 2400 कैलोरी, मध्यम श्रम करने वाले को 2800 कैलोरी, कठोर परिश्रम करने वाले को 3900 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है जब कि बैठ कर श्रम करने वाली महिलाओं को 2000 कैलोरी मध्यम श्रम करने वाली 2300 कैलोरी तथा कठोर श्रम करने वाली 3000 कैलोरी तथा गर्भिणी स्त्रियों में यह कैलोरी मान पॉचवे महीने के आरम्भ में 2300 कैलोरी और दूध पीते बच्चे की मॉ को 2700 कैलोरी मिलनी चाहिए । अत्याधिक श्रम करने वाले पुरुष को दूध 289 ग्राम, खाद्यान्य 567 ग्राम, हरी पत्तियों से युक्त सब्जियां 85 ग्राम तथा अन्य पदार्थ अतिरिक्त मात्रा में चाहिए । जिनको 4500 उष्मांक चाहिए । जबकि सन्तुलित मात्रा 3000 कैलोरी से 1500 उष्मांक कार्य के कारण अधिक लेना पड़ा । मांसाहारी पुरुष के भोजन में मांस एवं अण्डे के तत्वों की अपेक्षा अन्य तत्वों की मात्रा कम होनी चाहिए । क्योंकि मांस तथा अण्डों से अन्य तत्वों की कमी की पूर्ति हो जाती है इस प्रकार हल्का श्रम करने वाली शाकाहारी महिला को मांसाहारी महिला की अपेक्षा मांसल तत्वों के अलावा अन्य तत्वों की मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी । सारिणी न0 5.1

5.2

जनसंख्या और उत्पादन – आज के वैज्ञानिक तकनीकी युग में विकसित एंव विकास शील जनसंख्या के समक्ष संसाधन एंव उसके पुनरुत्पादन की है जो देश जिस स्तर पर विकसित व विकास शील है वहाँ पर संसाधन उसी स्तर पर विकसित है। भारत जैसे देश में विकासशील अर्थ व्यवस्था का ढाँचा नागरिक स्वास्थ्य संगठन एंव आवश्यक उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है अतः अध्ययन क्षेत्र जो एक विकासोन्मुख आर्थिक उत्पादन की परिपाटी के अन्तर्गत आता है का अध्ययन किया जा रहा है।

सन् 1981 में 54538 जनसंख्या तथा खाद्यान्य उत्पादन 475409 मी० टन था। जिसके अनुसार 24 धण्टे में 2279 ग्राम शुद्ध खाद्य प्रयुक्ति था वर्ष भर में भारतीय मानक पोषण इकाई (एस० एम० य०) 2124 कैलोरी उपलब्ध होनी चाहिए। 1991 में मूल उत्पादन 596513 मी० टन था 1981 – 91 दशक में मूल उत्पादन में 121104 मी० टन अतिरिक्त अन्य उत्पादन की प्राप्ति हुई।

अध्ययन क्षेत्र में 641087 जनसंख्या में खाद्यान्य उत्पादन 163536 मी० टन दालें 24404 मी० टन तिलहन 1751 मी० टन तथा अन्य 171927 मी० टन रहा।

विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या भिटौरा में 124481 जनसंख्या और उत्पादन 39037 मीटरीटन था जिसमें खाद्यान्य 4503 मी० टन दाले 332 मी० टन तिलहन तथा अन्य 30853 मी० टन फसलों के अन्तर्गत रहा। सबसे कम जनसंख्या तेलियानी विकास खण्ड में 85744 जनसंख्या पर उत्पादन 30225 मी० टन खाद्यान्य 1785 मी० टन दालें 362 मी० टन तिलहन और 41557 मी० टन अन्य फसलों के अन्तर्गत उत्पादन रहा। न्यायपंचायत स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या तथा उत्पादन कोण्डार 21516 जनसंख्या पर खाद्यान्य 4433 मी० टन, दाले 2309 मी० टन, तिलहन 81 मी० टन तथा 2068 मी० टन अन्य

फसलों का उत्पादन होता है। सबसे कम जनसंख्या तथा उत्पादन मकनपुर 6048 जनसंख्या के अन्तर्गत खाद्यान्य 1541 मी० टन, दालें 279 मी० टन तिलहन 12 मी० टन तथा 1032 मी० टन अन्य फसलों के अन्तर्गत उत्पादन था।

जनसंख्या और उत्पादन के तुलनात्मक तथ्य को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र न० 5.1 से स्पष्ट होता है कि 1991 दशक वर्ष में जनसंख्या वृद्धि गणितीय गति से और उत्पादन ज्यामितीय गति से हुआ। जो तहसील के पिछडे पन का प्रतीक तथा भावी विकास के लिए धातक है तहसील में उपरोक्त तथ्य जनसंख्या तथा उत्पादन वृद्धि के सिद्धान्तों को नाकारा नहीं जा सकता। तहसील फतेहपुर में नदियों के किनारे उबड़ — खाबड़ धरातल अपरदन युक्त उषर भूमि की अधिकता वाली न्याय पंचायतों में कोर्टकनक, जरौली लोहारी, साखा, गम्हरी, प्रमुख है। यहाँ खाद्यान्य उत्पादन की स्थिति द्वासात्मक वृद्धि प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

5.3 प्रति व्यक्ति उत्पादन —

5.3.1 समस्त फसलों का मूल उत्पादन —

परिशिष्ट न० 5.2 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र 1996 — 97 में खाद्यान्य के अन्तर्गत 89432 मी० टन गेहूँ ,51343 मी० टन धान ,10568 मी० टन जौ , 12322 मी० टन ज्वार बाजरा तथा 212 मी० टन मक्का और 69 मी० टन अन्य खाद्यान्यों का उत्पादन रहा। जबकि दलहन के अन्तर्गत 7564 मी० टन अरहर 16072 मी० टन चना मटर 190 मी० टन मसूर तथा 578 मी० टन उर्द का उत्पादन रहा है तिलहन के अन्तर्गत लाही , सरसो 1216 मी० टन अलसी, तिल 458 मी० टन रेडडी मूँगफली 97 मी० टन था अन्य फसलों के अन्तर्गत सोयाबीन

30 मी० टन आलू 6754 मी० टन गन्ना 164318 मी० टन तथा अन्य फसले तम्बाकू कपास, हल्दी, सनई का उत्पादन बहुत ही अल्प है। न्यायपंचायत स्तर पर सर्वाधिक खाद्यान्य जमुरावां 6475 मी० टन तथा धान का उत्पादन जमुरावां 2996 मी० टन तथा सबसे कम धान का उत्पादन देवलान मे 48 मी० टन न्याय पंचायत मे होता है। जिसका मुख्य कारण उबड़ खाबड जमीन का होना है दलहन का उत्पादन सर्वाधिक कोण्डार 2309 मी० टन है। अध्ययन क्षेत्र मे सर्वाधिक दालो का उत्पादन विकास खण्ड असोथर मे 10508 मी० टन हुआ। अरहर तथा चने का उत्पादन न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक असोथर मे है। लाही सरसो का उत्पादन सर्वाधिक थरयिंव 58 मी० टन तथा आलू का उत्पादन हस्या मे 485 मी० टन हुआ। तथा गन्ने की पैदावार सर्वाधिक शाह मे 7863 मी० टन है।

5.3.2 प्रतिव्यक्ति फसलो का मूल उत्पादन —

फतेहपुर तहसील मे प्रति व्यक्ति गेहूँ का उत्पादन 1.23 कुन्टल, धान 0.55 कु०, जौ 0.11 कु०, ज्वार बाजरा 0.20 कु० है दलहन का प्रति व्यक्ति उत्पादन अरहर 0.05 कु०, चना मटर 0.235 कु० मूँग मसूर 0.01 कु० तथा तिलहन 0.01 कु० और गन्ना 0.57 कु० है।

न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिव्यक्ति फसलो का मूल उत्पादन सर्वाधिक गेहूँ देवरी लक्ष्मणपुर 2.43 कु० तथा सबसे कम सरवल 0.60 कु० प्रतिव्यक्ति उत्पादन हुआ। जबकि धान का सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति उत्पादन जमुरावां 1.12 कु० तथा सबसे कम धान का उत्पादन देवलान 0.03 कु० हुआ। जौ का सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति उत्पादन दन्तौली 0.41 कु० तथा ज्वार बाजरा का उत्पादन सरवल 0.54 कु० सर्वाधिक है तथा अरहर का प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक देवलान 0.45 कु० उत्पादन न्यायपंचायतो

में ही तिलहन का प्रति व्यक्ति उत्पादन व बरारी 0.03 कु0 गुड का सर्वाधिक उत्पादन बनरसी शिव गोबिन्दपुर 1.41 कु0 तथा कान्धी में 1.45 कु0 प्रतिव्यक्ति उत्पादन न्याय पंचायतो में रहा ।
(परिशिष्ट 5.3)

यहाँ पर गंगा – यमुना ससुर खरेदी न0 1 एवं ससुर खरेदी न0 2 नदियों के किनारें की ढलुवा भूमि पर दलहन एवं तिलहन फसलों की प्रति वर्ष अच्छी पैदावार होती है । दूध तथा फलों के उत्पादन में क्षेत्रीयता के परिपेक्ष्य में तहसील की मोहन खेड़ा, जमुराँवा हस्वा, नरैनी, हुसेनगंज, ढकौली आदि न्याय पंचायत में पैदावार अच्छी होती है परन्तु तहसील में गॉव स्तर पर पैना खुर्द रासा, तारापुर, टीकर गांव अग्रणी है ।

5.3.3 प्रतिव्यक्ति विभिन्न खाद्य प्रदार्थों का शुद्ध खाद्य रूप का मूल्यांकन –


अध्ययन क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति शुद्ध खाद्य पदार्थों का आंकलन सारिणी न0 5.2 के आधार पर निकाला गया है । क्योंकि खेतों में प्राप्त फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष खाद्य पदार्थ नहीं होता । जब कि मानव द्वारा उसमें कुछ सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन किया जाता है । जैसे गेहूँ में 10.80 प्रतिशत भाग बेकार माल निकल जाता है जिसमें 15% बीज तथा 74.20 % गेहूँ शुद्ध रूप में बचता है । अन्य खाद्य पदार्थों की प्रयुक्तता सारिणी न0 5.2 से स्पष्ट है ।

सारिणी नो 5.2

विभिन्न फसलों में खाद्य रूप की प्रयुक्तता (%)

फसले	प्रयुक्तता प्रतिशत	प्रयोग रहित बीज तथा	
		प्रतिशत	अन्य
गेहूँ	74.20	10.80	15.00
धान	58.25	38.50	3.70
जौ	55.00	30.00	15.00
मसूर	79.26	3.54	17.20
गन्ना	18.83	80.45	7.72
अरहर	69.00	18.50	12.50
ज्वार वाजरा	90.00	8.00	2.00
चना	75.77	5.00	19.20
तिलहन	40.49	43.77	15.71
अन्य	48.00	49.92	2.08

विभिन्न फसलों में खाद्य रूप की प्रयुक्तता (%) प्रयुक्तता प्रतिशत



- गेहूँ
- धान
- जौ
- मसूर
- गन्ना
- अरहर
- ज्वार वाजरा
- चना
- तिलहन
- अन्य

अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध खाद्य उत्पादन गेहूँ 663584 कु0 धान 299073 कु0
जौ 58124 कु0 , ज्वार बाजरा 110808 कु0 , अरहर 52192 कु0 चना
मटर 121778 कु0 , मूंग उरद , मसूर 6087 कु0 , तिलहन 7090 कु0
एवं गन्ना 309411 कु0 उत्पादन हुआ है ।

विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक गेहूँ 14302 कु0 तथा धान 9246
कु0 भिटौरा मे है न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक गेहूँ का शुद्ध खाद्य
रूप उत्पादन कोणडार 6859 न्याय पंचायतो मे है गन्ने का सर्वाधिक शुद्ध
खाद्यान्य रूप उत्पादन मोहन खेडा 144993 कु0 है ।

सारिणी न० 5.3

सामान्य भारतीय भोज्य पदार्थों का मान (प्रति 100 ग्राम कैलोरी रूप)
 भोज्य पदार्थ कैलोरी मान

चावल	345
ज्वार वाजरा	350
उरद	350
अरहर	350
आलू	100
मँगफली	570
तेल	170
दूध	120
दही	60
चीनी	400
गेहूँ	350
जौ	335
मूँग	350
चना	335
एकरकन्द	120
नरियल	900
गोस्त	120
झूध भैस	210
धी	900
मछली	100

5.3.4 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध खाद्य आपूर्ति एवं उसका कैलोरी मान –

शुद्ध खाद्य आपूर्ति (ग्राम में)

प्रतिव्यक्ति प्रति दिन कैलोरी आपूर्ति = _____

समस्त जन संख्या X 365

सारिणी न0 5.3 को आधार मान कर अध्ययन क्षेत्र के भोज्य पदार्थों आपूर्ति निकाली गयी है जिसका आवलोकन परिशिष्ट न0 5.5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फतेहपुर तहसील में प्रति 100 ग्राम पर शुद्ध कैलोरी आपूर्ति खाद्यान्य 1997 ग्राम, दालों में 307 ग्राम, वसा 20 ग्राम है। जब कि समस्त भोज्य पदार्थ की कैलोरी 2551 ग्राम है। विकास खण्ड स्तर पर यह सर्वाधिक तेलियानी 5582 ग्राम तथा सबसे कम असोथर 2831 ग्राम शुद्ध कैलोरी की आपूर्ति है।

शुद्ध खाद्य पदार्थ की आपूर्ति को ध्यान में रखकर तहसील की 55 न्याय पंचायतों का पारस्परिक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया है इससे स्पष्ट हुआ कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति में क्षेत्रीयता से प्रभावित उसके उत्पादन में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। क्योंकि कहीं – कहीं न्याय पंचायत स्तर पर खाद्यान्य, दाले, गुड आदि पदार्थों की आपूर्ति प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्यापूर्ति में भिन्नता का अर्थ है। कि जनसंख्या का निरन्तर बढ़ता भार खाद्य आपूर्ति के प्रकारों में रुचि गुणात्मक की मात्रा में कमी अधिकतम एवं न्यूनतम है।

अतः प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत भोजन आपूर्ति का आकलन उष्मांक (कैलोरीज) में करने से तहसील में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत 2951 कैलोरीज आपूर्ति की श्रेणी से निम्नांकित उष्मांक स्तर के आधार पर विभाजित करके अध्ययन किया गया।

उष्मांक कैलोरी कोटि मान न्याय पंचायत सं० न्यायपंचायत का नाम

3501 से	अधिक	17	मोहन खेड़ा, रावत पुर, कान्दी, कोराई, जमुरांवा, देवरी लाक्षणपुर, लोहारी, चिन्निसापुर, भोजुर्ग, बनरसीशिवगोबिन्द शाह, चरियानी, सोटवा, कोणडार मुन्तोर, दन्तोली, असोथर।
3001 – 3500	उच्च	9	सनगाँव, वराकी, वेरागढ़ीवा, मकनपुर, लतीफपुर, ढकोली, हस्वा, बहुआ, कोरीकनक ।
2501 – 3000	मध्यम	12	खानपुर तेलियानी, तारापुर, तालिवपुर, मथैइयापुर, सनगाँव, ख्याजीपुर सेमरेया अयाह, चक्रकरन, गाजीपुर, देवलान, सरवल कन्धिया। अलावलपुर, हसनपुर,
2500 से कम	निम्न	17	फरसी, बडनपुर मुरांव, थरियाँव, बहरामपुर, सातोजोगा, नरेनी, सेमरी, कुसुम्मी, खेसहन, महना, बडांगँव, गम्हरी, जरोली।

तहसील फतोहपुर : जनसंख्या तथा
उत्पादन


2001

(ब)

संकेत उत्पादन(मीठन)

2.00 से अधिक
1.50-2.00

1.50 से कम



तहसील फतोहपुर : प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति
छांक आपृति— 2001


(स)

संकेत उत्पादन(मीठन)

3500 से अधिक
3000-3500

2500-3000

2500 से कम



वित्र संख्या — 5.1

5.3.4.1 उच्चतम कैलोरी भोज्य स्तर –

अध्ययन क्षेत्र में 3501 से अधिक कैलोरी के अन्तर्गत 17 न्याय पंचायते आती है। जिसमें मोहनखेड़ा 3887 कैलोरी तथा असोथर 3680 कैलोरी की प्रमुख न्याय पंचायते हैं। यहाँ पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग इन न्याय पंचायतों में उच्च है।

सर्वेक्षण गांवों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उच्च कैलोरी स्तर के अन्तर्गत उदय राजपुर 3667 ग्राम मुस्तफापुर 4205 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध कैलोरी का उपयोग होता है।

5.3.4.2 उच्च कैलोरी आहार स्तर –

अध्ययन क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्य आपूर्ति के संदर्भ में 3001 – 3500 ग्राम कैलोरी 9 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत कोटिमान में उपयोग की जाती है। जिसमें सनगांव 3144 ग्राम तथा लतीफपुर 3318 कैलोरी की न्याय पंचायते प्रमुख हैं। यहाँ पर खाद्यान्य या दालों की आपूर्ति ही अधिक है। अतः गांव की स्थिति दयनीय है।

5.3.4.3 मध्यम कैलोरी आपूर्ति स्तर –

अध्ययन क्षेत्र में मध्यम कैलोरी (2501 से 3000) आपूर्ति वाली 12 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें खानपुर तेलियानी, सरवल 2853 व 2691 कमशः ग्राम कैलोरी की प्रमुख न्याय पंचायतों में हैं इस आपूर्ति स्तर के अन्तर्गत वे न्याय पंचायते हैं जहाँ पर प्रतिव्यक्ति दैनिक खाद्य आपूर्ति में खाद्यान्य एवं दाले निम्न रूप में तथा अन्य खाद्य पदार्थ अल्पतम मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस श्रेणी के सर्वेक्षित गांवों में भी कैलोरी आपूर्ति स्तर निम्न है।

5.3.4.4 निम्न कैलोरी आपूर्ति स्तर -

2500 से कम कैलोरी आहार स्तर पर 17 न्याय पंचायते आती है जिनमें अलावलपुर 2342 ग्राम, जरौली 1830 ग्राम कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपूर्ति निम्न कोटि समूह की प्रमुख न्याय पंचायते हैं। (चित्र नं 5.1 से एवं सारिणी नं 5.4)

भोजन की मात्रा आयु लिंग शरीरिक आकार जलवायु एवं कार्य पर निर्भर करती है। बढ़ती हुई आयु के बच्चों को प्रोटीन एवं वसायुक्त भोजन अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। क्योंकि उनके बढ़ते शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति कम होने से भोजन की मात्रा धटजाती है स्त्रियों बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण पौष्टिक आहर उचित मात्रा में मिलना आवश्यक है। सामान्य काम काजी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए वांछनीय संतुलित आहार की अधिकता होती है।

सारिणी नं 5.5



सामान्य भारतीय पोषक तत्व महिला वर्ग (कैलोरी ग्राम में)

भोज्य पदार्थ महिला

अनाज	350
दाल	70
हरी सब्जी	150
तरकारी	75
जड़ी	75
फल	30
दूध	250
बसा	35
मीठा	30


उपर्युक्त भोज्य पदार्थों के विभिन्न तत्वों से पुरुषों को 2500 ग्राम कैलोरी ऊर्जा तथा महिलाओं को 2200 ग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है।

सामान्य भारतीय पोषक तत्व पुरुष एंव महिला वर्ग (कैलोरी ग्राम में)



सारणी नं० 5.6
सार्वेक्षित गांवों मे संतुलित आहार संरचना का अन्तर (कैलारी मे)

गांव का नाम	अनाज	दाल	वसा	सूखी सब्जी	दूध	गुड	मास मछली	हरी सब्जी पत्तेदार	फल आदि
उदयराजपुर	-719	-22	-158	-32	+618	-122	-84	+22	+60
मुस्तफापुर	-619	-23	-186	-50	+1327	-188	-93	+12	+60
खरगपुर	+42	+720	-65	-18	-249	-212	+54	+06	-60
सलेमाबाद	-410	+158	-160	-67	-347	-140	-115	-34	-60
पेनाखुर्द	+140	+516	-103	-69	-301	-212	-136	-13	-
घघोरा	+1012	+248	+12	-14	-250	+180	+37	+05	-60
रासा	-794	-70	-171	-65	+80	-220	-128	-39	-96
लमेहटा	-164	+1113	-188	+32	-250	-200	-136	+96	-70
टीकर	+241	-320	-112	-12	-224	-96	+34	-36	-60
तारपुर	+273	+350	-97	-66	-224	-96	+44	-39	-60
मिटोरा									
मवई	-114	+258	+17	-17	-251	+36	+68	+66	-60
साखा	+1117	+258	+17	-77	-251	+36	+68	-65	-60
अयाह	-406	+208	-108	-61	+23	-204	+138	+22	+36
ललोली	+1127	-77	-11	-19	-87	+36	-57	-58	-
सरकण्डी	-164	+1113	-188	+32	-250	-200	-36	+96	-



आवश्यक आपृति रेखा

क्र0स0	गाँव के नाम
1.	खरगापुर
2.	उदयराजपुर
3.	मुस्तफापुर
4.	सलेमाबाद
5.	पैनाखुट्ट
6.	घधोरा
7.	रासा
8.	लमेहटा
9.	टीकर
10.	तारापुर भिटोरा
11.	मवई
12.	साखा
13.	अयाह
14.	ललौली
15.	सरकारी

सर्वेक्षित गाँव
चित्र संख्या — 5 . 2

5.4 सर्वेक्षित गांवों में संतुलित आहार संरचना -

सर्वेक्षित गांवों में संतुलित आहार का उपयोग सारिणी संख्या 5.6 मेर दर्शाया गया है।

उदयराजपुर गांव मोहन खेडा न्याय पंचायत के अन्तर्गत स्थित है जो अध्ययन क्षेत्र से पश्चिम में स्थित है जिसका धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर आयरदन अधिक प्रभावकारी है यहाँ दोमट चिकनी दोमट तथा कंकरीली मिट्टियाँ पायी जाती हैं। जिसके कारण यहाँ गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, अरहर गन्ना तथा सब्जियाँ पैदा होती हैं। प्रतिव्यक्ति सन्तुलित आहार की संरचना में एक तरफ दूध 4618 पत्तेदार हरी सब्जी से + 22 कैलोरी और फलों से + 60 कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त मिलती है जबकि दूसरी तरफ अनाज से प्राप्त होने वाली - 719, दाल से - 22 कैलोरी और चिकनाई युक्त पदार्थों से प्राप्त होने वाले उष्मांक में - 186 कैलोरी का आभाव है सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि यहाँ पर लोग पत्तेदार व हरी सब्जियों के रूप में पालक भिण्डी, तरोई, लौकी आदि सब्जियों को उगाते हैं जब कि फलों के रूप में तरबूज, खरबूजा, वेर, आम आदि पैदा करते हैं। परन्तु अर्थिक विपन्नता होने के कारण यहाँ अधिकांश व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बेच देते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप रेशेदार भोज्य पदार्थ के रूप में उपयुक्त बस्तुएं नहीं मिल पाती हैं। अतः यहाँ लोग पेट सम्बन्धी रोगों से ग्रस्त रहते हैं। जबकि मुस्तफापुर में दूध + 1327 कैलोरी पत्तेदार हरी सब्जी + 12 तथा + 60 कैलोरी अतिरिक्त प्राप्त हुई। जबकि अनाज - 619 कैलोरी, दाल - 23 कैलोरी, वसा - 186 कैलोरी तथा गुड़ - 188 कैलोरी का आभाव रहा। पैना खुर्द गांव में अनाज + 410 कैलोरी, दाल + 516 कैलोरी अतिरिक्त प्राप्त हुई। जबकि वसा - 103 कैलोरी दूध 347 कैलोरी, गुड़ - 212 कैलोरी, मांस मछली - 136 कैलोरी का आभाव रहा। साखा गांव में अनाज + 1117 कैलोरी, दाल 258 कैलोरी वसा + 17 कैलोरी, गुड़ + 36 कैलोरी, तथा मांस मछली + 68 कैलोरी अतिरिक्त प्राप्त हुई। जबकि दूध - 251





कैलोरी, पत्तेदार हरी सब्जी - 65 कैलोरी तथा फल - 60 कैलोरी का आभाव रहा। ललौली गांव में अतिरिक्त कैलोरी की प्राप्ति नहीं हुई इसमें अनाज - 661 कैलोरी, दाल - 224 कैलोरी वसा - 114 कैलोरी, दूध - 28 कैलोरी तथा फल - 60 कैलोरी का आभाव पाया जाता है। जिसका मुख्य कारण अपरदित उबड़ खाबड़ जमीन का होना तथा बाढ़ आदि अकाल का होना है। (चित्र नं 5.2 अ)

सारणी नं 5.7

उदयराजपुर गाँव में प्रति व्यक्ति संनुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	संनुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
अनाज	342	400	-58	681 1400 -719
दाल	67	85	-18	276 298 -22
वसा (घी, तेल)	100	40	60	70 228 -158
सब्जियाँ	134	85	49	53 85 -32
दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं	322	284	38	1024 426 618
गुड शंकर	40	57	-17	106 228 -122
मांस मछली और अण्डा	7	85	-78	60 145 -84
पत्तीदार हरी सब्जी	80	114	-34	87 65 22
फल	20	85	-65	120 60 60
योग	1112	1235	-123	2477 3000 -523

तहसील फतेहपुर: चुने हुए गाँवों में एक सामान्य व्यक्ति का वर्तमान, देनिक आहार की
आपूर्ति एवं मूल्यांकन (डा० एकाएड के अनुसार) – 2001



सारिणी नो 5.8
मुस्तफापुर गांव में प्रतिव्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	संतुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
अनाज	223.04	400	.177	781 1400 .619
दाल	81.72	85	.3	275 298 .23
बसा (घी, तेल)	7.23	40	.33	42 228 .186
सब्जियाँ	35.41	85	.50	35 85 .50
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	307.55	284	.24	1753 426 1327
गुड शंकर	10.12	57	.47	40 228 .188
मांस मछली और अण्डा	30.24	85	.55	52 145 .93
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	135.19	114	.21	77 65 12
फल	114.73	85	.32	120 60 60
योग	944	1235	.291	3123 3000 123

सारिणी नो 5.9
खरगापुर गांव में प्रतिव्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	संतुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
अनाज	527	400	127	1442 1400 42
दाल	304	85	219	1018 298 720
बसा (घी, तेल)	15	40	.25	85 228 .165
सब्जियाँ	67	85	.18	67 85 .18
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	118	284	.166	177 426 .249
गुड शंकर	4	57	.53	.16 228 .212
मांस मछली और अण्डा	117	85	.32	199 145 54
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	123	114	.9	71 65 6
फल	...	85	...	60 .60
योग	1275	1235	40	3075 3000 75

खरगापुर गांव अध्ययन क्षेत्र के पूरब न्याय पंचायत चिन्तिसापुर में स्थित है।

यहाँ पर अनाज 527 ग्राम दाले 304 ग्राम, मांस मछली 117 ग्राम तथा पत्तीदार हरी सब्जी 123 ग्राम प्रतिव्यक्ति उपयोग किया जाता है। जो कि संतुलित आहार के अतिरिक्त प्राप्त होती है बकि बसा – 25 ग्राम सब्जियाँ –

18 ग्राम, दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं – 166 ग्राम, गुड – 53 ग्राम फल का आभाव है। यहाँ की मिट्टी दोमट होने के कारण पैदावार अच्छी होती है। सामाजिक अर्थिक दृष्टि से भी इस गांव में जीवन स्तर एवं रहन सहन ठीक है।

लेकिन नगर मुख्यालय से यातायात की सुविधा होने के कारण दूध, गुड चिकनाई की वस्तुएं बेच ली जाती है। जिससे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर शैक्षिक तथा चिकित्सालय एवं पशु अस्पताल की सुविधा उपलब्ध है।

सारिणी न० 5.10

सलेमाबाद गांव में प्रतिव्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति	संतुलित	अन्तर	औसत आपूर्ति औसत आपूर्ति अन्तर उभार		
				ग्रामों में	आहार ग्रामों में	ग्रामों में
अनाज	283	400	-117	990	1400	-410
दाल	236	85	+151	456	298	+158
बसा (धी, तेल)	12	40	-28	68	228	-160
सब्जियाँ	18	85	-67	18	85	-167
दूध और दूध से बनी वस्तुएं	53	284	-231	79	426	-347
गुड शकर	22	57	-35	88	228	-140
मांस मछली और अण्डा	153	85	+68	260	145	+115
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	55	114	-59	31	65	-34
फल	—	85	-85—	—	60	-60
योग	832	1235	-403	1990	3000	-1010

सलेमाबाद गांव अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम मे सनगांव न्याय पंचायत मे स्थित है। यहाँ दाल + 151 ग्राम तथा मांस मछली एवं अण्डे + 68 ग्राम की संतुलित आहार की अपेक्षा अतिरिक्त प्राप्ति हुई है। जबकि अनाज – 117 ग्राम, वसा धी तेल – 28 ग्राम सब्जियाँ 67 ग्राम दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं – 231 ग्राम, गुड शकर – 35 ग्राम, पत्तीदार हरी सब्जियाँ आदि का

आभाव पाया गया। सलेमाबाद गांव का विकास पहले से हुआ है। यहाँ पर शैक्षिक डाकधर यातायात की सुविधा है। सारिणी नो 5.10





सारिणी नो 5.11
पैना खुर्द गांव में प्रतिव्यक्ति संतुलित आहार का विवरण एवं मूल्यांकन 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	संतुलित आहार ग्रामों में	अन्तर उम्भांक	औसत आपूर्ति औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में	
				अन्तर उम्भांक	औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
अनाज	517	400	+117	1810	1400 +410
दाल	243	85	+158	814	298 +516
बसा (धी, तेल)	22	40	-18	125	228 -103
सब्जियां	16	85	-69	16	85 -69
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	83	284	-200	125	426 -301
गुड शंकर	4	57	-53	16	228 -212
मांस मछली और अण्डा	5	85	-80	9	145 -136
पत्तीदार और हरी सब्जियां	91	114	-23	52	65 -13
फल	16	85	-69	60	60 -
योग	997	1235	-238	3027	3000 -27

पैना खुर्द गांव अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण — पूर्व गाजीपुर न्याय पंचायत में स्थित है। यहाँ पर अनाज + 117 ग्राम दाल + 158 ग्राम संतुलित आहार की अतिरिक्त प्राप्ति हुई। जब कि बसा (धी — तेल) — 18 ग्राम सब्जियां — 65 ग्राम दूध एवं दूध से बनी वस्तुएँ — 200 ग्राम गुड (शक्कर) — 53 ग्राम मांस मछली एवं अण्डा — 80 ग्राम पत्तीदार एवं हरी सब्जीह — 23 ग्राम फल — 69 ग्राम संतुलित आहार का आभाव है। चित्र नो 5.2 अ

धधौरा गांव अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण में स्थित यहाँ पर अनाज + 104 ग्राम, बसा + 28 ग्राम मांस मछली एवं अण्डे + 19 ग्राम तथा पत्तीदार हरी सब्जी + 111 ग्राम अतिरिक्त प्राप्त होती है। जबकि दाल — 23 ग्राम सब्जियां — 73

तहसील फतेहपुर: युने हुए गाँवों में एक सामान्य व्यक्ति का वर्तमान, दैनिक आहार की आपूर्ति एवं मूल्यांकन(डा० एक्राइड के अनुसार) – 2001



ग्राम , दूध एवं दूध से बनी वस्तुएँ - 169 ग्राम , गुड - शक्कर - 12
ग्राम तथा फल आदि का आभाव पाया जाता है । (सरिणी नं० 5.12)

सारिणी नं० 5.12

घघौरा गांव में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्यांकन (ग्रामों में 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	सन्तुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति	औसत आपूर्ति ग्रामों में	अन्तर
अनाज	504	400	104	2412	1400	1012
दाल	62	85	.23	546	298	248
बसा (घी,तेल)	68	40	.28	240	228	12
सब्जियाँ	12	85	.73	71	85	.14
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	115	284	.169	176	426	.250
गुड शंकर	45	57	.12	584	228	180
मांस मछली और अण्डा	104	85	.19	182	145	37
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	225	114	.111	70	65	5
फल		85			60	.60
योग	1135	1235	.100	4281	3000	1281

सारिणी नं० 5.13

रारा गांव में प्रतिव्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्यांकन (ग्रामों में) 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	सन्तुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति	औसत आपूर्ति ग्रामों में	अन्तर
अनाज	174	400	.227	606	1400	.794
दाल	67	85	.18	368	298	.70
बसा (घी,तेल)	10	40	.30	57	228	.171
सब्जियाँ	20	85	.65	20	85	.65
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	337	284	.53	506	426	80
गुड शंकर	4	57	.53	8	228	.220
मांस मछली और अण्डा	20	85	.65	17	145	.128
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	46	114	.68	26	65	.39
फल	156	85	.71	26	60	.96
योग	834	1235	.401	156	3000	.1236

रारा गांव अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम फतेहपुर मुख्यालय के निकट ढकौली न्याय पंचायत में स्थित है। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ एवं आपरदन प्रभावित है। जिसके कारण जितना व्यक्ति को प्रतिदिन सन्तुलित आहार मिलना चाहिए नहीं मिलता है। अनाज - 227 ग्राम, दाल - 18 ग्रसम, वसा - 30 ग्राम, सब्जियाँ - 65 ग्राम, गुड - 53 ग्राम, मांस मछली एवं अण्डा - 65 ग्राम, पत्तीदार हरी सब्जी - 68 ग्राम आदि का आभाव है।
सारिणी नं 5.13

सारिणी नं 5.14

लमेहटा ग्राव में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्यांकन ग्रामों में 2001 एवं मूल्यांकन ग्रामों में 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	सन्तुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति	औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
अनाज	353	400	.47	1236	1400 .164
दाल	403	85	318	1411	298 1113
बसा (धी, तेल)	7	40	.33	40	228 .188
सब्जियाँ	117	85	.32	117	85 32
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	115	284	.169	176	426 .250
गुड शंकर	7	57	.50	28	228 .200
मांस मछली और अण्डा	5	85	.80	9	145 .136
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	282	114	168	161	65 96
फल		85			60 .60
योग	1289	1235	.754	3178	3000 178

लमेहटा गांव अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व गम्हरी न्याय पंचायत में यमुना नदी के कियनारे में स्थित है। यहाँ का धरातल उबड़ खबड़ अपरदन से प्रभावित है यहाँ पर जितना सन्तुलित आहार मिलना चाहिए नहीं मिलता है जिसके अन्तर्गत अनाज - 47 ग्राम, वसा - 33 ग्राम, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएँ - 169 ग्राम, गुड शक्कर - 50 ग्राम, मांस मछली एवं अण्डा 80 ग्राम फल आदि का आभाव है तथा दाल + 318 ग्राम, सब्जियाँ + 32 ग्राम पत्तीदार एवं हरी सब्जियाँ + 168 ग्राम सन्तुलित आहार के अतिरिक्त प्राप्त हुई। यह

गांव बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में बसा है। यहाँ यातायात तथा अन्य सुविधाओं से वंचित है। (सारिणी नो 5.14)

सारिणी नं 5.15





टीकर गांव में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्यांकन (ग्रामों में)
 औसत आपूर्ति संतुलित अन्तर औसत आपूर्ति औसत आपूर्ति अन्तर
 ग्रामों में आहार ग्रामों में ग्रामों में

खाद्य पदार्थ	568	400	168	1641	1400	241
अनाज	241	85	156	618	298	.320
दाल	27	40	.13	340	228	.112
बसा (धी, तेल)	10	85	.75	97	85	.12
सब्जियाँ	110	284	.175	650	426	.224
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	22	57	.35	324	228	.96
गुड शक्कर	145	85	60	199	145	.44
मांस मछली और अण्डा	86	114	.28	104	65	.39
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ		85		0	60	.60
फल						
योग	1209	1235	.26	3963	3000	963

टीकर गांव अध्ययन क्षेत्र के पूर्व – दक्षिण बहराम पुर न्याय पंचायत में स्थित हैं जिसके अन्तर्गत अनाज + 168 ग्राम , दालें + 156 ग्राम , मांस मछली एवं अण्डे + 60 ग्राम अतिरिक्त प्राप्त होती है जब कि बसा – 13 ग्राम , सब्जियाँ – 75 ग्राम दूध एवं दूध से बनी वस्तुएँ – 175 ग्राम , गुड शक्कर – 35 पत्तीदार हरी सब्जियाँ – 28 ग्राम तथा फलों का आभाव है। (सारिणी नो 5.15)

तारापुर गांव एक विकास खण्ड मुख्यालय भी है जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तर में है साथ ही साथ यह न्याय पंचायत भी है। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ एवं उषर भूमि युक्त है जिसके कारण जितना व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार मिलना चाहिए नहीं मिलता है। अनाज + 787 ग्राम , दाल + 95 , बसा – 17 ग्राम , सब्जियाँ – 66, गुड – 24 ग्राम, पत्तीदार हरी सब्जियाँ – 69 ग्राम आदि का आभाव पाया गया है। (सारिणी नो 5.16)

तेहसील फतेहपुरः युने हुए गाँवों में एक सामान्य व्यक्ति का वर्तमान दैनिक आहार की
आपूर्ति एवं मूल्यांकन (डा० एकाएल के अनुसार)–2001



सारिणी नं० 5.16

टीकर गांव में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्यांकन (ग्रामों में)

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	सन्तुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति ग्रामों में	औसत आपूर्ति ग्रामों में	अन्तर
दाल	180	85	95	603	298	350
बसा (घी,तेल)	23	40	.17	131	228	.97
सब्जियाँ	19	85	.66	19	85	.66
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	135	284	.149	202	426	.224
गुड शक्कर	33	57	.24	132	228	.96
मांस मछली और अण्डा	111	85	.26	189	145	44
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	45	114	.69	26	65	.39
फल		85	.		60	.60
योग	1024	1235	.211	2949	3000	.51

सारिणी नं० 5.17

मवई ग्रांव में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्यांकन (ग्रामों में)

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति ग्रामों में	सन्तुलित आहार ग्रामों में	अन्तर	औसत आपूर्ति ग्रामों में	औसत आपूर्ति ग्रामों में	अन्तर
दाल	368	85	283	556	298	258
बसा (घी,तेल)	84	40	44	245	228	.17
सब्जियाँ	27	85	.58	68	85	.17
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	126	284	.158	175	426	.251
गुड शक्कर	67	57	10	264	228	36
मांस मछली और अण्डा	162	85	.77	213	145	68
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	283	114	.168	131	65	.66
फल	25	85	.60	.	60	.60
योग	1374	1235	.139	2938	3000	.62

मवई गांव अध्ययन क्षेत्र के उत्तर - पूर्व में हसनपुर न्याय पंचायत मे स्थित है। जिसके अन्तर्गत दालें + 283 ग्राम, बसा + 44 ग्राम गुड शक्कर + 10 ग्राम , मांस मछली एवं अण्डे + 77 ग्राम , पत्तीदार हरी सब्जियाँ + 168 ग्राम अतिरिक्त प्राप्त हुईं । जबकि अन्य वस्तुओं का अभाव पाया जाता है।
(सारिणी नं० 5.17)

सारिणी नं० 5.18

सोखा गांव में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्याकन (ग्रामों में)

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति संतुलित अन्तर ग्रामों में	आहार ग्रामों में	औसत आपूर्ति ग्रामों में	औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
दाल	166	85	81	556 298 258
बसा (घी,तेल)	43	40	3	245 228 17
सब्जियाँ	8	85	.77	8 85 .77
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	117	284	.167	175 426 .251
गुड़ शक्कर	66	57	9	264 228 36
मास मछली और अण्डा	125	85	.40	213 145 68
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ		114	.	.
फल		85	.	60 .60
योग	1244	1235	9	3578 3000 978

सारिणी नं० 5.18 से यह स्पष्ट होता है। कि संतुलित आहार में सब्जियाँ – 77 ग्राम , दूध एवं दूध से बनी वस्तुएँ – 167 ग्राम , पत्तीदार हरी सब्जी एवं फलो आदि का अभाव पाया गया अन्य वस्तुओं की अतिरिक्त प्राप्ति हुई।
(सारिणी नं० 5.18)


सारिणी नं० 5.19

अयाह गांव-में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण मूल्याकन (ग्रामों में)


खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति संतुलित अन्तर ग्रामों में	आहार ग्रामों में	औसत आपूर्ति ग्रामों में	औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
दाल	178	85	53	506 298 208
बसा (घी,तेल)	21	40	.19	120 228 .108
सब्जियाँ	24	85	.61	24 85 .61
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	299	284	15	449 426 23
गुड़ शक्कर	24	57	.1	24 228 .204
मास मछली और अण्डा	123	85	38	7 145 138
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	165	114	51	97 65 22
फल	110	85	25	96 60 36
योग	1118	1235	.11	2327 3000 .683

अयाह गांव अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण अयाह न्याय पंचायत में स्थित है। यहाँ प्रति व्यक्ति संतुलित आहार में दाल + 93 ग्राम , दूध से बनी वस्तुएँ + 15


तेह सील फतेहपुरः चुने हुए गाँवों में एक खामान्य व्यक्ति का वर्तमान, दैनिक आहार की
आपूर्ति एवं मूल्याकान (डा० इक्राएल के अनुसार)–2001



अनाज दाल चमारिया साजियां दूध एवं प्रूद, मांस पत्तीदार फल
दूध से बनी शब्दकर गछली अंडा चांदी



अनाज दाल चमारिया साजियां दूध एवं प्रूद, मांस पत्तीदार फल
दूध से बनी शब्दकर गछली अंडा चांदी



अनाज दाल चमारिया साजियां दूध एवं प्रूद, मांस पत्तीदार फल
दूध से बनी शब्दकर गछली अंडा चांदी

ग्राम , मांस मछली अण्डे + 38 ग्राम पत्तीदार हरी सब्जी तथा फल अतिरिक्त प्राप्त हुई । अन्य वस्तुओं का अभाव पाया गया । (सारिणी नं० 5.19)

सारिणी नं० 5.20

ललौली ग्राव में प्रति व्यक्ति आहार का विवरण एवं मूल्यांकन (ग्रामों में) 2001

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति सन्तुलित अन्तर ग्रामों में आहार ग्रामों में	औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में	औसत आपूर्ति अन्तर ग्रामों में
दाल	66	85	.19
बसा (घी,तेल)	38	40	.2
सब्जियाँ	66	85	.19
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	86	284	.198
गुड़ शक्कर	66	57	9
मांस मछली और अण्डा	82	85	.3
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	12	114	.102
फल		85	
योग	1118	1235	.97
		3520	3000
			520

ललौली गांव अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण यमुना नदी के किनारे कोणडार न्याय पंचायत में स्थित है जिसमें दाले – 19 ग्राम, बसा – 02 ग्राम सब्जियाँ – 19 ग्राम, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएँ – 198 ग्राम, मांस मछली एवं अण्डे – 3 ग्राम पत्तीदार हरी सब्जी – 102 ग्राम का अभाव है जबकि अन्य वस्तुओं की अनिश्चित प्राप्ति होती है । (सारिणी नं० 5.20) ।

सरकण्डी गांव शीघ्र क्षेत्र के दक्षिण पूर्व यमुना नदी के किनारे जरौली न्याय पंचायत में स्थित है । जिसमें अनाज – 47 ग्राम, बसा – 33 ग्राम, दूध एवं दूध से नयी वस्तुएँ – 169 ग्राम, गुड़ शक्कर – 50 ग्राम, मांस मछली एवं अण्डे – 80 ग्राम का अभाव पाया जाता है जब कि अन्य वस्तुओं की अतिरिक्त प्राप्ति होती है । (सारिणी नं० 5.21) ।

सारिणी नं० 5.21

सरकण्डी ग्राम मे प्रति व्यक्ति आहार का विवरण (ग्राम मे)

खाद्य पदार्थ	औसत आपूर्ति सन्तुलित अन्तर		औसत आपूर्ति अन्तर		ग्रामों मे
	ग्रामों मे	आहार ग्रामों मे	ग्रामों मे	ग्रामों मे	
दाल	403	85	318	1411	298
बसा (घी,तेल)	7	40	.33	40	228
सब्जियाँ	117	85	32	117	85
दूध और दूध से बनी वस्तुएँ	115	284	.169	176	426
गुड शक्कर	7	57	.50	28	228
मांस मछली और अण्डा	5	85	.80	9	145
पत्तीदार और हरी सब्जियाँ	282	114	168	161	65
फल	.	85	.	.	60
योग	1289	1235	54	3178	3000
					178

5.2 वस्त्र

भोजन के बाद मानव की आधारभूत आवश्यकताओं के रूप मे वस्त्र का स्थान महत्वपूर्ण है। क्योंकि भोजन प्राप्त करने के बाद मानव को तन ढकने के लिए वस्त्र की ही आवश्यकता होती है। समाज मे प्रतिष्ठा वातावरणीय प्रभावों से वचत तथा अरिहार्य कारणों से मानव जीवन मे वस्त्र की नितान्त आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण बहुत से समाज शास्त्रियों, भूगोल वेत्ताओं एवं परिस्थितिकीय विद्वानों ने वस्त्र को मानव की अनिवार्य आवश्यकता माना है।

अध्ययन क्षेत्र की 55 न्याय पंचायती मे किये गये 15 गांवो के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहां वस्त्रों की तीन श्रेणियाँ हैं जिनमे सूती 51.80% ऊनी 19.88% तथा 28.32% रासानियक वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु यह प्रयोग नियमित न होकर वातावरण के अनुसार होता है। शोध क्षेत्र के अन्तर्गत संयुक्त परिवार प्रणाली मे अधिक लोगो के कारण वस्त्रों का स्तर मध्यम से सामान्य के बीच ही होता है। इस तथ्य की पुष्टि सारिणी नं० 5.22 से स्पष्ट होता है।

सारिणी नं० 5.22

सर्वेक्षित गांवो में वस्त्रों का विवरण 2001 (प्रतिशत में)

सारिणी नं० 5.22

सर्वेक्षित गांवो में वस्त्रों का विवरण

क्रम सं०	गांवो का नाम	सूती	रासायनिक	ऊनी
1	उदयराजपुर	55.9	23.4	20.7
2	मुस्तफापुर	50.70	31.80	17.50
3	खरगपुर	48.80	27.10	24.10
4	सलेमाबाद	55.77	25.73	19.50
5	पैना खुर्द	52.10	27.50	24.40
6	घघौरा	56.10	22.40	21.30
7	रारा	52.10	27.50	20.40
8	लमहेटा	52.50	26.90	20.60
9	टीकर	55.50	28.96	15.14
10	तारापुर भिटौरा	51.70	30.96	17.44
11	मवई	52.10	19.93	17.97
12	सांखा	50.00	27.80	22.20
13	अयाह	55.77	25.73	19.50
14	ललौली	50.00	27.80	22.20
15	सरकण्डी	51.80	28.32	19.88

सर्वेक्षित 15 शोवृं में 9185 परिवारों में 61446 वस्त्रों का प्रयोग किया गया है जिनमें सर्वाधिक सूती वस्त्रों का प्रयोग ही करने में

55.90% तथा सबसे कम खरगपुर 48.80% गांवो में हुआ। जबकि रासायनिक वस्त्रों का सर्वाधिक प्रयोग मुस्तफापुर 31.80% तथा सबसे कम मवई में 19.93% ऊनी वस्त्रों का सर्वाधिक प्रयोग खरगपुर में 24.10% तथा सबसे कम तारापुर भिटौरा 17.44% है। (सारिणी नं० 5.22)

5.2.1 जातिगत आधार पर वस्त्र :- सर्वेक्षित 15 गांवों के अध्ययन से स्पष्ट होता है। कि समस्त गांवों में जातिगत आधार पर 45.96 प्रतिशत सूती वस्त्रों का प्रयोग सर्वांग जातियों के द्वारा किया गया है। जिसमें सर्वाधिक सूती वस्त्रों का प्रयोग ब्रह्मण जाति में 22.79 प्रतिशत तथा सबसे कम श्रीवास्तव जाति में 1.70 प्रतिशत प्रयोग हुआ। पिछड़ी जातियों में 21.94 प्रतिशत सूती वस्त्रों का प्रयोग हुआ। जिसमें सर्वाधिक सूती वस्त्रों का प्रयोग यादव जाति में 10.09 प्रतिशत तथा सबसे कम नाई जाति में 0.65 प्रतिशत प्रयोग हुआ। अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 20.83 प्रतिशत सूती वस्त्रों का प्रयोग किया गया जिसमें सर्वाधिक पासी जाति में 15.61 प्रतिशत तथा सबसे कम धोबी जाति में 0.90 प्रतिशत सूती वस्त्रों का प्रयोग किया गया। (सारिणी नं 5.23)।

रासायनिक वस्त्रों का प्रयोग जातिगत आधार पर सर्वांग जाति में 46.81 वस्त्रों प्रयोग हुआ जिसमें सर्वाधिक क्षत्रीय जाति के पास 20.97 प्रतिशत तथा सबसे कम श्रीवास्तव जाति में 2.65 प्रतिशत किया गया। पिछड़ी जातियों में 33.12 प्रतिशत रासायनिक वस्त्रों का प्रयोग किया गया। जिसमें यादव जाति में 14.50 प्रतिशत तथा सबसे कम गडरिया जाति में 0.55 प्रतिशत प्रयोग किया गया। अनुसूचित जाति में 12.48 प्रतिशत रासायनिक वस्त्रों का प्रयोग किया गया। जिसमें सर्वाधिक पासी जाति में 6.29 प्रतिशत तथा सबसे कम धोबी जाति में 0.71 प्रतिशत प्रयोग किया गया। जबकि मुसलमानों ने 7.59 प्रतिशत रासायनिक वस्त्रों का प्रयोग किया गया। (सारिणी नं 5.23)।

ऊनी वस्त्रों का प्रयोग जातिगत आधार पर सर्वांग जाति में 45.20 प्रतिशत तथा पिछड़ी जातियों में 35.57 प्रतिशत एवं 13.64 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के द्वारा प्रयोग किया गया। मुस्लिम जातियों ने 5.58 प्रतिशत ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया। (सारिणी नं 5.23)।

इन वस्त्रों का प्रयोग गांवों में सबसे कम किया जाता है। जिसका मुख्य कारण इन वस्त्रों को केवल शीत ऋतु में ही प्रयोग में लाया जाता है।


सारिणी नं 5.23
सर्वेक्षित गांवों में जातिगत वस्त्रों का विवरण प्रतिशत में 2001

जातियाँ	सूती वस्त्र	रासायनिक वस्त्र	ऊनी वस्त्र
ब्राह्मण	22.79	18.52	21.18
क्षत्रिय	18.64	20.97	21.52
वैष्ण	02.83	4.65	0.92
श्रीवास्तव	1.7	2.65	1.58
सर्वर्ण	45.96	46.81	45.2
यादव	10.09	14.5	20.88
कुर्मी	3.57	6.64	7.36
लोधी	1.35	2.44	1.84
दर्जी	1.26	1.55	1.02
नाई	0.65	1.67	0.7
सोनार	1.53	2.27	1.18
लोहार	1.26	1.67	0.76
गड़रिया	0.87	0.55	0.95
कुम्हार	1.36	1.7	1.24
पिछड़ी	21.94	33.12	35.57
धोवी	0.9	0.71	1.08
चमार	10.32	4.73	5.49
पासी	15.61	6.29	6.13
मेहतर	2	0.76	0.95
अनुसूचित जाति	20.83	12.48	13.64
मुसलमान	3.26	7.59	5.58
योग	100	100	100


5.2.2 आर्थिक आधार पर वस्त्रों का प्रयोग —

सर्वेक्षित 15 गांवों में आर्थिक आधार पर वस्त्रों का प्रयोग 0,500 रुपये मासिक आय तक पाने वाले व्यक्तियों में जातिगत आधार पर सर्वाधिक क्षत्रीय जाति ने 19.58 प्रतिशत तथा सबसे कम गड़रिया जाति ने 0.57 प्रतिशत वस्त्रों का उपयोग किया। 500 - 1000 रुपये मासिक आय के अन्तर्गत सर्वाधिक ब्राह्मण जाति ने 18.32 प्रतिशत तथा सबसे कम गड़रिया जाति ने 0

सर्वेक्षित गांवों में निर्माण सामाग्री के आधार पर मकानों का प्रतिशत



सर्वेक्षित गांवों में वर्स्तों का विवरण 2001



87 प्रतिशत वस्त्रों का प्रयोग किया। 1000 – 1500 रुपये मासिक आय वर्ग के व्यक्तियों में जातिगत आधार सर्वाधिक ब्राह्मण जाति ने 21.52 प्रतिशत तथा सबसे कम धोबी जाति ने 0.79 प्रतिशत आर्थिक आधार पर वस्त्रों का प्रयोग किया। 1500 रुपये से अधिक मासिक आय वर्ग के व्यक्तियों ने जातिगत आधार पर सर्वाधिक ब्राह्मण जाति ने 33.90 प्रतिशत तथा सबसे कम नाई जाति में 0.98 प्रतिशत वस्त्रों का प्रयोग किया। तथा लोधी, लोहार, गड़रिया, धोबी, मेहतर आदि में इस आय वर्ग के अन्तर्गत वस्त्रों की नगण्यता पायी गयी। (सारिणी नं० 5.24)।

सारिणी नं० 5.23

सर्वेक्षित गांव में आर्थिक आधार पर वस्त्रों का विवरण प्रतिशत में 2001

जांतियाँ	0-500	500-1000	1000-1500	1500 से अधिक
ब्राह्मण	11.72	18.32	21.52	33.9
क्षत्रिय	19.58	17.85	19.07	24.1
वैष्ण	1.14	1.63	4.85	3.72
श्रीवास्तव	0.62	1.45	2.9	2.5
यादव	10.96	16.17	18.38	5.35
कुर्मी	5.9	5.8	4.72	4.32
दर्जी	1.15	2.98	1.26	1.22
नाई	0.91	2.09	0.93	0.98
लोधी	0.76	1.81	1.81	0
सुनार	2.29	1.82	1.29	1.35
लोहार	2.35	1.75	1.73	0
गड़रिया	0.57	0.87	1.18	0
कुम्हार	0.86	1.33	1.77	1.62
धोबी	1.41	1.25	0.79	0
चमार	14.19	8.06	5.8	4.32
पासी	20.91	9.33	7.99	8.96
मेहतर	1.05	2.36	1.81	0
मुसलमान	4.65	4.92	3.1	7.66
योग	100	100	100	100

5.2.3 शैक्षिक आधार पर वस्त्रों का प्रयोग —

अध्ययन क्षेत्र के 15 गांवों से स्पष्ट होता है। कि जातिगत आधार पर शिक्षा की दृष्टि से प्राथमिक जूनियर स्तर पर सर्वाधिक यादव जाति ने 20.41 प्रतिशत तथा सबसे कम धोबी जाति ने 0.55 प्रतिशत वस्त्रों का प्रयोग किया। सेकेण्डरी स्तर पर सर्वाधिक ब्राह्मण जाति ने 30.83 प्रतिशत तथा सबसे कम गड़रिया जाति ने 0.33 प्रतिशत वस्त्रों का प्रयोग किया। इण्टरमीडिएट स्तर पर सर्वाधिक ब्राह्मण जाति ने 36.26 प्रतिशत तथा सबसे कम मेहतर जाति मे 0.02 प्रतिशत वस्त्रों का प्रयोग किया। उच्च एवं तकनीकी शैक्षिक आधार पर सर्वाधिक वस्त्रों का प्रयोग ब्राह्मण जाति ने 40.81 तथा सबसे कम कुम्हार जाति ने 0.11 प्रतिशत वस्त्रों का प्रयोग किया। (सारिणी नम्बर 5.25)

सारिणी नं 5.25

सर्वेक्षित गांवों में शैक्षिक आधार पर वस्त्रों का प्रयोग प्रतिशत में 2001

जातियाँ	प्राथमिक जूनियरहायर सेकेण्डरी	इण्टरमीडिएट	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
ब्राह्मण	19.51	30.83	36.26
क्षत्रिय	18.34	29.31	27.67
वैष्य	3.75	1.89	1.32
श्रीवास्तव	2.05	1.83	1.78
यादव	20.41	10.12	13.20
कुर्मा	6.62	7.55	3.02
दर्जी	1.76	1.99	1.89
नाई	1.18	1.32	1.32
लोधी	0.82	0.45	0.74
सुनार	1.16	1.15	0.93
लोहार	0.84	0.45	0.56
गड़रिया	0.71	0.33	0.00
कुम्हार	2.06	0.54	0.35
धोबी	0.55	0.44	0.15
चमार	4.98	3.65	2.86
पासी	5.79	3.58	3.87
मेहतर	0.89	0.44	0.02
मुसलमान	8.57	4.1	4.04
योग	100.00	100.00	100.00
		100.00	100.00

5.3 आवास

भौगोलिक तत्व के रूप में गृह के अन्तर्गत मानव द्वारा निर्मित वास गृह (जो कि साधारण कुटी से उच्च अट्टालिकाओं तक होते हैं) के अन्तर्गत सभी इसकी मानवीय संरचना को जहां मानव समावेश होता है तथा अपनी वस्तुओं को एकत्रित करता है (जैसे विद्यालय, कारखाना, यन्त्रागार मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर विविध प्रकार के गोदामों आदि) को भी सम्मानित किया जाता है।⁷ इस प्रकार गृह सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रमुख तत्व होने के कारण मानव और उसके वातावरण के जटिल सम्बन्धों को भी परिवर्तित करते हैं। अतः भूगोल वेत्ता के लिए गृह मुख्यतः एक तत्व है जो कि जनपद की भौतिक अवस्थाओं और उनके निवासियों की संरक्षियता को प्रकट करता है⁸ – आश्रय मानव जीवन की महत्वपूर्ण और मूलभूत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने उपलब्ध पदार्थों का प्रयोग करते हुए देश कालीन परिस्थियों के अनुरूप विविध प्रकार के आश्रयों का निर्माण किया और अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए मन्दिर राज भवन सरकारी भवन तथा आदि प्रकार की रचनायें की।⁹

– इस तरह आश्रय भूतकाल की सांस्कृतिक धरोहर और परम्परा के उत्तर जीवित अवशेष हैं।¹⁰

– निफिन एफ० वी०।¹¹

– के अनुसार यह धरोहर प्रचिलित रीति प्रकार्यात्मक अवश्यकता असांस्कृतिक वातावरण और भूतकालीन सांस्कृतिक धरोहर के धनात्मक और ऋणात्मक पक्षों को परिवर्तित करते हैं।

मानव सभ्यता के अवशेष गृहों के अमाप छत दीवार द्वारा मार्ग तथा अन्य वस्तु कलात्मक अभिकृत्यों द्वारा परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार गृह इकाई और प्रथक और स्वतंत्र स्थान है।¹² – इसका उपयोग निवास के लिए किया जाता है।

5.3.1— मकानों के प्रकार और उनका वितरण

मकान में गृह एक विशिष्ट रचना है। जिस पर उपजब्द निर्माण सामग्री और उसके प्रति मारन की अनुक्रिया का व्यापक प्रभाव दृष्टि गोचर होता है तथा जिसमें एक या एक से अधिक गृहस्थी / गृहस्थ रहते हैं। इस प्रकार गृह को एक या एक से अधिक गृहस्तों के आवास क्षेत्र के रूप में अभिकल्पित किया जा सकता है।¹³

— अतएव मकान के प्रकारों का अध्ययन निम्न आधारों पर किया जाता है।

अ — अमाप और आकार

ब — निर्माण पदार्थ

स — लोक परम्परा

द — सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक गृण करील एवं करील¹⁴ — ने विभाजन का नया आधार माना है। जिसे उन्होंने वस्तुकालात्मक शैली के आधार पर वर्गीकरण किया है।

हार्ट मैन और कुक¹⁵ — ने आवासन की पर्याप्ता के आधार पर वर्गीकरण को श्रेष्ठकर मानते हुए मानक कुक्त आवासन का अध्ययन प्रस्तुत किया है।

5.3.1.1 अमाप एवं आकृति के अनुसार मकानों के प्रकार


सामाजिक सांस्कृतिक गुण आर्थिक आवस्थाये आदि ग्रामीण आवासों के अमाप और अभार निर्धारणमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जाति संरचना के आधार पर ग्रामीण गृहों को दिखलाया गया है। ग्रामीण आवासों में अमाप राजमहलों से लेकर झोपड़ी तक हो सकते हैं। इनको छह को कोटियों में विभाजित किया गया है। अग्राम युक्त आवास बैठक रसोई घर, स्नान घर, शौचालय एवं भण्डारण (कृषि उत्पाद एवं पशुओं के चारे के लिये मकान) में किया गया है।

सारणी नं० 5.25

सर्वोक्षित शोवों में जातिगत आँगन युक्त आवास 2001

जातियां	कुल आवास	आँगन	आँगन का प्रतिशत	कुल आँगन युक्त आवासों का प्रतिशत
ब्राह्मण	1198	1140	95.16	15.07
क्षत्रिय	1168	1104	94.52	14.59
वैश्य	423	400	94.56	5.29
श्रीवास्तव	85	80	92.12	1.06
यादव	806	789	97.89	10.43
कुर्मी	336	308	91.67	4.07
लोधी	232	204	87.93	2.70
दर्जी	146	110	75.34	1.45
नाई	121	102	84.30	1.35
सुनार	119	114	95.80	1.50
लोहार	163	111	68.09	1.47
गडरिया	154	112	72.72	1.48
कुम्हार	207	154	74.40	2.04
चमार	1326	1006	75.87	13.30
पासी	1120	867	77.41	11.46
धीबी	141	88	62.41	1.16
मेहतर	50	12	24.00	0.16
मुसलमान	1275	708	55.53	9.36
अन्य	249	156	62.65	2.06
योग	9319	7565	81.18	100

तहसील फतेहपुर : प्रति व्यवित आवासों का विवरण
1991



चित्र संख्या - 5.4

5.3.1.2 आँगन युक्त आवास

आँगन मकान का प्रमुख अंग है। जो प्रायः मकान के मध्य आयाता कार या वर्गा कार खुले स्थान के रूप में होता है।¹⁶ – सर्वेक्षित गाँवों के कुल आवासों में 7565 (81.18 %) मकान आँगन युक्त है। जिसमें सर्वाधिक ब्राह्मण जाति के पास 15.07% तथा सबसे कम मेहतर जाति के पास कम 0.16% आँगन युक्त आवास है। सारणी नं० (5.25) से स्पष्ट है।

सारणी नं० 5.26

सर्वेक्षित गाँवों में आँगन युक्त आवास 2001 (% में)

आँगन युक्त आवास का प्रतिशत	सर्वेक्षित गाँवों की संख्या	प्रतिशत	गाँव का नाम
60 से कम	3	20.00	ललौली, तारापुर, सांखा
60 – 70	5	33.33	सरकण्डी, अयाह, मवई, रारा, घघौरा
70 – 80	4	26.67	लमेहटा, टीकर, मुस्तफापुर, उदयराजपुर
80 से अधिक	3	20.00	खरगपुर, सलेमाबाद, पैनाखुर्द
योग	15	100	

उपरोक्त सारणी नं० 5.26 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गाँवों में 60 प्रतिशत से कम आँगन युक्त आवास के अन्तर्गत तीन गाँव सम्मिलित हैं। तथा 80 प्रतिशत से अधिक आँगन युक्त आवासों के अन्तर्गत तीन गाँव खरकपुर, सलेमाबाद, पैनापुर हैं। जिसका प्रमुख कारण यह है कि यहां पर आवास युक्त भूमि की अधिकता एवं सस्ती है।

सारिणी नं० 5.26

सर्वेक्षित गांवों में बैठक युक्त आवास 2001

जातियां	आवास संख्या	प्रतिशत	बैठक संख्या	प्रतिशत
ब्राह्मण	1198	12.86	1155	96.41
क्षत्रिय	1168	12.53	1148	98.29
वैश्य	423	4.54	403	95.27
श्रीवास्तव	85	0.91	79	5.94
यादव	806	8.65	767	95.16
कुर्मी	336	3.61	300	89.29
लोधी	232	2.49	148	63.79
दर्जी	146	1.57	103	70.55
नाई	121	1.30	89	73.55
सुनार	119	1.28	99	83.19
लोहार	163	1.75	68	41.72
गड़रिया	154	1.64	48	31.17
कुम्हार	207	2.22	114	55.07
चमार	1326	14.23	543	40.95
पासी	1120	12.02	412	36.79
धीबी	141	1.51	93	62.95
मेहतर	50	0.54	4	8.00
मुसलमान	1275	13.68	1022	80.16
अन्य	249	2.67	48	19.28
योग	9319	100.00	6643	71.28

5.3.1.3 बैठक या चौपाल

जिस प्रकार आवासों के आन्तरिक संरचना में आंगन का विशेष महत्व है। उसी प्रकार आवास के बाहर संरचना में बैठक या चौपाल का विशेष महत्व है। सर्वेक्षित 15 गांवों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 9319 आवासों में से 6643 (71.28%) बैठका युक्त है।

सारणी नं० 5.26 से स्पष्ट होता है कि जाति के आधार पर सबसे अधिक ब्राह्मण जाति के पास कुल आवासों (1198) में से 1155 (96.41%) बैठका युक्त है। एवं सबसे कम मेहतर जाति के पास (50) में से 4 (8.00 प्रतिशत) बैठका युक्त आवास उपलब्ध है।

सारणी नं० 5.27

सर्वेक्षित गांवों में स्नान गृह से युक्त आवास 2001

स्नान गृह				
जातियां	आवास संख्या	संख्या	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
ब्राह्मण	1198	485	40.48	26.84
क्षत्रिय	1168	503	40.06	27.84
वैश्य	423	83	19.62	4.59
श्रीवास्तव	85	34	40.00	1.88
यादव	806	103	12.78	5.70
कुर्मी	336	86	25.60	4.76
लोधी	232	44	18.96	2.43
दर्जी	146	13	8.90	0.72
नाई	121	6	4.96	0.33
सुनार	119	52	43.70	2.88
लोहार	163	11	6.75	0.61
गड़रिया	154	13	8.44	0.72
कुम्हार	207	18	8.69	1.00
चमार	1326	103	7.77	5.70
पासी	1120	94	8.39	5.20
धीबी	141	—	0.0	—
मेहतर	50	—	—	—
मुसलमान	1275	148	11.61	8.19
अन्य	249	11	4.42	0.61
योग	9319	1807	19.39	100.00

5.3.1.4 स्नान गृह –

अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षित गांवों से स्पष्ट होता है कि इन गांवों के आवासीय 9319 परिवारों में से मात्र 1807 आवासों में स्नान युक्त गृह हैं जातिगत आधार पर सर्वाधिक स्नान युक्त गृह क्षत्रिय जाति के पास 503 (27.84 प्रतिशत) तथा सबसे कम नाई जाति के पास 6 (0.33) स्नान युक्त गृह हैं। जबकि धीबी एवं मेहतर जातियों में स्नान युक्त गुहों की नगण्यता पायी जाती है। सारिणी नं० 5.27 से स्पष्ट है।

सारिणी नं० 5.28

सर्वेक्षित गांवों में शौचालय युक्त आवास 2001

जातियां	आवास संख्या	शौचालय		अस्थायी	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ब्राह्मण	1198	715	23.90	38	19.19
क्षत्रिय	1168	784	26.20	44	22.22
वैश्य	423	130	4.34	9	4.55
श्रीवास्तव	85	46	1.54	12	6.06
यादव	806	113	3.78	20	10.10
कुर्मी	336	186	6.22	13	6.55
लोधी	232	88	2.94	5	2.52
दर्जी	146	12	0.40	4	2.02
नाई	121	21	0.70	6	3.03
सुनार	119	36	1.20	19	9.60
लोहार	163	9	0.30	8	4.04
गडरिया	154	34	1.14	12	6.06
कुम्हार	207	45	1.50	8	4.04
चमार	1326	218	7.29	0	—
पासी	1120	183	6.11	—	—
धीबी	141	6	0.20	—	—
मुसलमान	1275	344	11.50	—	—
अन्य	249	22	0.74	—	—
योग	9319	2992	100.00	198	100.00

5.3.1.5 शौचालय युक्त आवास –

अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षित 15 ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 9319 आवासों में से 2991 में से (32.11 प्रतिशत) स्थाई एवं 198 (2.12प्रतिशत) अस्थाई शौचालय पाये जाते हैं। जातिगत आधार पर सबसे अधिक स्थाई शौचालय ब्राह्मण जाति में 715 (23.90 प्रतिशत) एवं सबसे कम धोवी जाति में 6 (0.20 प्रतिशत) पाये जाते हैं। जबकि अस्थाई शौचालयों में सबसे अधिक क्षत्रिय जाति के पास 44 (22.22 प्रतिशत) तथा सबसे कम दर्जी जाति में 4 (2.02 प्रतिशत) पाये जाते हैं। जबकि धोबी, चमार, पासी, मुसलमान तथा अन्य जातियों में अस्थाई शौचालयों की नगण्यता पायी जाती है। सारिणी नं० 5.28

सारिणी नं० 5.29

सर्वेक्षित गांवों के आवासों में कमरों या दालाने 2001

कमरों का कोटिमान	आवास संख्या	प्रतिशत
0 – 4 से कम	4692	50.35
4 – 6	2402	25.77
6 – 8	1356	14.55
8 से अधिक	869	9.33
	9319	100.00

5.3.1.6 कमरे या दालाने –

सारिणी नं०5.29 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित 15 गांवों के 9319 आवासों में कमरों की कोटि समूह का निर्धारण किया गया है। जिसमें 4 से कम कमरे या दालाने 4692 (50.35 प्रतिशत) आवासों में हैं। 4 – 6 कमरों या दालानों वाले मकानों के अन्तर्गत 2402 (25.77 प्रतिशत) मकान हैं तथा 6 – 8 कमरों या

दालानों से युक्त मकानों के अन्तर्गत 1356 (14.55%) हैं एवं 8 से अधिक कमरों या दालानों वाले माकानों के अन्तर्गत 869 (9.33%) मकान हैं।

सारणी नम्बर 5.30 के अन्तर्गत सर्वेक्षित 15 गावों के आवासों में कमरों या खम्सारों का विवरण दिया गया है। जिसके अध्यन से स्पष्ट होता है कि कुल 9319 आवासों में 52278 कमरे एवं दालानें हैं जिसमें 4834 कच्चे आवासों में 28478 कमरे या दालानें 3141 पक्के आवासों में 18125 कमरे या दालाने 1120 मिश्रित अवासों में 5627 दालानें तथा छपपर दार एवं अन्य अवासों में 42 कमरे व दालानें हैं। सर्वेक्षित 15 गावों के कच्चे आवासों में सर्वाधिक दालानें सरकण्डी 5447 दालानें तथा सबसे कम उदयराजपुर में 114 दालाने हैं।

सरणी नम्बर 5.30

सर्वेक्षित गावों – आवासों में कमरे या खम्सारों का विवरण 2001

क्र० सं०	गांव का नाम	कब्ज्या अवास	पवक्या अवास	मिश्रित अवास	छप्पर दार आवास	कुल योग
		संख्या	कमरा सं०	संख्या	कमरा सं०	संख्या
1	उदयराज पुर	19	114	20	140	15
2	मुस्तफा पुर	58	353	44	228	36
3	खरग पुर	14	625	88	466	60
4	सतोमा बाद	87	548	55	297	32
5	पैना खुट्ट	94	479	67	408	41
6	घघौरा	103	648	73	423	36
7	टीकर	286	1773	175	945	38
8	रारा	308	1848	197	1063	68
9	लमेहटा	297	1782	183	988	56
10	तारा पुर	386	2238	293	1670	89
11	मवई	374	2113	246	1462	82
12	सांख्या	468	2854	301	1685	103
13	अयाह	411	2548	323	1841	89
14	ललोली	946	5108	544	3264	170
15	सरकारी	893	5447	532	3245	205
		4834	28478	3141	18125	1120
					5627	224
					42	42
					9319	52278

पक्के आवासों के अन्तर्गत सर्वाधिक ललौली गांव में 3264 कमरे तथा सबसे कम उदयराज पुर में 140 कमरे हैं मिश्रित आवासों के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकणडी 1148 दालानें तथा सबसे कम उदय राज पुर में 106 दालानें या कमरे हैं।

सरणी नम्बर 5.31

सर्वेक्षित गावों में जातीय आधार पर आवासों में कमरों का विवरण 2001

जातियां	कमरों या दालानों की संख्या								अवास योग सं0	
	4 से कम		4 – 6		6 – 8		8 से अधिक			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
ब्राह्मण	272	5.80	304	12.66	312	23.01	310	35.69	1198	
क्षत्रिय	176	3.75	351	14.61	293	21.61	348	40.05	1168	
वैश्य	53	1.13	164	6.83	195	14.38	11	1.27	423	
श्रीवास्तव	28	0.60	15	0.62	33	2.43	9	1.03	85	
यादव	181	3.86	371	15.44	186	13.72	68	7.83	806	
कुमीं	123	2.62	113	4.70	79	5.83	21	2.42	336	
लोधी	115	2.45	68	2.83	43	3.17	6	0.69	232	
दर्जी	119	2.54	23	0.96	4	0.29	—	—	146	
नाई	76	1.62	42	1.75	3	0.22	—	—	121	
सुनार	106	2.26	12	0.50	—	0.00	1	0.12	119	
लोहार	112	2.39	51	2.12	—	0.00	—	—	163	
गङ्गरिया	109	2.32	33	1.27	11	0.81	1	0.12	154	
कुम्हार	125	2.66	48	2.00	23	1.70	11	1.27	207	
धीबी	78	1.66	63	2.62	—	0.00	—	—	141	
चमार	1171	24.96	142	5.91	10	0.74	3	0.35	1326	
पासी	1005	21.42	89	3.70	21	1.55	5	0.58	1120	

मेहतर	45	0.95	5	0.21	-	0.00	-	-	50
मुसलमान	577	12.30	489	20.36	135	9.96	74	8.52	1275
अन्य	221	4.71	19	0.79	8	0.59	1	0.12	249
योग	4692	100	2402	100	1356	100	869	100	9319

5.3.1.7 जातिगत आधार पर कमरों या दालानों का विवरण

सर्वेक्षित 15 गावों के अध्यन से स्पष्ट होता है कि 9319 आवासीय माकानों में 4 से कम दालानें व कमरों की संख्या 4692 है 4 – 6 कमरों या दालानों के अन्तर्गत 2402 आवास हैं 6 – 8 कोटि समूह के अन्तर्गत 1356 आवास आते हैं तथा 8 कमरों या दालानों वाले 869 आवास हैं। (सारणी नं 05
31)

सरणी नम्बर 5.32

सर्वेक्षित गावों में आवासों का विवरण

आवासों का विवरण	आवास संख्या	प्रतिशत
कच्चे मकान	4834	51.87
पक्के मकान	3141	33.71
मिश्रित मकान	1120	20.02
छप्पर झोपड़ी वाले आवास	224	2.40
	9319	100.00

सर्वेक्षित गावों में निर्माण सामग्री के आधार पर मकानों का प्रतिशत

क्र०स	गांव का नाम	कच्चा अवास	पक्का अवास	मिश्रित अवास	छप्पर दार आवास
0					
1	उदयराज पुर	57	19	33.33	20
2	मुस्तफा पुर	150	58	38.67	44
3	खरग पुर	284	104	36.62	88
4	एलेमा बाद	180	87	48.33	55
5	पैना खुट्ट	206	94	45.63	67
6	घघोरा	222	103	46.40	73
7	टीकर	504	286	56.75	175
8	रारा	584	308	52.74	197
9	लमेहटा	557	297	53.32	183
10	तारा पुर	772	386	50.00	293
11	मवई	710	374	52.68	246
12	सांखा	894	468	52.35	301
13	अयाह	828	411	49.64	323
14	ललौली	1692	946	55.91	544
15	सरकाँडी	1679	893	53.19	532
	योग	9319	4834	51.87	3141
				33.71	1120
				12.02	224
					2.40

सारणी नम्बर 5.32 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित 15 गांवों में कच्चे माकान 4834 (51.87 %) है पक्के माकान 3141 (33.71 %) है। तथा मिश्रित माकान 1120 (20.02 %) है। एवं छपर झोपड़ी वाले माकान 224 (2.40 %) है।

सारणी नम्बर 5.33 से स्पष्ट होता है। कि सर्वेक्षित 15 गांवों में निर्माण सामग्री के आधार पर सर्वाधिक कच्चे माकानों का प्रतिशत ललौली में 55.91 % तथा सबसे कम उदयराज पुर में 33.33 % कच्चे आवास है। पक्के आवासों के अन्तर्गत सर्वाधिक प्रतिशत अयाह में 39.01 % तथा सबसे कम मुस्तफापुर में 29.33 % पक्के आस है। तथा मिश्रित आवासों का सर्वाधिक प्रतिशत उदयराजपुर गांव में 26.32 % तथा सबसे कम टीकर गांव में 7.54 % मिश्रित आवास है। एवं छपर झोपड़ी युक्त आवासों का सर्वाधिक प्रतिशत खरगपुर गांव में 11.26 % तथा सबसे कम तारापुर में 0.52 % छपर एवं झोपड़ी दार आवास है।

सारणी नं० 5.34

सर्वेक्षित गांवों में पक्के आवासों का विवरण 2001

कुल आवासों में पक्के आवासों का प्रतिशत	पक्के मकान संख्या	प्रतिशत	गांव की संख्या	गांव का नाम
35 से अधिक	504	16.05	3	सांखा, लमेहटा, उदयपुर,
30 – 35	2593	82.55	10	सरकण्डी, अयाह, मवई, तारापुर, रारा, टीकर, घघौरा, पैना खुदू, सलेमाबाद, खरगपुर, ललौली।
30 से कम	44	14.40	2	मुस्तफापुर, ललौली
योग	31.41	100.00	15	

सारिणी नं० 5.35

सर्वेक्षित गांवो में मिश्रित आवासों का विवरण 2001

कुल आवासों में मिश्रित आवासों का प्रतिशत	मिश्रित संख्या	आवास प्रतिशत	गांवों की संख्या	गांवों का नाम
30 से अधिक	111	9.91	3	खरगपुर, मुस्तफापुर, उदयपुर
12 – 30	314	28.04	4	सरकण्डी, घघौरा, पैनाखुर्द, सलेमाबाद
12 से कम	695	62.05	8	तारापुर, लमेहटा, रारा, टीकर, ललौली, अयाह, सांखा, मद्वई
योग	1120	100.00	15	

सारिणी नं० 5.34 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवो में 35 प्रतिशत से अधिक पक्के आवास वाले तीन गांवो के पास 16.05 प्रतिशत पक्के आवास है। जबकि 30.35 प्रतिशत के मध्य पक्के आवास वाले 10 गांव हैं। जिनके पास 82.55 प्रतिशत पक्के आवास हैं। 30 प्रतिशत से कम पक्के मकान के अन्तर्गत एक गांव है। जिसके पास 14.40 प्रतिशत पक्के आवास हैं।

मिश्रित आवासों के अन्तर्गत 20 से अधिक आवास वाले गांव हैं। जिनके पास 9.91 प्रतिशत आवास हैं 12–20 मिश्रित आवासों के अन्तर्गत चार गांव हैं। जिनके पास 28.04 प्रतिशत आवास हैं तथा 12 से कम मिश्रित आवासों के अन्तर्गत 8 गांव आते हैं। जिनके पास 62.05 प्रतिशत मिश्रित आवास हैं। सारिणी नं० 5.35 ।

सारिणी नं० 5.36

सर्वेक्षित गांवों में छपपर झोपड़ी वाले आवासों का विवरण 2001

कुल आवासों में झोपड़ी छप्परदार आवासों का प्रतिशत	छपपर झोपड़ी वाले आवास संख्या	प्रतिशत	गांव की संख्या	गांव का नाम
50 से अधिक	47	20.98	3	उदयपुर, मुस्तफापुर, खरगपुर
3 – 5	37	16.52	3	लमेहटा, धधौरा, सलेमाबाद
8 से कम	140	62.50	9	सरकण्डी, ललौली, अयाह, सांखा, मवई, तारापुर, रारा, टीकर, पैनाखुर्द
योग	224	100.00	15	—

सारिणी नं० 5.37

सर्वेक्षित गावों में कच्चे आवासों का विवरण 2001

कच्चे आवासों का कोटिमान प्रतिशत	कच्चे आवास संख्या	प्रतिशत	गांवों की संख्या	गांव का नाम
50 से अधिक	3572	73.89	7	सरकण्डी, ललौली, सांखा, मवई, लमेहटा, रारा, टीकर
40 – 50	1081	22.37	5	सलेमाबाद, पैनाखुर्द, धधौरा, तारापुर, अयाह
40 से कम	181	3.74	3	उदयपुर, मुस्तफापुर, खरगपुर
योग	4834	100.00	15	—

सारिणी नं० 5.36 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों में 5 प्रतिशत से अधिक छप्पर झोपड़ी वाले आवास के गांवों में 47 (20.98 प्रतिशत) आवास है। 3—5 छप्पर एवं झोपड़ी वाले आवासों के अन्तर्गत तीन गांवों में 37 (16.52 प्रतिशत) आवास है। उसे कम कोटिमान के अन्तर्गत 9 गांवों में 140 (62.50 प्रतिशत) छप्पर झोपड़ी वाले आवास है।

सारिणी नं० 5.37 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक कच्चे आवास 7 गांवों में 3572 (73.89 प्रतिशत) आवास है। 40 से 45 प्रतिशत वाले कच्चे आवासों के अन्तर्गत 5 गांवों में 1081 (22.37 प्रतिशत) आवास है। जबकि 40 प्रतिशत से कम कच्चे आवास वाले तीन गांवों में 181 (3.74 प्रतिशत) कच्चे आवास वाले हैं।

सारिणी नं० 5.38

सर्वेक्षित गांवों में पशुओं की आवासीय व्यवस्था 2001

जांतिया	आवासीय मकानों के साथ पशु	पशुओं की आवासीय मकान से अलग व्यवस्था		आवासीय परिवार	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ब्राह्मण	262	4.41	9.36	27.68	1198
क्षत्रिय	314	5.29	834	25.25	1168
वैश्य	204	3.44	219	6.47	423
श्रीवास्तव	40	0.67	45	1.33	85
यादव	336	5.67	470	13.89	806
कुर्मी	112	1.88	224	6.62	336
लोधी	145	2.44	87	2.57	232
दर्जी	105	1.77	41	1.21	146
नाई	99	1.67	22	0.65	121
सुनार	110	1.85	09	0.27	119
लोहार	140	2.36	23	0.68	163
गड़रिया	143	2.41	11	0.33	154
कुम्हार	189	3.18	18	0.53	207
धोबी	136	2.29	05	0.15	141
चमार	1294	21.80	32	0.95	1326
पासी	1055	17.77	65	1.92	1120
मेहतर	43	0.72	07	0.21	50
मुस्लिम	972	16.37	303	8.96	1275
अन्य	238	4.01	11	0.33	249
योग	5937	100.00	3382	100.00	9319

सारिणी नं० 5.39

फतेहपुर तहसील – प्रतिब्यक्ति – प्रति आवास का विवरण 1991

प्रतिब्यक्ति आवास	आवास संख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत का नाम
5.55 से अधिक	40636	42.15	425955	65.42	24	रावतपुर, काँधी, कोराई, अलावलपुर, खाँनपुर, तेलियानी, सनगांव, तारापुर, तालीबपुर, जमरावाँ, बड़नपुर, कुशुम्भी, खेसहन, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, अयाह, महना, चकस्करन, गाजीपुर, गभरी, शांखा, कोण्डार, कोर्कनक, सर्वल, असोथर, जरौली
5.05—5.55	31479	32.66	112676	17.31	18	देवरीलक्ष्मनपुर, बरारी, लोहारी, चितीसापुर, हसनपुर, हुसेनगंज, फर्सी, मुहम्मदपुर बुजुर्ग, ढकौली, बड़नपुर, हसवां, सनगांव, खुमारीपुर, बहरामपुर, सिमरी, सातोजोगा, नरैनी, शाह, बहुआ,
5.05 से कम	24273	25.19	112456	17.27	13	मोहनखेड़ा, मथइयांपुर, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, लतीरपुर, मुरांव, ख्वाजीपुर सेमरैया, थरियांव, चुरियानी, बड़ागांव, मुत्तौर, दत्तौली, कधियां।
योग	46388	100.00	651087	100.00		

5.3.1.8 पशुओं की आवासीय व्यवस्था

सर्वेक्षित 15 गांवों में (63.71 प्रतिशत) 5937 आवासीय मकानों में पशु रखे जाते हैं। जातिगत आधार पर देखा जाय तो सर्वाधिक चमार जाति के पास 21.80 प्रतिशत (1294) तथा सबसे कम पशु श्रीवास्तव जाति में 0.67 प्रतिशत (40) आवासों में पशुओं को अलग रखने की व्यवस्था नहीं है।

जबकि सर्वेक्षित गांवों की आवासीय मकानों से अलग 3382 (36.29) आवासों में अलग पशुओं को रखने की व्यवस्था है। जातीय आधार पर देखा जाय तो पशुओं को अलग रखने की व्यवस्था सर्वाधिक ब्राह्मण जाति के पास (27.64 प्रतिशत) सबसे कम धोबी जाति के पास (0.15 प्रतिशत) आवासीय मकानों से अलग पशुओं को रखने की व्यवस्था है। (सारिणी नं 0 5.38)।

5.3.2 प्रतिव्यक्ति आवास —

अध्ययन क्षेत्र में 538 गांवों में 651087 जनसंख्या एवं 96388 आवासीय गृह हैं। जिसमें प्रतिगांव का औसत 1210 जनसंख्या गांव में निवास करती है। जबकि प्रतिव्यक्ति प्रति मकान का औसत 7 व्यक्ति आवास करते हैं।

सारिणी नं 0 5.39 से स्पष्ट होता है कि प्रतिव्यक्ति आवास 5.55 से अधिक कोटि समूह के अन्तर्गत 24 न्याय पंचायतें आती हैं। जिनके अन्तर्गत 425955 (65.42 प्रतिशत) जनसंख्या तथा 40636 (42.15 प्रतिशत) आवासों में आवाद है। इस श्रेणी के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक जमरांवा में 12.62 व्यक्ति प्रति आवास में आवाद है। जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तर में स्थित है।

5.05 — 5.55 कोटि समूह के अन्तर्गत 18 न्याय पंचायतें आती हैं। जिनके अन्तर्गत 112676 (17.31 प्रतिशत) जनसंख्या तथा 31479 (32.66 प्रतिशत) आवासों में आवाद है।

5.05 से कम कोटि समूह के अन्तर्गत 13 न्याय पंचायतें हैं। जिनके अन्तर्गत 112456 (17.27 प्रतिशत) जनसंख्या तथा 24273 (25.19 प्रतिशत) आवासों में आवाद है। इस श्रेणी के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर सबसे कम स्तर पर सबसे कम व्यक्ति प्रति आवास मोहनखेड़ा में 3.92 आवद है। जो कि अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम भाग में स्थित है।

रिफरेन्सेज

1. द्रान्सलेटिड फार्म सेत्तरीयोपनिषद जौहर - 2, लेशन - 2, पेज - 310
2. रेटजेल एफ० एन्थ्रोपोलोजी ज्योग्राफी थर्ड वाल्यूम पेज - 310
3. हार्सले एस० ई० ज्याग्रिफिक हयूमेन इसाहयाह क्लासीफिकेशन पार्ट - 2, 1942 पेज - 31
4. जे० सीज ई० प्रिन्सिपल आफ हयूमन ज्योग्राफी 1920 पेज - 167
5. कालब एण्ड एडन्स, इन्फ्लूएन्स आफ हयूमन ज्योग्राफी इनवायरमेंट न्यूयार्क 1911, पेज - 119
6. गोल्ड स्पिथ पापुलेशन ट्रेड्स रिसोर्सेज एण्ड इन इम्प्लायमेंट हैण्ड बुक आफ पापुलेशन एजुकेशन पापुलेशन एण्ड इकोलोजिकल बैंलेंस 1975 पेज - 230
7. इबिड
8. रिपोर्ट आन हाऊस टाइप्ड एण्ड विलेज सिटेलमेंट पैटर्न इन इण्डिया सेन्सज आफ इण्डिया वाल्यूम 1 पार्ट पोर्थ ए थर्ड पे
9. जी० पी० यादव, राम सुरेश, मानव भूगोल ग्रन्थम कानपुर 1981 पेज - 19
10. जे० एम० हास्टन ए सोसल ज्योग्राफी आफ यूरोप लन्दन, 1953 पेज - 109
11. एफ वी निफेन पालक हाऊसिंग की टू डिफीसन एनालिस एज आमर ज्योग्राफी 55, 1965 पेज 949 - 577
12. समूल एन० डिकिन्सन फारसेस्ट आर विट्स इन्ट्रसेडक्शन टू हयूमन ज्योग्राफी न्यूयार्क 1963, पेज - 199
13. यूनियन नेशन स्टेटिकल इयर बुक हाऊसिंग नाट 1977, पेज - 884
14. एच० जी० करील पी० ई० करील एक्सप्लोरेशन टू हयूमन ज्योग्राफी एडीशन वेस्ले को लन्दन 1972, पेज - 8
15. हार्टमैन एण्ड हुक इन रूलर ज्योग्राफी आफ इण्डिया पेज - 312
16. के० आर० यूनी० रुदल हाऊस टाइप्ड इन अर्बन एण्ड रूलर प्लानिंग थाट, 3(2) 1965, पेज - 5
17. एच० जी० करील एण्ड पी ई करील एक्सप्लेशन इन सोशल ज्योग्राफी 1972, पेज - 9 -10

अस्त्राय

6

अध्याय 6

6.1 परिवार कल्याण नीति एवं प्रवृत्ति-

प्रस्तावना— परिवार कल्याण नीति के अन्तर्गत जनसंख्या के परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं में विचार किया जाता है। गुणात्मक पक्ष से जनता के स्वास्थ्य, जीवन, प्रत्याशा, शिक्षा, प्रवासी, प्रवृत्ति आदि में सुधार लाना तथा परिणात्मक का अभिप्राय जनसंख्या की मात्रा को इस प्रकार नियमित करना है कि राष्ट्रीय साधनों के साथ ही साथ जनसंख्या का संतुलन भी हो सके। जनसंख्या की समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि विश्व के विकासशील देशों की जनसंख्या नीति को गर्भ नियन्त्रण कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत में गर्भ नियन्त्रण की आवश्यमता इस लिये है कि बिना जनसंख्या नियन्त्रण के आर्थिक विकास किसी ऐसे धरातल पर भवन निर्माण करने के समान है जिसमें निरन्तर बाढ़ आ जाने से धरातल ही न हो अतः स्पष्ट है कि यह एक निष्फल किया मात्र है¹।

गर्भ नियन्त्रण जहाँ एक ओर बच्चों की संख्या में कमी करता है वही दूसरी ओर वांछनीय संन्तानों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रोत्याहित करता है। यह सन्तान एवं समाज में सामजस्य पैदा करता है अतः मॉं के स्वास्थ्य को गिरने से रोकता है।

स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परिवार नियोजन को विशेष स्थान देते हुये कहा है “ भारतवासियों का जीवन अधिक समृद्ध और सुखी बनाने की हमारी सम्रग योजना में परिवार नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है ”²।

अतः स्पष्ट है ” परिवार नियोजन स्त्रियों को मातृत्व देश को आवश्यक जनसंख्या तथा भुखमरी से बचाता है। भारत जैसे विशाल देश में बच्चे पैदा करना न केवल इन बेकसूर बच्चों की मौत बुलाना है वरन् सम्पूर्ण परिवार व देश को निकृष्ट जीवन में डालना है३। इस अन्याय को नहीं होने दिया जायेगा।

ऐसी कल्पना की जा सकती है कि आदिकालीन मानव सामाजिक अथवा धार्मिक सिद्धान्तों से अनुशासित नहीं हुआ होगा, काम प्रवृत्ति से प्रभावित होकर पशुवत् रहा होगा४। जिससे बाद में या श्रष्टि के विकास के लिये बन सका। परन्तु कालान्तर में जब उस दम्पत्ती ने यह अनुभव किया होगा कि सबसे उसकी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता का हास्त्र होने लगा है तथा आयु भी क्षीण होने लगी है तो उसने स्वयं को नियन्त्रण करने या दूसरे शब्दों में परिवार को नियोजित करने के बारे में सोचना आरम्भ किया होगा। प्रकृति का यह शास्वत नियम है कि जब कभी उसका कोई तत्व अति पार करने लगता है तो वह स्वयं ही उसे संतुलित ही करती है ” यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे ” सिद्धान्त५ के अनुसार वाह्य प्रकृति की भौति ही मानव की अस्यान्तर प्रकृति में सन्तुलित करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई होगी। जो स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्राप्त करने की दृष्टि से सुनियोजित परिवार बनायें रखने की दृष्टि से आवश्यक एवं अपरिहार्य है। परन्तु पहले यह ऐसा काम करना ” अधर्म ” मानता था६। और इस धर्म के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वतः प्रभावी रूप से चल रहा था।

6.2 परिवार कल्याण नीति का क्षेत्रीय वितरण—

अध्ययन क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रमों की न्यूनतम् आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ग्राम्य विकास कार्यक्रम (व्यस्क, साक्षरता

तथा अन्य कल्याण कार्यक्रमों) को जबतक परिवार कल्याण के साथ संलग्न नहीं किया जायेगा तब तक छोटे और सुखी परिवार का आदर्श भी ग्रामवासियों के मन में नहीं भर सकता जहाँ तक परिवार नियोजन को जनसमुदाय के सायोग द्वारा सफल बनाने का प्रश्न है वहाँ स्वयं सेवी संस्थाओं तथा जनमत को भी प्रभावित करने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में सहयोग दे सकेंगे⁸। अतः स्पष्ट है कि जिन न्याय पंचायतों में जनसंख्या अधिक है और खाद्यान्न उत्पादन कम है वहाँ पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का उपयोग अल्प रूप में किया गया है।

6.2.1 बन्ध्याकरण—


परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में बन्ध्याकरण की सुविधा फतेहपुर जनपद में 2000 - 2001 में 8430 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 9050 महिलाओं द्वारा उपभोग किया गया। जबकि फतेहपुर तहसील में इस कार्यक्रम की प्राप्ति 1990 – 2000 के दशक में निम्न प्रकार है।

सारिणी नं० 6.1

फतेहपुर तहसील – बन्ध्याकरण लक्ष्य एवं प्राप्ति वर्ष 1990 – 2000

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990 – 91	2592	3070
1991 – 92	2752	3368
1992 – 93	2948	3512
1993 – 94	3286	3906
1994 – 95	3104	3818
1995 – 96	3381	3924

तहसील फतेहपुर : परिवार कल्याण कार्यक्रम
(बन्ध्याकरण) 2000—2001



चित्र संख्या — 6.1

1996 – 97	3970	6260
1997 – 98	3970	6474
1998 – 99	3590	4592
1999 – 2000	3960	2287

स्रोत – सांख्यकीय जनपद पत्रिका फतेहपुर

सारिणी नं० 6.1 के विवरण से सपष्ट होता है कि बन्ध्याकरण कार्यक्रम में 1990 – 91 में 2592 महिलाओं के लक्ष्य पर 3070 महिलाओं ने इसका उपभोग किया। जबकि 1993 – 94 में 3286 लक्ष्य पर 6474 उपलब्धि हुई जो कि अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक है। 1998 – 99 एवं 1999 – 2000 में क्रमशः 3590 व 3960 लक्ष्य पर 4592, 2287 महिलाओं ने गर्भ समापन विधि का उपभोग किया। गर्भ समापन में वृद्धि घट रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि परिवार कल्याण की अन्य विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। चित्र नं० 6.1 ब

सारिणी नं० 6.2

फतेहपुर तहसील – परिवार कल्याण कार्यक्रम बन्ध्याकरण 2000 - 01

बन्ध्याकरण प्रयोग	न्याय पं० संख्या	न्याय पंचायत का नाम
100 से अधिक	09	सनगाँव, तारापुर, जमुराँवा, हस्वा, गाजीपुर, कोण्डार, कोर्कनक, असोथर, जरौली
50 – 100	29	मोहनखेड़ा, कॉधी, कोराई, खानपुर तेलियानी, देवरी लक्ष्मणपुर, लोहारी, हसनपुर, मथड्यापुर, चित्तिसापुर, हुसेनगंज, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, थरियॉव, बहरामपुर, सातोजोगा, नरैनी, कुसुम्भी, सांखा, मुत्तौर, दतौली, देवलान, सरवल, कंधिया

50 से कम	17	अलावलपुर, रावतपुर, वरारी, तालिबपुर, फरसी, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, ढकौली, बड़नपुर, मुराँव, खाजीपुर सेमरैया, अयाह, महना, बड़गाँव, चकस्करन
----------	----	--

अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पंचायत स्तर पर आंकलन किया गया एवं यह पाया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की गर्भसमापन विधि का उपभोग घट रहा है अध्ययन क्षेत्र की 55 न्याय पंचायतो मे 3924 महिलाओ ने इस कार्यक्रम मे भागीदारी की जबकि विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक असोथर 1033, भिटौरा 943 महिलाओ ने गर्भ समापन करवाया तथा सबसे कम बहुआ विकास खण्ड मे 709 महिलाओ ने इस विधि का उपभोग किया। सारिणी नं० 6.2 से स्पष्ट होता है कि न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक कोण्डार 206 तथा जरौली 135 न्याय पंचायते प्रमुख है जो कि 100 कोटिमान से अधिक के अर्त्तगत है। जबकि मध्य श्रेणी पर गर्भ समापन का उपयोग सर्वाधिक 29 न्याय पंचायतो मे किया गया तथा निम्न कोटि समूह के अर्त्तगत केवल 17 न्याय पंचायते आती है जिसमे अलावलपुर 48, खाजीपुर सेमरैया 28 प्रमुख न्याय पंचायते है। जो कि 50 से कम कोटिमान पर है। चित्र नं० 6.2 अ

6.2.2 गर्भ निरोधक गोलियॉ— अध्ययन क्षेत्र में गर्भ निरोधक गोलियो की सुविधा परिवार कल्याण केन्द्रो द्वारा 1997 – 98 मे 5150 महिलाओ मे प्रयोग का लक्ष्य रखा गया था जिसमे 5778 महिलाओ द्वारा इसका प्रयोग किया गया। फतेहपुर तहसील मे इस कार्यक्रम की प्राप्ति 1995 – 2000¹⁰ सारिणी नं० 6.3 मे अंकित है।

सारिणी नं० 6.3

फतेहपुर तहसील – गर्भ निरोधक गोलियो का लक्ष्य एवं प्राप्ति 1995 – 2000

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति (उपभोग)
1995 – 96	3896	4672
1996 – 97	5150	5386
1997 – 98	5150	5778
1998 – 99	4253	5412
1999 – 2000	5082	2138

स्रोत – कार्यालय – जिला चिकित्सालय फतेहपुर


सारिणी नं० 6.3 के विवरण से स्पष्ट होता है कि गर्भ निरोधक गोलियों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1995-96 में 3896 महिलाओं के लक्ष्य पर 4672 महिलाओं ने इसका प्रयोग किया। इस प्रकार सन् 1995-96 की अपेक्षा 1999-2000 में कमशः 5082 लक्ष्य पर 2138 महिलाओं ने गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया। इसका मुख्य कारण परिवार नियोजन की अन्य विधियों का प्रयोग करना। चित्र नं० 6.1 स

विकास खण्ड स्तर पर 1995-96 में सर्वाधिक गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग के नाम में असोथर 1131 भिटौरा 1182 तथा सबसे कम बहुआ 813 महिलाओं ने इस विधि का उपयोग किया।

न्याय पंचायत स्तर पर आंकलन करने से पता चलता है कि 1995-96 में 4672 महिलाओं के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम का उपयोग 55 न्याय पंचायतों में किया गया जिसमें सर्वाधिक गर्भ निरोधक गोलियों का उपभोग 10 न्याय पंचायतों में किया गया। जिसमें सर्वाधिक

गमनिरोधक गोलियाँ
2000-2001


(अ)



नसबन्दी

2000-2001

(ब)



चित्र संख्या - 6.2

गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग कोण्डार 225 और जरौली 141 न्याय पंचायतें प्रमुख हैं। जो कि 100 से अधिक उच्च कोटिमान को प्रदर्शित करती हैं जबकि मध्यम स्तर पर सर्वाधिक 50 से 100 कोटिमान के अन्तर्गत 36 न्याय पंचायतें हैं। जिसमें देवलान 96, सरवल 89 प्रमुख हैं। निम्न स्तर (50 से कम कोटिमान) पर 9 न्याय पंचायतें हैं जिसमें अयाह 41, खेसहन 43 प्रमुख हैं। चित्र नं० 6.2 ब

सारिणी नं० 6.4

फतेहपुर तहसील – परिवार कल्याण कार्यक्रम 2000 – 2001

गर्भ निरोध गोलियाँ

कोटिमान	न्याय पं० संख्या	न्याय पंचायत का नाम
100 से अधिक	10	अलावलपुर, तारापुर, जमुरांवा, हस्वा, गाजीपुर, कोण्डार, कोर्कनक, कधियां, असोथर, जरौली
50 – 100	36	मोहनखेड़ा, रावतपुर, कांधी, कोराई, खानपुर तेलियानी, सनगाँव, देवरी लक्ष्मणपुर, वरारी, तालिबपुर, लोहारी, हसनपुर, मथइयापुर, चिप्तिसापुर, हुसेनगंज, बेरागढीवा, मकनपुर, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, ढकौली, बड़नपुर, थरियॉव, बहरामपुर, सातो जोगा, नरैनी, कुसुम्भी, बनरसी, शिं शाह, चुरियानी, बहुआ, बड़गाँव, गम्हरी, सॉखा, मुत्तौर, दतौली, देवलान, सरवल
50 से कम	09	फरसी, सनगाँव, खुमारीपुर, मुराँव, ख्वाजीपुर सेमरैया, सेमरी, खेसहन, अयाह, महना, चकस्करन

6.2.3 नसबन्दी— अध्ययन क्षेत्र में 2000-2001 में 5093 व्यक्तियों के लक्ष्य पर 8109 व्यक्तियों ने नसबन्दी करवाया। जिसका विवरण सारिणी नं० 6.5 में उद्धृत है।

सारिणी नं० 6.5

फतेहपुर तहसील—नसबन्दी (आपरेशन) लक्ष्य एवं प्राप्ति

1990-2000

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	3519	7083
1991-92	3697	7348
1992-93	3864	7712
1993-94	4123	7855
1994-95	4312	8021
1995-96	4468	8458
1996-97	5165	12637
1997-98	5165	13842
1998-99	4738	9184
1999-2000	5093	8109

स्रोत—परिवार कल्याण केन्द्र सदर चिकित्सालय फतेहपुर

सारिणी नं० 6.5 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 1990-91 में 3519 व्यक्तियों के लक्ष्य पर 7083 व्यक्ति 1995-96 और 1997-98 में क्रमशः 4468 एवं 5.165 के लक्ष्य पर 8458, 12637 व्यक्तियों ने इस विधि का उपयोग किया। इस प्रकार 1998-99 और 1999-2000

में क्रमशः 4738 व 5093 व्यक्तियों के लक्ष्य पर 9184 व 8109 व्यक्तियों ने नसबन्दी करवाया इन दोनों वर्षों में नसबन्दी आपरेशन संख्या में ह्रास हुआ जबकि अन्य वर्षों में आपरेशन की संख्या में बृद्धि हुयी चित्र नं० 6.1 य

विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक नसबन्दी आपरेशन 8458 तथा सबसे कम नसबन्दी आपरेशन तेलियानी 1352 विकास खण्डों में देखा गया।

सारिणी नं० 6.6

फतेहपुर तहसील—परिवार कल्याण कार्यक्रम नसबन्दी 1999-2000

नसबन्दी प्रयोगकर्ता	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायतों के नाम
175 से अधिक	13	रावतपुर, कौंधी, जमुरावॉ, हस्वा, गाजीपुर, गम्हरी, सॉखा, कोण्डार, कोरकिनक, देवलान, सरवल, असोथर, जरौली
150 - 175	07	कोराई, सनगाँव, लोहारी, मथड़यापुर, बड़ागाँव, दतौली, कंधिया
150 से कम	35	मोहनखेड़ा, अलावलपुर, खानपुर तेलियानी, देवरी लक्ष्मणपुर, वरारी, तारापुर, तालिबपुर, हसनपुर, चितिसापुर, हुसेनगंज, फरसी, वरारी, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, ढकौली, बड़नपुर, खुमारीपुर, मुरौव, खाजीपुर सेमरैया, थरियाँव, बहरामपुर, सातोजोगा, नरैनी, कुसुम्भी, खेसहन, बनरसी, शिवगोविन्दपुर शाह, अयाह, बहुआ, महना, चकस्करन, मुत्तौर, सेमरी

सारिणी नं० 4.6 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक नसबन्दी आपरेशन का उपयोग 13 न्याय पंचायतों में हुआ जिसमें असोथर 308 और जरौली 281 न्याय पंचायतों प्रमुख हैं जो 175 व्यक्तियों से अधिक उच्च कोटिमान के अन्तर्गत हैं 150 से 175 मध्यम कोटिमान के अन्तर्गत 7 न्याय पंचायतें हैं जिसमें दतौली 172 और कंधिया 168 प्रमुख हैं 150 से कम निम्न कोटिमान के अन्तर्गत 35 न्याय पंचायतें हैं जिसमें मोहन खेड़ा 117 और मुत्तौर 132 प्रमुख न्याय पंचायतें हैं चित्र नं० 6.1 स

6.2.3 लूप (आई०न्य० सी०डी०) अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1995 –96 में 7542 महिलाओं ने लूप विधि का उपयोग किया इस कार्यक्रम के लक्ष्य एवं प्राप्त 1990 से 2000 वर्षों में किये गये उपयोग का विवरण तालिका नं० 6.7 में अंकित है। **सारिणी नं० 6.7**

फतेहपुर तहसील—लूप (आई०न्य० सी०डी०) लक्ष्य प्राप्ति 1999-2000

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति उपयोग
1990-91	2812	6604
1991-92	3019	6972
1992-93	3268	7063
1993-94	3692	7504
1994-95	3562	7368
1995-96	3786	7542
1996-97	4260	7582
1997-98	5590	6814
1998-99	6180	7236
1999-2000	7105	7469

स्रोत — जिला सदर चिकित्सालय परिवार कल्याण केन्द्र फतेहपुर

सारिणी नं० 6.7 से स्पष्ट होता है कि परिवार कल्याण की लूप विधि का प्रयोग 1990-91 में 2812 लक्ष्य पर 6604, 1998-99 एवं 1999-2000 में कमशः 6180 व 7105 लक्ष्य पर 7236 व 7469 महिलाओं ने लूप विधि का उपयोग किया इस विधि का उपयोग जनसंख्या को कम करने के लिए काफी तेजी से चल रहा है (चित्र नं० 6.3) विकास खण्ड स्तर पर 1995-96 में लूप विधि का उपयोग भिटौरा 1682, असोथर 1605, हस्वा 1383, तेलियानी 1503, तथा बहुआ 1369 महिलाओं का योगदान है।

न्याय पंचायत स्तर पर वर्ष 1999-2000, 7469 महिलओं द्वारा लेप विधि का उपयोग 55 न्याय पंचाययतों में किया गया।
(सारिणी नं० 6.8)

सारिणी नं० 6-8

फतेहपुर तहसील –लूप विधि का उपयोग 1999-2000

कोटिमान	न्यायपंचायत सं०	न्याय पंचायत का नाम
150 से अधिक	16	मोहनखेड़ा, रावतपुर, कोराई, अलावलपुर, खानपुर तेलियानी, सनगाँव, देवरी लक्ष्मणपुर, जमुराँवा, हस्वा, गाजीपुर, गम्हरी, कोण्डार, कोर्सकनक, देवलान, असोथर, जरौली
100 - 150	28	कॉधी, वरारी, तारापुर, तालिबपुर, लोहरी हसनपुर, मथड़यापुर, फरसी, चित्तिसापुर, हुसेनगंज, लतीफपुर, मो० बुजुर्ग, बहरापुर, बड़नपुर, सोतोजोगा, नरैनी, सेमरी, बनरसी शि०, शाह, बहुआ, चुरियानी, बडागाँव, चकस्करन, सॉखा, दतौली, कंधिया, सरवल
100 से कम	11	बेरा गढ़ीवा, मकनपुर, ढकौली, सनगाँव, खुमारीपुर, थरियॉव, खाजीपुर सेमरैया, कुसुम्पी, खेसहन, अयाह, महना

सारिणी नं० 6.8 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लूप 150 से अधिक कोटिमान विधि का उपयोग 16 न्याय पंचायतों में किया गया जिसमें हस्ता 256, कोण्डार 269 प्रमुख हैं। 100 से 150 मध्यम कोटिमान स्तर के अन्तर्गत 28 न्याय पंचायतें हैं जिसमें बहरामपुर 121 प्रमुख न्याय पंचायतें हैं। 100 से कम निम्न कोटिमान स्तर पर 11 न्याय पंचायतें हैं जिसमें सनगाँव खुमारीपुर 92, खेसहन 88 महिलाओं ने लूप विधि का उपयोग किया। चित्र नं० 6.3 अ

362018 मी० टन है। विकास खण्डो पर सर्वाधिक जनसंख्या भिटौरा 148699 जनसंख्या तथा खाद्यान्न उत्पादन 74724 मी० टन था। न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या 25330 व्यक्ति तथा खाद्यान्न उत्पादन 8891 मी० टन है। जिन न्याय पंचायतों पर जनसंख्या अधिक है और खाद्यान्न उत्पादन कम है वहाँ पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का उपयोग अल्प मात्रा में किया गया तथा शिक्षा एवं जीवन स्तर की दृष्टि से भी पिछड़ी न्याय पंचायते हैं जिनका विवरण अध्याय नं० 6 में दिया गया है इसलिये व्यक्तियों के जीवन स्तर में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, और अन्य साधनों का भी अभाव हो जाता है। जैसे—जैसे खाद्यान्न उत्पादन में कमी या वृद्धि होती है वैसे—वैसे जीवन स्तर में भी वृद्धि एवं ह्रास होता रहता है। निम्न जीवन स्तर वाले (मजदूर, श्रमिक, कृषक मजदूर, तथा कम भूमि वाले कृषकों में हैं। क्योंकि इनमें यह धारणा बनी होती है कि परिवार जितना भी बड़ा होगा आय के साधनों में उतनी वृद्धि होगी इसका मुख्य कारण शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाओं की कमी तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सही ज्ञान तथा उपयोग न करना है।


तहसील फतेहपुर : परिवार कल्याण कार्यक्रम
(बूप I.U.C.D.) 2000–2001

अ

संकेत—महिलाएँ

- [पूर्ण शब्द] 150 तथा अधिक संख्या
- [लंबे रेट्स] 100–150
- [छोटे रेट्स] 100 से कम

S




तहसील फतेहपुर : परिवार कल्याण कार्यक्रम
(निरोध) 2000–2001

ब

संकेत—पुरुष

- [पूर्ण शब्द] 150 तथा अधिक संख्या
- [लंबे रेट्स] 125–150
- [छोटे रेट्स] 125 से कम

किमी²



वित्र संख्या — 6.3

6.2.5 निरोध— अध्ययन क्षेत्र मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की निरोध विधि का उपयोग अन्य विधियों की अपेक्षा सबसे अधिक है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्ति 1990-2000 का विवरण तालिका नं० 6.9 मे दिया गया है।

सारिणी नं० 6.9

फतेहपुर तहसील – निरोध कार्यक्रम (लक्ष्य एवं प्राप्ति) 1990 – 2000

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति (उपयोग)
1990-91	3077	6030
1991-92	3458	6438
1992-93	3618	6637
1993-94	3892	7018
1994-95	3872	6817
1995-96	3977	7009
1996-97	5000	6349
1997-98	5650	5778
1998-99	6725	6757
1999-2000	7390	7629

सारिणी नं० 6.9 के विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवार कल्याण कि निरोध विधि का प्रयोग 1990 – 91 मे 3077 पुरुषो के लक्ष्य पर 6030 पुरुषो तथा 1998 – 99 , 1999 – 2000 मे क्रमशः 6725 एवं 7390 के लक्ष्य पर 6757 व 7629 पुरुषो द्वारा इस विधि का प्रयोग

किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के निरोध प्रयोगकर्ताओं की वृद्धि तेजी से हो रही है। (चित्र नं० 6.32)

सरिणी नं० 6.10

फतेहपुर तहसील – निरोध प्रयोगकर्ता 1999 – 2000

निरोध प्रयोगकर्ता	न्याय पंचायत संख्या	न्याय पंचायत का नाम
150 से अधिक	13	मोहनखेड़ा, रावतपुर, कांधी, कोराई, सनगाँव, देवरी लक्ष्मणपुर, जमुराँवा, गाजीपुर, कोण्डार, कार्राकनक, देवलान, असोथर, जरौली
125 – 150	11	खानपुर तेलियानी, वरारी, तारापुर, लोहारी, नरैनी, शाह, गम्हरी, सांखा, दतौली, सरवल, कंधिया
125 से कम	31	अलावलपुर, तालिबपुर, हसनपुर, मथइयापुर, चित्तिसापुर, हुसेनगंज, फरसी, बेरागढ़ीवा, मकनपुर, लतीफपुर, ढकौली, मो० बुजुर्ग, बड़नपुर, हस्वा, सनगाँव खुमारीपुर, मुराँव, ख्वाजीपुर सेमरैया, थरियाँव, बहरामपुर, सातोजोगा, सेमरी, कुसुम्भी, खेसहन, बनरसी, शिवगोविन्दपुर, चुरियानी, अयाह, बहुआ, महना, बड़ागाँव, मुत्तौर, चकस्करन

सरिणी नं० 6.10 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक निरोध प्रयोगकर्ता 150 से अधिक उच्च कोटिमान स्तर मे 13 न्याय पंचायते हैं जिसमे मोहनखेड़ा 151, कोण्डार 293 प्रमुख है। 125 – 150 मध्यम कोटिमान

के अन्तर्गत 11 न्याय पंचायते हैं जिसमें खानपुर तेलियान एवं सरवल कमशः 143 एवं 136 निरोध प्रयोगकर्ता प्रमुख न्याय पंचायतों में हैं। 125 से कम कोटिमान में 31 न्याय पंखयते हैं जिसमें अलावलपुर 116, सनगाँव खुमारीपुर 120 आदि न्याय पंचायते हैं। चित्र नं० 7.3 ख

परिवार नियोजन का उपयोग न करने से जीवन स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हैं क्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या गणितीय आधार पर बढ़ती है। खाद्य उत्पादन ज्यामितीय आधार पर ही जबकि अध्ययन क्षेत्र में 651087 जनसंख्या पर खाद्य उत्पादन मात्र।

6.3 जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाली विधियाँ— परिवार नियोजन के दो महत्वपूर्ण घटक शारीरिक श्रम एवं शहरीकरण हैं क्योंकि गैर शारीरिक श्रम करने वालों में परिवार नियोजन अधिक है। जबकि शारीरिक श्रम करने वालों में कम है। इसी प्रकार शहरीकरण बढ़ने से परिवार नियोजन प्रचिलित हो रहा है। ग्रामीण जनमत से इसका प्रयोग कम है केवल 14% शहरी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया। इस प्रकार परिवार नियोजन को अपनाने के लिये अनेक घटक जिम्मेदार हैं। जिनमें स्त्री की आयु, प्रसवों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या, स्त्रियों के परिवार के प्रति विचार, साक्षरता मासिक आय, मानसिक एवं शारीरिक श्रम हैं।

सारिणी नं० 6.11 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित 15 गाँवों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के उपयोगकर्ताओं में बन्धाकरण 366 (1.95%), गर्भ निरोधक गोलियाँ 7202 (38.32%), लूप (आई० यू० सी० डी०) 318 (1.69%), नसवन्दी 2176 (11.58%) तथा 8730 (46.46%) किया गया है।

सारिणी नं० 6.11

सर्वेक्षित गाँवों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विवरण 2001 प्रतिशत में

क्र०सं०	गाँव का नाम	बन्ध्याकरण	गर्भ निरोधक गोलियाँ		(आई०य०सी०डी०)	लूप पुरुष—महिला	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत	
			सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	
1.	उदयराजपुर	6	3.27	23	12.56	8	4.37	23	12.56	123	67.21
2.	मुस्तफापुर	10	3.68	78	28.67	20	7.35	28	10.29	136	50.00
3.	खगपुर	10	2.25	114	25.68	16	3.60	44	9.91	260	58.56
4.	सलेमाबाद	13	5.05	34	13.33	7	2.75	22	8.62	179	70.19
5.	पैनाखुर्द	11	2.39	146	31.67	9	1.95	41	8.89	254	55.10
6.	घधोरा	9	1.86	129	26.65	10	2.06	91	18.80	245	50.62
7.	टीकर	42	3.79	418	37.69	51	4.60	112	10.10	486	43.82
8.	तारापुर भिटोरा	58	3.45	593	35.28	37	2.20	237	14.10	756	44.97
9.	मवई	31	1.83	731	43.08	14	0.83	188	11.08	733	43.19
10.	सांखा	34	1.93	684	38.80	24	1.36	186	10.55	839	47.36
11.	अयाह	28	1.65	640	37.83	18	1.06	207	12.23	799	47.23
12.	ललौली	29	1.05	1107	39.91	60	2.16	378	13.63	1200	43.26
13.	सरकण्डी	-	0.00	1633	44.42	-	-	339	9.22	1704	46.36
14.	रारा	47	4.83	362	37.20	13	1.34	112	11.52	439	45.12
15.	लमेहटा	38	2.86	510	38.44	31	2.33	168	12.65	581	43.75
	योग	366	1.95	7202	38.32	318	1.69	2176	11.58	8730	46.46
											18792
											100.00

बन्ध्याकरण विधि का सबसे अधिक प्रयोग सलेमाबाद 5.03%, रारा 4.83% महिलाओं द्वारा किया गया है। सबसे कम इस विधि का प्रयोगकर्तियों ललौली 1.05%, अयाह 1.65% में किया गया है। गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग सर्वाधिक सरकण्डी 44.42%, मवई 43.08% तथा सबसे कम सलेमाबाद 13.33%, उदयराजपुर 12.56% महिलाओं ने किया।

परिवार नियोजन की लूप विधि (आई० यू० सी० डी०) विधि का सर्वाधिक प्रयोग मुस्तफापुर में 7.35%, टीकर 4.60% तथा सबसे कम इस विधि का प्रयोग मवई 0.83% एवं सरकण्डी गाँव में नगण्य है।

नसबन्दी विधि का प्रयोग सर्वाधिक घघोर 18.80%, तारापुर भिटौरा 14.10% तथा सबसे कम नसबन्दी विधि का प्रयोग खरगपुर, सलेमाबाद में कमशः 8.62%, 8.89% व्यक्तियों ने किया।

अध्ययन क्षेत्र के 15 गाँवों के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं के अन्तर्गत सबसे अधिक निरोध विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक निरोध प्रयोगकर्ताओं का प्रतिशत सलेमाबाद 70.19%, उदसराजपुर 67.21% तथस्स सबसे कम प्रतिशत टीकर 43.82%, ललौली 43.26 एवं मवई में 43.19% पुरुषों ने जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिये प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.12

सर्वेक्षित उदयराजपुर गौव मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो का विवरण 2001

जातियाँ	बन्ध्या०	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	3	8	-	5	18	34	18.58
क्षत्रिय	2	6	5	7	26	46	25.14
यादव	-	3	1	3	8	15	8.20
लोधी	-	1	-	1	2	04	2.18
नाई	-	1	-	-	5	06	3.28
सुनार	-	1	-	-	3	04	2.18
लोहार	-	1	-	1	4	06	3.28
चमार	-	1	1	3	24	29	15.85
पासी	1	1	1	2	30	35	19.13
मेहतर	-	-	-	1	3	4	2.18
योग	6	23	8	23	123	183	100.00

6.3.1 जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग— (उदयराजपुर)

सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि उदयराजपुर गौव के 50 परिवारों के अन्तर्गत 183 व्यक्तियों ने परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग किया जिसमे 6 स्त्रियाँ बन्ध्याकरण 23 स्त्रियों ने गर्भ निरोधक गोलियाँ, 8 स्त्रियों ने लूप तथा 25 व्यक्तियों ने नसबन्दी एवं 123 व्यक्तियों ने निरोध विधि का प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.12 से स्पष्ट होता है कि जातिगत आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग क्षत्रिय जाति में 25.14% तथा सबसे कम लोधी, सुनार एवं मेहतर ने 2.18% परिवार नियोजन का प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.13

मुस्तफापुर गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्यां	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	3	11	3	2	8	27	9.93
क्षत्रिय	1	16	6	1	10	34	12.50
यादव	1	3	3	6	3	16	5.88
लोधी	-	4	-	3	20	27	9.93
नई	-	2	-	2	16	20	7.35
वैश्य	-	2	5	-	10	17	6.25
लोहार	-	1	-	1	3	5	1.84
चमार	3	13	1	1	23	41	15.07
पासी	1	12	-	8	21	42	15.44
गड़रिया	1	3	-	2	4	10	3.68
कुम्हार	-	6	1	1	13	21	7.72
धोबी	-	5	1	1	5	12	4.41
योग	10	78	20	28	136	272	100.00

सारिणी नं० 6.14

खरगपुर गाँव मे जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्या०	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	3	12	3	5	17	40	9.01
क्षत्रिय	2	8	2	4	28	44	9.91
वैश्य	-	6	1	4	15	25	5.63
श्रीवास्तव	-	4	-	2	6	12	2.70
कुर्मी	-	5	1	4	13	22	4.95
लोधी	-	8	-	6	18	32	7.21
नाई	-	-	-	-	3	3	0.68
लोहार	-	-	-	1	1	2	0.45
गड़रिया	-	18	-	4	23	45	10.14
कुम्हार	-	6	-	3	40	49	11.04
धोबी	-	4	-	-	8	12	2.70
चमार	3	30	4	4	45	86	19.37
पासी	2	12	5	7	36	62	13.96
मेहतर	-	1	-	1	5	7	1.58
सोनार	-	-	-	-	2	2	0.45
योग	10	114	16	44	260	444	100.00

6.3.2 खरगपुर गाँव में 230 परिवारों में 444 व्यक्तियों ने परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग किया जिसमें बन्ध्याकरण 10, गर्भ निरोधक गोलियाँ 114, लूप 16, नसबन्दी 44, निरोध 260 व्यक्तियों ने प्रयोग किया। जातिगत आधार पर परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग सर्वाधिक चमार जाति में 86 (19.37%) तथा सबसे कम लोहार, मेहतर जातियों (0.45%) व्यक्तियों ने परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग किया। (सारिणी नं० 6.14)

सारिणी नं० 6.15

सलेमाबाद गाँव मे जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यकमो का प्रयोग

- 2001

जातियॉ	बन्ध्या०	गर्भ निरोधक गोलियॉ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	4	8	2	4	43	61	23.92
क्षत्रिय	1	6	1	3	12	23	9.02
वैश्य	-	2	-	1	22	25	9.80
यादव	4	5	3	-	-	12	4.71
कुर्मा	1	2	-	6	20	29	11.37
दर्जा	-	1	-	-	10	11	4.31
नाई	-	2	-	-	3	5	1.96
लोहार	-	1	-	-	3	4	1.77
गङ्गरिया	-	1	-	-	10	11	4.31
कुम्हार	-	1	1	-	11	13	5.10
चमार	1	1	-	3	13	18	7.06
पासी	2	1	-	4	18	25	9.80
मेहतर	-	2	-	1	10	13	5.10
मुस्लिम	-	1	-	-	-	1	0.39
अन्य	-	-	-	-	4	4	1.77
योग	13	34	7	22	179	255	100.00

6.3.4 सलेमाबाद गाँव मे 150 परिवारो मे 255 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रमो की विधियो का प्रयोग किया। जिसमे बन्ध्याकरण 13 गर्भनिरोधक गोलियो 34, लूप 7, नसबन्दी 22, निरोध 179 व्यक्तियो ने प्रयोग किया। जातिगत आधार पर परिवार नियोजन की विधियो का प्रयोग सर्वाधिक ब्राह्मण जाति 61 (23.92%) तथा सबसे कम मुस्लिम जाति मे 0.39% व्यक्तियो ने प्रयोग किया। इस गाँव मे मुस्लिम जाति के व्यक्ति ने परिवार नियोजन की विधियो का प्रयोग किया। जबकि अन्य गाँवो मे नगण्य है।

(सारिणी नं० 6.15)

सारिणी नं० 6.16

पैना खुर्द गॉव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियॉ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियॉ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	1	15	2	3	28	49	10.63
क्षत्रिय	2	22	4	12	40	80	17.35
वैश्य	1	4	-	1	13	19	4.12
यादव	-	8	-	2	16	26	5.64
दर्जी	-	4	-	-	3	7	1.52
नाई	-	6	-	-	7	13	2.82
सुनार	-	3	-	-	5	8	1.74
लोहार	-	5	-	-	9	14	3.04
गड़रिया	3	26	2	6	35	72	15.61
कुम्हार	-	9	-	3	16	28	6.07
धोबी	-	1	-	1	6	8	2.17
पासी	4	28	-	4	25	61	13.23
चमार	-	12	1	8	32	53	11.50
धोबी	-	1	-	1	6	8	2.17
पासी	4	28	-	4	25	61	13.23
चमार	-	12	1	8	32	53	11.50
मुस्लिम	-	-	-	-	13	13	2.82
अन्य	-	3	-	1	6	10	2.17
योग	11	146	9	41	254	461	100.00

6.3.5 पैना खुर्द गाँव में 188 परिवारों के अन्तर्गत 461 व्यक्तियों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया जिसमें बन्ध्याकरण 11, गर्भ निरोधक गोलियाँ 146, लूप 9, नसबन्दी 41, निरोध 254 व्यक्तियों ने प्रयोग किया जातीय आकार पर सर्वाधिक क्षत्रज जाति में 17.35 प्रतिशत तथा सबसे कम दर्जी जाति में 7 (1.52 प्रतिशत) व्यक्तियों परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग किया है इस गाँव में सर्वाधिक गर्भनिरोधक गोलियों एवं निरोध विधि का प्रयोग किया गया।

सारिणी नं० 6.17

घंघौरा गाँव मे जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमो का प्रयोग 2001

जातियॉ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियॉ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	2	23	2	13	42	82	16.94
क्षत्रिय	1	28	3	18	52	102	21.07
वैश्य	1	4	-	2	6	13	2.69
यादव	2	30	3	19	36	90	18.60
दर्जी	-	-	-	1	6	7	1.45
नाई	-	-	-	1	8	9	1.86
सुनार	-	4	-	-	-	4	0.83
लोहार	-	5	-	2	12	19	3.92
गड़रियाँ	-	8	-	2	10	20	4.13
कुम्हार	1	13	-	4	19	37	7.64
धोबी	1	3	-	-	6	10	2.07
पासी	1	10	1	15	25	52	10.74
चमार	-	1	1	13	21	36	7.44
मेहतर	-	-	-	1	2	3	0.62
योग	9	129	10	91	245	484	100.00

6.3.6 घघौरा गाँव में 198 परिवारों के अन्तर्गत 484 व्यक्तियों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमें बन्ध्याकरण 9, गर्भनिरोधक गोलियॉ 129, लूप 10, नसबन्दी 91, निरोध 245 व्यक्तियों ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक क्षत्रिय जाति में 102 (21.07%) व्यक्तियों ने प्रयोग किया तथा सबसे कम मेहतर एवं सुनार जाति में कमशः 3 (0.62%), 4 (0.83%) व्यक्तियों ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग किया। घघौरा ग्राम सभा में सबसे अधिक निरोध विधि का प्रयोग किया गया।

सारिणी नं० 6.18

रारा गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियॉ	बन्ध्य करण	गर्भ निरोधक गोलियॉ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	10	60	4	16	72	162	16.65
क्षत्रिय	14	73	5	23	88	203	20.86
वैश्य	2	18	1	10	21	52	5.34
श्रीवास्तव	-	5	-	4	11	20	2.06
यादव	9	80	1	13	78	181	18.60
कुर्मी	6	40	-	9	45	100	10.28
लोधी	3	30	-	7	36	76	7.81
दर्जी	-	2	-	-	4	6	0.62
नाई	1	9	-	2	11	23	2.36
लोहार	-	4	-	1	6	11	1.13
कुम्हार	-	6	-	6	20	32	3.29
धोबी	-	3	-	1	4	8	0.82
पासी	1	12	1	8	16	38	3.91
चमार	1	20	1	12	24	58	5.96
मेहतर	-	-	-	-	3	3	0.31
योग	47	362	13	112	439	973	100.00

6.3.7

रारा गाँव में 540 परिवारों के अन्तर्गत 973 व्यक्तियों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमें बन्ध्याकरण 47, गर्भनिरोधक गोलियाँ 362, लूप 13, नसबन्दी 112, निरोध 439 व्यक्तियों ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों में क्षत्रिय जाति में 203 (20.86%) व्यक्ति तथा सबसे कम मेहतर एवं दर्जी जाति में कमशः 0.31%, 0.62% व्यक्तियों ने प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.18

सारिणी नं० 6.19

लमेहटा गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियों	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियों	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	4	80	4	21	84	193	14.53
क्षत्रिय	6	104	16	38	114	278	20.93
वैश्य	1	2	1	1	8	13	0.98
श्रीवास्तव	3	5	1	1	9	19	1.43
यादव	9	84	1	17	80	191	14.38
दर्जा	-	10	0	1	10	21	1.58
नाई	-	6	0	4	6	16	1.20
सोनार	-	9	0	1	9	19	1.43
लोहार	-	14	-	2	12	28	2.12
गड़सिया	-	40	-	10	45	95	7.15
कुम्हार	1	20	1	12	32	66	4.97
अन्य	1	4	-	-	6	11	0.83
पासी	6	60	4	36	80	186	14.01
चमार	7	70	2	22	78	179	13.48
मेहतर	-	2	-	2	8	13	0.98
योग	38	510	31	168	581	1328	100.00

6.3.8

लमेहटा गाँव मे 510 परिवारो के अन्तर्गत 1328 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमे बन्ध्याकरण 38, गर्भनिरोधक गोलियॉ 510, लूप 31, नसबन्दी 168, निरोध 581 व्यक्तियो ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियो मे क्षत्रिय जाति मे 278 (22.93%) व्यक्ति तथा सबसे कम वैश्य एवं अन्य जाति मे केवट, तेली जातियो ने कमश 0.98%, 0.83% व्यक्तियो ने प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.20

टीकर गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जतियाँ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	6	30	4	9	36	85	7.66
क्षत्रिय	9	60	6	10	67	152	13.71
वैश्य	1	18	1	6	20	46	4.15
श्रीवास्तव	1	9	1	4	11	26	2.34
यादव	1	10	1	3	12	27	2.43
कुर्मी	4	60	3	13	67	147	13.26
लोधी	3	40	2	9	45	99	8.93
नाई	1	6	-	2	10	19	1.71
सोनार	1	10	-	1	13	25	2.25
लोहार	1	12	-	1	16	30	2.71
गड़रिया	1	18	-	4	20	43	3.88
कुम्हार	2	30	5	5	32	74	6.67
अन्य	1	18	2	8	22	51	4.60
धोबी	1	2	2	-	3	6	0.54
पासी	4	50	12	20	58	144	12.98
चमार	5	43	14	17	51	130	11.72
मेहतर	-	2	-	-	3	5	0.45
योग	42	418	51	112	486	1109	100.00

6.3.9 टीकर गाँव मे 450 परिवारो के अन्तर्गत 1109 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमे बन्ध्याकरण 42, गर्भनिरोधक गोलियाँ 418, लूप 51, नसबन्दी 112, निरोध 486 व्यक्तियो ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन कार्यक्रम का उपयोग क्षत्रिय एवं लोधी जाति में कमशः 152 (13.71%) एवं 147 (13.26%) तथा सबसे कम मेहतर एवं धोबी जाति मे कमशः 0.45% एवं 0.54% व्यक्तियो ने प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.21

तारापुर भिटौरा गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	13	109	11	42	140	315	18.74
क्षत्रिय	6	55	2	12	70	145	8.63
वैश्य	2	20	5	11	30	68	4.05
श्रीवास्तव	1	9	1	4	10	25	1.49
यादव	8	104	6	30	103	251	14.93
कुर्मा	10	60	2	22	78	172	10.23
लोधी	11	50	1	26	54	142	8.45
नाई	-	4	-	-	9	13	0.77
सोनार	-	5	-	-	10	15	0.89
लोहार	-	6	-	2	11	19	1.13
गड़रिया	1	4	-	4	24	33	1.96
कुम्हार	1	18	-	6	22	47	2.80
अन्य	1	15	-	2	20	38	2.26
धोबी	1	12	-	1	13	27	1.61
पासी	1	40	4	26	50	121	7.20
चमार	1	80	5	48	106	240	14.28
मेहतर	1	2	-	1	6	10	0.58
योग	58	593	37	237	756	1681	100.00

6.3.10 तारापुर भिटौरा गाँव मे 708 परिवारो के अन्तर्गत 1681 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमे बन्धाकरण 58, गर्भनिरोधक गोलियाँ 593, लूप 37, नसबन्दी 237, निरोध 756 व्यक्तियों ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन कार्यक्रम का उपयोग ब्राह्मण 315 (18.74%) तथा सबसे कम मेहतर एवं नाई जाति ने कमशः 0.58% एवं 0.77% व्यक्तियो ने प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.22

मर्वई गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	2	80	1	18	84	185	10.90
क्षत्रिय	6	110	2	40	114	272	16.03
वैश्य	1	15	1	2	18	37	2.18
यादव	2	12	1	2	12	29	1.71
कुर्मि	4	60	3	15	60	142	8.37
लोधी	5	80	2	17	80	184	10.84
दर्जा	1	15	1	1	15	33	1.94
नाई	1	5	1	1	6	14	0.82
कुम्हार	1	30	-	4	30	65	3.83
अन्य	-	2	-	-	2	4	0.24
धोबी	1	20	-	5	20	46	2.71
पासी	2	150	1	23	140	316	18.62
चमार	4	140	1	48	130	323	19.03
मेहतर	1	12	-	12	22	47	2.78
योग	31	731	14	188	733	1697	100.00

6.3.11 मरझ गॉव मे 692 परिवारो के अन्तर्गत 1697 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमे बन्ध्याकरण 39ए गर्भनिरोधक गोलियों 731, लूप 14, नसबन्दी 188, निरोध 733 व्यक्तियो ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन की विधियो का उपयोग चमार जाति मे जाति मे 323 (19.03%) तथा सबसे कम अन्य मे भुजी जाति मे 0.82% तथा नाई जाति मे 0.82% व्यक्तियो ने प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.23

सांखा गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	4	120	1	24	130	279	16.83
क्षत्रिय	5	109	1	28	110	253	14.35
वैश्य	6	84	2	21	90	203	11.51
श्रीवास्तव	4	21	1	10	20	56	3.18
यादव	2	80	4	24	100	210	12.91
नाई	4	28	1	4	30	67	1.70
सुनार	1	4	1	6	25	37	2.10
लोहार	1	3	1	5	28	38	2.16
गड़रियाँ	1	2	1	4	32	40	2.27
धोबी	1	20	1	8	30	60	3.50
पासी	1	80	4	20	90	195	11.60
चमार	3	130	5	31	140	309	17.53
मेहतर	1	3	1	1	10	16	0.91
योग	34	684	24	186	839	1763	100.00

6.3.12 सांखा गाँव मे 852 परिवारो के अन्तर्गत 1763 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमे बन्ध्याकरण 34, गर्भनिरोधक गोलियॉ 684, लूप 24, नसबन्दी 186, निरोध 839 व्यक्तियो ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन की विधियो का उपयोग चमार जाति मे जाति में 309 (17.53%) तथा सबसे कम मेहतर जाति में 0.91% व्यक्तियो ने प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.24

अयाह गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	2	80	2	24	109	217	12.82
क्षत्रिय	4	110	4	38	151	307	18.14
वैश्य	2	12	1	3	20	38	2.25
यादव	4	80	1	28	90	203	12.00
दर्जी	1	12	1	3	20	37	2.19
नाई	1	1	1	1	12	16	0.95
सुनार	1	4	1	1	14	26	1.24
कुम्हार	4	60	3	40	85	192	11.34
पासी	5	100	2	32	104	243	14.36
चमार	3	180	2	36	190	411	24.21
मेहतर	1	1	-	1	4	7	0.40
योग	28	640	18	207	799	1692	100.00

6.3.13 अंयाह गाँव मे 798 परिवारो के अन्तर्गत 1692 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमे बन्ध्याकरण 28, गर्भनिरोधक गोलियॉ 640, लूप 18, नसबन्दी 207, निरोध 799 व्यक्तियो ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन की विधियो का उपयोग चमार जाति मे जाति मे 411 (24.21%) तथा सबसे कम मेहतर एवं नाई जाति मे कमशः 0.40%, 0.95% व्यक्तियो ने परिवार नियोजन की विधियो का प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.25

ललौली गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	4	130	11	30	139	314	11.32
क्षत्रिय	2	112	13	28	120	275	9.91
वैश्य	6	79	6	26	81	198	7.14
श्रीवास्तव	1	11	8	10	16	46	1.66
यादव	1	61	2	21	67	152	5.48
दर्जी	1	48	1	13	50	113	4.07
नाई	2	12	1	3	15	33	1.19
सुनार	1	21	2	14	23	61	2.20
लोहार	1	48	2	18	51	120	4.33
गड़रिया	1	12	1	3	15	32	1.15
अन्य	1	21	1	4	27	54	1.95
धोबी	1	48	2	12	50	113	4.07
पासी	3	220	4	89	240	556	20.04
चमार	4	278	6	103	292	683	24.62
मेहतर	-	6	-	4	14	24	0.87
योग	29	1107	60	378	1200	2774	100.00

6.3.14 ललौली गाँव मे 1998 परिवारो के अन्तर्गत 2774 व्यक्तियो ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमे बन्ध्याकरण 29, गर्भनिरोधक गोलियॉ 1107, लूप 60, नसबन्दी 378, निरोध 1200 व्यक्तियो ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन की विधियो का उपयोग चमार जाति मे जाति में 683 (24.62%) तथा सबसे कम मेहतर जाति 24 (0.87%) व्यक्तियो ने प्रयोग किया।

सारिणी नं० 6.26

सरकारी गाँव में जातीय आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रयोग 2001

जातियाँ	बन्ध्या करण	गर्भ निरोधक गोलियाँ	लूप	नसबन्दी	निरोध	योग	प्रतिशत
ब्राह्मण	-	240	-	41	251	532	14.47
क्षत्रिय	-	212	-	36	224	472	12.84
वैश्य	-	98	-	18	104	220	5.98
यादव	-	210	-	48	215	473	12.86
कुर्मी	-	70	-	12	70	152	4.13
दर्जी	-	30	-	10	32	72	1.96
नाई	-	32	-	4	34	70	1.90
सुनार	-	50	-	12	53	115	3.12
लोहार	-	41	-	9	43	93	2.53
अन्य	-	90	-	23	89	202	5.49
धोबी	-	40	-	1	30	71	1.93
पासी	-	240	-	51	251	542	14.79
चमार	-	280	-	73	298	651	17.71
मेहतर	-	-	-	1	10	11	0.29
योग	-	1633	-	339	1704	3676	100.00

6.3.11 सरकण्डी गाँव में 1691 परिवारों के अन्तर्गत 3676 व्यक्तियों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रयोग किया। जिसमें बन्ध्याकरण ए गर्भनिरोधक गोलियाँ 1633, लूप, नसबन्दी 339, निरोध 1704 व्यक्तियों ने प्रयोग किया। जातीय आधार पर सर्वाधिक परिवार नियोजन की विधियों का उपयोग ब्राह्मण जाति में 532 (14.47%) तथा सबसे कम मेहतर जाति में 11 (0.29) व्यक्तियों ने प्रयोग किया।

6.4 अध्ययन क्षेत्र में स्त्रियों काफी समय से गर्भ समापन गोलियों का सेवन करके गर्भधारण से अपने आप को बचा रही है। 1969 में कुछ पाश्चात् देशों में इस गोली का प्रयोग से पड़ने वाले प्रभाव विवाद उठ खड़ा हुआ था। सरकार द्वारा गम्भीरता पूर्वक—विचार विमर्श कर गोलियों के उपयोग में आने वाले रासायनिक तत्वों का परीक्षण कराया गया तत्पश्चात् 19 मार्च 1970 में इसका पुनः वितरण प्रारूप प्रारम्भ कर दिया गया।

सर्वेक्षित 15 गाँवों के 9185 परिवारों में गोलियों का सर्वाधिक प्रयोग 1633 (44.42%) तथा सबसे कम उदयराजपुर गाँव में 23 (12.56%) महिलाओं ने किया। सारणी नं० 7011 इसका मुख्य कारण मुस्लिम जातियों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाली विधियों का प्रयोग न करना। जातिगत आधार पर शिक्षित स्त्रियों इस विधि का प्रयोग ज्यादा देखने में आया और इन्हीं शिक्षित स्त्रियों के प्रयोग को देखकर औश्र निशुल्क गोलियाँ मिलने के कारण अन्य स्त्रियों भी इसके प्रयोग में रुचि ले रही है। गर्भ निरोधक गोलियाँ उन स्त्रियों के लिये उपयोगी हैं जो अपनी संताने कुछ वर्षों के अन्तराल पर चाहती हैं। यद्यपि इसके बुरे प्रभाव नहीं होते फिर भी इसे बिना डाक्टरी परीक्षण के नहीं लेना चाहिये।

6.5 अध्ययन क्षेत्र मे परिवार को सीमित करने के लिये नसवन्दी विधि का प्रचलन बढ़ रहा है। जननांकिकी अध्ययन कर्ताओं ने भारत मे आकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि औसत एक दम्पति नसवन्दी के बाद 1.5% बच्चे के जन्म को टाल सकता है। एक आदर्श परिवार नियोजन का उपाय यह है जो प्रभावशाली सुरक्षित स्वीकार्य तथा ऐच्छिक हो। गर्भधारण से बचने के लिये देहाती उपाय भी है जैसे जड़ी, बूटियाँ, फूल, पत्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। वैद्य एवं हकीम भी परिवार नियोजन की रोकथाम के लिये जनता की सेवा करते हैं जिसमे कुछ रासायनिक उपकरण तथा गोलियाँ भी हैं जिससे आवांछित सन्तानों से बचा जा सकता है।

6.6 परिवार कल्याण के प्रति जन अभिरुचि परिवार नियोजन की सफलता जन अभिरुचि जानने के लिए समय—समय पर सर्वेक्षण किये जाने चाहिये। सर्वेक्षण से पता चलता है कि करीब 80% दम्पतियों को परिवार नियोजन की किसी न किसी विधि का ज्ञान है। जिसमे 73% व्यक्ति नसवन्दी से परिचित थे, 62% महिलाओं को नसवन्दी का ज्ञान था, 46% लूप विधि से परिचित थे, 25% निरोध व 15% व्यक्ति गर्भ निरोधक गोलियों से परिचित थे¹⁵।

सर्वेक्षण मे यह भी पाया गया कि 60% ने जन्म नियन्त्रण को उपयुक्त बताया जैसे—जैसे शिक्षा का विकास होता गया इसे नकारने वालों की संख्या घटती गई। 46% निरक्षरों ने जन्म नियन्त्रण को अनुचित बताया। साक्षर व्यक्तियों मे केवल 23% ने इस विधि को अनुचित माना। माध्यमिक स्तर तथा शिक्षितों मे 14% तथा कालेजों मे पढ़े—लिखे व्यक्तियों मे केवल 6% तक अनुचित ठहराया। जिन्होने कभी परिवार नियोजन की

किसी भी विधि का प्रयोग नहीं किया उनमें अधिकांश ग्रामीण अशिक्षित तथा शारीरिक श्रमकर्ता हैं। परिवार नियोजन की विधि में निरोध का प्रयोग अग्रणी है तथा गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग बढ़ रहा है किन्तु लूप एवं बन्ध्याकरण का प्रयोग घट रहा है।

परिवार के आकार के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों से पता चलता है कि 20 वर्ष से 39 वर्ष की स्त्रियों में से 9% स्त्रियाँ केवल एक या दो बच्चे चाहती हैं। 50% स्त्रियाँ तीन से चार बच्चे चाहती हैं। 29% स्त्रियों ने उत्तर दिया कि इस ओर कुछ सोचा ही नहीं जितने बच्चे ईश्वर दे देता है इसके अतिरिक्त शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति छोटा परिवार चाहती है अन्तर केवल इतना है कि शिक्षित स्त्रियों अपनी इच्छा पूरी करने के लिये परिवार नियोजन की सहायता लेती है और अशिक्षित स्त्रियों परिवार नियोजन की विधियों से अनभिज्ञ हैं।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आम भारतीय का जीवन संघर्षमय है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक ख्याति के सम्बन्ध में जी-जान से प्रतिक्षण संघर्षशील रहता है।

रिफरेन्सेज

1. पन्त जे० सी० जनांकिकी पेज – 229
2. पन्त जे० सी० जनांकिकी भारत की जनसंख्या नीति पेज—426
3. टैगोर रवीन्द्रनाथ जनांकिकी पेज— 427
4. पंजाबी महराज जी सामायिकी पत्रिका पेज— 36
5. जे० सी० पन्त जनांकिकी पेज— 448
6. —— तदैव —— पेज— 463
7. एम० सी० पुरी भारत की जनसंख्या नीति पेज— 38
8. दैनिक आज 14 नवम्बर 1983
9. फस्ट इयर प्लान प्लानिंग कमीशन 10 जी०ओ०आई० 1975 पेज—18
10. —— तदैव —— पेज— 419
11. —— तदैव —— पेज— 522
12. —— तदैव —— पेज— 524
13. —— तदैव —— पेज— 675
14. मिश्रा ए० सी० परिवार नियोजन पत्रिका फतेहपुर पेज— 38
15. आशीषबोस एण्ड अदर्स पापुलेशनइन इण्डियाज डेवलपमेंट पेज—377

अद्याय

7

अध्याय 7

निष्कर्ष एवं सुझाव तथा क्षेत्रीय नियोजन

किसी भी क्षेत्र में भोजन वस्त्र और आवास वहाँ के निवासियों की प्राथमिक आवश्यकताएं समझी जाती है और इनमें से एक का भी अभाव राज्य की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सत्ता को झकझोर देने के लिये पर्याप्त है। परन्तु उपरोक्त आवश्यकताओं की अपेक्षा भोजन आर्थिक विकास में तीव्रतम होती है क्योंकि मानव कम भोजन के बिना किसी तरह जीवित रह सकता है क्योंकि संसाधनों की गुणात्मक वृद्धि एवं जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि के प्रभाव से विभिन्न विकास के कार्यों के साथ—साथ राष्ट्रीय संरचना पर भी अमिट प्रभाव पड़ता है जिसके कारण आर्थिक एवं सामाजिक विकास जर्जर हो जाता है क्योंकि यदि राज्य के निवासियों की प्रतिदिन समुचित मात्रा में गुणात्मक भोजन नहीं उपलब्ध होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव वहाँ के निवासियों पर पड़ने लगता है और इसका प्रभाव समाज की मानसिक एवं बौद्धिक शक्ति पर भी पड़ता है क्योंकि वहाँ के निवासियों की कार्यशक्ति क्षीण हो जाती है। अतः इसका प्रभाव कृषि, उद्योग धन्धो एवं उत्पादन तथा राज्य की प्रबन्ध व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है।

विभिन्न तालिकाओं के अध्ययन एवं चित्रों के निरीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि फतेहपुर तहसील में कृषि कार्यों की प्रधानता है परन्तु इस कियाकलाप के समुचित विकास में कृषि की न्यून उत्पादन भूमिका असंतुलित वितरण भूमि का जनसंख्या पर निरन्तर बढ़ता भार, कृषि की परम्परावादी कियाएं, उन्नतिशील बीज उपकरणों उवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में शिथिलता, सिचाई के समुचित साधनों की कमी, अनियोजित

मिश्रित फल प्रारूप एवं स्थानीय कृषि का विशेषीकरण, खेतों का छोटा आकार एवं विखरा प्रारूप वर्तमान कृषि नीति में (फसल बीमा योजना) के क्रियान्वयन में शिथिलता तथा क्षेत्रीय अशिक्षित किसानों का कृषि को एक व्यवस्था न मानकर एक मात्र निर्वाहक ॥ जीवन यापन मात्र ॥ महत्वपूर्ण समझते हैं।

अतः कृषि के सम्यक विकास को ध्यान में रखते हुये बहुफसली न्याय पंचायतों में सिंचाई के साधनों का समुचित विकास कर दिया जाय, परन्तु यह तभी सम्भव है जब प्राप्त सुविधाओं या सीमाओं के आधार पर नलकूपों की संख्या एवं नहरों की लम्बाई समय-समय पर की जाय एवं नहरों की कटिंग को रोकने के समुचित प्रबन्ध किये जाये।

राज्य सरकार द्वारा लघु सिंचाई योतना के लिये निश्चित की गई धनराशि व्यय की जाय तथा समुचित उपयोग यि जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र की पूर्णरूपेण सिचिंत न्याय पंचायतों में हरी खाद का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। यह प्राप्त कृषि सुविधाओं के औसत के आधार पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अल्प है। अध्ययन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कृषि फार्म नहीं है। जहाँ पर नवीनतम् उन्नति के बीजों की प्रजातियों को उत्पादित करके कृषकों को वितरित किया जाय। अतः क्षेत्र में उन्नतिशील बीजों का आज भी अभाव है। उर्वरकों का प्रयोग मृदा उर्वरता स्वास्थ्य उत्पादकता की गहनता के अनुसार होना चाहिये। क्षेत्र में रवी, खरीफ, जायद की मुख्य व्यापरिक एवं खाद्य फसले जैसे—आलू, शक्करकन्द, विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियाँ, सूर्यमुखी, गेहूँ आदि का उत्पादन आवश्यक है। जिससे भोजन की विभिन्न गुणात्मक कमियों की

पूर्ति हो सकेगी और अतिरिक्त उपज का विक्रय करके क्षेत्रीय निवासी अपना जीवन यापन कर सकेगे।

7.1

योजना इकाईयों का सीमांकन— राष्ट्रीय स्तर पर वृहद् प्रदेश लघु प्रदेश प्रादेशिक स्तर पर लघु इकाई प्रदेश हमेशा जिला स्तर पर योजनाकारों द्वारा समझे गये एवं शोध क्षात्रों द्वारा अपनाये गये हैं। भौगोलिक सीमाओं से युक्त एक योजना क्षेत्र की समांगता विभिन्न कारणों से उपेक्षित रही है। प्राथमिक रूप से भारत वर्ष में योजनाओं का कियान्वयन राजनीतिज्ञों द्वारा राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में किया जा रहा है। इस प्रकार की कमियों के निरीक्षण से पता चलात है कि हमारी योजनाये खण्डवार न होकर क्षेत्रवार हो जाती है। इस कारण नियोजन का वैधानिक महत्व नहीं रह जाता है हम हमेशा राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला, तहसील, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर नियोजन बनाते हैं परन्तु वे असफल रहती हैं।

किसी भी क्षेत्र की योजना को भौगोलवत्ता और क्षेत्रीय नियोजन ने विभिन्न स्तरों में प्रारम्भ की थी जिसे योजनाकार ग्रम तहसील तथा जनपद स्तर पर योजना बनाना क्यों अवित समझ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने जिलावार योजना को तैयार करने और उसको कियान्वित करने के कुछ निर्देश निर्धारित किये थे क्योंकि ये कुछ सीमा तक संतुष्टि प्रदान करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की कमबद्धता, प्रशासन तन्त्र की समांगता, विश्वसनीय सांख्यकीय आंकड़े, ग्रोथ पोल और शोध केन्द्रों का अस्तित्व भौगोलिक सीमाओं के साथ राजनीतिक सीमाओं का सामान्जस्य है।

लेकिन वर्तमान समय में लघुत्तम योजनाओं के प्रियप्रेक्ष्य में कुछ और तथ्यों पर सोचना पड़ेगा। तहसील स्तर पर प्रशासन तन्त्र की

समांगता, न्याय पंचायत। विकास खण्ड तथा तहसील स्तर के प्रशासन पर एक अन्तराल दिखाई पड़ता है। अतः अब वह समय आ गया है जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े गाँव के समक्ष्य संतुलित विकास के लिये न्याय पंचायत स्तर के प्रशासन को समझना पड़ेगा।

7.2

प्राकृतिक तत्व- प्रकृति प्रति वर्ष बाढ़, सूखा, ओले, कुहरा, पाला से क्षेत्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है जिसका प्रभाव क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर व्यापक रूप से पड़ता है। यहाँ पर गंगा, यमुना तथा ससुर खरेदी नदियों में आने वाली बाढ़ों से फसले नष्ट हो जाती है जिससे यहाँ के लागो का जीवन जीना भी दूभर हो जाता है और पशु भूख से मरने लगते हैं। यदि इस प्राकृतिक आपदा से बचाव खत्म नहीं किया जाता है तो इस क्षेत्र का कृषि एवं पशु विकास पूर्णतया संभव नहीं है। क्षेत्र में अप्राप्त भूमि जो पड़ी हुई है उनमें बीहड़, जंगल, ऊबड़—खाबड़ टीलों तथा छोटी नदी सरिताओं के रूप में अप्राप्त है अतः इस प्रकार की भूमि को यांत्रिक और मानवीय शक्ति एवं तकनीकी माध्यम से एवं नदियों के किनारी वानकीय करण हल किया जा सकता है।

यद्यपि बाढ़ की समस्या का समाधान जल के उचित प्रबन्ध होने से सफल हो सकती है। जनपद की आर्थिकीय पर तहसील का महत्वपूर्ण स्थान है।

7.3

विभागीय क्षेत्रीय निर्देशन- व्यापारिक कृषि तथा निर्माण विभाग के मध्य कोई सह निर्देशन नहीं है। शोध क्षेत्र में गन्ने के पर्याप्त उत्पादन न होने के बावजूद भी बाहर को आपूर्ति की जाती है पशुओं की हड्डी सींग तथा अन्य वस्तुएं क्षेत्र के कुछ केन्द्रों पर संग्रहित की जाती है और क्षेत्र के बाहर निर्माण के लिये भेजी जाती है। यदि ध्यान दिया जाय तो यह एक प्रमुख

व्यापारिक औद्योगिक उपाय है। यदि इनके भण्डारज एवं उपयुक्त कार्यों के लिये समुचित सुविधा उपलब्ध करा दी जाय तो औद्योगिक विकास भी गति मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों तथा केन्द्रिय क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं तथा उत्पादनों के मध्य कोई समान्तर विनिमय व्यवस्था नहीं है।

7.4

सामाजिक क्षेत्रीय तथा समीक्षात्मक नियोजन— सामाजिक संरचना भी व्यापारिक कार्यकलापों के अपनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सीमित साधनों से जैसे नहर, दृयूववेल, विद्युत, यातायात भण्डारज सुविधाये निश्चित रूप से कृषि के व्यापारिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है। स्थानीय ग्राहक आपसी फसलों के लिये पड़ोसी तहसीलों या आसपास के नगरों पर आधारित है।

साग सब्जियों तथा फलों का उत्पादन क्षेत्र में काफी तथा लोधी के द्वारा किया जाता है। दूध का कार्य अधिकांशतया यादवों द्वारा ही किया जाता है। मुर्गी पालन प्रायः मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। जातिगत संरचना के कारण इन व्यापारिक कार्यकलापों की कोई संगठित शैली नहीं है जिसमें सहकारी समितियाँ, कृषि के उत्पादन एवं विक्रय में सामंजस्य स्थापित नहीं हैं ये प्रायः बरबाद हैं।

आतंरिक सुविधाओं की व्यवस्था— जल और भूमि प्रबन्ध निश्चित रूप से अध्ययन क्षेत्र की कृषि उत्पादन को अवश्य बढ़ायेगा इससे औद्योगिक उत्पादन शक्ति और यातायात तथा क्षेत्रीय विकास के पिछड़ेपन और औद्योगिक उन्नति प्रभावित होगी। अतः आन्तरिक संरचना उत्पादन सुविधाओं के मध्य विकास की सम्बद्धता की नितान्त आवश्यकता है जिसमें यह आवश्यकता मानव कल्याण के कार्यों को अग्रसर करेगी तथा शिक्षित और प्रगतिशील सामाजिक लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। यह

तभी संभव है जब शिक्षित व्यक्तियों को शहरी सुविधाये जैसे— पेयजल, विद्युत, यातायात, सफाई एवं सुरक्षा जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाय तथा इन्हे ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्थित किया जाय।

7.5

अन्य सुविधायें—

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुये लोगों को संस्थाओं के माध्यम से उनको वास्तविक और आवश्यकता का लाभ दिलाना चाहिये। इसके लिये निम्नलिखित सुझाव है।

- 1- कृषि उत्पादन की सुविधा कमजोर किसानों को उपलब्ध की जानी चाहिये।
- 2- फसल तैयार हो जाने के समय ही किसानों से पुनः ऋण की वापसी की जाय।
- 3- ग्रामीण व्यवसाइयों लुहार, बढ़ई, बुनकर, किसानों आदि को अधिक सुविधाये उपलब्ध कराई जानी चाहियें।
- 4- लघु किसानों को सुव्यवस्थित संविधाये उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

7.6

विपणन और सहकारी नियोजन— उपरोक्त वर्जित आंतरिक संरचना की सुविधाओं में कृषि की व्यापारीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस समय क्षेत्र में ऋण सुविधा के साथ-साथ उत्पादन और विपणन व्यवस्था की सुविधा से युक्त किसी भी प्रकार की कोई सहकारी समिति नहीं है। अतः सहकारी समितियों को ड्रेक्टर, थ्रेसर, उर्वरक, उन्नतिशील बीज, कीटनाशक दवाईयाँ तथा कृषि यंत्रों को भी रखना चाहिये जिससे यदि किसानों को आवश्यकता पड़े तो उन्हे प्राप्त कर सके। इन सहकारी समितियों को अपने प्रत्येक सेवा केन्द्रों में एक माल गोदाम तथा कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे किसान अपने उत्पादन का भंडारण कर सके और उचित

मूल्य आने पर उन्हें बेंच एवं मानवीय करण भण्डारण यातायात और विक्रय तकनीक की आपस में अन्तर सम्बन्ध होना चाहिये। इस तरह से उपरोक्त सुझावों को अूल करके क्षेत्र की कृषि विविधिकरण, कृषि सघनता में मदद कर सकती है। परन्तु मध्यम तथा लघु किसानों को सदस्यता की सुविधा प्रदान की जाय।

7.7

सामाजिक नियोजन — जैसा कि पूर्व वर्णित है कि किसी भी क्षेत्र के संतुलित आर्थिक विकास के लिये जीवन की गुणात्मकता हेतु सामाजिक नियोजन अत्यन्त ही आवश्यक है। प्रायः योजनाकर आर्थिक नियोजन को भी ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। निःसन्देह आर्थिक समस्या जैसे आय का वितरण, बचत योजना स्थितियों महत्वपूर्ण है परन्तु यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की किस तरह से प्रभावित करती है इसका आंकलन नहीं करते हैं।

क्षेत्रीयता के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाओं के माध्यम से मानवीय कुशलता तथा सामाजिक व्यवहार का सुधारात्मक रूप कियान्वित किया जा रहा है इससे समाजशास्त्री भी सहमत है कि सभी सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में विकसित रूप से फैलाया जाना चाहिये और प्राथमिक शिक्षा को पूर्णरूपेण महत्व दिया जाना चाहिये जिससे कमजोर शोषित लघु और सीमांत कृषकों को उचित तकनीकी उन्नतिशील बीजों का उपयोग तथा अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाय।

सामाजिक नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पूर्णरूपेण व्यवस्थित ग्रामीण सामाजिक संगठन है जिसको पूर्णतया दूर कर पाना कठिन है इसके परिवर्तन के लिये क्षेत्र में व्यापक गहन स्तर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को कियान्वित करने की नितान्त आवश्यकता है। जिससे एक दूसरे के प्रति

ऊँच नीच की तथा छोटा बड़ा, छुवाछूत, सामालिक अन्धविश्वासों को खत्म कर सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है।

7.8

कार्यात्मक नियोजन:- बृत्तिक गत्यात्मकता के साथ विभिन्न स्तर के सेवा केन्द्रों पर कार्यात्मक संगठन का उपयुक्त योजना प्रारूप होना चाहियें। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, प्रशासन, पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन केन्द्र, बैंक, सहकारी समितियाँ आदि विभिन्न सेवाओं का विस्तृत अध्ययन अध्याय नं० 6 में किया गया है। तथा यह सभी सुविधायें नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र इन सभी सुविधाओं से वंचित रह गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर इस सभी सुविधाओं को व्यवस्थित ढंग से पहुँचाया जाना चाहिये। जिससे क्षेत्रीय विकास हो सकता ह।

अध्ययन क्षेत्र के सम्मक अध्ययन, विश्लेशण तथा मूल्यांकन के पश्चात सम्पूर्ण शोध क्षेत्र को पाँच भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक स्तर के सेवा केन्द्रों के समुचित विकास के लिए एक प्रभाव क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। उपयुक्त कार्य के लिये उपयुक्त योजना निर्धारित की गयी है।

1-

तहसील के विकसित क्षेत्र- अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भूभाग पर स्थित न्याय पंचायतें इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं। जिनमें मोहन खेड़ा, बनरसी, शिवगोविन्दपुर शाह, बहुआ, हस्वा, कॉधी, कोराई न्याय पंचायतें प्रमुख हैं। इन न्याय पंचायतों में दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी पायी जाती है जिसके 80 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य सम्पन्न होता है ये न्याय पंचायतें अपरदन के प्रभाव से पूर्व रूपेण रहित हैं यहाँ अन्न उत्पादन दृष्टि से सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में सबसे आगे है। चारागाहों की उपयुक्त दशायें न होने के कारण पशुपालन कम है। शहरी प्रभाव होने के कारण शिक्षा का प्रभाव अधिक है। इन न्याय पंचायतों का अधिकांश भाग सिंचित है। जिनमें

धान और गेहूँ की खेती की जाती है। स्थानीय स्तर पर किसान खेतों में मत्स्य के बीज छोड़कर लघु स्तर पर मत्स्य पालन कर सकते हैं। नहरों के किनारे किनारे अतिरिक्त जल निकास व रिसाव के कारण स्थायी रूप से लगभग 20 मीटर चौड़ी दलदली पट्टी है इस पट्टी में केले की खेती की जा सकती है तथा चौड़े व गहरे तालाब हैं उनमें मत्स्य पालन किया जा सकता है। ससुर खरेदी नं० 1 के अपरदन से प्रभावित शाह, बनरसी, शिवगोविन्दपुर तथा ढकौली के दक्षिणी भाग में फलदार बृक्ष आम, अमरुद, बेर, कटहल तथा सहतूत के बृक्ष लगाये जायें जिससे अपरदन रोकने के साथ स्थानीय लोंगों को फलों की आपूर्ति की जा सकती है। सहतूत के बृक्षों से रेशम उद्योग को विकसित किया जा सकता है। कॉधी, कोराई, सनगाँव, देवरी लक्ष्मणपुर आदि न्याय पंचायतों एवं उनसे सम्बंधित गाँवों में लघु स्तर के उद्योग धन्धे स्थापित किये जायें जिससे क्षेत्रीय स्तर पर रोजी रोटी हेतु फतेहपुर नगर में आने वाले लोंगों को अपने गाँवों के पास कार्य मिलने से शहरों की ओर झुकाव नहीं होगा। जिससे गाँवों की ओर से शहर की ओर स्थानान्तरण में रोक लगेगी और साथ ही गाँव का आर्थिक विकास होगा।

- 2- तहसील के अर्द्धविकसित क्षेत्र— इस विकास स्तर के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की चित्तिसापुर, लतीफपुर, जमुराँवाँ, मो० बुजुर्ग, मदनपुर, खानपुर तेलियानी, तारापुर, चकस्करन, गाजीपुर और मुत्तौर न्याय पंचायतें हैं इनमें बलुई तथा बलुई दोमट मिट्टी पायी जाती है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अन्य सुविधायें हैं जिससे पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की अधिकांश भूमि असिंचित है। अतः नहर की क्षमता को बढ़ाकर २० प्रतिशत सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। जिससे पैदावार में बृद्धि की जा सकती है

न्याय पंचायत स्तर पर शिशु एवं मातृ कल्याण केन्द्रों तथा बैंकों की नितान्त आवश्यकता है। यदि इस क्षेत्र में कुटकुट पालन केन्द्र स्थापित किया जाये तो पास के नगरीय क्षेत्रों को मॉस एवं अण्डों की आपूर्ति बड़ी आसानी से की जा सकती है। नगर पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से आधरित सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाये इस क्षेत्र में पशु संसाधन अधिक है जिससे चमड़ा शोधन, जूते चप्पलों का निर्माण एवं गोबर गैस सन्यन्त्र विकसित किये जा सकते हैं। तारापुर भिटोरा में हड्डी पिसाई संयन्त्र की स्थापना करके उर्वरक केन्द्र की स्थापना की जा सकती है साथ ही ढालू जमीन पर कपास की खेती को विकसित करके बुनाई कताई तथा टाट पट्टी केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं जिससे सामायिक बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है।

- 3-** तहसील के अन्य विकसित क्षेत्र— इस विकास स्तर के अन्तर्गत सॉखा, गम्हरी, कोण्डार, दतौली, अयाह, बड़नपुर, बड़गाँव, चुरियानी आदि न्याय पंचायतों मध्यवर्ती दक्षिणी पश्चिमी भाग पर स्थित हैं इस स्तर की अधिकांश न्याय पंचायतों का भू भाग जमुना नदी के बाढ़ एवं अपरदन का प्रभावी क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश न्याय पंचायतों में सिंचाई की सुविधायें न होने तथा अपरदन के कारण ऊबड़ खाबड़ धरातल तथा ऊसर युक्त भूमि होने के कारण यहाँ का अधिकांश कृषिकृत भूभाग एक फसली है। यहाँ पर सिंचित सुविधाओं की व्यवस्था, ऊसर सुधार योजना एवं ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके एक फसली भूभाग को बहु फसली भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंचाई के विकास से मोटे अनाजों के स्थान पर धान, गेहूं तथा गन्ने की पैदावार की जा सकती है। कोण्डार एवं दतौली में मोरम की समुचित व्यवस्था हेतु सधिकार नियंत्रण कार्यालयों की नितान्त आवश्यकता

है। जिससे मजदूरी एवं संसाधन के उचित मूल्य का लाभ कमजोर वर्ग को मिल सके और अराजक तत्वों के एकधिकार को खत्म किया जा सकता है साथ ही अन्त्योदय कार्यों के अन्तर्गत लोंगों को विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। ललौली एवं दतौली में बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका इण्टर कालेज की नितान्त आवश्यकता है जिससे कि स्थानीय स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा की सुविधा मिल सके। न्याय पंचायत स्तर पर आटा मिल, तेल मिल, भण्डार गृह एवं चमड़ा तथा हड्डी एकवीकरण के केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं।

- 4-** तहसील के अन्य विकसित क्षेत्र— इस विकास स्तर के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग की कोराकनक, सनगाँव, खुमारीपुर, कॅथियॉ, थरियॉव, सातोजोगा, नरैनी, सेमरी, कुसुम्मी, खेसहन, असोथर तथा बहरामपुर आदि न्याय पंचायतें आती हैं। ससुर खरेदी नं० १ द्वारा प्रभावित अपरदन क्षेत्र है जिसके कारण कृषि क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ हो गया है। अतः यहाँ समतली करण योजना को लागू करके कृषि युक्त अप्राप्त भूमि को प्राप्त कर सिंचाई की समुचित व्यवस्था करके कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। एक फसली के बीस प्रतिशत भाग को द्विफसली क्षेत्र में बदला जा सकता है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। भेंड़ बकरी पालन केन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किये जायें जिससे क्षेत्रीय नागरिकों की दयनीय स्थिति को सुधारा जा सकता है। जिससे आर्थिक प्रगति में सुविधा मिलेगी। इस क्षेत्र में संसाधनों के विकास की नितान्त आवश्यकता है।

- 5-** तहसील के अविकसित क्षेत्र— इस स्तर के अन्तर्गत महना, ख्वाजीपुर सेमरैया, देवलान, सरखल, अलावलपुर, हसनपुर, हुसेनगंज, फरसी,

जरौली, तालिबपुर, मथड्यापुर, मुरांव आदि न्याय पंचायतें अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। यह क्षेत्र युग अपरदन के कारण ऊबड़ खाबड़ अत्यन्त विषम धरातल युक्त है यहाँ पर यातायात, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि इकाई आदि आर्थिक प्रजाति को मजबूत करने वाली विकास समितियों का पूर्णतया अभाव है। न्याय पंचायत स्तर पर, वन उद्योग धन्दे यातायात साधनों के विकास हेतु सड़कों, मातृ एवं शिर्श कल्याण केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र एवं शिक्षा हेतु बालक तथा बालिकाओं के लिए विभिन्न स्तर की अलग अलग संस्थायें खोलने की नितान्त आवश्यकता है। खेतों के आकार को छोटा किया जाये देवलान और औगासी के सामने जमुना नदी पर पीपे के पुल की नितान्त आवश्यकता है जिससे फतेहपुर से बब्रेस्त तथा बॉदा के लिए सीधा सम्पर्क हो जायेगा जो क्षेत्रीय विकास की भूमिका अदा करेगा।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत दोनों नगरीय केन्द्रों में समुचित नगर विकास हेतु सरकारी स्तर पर आवास विकास परिषद (वहुआ) की स्थापना की जाये। वहुआ नगरीय स्थल में मण्डी स्थल की स्थापना की जाये तथा एक सरकारी कृषि फार्म की आवश्यकता है जो समय समय पर किसानों को उन्नत शील बीजों का ज्ञान कराने के साथ साथ उपलब्ध करायें। शिक्षा के सन्दर्भ में बालिका इण्टर कालेजों और महाविद्यालयों की महती आवश्यकता है। फतेहपुर के महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य के सभी विषयों के पठन पाठन की नितान्त आवश्यकता है जिससे कि आप पास के सभी विद्यार्थियों को इधर उधन न जाना पड़े।

समाधान तथा क्षेत्रीय नियोजन—

(अ) अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिए विकास खण्ड मुख्यालयों का परिसीमन अत्याधिक आवश्यक है। जिससे योजनाओं का समुचित लाभ ग्रामीण स्तर के सभी लोगों को मिल सके। योजनाओं को कियान्यवित करके व्यक्तिगत संसाधनों एवं क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के स्तर को ऊँचा किया जा सकता है यथा—

- 1- कृषि का विविधीकरण एवं व्यापारीकरण करने के लिए सिंचाई की सुविधायें, पर्याप्त शक्ति आपूर्ति, उन्नतिशील बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवायें, तकनीकी कृषि यंत्र, मृदा परीक्षण आदि सुविधाओं का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाये।
 - 2- स्थानीय संसाधनों पर आधारित द्वितीय एवं तृतीय कम के सेवा केन्द्रों पर कृषि की सघनता के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों (आटा चक्की, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुटकुट पालन, काष्ठकला, मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बुनना, कढ़ाई बुनाई, शिल्प कला, माचिस, मोमबत्ती) को स्थापित किया जाये जिससे क्षेत्र की अतिरिक्त मानव शक्ति को कृषि से हटाकर उपरोक्त उद्योगों में नियोजित किया जाये।
 - 3- परिवहन एवं संचार की सुविधाओं को ग्रामीण स्तर तक पूर्णतया विकसित किया जाये।
- (ब) सामाजिक गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु शिक्षा के व्यापक प्रसार, नुककड़ नाटक, जनजागरण, समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों के अन्दर भ्रमित

सामाजिक दोषों (छुआछूत, अन्यविश्वास, रुद्धिवादी परम्पराओं) आदि को दूर करके समाजिक विकास किया जा सकता है।

(स) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य की समुचित सुविधायें उपलब्ध की जायें और समय समय पर गहन निरीक्षण किया जाये। ग्राम सभा स्तर पर मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जाये।

जनसंख्या जहाँ एक ओर समाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व है वही दूसरी ओर दायित्व भी। जनशक्ति एक पूँजी है इस जनशक्ति का यदि उचित प्रकार से उपयोग न हो तो नवीन रोजगार नहीं मिलेंगे और इस प्रकार वह साधन भार बन जायेगा। अध्ययन क्षेत्र में विवेक पूर्ण नियोजन एक तत्कालीन आवश्यकता है अन्यथा क्षेत्र की प्रगति पूरी तरह से वांकित हो जायेगी।

परिशिष्ट

न्याय पंचायत	मी० क्षे० (हे०)	बनक्षेत्र प्रतिशत	कृषि अयो० बंजर भूमि	ऊसर भूमि प्रतिशत में	परती भूमि प्रतिशत में	अन्य भूमि प्रतिशत	चारागाह प्रतिशत	सम्पूर्ण खेति० प्रति० हे०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मोहन खेड़ा	3051	2.79	7.74	4.10	9.11	3.02	1.80	71.64
रावतपुर	3071	1.04	6.51	0.59	7.55	3.42	4.14	76.78
काँधी	3264	0.61	8.73	1.90	7.05	4.75	4.60	72.36
कोराई	3128	1.12	5.82	11.83	6.39	3.68	3.32	68.05
अलावलपुर	2644	0.57	3.59	7.56	5.11	4.08	4.88	74.21
खानपुर तेलियानी	3878	1.16	6.00	11.60	4.07	2.55	3.22	71.04
सनगाँव	2405	0.83	4.61	10.15	11.64	2.08	4.82	65.87
देवरी लक्षणपुर	2769	1.41	6.32	07.23	6.58	2.49	3.97	72.00
वरासी	1885	0.53	2.07	03.98	6.63	5.83	7.96	73.03
ताशपुर	3803	4.33	5.26	18.41	10.52	5.92	2.97	52.59
तालिबपुर	1928	1.35	5.96	01.04	10.37	3.63	3.22	71.43
जमुरांवा	3427	2.92	5.84	1.17	5.84	3.36	4.38	76.44
लोहारी	2511	4.58	3.39	00.96	6.37	7.25	7.96	69.49
हसनपुर	2617	0.76	6.69	11.46	7.91	6.34	6.57	60.27
मथड़यापुर	1628	7.49	12.29	00.92	06.14	6.14	6.45	60.57

कुल जनसंख्या	पुरुष	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	कर्मकार ज०	हिन्दू ज०	इस्लाम ज०	उषांक	उत्पादन
10	11	12	13	14	15	16	17	18
12388	6552	3647	2678	3976	10880	1400	3887	12815
10800	5650	3363	2554	3413	9846	902	4084	9484
9966	5396	2600	2095	3380	9043	883	6018	11659
9293	4933	2429	1821	3202	8321	897	7910	7392
9739	5193	2745	2081	3564	8750	905	2342	4412
11488	6034	3123	2473	3613	9896	1202	295	9810
9798	5174	3025	2720	3760	8746	989	3144	6140
5455	9855	1683	2720	1822	4813	602	5707	9109
6907	3598	1171	995	2066	6018	818	3410	4848
11968	6218	3416	2723	3389	11050	900	2704	6623
6285	3223	1368	2206	2617	5898	360	2580	2822
14394	7567	2923	2406	5247	12902	1412	3820	12585
6226	3249	979	862	2077	5798	398	4037	6236
10585	5574	2294	1928	9781	975	2306	7237	7312
6842	3519	1255	1081	2746	6030	784	2773	4911

न्याय पंचायत	मी० क्षेत्र (हे०)	बनक्षेत्र प्रतिशत	कृषि अयो० बंजर भूमि	ऊसर भूमि प्रतिशत में	परती भूमि प्रतिशत में	अन्य भूमि प्रतिशत	चारागाह प्रतिशत	सम्पूर्ण खेति० प्रति० हे०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चित्तिसापुर	2805	2.45	3.50	3.33	7.00	4.38	3.50	75.12
हुरेनगंज	1756	4.44	5.58	0.85	5.69	3.70	7.12	72.61
फरसी	1938	2.32	4.46	10.33	5.89	3.25	5.16	68.62
बेरागढ़ीवा	2315	0.65	8.64	0.43	9.72	2.59	5.40	72.57
मकनपुर	2063	1.50	5.82	2.42	7.85	5.09	10.08	67.24
लतीफपुर	1801	5.55	5.83	2.50	9.99	3.89	4.62	67.52
मो० बुजुर्ग	1991	0.51	8.79	1.00	4.52	5.02	3.77	75.39
ठकोली	2582	2.90	4.07	0.77	4.84	3.18	4.57	79.97
बड़नपुर	2646	3.97	5.67	0.19	7.56	3.78	4.46	74.37
हस्ता	3143	0.92	2.13	0.48	5.31	2.83	3.98	84.35
सनगाँव खुमारीपुर	2710	1.29	2.76	4.24	3.21	2.14	3.69	82.69
मुरांव	2184	0.45	4.12	2.55	4.58	3.62	4.03	75.02
खाजीपुर सेंमरैया	1425	2.67	3.51	15.44	9.75	8.77	7.02	52.84
थरियाव	3162	2.06	3.16	5.53	9.49	4.11	9.49	66.16
बहरामपुर	3317	2.47	3.77	6.48	4.16	3.14	5.28	74.07
सातोजोगा	3400	4.68	8.24	1.32	7.35	3.21	8.42	66.38
नरेनी	2136	5.15	9.36	0.47	5.20	6.79	9.69	63.34
सेमरी	2779	7.20	8.56	0.54	3.85	3.17	3.71	72.98
कुसुम्भी	3169	4.26	8.84	2.05	6.32	4.42	6.32	67.81

कुल जनसंख्या	पुरुष	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	कर्मकार ज०	हिन्दू ज०	इस्लाम ज०	उधाक	उत्पादन
10 9997	11 5246	12 1849	13 1654	14 4159	15 9070	16 901	17 3729	18 5418
9053	4795	2175	1816	2721	8533	500	2277	3512
8153	4284	1819	1494	3127	7041	387	2256	5541
8410	4471	1719	1461	2759	7834	510	3100	6357
7061	3740	1301	1156	2486	5530	1500	3264	5921
6977	3653	923	827	2728	6321	626	3318	7943
8829	3653	1437	1309	3142	7917	889	3721	7071
9501	4598	2539	2052	3143	8591	885	3037	7071
5896	3175	1389	1205	1547	5292	590	2398	2375
13986	7364	2968	2352	5285	12851	1101	3217	1086
10134	5376	2380	2069	4118	9191	901	2536	5036
6990	3750	973	818	3159	6476	512	2055	2864
6090	3258	1309	1115	2838	5077	701	2785	4397
12451	6583	2369	2078	4697	11263	1112	2086	6608
15455	8130	3536	2886	9750	13853	1581	2498	5881
11293	5980	2065	1735	7949	10561	712	2285	4951
8521	4428	1626	1346	5833	7912	552	2479	3983
9473	5033	2530	2083	6585	8706	752	1838	3304
8414	4716	1698	1498	5928	8262	640	2050	3971

न्याय पंचायत	मी० क्षेत्र (हे०)	बनक्षेत्र प्रतिशत	कृषि अयो० बंजर भूमि	ऊसर भूमि प्रतिशत में	परती भूमि प्रतिशत में	अन्य भूमि प्रतिशत	चारागाह प्रतिशत	सम्पूर्ण खेति० प्रति० हे०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खेतहन	2969	1.28	5.59	13.15	13.49	7.71	5.55	56.98
बनरसी शि०	1752	2.57	5.71	01.20	07.99	3.42	5.42	03.69
शाह	2051	1.71	3.90	02.68	05.12	2.19	4.88	79.52
चुरियानी	3325	2.41	3.22	-----	03.64	2.71	4.18	43.84
अयाह	1976	0.91	3.29	06.58	03.85	2.88	4.45	78.04
बहुआ	2581	1.74	3.29	04.30	04.15	3.06	7.75	77.71
महना	2325	0.87	1.51	00.38	01.94	2.54	3.78	89.93
बड़ा गाँव	1743	1.55	1.95	07.57	03.67	3.44	4.02	77.08
चकरकरन	1935	0.26	1.01	03.15	02.68	03.72	4.60	79.64
गाजीपुर	2315	0.82	1.90	04.54	05.83	02.76	4.55	79.04
गम्हरी	4614	1.19	2.47	14.09	08.67	02.49	5.14	65.05
सांखा	2707	0.52	4.99	25.12	05.73	03.14	3.80	56.73
कोणडार	7531	10.12	7.97	01.32	03.98	01.79	3.32	71.49
कोरकनक	3344	5.98	9.06	01.35	11.96	04.46	8.37	58.82
मुत्तौर	2487	2.01	4.02	02.73	08.04	04.22	8.04	70.94

कुल जनसंख्या	पुरुष	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	कर्मकार ज०	हिन्दू ज०	इस्लाम ज०	उष्मांक	उत्पादन
10	11	12	13	14	15	16	17	18
10722	5880	2065	1803	7153	9760	930	1973	3971
6990	3763	2059	1651	4674	6538	430	4123	3975
11648	6197	3374	2662	7637	10616	1012	4744	14326
13183	7090	3377	2794	7866	11779	1379	3976	11954
7924	4254	2287	1870	5393	7412	500	2866	5948
6779	3538	2072	1594	4220	6079	681	3392	4707
6766	3641	2164	1725	4823	5877	850	1575	1753
6236	3292	1529	1255	4314	5718	501	2017	5716
7740	4098	1727	1446	5529	7151	564	2610	5207
11670	6228	2839	2149	7583	10470	1189	2551	7591
13338	7143	3001	1968	9091	12020	1300	2300	7430
8474	4467	1824	2525	5299	7346	1100	4292	10109
21516	11281	5404	4305	15416	17224	4201	4057	8891
10466	5626	3043	2530	7450	5814	4602	3019	4130
7655	4181	2707	2111	4776	6344	1000	4439	7052

न्याय पंचायत	मी० क्षेत्र (हे०)	बनक्षेत्र प्रतिशत	कृषि अयो० बंजर भूमि	ऊसर भूमि प्रतिशत में	परती भूमि प्रतिशत में	अन्य भूमि प्रतिशत	चारागाह प्रतिशत	सम्पूर्ण खेति० प्रतिं हे०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दतौली	3533	3.06	3.17	1.13	5.66	3.14	3.68	80.16
देवलान	3910	2.56	6.01	1.66	8.57	4.86	6.62	69.72
सरबल	3744	5.21	4.24	1.79	5.53	3.71	5.34	74.16
कट्टिया	2099	3.76	4.86	4.05	12.86	6.34	9.52	58.61
असोथर	7293	4.11	6.09	1.54	9.60	2.74	7.77	67.88
जरौली	5287	3.78	6.34	1.31	4.05	2.18	8.23	74.16
योग	158900	2.93	5.37	4.58	6.73	3.69	5.44	71.25

कुल जनसंख्या	पुरुष	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	कर्मकार ज०	हिन्दू ज०	इस्लाम ज०	उसांक	उत्पादन
10	11	12	13	14	15	16	17	18
8436	4520	2001	1696	5703	7544	851	4563	8342
9286	5072	1649	1469	5573	8174	2089	2909	4334
9286	4770	1953	1644	6052	7643	1101	2691	4467
8764	4560	1856	1689	5541	8967	8560	3141	5322
8697	4660	2056	1661	7583	6789	510	2412	6212
18762	9946	4698	3718	12716	17032	1700	3630	11182
16346	8793	2924	2364	7583	14771	1511	1823	4333
540534	-----	164277	128461	187534	399622	56298	2951	362018

BIBLIOGRAPHY

- 1- Adarkar, B.P. Future trend of population growth in India Sankhya (3) (1938) :41-48
- 2- Acharya, Hem Lata, Growingcities Seminar, 18, Feb. 1961) 24-30
- 3- Agarwala, S.N. measurement of Population Growth, Indian Journal of Economic, Jan. 1955.
- 4- Bansil, P.C. Food Resources and population of India-a historical study, Sankhya, Jan. 22, 1960, 183-208
- 5- Chandrasekharan, C. some aspects of Farsi demography Human Biology, 20 (2) (May 1948)
- 6- Chellaswami T, Population tends and labour force in India 1951-56, population Review2 (2) July 1958 42-48.
- 7- Chidambaram, V.C. 'Increasing Female marriage Age in India and its Impact on First Birth Interval. An Empirical Analysis' In proceedings of the General Conference of the IUSSP Vol. I, pp. 437-London, 1969.
- 8- Dass, A.K. Demographic study – its applications in an craon Village, Vanyajeti, 8 (4) oct. 1960: 132-39.
- 9- Das, Rajani Kenta, Population and food supply in India proceedings of the world population conference, 1927 ceneva pp. 114-118, London: Edward Arnold and Co. 1927.
- 10- Dandeker, V.M. and pethe, Vasant P.' Employment and unemployment of adult rural population Artha Vijnana, 4 (1) (March, 1962) .
- 11- Frymann, Moye w, population control in India. Marriage and family living 25 (1) (Feb. 1963) 53-61.
- 12- Fox Foundation, Indian's family planning programme-A Brief Analysis, p. 37. Delhi: Ford Foundation 1970.
- 13- Gupta J.P. Social and Demographic Structures of a Region Base line study for school planning, Licentiate 16 (10 & 11).
- 14- Geone M.V. Labour force in Kerala 1961-56, Asian Economic Review 3 (4) August 1961. 388-98

- 15- Gaba K.L. Cost benefit Analysis of the family planning programme in Uttar Pradesh p. 16
- 16- Hussin, A.F.A. Industrialization and the problem of population Indian Journel of Economics, 30 (116) July 1949 55-59
- 17- Halda, A.K. and Bhattacherya N Fertility and sequence of children of Indisn couples Sankhya, B31 Dec. 1969, 144.
- 18- Iyer, R.B. Leval or education and manpower in India Kerala labour and Industries Review 5 (1) (1967), 15-18.
- 19- India National Sample survey tables with notes on Internal Migration 9th, 11th, 12th, round May, 1955, New Delhi.
- 20- Joshi, S.R. and chitra K.T. Survey of Bhalod: A Village in Jalgon district Journal of Family welfare 14 (2) Dec. 1967) 33.
- 21- Janaki A. Some Aspects of population patrem in Difference functional grups p. 80, Baroda, M.S. University, of Baroda 1967.
- 22- Kall Arun, Population trends in Bikaner district, Journal of family welfare 16 (4) June, 1970.
- 23- Khandewale, S.V. population change and employment policy in India, Economic Affairs, 15 (5) may, 1970 229-236.
- 24- Kha M.E. Socio Economic status of the vasectomised persons-A care study of patna, p. Parna Demographic Research centre, 1961.
- 25- Lal D.N. Report on the demographic sample survey of patna patna The University , 1955.
- 26- Mahaan B.M. Vesectomy versus IUCD Artha Vijnane, 8 (2) June , 1966, 149-60
- 27- Nag A.C. Studies on age at marriage and fertility modern Revies 91 (6) June 1951 475-78.
- 28- Nag oni, Attitude towards vasectomy in best Bengal population Review 10 (1) Jan. 1966 61-64.
- 29- Owaisy M.S. Attitude towards family planning patna Journal of Medicine, 39 (3) March 1965 107-12.

- 30- Prasad G. Occupational trends in Andhra Pradesh ALLCC
Economics Review 17 (20) May 1966 37-39
- 31- Potter. G. et al Fetal wastage in eleven Punjab Villages
Human Biology 37 (1965) 262-73.
- 32- Ranadi B.T. Population problem of India pp. xviii, 211,
Bombay, Longmans Green & Co. 1930.
- 33- Satya Payana R. Literacy and Education Level in Andhra
Pradesh, proceedings of seminar on problems
Relating to pp. 71-95.
- 34- Talwar p.p. Adolescent sterility in an urban population
Human Biology 37 (3).
- 35- Viseria, pravin M. Migration between India and Pakistan,
1951-61, Demography.
- 36- Moodruff Gerturude M. Family migration in Bangalore
Economics Weekly 12; (June 1960)
- 37- Verma, R.B. pd. Structure of labour force in Bihar, p. 71 Patna,
Demographic Research Centre, 1969.
- 38- Zacheriah, K.C. And Hanumantha Rayappa How Static are Indian
Villages, Journal of the Institute in Economics
Research 1 (2) 38-46.
- 39- Zachariah K.C. Bombay Migration study: A pilot analysis in
Migration to an Asian metropolis Demography
(2) (1966), 378-92.

पत्र – पत्रिकाएं

- 1- Geographical Journal of India
- 2- Geographical Review
- 3- Geography of India
- 4- Economic of Times
- 5- Pioneer

- 1- आज, दैनिक जागरण, अमर उजाला, स्वतंत्र भारत
- 2- योजना
- 3- प्रतियोगिता दर्पण
- 4- उत्तर भारम भूगोल पत्रिका

स्रोत— सर्वेक्षित सारिणियां प्रश्नावली पर आधारित हैं।

1901 से 1991 तक के आंकड़े जनगणना सार सांख्यिकीय पत्रिका गजेटियर (विभिन्न सूत्रों)
पर आधारित हैं।

शोध विषय

फतेहपुर लहसील (फतेहपुर जनपद) की जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक लक्षणों का भौगोलिक अध्ययन

गया प्रसाद वर्मा

(शोध छान्न भूगोल विभाग)

अर्तशा पोर्ट ग्रेजुएट कालेज, अर्तशा, बॉदा

गृह प्रश्नावली

Surveyed by.....

1— गाँव का नाम..... ख्लाक..... लहसील..... न्याय पंचायत.....

2— घर के मुखिया का नाम..... धर्म..... जाति.....

3— परिवार के व्यक्ति सम्बन्धी सूचनाएँ—

क्र०सं०	नाम	मुखिया से सम्बन्ध	उम्र	शिक्षा	व्यवसाय	आमदनी	विवाह स्थान	दूरी
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

4— आर्थिक स्थिति निम्न/मध्यम/उच्च.....

5— क्या आप किसी के बन्धन में हैं यद्यपि है तो किस प्रकार.....

6— यदि आपका कोई व्यक्ति शिक्षा पा रहा है तो उसका विवरण—

क्र०सं०	नाम	उम्र	कक्षा	खर्च प्रतिमाह	स्थान	दूरी
1.						
2.						
3.						

7— क्या किसी परिवार के सदस्य ने बीच में पढ़ाई स्थगित कर दी है हाँ/नहीं, यदि हाँ तो क्यों ?.....

विषय कारण/पढ़ाई में उत्तराधि/दूरी.....

8— क्या आप दर्तमान शिक्षा से संतुष्ट हैं, हाँ/नहीं.....

9— क्या आप लड़कियों को स्कूल भेजना चाहते हैं, हाँ/नहीं.....

10—

क्र०सं०	बोमार व्यक्ति का नाम	उम्र	बीमारी	अवधि	दवा स्थान	खर्च	मूल्य
1.							
2.							
3.							

11— आप पिछले वर्ष रोग के उपचार हेतु कहें..... तथा कितने बार गये.....

12— पिछले पाँच वर्षों में आपने चेचक/हैंजा/तपेदिक का टीका लगवाया या नहीं.....

13— आपके पास टार्च/घड़ी/सायकिल/रेडियो/टी० बी०/मोटर सायकिल/अन्य वस्तु हैं.....

14— भूमि उपयोग— कुल भूमि..... कुल बोयी गयी भूमि..... बाग बगीचा.....

कृषि योग्य बेकार भूमि.....

15—

क्र०सं०	फसल का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन प्रति एकड़	सिंचित	असिंचित	कुल पैदावार	बेचने वाला स्थान
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

16— क्या आपके पास सिंचाई का निजी साधन है, हाँ/नहीं, यदि हाँ तो नाम.....

P.T.O.

(2)

17- पिछले पाँच वर्षों से आप कौन कौन से उत्तम बीज तथा यन्त्र प्रयोग करते हैं-

क्र०सं०	नाम बीज एवं बी० आई०	प्राप्त स्थान	खाद नाम	प्राप्त नाम	नाम यन्त्र	प्राप्त स्थान	भरमत
1.							
2.			.				
3.							

18- कृषि विकास-

क्र०सं०	विवरण	75	76	77	78	79	80
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

19- क्या आप अपने फसलों का हेर फेर करते हैं हाँ/नहीं

20- क्या आप बटाई बोते हैं हाँ/नहीं

21- क्या आप मजदूरी करने बाहर जाते हैं यदि हाँ तो दूरी

22- घर का प्रकार कच्चा/छपर/खपरेत/झोपड़ी/पक्का/एक मजिल/दो मजिल

23- आपके घर में कमरों की राख़ी सुविधायें हैं यदि नाम गृह/शैक्षालय आदि की

24- क्या आपके पर्शुओं के रहने की अलग व्यवस्था है हाँ/नहीं

25- आपके पास बैल गाय बकरा भेजने की स्थिति

क्र०सं०	कृषि एवं पशुओं से उत्पादित वस्तुये	स्वयं प्रयुक्त	बेचने का स्थान	दूरी	मात्रान्
1.	घो/दूध	हाँ	नहीं		
2.	अण्डा				
3.	खाले/इक्की				
4.	अनाज	.			
5.	तिलहन				

शोध विषय

फतेहपुर तहसील (फतेहपुर जनपद) की जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक लक्षणों का भौगोलिक अध्ययन

गया प्रसाद वर्मा

(शोध छात्र भूगोल विभाग)

अर्तरा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अर्तरा, बॉम्बे

गृह प्रश्नावली

Surveyed by.....

- 1- सामान्य परिचय:- ग्राम का नाम स्थाक का नाम डाकघर
गांव / घासी रहकारी समिति
- 2- पाई जाने वाली मिटियाँ.....
- 3- पशुओं और जानवरों के नाम और संख्या:- गाय बैल भैंस बैंसा बकरी.....
बकरा भैंड घोड़ा खच्चर सुअर मुर्गी
- 4- सिंचाई के साधन:-

		दूध बेलों की संख्या		
कच्चे कुरंगे	पक्के कुरंगे	सरकारी	बिजली वाले	डीजल वाले
गैर सरकारी		बिजली वाले		डीजल वाले

- 5- क्या सिंचाई की सुविधायें पर्याप्त हैं/नहीं.....
- 6- कौन सा साधन लागत की दृष्टिकोण से उपयुक्त समझते हैं, कुर्ज़ा/दूधबेल/नहर
- 7- यदि आपको सिंचाई, रासायनिक खाद, ऋण, अच्छी कीमत तथा वस्तुओं के विक्रय की सुविधायें दी जाय तो कौन सी फसले पैदा करेगे.....

8- वस्तु (फसलें)	बेलों का स्थान		दूरी	लेने वाली संरक्षा
	ग्राम	या अन्य स्थान		
अनाज				
तिलहन				
दाल				
गुड़				
अन्य				

9- पशु सम्पदा	विक्रय स्थान गाँव में	यदि बाहर तो स्थान	दूरी
धी			
दूध			
अण्डे			
हड्डी			
खाले			
मछली			

10- उद्योग धर्त्ये	चकड़ी	कोलू	धान मरीन	आरा	बीड़ी	भट्ठा	मुर्गी फार्म	डेरी	अन्य कुर्टीर उद्योग
संख्या									
कर्मचारियों की संख्या									
लगे परिवारों की संख्या									

11- क्या कुटी उद्योगों के लिये कच्चा माल, ऋण, बाजार, औजार आदि की सुविधायें मिल जाती हैं.....

12- मजदूरी की स्थिति-

कार्य	संख्या		स्थाई	अस्थाई	मजदूरी	
	पिछड़ी जाति	अनुचित जाति			दैनिक	मासिक

13- नये यन्त्रों तथा उन्नतील बीजों का वर्णन-

नाम	कहाँसे प्राप्त करते हैं	दूरी	परिवहन की सुविधा
गार्ड			
कृषि यंत्र			
पम्प सेट			
फसलों की दवाईयाँ			
बीज			

14- गृहों का उपचार गौव में कराते हैं या बाहर यदि बाहर तो कहों.....							दूरी.....
15- जनसंख्या की सरचना-							
A. रावण जातियों-	ब्राह्मण	क्षत्रिय	देश्य	कायस्थ	मुखलमान		
घरों की संख्या-	
B. पिछली जातियों-	अहिर	कुम्हार	लोहार	चुनार	नाई	कुर्मी	लोधी
घरों की संख्या-	दर्जी
C. अनुरूपित जातियों	धोवी	चमार	मेहतर	धानकू	अन्य
घरों की संख्या-	
16- शिक्षा-	प्राविधिक	व्यवसायिक	पोस्ट ग्रेजुएट	ग्रेजेट	इण्टर	हाईस्कूल	जू० हा० स्कूल
शिक्षितों की संख्या	प्राइमरी

17- शिक्षण संस्थाएँ	हौं/नहीं	स्थान	दूरी	कहों भेजना चाहते हैं		कहों से पढ़ने आते हैं (गौव का नाम)
				पहली प्राथमिकता	दूसरी प्राथमिकता	
प्राइमरी (बालक)						
प्राइमरी (नालिकाये)						
जू० हा० स्कूल (बालक)						
जू० हा० स्कूल (बालिकाये)						
हाईस्कूल						
इण्टर						
डिग्री						
मासिक कृषि						

18- गौव में प्रौढ़ शिक्षा दी सुविधा है / नहीं, यदि है तो किस माध्यम से सरकारी/सामाजिक

19- नौकरी पेशा व्यक्तियों की संख्या-

नौकरी वर्ग	योग्यता					स्थान	दूरी
	स्नातक	डिग्री कालेज	हाईस्कूल	प्राइमरी	अशिक्षित		
अधिक							
शिक्षक							
प्राविधिक							
व्यवसायी							
निम्न श्रेणी के कर्मचारी							

20- रावण सुविधाएँ विवरण-

अ- शोधित सार्वजनिक जल स्टैण्ड पोस्ट है / नहीं यदि है तो संख्या.....

कार्यरत है हौं/नहीं यदि नहीं तो कारण.....

ब- कनेक्शन लेने वालों की संख्या.....

रा- पीने के पानी के कुओं की संख्या.....

ग्रिल ऋतु में लेने वाले कुओं की संख्या.....

21- रावण सुविधाएँ	हौं/नहीं	स्थान	दूरी	प्रथम प्राथमिकता	दूरी	द्वितीय प्राथमिकता	दूरी
पुरुष अस्पताल							
महिला अस्पताल							
प्राइमरी रावण सेवा							
परिवार नियोजन							
डिपेंसरी							
अन्य (होम्योपैथिक)							
आयुर्वेद							

22- पिछले पाँच वर्षों में बच्चों का जन्म परम्परागत दाई/प्रशिक्षित दाई/नर्स/डाक्टर किसके देखरेख में हुआ.....

23- गौव में डिकिट्सको की संख्या.....

एलोपैथिक

होम्योपैथिक

आयुर्वेद

हकीम

24- पिछले वर्ष वेचक/हैंडे का टीका लगाने वाले आये हौं/नहीं.....

25- क्या आपके गौव में प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति है हौं/नहीं यदि है तो उनसे कार्यरत है.....

26- पिछले पाँच वर्षों में रोगों का प्रभाव-

रोग	मरेंरिया	टाफ़ाइड	खसरा	पेचिस	पोलियो	तपेदिक	दमा	अन्य
परिवारों की संख्या								
भूतक संख्या								

27- वित्तीय सुविधाये प्रदान करनें वाली संस्थायें	स्थान	दूरी	परिवार संख्या	डिफाल्टर संख्या
राज्यीय बैंक				
भूमि विकास				
कोआपरेटिव सोसायटी				
साइकार				

28- दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गाँव में बाजार है हाँ/नहीं.....

29- वस्तु	बाजार का नाम/स्थान जहाँ गाँव के लोग जाते हैं	दूरी	दैनिक	साप्ताहिक	प्राथमिकता		
					I स्थान	II स्थान	III स्थान
अनाज							
राश्वी							
मसाले (किराना)							
वस्त्र							
बर्तन							
विशातखाना							
गहने							
अन्य							

30- गाँव से व्यापारी किन-किन बाजारों से आते हैं.....

वस्तु	व्यापारियों की संख्या	बाजारों के नाम
अनाज		
किराना		
वस्त्र		
अन्य		

31- गाँव में बैलगाड़ी	साईकिल	रिक्षा	खड़खड़ा	मोटर सायकिल	ट्रेवर्टर	कार
संख्या						

32- संचार और परिवहन के साधन	में है/नहीं	यदि दूर जाते हैं तो उस स्थान का नाम	दूरी
बस स्टैण्ड			
रेलवे स्टेशन			
उप डाकघर			
टेलीग्राफ ऑफिस			

33- आपके गाँव से पुलिस चौकी अथवा एकीकृत स्थान की दूरी.....स्थान

34- आपके गाँव में समाचार पत्र आता है/नहीं यदि है तो कहाँ से औरसंख्या

35- आपके गाँव में रेडियो.....ट्रिजिस्टर.....है/नहीं

36- आपके गाँव में मन्दिर.....मस्जिद.....है/नहीं

37- गाँव में कोई मेला लगता है हाँ/नहीं दिनहरे तो कहाँ-कहाँ इस कार्य हेतु जाते हैं स्थान.....दूरी

38- आवास व्यवस्था- कच्चे मकानों की गणना.....पक्के मकान.....प्रयोग की जाने वाल सामग्री

कच्चे पक्के मकान.....शोपिंग.....प्रयोग की जाने वाल सामग्री.....अन्य

39- जनसंख्या का स्थानान्तरण- पुरुष.....महिला.....अन्य

गाँव.....जिला.....प्रदेश.....देश/विदेश

पिछले पाँच वर्षों में अपराध का विवरण-

अपराध	संख्या	सूचित / और सूचित	सूचना का स्थान	दूरी
घोरी				
डकेटी				
कल्प				
वलात्कार				
अन्य				

४०- गौव की प्रमुख समस्याएँ.....

४१- आपके गौव के विकास के लिये पिछले पाँच वर्षों में सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्य हुये.

४२- भ्रमण प्रारूप (TRAVEL PATTERN)

क्रमांक	वस्तुये	स्थान	दूरी	जाने का साधन	कुल व्यय	बारम्बारता
1.	शिक्षा प्राइमरी / मिडिल हाईस्कूल / इंटरमीडिएट डिग्री कालेज ग्राविधिक शिक्षा					
2.	मेडिकल सामान्य उपचार विशेष रोगों का उपचार एवं सलाह प्रसूत के लिये दवाओं के लिये					
3.	पशु धिकित्सा हेतु					
4.	ऋण संस्थाएँ बैंक कोआपरेटिव सोसायटी साहकार					
5.	सन्देश वाणि के लिए पत्र आदि के लिये टेलीफोन / टेलीग्राफ					
6.	उपभोक्ता की वस्तुये अनाज दाल सब्जी / फल तेल / धी शक्कर / गुड मसाले प्रसाधन के साधन बर्टन वर्त्र रेडीमेड कपडे विजली का सामान जूते भवन निर्माण सामग्री					
7.	अन्य रोवाये सिलाई कपड़ा धुलाई कानूनी सलाह प्रशासनिक कार्य हेतु मनोरंजन के लिये पेट्रोल / डीजल कारी किताब आदि किराना आदि					